राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 9] ग्यारहवीं विधान सभा के नवें सत्र का दूसरा दिवस [संख्या : 2

मंगलवार;

27 अगस्त, 2002

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्रीमती पूनम गोयल।

श्री मदन दिलावर (अटरू): अध्यक्ष महोदय, आज मेरा प्रश्न लगा हुआ था, मुझे जवाब प्राप्त नहीं हुआ इस प्रश्न का। मेरा प्रश्न आज लगा हुआ है, इसमें सूचीबद्ध है और मुझे प्रश्न का जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। मेरा जो प्रश्न था वह केवल इतना है, श्रीमान् कि मैंने तो लेखा-जोखा पूछा था जो वित्त सचिव के पास और वित्त मंत्रीजी के पास नहीं है। कहीं फील्ड से लाने की जरूरत नहीं है। मैंने पूछा, कितना पैसा केन्द्र से आया है, कितना राज्य का है, किस-किस योजना में कितना खर्च हुआ है, श्रीमान्।

श्री अध्यक्ष : आपका प्रश्न थोड़े ही है। माननीय सदस्या का प्रश्न है।

श्री मदन दिलावर : लेकिन मुझे कोई जानकारी नहीं दिये बिना मेरे प्रश्न का आज तक जवाब नहीं दिया।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर : ऐसा ही प्रश्न माननीय कटारिया साहब ने पिछली बार लगाया था उसको भी स्थगित कर दिया गया। आखिर यह सरकार जानकारी देने में क्यों डरती है? यह पारदर्शिता की बात करने वाली, यह क्यों नहीं बता पा रही है कि हम कितना धन कहां से लाये हैं और किसमें खर्च किया है? या तो ये घौटाले कर रहे हैं इसलिए सदन को जानकारी नहीं देना चाहते हैं, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्रश्नकाल में व्यवधान मत डालिये।

श्री मदन दिलावर : इसलिए मेरा निवेदन है कि इसकी जानकारी इसी सत्र में दिलवाएं।

श्री अध्यक्ष : आपका कोई प्रश्न नहीं है यहां पर।

श्री मदन दिलावर : 24 वें नम्बर पर मेरा प्रश्न है।

श्मशान घाट, अनन्तपुरा (कोटा) में भू-माफियाओं द्वारा अतिक्रमण

1. **श्रीमती पूनम गोयल** (लाडपुरा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्रीमती पूनम गोयल)

(1) शहरी क्षेत्र में श्मशान भूमि की सुरक्षा की जिम्मेदारी किस महकमे/अधिकारी की है?

(2) क्या यह सही है कि अनन्तपुरा (कोटा) श्मशान घाट की भूमि पर भू–माफियाओं द्वारा आवासीय कालोनी बसाने का मामला प्रकाश में आया है? क्या उक्त प्रकरण में न्यास कर्मचारी/ अधिकारियों की भू–माफियाओं से मिलीभगत है? यदि हां, तो उक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा भू–माफियाओं द्वारा स्थानान्तरित अनन्तपुरा श्मशान तक पहुंचने हेतु नाले पर पुलिया एवं सम्पर्क सड़क का निर्माण कार्य करवाया गया है? यदि हां, तो उक्त कार्य पर किसके आदेश से कितनी राशि व्यय की गई है? उक्त निर्माण से संबंधित पत्रावली की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) भविष्य में श्मशान घाटों/कब्रिस्तानों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है?

(5) क्या अब सरकार अनन्तपुरा श्मशान घाट की भूमि को भू–माफियाओं से मुक्त कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री बुलाकीदास कल्ला) : (1) शहरी भूमि स्थित श्मशानों की सुरक्षा की सामान्यतया जिम्मेदारी संबंधित स्थानीय निकाय की है।

(2) अनन्तपुरा स्थित श्मशान घाट की भूमि पर भू–माफिया द्वारा आवासीय कालोनी काटे जाने की जानकारी नगर विकास न्यास, कोटा को नहीं है। चूंकि श्मशान की भूमि पर कोई आवासीय कालोनी नहीं काटी गई है, अत: किसी अधिकारी/कर्मचारी के भू–माफियाओं से मिलीभगत होने की सम्भावना नहीं है।

(3) नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा कथित भू–माफियाओं द्वारा स्थापित अनन्तपुरा श्मशान तक पहुंचने हेतु नाले पर पुलिया एवं सम्पर्क सड़क का निर्माण आदि नहीं कराया गया। जब निर्माण ही नहीं कराया गया तो पत्रावली भी संधारित नहीं है।

(4) श्मशान घाटों एवं कब्रिस्तानों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा का कार्य सामान्यत: स्थानीय निकायों का है एवं वे इसकी सुरक्षा भी करती हैं। अत: अलग से कोई विशिष्ट व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

(5) क्योंकि श्मशान की भूमि पर आवासीय कालोनी नहीं काटी गई है, यह भूमि श्मशान कार्यों के लिए प्रयुक्त की जा रही है, अत: जब भू–माफियाओं का कब्जा ही श्मशान घाट पर नहीं है तो उसे मुक्त करने का प्रश्न नहीं उठता।

श्रीमती पूनम गोयल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने एक भी प्रश्न का उत्तर संतोषजनक नहीं दिया है। यदि भू-माफियाओं और अधिकारियों की मिलीभगत नहीं है तो राज्यव्यापी प्रतिष्ठित अखबार राजस्थान पत्रिका में इस प्रकार की खबर क्यों छपी? और जिला कलक्टर महोदय और उपखण्ड अधिकारी ने इसकी एफ.आई.आर. दर्ज क्यों करवायी? क्या उपखण्ड अधिकारी व लाडपुरा तहसीलदार ने जांच में वहां पर भू-माफिया का कब्जा नहीं माना? यदि नहीं माना तो थाना विज्ञान नगर में इसकी एफ.आई.आर. किस संबंध में दर्ज करायी? कृपया जवाब दें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न यह था कि इस श्मशान भूमि पर कोई पट्टे काट दिये गये, हकीकत यह है...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, यह नहीं है...(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : क्या यह सही है कि अनन्तपुरा (कोटा) श्मशान घाट की भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा आवासीय कालोनी बसाने का मामला प्रकाश में आया है? अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान) आप बिराजिये।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : आप टैक्निकल जवाब दें, यह पट्टे का कहां से आ गया मामला?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): ...(व्यवधान) पट्टा है ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : बैठिये। बैठिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : आप हर विभाग में फैल रहे हैं, स्पेसिफिक जवाब दीजिये। एफ.आई.आर. दर्ज हुई और आप कह रहे हैं कि कोई प्रकरण नहीं है। एफ.आई.आर. लॉज हुई हैं दो-दो।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, यह हकीकत में...(व्यवधान) 53 नम्बर खसरा चरागाह भूमि के रूप में दर्ज है, लगभग एक बीघा भूमि पर छोटे हिस्से में एक देवनारायण का चबूतरा है और एक शैड बना हुआ था। जुलाई के अंतिम सप्ताह में वह शैड काट कर चुरा लिया गया, उसकी एफ.आई.आर. लॉज हुई है। 4.8.2002 को तहसीलदार लाडपुरा ने एफ.आई.आर. लॉज की है और विज्ञान नगर थाने में यह एफ.आई.आर. लॉज है जिसकी तफतीश जारी है। ...(व्यवधान)

आप मेरे को पूरा जवाब दे लेने दीजिये। एक मिनट, आप सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्रीमती पूनम गोयल : क्या, मंत्री महोदय, इस बात का आश्वासन देते हैं कि जिस प्रकार अनन्तपुरा गांव में खसरा 53 की जमीन को जिला कलक्टर ने 6.8.2002 को श्मशान भूमि में दर्ज किया है, उसी के अनुसार खसरा नं. 46 की भूमि को भी श्मशान भूमि में दर्ज किया जाएगा? यदि हां, तो कब तक?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, यह अलग से प्रश्न है। 46 नं. खसरा यदि सरकारी है, सिवाय चक है तो मैं इसके ऊपर विचार कर सकता हूं। लेकिन यह देखना पड़ेगा कि यह प्राइवेट खातेदार का है या अन्य किसी खातेदार का। मैं माननीय सदस्य को खास तौर से यह जानकारी देना चाहता हूं इस प्रश्न के माध्यम से कि खसरा नं. 47, 48, 49, 50, 51 और 48/312 यहां पर खातेदारों की जमीन है, यहां पर दिनेश सोनी और गौरव सोनी ये खातेदारों के मुख्तयार आम हैं। ये कालोनीज आस-पास में कट रहे हैं, लेकिन श्मशान भूमि के ऊपर कोई कालोनी नहीं काटी गई है। यहां पर (व्यवधान) एक सैकण्ड।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : मंत्रीजी, जिस कालोनी की बात आप कर रहे हैं क्या वह कालोनी एप्रूव्ड है? यू.आई.टी. से एप्रूव हुई नहीं, कालोनी वो काट रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, श्मशान घाट जो बना हुआ था, पहले उस श्मशान घाट को शिफ्ट कर दिया गया।

श्री अध्यक्ष : आप बीच में नहीं, राजेन्द्र सिंहजी। आप बैठिये, बाद में पूछ लेना।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा आपको मूल प्रश्न के उत्तर में बताया, वहां पर जो टीन शैड लगा हुआ था इस एक बीघा भूमि के ऊपर, उसको जुलाई के अंतिम सप्ताह में चोरी कर लिया गया था जिसकी एफ.आई.आर. लॉज हो गयी जो भी कल्प्रिट्स होंगे उनको हम सख्त से सख्त सजा देंगे और इस पूरे प्रकरण की जांच में डिवीजनल कमिश्नर, कोटा से करवाउंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : अध्यक्ष महोदय, बात सीधी एक यह है, आपकी अनुमति से मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं।

श्रीमती पूनम गोयल : माननीय अध्यक्ष महोदय, दसों वर्ष पूर्व नगर विकास न्यास ने श्मशान में जाने वाले लोगों और शोक-संतप्त परिवारों के लिए एक हैण्ड पम्प खुदवाया था। जब वहां पर सरकार ने हैण्ड पम्प खुदवाया है, जब सरकार पैसा खर्च कर देती है तो यह सरकारी जमीन होनी चाहिए। खसरा नं. 46 को श्मशान के रूप में ही दर्ज किया जाए, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, यह अलग से प्रश्न है, इसको मैं मैरिट पर दिखवा लूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ यह पूछना चाहता हूं मंत्रीजी से कि आप क्वेश्चन को ट्विस्ट मत कीजिये। आप बहुत अनुभवी मंत्री हैं, प्रश्न पूछने में उन्होंने पूछ लिया कि आवासीय कालोनी बसायी है तो इसका टैक्निकली मतलब यह हुआ कि आवासीय कालोनी को एप्रूव कराया है बाकायदा यू.आई.टी. से, यह नहीं है। प्रश्न का मंतव्य यह है कि जो भूमि श्मशान भूमि दर्ज है रिकार्ड के अन्दर, उस भूमि पर कुछ

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

आवासीय मकानात बने हैं या नहीं बने हैं। अगर आवासीय मकान बने हैं तो भू-माफिया का अपने-आप सवाल पैदा होता है। यह आप सीधा-सा बताइये।

श्री बुलाकीदास कल्ला : भूमि पर कोई आवासीय मकान नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : जो श्मशान भूमि रिकार्डेड है उसके ऊपर?

श्री बुलाकीदास कल्ला : हां, नहीं बने हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बने ही नहीं हैं?

श्री बुलाकीदास कल्ला : नहीं बने हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एफ.आई.आर. काहे की है?

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं कह रहा हूं, नहीं बने हैं। पूरी जानकारी के साथ कह रहा हूं सदन में।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एफ.आई.आर. इससे ताल्लुक नहीं रखती है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : फिर एफ.आई.आर. काहे के लिए हुई है?

श्री बुलाकीदास कल्ला : जो श्मशान में टीन शैड बना हुआ था उसकी गैस कटर से काट कर चोरी हो गयी, उसकी एफ. आई.आर. लॉज हुई है। उसके ठीक पास ही टी शैड बनाना शुरू कर दिया गया है, यू.आई.टी. के द्वारा और वह चार-पांच दिन में बनकर तैयार हो जाएगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एफ.आई.आर. किन धाराओं में दर्ज हुई है, यह बता दीजिये? धाराएं बताइये धारा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी): अध्यक्ष महोदय, यह जो श्मशान भूमि है यह रिकार्ड में श्मशान भूमि कब दर्ज हुई? उसमें कितने खसरा नम्बर पर कितने एरिये में श्मशान भूमि दर्ज है? यह रिकार्ड के आधार पर बताएं कि श्मशान भूमि कब दर्ज हुई? कितने क्षेत्रफल में दर्ज हुई और उतना का उतना क्षेत्रफल आज भी सुरक्षित है या नहीं?

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है, 53 नंबर खसरा चरागाह भूमि के रूप में दर्ज है और इस लगभग एक बीघा जमीन में छोटे हिस्से में देवनारायण का चबूतरा बना हुआ है और यह कई वर्षों से श्मशान भूमि के उपयोग में आ रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा खास तौर से कि 1995-96 में इसमें 86,045 रुपये का कार्य कराया गया है, इसके तहत एक टीन शेड...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप तो यह बता दो कि यह श्मशान भूमि में दर्ज कब हुई? आपकी जानकारी में नहीं है तो देख लो, कलक्टर ने यह बाद में श्मशान भूमि में दर्ज कर दी। दूसरा, इसके पास में जो आवासीय कालोनी बसी है विनायक नगर उसको तकनीकी रूप से यू.टी.आई. से

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

एप्रूव करा लिया कि नहीं करा लिया, बिना एप्रूव किये ही वह काट रहा है और वही उस पर कब्जा कर रहा है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है कि उस पर कब्जा अभी तक किसी ने नहीं किया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मंत्री महोदय, केवल यह बता दो कि श्मशान भूमि पर जो इन्द्राज हुआ कि यह श्मशान है, यह कब हुआ? और कितने क्षेत्रफल में श्मशान दर्ज किया गया, कौनसे नम्बर पर किया गया?

श्री बुलाकीदास कल्ला : कब दर्ज किया गया, यह जानकारी अभी मेरे पास नहीं है।

श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डौली) **:** अध्यक्ष महोदय, वहां देवनारायण का स्थान है। वहां देवनारायण का स्थान पहले बना या श्मशान पहले बना है, इसकी जानकारी से सदन को अवगत कराया जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के पास जानकारी नहीं है। पर मैं आपकी अनुमति से सदन को यह बताकर कलक्टर का आर्डर रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, कलक्टर का यह आदेश है 8.6.2002 का, इसमें इसको श्मशान भूमि में दर्ज किया गया है।

श्री अध्यक्ष : मैं आपको अनुमति नहीं देता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप पूरी जानकारी के साथ नहीं आये। यह कलक्टर का आदेश है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, नाथूलाल गुर्जर।

श्री नाथूलाल गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, देवनारायण के चबूतरे का सवाल है, सारे गुर्जरों की और अन्य की भावना जुड़ी हुई है। उसके टीन शैड चोरी हो गये, एक महीने तक आपके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। अध्यक्ष महोदय, वहां पर देवनारायण के स्थान पर चबूतरा बना हुआ है, उसके टीन शैड चोरी हो गये। एक महीने से उन चोरों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। सरकारी रिकार्ड में देवनारायण का चबूतरा पहले बना या श्मशान पहले बना, इसकी जानकारी मंत्री महोदय दें।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैंने जैसा आपको पहले बताया, 4 अगस्त, 2002 को एफ.आई.आर. लॉज करवा दी गई थी। इसमें देवनारायण का चबूतरा, मैं बार-बार बोल रहा हूं, दो बार बोल चुका हूं इसमें धारा 379 के अन्तर्गत चोरी का मुकदमा दर्ज कराया गया है, जैसे ही इसमें तफतीश पूरी होगी, कल्प्रिट्स के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

श्री नाथूलाल गुर्जर : मेरा प्रश्न यह नहीं है, मेरा प्रश्न यह है कि देवनारायण का चबूतरा पहले बना या श्मशान पहले बना?

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, सीधा-सा सवाल यह है कि चबूतरा पहले बना था या श्मशान घाट पहले था?

श्री नाथूलाल गुर्जर : जवाब यह चाहिये।

श्री अध्यक्ष : बैठिए, प्रोफेसर साहब, बैठिए आप। श्री राजेन्द्र सिंहजी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि सदन में पहला सवाल लगा और पहले ही सवाल की आप तैयारी करके नहीं आये। आपको यह मालूम नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के पटल पर वह आदेश रखना चाहता हूं जिस आदेश के अंतर्गत जिला कलक्टर ने इस भूमि को श्मशान के लिये आरक्षित किया है। अगर आप आदेश दें तो मैं पढ़कर सुना दूं।

''उपखण्ड अधिकारी; कोटा, वरिष्ठ नगर नियोजन, कोटा; आयुक्त नगर निगम, कोटा एवं सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा की अभिशंसा को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम अनन्तपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की भूमि खसरा नम्बर 53 रकबा 0.17 हैक्टेयर जिस पर मंदिर निर्मित है, उसे छोड़ते हुए शेष हैक्टेयर की किस्म जो चरागाह थी, को निरस्त कर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के अंतर्गत श्मशान के लिये आरक्षित की जाती है।''

अध्यक्ष महोदय, जब यह भूमि श्मशान के लिये आरक्षित है, मंत्री महोदय हाउस को मिसलीड कर रहे हैं। इसको यह मालूम नहीं है, जिस जमीन को श्मशान के लिये आरक्षित कर दिया उसको चरागाह की जमीन कह रहे हैं। और यह झगड़ा इसी से शुरू होता है। इसके पास लगी हुई विनायक कालोनी के लोग इस श्मशान को दूसरी तरफ स्थानान्तरित करना चाहते हैं ताकि उनकी कालोनी के भू-खण्ड बिक जाएं। यह कालोनी एप्रूव्ड भी नहीं है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय उन भू-माफियाओं से मिले हुए हैं और टीन शैड भी उन्हीं भू-माफियाओं ने चोरी किया है, एफ.आई.आर. भी भू-माफियाओं के खिलाफ है। आप उनसे मिले हुए हैं, इसलिए आप चरागाह कह कर श्मशान और देवनारायण मंदिर को अपमानित कर रहे हैं। आपकी मिलीभगत के कारण यह हुआ है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है, जांच में पता लग जाएगा कि मैं उनसे मिला हुआ हूं या विश्व हिन्दू परिषद् मिली हुई है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह हमारा आरोप है कि आप भू-माफियाओं से मिले हुए हैं और उन्होंने ही यह चोरी किया है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं खास तौर से बताना चाहता हूं खसरा नंबर 53 ग्राम अनन्तपुरा किस्म चरागाह भूमि थी, इसको अगस्त, 2002 में श्मशान हेतु सैट अपार्ट किया गया है। यह कह रहे हैं कि श्मशान भूमि तो है, 1995-96 में 86 हजार 45 रुपये इस पर खर्च हुए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप तैयारी करके आओ।

श्री सांवर लाल : आपके पास जानकारी नहीं है। यह तो माननीय सदस्य ने आपको बताया है वह पढ़ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के जवाब सदन में दें। यह तो एक जिम्मेदार माननीय सदस्य ने बता दिया, अब क्या पढ़ रहे हैं मंत्रीजी?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : और तो जमीनों का घोटाला कर ही रहे हैं, श्मशानों को भी माफ नहीं कर रहे।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं 1.7 हैक्टेयर जमीन जो श्मशान के लिये आरक्षित की गई है, क्या 1.7 हैक्टेयर भूमि श्मशान के लिये आज मौके पर उपलब्ध है? क्या उस पर तो कोई आवासीय कालोनी नहीं बनी हुई है?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात पढ़ी वह पूरी सुनी नहीं, उसमें यह लिखा है, 1.7 हैक्टेयर को छोड़कर शेष जमीन जो लगभग एक बीघा है, उसको श्मशान भूमि के लिये सैट अपार्ट किया गया है।

श्री मानिक चन्द सुराना : मौके पर वह एक बीघा भूमि उपलब्ध है या नहीं?

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपलब्ध है।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं इसी के साथ यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इस भूमि के संलग्न श्मशान के तौर पर और भी कोई भूमि वर्षों से, पीढ़ियों से काम में आ रही थी? चाहे वह रिकार्ड में श्मशान दर्ज नहीं हो, पर इसी एक बीघा में संलग्न क्या 5–7 बीघा भूमि और भी श्मशान के काम में लायी जा रही थी?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिए, आप एक पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, एक का ही जवाब नहीं आ रहा है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, इस संबंध में जो प्रश्नगत भूमि है इस पर वर्षों से श्मशान भूमि का उपयोग किया जा रहा है और जिसको अगस्त, 2002 में कलक्टर ने श्मशान भूमि के लिये सैट अपार्ट किया है। अन्य स्थान के ऊपर कुछ अतिक्रमियों ने यह कोशिश की, इन्होंने चरागाह की भूमि 37 नम्बर खसरा में एक श्मशान बनाया है जिसमें खातेदारों के मुख्त्यारों में इन लोगों का हाथ हो सकता है। लेकिन यह जांच का विषय है। आप ताली बजा रहे हो, यह सब जांच पर पता लगेगा कि आपके दलों से और आपके जो सहायक दल हैं, उनसे संबंधित लोग हैं। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : यह डिवीजनल कमिश्नर महोदय को जो जांच आपने दी है, क्या डिवीजनल कमिश्नर महोदय इस सारी बात की जांच करेंगे? इस खसरा नम्बर 37 की भी जांच डिवीजनल कमिश्नर करेंगे? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप नहीं, आप बैठिए।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, सारे सेवादल के लोग हैं जिन्होंने कब्जा कर रखा है।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरालाल विश्नोई।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : वे किसी भी दल के हों, मंत्री महोदय उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे? मैं यह पूछना चाहता हूं कि उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं करना चाहते? मंत्री महोदय, आप यह घोषणा कीजिए कि उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे और सख्त कार्यवाही करेंगे।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सख्त कार्यवाही करेंगे।

श्री हीरालाल विश्नोई (सांचौर) : अध्यक्ष महोदय, भू-माफिया इतना सक्रिय हो गया है, इसी विधान सभा सत्र में मेरे को प्रश्न का लिखित उत्तर आया है कि सांचौर तहसील में मीठाबेरा की तहसील...

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, यह सांचौर का अलग से प्रश्न है।

श्री हीरालाल विश्नोई : जो एक पी.एच.सी. की जमीन थी, उस प्रकरण की पूरी जांच होने के बाद मंत्री महोदय द्वारा 24.7.2002 को आदेश पारित किया गया कि अगर यह अतिक्रमण है तो इसको हटा दिया जाए। वहां पर आदेश जारी होने के बाद 19 तारीख को अतिक्रमण हट रहे थे कि 17.8 को वापस आदेश जारी कर दिये गये कि इसको स्टे कर दिया जाए। इसकी नीयत क्या है, सरकार यह अतिक्रमण हटाना चाहती है या नहीं चाहती है? मीठाबेरा जो पी.एच.सी. का कुआ था, उसके ऊपर इतना भारी अतिक्रमण है, 10 करोड़ की यह सांचौर की जमीन है। पूरे चोहटे के बीच में यह जमीन है और उस जमीन के ऊपर पूरा अतिक्रमण किया हुआ है। 1981 में नगर पालिका के द्वारा कामर्शियल चार पट्टे दिये गये थे, उसके खिलाफ भी नगरपालिका हाई कोर्ट में गई है कि नगरपालिका को कामर्शियल पट्टे देने का अधिकार नहीं है। सरकार की क्या मंशा है, मैं यह जानना चाहता हूं?

श्री अध्यक्ष : आप किस संदर्भ में बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नाई : अध्यक्ष महोदय, यह भू-माफियाओं के खिलाफ बोल रहा हूं कि भू-माफिया गिरोह कितना सक्रिय है और किस तरीके से अपना वर्चस्व बनाकर आदेश पारित करवाते हैं। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, यह मुख्य मंत्री बताएंगे कि वह अपने प्रशासनिक तंत्र को कब तक काबू कर लेंगे जिससे अतिक्रमणकारी, भू-माफिया इस प्रकार कानून को भंग करने की हिम्मत न करें। उसको कब तक रोक लेंगे?

श्री अध्यक्ष : आप बैठिए। श्री के.सी. चौधरी।

श्री देवीसिंह भाटी : कृपया मुख्य मंत्री बताएं कि अपने प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से कब तक इस प्रकार के भू–माफियाओं को रोकने में सफल होंगे?

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, भू–माफियाओं के खिलाफ पूरे राजस्थान में निरन्तर अभियान चल रहा है। आप अलग से प्रश्न उठा लो मैं बता दूंगा कि राजस्थान में तमाम भू–माफियाओं के खिलाफ एक्शन लिया हुआ है। यह निरन्तर अभियान चलेगा और भू–माफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी।

श्री देवीसिंह भाटी : जयपुर राजधानी में, आपकी नाक के नीचे अतिक्रमण हो रहा है। (व्यवधान)

श्रीमती पूनम गोयल : मंत्री महोदय, अभियान चल रहा है लेकिन कोटा में भू–माफियाओं के साथ नगर विकास न्यास के अधिकारी और कर्मचारी मिले हुए हैं। (व्यवधान)

श्री हीरालाल विश्नोई : यह आपका आदेश है, सरकार का आदेश है, मेरा आदेश नहीं है और 17.8 को वापस उस पर स्टे दे दिया।

श्री बुलाकीदास कल्ला : यह सांचौर का प्रश्न है, यह अलग से प्रश्न कर लें, मैं जवाब दे दूंगा। यह सांचौर का प्रश्न है।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में भू–माफिया सक्रिय है, जगह–जगह कब्जा कर रहे हैं और मंत्रीजी कह रहे हैं कि अभियान चल रहा है। कौनसा अभियान चल रहा है इनका? अध्यक्ष महोदय, हर जगह से रिपोर्ट आ रही है... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ... (व्यवधान) +++ धारीवाल जी तो यहां विराजे हुए हैं।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, क्या इस प्रकार का अभियान चलाएंगे मंत्री महोदय, यह जवाब दें?

डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) **:** माननीय मंत्रीजी, आपने प्रश्न के उत्तर में संख्या चार पर बताया कि श्मशान घाटों, कब्रिस्तानों एवं सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा का कार्य... (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : इतने सारे भू–माफिया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री सांवर लाल (भिनाय) **:** ये इनके खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं?

डा. के. सी. चौधरी : सामान्यतया स्थानीय निकायों का है तो इसकी सुरक्षा भी स्थानीय निकाय करता है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि स्थानीय इकाइयां अगर इन स्थानों की सुरक्षा नहीं कर पा रही हैं तो सरकार उसमें कार्यवाही करने का क्या विचार रखती है, नम्बर एक? नम्बर दो, माननीय मुख्य मंत्रीजी की मंशा राजस्थान

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(डा. के. सी. चौधरी)

भर में साफ है, सारे भू–माफियाओं को आपने एक्सपोज किया है, सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है। बहुत सारे भू–माफियाओं के खिलाफ कई स्थानीय इकाइयों में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि सरकार उन सारी एफ.आई.आर. पर क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में भू–माफियाओं के खिलाफ ज्यों–ज्यों एफ.आई.आर. लॉज हुई हैं, उसके अन्तर्गत सख्त से सख्त कार्यवाही की गई है और की जा रही है। जहां तक स्थानीय निकायों के द्वारा सार्वजनिक हित की जमीनों की रक्षा का प्रश्न है, इस पर एक भी व्यक्ति कोई काबिज नहीं है, केवल जो शैड लगे हुए होते हैं उसकी चोरी गैस कटर से हुई थी, उसकी एफ.आई.आर. लॉज हो गई और जल्दी से जल्दी उन लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी।

श्री मदन दिलावर : धारीवाल के खिलाफ एफ.आई.आर. ...(व्यवधान) भू–माफिया है। (व्यवधान) 57 बीघा जमीन कोटा शहर की...

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, इनको किसी व्यक्ति का नाम लेकर इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। यह सम्मानीय सदस्य हैं, जिम्मेदारी से व्यवहार करना चाहिए।

श्रीमती पूनम गोयल : माननीय अध्यक्ष महोदय, कोटा नगर विकास न्यास ने पुराने श्मशान घाट के विकास के लिए लाखों रुपये खर्च किए। चबूतरा, नाली, टीन शैड, पुलिया और श्मशान घाट तक जाने के लिए सम्पर्क सड़क बनाई। उसके बाद जो व्यवस्था नगर विकास न्यास के द्वारा हुई, वह सब विनायक नगर कालोनी जो एक प्रोपर्टी डीलर ने बसाई है, उसको लाभ पहुंचाने के लिए काम आ रही है। उस पुराने श्मशान के आज भी टीन शैड हटा दिए गए हैं, क्या वहां पर श्मशान पुन: स्थापित होगा? मंत्रीजी यह जवाब दें। (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा (जोधपुर शहर) : अध्यक्ष महोदय, श्मशान भूमि पर अतिक्रमण आम शिकायत है। मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि श्मशान भूमि की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार क्या प्रबन्ध कर रही है और स्थानीय निकायों को इसके लिए क्या निर्देश दे रही हैं? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सरकार को चले हुए चार साल होने को आए, बार–बार कह रहे हैं भू–माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही करेंगे, तो कितने भू–माफियाओं को अब तक आपने सजा दिलवा दी? आपने कितनों को गिरफ्तार करवाया है शहरों और कस्बों में, माननीय मंत्री महोदय, कृपया बताइये? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कितने भू–माफियाओं को आपने सजा दी है, कितनों को आपने गिरफ्तार करवाया है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ज्ञानदेवजी, बैठिए। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : एक भी भू–माफिया को सजा नहीं हुई है। सिर्फ विधान सभा में असत्य घोषणाएं करते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय मुख्य मंत्रीजी भी करते हैं, पहले धारीवाल साहब करते थे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्लीज बैठिए। नैक्स्ट क्वेश्चन। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : एक भी भू–माफिया को सजा नहीं हुई।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री वृद्धिचन्द जैन। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : एक को भी गिरफ्तार नहीं करवाया। आपने एक के खिलाफ भी कार्यवाही नहीं की। चारों तरफ भू–माफिया छाये हुए हैं। आप कब तक कार्यवाही करेंगे, कब तक नहीं करेंगे यह मंत्री महोदय कृपया बताइये? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : प्रश्न संख्या दो। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्नकर्ता ही संतुष्ट नहीं है फिर उत्तर देने का क्या मतलब है सदन के अन्दर? (व्यवधान)

श्रीमती पूनम गोयल : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पूरे प्रकरण की, कार्यवाही की जांच कौन करेगा, मंत्री महोदय, बताइये? (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : डिवीजनल कमिश्नर, कोटा करेंगे।

श्रीमती पूनम गोयल : उस न्याय के कर्मचारी, अधिकारी की जो उसके साथ मिलीभगत है, उनकी कार्यवाही कौन करेगा? (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, इनके कार्यकाल में जांच रिपोर्ट आ जाएगी क्या, यह भी स्पष्ट कर दीजिए? (व्यवधान)

श्री वृद्धिचन्द जैन : प्रश्न संख्या दो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : दूसरे मंत्रिमण्डल विस्तार में आपके पास यह विभाग ही नहीं रहेगा, मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्दजी जैन।

श्री नाथूलाल गुर्जर : देवनारायण की भूमि पर जो कब्जा किया हुआ था वह कब्जा पहले से ही है या...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। आपने अपना प्रश्न पूछ लिया है। (व्यवधान)

जिला मुख्यालय, बाड़मेर में सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय की स्थापना

2. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर)**:** क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय जिला स्तर पर स्वीकृत किये जाने के क्या मानदण्ड हैं?

(2) क्या सरकार बाड़मेर जिला मुख्यालय पर सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) उक्त जिला मुख्यालय पर उक्त कार्यालय अभी तक नहीं खोले जाने के क्या कारण हैं?

राज्य मंत्री, श्रम (श्री राजेन्द्र राठौड़)**:** (1) इस बाबत निर्धारित मापदण्ड नहीं हैं।

(2) वर्तमान में कोई विचार नहीं है।

(3) वर्तमान में बालोतरा में श्रम कल्याण अधिकारी का कार्यालय खोला हुआ है तथा श्रम कल्याण अधिकारी को न्यायिक प्रक्रिया में सुनवाई हेतु सहायक श्रम आयुक्त के समान ही अधिकार प्रदत्त हैं।

श्री वृद्धिचन्द जैन : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिले का मुख्यालय बाड़मेर है और वहां पर सहायक श्रम आयुक्त के लिए मैंने निवेदन किया है। जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं–पी.एच.ई.डी., पी.डब्ल्यू.डी, विद्युत निगम, उनके साथ-साथ वहां पर इण्डस्ट्रीज भी हैं, गवर्नमेंट इण्डस्ट्रीज भी हैं उनके श्रमिक हैं और आपके कोई भी मापदण्ड नहीं हैं। अगर मापदण्ड के हिसाब से देखा जाए तो बाड़मेर जिले का मुख्यालय है और बाड़मेर उपयुक्त स्थान है। बालोतरा में अधिकारी है वह श्रम कल्याण अधिकारी है और मैं जो प्रश्न कर रहा हूं वह सहायक श्रम आयुक्त के बारें में है। सहायक श्रम आयुक्त का आफिस खोलने में आपकी क्या हिचकिचाहट है, क्या कठिनाई है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र चौधरी : अध्यक्ष महोदय, बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने बाड़मेर जिला मुख्यालय पर श्रम अधिकारी के कार्यालय को स्थापित करने की बात कही है और माननीय सदस्य ने यह भी बताया है कि वहां पर बहुत-सी औद्योगिक इकाइयां हैं, तो मैं यह जानकारी सदन को देना चाहूंगा कि 15 औद्योगिक इकाइयां रजिस्टर्ड हैं बाड़मेर शहर में, जबकि बालोतरा में 600 औद्योगिक इकाइयां हैं। वहां पर करीब 12000 श्रमिक कार्यरत हैं इसलिए यह कार्यालय वहां पर खोला गया है। जो क्लेम आये हैं उनमें भी 151 क्लेम में से 141 क्लेम केवल बालोतरा के हैं और 44 क्लेम ही बाड़मेर प्रापर से हैं। जस्टिफिकेशन के हिसाब से इसका जो कार्यक्षेत्र है वहां पर इसकी ज्यादा उपयोगिता बालोतरा में है, इसलिए वहां पर खोला गया है। चूंकि वहां पर कार्यभार नहीं है इसलिए वहां पर खोला जाना संभव नहीं है। यही जवाब दिया है मैंने। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, श्रम के बारे में मैं पूछूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन, श्री हरीश चन्द।

जिला नागौर में संचालित जनता जल योजनाओं का लम्बित भुगतान

3. श्री हरीश चन्द कुमावत (नावां) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जिला नागौर की पंचायत समिति क्षेत्र कुचामन में 63 जनता जल योजनाएं संचालित हैं? क्या उक्त में पम्प चालक हेतु 500 रुपए प्रति माह तथा मोटर संधारण हेतु 400 रुपए प्रति हार्स पावर प्रति वर्ष अनुदान देने का प्रावधान है? यदि हां, तो अब तक किस-किस योजना की कितनी राशि का भुगतान होना शेष है?

(2) क्या यह भी सही है कि लम्बे अर्से से पम्प चालक व मोटर संधारण की राशि उक्त योजनाओं के संचालन के लिए न मिलने के कारण उक्त योजनाओं के संचालन में कठिनाई आ रही है? उक्त में कौन-कौन सी योजनाओं ठप्प हो गई हैं? अब उक्त योजनाओं के सही संचालन हेतु अनुदान की राशि का भुगतान कब तक करा दिया जाएगा?

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम घाटवा, चितावा व मारोठ की पाइप्ड योजना लम्बे अर्से से लम्बित है? यदि हां, तो उक्त के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदार है तथा उक्त योजनाएं कब तक स्वीकृत होकर प्रारम्भ हो जाएंगी?

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री सी.पी. जोशी) : (1) जी हां, पंचायत समिति क्षेत्र कुचामन में 63 जनता जल योजनाएं ग्राम पंचायत/जनता जल योजना समिति द्वारा संचालित हैं। जनता जल योजनाओं पर पम्प संचालन हेतु रुपए 500/-प्रति माह प्रति स्रोत एवं मोटर संधारण हेतु सबमर्सिबल पम्पसैट के लिए रुपए 400/- प्रति हार्स पावर प्रतिवर्ष सेन्टीफ्यूगल पम्प के लिए रुपये 1000/- प्रति वर्ष अनुदान देने का प्रावधान है। जनता जल योजनाओं पर बकाया भुगतान (रुपए 12.18 लाख) का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जनता जल योजनाओं का संचालन एवं संधारण संबंधित समिति/ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। संबंधित समिति/ग्राम पंचायत द्वारा उक्त क्षेत्र की किसी भी जनता जल योजना के बंद ठप होने की सूचना विभाग की जानकारी में नहीं लाई गई है। यह सही है कि विगत समय में पर्याप्त बजट अनुपलब्धता के कारण अनुदान राशि का भुगतान नहीं हो सका है। अब उक्त क्षेत्र की जनता जल योजनाओं पर देय मजदूरी एवं पम्पसैट की मरम्मत के लिए अतिरिक्त बजट राशि रुपए 10.00 लाख का आबंटन दिनांक 23.8.2002 को उपलब्ध करवा दिया गया है। अत: अब अधिकांश लम्बित

(श्री सी.पी. जोशी)

देनदारियों के भुगतान की कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

(3) ग्राम घाटवा, चितावा एवं मारोठ की पुनर्गठित जल योजनाएं तकनीकी परीक्षण की प्रक्रिया में है। इस क्षेत्र में भू–जल की उपलब्धता सीमित एवं पेयजल गुणवत्ता की समस्या होने के कारण उक्त योजनाओं हेतु मान्य गुणवत्ता एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्धता के स्रोत निर्धारण के लिए सर्वेक्षण के कार्य में समय लगा है। अत: योजनाओं की तकनीकी जांच में समय लगना स्वाभाविक है। अत: इस मामले में कोई अधिकारी दोषी नहीं है। सक्षम स्तर से तकनीकी तौर पर जांच व स्वीकृति उपरान्त आवश्यक बजट एवं संसाधनों की उपलब्धतानुसार इन योजनाओं का क्रियान्वयन सम्भव हो सकेगा।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट–1 देखें)

श्री हरीश चन्द कुमावत : अध्यक्ष महोदय, बजट वर्ष 2001 में कुचामन जन समिति क्षेत्र में 66 जनता जल योजनाएं थीं और यह बताया गया था कि पांच योजनाएं और चालू कर दी जाएंगी। इस प्रकार 71 योजनाएं हो गई थीं और अब जो जवाब दिया, उसमें 63 जनता जल योजनाएं बताई गई हैं। तो आठ जनता जल योजनाएं कौनसी हैं जो बंद हो गईं या नहीं हैं? कम क्यों बताई गई हैं?

दूसरा प्रश्न यह था कि ऐसी कितनी योजनाएं हैं जो आपने सन् 1996 से चालू की हुई हैं? सन् 1996 से अब तक पम्प चालक को जो 500 रुपए मिलते हैं वह राशि भी नहीं दी गयी औ मोटर संधारण हेतु जो 400 रुपये प्रति हार्स पावर दिये जाते हैं वे भी नहीं दिये गये। ऐसी स्थिति में इन योजनाओं का चलना किस प्रकार से सम्भव रहा, किस प्रकार से वे चल सकती थीं? अभी आपके द्वारा जो योजनाएं चलायी जाती हैं उन पर एक वर्ष में कितना खर्चा होता है पम्प चालक का और मोटर संधारण वगैरह का? ये जनता जल योजनाएं इतनी कम राशि में चलती हैं उसके लिये भी इतने लम्बे समय तक भुगतान नहीं किया गया, तो इसके लिये दोषी कर्मचारी कौन है? उनको इतने अर्से तक यह राशि क्यों नहीं दी गयी?

नम्बर तीसरा, घाटवा, चितावा एवं मारोठ की जो पुनर्गठित योजनाएं हैं वे जयपुर में स्वीकृति हेतु प्राप्त हुईं और कितने अर्से से ये लम्बित पड़ी हुईं है? इतना समय इसको लग रहा है, इसका लास्ट आब्जर्वेशन कब का है? इतने लम्बे समय से पैंडिंग रहने से पानी की उपलब्धता उनको नहीं हो रही है, उनको तकलीफ हो रही है, इसका निस्तारण किस प्रकार से किया जा रहा है? घाटवा में एक ओवरहैड टैंक डी.आर.डी.ए. से बना दिया गया है और इस योजना में उसे सम्मिलित कर दिया गया, लेकिन यह योजना स्वीकृत नहीं होने से वह टैंक अभी अधूरा पड़ा है। अधूरा रहने से वह टैंक टूट सकता है, अनुपयोगी हो सकता है। इस ओर क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है?

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो यह कहा है वह सही है कि लगभग 1705 गांवों में दो हजार से ज्यादा जनता जल योजनाएं राजस्थान में संचालित हो रही हैं। उसमें लगभग 3 करोड़ रुपये के बजट के प्रोविजन की आवश्यकता है और 3 करोड़ के अगेंस्ट में बजट प्रोविजन एक करोड़ 16 लाख का ही है। इसलिये जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है, कुछ जगह पर हम समय पर मजदूरी और जो व्यवस्था की है वह नहीं दे पाये। अब हम इसमें पूरी व्यवस्था कर रहे हैं और जो मेंटिनेंस में कंटिंजेंसी प्लान है अरबन और रूलर में, उसी में इसका प्रोविजन कर देंगे। इसलिये आने वाले समय में यह कठिनाई नहीं रहे, यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। (व्यवधान)

जब मैं आपको कह रहा हूं कि मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, यह स्थिति है तो अब इसमें कोई इश्यू नहीं है जिसके बारे में कोई कहना चाहते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने घाटवा, चितावा और मारोठ की जो बात कही है, नागौर के इलाके में पानी की उपलब्धता पूरी नहीं है। जो सोर्स हैं वे बहुत जल्दी ड्राइ हो जाते हैं जब तक एश्योर्ड सोर्स हमें आइडेंटीफाई नहीं हो जाएं तब तक इस सम्बन्ध में जो हमारी तकनीकी स्वीकृति है उसमें समय लगता है। घाटवा, चितावा और मारोठ में लम्बे समय से योजनाएं चल रही हैं, दो-दो बार उनमें आग्यूमेंटेशन का पैसा दे दिया गया है। लेकिन अभी पानी की उपलब्धता नहीं है, टैंकर के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा है। लेकिन अब सीनियर हाइड्रोजियो-लोजिस्ट से हमने आइडेंटीफाई कराये हैं 5-7 नलकूप हर योजना के सम्बन्ध में, और मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि टैक्निकल कमेटी ने अभी सारी योजनाओं को स्वीकृत करके भेजा है, आने वाले समय में हम इन तीनों योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्था कर देंगे जिससे लोगों को तकलीफ नहीं रहे।

श्री हरीश चन्द कुमावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा था कि 2001 में 71 योजनाएं बतायी गयी थीं और इस बार केवल 63 योजनाएं बतायी हैं। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, जनता जल योजनाएं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री हरीश चन्द कुमावत : तो 8 कौनसी योजनाएं हैं जो बन्द हो गयी? 8 योजनाएं कम क्यों बतायी गयी हैं, यह पूछ रहा हूं मैं?

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा): मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, क्या यह सही है कि तत्कालीन मंत्रीजी ने 500 रुपये के बजाय एक हजार रुपये...

श्री अध्यक्ष : बैठिये, अमरारामजी, बैठिये। प्रश्नकर्ता।

श्री हरीश चन्द कुमावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे जो पहले उत्तर दिया था उसमें 71 योजनाएं बतायी गयी थीं और इस बार जो उत्तर है उसमें 63 योजनाएं हैं, तो 8 योजनाएं कौनसी कम कर दी गयीं? वे ठप कर दी गयीं? वे कौनसी योजनाएं हैं, जो बंद हो गयी हैं?

श्री सी. पी. जोशी : मेरे विभाग के पास जो जानकारी है वह 63 योजनाओं की है। आपने कहा कि पहले जवाब दिया है तो मैं इसको चैक करवाकर आपको सूचित कर दूंगा। अभी जो मेरे पास सूचना उपलब्ध है वह 63 योजनाओं की है।

श्री हरीश चन्द कुमावत : यह मेरे पास जवाब है, साहब। (व्यवधान)

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा): क्या यह सही है कि तत्कालीन मंत्रीजी ने इसी हाउस के अन्दर 500 के बजाय जनता जल योजना में काम करने वाले कर्मचारी को एक हजार रुपये देने की घोषणा की थी? यह बात सही है?

श्री सी. पी. जोशी : आप जो फर्मा रहे हैं, आपने जो कहा है, मंत्रीजी ने यदि इस सदन में कहा है तो मैं इसकी जांच करवा लूंगा और इस सम्बन्ध में कार्यवाही करूंगा।

श्री अमराराम (धोद): जांच क्या होगी इसमें? (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : मुझे जानकारी नहीं है। (व्यवधान) मुझे जानकारी नहीं है। (व्यवधान) आप बता दें।

श्री अमराराम (धोद) : थोथी घोषणाएं किसलिये करते हैं फिर? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : स्वीकार कर रहे हैं कि एक हजार रुपये की घोषणा की थी। हाउस के रिकार्ड पर है यह तो। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : माननीय माहिर आजाद जी, यदि हमारे मंत्रीजी ने घोषणा की है तो इसकी जांच करवाकर कार्यवाही कर लेंगे। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप तो यह कहो, वित्त उपलब्ध नहीं हो पाया, प्रद्युम्न सिंह जी ने पैसे नहीं दिये, इस कारण आप नहीं कर पाये। घोषणा तो की थी यहां पर।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : रिकार्ड उठाकर देखे लें। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : उसको क्रियान्वित नहीं कर पाये आप। यह तो प्रोसीडिंग्स में है यहां पर। तत्कालीन मंत्रीजी बैठे हैं, यह डिनायल करें, फिर बोलें आप। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जनता जल योजना...

श्री सांवर लाल : मंत्रीजी ने घोषणा की थी, आप किसकी जांच करवाएंगे? आप मंत्री हैं, आपको इतने दिन हो गये महकमा सम्भाले हुए, आपको यही जानकारी नहीं है कि आपके पहले वाले मंत्री ने क्या घोषणा की थी?

श्री सी. पी. जोशी : आप बोले जा रहे हैं। (व्यवधान) मैंने क्या कहा है? (व्यवधान) क्या कहा है आपको? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आपको यही जानकारी नहीं है कि आपके पहले वाले मंत्रीजी ने क्या कहा? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये, विराजिये।

श्री सी. पी. जोशी : सब जानकारी है मुझे। (व्यवधान) आप समझना ही नहीं चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर बात है। (व्यवधान) राजस्थान की जनता क्या आशा रख सकती है ऐसे मंत्रियों से जिनको यह मालूम नहीं है कि इनके पहले वाले मंत्री ने क्या घोषणा की है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रोफेसर सांवर लाल, मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। श्री अमराराम चौधरी।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, यदि मंत्रीजी की घोषणा का पता नहीं है तो इनको जानकारी और क्या हो सकती है राजस्थान की?

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम चौधरी।

श्री सांवर लाल : पूर्व मंत्री महोदय ने घोषणा की है।

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, वह पूरा लवाजमा साथ बैठा है ना अधिकारियों का, वह काहे के लिये लवाजमा साथ में लाते हैं? कर लीजिए कन्फर्म। इस चीज में विवाद ही नहीं है कि यहां पर पूर्व मंत्रीजी ने घोषणा की थी क्या। इस प्रकार की घोषणा सदन में हुई है, अभी पूछ लें, बता देंगे।

श्री सांवर लाल : आपको जानकारी नहीं है, पूरे राजस्थान के लोगों को मालूम है। घोषणा की, उसकी जानकारी है। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : अध्यक्ष महोदय, इसमें तो प्रोटेक्शन आपका...(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जब मैं 3 करोड़ रुपये... (व्यवधान) उनको चिन्ता नहीं है, सन् 1997 से 3 करोड़ रुपये के अगेंस्ट में एक करोड़ 16 लाख रुपये, मैंने आश्वासन दिया कि व्यवस्था करेंगे। इसका तो एप्रीसिएशन नहीं है। नहीं है, उसकी बात करना चाहते हैं हम। क्या चाहते हैं हम व्यवस्था करने के लिये... (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : आप भी 1997 की बात कर रहे हो।

श्री सी. पी. जोशी : आप खाली भाषण देने के लिये खड़े होते हैं क्या? आप जनता का सोल्यूशन चाहते हैं ना? (व्यवधान) जब मैं कह रहा हूं, व्यवस्था कर रहे हैं, उसको तो सुनना नहीं चाहते हैं आप। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : 4 साल से आप चाहते हैं क्या...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, इनको जानकारी ही नहीं है मंत्रीजी ने घोषणा की उसकी। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : जनता जल योजना...(व्यवधान) गांव वालों को पानी नहीं मिला...(व्यवधान) ऐसी इनकी सरकार के अन्दर व्यवस्थाएं थीं? अब जाकर उस गांव में व्यवस्थाएं सुधरी हैं। राजस्थान सरकार और...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मंत्री महोदय, सास भी कभी बहू थी। अब जो सवाल उठा रहे हो, अब तो बहू सास हो गयी है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह मंत्री महोदय बारबार सास भी कभी बहू का सवाल नहीं बनाएं, अब तो बहू भी सास हो गयी है। अब यह मंत्री महोदय को एक हजार रुपये...

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : इसी तरह इन्होंने एक जनता जल योजना बनायी वह जे.एल. आर. पूरी सूखी पड़ी है। (व्यवधान) वहां पर ट्यूबवैल का बोर करवाकर उसको भराया गया। ये इनकी जनता जल योजनाओं के हाल रहे।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र गोयल।

श्री सुरेन्द्र गोयल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो मोटरों के संधारण हेतु अनुदान के 400 रुपये प्रति हार्स पावर के हिसाब से मंत्री महोदय ने कहा कि दिये जाते हैं, पिछले 2 साल से पूरे राजस्थान में एक भी जगह एक पैसा नहीं भेजा गया है।

श्री अध्यक्ष : कुचामन पंचायत समिति से संबंधित प्रश्न है, आप उसके दायरे में पूछिये। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र गोयल : मैं पूरे राजस्थान का कह रहा हूं कि इन्होंने फिक्स कर दिया कि 500 रुपये उसको दिये जाएंगे और 400 रुपये प्रति हार्स पावर के हिसाब से दिये जाएंगे, परन्तु अभी तक 2 साल से उनको पैसा नहीं दिया।

श्री रमजान खान : योजनाओं के लिये इन्होंने कोई पैसा नहीं दिया। (व्यवधान) अब इस अकाल के टाइम में गांव वाले किस तरह भुगतान करें? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र गोयल : मेरा निवेदन इतना है कि 2 साल से मोटर ठीक कराने के लिये इस गवर्नमेंट से पैसे नहीं भिजवाये जा रहे हैं तो गांवों में इतनी परेशानी है कि न तो गांव वाले चला सकते हैं इनके पास मोटर को ठीक कराने के लिए पैसे नहीं है, और न पंचायत के पास किसी प्रकार का अनुदान, न पैसा। तो वे गांव, जो जनता जल योजना में लिये हैं, वे पैसा कहां से एडजस्ट करें और उनका भुगतान कब तक कर दिया जाएगा, यह मंत्री महोदय बताएं?

श्री अध्यक्ष : श्री अमराराम।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि जनता जल योजना में पम्प चलाने के लिये, संधारण के लिये और मोटर के लिये जो पैसा है, यह जनता जल योजना जब से राजस्थान में शुरू हुई है तब से लेकर आज तक एक नया पैसा न कुचामन पंचायत समिति में, और न राजस्थान के बाकी जो 1700 आपने बताये हैं उनमें भुगतान किया गया है। तो क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि स्वीकृति से लेकर आज तक का जो बजट है वह आप इस साल जो अकाल का समय है पेयजल के लिये इन जनता जल योजनाओं में भुगतान करने की मंशा रखते हैं? रखते हैं तो कब तक?

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्यों से यह निवेदन किया कि यह स्कीम सन् 1994 में शुरू हुई, सन् 1994 में शुरू होने के बाद आज के दिन 3 करोड़ रुपये की लायबिलिटी बनती है और 3 करोड़ रुपये के ही हम बिजली का बिल चुकाते हैं। 3 करोड़ रुपये की यह लायबिलिटी पांच सौ रुपये की मजदूरी के हिसाब से और पम्प सैट के हिसाब से और बिजली का बिल मिलाकर लगभग 6 करोड़ रुपये हम खर्च कर रहे हैं। राजस्थान में 1705 गांवों में लगभग 2 हजार जनता जल योजनाएं चल रही हैं। यह बात सही है, जैसा मैंने स्वयं ने स्वीकार किया कि 3 करोड़ रुपये के अगेंस्ट में बजट प्रोविजन 1 करोड़ 16 लाख रुपये का है। इसलिये यह बात सही है कि समय पर भुगतान नहीं हो रहा है। यह बात तो मैंने स्वीकार की है। विभाग में 3 करोड़ रुपये का प्रोविजन करके इन लोगों को समय पर पैसा मिल सके, इसकी व्यवस्था करने का मैंने आपको आश्वासन दिया है। यदि आप चाहते हैं कि जल योजनाओं को बाइंड-अप करें तो... (व्यवधान) खुशी होगी कि आप यह चाहते हैं कि जिस तरह की व्यवस्था कर रखी है, जनता जल योजना के नाम पर, मैं अधिकांश इस पर बोलना नहीं चाहता हूं लेकिन मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, जब सन् 1994 में इस योजना को लागू किया गया...

श्री अमराराम (धोद) : जोशीजी, तीन करोड़ रुपये तो केवल...(व्यवधान) साल के लिए है।

श्री सी. पी. जोशी : इस योजना का लाभ जनता को मिले, इसके लिए सरकार संकल्पबद्ध है।

श्री अमराराम (धोद) : आप 1994 से लेकर आज तक उनको कोई लाभ दे रहे हैं या नहीं?

श्री सी. पी. जोशी : लेकिन इस योजना के नाम पर हम किसी तरह की अव्यवस्था पैदा करना चाहें, उसको सरकार समर्थित नहीं करती। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि इसमें समय पर पैसा मिले, इसके सम्बन्ध में पक्की व्यवस्था की जाएगी जिससे भविष्य में इस तरह की

(श्री सी. पी. जोशी)

स्थितियां नहीं बनें। कम पैसा मिल रहा है, समय पर पैसा मिलना चाहिए, मेंटिनेंस का पैसा भी मिलना चाहिए, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं और इसकी पूरी व्यवस्था करूंगा, यह मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं।

श्री अमराराम (धोद) : कब तक मिल जाएगा? अध्यक्ष महोदय, कब तक मिल जाएगा? यह आप बताओ, आप व्यवस्था कब तक करेंगे?

श्री मोहन लाल मोदी : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक जानकारी चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : बिराजिए।

श्री अमराराम (धोद) : जब घोषणा उन्होंने की थी, अध्यक्ष महोदय, यहां तो यही कहा गया था कि हर महीने मिलेगा। 1994 से 2002 तक एक नया पैसा भी नहीं दिया गया। आप कह रहे हैं कि प्रोविजन एक करोड़ रुपये का था, एक करोड़ का भी एक नया पैसा, मंत्रीजी, बता दें, केवल कुचामन पंचायत समिति का बता दें कि इस एक करोड़ में से कितना दिया? (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : अमरारामजी, ठहरिये।

श्री अमराराम (धोद) : तीन करोड़ रुपया सालाना है, उसमें 1994 से लेकर 2002 तक, चाहे कोई सरकार थी, राजस्थान की सरकार घोषणा करे और 1994 से लेकर 2002 तक लागू नहीं हो पाये तो आप समय सीमा बता दीजिए कि इतने तक में यह पेमेंट 1994 से लेकर आज तक जो सरकार पर ड्यू है, वह दे देगी। ग्रामीण जनता को पेयजल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की नहीं है? केवल शहर की है? गांव का जो कुछ भी थोड़ा-बहुत 1000 रुपये आप चलाने के लिए दे रहे हो, वह भी देने के लिए तैयार नहीं हो, उसके लिए सरकार समय सीमा देने के लिए तैयार नहीं है। 1994 में घोषणा की कि पैसा मिलेगा और वह 2002 तक नहीं मिला, आप तो समय सीमा बताओ कि कब तक वह पेमेंट हो जाएगा?

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अमरारामजी, जनता जल योजना गांव के आदमियों को खुद को अपने हिसाब से जानकारी लेने के बाद ओन करनी पड़ती है। राजस्थान सरकार पूरे ग्रामीण इलाके में पानी की व्यवस्था कर रही है। इस योजना में नॉर्म्स को तोड़कर जनता जब स्वयं आगे आती है कि इस काम को करेंगे तो उसकी मदद करने के लिए हम यह योजना चलाते हैं। इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा कि इस योजना को हम जारी रखें, और इसमें जो कमी है वह ठीक करने का मैं आश्वासन देना चाहता हूं।

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, नहीं, पेमेंट नहीं किया आपने। कमी कोई नहीं है, कमी कौन बता रहा है? आपने, गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया कि हम यह मदद

(श्री अमराराम)

करेंगे, वह 1994 से 2002 तक नहीं की, बात यह है। कमिटमेंट आपका किया हुआ है, आपकी राज्य सरकार की घोषणा थी। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : आप पहले बात सुन लीजिए।

श्री अमराराम (धोद) : उसके अनुसार 1994 से 2002 तक नहीं मिला। एक पैसा नहीं मिला।

श्री सी. पी. जोशी : आप बात सुनिए पहले। 1994 से स्कीम लागू हुई, 1994 में तो 1700 स्कीम्स नहीं थीं। धीरे–धीरे स्कीम्स बढ़ीं। वित्तीय व्यवस्था 1994 से हो रही है। कुछ कमी होने के कारण व्यवस्था इस तरह की बढ़ गई, एकुमुलेट हो गई। इसलिए यह कहना कि किसी को भी पैसा नहीं मिल रहा, मैं बिलकुल नहीं मानता। यह ब्लेंकेट आप बात कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : हां, नहीं मिला, आप बता दीजिए। आप और छोड़िए, केवल कुचामन की बता दीजिए कि किस योजना में कितना पैसा मिला। राजस्थान की छोड़िए, कुचामन की बता दीजिए, जहां पर जाकर आये हैं। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : आप बिराजिए। अब मेरा टाइम है, विराजिए अब आप।

श्री अमराराम (धोद) : यह जनता जल योजना सबसे हाइएस्ट सीकर जिले में, इसका पैसा सीकर जिले में...(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : हां, बिराजिए आप। मैं जवाब बताता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अमरारामजी। श्री मोहनलाल चौहान।

श्री अमराराम (धोद) : कुचामन की नहीं, सीकर जिले में जनता जल योजना के माध्यम से...(व्यवधान)1000 है, जनता जल योजना के माध्यम से एक नया पैसा सीकर में नहीं मिला। (व्यवधान)

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : नहीं मिला, एक नया पैसा नहीं मिला। माननीय मंत्री महोदय, विद्युत बिल सारे जमा कराये हैं, विद्युत बिल के बिना किसी का कनेक्शन कटा हुआ नहीं है। लेकिन जो चलाने वाला है उसको ही...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि राजस्थान में टी.एस.एस. योजनाएं पंचायतें चलाती हैं। ग्राम पंचायतों के पास पैसा नहीं है, मोटरें जल जाती हैं तो टी.एस.एस. योजना बंद पड़ जाती है। क्या मंत्री महोदय टी.एस.एस. योजना को भी जनता जल योजना में परिवर्तित करने का विचार रखते हैं?

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : एक मिनट, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक जानकारी चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय

(श्री मोहन लाल मोदी)

से, हमारे जिले में एक बहुत बड़ी गलतफहमी फैल रही है कि आप इस जनता जल योजना का जो बिजली का बिल है, वह सितम्बर से बंद करने जा रहे हैं, इसलिए कृपया इस पर भी आप अपना जवाब दे दें कि यह सही है या गलत।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, या तो मैं अपने को करैक्ट कर लूं या मंत्रीजी अपने को करैक्ट कर दें। 1994 में केवल पेयजल स्कीम्स बनी हुई थीं उनको ग्रामवासियों को हस्तान्तरित करने के लिए यह योजना बनाई गयी थी। स्कीम्स सारी विभाग की थीं और गांव वालों और गांव के सरपंच को कहा गया था कि जनता जल योजना को ले लो, आपकी मोटर को हम ठीक करेंगे, आपके पम्प चालक को इतने पैसे देंगे। इसीलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जनता जल योजना में कुछ ही गांव ऐसे होंगे जहां पर कोई नई स्कीम बनाकर गांव वालों ने ली होगी, बाकी सारी स्कीम्स ओरिजिनली आपके विभाग की हैं। इनको ट्रांसफर करके दिया विभाग ने, उस समय यह गारंटी दी थी कि हम आपको अमुक-अमुक प्रकार के चार्जेज के पैसे दे देंगे। गांव वालों ने, सरपंच ने इस योजना को लिया। लेने के बाद में यह स्थिति हो गई कि विभाग तो एकदम अलग हो गया, पैसे देता नहीं और सरकार को बता देता है कि पैसे आएंगे जब देंगे। कई महीनों तक, साल भर तक मेरे बड़ीपोल में एक साल तक मोटर खराब रही, कोई पम्प चलाने वाला नहीं है। कुएं में मोटर लटकी रही। जगह-जगह यह स्थिति बन रही है और आप अपनी लायबिलिटीज को टालकर जनता जल योजना को गांव वालों पर छोड़ना चाहते हैं। पंचायत के पास पैसे नहीं हैं। कभी कोई पंचायत समिति का कहता है तो पंचायत समिति के पास है ही नहीं, केवल गांव का और विभाग का सीधा सम्बन्ध है।

श्री अध्यक्ष : माननीय चौहानजी, भाषण नहीं।

श्री हीरासिंह चौहान : इसलिए आप इसको थोड़ा दुरुस्त करके ठीक कीजिए। आपकी स्कीम है, आप कहते हैं ले लें तो आप लीजिए। गांव वालों की वापस स्कीम ले लो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। (व्यवधान) स्पष्ट नहीं किया?

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य यह मानते हैं कि यह योजना ठीक नहीं है। यह योजना आपने प्रारम्भ की है। अब इसमें कमी/खामी की बात हो सकती है, हम तो ठीक करना चाहते हैं। आप नहीं मानोगे तो यह तो आपका सोच था, मुझे मतलब नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दांता से...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र गोयल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह क्या कह रहे हैं माननीय मंत्री महोदय?

श्री हीरासिंह चौहान : गांव का सरपंच चाहता है यह मिलें। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : मैं कह रहा हूं न, यह सुन तो लीजिए पहले।

श्री हीरासिंह चौहान : किस प्रकार का था? (व्यवधान) गांव वालों को कोई कम्पलसरी नहीं किया था। जैसा आप कह रहे हो, यह केवल एक आप्शन दिया था पंचायत को कि आप लेना चाहते हो तो ले लो, इसके तहत यह ली गई थी। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : आप बात ही नहीं सुनना चाहते हैं, सुनना चाहते हो? सुन तो लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : जो शुरूआत आपने की थी, उसमें सुधार की जरूरत है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मानने या नहीं मानने से क्या फर्क पड़ता है? सरकार आप चला रहे हो, अब आप क्या कह रहे हो, यह बताओ। अलवर जिले में एक...(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : आप सुनना चाहते हो या नहीं सुनना चाहते हो?

एक माननीय सदस्य : आप सुनाइये न।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : अध्यक्ष महोदय, वह अधूरी योजना बनाई गई थी उसमें सुधार की जरूरत है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपको क्या करना है, मंत्री महोदय, वह बताइये, बाकी किसी के मानने या नहीं मानने से क्या? सरकार आप चला रहे हो, सास भी कभी बहू थी और अब बहू सास हो गई, अब आप बताइये न।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय अध्यक्ष महोदय, नीमकाथाना से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात कही है उसका मैं स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि सीकर जिले में किसी भी योजना का बिजली का बिल सरकार ही देगी। आपको इसकी चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई गलतफहमी है तो दूर कर लें।

श्री मोहन लाल मोदी : मैं सैक्टर रिफार्म की बात कर रहा हूं।

श्री सी. पी. जोशी : आप सुन लें बात को, मुझे मालूम है सैक्टर रिफार्म है। सैक्टर रिफार्म जो सीकर...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : सीकर छोड़िए, यह पूरे राजस्थान का सवाल पूछा है। आप पीछे मुड़कर कैसे दे रहे हो? मंत्री महोदय, सामने देओ न आप।

श्री सी. पी. जोशी : आप बात तो सुनिए, उन माननीय सदस्य ने पूछा था। अच्छा, अब आपको दे देता हूं। आपको दे देता हूं, आप बिराजिये।

श्री सांवर लाल : पूरे राजस्थान के बारे में बताइये आप।

श्री सी. पी. जोशी : आपको देखकर दे रहा हूं, आप बिराजिये। आपको देखकर ही पूरे राजस्थान का दे रहा हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : प्रोफेसर-प्रोफेसर लड़ रहे हैं।

श्री सी. पी. जोशी : सीकर जिले में सैक्टर रिफार्म की योजना चल रही हैं। महोदय, सैक्टर रिफार्म के अन्तर्गत यह गलतफहमी वहां हो गई है कि जो जनता जल योजना वहां पर लागू है, वहां बिजली का पैसा सरकार नहीं देगी। मैं माननीय सदस्य को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि सीकर जिले में जनता जल योजना का बिजली का पैसा जो अन्य जिलों में जनता जल योजना का बिजली का पैसा दिया जा रहा है, वैसा ही सरकार देगी। जैसा मैंने आप सबसे निवेदन किया, धोद से आने वाले माननीय अमरारामजी जो सी.पी.एम. के सदस्य हैं, उन्होंने कहा कि योजना चल रही है, आपको यह बात तो माननी पड़ेगी कि पूरी बिजली का पैसा सरकार दे रही है। यदि यह बिजली का पैसा सरकार नहीं देती तो यह योजना चलती ही नहीं। इसलिए हम कह दें कि पैसा नहीं मिल रहा है, ठीक नहीं है। मैंने माना है कि मजदूरी का पैसा, सबमर्सिबल के पैसे में कमी है, उसको हम ठीक करेंगे। बाकी यदि बिजली का पैसा नहीं चुकाती सरकार 1994 से आज तक तो स्कीम सारी बंद हो जाती। इसलिए सरकार कर रही है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : बिजली के बिल का ही सवाल नहीं है।

श्री सी. पी. जोशी : और आने वाले समय में भी पूरी व्यवस्था करेगी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन।

श्री हरीश चन्द कुमावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मूल प्रश्नकर्ता हूं।

श्री हीरासिंह चौहान : यह ठीक नहीं है। (व्यवधान) कब तक उनका पेमेंट कर देंगे?

श्री अध्यक्ष : श्री भगवान सहाय सैनी।

श्री भगवान सहाय सैनी : प्रश्न संख्या 4.

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री अमराराम (धोद) : कब तक आदेश दे देंगे?

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो। श्री भगवान सहाय सैनी।

श्री हीरासिंह चौहान : ×××

श्री अमराराम (धोद) : ×××

श्री अध्यक्ष : अमरारामजी, बैठिये।

श्री सी. पी. जोशी : आपको कहा न कि दे दिया, फिर क्यों बोल रहे हैं आप?

श्री अध्यक्ष : उद्योग मंत्रीजी।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

कोका कोला उद्योग, कालाडेरा (जयपुर) द्वारा पानी का अत्यधिक उपयोग

4. **श्री भगवान सहाय सैनी** (चौमूं): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि औद्योगिक क्षेत्र कालाडेरा (जयपुर) में कोका कोला उद्योग स्थापित है? यदि हां, तो इसकी स्थापना कब हुई?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त उद्योग द्वारा स्थापित संयंत्रों से रोजाना भारी मात्रा में पानी का दोहन किया जा रहा है? क्या उक्त कारण से आस-पास के कृषि कुओं का जल स्तर काफी नीचे चला गया है?

(3) उक्त औद्योगिक इकाई में पानी निकालने के कितने हार्सपावर के कितने पम्प-सैट स्थापित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार अत्यधिक भू-जल दोहने किसानों की गम्भीर समस्या को ध्यान के रखते हुए उक्त उद्योग को बंद कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, और नहीं तो क्यों?

(5) क्या उक्त उद्योग में स्थानीय क्षेत्र में मजदूर/कर्मचारी या अधिकारी कार्यरत हैं?

(6) उक्त कोका कोला उद्योग स्थापित हुआ तब से अब तक कौन-कौन मजदूर/कर्मचारी व अधिकारी कब तक कार्यरत रहे हैं? समस्त कर्मियों के नाम व सम्पूर्ण पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (डा. चन्द्रभान) : (1) जी हां। इकाई द्वारा अपना वाणिज्यिक उत्पादन 28.12.1999 को प्रारम्भ किया गया।

मोहम्मद माहिर आजाद : शार्ट में जवाब दे दें।

डा. चन्द्रभान : अब जितना है उतना तो देना ही पड़ेगा। अब आपका क्वेश्चन इम्पार्टेंट है, सभी क्वेश्चन इम्पार्टेंट होते हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : पढ़ा हुआ मान लिया।

डा. चन्द्रभान : (2) कम्पनी द्वारा अपने उत्पाद स्वीटन, अनस्वीटर, एरीटेड वाटर हेतु जल की पूर्ति ट्यूबवैलों के द्वारा की जा रही है। वर्तमान में कम्पनी के पास तीन ट्यूबवैल हैं जिनकी क्षमता 35 घन मीटर प्रति घंटा है। उक्त तीन ट्यूबवैलों में से केवल दो ही ट्यूबवैल पानी की पूर्ति हेतु काम में लिये जा रहे हैं। वाटर लिफ्टिंग करीब 70 घनमीटर प्रतिदिन उत्पादन नहीं होने तथा सीजन कम होने पर किया जाता है तथा पीक सीजन में वाटर लिफ्टिंग 900 घनमीटर प्रतिदिन होता है।

भू-जल विभाग से प्राप्त सूचना अनुसार प्रतिवर्ष संयंत्रों से लगभग 125525

(डा. चन्द्रभान)

किलो लीटर पानी निकाला जा रहा है। आस-पास के क्षेत्र में भू-जल स्तर में वर्ष 1999 से 2002 तक की अवधि में सामान्य रूप से 3.10 मीटर की गिरावट मापी गयी है, किन्तु यह गिरावट केवल कोका कोला फैक्ट्री के कारण आयी हो, कहना सम्भव नहीं है।

(3) प्रत्येक ट्यूबवैल में 10 हार्स पावर के पम्पसैट लगे हैं।

(4) प्रश्न के भाग-2 के उत्तर के परिप्रेक्ष्य में स्थिति को गम्भीर नहीं कहा जा सकता एवं ऐसी स्थिति में किसी उद्योग को बन्द करने का न कोई औचित्य है और न ही वांछित है।

(5) जी हां। उक्त इकाई में 119 स्थानीय ग्रामीण मजदूर कर्मचारी या अधिकारी कार्य पर रखे गये हैं।

(6) इकाई द्वारा कर्मचारी स्वयं के स्तर से एवं ठेकेदार के माध्यम से नियोजित किये जाते हैं। ठेकेदारों द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराये गये कर्मचारियों की सूचना उपलब्ध नहीं है। आज के दिन फैक्ट्री में 256 कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत हैं। इनमें से 231 कर्मचारी/अधिकारी राजस्थान के हैं तथा इनमें 119 कर्मचारी ग्राम कालाडेरा एवं आस-पास के गांवों से हैं। (सूची संलग्न परिशिष्ट-क)

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि आपने खण्ड-दो में जो लगभग 1,25,525 किलो लीटर पानी निकालने की बात कही है, यह बिलकुल गलत है। सीजन में रोजना 50-60 ट्रक निर्मित पानी से कोका कोला बनाया जाता है, 50-60 ट्रक रोजाना वहां से जाते हैं। क्या आपने यह सूचना एकत्रित की है कि कितना कोका कोला तैयार होकर वहां से बाहर गया है और कितना पानी निकला?

दूसरा, आपने जो 10 हार्स पावर के तीन पम्प सैट वहां बताये, माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान भी 15, साढ़े 17 हार्स पावर के कनेक्शन लेता है और एक बड़ी विदेशी कम्पनी है उसके वहां 10 एच.पी. के हार्स पावर कनेक्शन बताना, यह भी बिलकुल गलत है। माननीय मंत्री महोदय, आपने जवाब में कहा है कि जो अधिकारी/कर्मचारी हैं, उनकी आज से पहले की सूची उपलब्ध नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस कम्पनी का संचालन विदेश में बैठकर होता हो, उस कम्पनी का रिकार्ड अपने यहां सरकार उपलब्ध नहीं करावे, यह कहां तक उचित है? माननीय मंत्री महोदय, किसानों की शोचनीय स्थिति है। कालाडेरा के आस-पास सारे कुओं में पानी नीचे चला गया। कालाडेरा क्षेत्र जहां पानी आज से चार साल पहले केवल चालीस फीट गहरा था, आज वहां 100 फीट गहरा हो गया है। खाड्ला क्षेत्र है, पानी की कोई कमी नहीं है लेकिन कोका कोला फैक्ट्री के कारण पानी की कमी से पानी काफी गहरा

(श्री भगवान सहाय सैनी)

चला गया है। किसानों के हित की बात है इसलिए, माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे चाहूंगा कि इस कम्पनी का लाइसेंस समाप्त किया जाना चाहिये।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, जहां पर वाटर लेवल के नीचे जाने का प्रश्न है, इस प्रश्न के जवाब में मैंने खुद ने यह स्वीकार किया है कि 1999–2000 के बीच में वहां वाटर लेवल 3.10 मीटर नीचे गिरा है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस के लिये यह अकेले फैक्ट्री जिम्मेदार नहीं है। इसके तीन प्रमुख कारण हैं। एक कारण तो यह है कि कालाडेरा में रीको द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्र में कई इकाइयां स्थापित हुई हैं जिसमें कोका कोला भी है, एक टैक्सटाइल की और दूसरी इण्डस्ट्रीज भी हैं, पेपर इण्डस्ट्री भी है। वह एक कारण बन सकता है। दूसरा कारण लगातार बारिश का कम होना है। और तीसरा कारण, अध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर कनेक्शन की हम बात करें तो चौमूं विधान सभा क्षेत्र शायद पूरे राज्य में प्रथम भी हो सकता है जहां एग्रीकल्चर के काफी कनेक्शन हैं। तो ये तीन कारण हैं। यह वाटर लेवल केवल कालाडेरा में या चौमूं में नीचे जा रहा हो, ऐसी बात नहीं है। पूरे जयपुर जिले में और राज्य के अन्य हिस्सों में भी नीचे जा रहा है, तो अकेले इस फैक्ट्री को दोष देना उचित नहीं है। मैं मानता हूं कि इस फैक्ट्री का रामटीरियल है, वह पानी है।

दूसरी बात, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि वहां पर किसान साढ़े 17 से 20 हार्स पावर की मोटर का उपयोग करते हैं, यह कहना मुझे सही नहीं लगता। माननीय ऊर्जा मंत्रीजी अभी एक सवाल का जवाब देंगे, मैं भी ऊर्जा मंत्री हूं और माननीय सदस्य जानते हैं, कि वहां साढ़े सात हार्स पावर से लेकर दस हार्स पावर की मोटरें ही कार्यरत हैं। जहां तक सवाल है कर्मचारियों का, अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा है कि ये सब प्राइवेट फैक्ट्रीज हैं और इनमें रिकार्ड भी रहता है। अब यह कोका कोला का मूल कहां है, विदेश में है उसके लिये तो मैंने कहा, कोका कोला तो पूरे देश भर में है। जिन्होंने कोका कोला बंद की थी, वही आज कोका कोला को वापस लाने के पक्षधर हैं। और कोका कोला क्या, किसी भी तरह की इण्डस्ट्री राज्य में स्थापित होनी चाहिये इनके कर्मचारी के लिये मैंने कहा, 256 में से 231... (व्यवधान) आपका सवाल आ जाएगा। माननीय मंत्रीजी जवाब दे देंगे। बिजली की कम्पनियों का घाटा नहीं बढ़ा है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा हूं इनका पूरा रिकार्ड है और रिकार्ड हमारे पास उपलब्ध है। पुराने रिकार्ड की तो मैं कोई आवश्यकता नहीं मानता। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि इस उद्योग को चालू रखना चाहिये, और भी उद्योग राज्य में लगने चाहिये। मैं कहना चाहूंगा, आज जितने वाटर कंजम्पशन की बात करते हैं, 82–90 प्रतिशत वाटर का कंजम्पशन होता है एग्रीकल्चर में और बाकी का जो 10–20 प्रतिशत है उसमें डोमेस्टिक और इण्डस्ट्रीज वगैरह सब आ जाती हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : प्रश्न संख्या–5.

डा. चन्द्रभान : आप ऐसे ही खड़े हो गये? अपने आप ही खड़े हो गये?

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, यह कोका कोला का प्रश्न नही है, लेकिन एडमिटेड पोजीशन है कि वाटर लेवल गिरा है 1999–2000 साल के अंदर। अब 2002 चल रहा है। यह उद्योग मंत्रीजी से संबंधित नहीं है प्रश्न, बल्कि जन स्वास्थ्य से संबंधित है। आपने ये जो ट्यूबवैल हैं इनके रैगुलेशन के लिये कोई एक्ट नहीं बनाया, कोई नियम नहीं बनाये। आज यह कामन प्राब्लम है। मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आने वाले समय में क्या राज्य सरकार कोई ऐसा विचार रखती है कि ट्यूबवैल्स से जो पानी अबण्डेंस में निकलता है, उसमें पानी का वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है जब ट्यूबवैल लगाते हैं...(व्यवधान) यह क्या तरीका है? एक सवाल पूछ लेने दो न आप। एक वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होता है, तो राज्य सरकार क्या कोई ऐसा विचार रखती है कि इनको नियन्त्रित करने के लिये, रैगुलेट करने के लिये कोई नियम या कानून बनाएगी? मेरा तो सिर्फ एक सवाल है क्योंकि it is a matter of general concern for whole of the state (व्यवधान) काश्तकारों के लिये नहीं, सबके लिये होगा।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है वह अति महत्वपूर्ण है और हमारे राज्य में जहां पानी की कमी है, और ज्यादा महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से वाटर रैगुलेशन के बारे में सरकार को सोचना चाहिये और सरकार इस संबंध में चिन्तित भी है और पूरा सदन ही चिन्तित है। आप जब सूखे की स्थिति बनी हुई है तो, अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके माध्यम से इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य को इतना ही कह सकता हूं कि इस सम्बन्ध में आपकी जो चिन्ता है, वह चिन्ता वाजिब है और निश्चित रूप से इस सम्बन्ध में सरकार विचार तो करती है। बल्कि मैं तो कहना चाहूंगा कि पूरे सदन का इसमें सहयोग मिलना चाहिये, क्योंकि आज पूरे राज्य में पीने के पानी की दिक्कत है। आप खुद ही कह रहे हैं, उद्योगों के लिये भी पानी की जरूरत है, एग्रीकल्चर के लिये भी पानी की जरूरत है आज सभी माननीय सदस्य इस बात को महसूस कर रहे हैं। (व्यवधान) आप पहले माननीय सदस्य का जवाब तो आने दीजिये।

श्री मदन दिलावर : आप क्या बोल रहे हैं? (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : आप पहले माननीय सदस्य का जवाब तो आने दीजिये। आप माननीय सदस्य का जवाब नहीं आने देंगे। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद: यह कोई बात थोड़े ही है।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया है कि पानी की कमी है। निश्चित रूप से पानी की कमी है।

मोहम्मद माहिर आजाद : एक तरफ तो कह रहे हैं पी.एच.ई.डी. मिनिस्टर...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : गरीबों का सवाल जुड़ा हुआ है इससे। यह बिजली का सवाल जो गरीबों से जुड़ा हुआ सवाल है, इसका जवाब दीजिये।

(12.00 **बजे**)

डा. चन्द्रभान : राज्य में इण्डस्ट्रियलाइजेशन होना चाहिए। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : सुरेन्द्रजी मिले हुए हैं रामनारायणजी से, उनके कहने से इन्होंने यह किया है। यह क्या तरीका हुआ? यह कोई बात हुई? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह बिजली का गरीबों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इतना महत्वपूर्ण सवाल था, आप टाल गये।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, इतने इम्पार्टेंट सवाल था, इसको यहां आना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, बिजली का इतना महत्वपूर्ण सवाल था, आपने टलवाया है इसको और क्या? तरीका होता है यह? कोई मतलब ही नहीं था। इर्रिलेवेंट सवाल पूछा आपने इसमें यह क्या बात हुई?

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, इसको स्थगित कर दें। यह प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इसको स्थगित करें।

मोहम्मद माहिर आजाद : क्यों स्थगित? इतना महत्वपूर्ण सवाल है, हम आपको रिक्वैस्ट कर रहे थे सारे के सारे। बिना महत्व का सवाल पूछ कर इसको खतम कर दिया, इसको स्थगित कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त। श्री सुरेन्द्रजी, बैठिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, यह किसानों से संबंधित बिजली का इतना महत्वपूर्ण सवाल था। कुल चार सवाल आये हैं। खुद आपकी व्यवस्था है, आसन की व्यवस्था यह है कि एक दिन में इतने सवाल तो कम से कम आने चाहिए। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : स्थगित कर दीजिये इस प्रश्न को, अध्यक्ष महोदय।

मोहम्मद माहिर आजाद : और चार सवाल कुल इसके अन्दर आये हैं। प्रश्नकाल में केवल चार सवाल आये हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपने जानबूझ कर...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, आप खुद किसान नेता हैं, आपसे निवेदन है कि इस सवाल को स्थगित फर्माएं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

मोहम्मद माहिर आजाद : इस प्रश्न को आप स्थगित फर्माएं, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इसको नेता नहीं मानते आज से।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, बिजली से जुड़ा हुआ मुद्दा है, राजस्थान के किसानों का जीवन-मरण का प्रश्न है, इसको स्थगित करने की कृपा करें।

मोहम्मद माहिर आजाद : आखिर बिजली कम्पनियां बनायी किसलिए गयी थी? घाटा भी बढ़ रहा है, चोरी भी कम नहीं हुई, फिर क्या निकला इसका? अब कह रहे हो स्थगित करा दो। जब मना कर रहे थे कि मत पूछो, कोई मतलब नहीं था उस सवाल का। कोई तरीका ही नहीं होता। कोका कोला में और विदेश में और बी.जे.पी. राज में लम्बा करके आपने स्थगित करवाया और दोनों की आपकी मिलीभगत थी।

एक माननीय सदस्य : यह फिक्सिंग थी। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ऊर्जा मंत्रीजी और...(व्यवधान) मिलीभगत है।

(प्रश्नकाल समाप्त)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

उपकोषाधिकारी, डूंगला (चित्तौड़गढ़) द्वारा पेंशन राशि की वसूली

1. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में उपकोषाधिकारी, डूंगला द्वारा निराश्रितों विधवाओं, अपंग- अपाहिजों को पेंशन राशि वितरित की गई थी यदि हां, तो कब एवं किस आदेश के तहत? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्यालय द्वारा सही चयनित व्यक्तियों को ही पेंशन राशि दी गई? यदि हां, तो किन-किन लोगों को दी गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त कार्यालय द्वारा कोई सूचना जारी कर पेंशन भुगतान आदेश निरस्त कर पूर्व में भुगतान पेंशन राशि वारन्ट कुर्की के द्वारा वसूल करने के सूचना-पत्र जारी किये? यदि हां, तो किस आदेश के अन्तर्गत? आदेश की प्रति सहित निरस्त लोगों के नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पेंशन राशि आबंटन उप कोषाधिकारी डूंगला कार्यालय स्तर पर नहीं

(वित्त मंत्री)

किया जाता है। उप कोषाधिकारी, डूंगला निराश्रितों, विधवाओं, अपंग, अपाहिजों की पेंशन राशि का भुगतान किये जाने के लिये अधिकृत है। केवल व्यय विवरण कोषाधिकारी प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़) को प्रेषित किया जाता है।

(2) जी, हां। यह सही है कि सही चयनित व्यक्तियों को ही पेंशन स्वीकृत की जाती है जिन लाभार्थियों को पेंशन भुगतान जारी है उनकी सूची "अ" पर संलग्न है। संख्या 496.

(3) जिला कलक्टर ने आदेश क्रमांक 1590 दिनांक 14.1.1999 से पेंशन स्वीकृति निरस्त की गई थी। अपात्र पेंशनरों की भुगतान की गई राशि के वसूली के आदेश दिये हैं। इस सन्दर्भ में कोषाधिकारी प्रतापगढ़ ने पत्र क्रमांक 540 दिनांक 21.1.1999 से राशि वसूली की कार्यवाही की पुनः जिला कलक्टर ने पत्र क्रमांक 1806–8 दिनांक 17.2.1999 से राशि वसूली के आदेश जारी किये। इन आदेशों की पालना में उप कोषाधिकारी द्वारा 2/99 व 5/02 में निरस्त पेंशनरों के वसूली नोटिस जारी किये गये। इसी संदर्भ में राज्य सरकार ने आदेश संख्या 9(5) रावृषे/सकवि/2001/ 462–572 दिनांक 27.4.2002 से उक्त प्रकार की वसूली निरस्त कर दी गई है। जिसकी प्रति संलग्न है। निरस्त किये गये पेशनरों की सूची संलग्न है (परिशिष्ट "स")।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

डिग्गी बाजार, अजमेर में मकानों के नम्बरों में परिवर्तन

2. **श्री भंवरू खान** (फतेहपुर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) मोहल्ला उतार घसेटी, डिग्गी बाजार, अजमेर की स्थापना कब हुई? उक्त मोहल्ले की प्रथम बसावट के समय कितने मकान किस–किस नम्बर के थे तथा वर्ष 2001 तक उक्त मोहल्ले के मकान नम्बरों में कब–कब परिवर्तन किया गया और प्रथम स्थापना के समय किन–किन मकानों का पंजीयन हुआ था? मकान मालिकों के नाम, पिता का नाम व पंजीयन संख्या सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मोहल्ले के वर्तमान मकान संख्या 440/35 से 450/35 तक का पंजीयन कब–कब, किस–किस के द्वारा किस–किस के नाम करवाया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त बने मकानों की वर्ष 1952 से 1962 के मध्य कोई रजिस्ट्री हुई? यदि हां, तो रजिस्ट्री की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रश्न मूल रूप से वित्त विभाग से संबंधित न होकर स्वायत्त शासन विभाग (नगर परिषद् अजमेर) से संबंधित है।

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग द्वारा पंजीयन सम्बन्धी अभिलेख संधारित किया

(वित्त मंत्री)

जाता है। जो पक्षकारों के नाम उनकी सूची एवं पंजीयन का वर्ष एवं तिथि की जानकारी प्राप्त होने पर ही उपलब्ध कराया जा सकता है।

(2) पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में उपलब्ध जानकारी के अनुसार मकान नं. 443/35, 445/35 एवं 446/35 के हस्तांतरित दस्तावेजों तथा पंजीयन संबंधी विवरण निम्नानुसार है :-

1. 443/35 :– उक्त मकान का पंजीयन दिनांक 17.9.1973 को श्री मगनचंद शर्मा द्वारा श्री दौलतराम वगैरह के नाम हुआ।
2. 445/35 :– उक्त मकान का पंजीयन दिनांक 30.1.1968 को श्री श्याम स्वरूप वगैरह द्वारा श्री रामेश्वर लाल के नाम करवाया गया।
3. 446/35 :– उक्त मकान का पंजीयन दिनांक 3.2.1976 को श्रीमती चंचल देवी द्वारा श्रीमती छोटी बाई के नाम करवाया गया।

(3) जी नहीं।

तहसील मारवाड़ जंक्शन (पाली) के स्वयंभू स्वतंत्रता सैनानी

3. **श्री केसाराम चौधरी** (खारची): क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तहसील मारवाड़ जंक्शन (पाली) में ऐसे कितने स्वतंत्रता सैनानी है, जिनको राज्य सरकार ने ताम्रपत्र देकर स्वतंत्रता सैनानी घोषित किये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त तहसील में ऐसे कितने स्वतंत्रता सैनानी हैं, जो स्वयंभू स्वतंत्रता सैनानी है और ताम्रपत्र या राज्य सरकार द्वारा घोषित नहीं है फिर भी अपने नाम के आगे छद्म पदनाम (स्वतंत्रता सैनानी) का उपयोग कर रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त प्रकार के गुमराह करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) तहसील मारवाड़ जंक्शन में राज्य सरकार द्वारा घोषित और ताम्रपत्रधारी स्वतन्त्रता सैनानी नहीं हैं।

(2) तहसील मारवाड़ जंक्शन में श्री अब्दुल रहमान खां, जाति मेव, निवासी मारवाड़ जंक्शन जो अपने लेटर पेड पर "स्वतन्त्रता सैनानी" अपने नाम के आगे उपयोग करता है। श्री मांगीलाल भंसाली, निवासी जोजावर भी "स्वतंत्रता सैनानी" की मोहर लगा कर छदम पदनाम का उपयोग करता है।

(3) जी, हां। राजस्थान स्वतंत्रता सैनानी सम्मान पेंशन नियमों के अन्तर्गत पेंशन एवं अन्य देय लाभ अनुचित तरीके

(सामान्य प्रशासन मंत्री)

से लेने के कारण ही कार्यवाही सम्भव है, जिसे शिकायत प्राप्त होने पर की जाएगी।

राजकीय सामुदायिक केन्द्र गांधी नगर, जयपुर का आबंटन

4. **श्री शिवराम सिंह कुशवाह** (धौलपुर): क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजकीय सामुदायिक केन्द्र (पूर्व गांधीनगर क्लब) गांधीनगर, जयपुर के भवन/परिसर मरम्मत एवं अन्य मदों पर अप्रैल, 2000 से मार्च, 2002 तक सरकार द्वारा किस-किस मद में कितना-कितना व्यय किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अप्रैल, 2001 से मार्च, 2002 तक राजकीय सामुदायिक केन्द्र, गांधीनगर को शादी व अन्य समारोह के आयोजन हेतु किन-किन व्यक्तियों/संस्थाओं को भवन/परिसर आबंटित किया गया है? राशि सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अब तक गांधीनगर वासियों को किन-किन सामाजिक, सांस्कृतिक समारोह व अन्य धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए उक्त केन्द्र को आबंटित किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार राजकीय सामुदायिक केन्द्र, गांधीनगर के भवन/परिसर को वापस गांधीनगर क्लब संस्था को सम्भालने का विचार रखती है? यदि नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) राजकीय सामुदायिक केन्द्र (पूर्व गांधीनगर क्लब) गांधीनगर, जयपुर के भवन/परिसर मरम्मत एवं अन्य मदों पर अप्रैल, 2000 से मार्च, 2002 तक सरकार द्वारा मदवार निम्न प्रकार खर्चा किया गया है:-

1. भवन/परिसर मरम्मत	4,46,103/-
2. बिजली, पानी एवं कार्यालय व्यय	2,31,429/-
3. सुरक्षा एवं सफाई हेतु ठेके पर	74, 738/-

राजकीय सामुदायिक केन्द्र का कब्जा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिनांक 12.4.2001 को लिया गया है। अतः मरम्मत के अतिरिक्त अन्य खर्चे उसके बाद के हैं।

(2) अप्रैल, 2001 से मार्च, 2002 तक राजकीय सामुदायिक केन्द्र गांधीनगर को शादी व अन्य समारोह के आयोजन हेतु जिन-जिन व्यक्तियों/संस्थाओं को भवन/परिसर आबंटित किया गया है उनकी सूची संलग्न है।

(3) इस प्रश्न का उत्तर प्रश्न (बिन्दु सं. 2) पर दिया जा चुका है। राजकीय सामुदायिक केन्द्र का आबंटन आवेदन करने पर ही किया जाता है।

(4) नहीं। क्योंकि वर्तमान व्यवस्था ठीक चल रही है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

प्रश्न संख्या-5

(स्थगित)

अनुसूचित जाति/जनजाति के रिक्त बैकलाग की पूर्ति

6. श्री निर्भय लाल (रूपवास) एवं **श्री भरोसी लाल** (हिण्डौन): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या अनुसूचित जाति/जनजाति का बैकलाग पूरा करने का संविधान संशोधन पास किया गया है? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा समय-समय पर बैकलाग पूर्ण करने हेतु जिला कलक्टरों एवं सम्भागीय आयुक्तों तथा विभागाध्यक्षों को निर्देश दिये हैं? यदि हां, तो आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या दिनांक 31 जुलाई, 2002 को अनुसूचित जाति/जनजाति का बैकलाग पूर्ण करने हेतु सख्त निर्देश दिए हैं? यदि हां, तो उक्त आदेश की पालना में किस-किस विभाग में बैकलाग पूर्ण किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) राज्य के समस्त विभागों में अनुसूचित जाति/जनजाति का बैकलाग कितना है तथा अब तक क्यों नहीं भरा गया है? अब तक किस-किस जिला कलक्टर एवं सम्भागीय आयुक्त ने बैकलाग के रिक्त पदों की संख्या कार्मिक विभाग को नहीं भेजी है? उक्त में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कब तक की जावेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। संविधान संशोधन की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) जी हां। कार्मिक विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रादेश दिनांक 9.10.2000, 14.12.2000, 23.10.2001 एवं 24.4.2002 की प्रतियां सदन की मेज पर रख दी गयी हैं।

(3) कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 31.7.2002 को कोई निर्देश/परिपत्र जारी नहीं किया गया है।

(4) विभिन्न विभागों से प्राप्त अनुसूचित जाति/जनजाति के बैकलाग संबंधी सूचना का विभागवार विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। आरक्षण अवशेष के रिक्त पद सेवा नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत नियमानुसार नियुक्तिकर्ता अधिकारियों द्वारा भरे जा सकेंगे। सम्भागीय आयुक्त, जयपुर, जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, जालौर, बाड़मेर, सिरोही, झालावाड़, टोंक, जयपुर एवं हनुमानगढ़ से सूचना प्राप्त होना शेष है। उक्त विभागों से सूचना प्राप्त की जा रही है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा गोपनीय प्रतिवेदन में सम्पत्ति का ब्यौरा

7. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार में कार्यरत कर्मचारी/अधिकारियों को गोपनीय प्रतिवेदन के संलग्न सम्पत्ति ब्यौरा परिपत्र भरना अनिवार्य है? यदि हां, तो क्या उक्त की पालना प्रत्येक विभाग में हो रही है?

(2) क्या जिन अधिकारियों की पदोन्नति कार्मिक विभाग के माध्यम से होती है उन सभी अधिकारियों की सम्पत्ति का विवरण विभाग को वर्ष 2001-2002 के प्राप्त हो गए है? यदि नहीं, तो किन-किन अधिकारियों के नहीं, फिर भी उनकी पदोन्नति की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सम्पत्ति विवरण का गोपनीय प्रतिवेदन में दर्ज करने की स्वीकृति के उपरान्त कार्मिक विभाग द्वारा अधिकारियों को पदोन्नत किए गये हैं? यदि हां, तो उक्त अधिकारियों की सूची सदन की मेज पर रखें जिन्होंने अपने गोपनीय प्रतिवेदन में सम्पत्ति का विवरण दर्ज नहीं किया है।

उत्तर

(1) जी हां, सरकार में कार्यरत कर्मचारी/अधिकारियों को गोपनीय प्रतिवेदन के संलग्न प्रोफार्मा में सम्पत्ति ब्यौरा भरना अनिवार्य है। इसकी पालना प्रत्येक विभाग में हो रही है।

(2) कार्मिक विभाग के स्तर से अखिल भारतीय सेवा/राजस्थान प्रशासनिक सेवा/ सचिवालय सेवा/प्रशासनिक अधिकारियों के पद पर पदोन्नति की जाती है। वर्तमान में बिना सम्पत्ति विवरण ब्यौरा दिए पदोन्नति न दिए जाने का परिपत्र मात्र अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के लिए लागू किया हुआ है।

जी नहीं, अखिल भारतीय सेवा से संबंधित ऐसा कोई अधिकारी नहीं है जिन्हें पदोन्नति दे दी गई हो और सम्पत्ति विवरण प्राप्त न हुए हों।

जिन अधिकारियों के वर्ष 2001-2002 के सम्पत्ति विवरण विभाग को प्राप्त नहीं हुए हैं, सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) जी नहीं, राज्य सेवा अधिकारियों/ कर्मचारियों के सम्पत्ति विवरण गोपनीय प्रतिवेदन के साथ मुद्रित प्रोफार्मा में ही प्राप्त होते हैं। प्राप्त प्रतिवेदनों का गोपनीय प्रतिवेदन में दर्ज करने की स्वीकृति लिया जाना अपेक्षित नहीं है।

अखिल भारतीय सेवा के जिन अधिकारियों को पदोन्नत किया गया है उन सभी अधिकारियों की अचल सम्पत्ति का ब्यौरा विभाग को प्राप्त हो गया है। किसी भी अधिकारी को बिना सम्पत्ति विवरण ब्यौरा प्राप्त किए पदोन्नति नहीं दी गई है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देंखे)

प्रशासनिक एवं अधीनस्थ सेवा में अनुसूचित जाति/जनजाति का बैकलाग

8. **श्री भरोसी लाल** (हिण्डौन): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार "राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ प्रतियोगी परीक्षा" आयोजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त सेवाओं के लिए वर्तमान में कुल कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार रिक्त पद भरने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त सेवाओं में अनुसूचित जाति/जनजाति के बैकलाग के कितने पद रिक्त हैं? क्या सरकार उक्त पद भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान प्रशासनिक सेवा में केडर रिव्यू की कार्यवाही विचाराधीन है एवं अन्य राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं की रिक्तियां प्राप्त करने की कार्यवाही की जा रही है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा में केडर रिव्यू की कार्यवाही पूर्ण होने व अन्य सेवाओं की रिक्तियों की सूचनाएं प्राप्त होने पर ही परीक्षा आयोजित करवायी जा सकेगी।

(2) विभिन्न राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं में रिक्तियों की सूचना प्राप्त होने पर ही कुल कितने पद रिक्त हैं सुनिश्चित किया जा सकेगा। सूचना प्राप्त होने पर पदों को भरने की कार्यवाही कर ली जावेगी।

(3) राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं की रिक्तियों की सूचना प्राप्त होने पर बैकलाग की स्थिति प्राप्त हो सकेगी।

कार्यालय वन मण्डल, चित्तौड़गढ़ में पदस्थापित मृत सहायक के आश्रित को नियुक्ति

9. **श्री सुरेन्द्र जाड़ावत** (चित्तौड़गढ़): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि चित्तौड़गढ़ वन मण्डल में कार्यालय सहायक के पद पर कार्यरत श्री चन्द्रसिंह घडोलिया की दुर्घटना में दिनांक 12.5.1999 को मृत्यु हो गई थी? क्या 3 वर्ष 3 माह का समय बीत जाने पर भी उनके आश्रितों को अब तक अनुकम्पात्मक नौकरी नहीं दी गई है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि स्वर्गीय श्री घडोलिया के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति देने हेतु उनकी धर्मपत्नी द्वारा अपने पुत्र श्री अशोक कुमार को नियुक्ति देने बाबत निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित अवधि में ही आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया गया था? यदि हां, तो अब तक उक्त पर कार्यवाही क्यों नहीं की गई?

(श्री सुरेन्द्र जाड़ावत)

(3) क्या यह सही है कि श्री घडोलिया कार्यालय सहायक के ज्येष्ठ पुत्र श्री अशोक कुमार घडोलिया को अनुकम्पात्मक सर्विस अब तक नहीं दिए जाने के पीछे श्री अशोक कुमार द्वारा उनकी मृत्यु के पूर्व छोटा-मोटा व्यवसाय किया जाना रहा था? क्या इसी कारण से उक्त को नियुक्ति नहीं दी गई?

(4) क्या यह भी सही है कि श्री अशोक कुमार घडोलिया के बेरोजगार होने की जांच विभागीय अधिकारियों, उपखण्ड अधिकारी द्वारा मण्डल वन अधिकारी द्वारा करा ली गई तथा बेरोजगार होने की पुष्टि का पत्र भी मण्डल वन अधिकारी द्वारा उच्चाधिकारियों को भेजा जा चुका? यदि हां, तो मृतक राज्य कर्मचारी के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नौकरी नहीं दिए जाने के लिए कौन-कौन अधिकारी/ कर्मचारी दोषी हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार दोषी अधिकारी/ कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(6) क्या सरकार श्री चन्द्रसिंह घडोलिया के आश्रित पुत्र श्री अशोक कुमार को अनुकम्पात्मक नौकरी देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(7) क्या स्वर्गीय चन्द्रसिंह जी घडोलिया प्रसिद्ध स्वतंत्रता सैनानी स्व. श्री भीमराजजी घडोलिया के सुपुत्र थे?

उत्तर

(1) जी हां। वन विभाग में कार्यरत कार्यालय सहायक श्री चन्द्र सिंह घडोलिया की मृत्यु दिनांक 12.5.1999 को हुई। उनके आश्रित ने आवेदन के साथ लगाये अपने शपत्र पत्र दिनांक 1.6.1999 में रुपये 20,400/- की वार्षिक आय होना दर्शाया। इस प्रकार आश्रित मृत्यु के समय मृतक पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं होने से राजस्थान सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति संबंधी नियम 2 ग के अन्तर्गत आश्रित के परिभाषा में नहीं आने से आश्रित को अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई है। किन्तु आश्रित को किस आय तक पूर्ण रूप से निर्भर माना जाना चाहिए। इस हेतु मामला विचाराधीन है।

(2) आवेदन निर्धारित समय सीमा में प्राप्त हो गया था परन्तु प्रश्न के भाग संख्या 1 में वर्णित कारणों से आवेदक को अनुकम्पात्मक नियुक्ति नहीं दी गई है।

(3) जी हां। स्व. श्री घाडोलिया कार्यालय सहायक के ज्येष्ठ पुत्र श्री अशोक कुमार घडोलिया को अपने पिता की मृत्यु के समय मार्बल्स व्यवसाय से 20,400/- रुपये वार्षिक आय हो रही थी इस कारण अनुकम्पात्मक नियुक्ति नियम के अनुसार आवेदक मृतक पर पूर्णतः आश्रित नहीं माना गया। परन्तु कितनी आय तक को पूर्णतः आश्रित मानने बाबत मामला राज्य सरकार के पास विचाराधीन है।

(कार्मिक मंत्री)

(4) अधिशासी अभियन्ता, नगर-पालिका चित्तौडगढ़ द्वारा दी गई वस्तुस्थिति रिपोर्ट एवं मण्डल वन अधिकारी की टिप्पणी अनुसार श्री अशोक कुमार घडोलिया द्वारा दिये गये तीसरे शपथ पत्र के अनुसार दिनांक 1.6.2000 से बेरोजगार होना माना है परन्तु नियमों में कर्मचारी के मृत्यु के समय आवेदक को पूर्णत: आश्रित होना आवश्यक है। इस कारण से इस प्रकरण में कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

(5) प्रश्न के भाग 4 में वर्णित स्थिति से परिपेक्ष में किसी अधिकारी/कर्मचारी का दोष नहीं होने से किसी प्रकार की कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है।

(6) मामला निर्णयार्थ राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(7) मृतक कर्मचारी स्व. श्री चन्द्र सिंह घडोलिया, स्व. भीमराज घडोलिया के पुत्र थे। उनके स्वतंत्रता सैनानी होने की जानकारी विभाग को नहीं है।

मैसर्स अश्वनी कुमार, पवन कुमार समूह से बकाया की वसूली

10. श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि मै. अश्वनी कुमार, पवन कुमार में देशी व देश निर्मित विदेशी मदिरा समूह की वर्ष 2000-2001 की राशि बकाया है? यदि हां, तो कितनी?

(2) उक्त समूह में ब्याज सहित कितनी बकाया है? उक्त समूह की बकाया वूसली की जुलाई, 2002 तक क्या-क्या कार्यवाही की गई और कार्यवाही से कितना बकाया वसूल किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त फर्म के हिस्सेदारों की जयपुर में खातीपुरा में काफी जायदाद है? यदि हां, तो उक्त जायदाद को नीलाम करके वसूली क्यों नहीं की जा रही है?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त मदिरा समूह के प्रति वर्ष 2000-2001 तक की लगभग 3.523 करोड़ रुपये की मूल राशि बकाया है।

(2) वर्तमान में 3,52,36,128 रुपये मूल राशि एवं 2,40,20,773 रुपये ब्याज की राशि सहित कुल 592.57 लाख रुपये की राशि बकाया है जिसकी भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत वसूली की कार्यवाही की जा रही है। उक्त समूह में वर्ष 2000-2001 के अन्त में 9,07,82,278 रुपए की राशि बकाया थी। जिसकी वसूली के लिये अनुज्ञाधारियों एवं जमानतियों से भू-राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही कर उनकी सम्पत्ति कुर्क की गयी है। उक्त बकाया के प्रति अनुज्ञाधारी ने राशि रुपये 923.60 लाख के पोस्ट डेटेड चैक प्रस्तुत किये थे। अनुज्ञाधारी एवं उनके जामिनों से अब तक राशि रुपये 555.46 लाख वसूल कर लिये गये हैं।

(आबकारी मंत्री)

(3) जी हां। बकाया राशि की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार सभी प्रकार के प्रयास किये जा रहे हैं।

देशी व विदेशी मदिरा के जिलेवार ठेके

11. श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर): क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें :-

(1) राज्य में आबकारी बन्दोबस्त 2002-2003 में देशी व अंग्रेजी शराब एवं बीयर के ठेके जिले के अनुसार कितनी राशि में उठे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने उक्त ठेकों पर शराब उठाने के बाबत शराब मात्रा के बारे में विभाग को कोई निर्देश दे रखे हैं? यदि हां, तो क्या?

(3) गत तीन वर्षों में प्रत्येक जिले में देशी मदिरा के पाउच कितनी मात्रा में सप्लाई किये और इस वर्ष विभाग ने 31 जुलाई, 2002 तक प्रत्येक जिले में कितनी-कितनी मात्रा में पाउचों की सप्लाई की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2002-2003 में देशी व अंग्रेजी शराब एवं बीयर विक्रय करने के ठेके जिस राशि पर स्वीकृत किये गये हैं, उनकी सूची परिशिष्ट ''अ'' के अनुसार संलग्न है।

(2) जी हां। विभाग ने उक्त ठेकों पर देशी शराब उठाने हेतु निर्देश जारी कर रखे हैं, प्रति परिशिष्ट ''ब'' के अनुसार संलग्न है।

(3) गत तीन वर्षों में प्रत्येक जिले में मदिरा अनुज्ञाधारियों को देशी मदिरा के सप्लाई किये गये पाउच का विवरण परिशिष्ट ''स'' के अनुसार संलग्न है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

जैसलमेर जिले में सीमेन्ट उत्पादन इकाई की स्थापना

12. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला जैसलमेर में चूने पत्थर का बहुत बड़ा भण्डार राजकीय उपक्रमों में बेकार पड़ा है?

(2) क्या सोनू लाइम स्टोन सीमेन्ट उत्पादन हेतु अच्छा स्रोत है?

(3) क्या यह सही है कि पर्याप्त भूमि, नहर का पानी तथा नजदीक में लिग्नाइट के भण्डार आदि सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जैसलमेर जिले में सीमेन्ट उत्पादन इकाई स्थापित करना अनुकूल है?

(4) क्या सरकार उत्पादन का विक्रय मूल्य कम कर उत्पादन कर में कमी व परिवहन अनुदान देकर निजी व्यवसाइयों को प्रोत्साहन देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जिला जैसलमेर में राजकीय उपक्रम, आर.एस.एम.डी.सी. व आर.एस.एम.एम. के पास लाइम स्टोन खनन के पट्टे हैं, जिनमें एस.एम.एम. स्टील ग्रेड 979 मिलियन टन, रसायनिक ग्रेड 629 मिलियन टन व सीमेन्ट ग्रेड का 4601 मीट्रिक टन का भण्डार उपलब्ध है।

(2) जी हां।

(3) जी हां। उक्त क्षेत्र में पर्याप्त भूमि, नहर का पानी उपलब्ध है। बाड़मेर जिले के गिराल क्षेत्र में लिग्नाइट का भण्डार है एवं मोहनगढ़ में जिप्सम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, परन्तु उत्पादित सीमेन्ट की बिक्री हेतु दूराज स्थित बाजारों/उपभोक्ताओं तक ले जाने का परिवहन व्यय ज्यादा होने की वजह से विनियोजक जैसलमेर में इकाई स्थापित करने में हिचकते हैं।

(4) यदि कोई विनियोजक इस क्षेत्र में सीमेन्ट उद्योग का प्रस्ताव करता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित सर्वाधिकार समिति द्वारा गुणावगुण के आधार पर विशेष सुविधा पुंज (स्पेशियल इंसेन्टिव पैकेज) उपलब्ध कराने पर विचार कर सकती है।

राष्ट्रीय उच्च मार्ग नम्बर 8 की स्वीकृत चार लेन रोड

13. श्रीमती मधु दाधीच (निम्बाहेड़ा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग नं. 8 के बाइपास को कुण्डा के पास से आमेर घाटी तक चार लेने रोड में परिवर्तित करने की स्वीकृत योजना काफी समय से लम्बित है? यदि हां, तो क्यों? उक्त स्वीकृत रोड की ब्लू प्रिन्ट सहित उक्त पर होने वाले खर्चे का अनुमानित विवरण भी सदन की मेज पर रखें।

(2) नटाटा मोड़ से आमेर तक आये दिन होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए उक्त प्रस्तावित कार्य अब कब तक चालू करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राष्ट्रीय उच्च मार्ग नं. 8 के बाइपास को कुण्डा के पास से आमेर घाटी तक 4 लेन रोड में परिवर्तित करने की इस विभाग के पास कोई योजना नहीं है। उक्त मार्ग को जयपुर विकास प्राधिकरण को स्थानान्तरण कर दिया गया है।

(2) उक्त सड़क वर्तमान में जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में है।

वार्ड नम्बर 49 जयपुर में सफाई कर्मचारियों के रिक्त पद

14. श्री कालूलाल (गंगरार): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री कालूलाल)

(1) नगर निगम जयपुर के वार्ड नं. 49 में आने वाली बस्ती एवं कालोनी के लिए सफाई व्यवस्था कराने हेतु कितने सफाई कर्मचारी के पद स्वीकृत किये हुए हैं? उक्त पद किस वर्ष तथा जनसंख्या के आधार पर तय किये गये तथा उक्त में से कितने पद रिक्त हैं और रिक्त पद कब तक भर दिये जावेंगे? विवरण सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वार्ड नं. 49 में कितनी बस्तियां एवं कालोनियां आती हैं? उक्त कालोनी एवं बस्तियों में कितने-कितने कर्मचारी कहां-कहां लगा रखे हैं? कर्मचारी कालोनी एवं बस्ती के नाम की पूरी सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि नगर निगम जयपुर को जयपुर विकास प्राधिकरण ने ईदगाह कच्ची बस्ती निवासियों की 23 पत्रावलियां मय रिकार्ड भेज दी थीं? क्या उक्त व्यक्तियों को भी आज तक कब्जा पत्र एवं साइट प्लान व पट्टे नहीं दिए गये हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त बस्ती में जो व्यक्ति दस-बीस वर्षों से रह रहे हैं उन्हें आबंटन पत्र कब तक दे दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नगर निगम में कर्मचारियों के पदों का सृजन वार्डों, बस्ती एवं कालोनी के अनुसार नहीं होकर स्टाफिंग पैटर्न के अनुसार किया हुआ है। स्टाफिंग पैटर्न वर्ष 1981 के अनुसार नगर निगम, जयपुर के वार्ड नं. 49 में 55 सफाई कर्मचारी कार्यरत हैं। जनसंख्या अनुसार 80 सफाई कर्मचारी होने चाहिए। 55 सफाई कर्मचारियों द्वारा समुचित सफाई व्यवस्था की जा रही है। वर्तमान में कर्मचारियों की भर्ती पर रोक है।

(2) वार्ड नं. 49 में कुल 17 कालोनियां हैं, आठ कालोनियों में स्टाफ कार्यरत है। शेष कालोनियों में त्यौहार, शादी व अन्य सार्वजनिक समारोह पर सफाई कर्मचारी भेज कर सफाई करवाई जाती है। विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण ने ईदगाह कच्ची बस्ती की 23 पत्रावलियां जयपुर नगर निगम को भिजवाई गई थी और 23 व्यक्तियों को आबंटन पत्र भी जारी कर दिये गये हैं।

(4) जयपुर विकास प्राधिकरण से केवल 23 पत्रावलियां प्राप्त हुई थीं उनको आबंटन कर दिया है शेष व्यक्तियों का रिकार्ड जयपुर विकास प्राधिकरण से प्राप्त किया जा रहा है। प्राप्त होने पर कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

परसराम नगर ढहर का बालाजी एवं सिन्धु नगर, जयपुर की कालोनियों में प्रस्तावित सीवर लाइन

15. श्री अशोक (खण्डार): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सीकर रोड पर सम्पूर्ण मुरलीपुरा क्षेत्र में सीवर लाइन डालने हेतु रुपये 551.24 लाख की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जा चुकी है? यदि हां, तो स्वीकृति आदेश की प्रति सदन की मेजे पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृति राशि से मुरलीपुरा क्षेत्र की किस-किस कालोनी में किस-किस जगह कितनी-कितनी राशि सीवर लाइन डालने में व्यय की जाएगी? उक्त सम्बन्धी प्लान की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त राशि में से परसराम नगर ढहर का बालाजी एवं सिन्धु नगर स्कीम नं. 16 आजाद पथ, गली नं. 3 के प्लाट नं. 222, 139, 179, 180, 181, 221 में भी सीवर लाइन डाली जाना प्रस्तावित है। क्या उक्त कालोनियों में नाली निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त सीवर लाइन डालने का कार्य एवं नाली निर्माण पर उक्त स्वीकृत राशि में से कितनी-कितनी व्यय की जावेगी? उक्त कार्य कब प्रारम्भ कर कब तक पूर्ण करा दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। संलग्न आदेश की प्रति के अनुसार प्रदान की गयी स्वीकृति रु. 551.24 लाख के तहत इस क्षेत्र की मुख्य/उपमुख्य सीवर लाइन उपलब्ध होगी। आंतरिक सीवरेज व्यय अतिरिक्त होगा। (परिशिष्ट "अ")

(2) उक्त स्वीकृत राशि किसी कालोनी विशेष की नहीं है बल्कि मुरलीपुरा क्षेत्र की समस्त कालोनियों के लिए मुख्य/उपमुख्य सीवर लाइन डालने में व्यय की जा रही है। प्लान की प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट "ब")

(3) उक्त राशि में से परसराम नगर ढहर का बालाजी, सिंधु नगर स्कीम नं. 16 के लिए भी मुख्य/उपमुख्य सीवर लाइन डाली जानी प्रस्तावित है। नाली निर्माण का वर्तमान में कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है क्योंकि सीवरेज व नाली की निकासी भवानी निकेतन महाविद्यालय की भूमि में से ही सम्भव है व भूमि की उपलब्धता के लिए उपायुक्त जोन द्वारा समुचित कार्यवाही की जा रही है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

महारानी फार्म, जयपुर में पार्क की भूमि पर बने मकानों का नियमन

16. डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(डा. रघुवीर सिंह गौड़)

(1) क्या यह सही है कि महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर स्थित विश्वकर्मा नगर प्रथम एवं द्वितीय योजना में स्थित सुविधा क्षेत्र (पार्क) में लोग मकान बनाकर काफी वर्षों से निवास कर रहे हैं? यदि हां, तो कब से?

(2) क्या सरकार उक्त सुविधा क्षेत्र का नियमन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां, यह सही है कि महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर स्थित जल महल हा. का.सो.लि. की योजना विश्वकर्मा नगर प्रथम व द्वितीय की सुविधा क्षेत्र में लोग लगभग 8-10 वर्षों से मकान बनाकर निवास कर रहे हैं।

(2) सुविधा क्षेत्र के भूखण्डों के नियमन हेतु निर्णय ज.वि.प्रा. की बी.पी.सी. द्वारा लिया जाता है। उक्त सुविधा क्षेत्र के बाबत भी निर्णय बी.पी.सी. द्वारा नियमानुसार लिया जाएगा।

जयपुर में स्थित दुर्गापुरा, महारानी फार्म क्षेत्र की विचाराधीन सीवर लाइन

17. डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण ने सीवर लाइन की जनसहभागिता योजना के अन्तर्गत ली जाने वाली राशि 12.50 रुपये प्रति वर्गगज की अनिवार्यता को हटाकर उक्त राशि पानी के बिलों से लिये जाने का निर्णय किया है? यदि हां, तो निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या दुर्गापुरा, जयपुर स्थित महारानी फार्म क्षेत्र की समस्त कालोनियों में मुख्य सीवर लाइन डाली जा चुकी है? यदि हां, तो कब?

(3) उक्त क्षेत्र की किस-किस कालोनी के लिए सीवर की ब्रांच लाइन डालने के लिए योजना तैयार कर ली गई है?

(4) उक्त में से जिन कालोनियों में ब्रांच लाइन डालने की योजना तैयार हो गई है उनमें ब्रांच लाइन निर्माण का कार्य कब तक शुरू करवा दिया जायेगा?

(5) उक्त क्षेत्र की रघु विहार, विश्वकर्मा नगर, प्रथम एवं द्वितीय, महावीर नगर द्वितीय एवं गायत्री नगर-ए कालोनियों में सीवर की ब्रांच लाइन का कार्य कब तक शुरू करवा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण की परियोजना एवं कार्य समिति द्वारा सीवरलाइन की जन सहभागिता योजना के अन्तर्गत ली जाने वाली राशि रुपये 12.50 प्रति वर्गगज कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व लिये जाने की

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

अनिवार्यता समाप्त करने का निर्णय सैद्धान्तिक रूप से लिया गया है। यह राशि किस प्रकार से ली जानी है, यह अभी विचाराधीन है।

(2) मुख्य सीवर लाइन समस्त कालोनियों में डाला जाना आवश्यक नहीं होता है। अतः महारानी फार्म की समस्त कालोनियों में इस प्रकार मुख्य लाइन नहीं डाली गई है। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा क्षेत्र की कालोनियों हेतु वर्ष 1997–98 में गूजर की थड़ी से दुर्गापुरा कृषि फार्म तक मुख्य सीवर लाइन का कार्य करवाया गया है।

(3) उक्त क्षेत्र की अनुमोदित कालोनियों में आन्तरिक सीवर (ब्रांच लाइन) डालने की योजना बनाई जा रही है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग रुपये 128.00 लाख सम्भावित है।

(4) जयपुर विकास प्राधिकरण की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने पर नियमानुसार निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(5) जयपुर विकास प्राधिकरण की आर्थिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने पर नियमानुसार निर्माण कार्य प्रारम्भ करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

प्रश्न संख्या-18

(स्थगित)

लाखेरी नगरपालिका (बूंदी) में स्थित कच्ची बस्तियों का नियमन

19. **श्री घासीलाल मेघवाल** (पाटन): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला प्रशासन बून्दी द्वारा कई कच्ची बस्तियों में लाखेरी नगरपालिका क्षेत्र में बने अनधिकृत निर्माणों का सर्वे करवाया गया था? यदि हां, तो किस अवधि तक? सर्वे रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या जिला प्रशासन बून्दी द्वारा लाखेरी नगरपालिका क्षेत्र की कच्ची बस्तियों का नियमन कर दिया गया है? क्या जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा कच्ची बस्तियों के नियमन हेतु आदेश जारी किये हैं? यदि हां, तो कितनी कच्ची बस्तियों का नियमन किया गया हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त के लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? क्या दोषी के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करने का विचार रखती है? अब कब तक सरकार कच्ची बस्तियों का नियमन कर देगी?

उत्तर

(1) जी हां। जिला प्रशासन बून्दी द्वारा कई कच्ची बस्तियों में लाखेरी नगरपालिका

(स्वायत्त शासन मंत्री)

क्षेत्र में बने 15 अगस्त, 1998 से पूर्व बसी हुई कच्ची बस्तियों में अनधिकृत निर्माणों का सर्वे कराया गया था। सर्वे रिपोर्ट की प्रतियां संलग्न हैं।

(2) कच्ची बस्ती नियमन समिति द्वारा 15 कच्ची बस्तियों में से केवल 2 बस्तियों को ही नियमन योग्य माना था, जिसमें गणेशपुरा कच्ची बस्ती में 2 व्यक्तियों को तथा कालबेलिया कच्ची बस्ती में 8 व्यक्तियों को नियमन योग्य मान कर पट्टे दिये जा चुके हैं। एक व्यक्ति के द्वारा आवेदन नहीं करने के कारण पट्टा नहीं दिया गया। जिला कलक्टर, बून्दी के आदेशानुसार ही नियमन की कार्यवाही की गई है।

(3) नियमानुसार नियमन समिति के आदेशानुसार कार्यवाही की गई है। इसलिए इस मामले में कोई दोषी नहीं है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

ख्वासजी का रास्ता चौकड़ी रामचन्द्रजी जयपुर स्थित गलियों की सफाई व्यवस्था

20. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वकील श्री तोताराम, राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय, ख्वास जी का रास्ता, चौकड़ी रामचन्द्रजी जयपुर के आस पास की गलियों की सफाई गत कई माह से नहीं हुई हैं? क्या उक्त कारण उक्त क्षेत्र एवं उसके आस पास के क्षेत्रों में कई प्रकार की बीमारियां फैलने का खतरा उत्पन्न हो गया है?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र की गलियों की सफाई कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। वकील श्री तोताराम राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका विद्यालय, ख्वास जी का रास्ता, चौकड़ी रामचन्द्रजी के आस-पास की गलियों की सफाई करवाई जा चुकी है। इसलिए बीमारियां फैलने की कोई सम्भावना नहीं है।

(2) नगर निगम, जयपुर द्वारा गलियों की सफाई वर्ष भर में एक बार करवाई जाती है। आगामी वर्ष में फिर से गलियों की सफाई करवा दी जावेगी।

परसराम नगर ढहर का बालाजी जयपुर में मूलभूत सुविधाओं हेतु मास्टर प्लान

21. श्री मोहन लाल बारूपाल (जायल): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सीकर रोड स्थित परसराम नगर ढहर का बालाजी जयपुर भी जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित आवासीय बस्ती है? यदि हां, तो क्या उक्त का नियमन भी हो चुका है?

(श्री मोहन लाल बारूपाल)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त आवासीय बस्ती में सभी मूलभूत सुविधाओं यथा ड्रेनेज सीवरलेन, सड़क आदि का पूर्णतया अभाव है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार अब उक्त आवासीय बस्ती हेतु कोई प्लान तैयार कर ड्रेनेज एवं सीवरेज की सुविधा दिये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो प्लान की प्रति सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त आवासीय बस्ती में सुविधाओं के सम्बन्ध में क्या-क्या प्लान तैयार किये गये हैं और प्लान के अनुसार कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त सम्बन्ध में तैयारी किये गये प्लान का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही नहीं है। सीकर रोड परसराम नगर (ढहर का बालाजी) के नाम से मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति ने अपनी योजना संख्या-4 जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत की हुई है। यह योजना जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नहीं है। इस योजना का अभी तक नियमन भी नहीं हुआ है।

(2) यह सही है कि इस कालोनियों में ड्रेनेज व सीवरेज लाइन का अभाव है इसका मुख्य कारण इन कालोनी को अनियोजित रूप से लो लाइन एरिया में सृजन किया जाना है। इस कालोनी का नेचुरल ड्रेनेज भवानी निकेतन संस्था की भूमि की तरफ है। भवानी निकेतन संस्था द्वारा अपनी भूमि पर विभिन्न संस्थाओं के भवन निर्माण के कारण इस कालोनी का पानी अपनी जमीन में आने से रोक दिया है। अत: यह समस्या और बढ़ गई है।

(3) उक्त कालोनी ड्रेनेज व सीवरेज हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्लान तैयार कर लिया गया है। क्योंकि यह कालोनी अनियमित व अनियोजित रूप से बसी हुई है, इसलिए सीवरेज व ड्रेनेज की समस्या है। योजना को लागू करने के लिये भवानी निकेतन संस्था से भूमि अवाप्त करनी होगी व भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया विचाराधीन है। भूमि उपलब्ध होते ही इस कालोनी के लिये बनाई गई सीवरेज व ड्रेनेज योजना लागू कर दी जावेगी। उक्त आवासीय बस्ती में सुविधा हेतु ड्रेनेज व सीवर लाइन का प्लान तैयार कर लिया गया है यह प्लान भूमि उपलब्ध होने के पश्चात् ही लागू किया जाना सम्भव है। भूमि उपलब्ध करवाने की प्रक्रिया चल रही है।

(4) सुविधाओं को उपलब्ध कराने के संबंध में सड़क, सीवरेज, ड्रेनेज प्लान तैयार किया गया है एवं सीवरेज हेतु निविदाओं के आमंत्रण किये जाने के अलावा प्राधिकरण की गत पी.डब्ल्यू.सी. दिनांक 12.8.2002 में स्वीकार किये कार्यों के तहत परसराम नगर में भी सड़क निर्माण हेतु रुपये 27.35 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

तहत 3.6 किमी. लम्बाई में सड़कों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। प्रथम चरण में दो लैयर डब्ल्यू.बी.एम. का कार्य निविदाएं प्राप्त कर 4 माह में प्रारम्भ कर दिया जावेगा। नक्शे की प्रति संलग्न है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम गैटोर जगतपुरा, जयपुर स्थित कालोनियों का नियमन

22. **श्रीमती शांति पहाड़िया** (वैर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर के ग्राम गैटोर जगतपुरा, सवाई गैटोर एवं मनोहरपुरिया में कई कालोनियां बसी हुई हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी? सोसायटी के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त ग्रामों में सरकार सड़कें चौड़ी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौन सड़क कितनी-कितनी चौड़ी होकर कहां-कहां निकाली जायेगी? उक्त ग्राम में बसी सूर्य विहार कालोनी के नक्शे की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या भारतीय विमानपत्तन द्वारा अब और भूमि अवाप्त करने हेतु मना कर दिया गया है? यदि हां, तो अब उक्त ग्रामों में बसी कालोनियों का नियमन नहीं करने के क्या कारण हैं? अब कब तक उक्त ग्रामों में बसी कालोनियों का नियमन कर दिया जायेगा?

उत्तर

(1) जी हां। विभिन्न गृह निर्माण सहकारी समितियों की विभिन्न आवासीय कालोनियां ग्राम गैटोर, जगतपुरा, सवाई गैटोर, मनोहरपुरा में स्थित है। जिनकी सूची परिशिष्ट ''अ'' संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त ग्रामों में सड़कें एयरपोर्ट डवलपमेंट प्लान के अनुसार बनाई जावेगी। तथा उक्त ग्रामों में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित मास्टर प्लान एवं प्रस्तावित जोन के सैक्टर प्लान के अनुसार सड़कें रखी जाने का प्रावधान है। इन ग्रामों के क्षेत्र के संबंधित मास्टर प्लान एवं प्रस्तावित सैक्टर प्लान के मानचित्र की प्रति परिशिष्ट ''बी'' संलग्न है। इन ग्रामों की सड़कों की चौड़ाई एवं उनके निकालने के स्थान मास्टर प्लान एवं सैक्टर प्लान के मानचित्र में दर्शाये अनुसार ही रखे जायेंगे। सूर्य विहार कालोनी के प्लान की 25 प्रति परिशिष्ट ''सी'' संलग्न है।

(3) जी नहीं। भारतीय विमानपत्तन द्वारा ग्राम खाखा का बास के खसरा नम्बर 97, 98, 99, 100, 103, 105, 106, 107 की भूमि अवाप्त करने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। जिसमें हथरोई गढी गृ.नि.स.स. की योजना शान्ति विहार की लगभग 15630 वर्गमीटर भूमि प्रभावित होती है।

परिशिष्ट ''डी'' पर संलग्न सूची में

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

अंकित कालोनियों का विभिन्न विभागों/अभिकरणों में अवाप्ताधीन होने के कारण अभी तक नियमन नहीं किया गया है। जिन योजनाओं का अभी तक नियमन किया जा चुका है उनकी सूची परिशिष्ट "ई" पर संलग्न है। जिन योजनाओं के नियमन की कार्यवाही जैरकार है उनकी सूची परिशिष्ट "एफ" पर संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

आवास विकास संस्था में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रदत्त प्रतिनियुक्ति भत्ता

23. श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (करणपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि आवास विकास लिमिटेड का गठन पूर्व आवास विकास संस्थान द्वारा किया गया है? यदि हां, तो कब, कैसे और किस नियम के तहत? लिमिटेड के नियम, उप नियम क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि आवास विकास संस्थान की आवास विकास लिमिटेड में 51 प्रतिशत राशि थी? यदि हां, तो कितनी राशि थी और आवास विकास संस्थान को उक्त राशि कब, कितनी और क्यों लौटाई गई?

(3) क्या यह सही है कि आवास विकास संस्थान को फरवरी, 1997 में शेयर राशि लौटाई गई? यदि हां, तो किस नियम के तहत और बाद में शेयर किसे बेचे? उक्त शेयर बेचने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त आवास विकास लिमिटेड में कौन–कौन अधिकारी/कर्मचारी कब–कब से कार्यरत हैं?

(5) उक्त अधिकारी पूर्व में प्रतिनियुक्ति पर कब से कहां कार्यरत थे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि पूर्व में उक्त अधिकारी प्रतिनियुक्ति भत्ता प्राप्त कर रहे थे? यदि हां, तो वर्तमान में कब व क्यों तथा किस कारण से प्रतिनियुक्ति भत्ता बन्द कर दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या यह भी सही है कि पूर्व आवास विकास संस्थान के कर्मचारियों की पी.एफ. की पूर्ण राशि जमा नहीं करवाई गई है? यदि हां, तो क्यों? उक्त के लिए कौन दोषी हैं, उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(8) क्या सरकार पूर्व कर्मचारियों के पी. एफ. की समस्त राशि जमा करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। आवास विकास लिमिटेड का गठन भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत 20 जून, 1996 को किया गया था। कम्पनी मैमोरेण्डम एवं आर्टिकल आफ एसोसिएशन की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। आवास विकास संस्थान की 20 लाख रुपये की राशि आवास विकास लिमिटेड में जमा है आवास विकास संस्थान को 10 रुपये सम मूल्य के 2 लाख शेयर आवास विकास संस्थान के नाम जारी किये गये थे। आवास विकास लिमिटेड द्वारा आवास विकास संस्थान को शेयर राशि नहीं लौटाई गई है।

(3) जी नहीं। आवास विकास संस्थान को 23.12.1997 को कम्पनी की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार 51 प्रतिशत शेयर जारी किये गये थे जिसके अन्तर्गत 10 रुपये सम मूल्य के 2 लाख शेयर जारी किये गये। आवास विकास संस्थान का अवसायन होने के कारण अवसायन समिति ने दिनांक 9.7.1999 को बैठक आयोजित कर यह निर्णय लिया गया कि आवास विकास लिमिटेड से प्राप्त शेयर राजस्थान आवासन मण्डल के नाम हस्तान्तरित करा दिये जायें। समिति के इस निर्णय के संबंध में राजस्थान आवासन मण्डल की 184वीं बैठक में शेयरों को मण्डल के नाम हस्तान्तरित कराने की स्वीकृति दिये जाने के पश्चात कम्पनी ने दिनांक 29.3.2000 को आवास विकास संस्थान के उक्त शेयर को आवासन मण्डल के नाम हस्तान्तरित कर दिये गये हैं।

(4) आवास विकास लिमिटेड में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों की सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(5) उक्त अधिकारी पूर्व में आवास विकास संस्थान में प्रतिनियुक्ति पर थे। विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(6) जी हां। जिन अधिकारियों का प्रतिनियुक्ति भत्ता बंद किया गया है, उनसे सम्बन्धित कार्यालय आदेश परिशिष्ट "द" पर संलग्न है। ये अधिकारी पूर्व में आवास विकास संस्थान में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित थे, जहां इन्हें चार वर्ष से अधिक प्रतिनियुक्ति अवधि होने के फलस्वरूप इनका प्रतिनियुक्ति भत्ता नियमानुसार बंद कर दिया गया था तथा ये आवास विकास संस्थान से सीधे ही आवास विकास लिमिटेड में निरन्तरता में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किये गये थे।

(7) आवास विकास संस्थान के सम्पूर्ण कार्यकाल के सभी वार्षिक रिटर्न आयुक्त, पी.एफ. कार्यालय में दाखिल किये जा चुके हैं एवं सभी कर्मचारियों की पी.एफ. की समस्त राशि भविष्य निधि कार्यालय में जमा करा दी गई है।

(8) आवास विकास संस्थान के सभी कर्मचारियों की पी.एफ. की समस्त राशि भविष्य निधि कार्यालय में जमा कराई जा चुकी है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

सीवरेज फार्म, सोडाला, जयपुर की आवासीय योजनाओं के ले-आउट प्लान का प्रमाणीकरण

24. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सोडाला क्षेत्र के सीवरेज फार्म में बसी किन-किन आवासीय योजनाओं के ले-आउट प्लान को प्रमाणीकरण किये जाने हेतु समिति के सम्मुख विचारणीय रखा गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में किन-किन आवासीय योजनाओं में 50 फीसदी से ज्यादा निर्माण किया हुआ है एवं किन-किन आवासीय योजनाओं में निर्धारित मानदण्ड में 5 प्रतिशत छूट देते हुए नियमन करने का निर्णय विचारणीय है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्षेत्र की कौन-कौनसी आवासीय योजनाओं के काश्तकारों ने राज्य सरकार से भूमि का मुआवजा भी प्राप्त कर लिया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त क्षेत्र की कौन-कौनसी आवासीय योजना के काश्तकारों को अभी तक मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है और कौन-कौन सी आवासीय योजना के काश्तकारों को चुकाये जाने वाली राशि के चैक न्यायालय में जमा हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) अपोलो गृह निर्माण सहकारी समिति की ''रामनगर-एफ'' आवासीय योजना के कितने काश्तकारों को मुआवजा राशि का भुगतान कितना-कितना, कौन-कौनसी दिनांक को किस-किस माध्यम से दिया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या राज्यादेश 5(2)नीविअवि/3/99 दिनांक 27.9.1999 के द्वारा जिन अवाप्तशुदा भूमि के काश्तकारों को अब तक मुआवजा नहीं दिया है, उस भूमि पर बसी आवासीय योजना पर सामान्य दर से नियमन किया जावेगा? यदि हां, तो क्या अपोलो गृह निर्माण सहकारी समिति की ''रामनगर-एफ'' को इस श्रेणी में माना गया है? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त आवासीय योजना के आबंटियों की सूची सदन की मेज रखें।

(7) सीवरेज फार्म के क्षेत्राधीन की कौन-कौनसी आवासीय योजनाओं में उनके नक्शों के आधार पर एवं ले-आउट प्लान के तहत 45 प्रतिशत से अधिक का निर्माण किया हुआ है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(8) सीवरेज फार्म स्थित आवासीय योजनाओं के ले-आउट में कौन-कौनसी योजनाओं ने आधारभूत सुविधाओं के लिए निर्धारित भूमि नहीं छोड़ी है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(9) उक्त क्षेत्र की आवासीय योजनाओं के लिए नियमन के लिए प्राधिकरण क्या कैम्प लगाने का विचार रखता है? यदि हां, तो कब?

उत्तर

(1) स्वेज फार्म की 4 योजनाओं के ले–आउट प्लान बी.पी.सी. के समक्ष रखे जाकर अनुमोदित किये जा चुके हैं। सूची निम्न है :–

1. गोविन्दपुरी ए से ई
2. नन्दपुरी एफ व जी
3. गोविन्दपुरी एच
4. सूजन बिहार।

(2) उक्त आवासीय योजनाओं में 36 सर्वेशुदा कालोनियों में से 33 कालोनियों में 50 प्रतिशत से अधिक निर्माण है। जिन कालोनियों के ले–आउट प्लान का सर्वे करवाया जा चुका है, उनका नियमानुसार नियमन किया जाना विचाराधीन है। (परिशिष्ट ''अ'')

(3) उक्त योजनाओं में से किसी भी प्रकरण में काश्तकारों को मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है।

(4) उक्त क्षेत्र की सभी योजनाएं जो अवाप्ति में है, में किसी भी काश्तकार ने मुआवजा राशि प्राप्त नहीं की है। न ही कोई चैक न्यायालय में जमा करवाया हुआ है।

(5) अपोलो गृह निर्माण सहकारी समिति की ''रामनगर–एफ'' आवासीय योजना के किसी भी काश्तकार को मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया हैं।

(6) स्वेज फार्म की अवाप्तशुदा भूमि जिनका मुआवजा नहीं दिया गया है, ऐसे प्रकरणों में नियमन दर तय किये जाने हेतु प्रमुख शासन सचिव, वित्त की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है, जिसके द्वारा नियमन दर का निर्धारण किया जाना विचाराधीन है। अपोलो गृह निर्माण सहकारी समिति की ''रामनगर–एफ'' योजना भी इसी श्रेणी में आती है। आवासीय योजना के आबंटियों की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट ''ब'')

(7) सीवरेज फार्म की आवासीय योजनाओं में से 33 कालोनियों में 45 प्रतिशत से अधिक निर्माण है। सूची संलग्न है। (परिशिष्ट ''स'')

(8) 36 सर्वेशुदा कालोनियों के ले–आउट प्लान में समितियों द्वारा केवल 4 कालोनियों में सुविधा क्षेत्र नहीं छोड़े गये हैं।

1. नरेन्द्र नगर 2. गोविन्दपुरी एच 3. हरिनगर 4. रामनगर एच।

(9) सर्वेशुदा सभी 36 कालोनियों में से 4 बी.पी.सी. द्वारा अनुमोदित हो चुकी हैं। शेष कालोनियों की अनुमोदन की कार्यवाही विचाराधीन है। राज्य सरकार द्वारा नियमन दर निर्धारण के बाद इन कालोनियों के कैम्प लगाये जाने की सम्भावना है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र सीकर रोड (जयपुर) पर प्रस्तावित सर्कल का निर्माण

25. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर में सीकर रोड पर विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र की रोड नं.-14 के पास कोई सर्कल बनाये जाने का कार्य प्रस्तावित है? यदि हां, तो कहां और कितनी भूमि पर?

(2) उक्त सर्कल हेतु कितनी भूमि अवाप्त की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जो भूमि अवाप्त की जा रही है उसमें निर्मित दुकानें भी आ रही हैं? यदि हां, तो कितनी?

(4) उक्त में किस-किस नाम की अंकित कौन-कौनसी दुकानों की भूमि अवाप्त की जावेगी? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या जिन-जिन मालिकों की दुकानें अधिग्रहीत की जावेगी उनको सरकार वर्तमान बाजार मूल्य से पुनर्ग्रहण राशि का भुगतान करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

(6) क्या उक्त सर्किल में कतिपय आवासीय भू-खण्ड भी आ रहे हैं? यदि हां, तो कितने व कौन-कौनसे?

(7) क्या जिन भू-खण्डधारियों के भू-खण्ड आएंगे उनको सरकार अन्य स्थान पर बसाएगी? यदि हां, तो कहां और नहीं, तो क्यों?

(8) उक्त व्यक्तियों के पुनर्वास की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य सरकार से संबंधित नहीं है। इसका निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो भारत सरकार का उपक्रम है, द्वारा किया जा रहा है।

(2) उपरोक्तानुसार ।

(3) उपरोक्तानुसार ।

(4) उपरोक्तानुसार ।

(5) उपरोक्तानुसार ।

(6) उपरोक्तानुसार ।

(7) उपरोक्तानुसार ।

(8) उपरोक्तानुसार ।

विजयबाड़ी पथ नं.-7 सीकर रोड (जयपुर) की प्रस्तावित सड़कों की चौड़ाई

26. श्री मदन दिलावर (अटरू): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की रिहायशी कालोनियों में सड़कें चौड़ी करने के लिए नागरिकों से उनके आवासीय

(श्री मदन दिलावर)

भू-खण्डों (निर्मित) एवं ख़ाली में से जो जमीन ली जा रही है उसके क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के लिए ली जाने वाली जमीन के लिए संबंधित भू-खण्डधारी को नोटिस देकर अवगत कराया जाता है कि उनको इतनी जमीन सड़क के लिए समर्पित करनी होगी? यदि हां, तो जोन बी-3 के परसराम नगर, ढहर का बालाजी, बन्धु नगर एवं विजयबाड़ी पथ नं.-7 के वाशिन्दों के साथ ऐसा क्यों नहीं किया गया?

(3) क्या यह सही है कि सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के लिए वर्तमान सड़क के मध्य को केन्द्र बिन्दु मानकर दोनों तरफ से बराबर-बराबर जमीन ली जाती है? यदि हां, तो विजयबाड़ी पथ नं.-7 के वाशिन्दों के साथ यह भेदभाव क्यों किया गया जिसके कारण से नागरिकों को न्यायालय की शरण में जाना पड़ा एवं कार्य की गति पर रोक लग गई और नागरिकों को बेवजह मानसिक अवसाद झेलना पड़ रहा है? क्या उक्त का विरोध करने पर जयपुर विकास प्राधिकरण उपायुक्त के नेतृत्व में लोगों की पिटाई की गई? यदि हां, तो उक्त दोषी अधिकारी/ कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी?

(4) क्या जिनके निर्मित भू-खण्ड बढ़ाई गई सड़क सीमा में आ रहे हैं, उनकी सड़क की चौड़ाई कम करने एवं उनके निर्मित मकान के पट्टे देने का जयपुर विकास प्राधिकरण विचार रखता है? क्या कुछ लोगों ने नियमन शुल्क की सम्पूर्ण राशि प्राधिकरण में जमा करा रखी है? क्या जोन बी-3 में पथ नं.-7 की सड़क को चालीस फीट किया जा चुका है? यदि हां, तो उनके पट्टे क्यों नहीं दिए जा रहे हैं?

(5) क्या यह सही है कि जोन बी-3 में पथ नं.-7 की चौड़ाई 40 फीट की गई है? क्या वह जीरो सैट-बैक पर है? क्या उक्त सड़क पर दुकानें एवं व्यावसायिक गतिविधियां चलाने का प्रावधान है? यदि नहीं, तो क्या जो लोग वर्तमान में दुकानें बना रहे हैं उनके विरुद्ध प्राधिकरण कार्यवाही करने का विचार रखता है? यदि हां, तो कब तक?

(6) क्या यह सही है कि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जो सड़क चौड़ी की जा रही है उसमें भेदभाव किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? क्या यह सही है कि सड़क को केन्द्र बिन्दु मानते हुए भी दोनों तरफ से समान जमीन नहीं ली जा रही है? उक्त क्षेत्र में किन-किन मकानों से कितनी-कितनी जमीन ली जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में मास्टर प्लान व सेक्टर प्लान में मुख्य सड़क की चौड़ाई निर्धारित की गई है व इन सड़कों के साथ व आसपास रिहायशी कालोनियों का सृजन किया गया है परन्तु मौके पर कुछ गृह निर्माण सहकारी समितियों ने मास्टर प्लान/सैक्टर प्लान की सड़कों के अन्दर भू–खण्डों का सृजन कर दिया है, व पट्टेधारी ने भी इन सड़कों पर अतिक्रमण कर रखा है। इन सड़कों में स्थित कालोनियों को अनुमोदित करते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाता है कि यथा सम्भव मास्टर प्लान रोड व सैक्टर रोड की चौड़ाई रखी जावें, परन्तु राज्य सरकार की नीति के अनुसार अगर ऐसी सड़कों पर अत्यधिक निर्माण हो चुका है तथा मौके की स्थिति के अनुसार इन सड़कों की चौड़ाई कम करने के लिये आवश्यकतानुसार भवन मानचित्र समिति (ले–आउट प्लान) द्वारा विचार किया जा सकता है। जोन बी–3 में किसी भी आवासीय कालोनी की सड़क को मास्टर प्लान व सैक्टर प्लान में दर्शाई गई चौड़ाई से अधिक चौड़ा करने का निर्णय नहीं लिया गया है। बल्कि लोगों को राहत पहुंचाने के लिये सड़कों की चौड़ाई मास्टर प्लान/सैक्टर प्लान से कम करने का निर्णय लिया गया है। इसी कड़ी में सीकर रोड को बन्धु नगर होती हुई योजना 16–जी तक जोड़ने वाली सड़कों को 100 फीट से घटाकर 60 फीट, पथ नं.–7 को सीकर रोड से ट्राइजेक्शन तक 80 फीट से घटाकर 40 फीट व मुरलीपुरा रोड को 200 फीट रोड से घटाकर 130 फीट किया गया है। अत: इससे स्पष्ट है कि सड़क की चौड़ाई ज्यादा करने की बजाए लोगों को राहत देने के लिये मौके की स्थिति के अनुसार कम की गई है। (परिशिष्ट ''अ'')

(2) सैक्टर प्लान अनुसार सड़क की चौड़ाई कायम करने हेतु सर्वप्रथम अतिक्रमण को चिन्हित किया जाता है तथा इसके पश्चात् उसे अतिक्रमण हटाने के लिये समय दिया जाता है व यदि उसके बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाता है तो उसे धारा 72 जे.डी.ए. एक्ट का नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने हेतु पाबन्द किया जाता है। जोन बी–3 की योजना बन्धु नगर एवं विजयबाड़ी पथ नं.–7 के वाशिन्दों की प्रार्थना पत्रों पर सड़क की चौड़ाई आपसी सहमति के आधार पर 100 फीट से 60 फीट व 80 फीट से 40 फीट की गई थी व वाशिन्दों द्वारा आश्वासन दिया गया था कि वे इन दोनों सड़कों को मौके पर संशोधित प्लान के अनुसार सड़क उपलब्ध करवा देंगे। अपने इस आश्वासन की क्रियान्विति में अधिकतर लोगों ने स्वेच्छा से जोन अधिकारियों द्वारा लगाये गये निशानों के अनुसार अतिक्रमण हटा लिये हैं व जिन लोगों ने अतिक्रमण नहीं हटाया है उन्हें स्वेच्छा से दिये गये समय के बाद धारा 72 जे.डी.ए. एक्ट का नोटिस देकर अतिक्रमण हटाने हेतु पाबन्द किया गया है इन नोटिसों की पालना हेतु कार्यवाही जारी है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(3) सड़क की चौड़ाई बढ़ाने के लिये वर्तमान सड़क के केन्द्र बिन्दु के अलावा वाशिन्दों द्वारा रोड बाउण्डरी पर किये गये अतिक्रमण व रोड अलाइंमेंट का भी ध्यान रखा जाता है व इन तीनों बिन्दुओं के अनुसार ही सड़क की चौड़ाई बढ़ाने हेतु निशानात लगाये जाते हैं। विजयबाड़ी पथ नं.-7 में भी यही प्रक्रिया अपनाई गई है व निशान लगाने हेतु सड़क के मध्य बिन्दु के अलावा इस पर स्थित भू-खण्डधारियों द्वारा किये गये अतिक्रमण व रोड अलाइंमेंट को ध्यान में रखकर निशानात लगाये गए हैं व इन निशानों की पालना में लगभग लोगों ने अपने अतिक्रमण स्वेच्छा से हटाकर मौके पर 40 फीट रोड उपलब्ध करवा दी है। इस प्रक्रिया में किसी के साथ भी भेदभाव नहीं बरता गया है व कुछ गिने चुने लोग जिन्होंने न्यायालय के अन्दर अपील प्रस्तुत की थी, उन्होंने भी मौके पर निशानात के अनुसार अपना अतिक्रमण हटा लिया है। जोन द्वारा पथ नं.-7 पर आज दिनांक तक कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है व समस्त कार्यवाही वाशिन्दों द्वारा स्वेच्छा से ही की गई है। अत: यह बिन्दु इस बात का प्रमाण है कि इस कार्यवाही में किसी के साथ में भेदभाव नहीं किया गया है। यह भी सही नहीं है कि लोगों का कोई विरोध है व इस विरोध के कारण जयपुर विकास प्राधिकरण उपायुक्त के नेतृत्व में लोगों की पिटाई की गई हो, सच्चाई तो यह है कि आज दिनांक तक जोन स्तर पर अतिक्रमण हटाने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की है व समस्त कार्यवाही लोगों द्वारा स्वेच्छा से की गई है एवं विरोध व मारपीट संबंधी कोई घटना नहीं घटी है। ऐसी स्थिति में न तो कोई दोषी है व ना ही दोषी अधिकारी/ कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न पैदा होता है।

(4) यह सही है कि जोन बी-3 में स्थित पथ नं.-7 की चौड़ाई बीपीसी ले-आउट प्लान कमेटी द्वारा 80 फीट से घटाकर 40 फीट किया जा चुका है व जिन लोगों ने मौके पर 40 फीट भूमि उपलब्ध करवा दी है, उन्हें दिनांक 23.8.2002 को कैम्प लगाकर पट्टा दिया जा चुका है। जिन लोगों ने नियमन शुल्क जमा करवा रखा है व मौके पर निशानात के अनुसार अपना अतिक्रमण हटा लिया है उन सभी लोगों को पट्टा दिया जा चुका है।

(5) जोन बी-3 में पथ नं.-7 की चौड़ाई सेक्टर प्लान के अनुसार 80 फीट थी परन्तु निर्माण होने के कारण यह सड़क मौके पर लगभग 25 फीट ही उपलब्ध थी। स्थानीय वाशिन्दों के प्रार्थना पत्र पर बीपीसी ले-आउट प्लान द्वारा इस सड़क की चौड़ाई 80 फीट से घटाकर 40 फीट कर दिया गया है, तथा लोगों के निर्माण हेतु जीरो सैट बैक की सुविधा दी गई है। यह निर्णय स्थानीय लोगों के इस आश्वासन के बाद लिया गया था कि वे स्वेच्छा से मौके पर 40 फीट उपलब्ध करवा देंगे। मास्टर प्लान 2011 में इस सड़क में स्थित कालोनियों का भू-उपयोग आवासीय दर्ज

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

है। अतः व्यावसायिक गतिवधियां चलाने का कोई प्रावधान नहीं है। इस सड़क पर पूर्व में दुकानें बनी हुई थी व लोगों ने सड़क की नई चौड़ाई के अनुसार अपना अतिक्रमण हटाकर मौके पर 40 फीट रोड उपलब्ध करवाई है। पूर्व में बनी दुकानों में आज भी व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं व नई दुकानों का निर्माण रोकने की कार्यवाही ज़ोन द्वारा की गई है। इस सड़क पर जीरो सैट बैक पर निर्माण करने का प्रावधान किया गया है। अतः इन निर्माणों में नई दुकानें नहीं बने इसके लिए जोन स्तर पर कार्यवाही की जा रही हैं।

(6) यह सही नहीं है। ज.वि.प्रा. द्वारा जो सड़क चौड़ी की जा रही है। उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा रहा है। सीकर रोड को बन्धु नगर से होती हुई 16–जी योजना को जोड़ने वाली सड़क को 100 फीट से 60 फीट किया गया व सभी लोगों को स्वेच्छा से मौके पर जोन बी–3 द्वारा लगाये गये निशानात के अनुसार 60 फीट उपलब्ध करवा दी है। इसी प्रकार पथ नं.–7 के 90 प्रतिशत लोगों ने मौके पर स्वइच्छा से 40 फीट उपलब्ध करवा दी है। इन दोनों कार्यवाहियों में ज.वि.प्रा. द्वारा आज दिनांक तक कोई भी फोर्स का उपयोग नहीं किया गया है व लोगों ने समस्त कार्यवाही अपनी स्वेच्छा से की है। यह दोनों बिन्दु इस बात का प्रमाण है कि सड़क पर अतिक्रमण हटाने में ज.वि.प्रा. द्वारा कोई भेदभाव नहीं बरता गया है। बल्कि सभी लोगों ने ज.वि.प्रा. द्वारा जो कार्यवाही की जा रही है उसकी सराहना की है। सड़क चौड़ा करने की केन्द्र बिन्दु के अलावा इस पर स्थित भू-खण्डधारियों द्वारा किया गया कब्जा व रोड अलाइंमेंट को ध्यान में रखते हुए निशानात लगाये गये थे व इन निशानों के अनुसार लोगों ने मौके पर रोड उपलब्ध करवा दी है। संलग्न सूची परिशिष्ट "अ" के अनुसार सड़क से अतिक्रमण हटाया गया है। हटाने की कार्यवाही जारी है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)

सिन्धु नगर, जयपुर के भू-खण्डों का सर्वे

27. श्री नानूराम ककरालिया (फुलेरा): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सीकर रोड पर सिन्धु नगर, स्कीम नं.–16 मुरलीपुरा, जयपुर के भू–खण्डों का सर्वे कराया गया है? यदि हां, तो सर्वे किये गये भू-खण्डों का विवरण एवं सिन्धु नगर, स्कीम नं.–16 की कालोनी के नक्शे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) सिन्धु नगर, स्कीम नं.–16 मुरलीपुरा में पुराने नक्शे के अनुसार एवं नये नक्शे के अनुसार कौन–कौन भू–खण्डधारी बसे हुए हैं? व्यक्तियों के नाम मय प्लाट एरिया व संख्या सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री नानूराम ककरालिया)

(3) उक्त कालोनी में सर्वे के हिसाब से कौन-कौनसा भू-खण्ड कितनी-कितनी नाप का है? उक्त कालोनी का अब तक नियमन नहीं किये जाने के क्या कारण हैं तथा उक्त में क्या विवाद है और उक्त विवादों का निपटारा कब तक कर दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) अब उक्त कालोनी का नियमन कब तक कर दिया जावेगा? सर्वे अनुसार प्रस्तावित नये नक्शों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जोन बी-3 द्वारा सिन्धु नगर गृ.नि.स.स. की योजना नं.-16 मुरलीपुरा का कार्य विचाराधीन है। सर्वे बाबत कार्यवाही की जा रही है। भू-खण्डों का विवरण एवं कालोनी के नक्शों की प्रति सर्वे का कार्य पूर्ण होने के पश्चात् तथा मानचित्र अनुमोदित होने के पश्चात् ही दिया जाना सम्भव होगा।

(2) उक्त नई सर्वे रिपोर्ट आने के पश्चात् ही उत्तर दिया जाना सम्भव है।

(3) भू-खण्डों की माप सर्वे पूर्ण होने के पश्चात् ही दिया जाना सम्भव होगा। उक्त कालोनी का नियमन नये नक्शे व पुराने नक्शे में विवाद होने के कारण नहीं किया गया है। परन्तु संकल्प नियमन अभियान में इस विवाद को सुलझाये जाने के लिये जोन द्वारा सर्वे करवाया जा रहा है। जो शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगा।

(4) इस कालोनी का नियमन संकल्प नियमन अभियान 2002 के दौरान किया जाना प्रस्तावित है। नियमन प्रक्रिया के तहत योजना को सर्वे हेतु दिया जा चुका है। सर्वे मिलने के पश्चात् योजना अनुमोदित हेतु ज.वि.प्रा. बीपीसी ले-आउट प्लान कमेटी के समक्ष प्रस्तुत कर दी जावेगी।

मोती भवन निर्माण सहकारी समिति, जयपुर की मुरलीपुरा स्कीम में अनियमितता

28. श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) एवं **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (बड़ी सादड़ी): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या मोती भवन निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, जयपुर द्वारा योजना संख्या 4-ई (ब्लाक-ई) मुरलीपुरा, जयपुर में आवासीय कालोनी के पट्टे जारी किये गये थे? यदि हां, तो किन-किन को? मानचित्र में छोड़ी गई सड़क की लंम्बाई व चौड़ाई सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त योजना को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा नियमित किये जाने बाबत कोई कैम्प रखा गया है? यदि हां, तो कब-कब? वर्तमान में उक्त की क्या स्थिति है? उक्त सोसायटी द्वारा प्राधिकरण को प्रस्तुत मानचित्र मय स्कीम के सदन की मेज पर रखें।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

(3) क्या यह सही है कि पट्टे धारकों को सोसायटी द्वारा मानचित्र प्लाट सं.–38 एवं 39 के साइड में सड़क की चौड़ाई 30 फीट दर्शाई गई थी? मौके पर 25 फीट ही है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि उक्त सोसायटी ने प्लाट संख्या–39 के सामने 25 फीट चौड़ी एवं प्लाट संख्या–40 के सामने 30 फीट चौड़ी सड़क मानचित्र में दर्शाई है? उक्त भिन्नता के क्या कारण हैं?

(5) क्या सरकार प्रश्न के भाग (3) व (4) के क्रम में सोसायटी द्वारा पट्टेधारियों के साथ की गई अनियमितता की जांच कर उसके विरुद्ध कार्यवाही कर पट्टेधारियों को राहत दिलाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(6) अब सरकार गलत दर्शाये गये सड़क मार्ग के नुकसान की भरपाई हेतु क्या कार्यवाही करने जा रही है?

उत्तर

(1) मोती भवन गृह नि.स.स. द्वारा 4-ई ब्लाक-ई मुरलीपुरा, जयपुर नाम से कोई भी आवासीय कालोनी की पत्रावली जोन कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है व ना ही इस नाम की किसी योजना को अनुमोदन किया गया है। परन्तु मोती भवन गृ.नि.स.स. द्वारा 4-ई ब्लाक बी (आर्य नगर) के नाम से एक आवासीय योजना प्रस्तुत की गई। इस आवासीय योजना हेतु गृ.नि.स.स. द्वारा पट्टे जारी किए गए हैं। समिति द्वारा प्रस्तुत सदस्य सूची संलग्न है। (परिशिष्ट "अ") समिति ने प्रस्तुत मानचित्र में सभी आंतरिक सड़कें 30 फीट छोड़ी हैं।

(2) इस योजना को नियमन कैम्प दिनांक 1.3.2002 को लगाया जाकर आबंटियों को पट्टे जारी कर दिये गए। अब तक कुल अनुमोदित 161 भू-खण्डों में से 82 भू-खण्डों के पट्टे जारी कर दिये गये। जिन आबंटियों को पट्टे जारी किए गए हैं, उनकी सूची संलग्न है।

(परिशिष्ट "ब") इस योजना की सभी आंतरिक सड़कों को 30 फीट चौड़ाई में अनुमोदित किया गया है।

(परिशिष्ट "स") वर्तमान में यह योजना जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित योजना है।

(परिशिष्ट "द") व शेष रहे आबंटियों को उनके प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर जयपुर विकास प्राधिकरण के पट्टे दिये जा रहे हैं। नक्शों की 15-15 प्रतियां संलग्न है।

(3) जी नहीं। इस योजना के अन्दर गृ.नि.स.स. ने सभी सड़कों की चौड़ाई 30 फीट दर्शाई है व मौके पर सड़कें 28 से 30 फीट के बीच उपलब्ध हैं। भू-खण्ड संख्या-38 व 39 के सामने की

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

सड़क भी 30 फीट दर्शाई गई है जो मौके पर 29 फीट के आसपास उपलब्ध है।

(4) जी नहीं। उक्त दोनों भू-खण्डों के सामने सड़क चौड़ाई सोसायटी द्वारा प्रस्तुत मानचित्र के अनुसार 30 फीट ही दिखाई गई है।

(5) प्रश्न संख्या-3 व 4 के उत्तर से स्पष्ट है कि सोसायटी द्वारा अपने सदस्यों के साथ सड़क की चौड़ाई को लेकर कोई अनियमितता नहीं बरती गई। इस प्रकार सदस्यों को राहत देने सम्बन्धी कोई शिकायती प्रार्थना पत्र जोन कार्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है व ना ही उपलब्ध रिकार्ड से ऐसा कोई प्रकरण जाहिर होता है।

(6) आवासीय योजनाओं में सड़कों का क्षेत्र सुविधा क्षेत्र का भाग माना जाता है व इस योजना के अनुमोदन से पूर्व आवासीय व सुविधा क्षेत्र का अनुपात सामान्यतया 60:40 रखा जाता है। सड़क क्षेत्र का इस 40 प्रतिशत क्षेत्र का भाग होता है। योजना के अनुमोदन के समय सड़क चौड़ाई निर्धारित मापदण्ड के अनुसार के पश्चात् ही योजना को अनुमोदित किया जाता है व इस प्रक्रिया में भू-खण्डों की साइज कम होती है तो इसका मुआवजा देने या गृ.नि.स.स. मुआवजा वसूल करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नगर निगम क्षेत्र, जयपुर के खुले नाले एवं मैन हाल

29. श्री कन्हैया लाल (बस्सी): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1999 से जुलाई, 2002 तक जिला जयपुर में नगर निगम की लापरवाही के चलते आम नागरिकों के खुले नालों में बहने, गटर लाइनों, मैन हाल्स में दम घुट कर मरने, कुत्ते/सूअर के काटने से कितनी दुर्घटनाएं या मौतें हुई हैं? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार सभी खुले नालों, गट्टर लाइनों, मैन हाल्स व आवारा कुत्तों, सूअरों से शहरवासियों को राहत प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि अधिकांश सूअर पालक नगर निगम की सफाई कार्मिक होने से आवारा घूमते सूअरों पर नियंत्रण पाने में सरकार सक्षम नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 1999 से जुलाई, 2002 के दौरान आम नागरिकों के खुले नाले में बहने, गट्टर लाइन, मैन हाल में दम घुटने से मरने की दुर्घटना नगर निगम की लापरवाही से नहीं हुई। कुत्तों व सुअरों के काटने से हुई दुर्घटनाओं व मौतों का निगम में कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है।

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(2) जी हां। नगर निगम के क्षेत्राधिकार में प्राथमिकता एवं संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर शहरवासियों की उक्त समस्याओं के निराकरण के प्रयास किये जा रहे हैं यथा :-

1. मार्च, 2002 से जयसिंहपुराखोर में श्वान बधियाकरण केन्द्र स्थापित किया गया है।
2. निगम द्वारा आवारा सुअरों के लिए हिंगोनियां तहसील बस्सी में सुअरबाड़ा का करीब 50 लाख रु. की लागत से निर्माण की कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी नहीं।

जिला बाड़मेर एवं जैसलमेर में प्रस्तावित नल कूप

30. श्री अमीन खान (शिव) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में इस वर्ष भयंकर अकाल में कितने परीक्षण नलकूप खुदाने का सरकार विचार रखती है?

(2) क्या यह सही है कि सीमावर्ती जिला बाड़मेर व जैसलमेर में पूर्व में उक्त सम्बन्ध में सर्वे किया गया है? क्या उस वक्त सड़कों के अभाव में सही सर्वे नहीं हुआ?

(3) क्या सरकार उक्त जिलों में विस्तृत सर्वे कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) इस वर्ष भू-जल विभाग द्वारा संचालित भू-जल के सर्वेक्षण कार्य हेतु कोई परीक्षण नलकूप खुदवाने का प्रावधान नहीं है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के द्वारा संचालित विभिन्न पेयजल योजनाओं के लिए क्षेत्र विशेष में आवश्यकता एवं धनराशि की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए परीक्षण नलकूप खुदवाये जा सकते हैं।

(2) जी हां। जिला बाड़मेर व जैसलमेर में विस्तृत भू-जल सर्वेक्षण वर्ष 1976 से 1985 के मध्य किया गया था। उस समय जिले के सीमावर्ती रेगिस्तानी क्षेत्रों में अन्वेषण कार्यक्रमों के अन्तर्गत पावर पम्प व नलकूप खोदने हेतु विभाग की मशीनों को पहुंचाने के साधन एवं सड़कें उपलब्ध नहीं थी। इस कारण उक्त वर्षों के दौरान इन क्षेत्रों में अन्वेषण कार्य सम्पन्न नहीं किया जा सका परन्तु इस कमी को बाद के वर्षों में कृषि विकास परियोजना (A.D.P.) के अन्तर्गत पूर्ण किया गया। इस योजनान्तर्गत वर्ष 1992 से 1997 की अवधि में जिला बाड़मेर में 33 व जिला जैसलमेर में 30 परीक्षण नलकूपों एवं पीजोमीटर का निर्माण किया गया।

(3) भू-जल विभाग द्वारा जिला बाड़मेर व जैसलमेर में विस्तृत सर्वे कार्य

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

क्रमश: वर्ष 1976-77 व 1978-79 में शुरू किया गया था जो क्रमश: 1982-83 व 1984-85 में पूर्ण हुआ। उक्त जिलों में कृषि विकास परियोजना (A.D.P.) के अन्तर्गत पुन: डिटेल सर्वे 1992 में आरम्भ कर वर्ष 1998 में पूर्ण किया गया। इस प्रकार इन जिलों में विस्तृत सर्वे का कार्य शेष नहीं है। विस्तृत सर्वे की कुछ सूचनाओं का प्रत्येक वर्ष वर्षा पूर्व व वर्षा उपरान्त नवीन भू-जल आंकडों का समावेश किया जाता है एवं प्रत्येक तीन वर्ष पश्चात् भारत सरकार की भू-जल आकलन समिति के निर्देशानुसार भू-जल उपलब्धता का नवीन आकलन किया जाता है। इसी क्रम में अन्तिम भू-जल आकलन वर्ष 1.1.2001 की स्थिति के अनुसार विभाग द्वारा पूर्ण किया जा चुका है।

विधान सभा क्षेत्र खारची में फुलाद बांध से पेयजलापूर्ति

31. **श्री केसाराम चौधरी** (खारची): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र खारची में सरकार द्वारा फुलाद बांध से 27 फ्लोराइड युक्त एवं खारे पानी वाले गांवों को पानी उपलब्ध करवाने हेतु परियोजना तैयार की गई? यदि हां, तो परियोजना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त परियोजना सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाई गई? यदि हां, तो वर्तमान में किस स्तर पर क्यों विचाराधीन है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त परियोजना को स्वीकृत कर फ्लोराइड युक्त पानी वाले गांवों को राहत पहुंचाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। फुलाद बांध से एक क्षेत्रीय जल प्रदाय योजना फुलाद राणावास आउवा फ्लोराइड युक्त एवं अत्यधिक खारे पानी वाले गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिये तैयार की गई है। उक्त परियोजना पर करवाये जाने वाले कार्य उन पर किया जाने वाला सम्भावित व्यय, तथा लाभांवित होने वाले गांवों का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। इस सम्बन्ध में लेख है कि उक्त परियोजना में 27 फ्लोराइड व खारे पानी से युक्त ग्रामों के स्थान पर 25 ग्रामों को लाभान्वित करने का प्रावधान है।

(2) जी हां। उक्त परियोजना स्वीकृति हेतु सक्षम बोर्ड कार्यालय में प्रस्तुत की गई जहां विभागीय प्रक्रिया के अनुसार योजना का तकनीकी परीक्षण करने के उपरान्त 640.71 लाख की वित्त समिति ने प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत निर्णय हेतु माह अगस्त, 2002 में नीति निर्धारण समिति को सम्प्रेषित की है।

(3) योजना के तकनीकी परीक्षण एवं

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

बजट उपलब्धि के अनुसार योजना की स्वीकृति जारी की जाना सम्भव होगा। यहां यह उल्लिखित है कि योजना का कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व फुलाद बांध में 66 एम.सी.एफ.टी. पानी पेयजल हेतु आरक्षित होना आवश्यक है जिनके लिये विभाग द्वारा माह जून, 2002 में सिंचाई विभाग को अनुरोध किया जा चुका है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

हिण्डौन उप खण्ड में सबमर्सिबल पम्प सैटों की मरम्मत हेतु अनुबन्ध

32. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सबमर्सिबल पम्प सैटों की मरम्मत अनुबन्ध पर कराई जाती है? यदि हां, तो वर्ष 2001-2002 में अधीक्षण अभियन्ता, सवाईमाधोपुर द्वारा न्यूनतम दरों के आधार पर किस-किस फर्म को कब-कब, कितनी-कितनी वित्तीय सीमा तक के कार्यादेश जारी किए थे? फर्मों के साथ अनुबन्ध व कार्यादेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वार्षिक दर अनुबन्धों में उप खण्डीय स्तर पर सबमर्सिबल पम्प सैटों की मरम्मत की अलग-अलग दरें अनुमोदित की गई हैं? यदि हां, तो एक ही पार्ट्स की अलग-अलग उप खण्डों में अलग-अलग दरें क्यों हैं?

(3) क्या यह भी सही है कि वृत्त कार्यालय, सवाईमाधोपुर द्वारा दिसम्बर, 2001 में हिण्डौन खण्ड के पम्प सैटों की मरम्मत हेतु तीन फर्मों के साथ अनुबन्ध कर वित्तीय सीमानुसार कार्यादेश जारी किये गये थे? यदि हां, तो वित्तीय सीमा के मुकाबले किस-किस फर्म ने कितना-कितना कार्य अब तक किया है?

(4) क्या यह भी सही है कि मैसर्स शिव इलैक्ट्रिकल्स, हिण्डौन को हिण्डौन उप खण्ड हेतु वित्तीय सीमा चार लाख रुपये तक का कार्यादेश दिसम्बर, 2001 में दिया गया था? यदि हां, तो उक्त फर्म से अब तक कितना कार्य कराया गया है, यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि मैसर्स शिव इलैक्ट्रिकल्स, हिण्डौन को हिण्डौन उप खण्ड की चार लाख की वित्तीय सीमा के तहत कोई कार्य नहीं दिया गया, जबकि मैसर्स हरज्ञान इलैक्ट्रिक वर्क्स, हिण्डौन से तीन लाख की वित्तीय सीमा पूर्ण होने के बाद भी वित्तीय सीमा डेढ़ लाख अतिरिक्त बढ़ाई जाकर कार्य कराया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2001-2002 में अधीक्षण अभियन्ता वृत सवाईमाधोपुर द्वारा सबमर्सिबल पम्प सैटों की मरम्मत हेतु न्यूनतम दरों के आधार पर विभिन्न फर्मों को

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

कार्य आदेश जारी किये गये थे। कार्य आदेश की सूची तथा फर्मों के साथ किये गये अनुबन्ध की छाया प्रति परिशिष्ट–''अ'' पर संलग्न है।

(2) जी हां। वार्षिक दर अनुबन्धों के अन्तर्गत आमंत्रित निविदाओं में प्रतिस्पर्धा न्यूनतम दरें अलग–अलग उप खण्डवार प्राप्त हुई जो कि विगत वर्षों में प्राप्त दरों से अत्यधिक कम थी। अत: दरें न्यूनतम दरदाता के हक में प्राप्त दरों के अनुरूप ही अलग–अलग स्वीकृत की गई हैं। उप खण्डवार प्राप्त न्यूनतम दरों में अत्यन्त अन्तर है जो कि खुली निविदाएं आमंत्रित किये जाने के कारण स्वाभाविक है।

(3) जी नहीं। हिण्डौन खण्ड के सन्दर्भ में कुल 7 अनुबन्ध हुए थे जो विभिन्न 4 फर्मों के नाम थे। इन 4 फर्मों की अनुबन्धवार वित्तीय सीमा व आदेशित कार्य का विवरण परिशिष्ट–ब पर संलग्न है।

(4) जी हां। मैसर्स शिव इलैक्ट्रिकल्स, हिण्डौन सिटी को हिण्डौन उप खण्ड के सबमर्सिबल पम्पिंग सैटों की मरम्मत हेतु माह दिसम्बर, 2001 में वित्तीय सीमा राशि रुपये 4.00 लाख का कार्यादेश जारी किया गया था। अभी तक फर्म में कोई कार्य नहीं कराया गया है। कनिष्ठ अभियन्ताओं से जानकारी प्राप्त करने पर उन्होंने अवगत कराया की फर्म 9 पम्प सैटों का रिपेयर का भुगतान मांग रही थी। परन्तु फर्म का कोई भुगतान बकाया नहीं था। इसी क्रम में 26.7.2002 को अधिशासी अभियन्ता खण्ड हिण्डौन कार्यालय में हुई समझौता वार्ता के दौरान फर्म ने यह स्वीकार किया कि विभाग की ओर फर्म का कोई भुगतान बकाया नहीं है। फर्म को इस संबंध में लिखित में देने हेतु कहा गया। परन्तु फर्म द्वारा लिखकर नहीं देने के कारण अधिशासी अभियन्ता ने अपने पत्र क्रमांक 2685–87 दिनांक 31.7.2002 को फर्म को इसके लिए सूचित किया गया। प्रति संलग्न है। दिनांक 7.8.2002 को कनिष्ठ अभियन्ताओं एवं सहायक अभियन्ता के साथ फर्म से दुबारा वार्ता की गई एवं कनिष्ठ अभियन्ताओं को निर्देशित किया कि भविष्य में सभी मरम्मत योग्य पम्पसैट खण्डीय भण्डार में जमा कराएंगे एवं खण्ड कार्यालय से फर्म को रिपेयर हेतु दिये जाएंगे।

(5) जी हां। बिन्दु संख्या–4 के उत्तर के अनुरूप मैसर्स शिव इलैक्ट्रिकल्स, हिण्डौन सिटी एवं विभाग के मध्य पुराने पम्प सैटों के भुगतान संबंधी विवाद होने के कारण उक्त फर्म को पम्प सैट रिपेयर कार्य नहीं दिया गया। हिण्डौन उप खण्ड के अधीन पेयजल योजनाओं को सुचारू रूप से संचालन हेतु मैसर्स हरज्ञान इलैक्ट्रिकल्स वर्क्स, हिण्डौन सिटी की वित्तीय सीमा बढ़वाकर पम्प सैटों की रिपेयर का कार्य करवाया गया।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

चौकड़ी रामचन्द्र खवासजी का रास्ता, जयपुर में अपर्याप्त पेयजलापूर्ति

33. श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि चौकड़ी रामचन्द्र, खवासजी का रास्ता, जयपुर स्थित गणेश मंदिर के आसपास के क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति कम दबाव से की जा रही है?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में अधिक दबाव से पानी देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या उक्त क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति हेतु एक ट्यूब वैल लगा हुआ है? उक्त क्षेत्र में किसके द्वारा पानी वितरित किया जाता है?

(4) क्या उक्त ट्यूब वैल से दो-तीन दिन में एक बार पानी दिया जाता है? क्या सरकार उक्त क्षेत्र में प्रतिदिन पेयजल आपूर्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रश्न में वर्णित क्षेत्र में पेयजल वितरण का मुख्य स्रोत रामगढ़ बांध रहा है जिससे इस क्षेत्र की मुख्य एवं वितरण पाइप लाइनें अभिकल्पित की हुई है। विगत कई वर्षों से अल्पवृष्टि होने के कारण रामगढ़ बांध में पेयजलापूर्ति हेतु आवश्यक मात्रा नगण्य होने के कारण वर्णित क्षेत्र में वैकल्पिक स्रोतों से पेयजल वितरण किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त चौकड़ी रामचन्द्र के उक्त क्षेत्र में एक नलकूप से भी नियमित पेयजल वितरण किया जा रहा है। इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति जहां पर कुछ क्षेत्र सिंचाई में एवं कुछ क्षेत्र टिब्बों पर बने हुए हैं, में वर्तमान में 100 से 120 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन स्थान/भौगोलिक स्थिति के अनुसार हो रहा है जो विशेष परिस्थितियों के कारण जयपुर शहर के अन्य स्थानों पर वितरित हो रहे औसत पेयजल वितरण स्तर से कुछ कम है तथापि न्यूनतम आवश्यकता के लिए पर्याप्त है। चौकड़ी रामचन्द्र क्षेत्र (वार्ड संख्या-50, 56, व 57) में उक्त व्यवस्था के अतिरिक्त 58 हैण्ड पम्प भी वर्तमान में कार्यरत हैं।

(2) वर्तमान में सामान्य वर्षा के अभाव में रामगढ़ बांध जो कि इस क्षेत्र का मुख्य जल स्रोत है में पानी का भराव न होने के कारण इस क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था वैकल्पिक जल स्रोत एवं स्थानीय स्रोत से की गई है। अत: पेयजल वितरण में बढ़ोतरी होने की वर्तमान में सम्भावना कम है।

(3) जी हां। बिन्दु संख्या-1 के उत्तर के अनुसार उक्त क्षेत्र में अन्य वैकल्पिक व्यवस्था के साथ-साथ उक्त क्षेत्र में बने नलकूप से नियमित पेयजल वितरण किया जा रहा है।

(4) जी नहीं। बिन्दु संख्या-1 के उत्तर के अनुसार।

राजीव गांधी मिशन योजना में विधान सभा क्षेत्र बस्सी में पेयजलापूर्ति

34. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) **: क्या** जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी की पंचायत समिति, बस्सी एवं चाकसू में राजीव गांधी ग्राम स्तरीय वाटर एण्ड सेनीटेशन कमेटी द्वारा कौन-कौनसी पंचायत में कौन-कौनसे पेयजल आपूर्ति के कार्य करवाये गये? पूर्ण/अपूर्ण कार्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बाबत सरकार को अब तक विधान सभा क्षेत्र बस्सी से कुल कितने प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त प्रस्तावों पर कार्यवाही कर पेयजल समस्या का समाधान कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी की पंचायत समिति, चाकसू में राजीव गांधी ग्राम स्तरीय वाटर एण्ड सेनीटेशन कमेटी की 34 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। जिसमें से 9 योजनाओं पर भौतिक रूप से कार्य प्रारम्भ हो गया है। इन 9 योजनाओं पर पूर्ण/अपूर्ण कार्यों की सूची परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) प्रश्न संख्या-1 में वर्णित योजनाओं के अतिरिक्त 24 प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्राप्त हो चुके हैं। जिनकी सूची परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(3) जी हां। प्राप्त प्रस्तावों पर जिला स्तरीय वाटर एण्ड सेनीटेशन कमेटी एवं गवर्निंग बाडी की बैठक में स्वीकृति के सन्दर्भ में आवश्यक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

मृतक वाहन चालक राज्यकर्मी के आश्रितों को नियुक्ति

35. श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान जलग्रहण विकास निगम लिमिटेड में वाहन चालक के पद पर कार्यरत श्री रामसिंह की मृत्यु कार्य के दौरान हो गई थी? क्या उक्त के आश्रित को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने का आवेदन प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो कब?

(2) क्या उक्त को नियुक्ति दे दी गई है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों? अब उक्त को कब तक नियुक्ति दे दी जावेगी और नियुक्ति दिये जाने में विलम्ब के लिए कौन-कौन दोषी हैं तथा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

उत्तर

(1) जी, हां। यह सही है कि राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड में वाहन चालक के पद पर कार्यरत श्री रामसिंह की दिनांक 13.1.2000 को मृत्यु, सेवा में रहते हुए हुई थी। जी, हां दिनांक 17.2.2000 को आश्रित को अनुकम्पात्मक नियुक्ति दिये जाने का आवेदन प्राप्त हुआ है।

(2) जी, नहीं। उक्त को अनुकम्पात्मक नियुक्ति निगम के संचालक मण्डल की 67वीं बैठक दिनांक 26.6.2000 को बिन्दु संख्या 67.04 में लिये गये निर्णय की अनुपालना में नहीं दी गयी है। संचालक मण्डल की 67वीं बैठक दिनांक 26.6.2000 में बिन्दु संख्या 67.04 में लिये निर्णय "निगम में मृत कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति दिये जाने के संबंध में कोई नियम नहीं है। चूंकि निगम के अधिशेष कर्मचारी भी है, अत: मृत कर्मचारी के आश्रित को नियुक्ति दिये जाने के प्रकरण को संचालक मण्डल द्वारा संबंधित कर्मचारी का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया।" संचालक मण्डल की 67वीं बैठक दिनांक 26.6.2000 में लिये गये निर्णय की अनुपालना में कर्मचारी के आश्रित को नियुक्ति दिये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कर्मचारी के आश्रित को नियुक्ति नहीं दिये जाने का निर्णय संचालक मण्डल द्वारा लिया गया है अत: इस संबंध में कोई दोषी नहीं है इसके अतिरिक्त निगम में कोई पद रिक्त नहीं है।

जिला नागौर में भू-जल के पुनर्भरण हेतु कार्य योजना

36. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि भू-जल का स्तर दिन-प्रतिदिन नीचे जा रहा है? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या-क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा सर्वे करके इस बात का पता लगाया जा रहा है कि कितने समय में कितना भू-जल नीचे जा रहा है? यदि हां, तो जिला नागौर में गत कितने समय में भू-जल कितना नीचे चला गया है? अब तक उपलब्ध आंकड़े मय नक्शों के जिले की सभी पंचायत समिति क्षेत्र के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा भू-जल के संरक्षण और पुनर्भरण के लिए कोई कार्य किए जा रहे हैं? यदि हां, तो क्या-क्या और उनका क्या परिणाम रहा?

(4) भविष्य में भू-जल संरक्षण के लिए क्या-क्या कदम उठाये जायेंगे? जिसका क्या परिणाम रहने की आशा है?

उत्तर

(1) जी, हां। विभाग द्वारा वर्षा पूर्व 1984 व वर्षा पूर्व 2001 के मध्य किये गये सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर यह विदित हुआ है कि राज्य के कुल 32 जिलों में से 27 जिलों में भू-जल स्तर में औसतन गिरावट आयी है।

(भू-जल मंत्री)

राज्य में जल प्रबन्धन क्षेत्र के नीतिगत निर्णयों हेतु उच्चाधिकार प्राप्त राजीव गांधी जल प्रबन्धन मिशन का गठन किया गया है। सिंचाई विभाग इसका नाडल विभाग है। मिशन के विभिन्न कार्यों में, भू-जल स्तर गिरावट वाले क्षेत्रों में, स्थानीय सम्भावयता के आधार पर भू-जल के पुनर्भरण की योजनाओं, जन चेतना एवं भू-जल प्रबन्धन के कार्यक्रम आदि को तैयार करने तथा कार्यान्वित करने संबंधी दिशा-निर्देश देना सम्मिलित है।

सिंचाई विभाग की सूचना के अनुसार, राज्य में जल संग्रहण की व्यापक आवश्यकता एवं भू-जल स्तर में वृद्धि के उद्देश्य से, सर्वेक्षण तथा रिमोट सेंसिंग रिपोर्ट के आधार पर जल पुनर्भरण संरचनाओं (वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर यथा एनीकट, गाइड बान्ध, चैक डेम आदि) का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। इसमें कुल 43,536 कार्य सम्मिलित हैं जिनकी अनुमानित लागत रुपये 1833 करोड़ है। इसके अन्तर्गत, 11वें वित्त आयोग द्वारा अकाल राहत कार्यक्रम में आबंटित राशि तथा गेहूं से 4,123 कार्य स्वीकृत किये गये जिनमें से 3,388 कार्य पूर्ण हुये। जिलावार मास्टर प्लान को वर्तमान में अन्तिम रूप दिया जा रहा है। इसके माध्यम से राज्य तथा केन्द्रीय सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत समय-समय पर उक्त वर्णित कार्यों को कार्यान्वित किया जा सकेगा।.

(2) जी, हां। भू-जल सर्वेक्षण एक नियमित प्रक्रिया है। राज्य के प्रत्येक जिले में भू-जल धारक इकाइयों की क्षमता के आधार पर आधारभूत कुओं का चयन किया गया है। भू-जल विभाग द्वारा लगातार प्रतिवर्ष वर्षा पूर्व व वर्षा उपरान्त इनका सर्वेक्षण किया जाता है जिसके द्वारा भू-जल की स्थिति का अध्ययन किया जाता है।

नागौर जिले में वर्षा पूर्व 1984 से वर्षा पूर्व 2001 के मध्य विभिन्न पंचायत समितियों में भू-जल स्तर की औसत स्थिति निम्नानुसार है, तथा इसका नक्शा संलग्न है :-

क्र. सं.	**पंचायत समिति**	**वर्षा पूर्व 1984 से वर्षा पूर्व 2001 के मध्य भू-जल स्तर में औसत गिरावट (मीटर)**
1.	डेगाना	-6.20
2.	डीडवाना	-2.94
3.	जायल	-4.83
4.	कुचामन	-7.84
5.	लाडनूं	-5.06
6.	मकराना	-6.30
7.	मेड़ता	-12.42
8.	मुण्डवा	-10.48
9.	नागौर	-1.51
10.	परबतसर	-10.46
11.	रिया	-9.74

(3) जी, हां। राज्य सरकार के सिंचाई विभाग द्वारा सतही जल के उपयोग के संबंध में जिला स्तरीय एवं पंचायत समिति स्तरीय

(भू-जल मंत्री)

समन्वय समितियों के माध्यम से "जल क्षेत्र पुनः संरचना" के अन्तर्गत रेन वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर्स की एक कार्य योजना तैयार कर ऐसे प्रस्तावित निमार्ण कार्यों को चिन्हित किया गया है। जिनके द्वारा जल का पुनर्भरण सम्भव है इन प्रस्तावित कार्यों के लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सहायता विभाग अथवा अन्य विभागों से वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर सिंचाई विभाग द्वारा निर्माण कार्य कराया जाता है।

वर्तमान में भू-जल विभाग ने भू-जल पुनर्भरण हेतु वर्ष 1998-99 से वर्ष 2002 (जुलाई तक) की अवधि में दो सब सरफेस बेरियर, दो परकोलेशन टेंक एवं 15 रूफ टाप रेन वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर निर्माण करवाये हैं व दो स्थलों पर रूफ टाप रेन वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चरों का कार्य प्रगति पर है। गत वर्ष तक निर्मित रूफ टाप रेन वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चरों से वर्षा जल का ओवरफ्लो नहीं हुआ एवं इनके जरिये वर्षा जल का उपयोग भू-जल पुनर्भरण हेतु हुआ है। सब सरफेस बेरियर एवं परकोलेशन टेंक के परिणामों का अध्ययन प्रगति पर है।

(4) राज्य सरकार ने राजीव गांधी जल प्रबन्धन मिशन का गठन किया है, जिसके तहत राज्य जल नीति के अनुसार प्रदेश में उपलब्ध समस्त सतही एवं भू-जल संसाधनों के समग्र विकास, संग्रहण एवं संघनन सहित आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जन सहभागिता के साथ कुशल जल प्रबन्धन अपनाते हुए व्यवस्थाओं को विकसित करना है। इसके सकारात्मक परिणाम रहने की आशा है। सिंचाई विभाग इसका नाडल विभाग है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सहायक कृषि अधिकारी, असनावर (झालावाड़) के विरुद्ध कार्यवाही

37. **श्री हीरालाल सहरिया** (किशनगंज): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पूर्व सहायक कृषि अधिकारी, हरमाड़ा (जयपुर) व वर्तमान सहायक कृषि अधिकारी, असनावर जिला झालावाड़ द्वारा दिनांक 20.3.2002 को एक प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना चौमूं, जिला जयपुर में दर्ज करवाई थी?

(2) क्या उक्त दिनांक को उक्त सहायक कृषि अधिकारी द्वारा मुख्यालय छोड़ने की स्वीकृति ली गई? यदि हां, तो उक्त सहायक कृषि अधिकारी द्वारा मुख्यालय छोड़ने की स्वीकृति चाहने हेतु दिये गये प्रार्थना पत्र एवं मुख्यालय छोड़ने की स्वीकृति आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें? क्या मुख्यालय छोड़ने की स्वीकृति नहीं ली गई है? यदि हां, तो उक्त अधिकारी उक्त दिनांक को कौन से नियम के तहत मुख्यालय से बाहर था व सरकार ऐसे अधिकारी के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है?

(श्री हीरालाल सहरिया)

(3) क्या उक्त अधिकारी हमेशा ऐसी अनियमितताएं बरतते हुए व सरकारी ड्यूटी पर रहते हुए तथा फर्जी भ्रमण बताते हुए बिना अवकाश स्वीकृति करवाये और मुख्यालय छोड़ने की स्वीकृति लिए बिना मुख्यालय से अनुपस्थित रहता है? यदि हां, तो कौन से नियम के तहत? उक्त सहायक कृषि अधिकारी की जनवरी, 2000 से मई, 2002 तक की अवधि में किए भ्रमण की रिपोर्ट की प्रति व उक्त अवधि का उपस्थिति प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त अधिकारी के हरमाड़ा (जयपुर) में कार्यरत रहते उक्त के विरुद्ध फव्वारा अनुदान या अन्य कोई शिकायत विभाग को प्राप्त हुई? यदि हां, तो उक्त शिकायत पत्रों की प्रति व उनके आधार पर उक्त अधिकारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही एवं विस्तृत जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या उक्त सहायक कृषि अधिकारी का उक्त अवधि में किसी उच्च अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया गया है? यदि हां, तो निरीक्षण करने वाले अधिकारी का नाम, पद व दिनांक तथा निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें। क्या उक्त का निरीक्षण नहीं किया गया? यदि हां, तो उक्त अधिकारी के भ्रमण रिपोर्ट का अनुमोदन व नियंत्रण किस आधार पर किया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार उक्त अधिकारी की उक्त अवधि की भ्रमण रिपोर्ट शिकायत पत्रों की विस्तृत जांच करवाकर उक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां। उक्त सहायक कृषि अधिकारी द्वारा दिनांक 19 एवं 20 मार्च, 2000 राजपत्रित अवकाश होली का दो दिवस का मुख्यालय छोड़ने की स्वीकृति हेतु दिनांक 18.3.2000 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसे कार्यालय द्वारा स्वीकार कर लिया गया है। प्रार्थना पत्र की फोटो प्रति संलग्न है।

(3) जी, नहीं। माह जनवरी, 2000 से मई, 2002 तक की भ्रमण रिपोर्ट एवं उपस्थिति प्रतिवेदन संलग्न है।

(4) जी, हां। जांच रिपोर्ट के आधार पर शिकायत निराधार पाई गई। अतः कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। शिकायत पत्र एवं जांच रिपोर्ट की प्रति संलग्न है।

(5) जी, हां। जनवरी, 2000 से अगस्त, 2000 तक की अवधि का श्री राकेश कुमार पाटनी, कृषि अधिकारी एवं श्री दुलीचन्द पलसानिया, कृषि अधिकारी, झोटवाड़ा द्वारा निरीक्षण किया गया तथा माह सितम्बर, 2000 से मई, 2002 तक श्री अचल सिंह, कृषि अनुसंधान अधिकारी, श्री एस. के. जैन, उप निदेशक व श्री बलवन्त

(कृषि मंत्री)

सिंह बैरवा, सहायक निदेशक एवं श्री जे. पी. पाठक, कृषि अधिकारी, श्री आर. सी. गुप्ता, सहायक निदेशक, कृषि, झालावाड़ द्वारा निरीक्षण किया गया। भ्रमण रिपोर्ट, कार्य की सन्तुष्टि तथा अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण के आधार पर भ्रमण अनुमोदन किया जाता है। माह जनवरी, 2000 से मई, 2002 तक की भ्रमण कार्य रिपोर्ट संलग्न है।

(6) उक्त अधिकारी के विरुद्ध जनवरी, 2000 से अगस्त, 2000 तक की अवधि में इनके फर्जी यात्रा भत्ता की शिकायतों की जांच करवाई गई, जिसमें आरोप सिद्ध नहीं पाये गये।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री रामकरण जोशी चिकित्सालय, दौसा स्थित निर्मित दुकानों का आबंटन

38. श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम मौजा, दौसा, जिला दौसा में वर्तमान में श्री रामकरण जोशी अस्पताल लालसोट रोड पर बना हुआ है?

(2) उक्त अस्पताल में कितनी दुकानें बनाने की योजना स्वीकृत है?

(3) राज्य के अस्पतालों में दुकानों के आबंटन के क्या नियम है? क्या दुकानें सामान्य/अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों को आबंटित की जानी है? आबंटन नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त अस्पताल में दुकानें आबंटन के लिये कोई समिति बनाई जाएगी? यदि हां, तो उसके कौन-कौन सदस्य होंगे?

(5) क्या पुराना अस्पताल दौसा के आसपास जो मेडिकल स्टोर की दुकानें चल रही थीं उन्हें भी समिति द्वारा दुकानें आबंटित की जावेगीं?

उत्तर

(1) जी, हां। श्री रामकरण जोशी अस्पताल, दौसा के भवन निर्माण वर्तमान में लालसोट रोड पर निर्माणाधीन है।

(2) निर्माणाधीन श्री रामकरण जोशी अस्पताल दौसा में वर्तमान में दुकानें बनाने की योजना विचाराधीन नहीं है।

(3) नियम की प्रति परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(4) शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(5) शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

विकलांगता प्रमाण पत्र हेतु वसूली राशि का दुरुपयोग

39. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय में विकलांग प्रमाण पत्र जारी किये जाने के बदले वसूले गये शुल्क को चिकित्सकों द्वारा राजकोष में जमा न करवाये जाने की वित्त विभाग द्वारा जांच की गई है? यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने दोषी चिकित्सकों से राशि वसूलने का निर्णय लिया है? यदि हां, तो अब तक कितनी राशि वसूल करली गई और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि इनमें से कई चिकित्सक सेवानिवृत्त हो गये हैं? यदि हां, तो समय रहते कार्यवाही न किये जाने के लिये कौन-कौन दोषी हैं व उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। जांच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न है।

(2) पूर्व में वित्त विभाग द्वारा वसूली करने के निर्देश दिये थे परन्तु पुन: वित्त विभाग ने वसूली पर रोक लगा दी है तथा वित्त (अंकेक्षण) विभाग द्वारा इस मामले में गहनता से परीक्षण किया जा रहा है।

(3) जी हां। चूंकि वित्त विभाग द्वारा दुबारा प्रकरण का गहनता से परीक्षण किया जा रहा है, अत: अन्तिम निर्णय के पश्चात् ही तद्नुसार कार्यवाही सम्भव होगी।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

औषधि मूल्य नियंत्रण नीति की क्रियान्विति

40. **श्री हरजीराम बुरड़क** (लाडनूं): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि दवाइयों की कीमत मनमाने तरीके से वूसल की जा रही है? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर सकती है और क्या की गई?

(2) क्या दवाइयों पर मूल्य नियंत्रण का राज्य सरकार को अधिकार है? यदि हां, तो क्या-क्या? यदि नहीं तो अधिकार प्राप्त करने के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

(1) औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश 1995 के तहत अनुसूची प्रथम में वर्णित औषधियों तथा इनके formulations का मूल्य केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। Non-Schedule दवाओं का मूल्य निर्माता द्वारा स्वयं निर्धारित किया जाता है।

(2) जी, नहीं। औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश, 1995 केन्द्रीय आदेश हैं जो कि केन्द्रीय आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

(चिकित्सा मंत्री)

के अन्तर्गत जारी किया गया है। इस आदेश के तहत केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (National Pharmaceutical Pricing Authority) का गठन किया है जो दवाओं के मूल्य निर्धारण हेतु प्राधिकृत है। प्रथम अनुसूची में वर्णित औषधियां उनके फार्मलेशन एवं लोकहित में अन्य Non Schedule दवाओं का मूल्य निर्धारित करता है।

रिक्त वरिष्ठ अधिकारियों के पदों हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें

41. डा. करण सिंह यादव (बहरोड) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) चिकित्सा निदेशालय के निदेशक, अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी तथा विषयों के कनिष्ठ एवं वरिष्ठ विशेषज्ञों की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें किन-किन वर्षों से लम्बित है?

(2) अब उक्त रिक्त पद विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करवाकर कब तक भर दिये जावेंगे?

उत्तर

(1) चिकित्सा निदेशालय के निदेशक, अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी तथा विषयों के वरिष्ठ विशेषज्ञ एवं कनिष्ठ विशेषज्ञों की लम्बित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों का वर्षवार व पदवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) कार्मिक विभाग ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के कारण अपने परिपत्र क्रमांक एफ.4(2)कार्मिक/क-2/एसी/91 दिनांक 10.2.2002 द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया गया था तत्पश्चात् समसंख्यक परिपत्र दिनांक 15.4.2002 व परिपत्र संख्या एफ. 7(1) कार्मिक/क-2/2002 दिनांक 4.5.2002 द्वारा केवल वे ही पद जिन पर नियुक्ति 100 प्रतिशत सीधी भर्ती से होती है, से प्रथम पदोन्नति पद हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करने की छूट प्रदान की गई थी तदुपरान्त कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या एफ. 4(2)कार्मिक/क-2/अप्र/91 दिनांक 6.7.2002 द्वारा जहां आरक्षित वर्ग एवं सामान्य वर्ग के कार्मिकों की वरिष्ठता के संबंध में कोई विवाद ही नहीं है तो ऐसी स्थिति में अगले उच्च पद के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा सकती है, के निर्देश प्रदान किये गये हैं। उक्त निर्देशों के पश्चात् जिन पदों की डी.पी.सी. सम्भव है उनमें से अब तक दो की डी.पी.सी. हो चुकी है व अन्य की जा रही है। अन्य उच्च पदों की डी.पी.सी. कार्मिक विभाग द्वारा अनुमति मिलने के पश्चात् ही सम्भव होगी।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

सामान्य चिकित्सालय, सवाईमाधोपुर में रिक्त पद

42. श्रीमती यासमीन अबरार (सवाईमाधोपुर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत चार वर्षों में सामान्य चिकित्सालय, सवाईमाधोपुर में कितनी राशि के उपकरण एवं मशीनें खरीदने के लिये सरकार ने स्वीकृति दी है? उक्त में से कितनी राशि उपयोग में ले ली गई?

(2) गत 4 वर्षों में उक्त सामान्य चिकित्सालय के भवन निर्माण में कितनी राशि व्यय की गई? क्या सरकार अपूर्ण रहे हुए उक्त भवन को पूर्ण कराने के लिये शीघ्र राशि उपलब्ध कराने का विचार रखती है?

(3) क्या सरकार सामान्य चिकित्सालय, सवाईमाधोपुर को 300 शैरयाओं का करने का विचार रखती हैं?

(4) उक्त चिकित्सालय में कितने पद डाक्टर एवं नर्सिंग स्टाफ के रिक्त है? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) सामान्य चिकित्सालय, सवाईमाधोपुर हेतु गत चार वर्षों (1.4.1998 से 31.3.2002) में उपकरण एवं मशीनें ख़रीदने के लिए एम.ई.टी.पी. (मशीनरी साज-सामान, औजार, संयंत्र) मद में आबंटित बजट एवं व्यय राशि का विवरण निम्न प्रकार है:-

मद	आबंटित बजट	व्यय (राशि रु. लाखों में)
आयोजना	3.09	2.94
आयोजना भिन्न	2.56	2.57
आई.पी.डी. परियोजना के अन्तर्गत	4.40	3.68
ग्यारहवें वित्त के अन्तर्गत	63.85	0.18

स्वीकृति वर्ष 2001-2002 में 5.3.2002 को जारी हुई जिसके कारण धनराशि का उपयोग 2001-2002 में नहीं हो सका।

(2) सामान्य चिकित्सालय, सवाईमाधोपुर के भवन निर्माण पर गत चार वर्षों में विभिन्न निर्माण कार्यों पर विभिन्न मदों में कुल 52.35 लाख रुपये की राशि व्यय की गई।

उक्त भवन के अपूर्ण निर्माण कार्यों को पूर्ण कराने के लिये आगामी वित्तीय वर्षों में आधुनिकीकरण, नवीनीकरण एवं विशेष मरम्मत के कार्यों हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर ही पूर्ण करवाया जाना संभव हो सकेगा।

(3) सामान्य चिकित्सालय की बैड ओक्यूपैन्सी वर्ष 1995 से 2001 तक 90 से 120 के बीच ही रही है। अत: जब वर्तमान संख्या 150 का ही पूरा उपयोग नहीं हो पा रहा है, तो 300 शैय्याओं का करने की उपयोगिता महसूस नहीं की जा रही है।

(चिकित्सा मंत्री)

(4) सामान्य चिकित्सालय, संवाईमाधोपुर में चिकित्सकों एवं नर्सिंग स्टाफ के रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है :-

पदनाम	रिक्त पदों की संख्या
उप नियंत्रक	1
कनिष्ठ विशेषज्ञ (निश्चेतन, बाल रोग, रेडियोलाजी)	3
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1
नर्सिंग अधीक्षक (द्वितीय)	1
नर्स श्रेणी प्रथम	1

उपरोक्त सभी रिक्त पद विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

विद्याधर नगर (जयपुर) स्थित ट्रोमा चिकित्सालय भवन का उपयोग

43. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या विद्याधर नगर में कोई "ट्रोमा अस्पताल" की शुरुआत की योजना वर्ष 1998 में एस.एम.एस. अस्पताल के सहयोग से कराई गई थी? क्या उक्त हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण ने 25 हजार वर्ग गज भूमि आबंटित की थी?

(2) क्या उक्त भू-भाग पर कोई भवन निर्माण का कार्य कराया गया? यदि हां, तो अब तक कुल कितना व्यय हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या अब उक्त प्रोजेक्ट का कार्य बन्द कर उक्त भूमि को निहित लोगों को बेचने का प्रस्ताव है? यदि हां, तो क्या करोड़ों की भूमि निजी क्षेत्र के लोगों को सस्ते दामों पर देने का प्रयास चल रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। इस हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 2.3 हैक्टेयर भूमि आबंटित की गई थी।

(2) जी, हां। उक्त भू-भाग पर आंशिक रूप से निर्माण कराया गया था। जयपुर विकास प्राधिकरण को जमीन पेटे 1.60 करोड़ रुपये तथा निर्माण कार्य हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा 328.72 लाख रुपये व्यय होना बताया गया है।

(3) बजट में धनाभाव के कारण उक्त प्रोजेक्ट अपूर्ण है व राज्य की विषम वित्तीय स्थिति को देखते हुए "बी.डी" में हुए निर्णय अनुसार उक्त अपूर्ण अस्पताल भवन एवं भूमि को निजी क्षेत्र को विक्रय की कार्यवाही रीको द्वारा की जा रही है।

नर्सिंग ट्रेनिंग सेन्टर, जैसलमेर में स्थानीय व्यक्तियों को प्रशिक्षण

44. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर नगर में जो नर्सिंग ट्रेनिंग सेन्टर है उसमें जिले की महिलाओं को ए.एन.एम. ट्रेनिंग में अवसर नहीं मिलता? अधिकांश सीकर, झुंझुनूं जिले की महिलाएं ट्रेनिंग लेकर नियुक्ति के बाद अपने गृह जिले में स्थानान्तरण करवा लेती है?

(2) क्या यह भी सही है कि जिला जैसलमेर के अधिकांश उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्थान रिक्त रहते हैं? क्या सीमावर्ती गांवों में तो कभी भी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं कराई गई?

(3) क्या सरकार सीमावर्ती क्षेत्र के लिये ही अलग से कैडर बनाने या सुदूर क्षेत्र में सेवा के लिये कोई प्रोत्साहन योजना बनाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विभाग में संचालित सभी 27 ए.एन.एम. ट्रेनिंग सेन्टरों पर अभ्यर्थियों (राजस्थान के मूल निवासी) के द्वारा किसी भी ट्रेनिंग सेन्टर पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर बिना किसी जिले के प्राथमिकता दिये मैरिट अनुसार केन्द्रवाइज ट्रेनिंग हेतु चयन होता है और स्थानान्तरण एक सतत् प्रक्रिया है।

(2) जैसलमेर जिले में 124 उप केन्द्र स्वीकृत हैं जिनमें से 28 उप केन्द्रों पर प्रसाविका के पद रिक्त हैं। राज्य में भी कुल 744 प्रसाविका के पद रिक्त हैं जैसलमेर सहित जालौर, बाड़मेर, बीकानेर, एवं नागौर जिलों में रिक्तियों का प्रतिशत पूरे राज्य के औसत प्रतिशत से अधिक है।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराये जाने के लिए उप स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भारत सरकार द्वारा निर्धारित जनसंख्या मापदण्डों आधारित मापदण्डों के अनुरूप स्थापित किए जाते हैं।

संस्थान	**प्रति केन्द्र ग्रामीण जनसंख्या के आधार पर**	
	सामान्य	**जनजाति एवं रेगिस्तानी क्षेत्र**
उप स्वास्थ्य केन्द्र	5000	3000
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	30,000	20,000
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	1 लाख	1 लाख

उपरोक्त मापदण्डानुसार रेगिस्तानी क्षेत्र हेतु सामान्य क्षेत्र की तुलना में जनसंख्या आधारित मापदण्डों में शिथिलता प्रदान की हुई है। अत: सीमावर्ती क्षेत्र के लिये अलग कैडर बनाने का कोई विचार नहीं है।

सवाई मानसिंह चिकित्सालय स्थित मेडिकल रिलीफ समिति द्वारा कम्प्यूकाम कर्मियों को नियुक्ति

45. श्री रामनारायण विश्नोई (फलौदी): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी द्वारा कम्प्यूटर कर्मियों को नियुक्त किया गया है? यदि हां, तो इन्हें प्रतिमाह कितना वेतन दिया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त वेतन वर्तमान महंगाई को देखते हुए कम है? यदि हां, तो इसमें कब तक वृद्धि करा दी जावेगी?

(3) क्या उक्त कर्मियों को स्थाई किये जाने का विचार है? यदि हां, तो उक्त पर कब तक निर्णय ले लिया जावेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) कम्प्यूटर आपरेट करने के लिए राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर के द्वारा ठेका दिया गया है। ठेकेदार को प्रत्येक कम्प्यूटर आपरेटर के लिए रुपये 2000/- मासिक का भुगतान किया जा रहा है। जो निर्धारित संशोधित न्यूनतम वेतन से अधिक है।

(2) ठेकेदार को कम्प्यूटर आपरेटरों के लिए राजस्थान सरकार के न्यूनतम वेतन अधिनियम-1948 के तहत न्यूनतम वेतन रुपये 1926/- से ज्यादा वेतन कम से कम रुपये 2000/-मासिक का भुगतान किया जा रहा है जो निर्धारित संशोधित न्यूनतम वेतन से अधिक है।

(3) उक्त कम्प्यूटर आपरेटर ठेकेदार द्वारा रखे गये हैं। इसलिए इन्हें राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर द्वारा स्थाई किये जाने का प्रश्न ही नहीं है।

सदर चिकित्सालय, धौलपुर की मेडिकल रिलीफ सोसायटी में कार्यरत पदाधिकारी

46. श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सदर चिकित्सालय, धौलपुर में मेडिकल रिलीफ सोसायटी बनी हुई है? यदि हां, तो कब से? क्या वह रजिस्टर्ड संस्था है? क्या उक्त के संचालन के लिये कोई नियम बने हुए हैं? उक्त नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सोसायटी को क्या-क्या कार्य सौंपा हुआ है जिसमें क्या-क्या कार्य सोसायटी द्वारा किया जा रहा है?

(3) क्या उक्त सोसायटी द्वारा सफाई व्यवस्था का और दुकानें चलाने का ठेका दिया हुआ है? यदि हां, तो किस-किस को

(श्री शिवराम सिंह कुशवाह)

और कितनी–कितनी राशि में किस प्रक्रिया से?

(4) उक्त सोसायटी की आय किस प्रकार से कितनी है तथा किस-किस कार्य में व्यय किया जा रहा है और खर्चा करने में क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है? उक्त में किन-किन नियमों की पालना की जा रही है?

(5) वर्तमान में उक्त सोसायटी के कब से कौन-कौन पदाधिकारी हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या उक्त सोसायटी पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण है? यदि हां, तो सरकार किस अधिकारी के द्वारा नियंत्रण कर रही है और नियंत्रण किस सीमा तक सफल रहा है?

उत्तर

(1) जी, हां। सदर चिकित्सालय, धौलपुर में मेडिकल रिलीफ सोसायटी दिनांक 21.12.1995 से बनी हुई है।

जी, हां।

जी, हां। नियमों की प्रति परिशिष्ट ''अ'' पर उपलब्ध है।

(2) सोसायटी को विधान अनुसार सौंपे गये कार्यों एवं राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसायटी, धौलपुर द्वारा किये जा रहे कार्यों का विवरण परिशिष्ट ''ब'' पर उपलब्ध है।

(3) मेडिकल रिलीफ सोसायटी, धौलपुर द्वारा सफाई के कार्य का संचालन नहीं किया जाता है किन्तु सोसायटी द्वारा लाइफ लाइन फ्लूड स्टोर का कार्य किया जाता है। जिसका तीन वर्षों का वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	व्यक्ति का नाम	अवधि	प्रक्रिया
1.	श्री सुनिल कुमार गर्ग	10/1999 से 9/2000	खुली निविदा के माध्यम से
2.	श्री राजेश कुमार शर्मा	10/2000 से 9/2001	खुली निविदा के माध्यम से
3.	श्री राजेश कुमार शर्मा	10/2001 से 9/2002	खुली निविदा के माध्यम से

ठेका लेने वाले व्यक्ति से ठेके के रूप में कोई राशि नहीं ली जाती है, जमानत राशि ली जाती है जो ठेका समाप्त होने के बाद संबंधित व्यक्ति को पुनः लौटा दी जाती है, ठेके लेने वाले व्यक्ति को पारिश्रमिक भत्ते के रूप में प्रति माह की गई बिक्री पर कमीशन दिया जाता है।

(4) मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, धौलपुर की आय एवं व्यय का वित्तीय वर्ष 2001-2002 एवं माह अप्रैल, 2002 से जुलाई, 2002 तक का विवरण परिशिष्ट ''स'' पर उपलब्ध है।

मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी की आय से प्राथमिकता व आवश्यकतानुसार व्यय

(चिकित्सा मंत्री)

किया जाता है। किसी भी प्रकार का व्यय करने से पूर्व राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी की कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय किया जाता है अथवा पत्रावली पर अध्यक्ष (जिला कलक्टर) की सहमति व स्वीकृति के बाद खर्च किया जा रहा है एवं अगली कार्यकारिणी की बैठक में व्यय की गई राशि का अनुमोदन करवा लिया जाता है। व्यय की प्राथमिकता सर्वप्रथम एक्स-रे एवं लेबोरेट्री से संबंधित सामान, गरीब मरीजों को दवाएं आदि में रहती है। इंडोर व ओ.पी.डी के लिए टिकट व अन्य स्टेशनरी इक्यूपमेंट्स इंसटूमेंट की नियमित रख-रखाव, आवश्यकतानुसार चिकित्सालय के भवन रख-रखाव, आवश्यक निदान हेतु उपकरण क्रय करने पर खर्च किया जाता है। सोसायटी के समस्त खर्चे सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के आधार पर किये जाते हैं।

(5) मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी धौलपुर में कब से पदाधिकारी का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	पदनाम	पद	नाम	कार्यरत का दिनांक
1.	जिला कलक्टर	अध्यक्ष	श्रीमती श्रेयागुहा	10/2001
2.	अतिरिक्त जिला कलक्टर	उपाध्यक्ष	श्री महेश भारद्वाज	5/2002
3.	स्थानीय विधायक	सदस्य	श्री शिवराम सिंह कुशवाह	2/1999
4.	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी	सदस्य सचिव	डा. जे. पी. गर्ग	4/1997
5.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	सदस्य	डा. एल. एस. गौड़	वर्ष 1999
6.	वरिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	सदस्य	डा. आर. एस. शर्मा	7/1999
7.	कनिष्ठ विशेषज्ञ	सदस्य	डा. आर. सी. पिपेश	7/1999
8.	दानदाता	सदस्य	श्री रवीन्द्र बोहरा	5/2002
9.	दानदाता	सदस्य	श्री श्यामबाबू गर्ग	5/2002

(6) राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसायटियों का रजिस्ट्रेशन राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 की धारा 20 के तहत होता है जो स्वायत्तशासी संस्थान होती है जो राज्य सरकार द्वारा जनहित में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य करती हैं।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सेठ रामचन्द्र गोयनका चिकित्सालय, डूंडलोद (झुंझुनूं) में चिकित्सकों द्वारा लापरवाही

47. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सेठ रामचन्द्र गोयनका चिकित्सालय, डूंडलोद, तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनूं में कितने चिकित्सक कब से नियुक्त हैं? उक्त की योग्यताएं क्या-क्या हैं एवं प्रधान चिकित्सक कौन हैं?

(2) उक्त चिकित्सालय में दिनांक 19 जून, 2000 को प्रधान चिकित्सक कौन थे? क्या उक्त ने रोगी श्री बलकेश की चिकित्सा की थी? यदि हां, तो उसके क्या रोग था और क्या-क्या दवाइयां दी गई तथा परिणाम क्या रहा?

(3) क्या यह सही है कि उक्त चिकित्सक को गांव वालों ने कोई शिकायत की थी? यदि हां, तो परिणाम क्या हुआ?

(4) क्या नीम-हकीम डाक्टर एलोपैथिक पद्धति से इलाज कर सकते हैं?

उत्तर

(1) इन पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है।

(2) उक्त चिकित्सालय राजकीय नहीं है व राज्य सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। सूचना, चिकित्सा दल द्वारा उपलब्ध सूचना के आधार पर दी जा रही है।

उक्त चिकित्सालय में प्राप्त सूचनानुसार प्रधान चिकित्सक डा.बी.बी. रावल थे। ओ.पी.डी. रजिस्टर में दिनांक 19.6.2000 को क्रम संख्या 22200 पर बलकेश उम्र 20 वर्ष पता स्थानीय अंकित है। ओ.पी.डी. रजिस्टर में बीमारी एवं इलाज का उल्लेख नहीं किया गया है।

(3) संबंधित नहीं है।

(4) जी, नहीं। एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा कार्य करने के लिये भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम 1956 की धारा 15 के तहत अपना पंजीयन भारतीय चिकित्सा परिषद या राज्य मेडिकल कौंसिल से होना आवश्यक है।

डूंडलोद (झुंझुनूं) में संचालित मेडिकल प्रशिक्षण संस्थान में अनियमितताएं

48. श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर): क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है ग्राम डूंडलोद तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनूं में तोलासरीया मेडिकल स्टोर, गोयल डिपार्टमेंटल स्टोर एवं तोलासरीया ड्रग स्टोर नाम की दवाइयों की दुकान चालू है? यदि हां, तो उक्त का मालिक कौन है एवं किस फार्मासिस्ट के लाइसेन्स से दुकान चला रही है?

(2) क्या यह भी सही है ग्राम डूंडलोद में एक बी.एल.मेडिकल प्रशिक्षण

(श्री धर्मपाल चौधरी)

संस्थान है जिसके रजिस्ट्रेशन नम्बर 122/झुन/99–2000 है? यदि हां, तो उक्त का कार्य क्या है? उक्त शिक्षण संस्थान में अब तक कितने विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया है? उक्त संस्थान के सदस्य कौन–कौन हैं एवं सदस्यों ने किस डाक्टर से प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

उत्तर

(1) जी हां। तोलासरीया मेडिकल स्टोर डूण्डलोद के मालिक का नाम श्री रमेशचन्द्र तोलासरीया एवं जिस फार्मासिस्ट के नाम लाइसेंस है उसका नाम श्री किशोरीलाल तोलासरीया तथा रजिस्ट्रेशन नम्बर 1137 है।

गोयल डिपार्टमेंटल स्टोर डूण्डलोद के मालिक का नाम श्री गोकुलचन्द तोलासरीया एवं फार्मासिस्ट का नाम जिसके लाइसेंस से दुकान चल रही है श्री प्रहलाद राय शर्मा तथा रजिस्ट्रेशन नं. 6229 है।

तोलासरीया ड्रग स्टोर डूण्डलोद के मालिक का नाम श्री किशोरीलाल तोलासरीया एवं जिस फार्मालिस्ट का लाइसेंस है उसका नाम श्री उमादत्त तोलासरीया तथा रजिस्ट्रेशन नम्बर 1388 है।

(2) जी हां। बी.एल. मेडिकल प्रशिक्षण संस्थान एक निजी संस्था है। उक्त निजी संस्था के सदस्यों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया या नहीं, व यदि प्राप्त किया तो किससे यह चिकित्सा विभाग को ज्ञात नहीं है। प्राप्त सूचनानुसार संस्थान अभी चालू नहीं हुई है एवं अभी तक चालू नहीं होने के कारण किसी भी विद्यार्थी को प्रशिक्षण नहीं दिया गया है इस संस्था के सदस्यों के नाम निम्न है :-

1. श्री उमादत्त तोलासरीया
2. श्री महावीरप्रसाद शर्मा
3. श्री भरतकुमार तोलासरीया
4. श्री रमेशकुमार तोलासरीया
5. श्री संजय कुमार
6. श्रीमती सरोज
7. डा. भंवर सिंह भाटी
8. श्री चन्द्रभान
9. श्री इन्द्रलाल
10. श्री विश्वनाथ
11. श्रीमती कुसुम
12. श्री शंकरलाल शर्मा
13. श्री हरीश पारीक
14. श्री कजोड़मल
15. श्री गोकुल चन्द

यह एक निजी संस्था है जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड है। यह विभाग की जानकारी में नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र नावां (नागौर) में प्रस्तावित सड़कें

49. श्री हरीश चन्द कुमावत (नावां): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सड़कों की टूट–फूट मरम्मत व उन्नयन कार्य विधायकों

(श्री हरीश चन्द कुमावत)

की अभिशंसा पर 60 किलोमीटर एक वर्ष में तथा 60 किलोमीटर दूसरे वर्ष में कराया जाना प्रस्तावित था? क्या विधान सभा क्षेत्र, नावां में इसकी अभिशंसा भी कर दी गई थी? परन्तु उक्त विधान सभा क्षेत्र में केवल चितावा रोड़ पर काम चालू किया गया है? यदि हां, तो अन्य सड़कों का काम अभी तक चालू क्यों नहीं किया गया है?

(2) विधान सभा क्षेत्र नावां में सड़क उन्नयन कार्य कब से प्रारम्भ किया जाकर कब तक पूर्ण करा दिया जाएगा? इस वर्ष प्रधानमंत्री ग्रामोत्थान सड़क योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र नावां की कौन-कौन सी सड़कें कितनी-कितनी राशि की प्रस्तावित की गई हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) पंचायत समिति, कुचामन के नारायणपुर तिराहे से साम्भर व मंगलाना सीमा तक तथा डीडवाना सीमा तक कितनी लम्बाई की सड़क सी.आर.एफ. में मंजूर होकर उनकी निविदा स्वीकृत हो गई है? उक्त की अनुमानित लागत कितनी होगी तथा उक्त कार्य कब तक पूर्ण करवा दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। पेज प्रथम के कार्यों के कार्यादेश दिनांक 13.5.2002 को जारी किये गये थे, जिसके अनुसार इन कार्यों को 27.5.2002 से प्रारम्भ किया जाना था। संवेदक अब द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिये गये हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र नावां में आर.यू.पी. फेज-प्रथम के सड़क उन्नयन कार्यों को 27.5.2002 से प्रारम्भ कर 26.12.2002 तक एवं आर.यू.पी. फेज-द्वितीय के कार्यों को 16.8.2002 से प्रारम्भ कर 15.5.2003 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्रस्तावित सड़कों की सूची प्रपत्र "अ" में संलग्न है।

(3) सी.आर.एफ. योजना में स्वीकृत सड़क नारायणपुर तिराहे से साम्भर व मंगलाना सीमा तक तथा डीडवाना सीमा तक का विवरण प्रपत्र "ब" में संलग्न है। इन कार्यों की निविदा स्वीकृति की प्रक्रिया प्रगति पर है। इनकी अनुमानित लागत 590.00 लाख रुपये है तथा कार्य आदेश जारी किये जाने के बाद आठ माह की अवधि में कार्य पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

झोटवाड़ा-हरमाड़ा सड़क की प्रस्तावित चौड़ाई

50. श्री भरोसी लाल (हिण्डौन) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर में झोटवाड़ा मोड़ से हरमाड़ा तक की सीकर रोड को चौड़ी किये जाने की योजना प्रस्तावित है?

(श्री भरोसी लाल)

(2) वर्तमान में उक्त सीकर रोड कितने फीट की चौड़ी है? उक्त रोड की चौड़ाई अब कितने फीट तक और बढ़ाई जानी है?

(3) उक्त चौड़ाई की वृद्धि करने में कितने मकान/दुकानें क्षतिग्रस्त होना सम्भावित हैं उक्त की क्षतिपूर्ति हेतु सरकार की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) वर्तमान में मुख्य सीकर रोड की चौड़ाई 14 मीटर है तथा अब आर.यू.आई.डी.पी. के अन्तर्गत मुख्य सड़क की चौड़ाई 18 मीटर करने के साथ दोनों तरफ 7.5 मीटर चौड़ाई की सर्विस रोड का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

(3) योजना के अधिकांश भाग में उपलब्ध सड़क की चौड़ाई के अन्तर्गत ही मुख्य सड़क व सर्विस लेन का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। जहां तक सम्भव है इस योजना में किसी भी दुकान अथवा मकान को जो सड़क या सर्विस लेन में नहीं आता। क्षतिग्रस्त करना प्रस्तावित नहीं है।

ग्रासोतरा फोटा से कीटनोद (बाड़मेर) सड़क का नवीनीकरण

51. **श्री अमराराम चौधरी** (पचपदरा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या सरकार द्वारा तहसील पचपदरा हेतु आबंटित नाबार्ड राशि का उपयोग सड़कों की मरम्मत हेतु कर दिया गया? यदि हां, तो कुल कितनी राशि आबंटित की गई थी? अब तक किए गए कार्यों के भुगतान के पश्चात् शेष कितनी राशि की बचत हुई है?

(2) क्या वर्ष 2001 से जुलाई 2002 तक पुरानी डामर सड़कों के नवीनीकरण के पश्चात् तहसील पचपदरा में जो राशि शेष रही है उसका उपयोग ग्रासोतरा फोटा से कोटानोद डामर सड़क का अपूर्ण नवीनीकरण रहा है उसके लिए उपयोग में ली जाएगी?

उत्तर

(1) जी हां। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन तहसील पचपदरा हेतु आबंटित नाबार्ड राशि 138.50 लाख रुपये के 7 कार्य स्वीकृत थे। अब तक किये गये कार्यों पर भुगतान 111.92 लाख रुपये किया जा चुका है तथा शेष कार्य पर व्यय 26.56 लाख रुपये किया जाना बाकी है। इसके पश्चात् बचत राशि केवल 0.02 लाख रुपये रहेगी। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अधीन राशि 6.00 लाख का एक कार्य स्वीकृत है जो पूर्ण हो चुका है।

(2) वर्ष 2001 से जुलाई, 2002 तक पुरानी डामर सड़कों के नवीनीकरण के पश्चात् तहसील पचपदरा में लगभग शून्य राशि शेष रहेगी। अतः अतिरिक्त कार्य सम्भव नहीं है।

ज्यानकीपुरा (सीकर) हेतु सम्पर्क सड़क

52. **श्री ज्ञानचन्द पारख** (पाली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या प्रधानमंत्री सड़क योजना में सड़क कार्य करवाये जाने के कोई मानदण्ड निर्धारित हैं? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि जिला सीकर में ढालियावास से गोरिया तक वाया ज्यानकीपुरा को अभी तक डामर की सड़क से नहीं जोड़ा गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या उक्त सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अथवा सरकार द्वारा घोषित नीति से जोड़े जाने के मानदण्ड में आती है? यदि हां, तो उक्त की स्वीकृति कब तक जारी कर दी जावेगी।

(4) क्या सरकार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अथवा सरकार द्वारा घोषित नीति के तहत ढालियावास से गोरिया तक डामर सड़क बनाने का विचार रखती है? क्या उक्त सड़क 1000 से अधिक आबादी वाले कई ग्रामों को जोड़ने वाली है? क्या उक्त सड़क सरकार द्वारा घोषित नीति में भी आती है तथा उक्त सड़क मार्ग सभी मानदण्डों के अनुसार डामर सड़क द्वारा जोड़ने योग्य है? यदि हां, तो उक्त सड़क को कब तक डामरयुक्त सड़क से जोड़ी जावेगी और नहीं, तो क्यों?

(5) क्या उक्त सड़क मार्ग पर भारी तादाद में जनता का आवागमन होता है? यदि हां, तो उक्त सड़क मार्ग पर कब तक डामरयुक्त सड़क बनवा दी जावेगी?

उत्तर

(1) जी हां। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़क कार्य करवाये जाने के मानदण्ड की प्रति अनुलग्नक "अ" पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। वर्तमान में उक्त सड़क की अभी किसी योजना में स्वीकृति नहीं होने के कारण इसे डामर सड़क से नहीं जोड़ा गया है।

(3) जी हां। जानकीपुरा तथा गोरिया को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में बारहमासी सड़क से जोड़ने के लिये वर्ष 2007 तक प्राथमिकता के अनुसार प्रस्तावति किया जाएगा।

(4) जी हां। इस सड़क से 1000 की आबादी से अधिक के 2 गांव जुड़ सकेंगे। सड़क का चयन इसके सड़क सूचकांक पर निर्भर करेगा। उक्त सड़क मार्ग वर्तमान में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में निर्धारित प्राथमिकता में 500 व अधिक के बिना जुड़े हुए गांवों को जोड़ने के पश्चात् ही आती है। अतः यदि उक्त सड़क का चयन सड़क सूचकांक के अनुसार सम्बन्धित पंचायत समिति एवं जिला परिषद् द्वारा अनुमोदित होता है तो इसे वर्ष 2007 तक जब भी इस सड़क की प्राथमिकता बनती है इसे प्रस्तावित किया जा सकेगा।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(5) जी हां। उक्त सड़क मार्ग पर काफी यातायात है। सड़क का निर्माण स्वीकृति के पश्चात् ही सम्भव हो पाएगा।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट–13 देखें)

विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन (बूंदी) की प्रस्तावित सड़कें

53. **श्री घासीलाल मेघवाल** (पाटन): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में किस–किस ग्राम को सड़क से जोड़ा गया है तथा किस–किस सड़क में कितनी राशि स्वीकृत की गई है?

(2) क्या उक्त स्वीकृत सड़क की राशि का कार्य सरकार द्वारा पूर्ण करा दिया गया है? यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो कौन–कौन सी सड़कों का कार्य अपूर्ण है? उक्त के अपूर्ण रहने के क्या कारण हैं? अब कब तक सरकार उक्त सड़कों के कार्यों को पूर्ण कराने का विचार रखती है?

(3) केशोरायपाटन क्षेत्र में नाबार्ड योजना के तहत किस–किस ग्राम को कितनी किलोमीटर सड़क स्वीकृत की गई है तथा कितनी राशि उक्त सड़कों के लिए स्वीकृत की गई है? क्या उक्त राशि का सरकार ने उपयोग कर लिया है? यदि हां, तो किस–किस कार्य में कितनी राशि का उपयोग किया? यदि नहीं, तो क्यों इसके लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं? उक्त के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? अब कब तक सम्पूर्ण सड़क कार्य पूर्ण करा लिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में 5 गांवों को जोड़ने की स्वीकृति है जिसमें एक कार्य डामर सड़क से सम्पर्क सड़क चरडाना का पूर्ण हो चुका है। सभी कार्यों का स्वीकृत राशि का विवरण प्रपत्र "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त कार्यों में से सम्पर्क सड़क चरडाना का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष चार कार्य अपूर्ण नहीं रहे बल्कि (प्रपत्र "अ") अभी प्रगति पर है जिन्हें अनुबन्ध के अनुसार माह दिसम्बर, 2002 तक पूर्ण करना प्रस्तावित है।

(3) केशोरायपाटन क्षेत्र की नाबार्ड योजना के तहत निम्न ग्रामों की सड़कें स्वीकृत है। ग्राम बसवाड़ा के लिये 7.00 किमी. (लागत 58.22 लाख) ग्राम हिंगोनिया की 4.90 किमी. (लागत 26.75 लाख) ग्राम नौताड़ा की 5.5 किमी. (लागत 45.56 लाख) ग्राम गूहाटा की सड़क 5.00 किमी. (लागत 37.20) ग्राम चडी की सड़क 2.75 किमी. (लागत 24.87 लाख एवं ग्राम खरायता की सड़क की लम्बाई 2.00 किमी. व लागत 15.48 लाख है। स्वीकृत की गई राशि का उपयोग किया जा रहा है तथा व्यय

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

की गई राशि का विवरण प्रपत्र "ब" में संलग्न है। कार्यों के लिये कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है क्योंकि कार्यों पर शिथिलता/पर संवेदक के खिलाफ कार्यवाही की गई है। शेष कार्य दिसम्बर, 2002 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

सहायक अभियन्ता कार्यालय बांदीकुई द्वारा जारी कृषि विद्युत बिलों में अनियमितताएं

54. **श्री नाथूराम** (किशनगढ़): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सहायक अभियन्ता क्षेत्र बांदीकुई (दौसा) में किस-किस श्रेणी के कुल कितने-कितने कनेक्शन हैं? संख्यावार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि ग्राम आभानेरी के कुछ कुओं पर फ्लेट रेट से राशि वसूल की जा रही है? यदि हां, तो किस-किस उपभोक्ता से? उपभोक्ता के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्राम के कुछ उपभोक्ताओं को सम्बन्धि अभियन्ताओं द्वारा 5 हार्सपावर एवं 7½ हार्सपावर की मोटर को 7½ हार्सपावर एवं 10 हार्स पावर की मान कर अधिक राशि के बिल जनवरी, 2002 से वसूले जा रहे हैं? यदि हां, तो किस-किस उपभोक्ता से एवं किस आधार पर? वर्ष 2001 में उक्त उपभोक्ताओं से कितनी-कितनी राशि के बिल वसूले गए एवं जनवरी, 2002 से उक्त उपभोक्ताओं से कितनी-कितनी राशि के बिल वसूली हेतु भेजे गए? वर्ष 2002 के भेजे गए बिलों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त राशि में वृद्धि करने का आधार क्या था? क्या उक्त के सम्बन्ध में कोई निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाती है या कोई दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं? यदि हां, तो सम्बन्धित प्रक्रिया/नियम/निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सहायक अभियन्ता, बांदीकुई के अन्तर्गत कुल 12990 कनेक्शन हैं, जिनका श्रेणीवार विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	श्रेणी	कनेक्शनों की संख्या
1.	घरेलू	8889
2.	अघरेलू	1266
3.	स्ट्रीट लाइट	7
4.	कृषि (मीटर)	1584
5.	कृषि (फ्लैट रेट)	940
6.	नर्सरी	60
7.	लघु उद्योग	190
8.	मध्यम उद्योग	1
9.	जलदाय (लघु)	36
10.	जलदाय (मध्यम)	1
11.	मिश्रित भार	16
कुलयोग		12990

(2) ग्राम आभानेरी के निम्नलिखित सात उपभोक्ताओं से फ्लैट रेट की दर से राशि वसूल की जा रही है :-

(ऊर्जा मंत्री)

1. श्री बीरबल/रामधन/मूलचंद पुत्र जीता 1610/0066 5 हा.पा.
2. श्रीरामकुमार/नहन्या/सरवन आदि 1610/0067 5 हा.पा.
3. श्री रामदेव/कन्हैया/शिवराम पुत्र पन्नालाल 1610/0068 5 हा.पा.
4. श्री किशोरी लाल पुत्र श्री लक्ष्मी नारायण 1610/0074 7.5 हा.पा.
5. श्री कन्हैया/सरवन/कुशल पुत्र गोवर्धन 1610/0085 5 हा.पा.
6. श्री अर्जुन पुत्र श्री गंगाराम 1610/0188 5 हा.पा.
7. श्री रामचन्द्र पुत्र श्री सुगन शिवलाल 1610/0235 5 हा.पा.

(3) उक्त ग्राम के चार उपभोक्ताओं के यहां सहायक अभियन्ता (विजिलेंस) द्वारा चैकिंग करने पर लोड अधिक पाये जाने के कारण वी.सी.आर. भरी गई। बढ़े हुए भार को स्वीकृत करने के लिये 2950/–रुपये प्रति हा.पा. जिसमें 1500 रु प्रति हा.पा. अधिभार भी शामिल है, की दर से 7375/– रुपये प्रति कनेक्शन चार्ज किये गए जो कि उपभोक्ता द्वारा जमा करा दिये गए हैं। चैक किये गए उपभोक्ता व उनसे बढ़े हुए लोड के कारण ली गई राशि तथा जनवरी, 2001 से जुलाई, 2002 तक वसूली हेतु प्रेषित किये गए बिलों की राशि का विवरण परिशिष्ट ''अ'' सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(4) उक्त राशि को वसूलने का आधार राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का आदेश सं. आरईए–207 दिनांक 26.6.2000 के तहत नियम संख्या 19 में स्वीकृत भार के बढ़ाने के सम्बन्ध में किया गया प्रावधान है। उक्त नियम में भार बढ़ा हुआ पाये जाने पर 2950/ रुपये प्रति हार्स पावर की दर से राशि लेकर बढ़े हुए भार को नियमित करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त लाइन बदलने आदि का पूरा खर्चा उपभोक्ता को देना पड़ता है। आदेश की प्रति परिशिष्ट ''ब'' सदन के पटल पर रख दी गई है।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट–15 देखें)

तहसील नावां (नागौर) के लम्बित विद्युत कनेक्शन

55. श्री हरीश चन्द कुमावत (नावां): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि तहसील नावां के उपखण्ड कुचामन में 22 एवं नावां में 11 आवेदन पत्र फार्म हाउस कनेक्शन के जमा हुए? उक्त के मांग पत्र किस वरीयता से व कब तथा कितनी राशि के जमा हुए? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सम्बन्ध में दिनांक 19 जुलाई, 2002 को सरपंच पांचवा तथा पंचायत समिति सदस्य ने जानकारी दी थी कि स्पेशल योजना की फाइलें विद्युत कनेक्शन हेतु लम्बित हैं? उक्त की क्या स्थिति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री हरीश चन्द कुमावत)

(3) क्या उक्त तहसील के ग्राम खोरण्डी जी.एस.एस. में 2.5 एम.वी.ए. का ट्रांसफार्मर 4–5 माह से जला हुआ है और लम्बे समय तक यह ट्रांसफार्मर क्यों नहीं बदला गया है अब इसे कब तक बदल दिया जाएगा?

(4) क्या पंचायत समिति के ग्राम पलाड़ा में लाइनें ढीली हैं? क्या नावां शहर में वार्ड नं. 6 राम–लक्ष्मण कालोनी में मकानों के ऊपर से लाइनें खींची हुई हैं? यदि हां, तो इस समस्या का हल कब तक करा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) तहसील नावां के कुचामन उपखण्ड में फार्म हाउस श्रेणी में 23 आवेदन प्राप्त हुए थे। उक्त में से 19 आवेदकों ने, जो ग्रामीण क्षेत्र के थे, प्रार्थना पत्र देकर उनके आवेदनों को स्पेशल स्कीम में बदलवा लिया। एक आवेदक ने अपना आवेदन निरस्त करा लिया। शेष रहे 3 में से एक का मांग पत्र जारी किया जा चुका है जिसकी राशि जमा होना बाकी है। एक आवेदक का आवेदन स्वीकृति हेतु अधिशासी अभियन्ता के पास 20.8.2002 को प्रेषित किया गया है। श्री हेमाराम पुत्र बीजाराम का आवदेन 11 के.वी. लाइन के वी.आर. 8 प्रतिशत से ज्यादा होने के कारण मांग पत्र जारी नहीं किया है। नावां उपखण्ड में 11 आवेदन प्राप्त हुए थे जिसमें से 10 आवेदकों ने अपने आवेदन विशेष/सामान्य श्रेणी में परिवर्तित करवा लिए हैं। एक आवेदक को मांग पत्र जारी कर दिया है परन्तु मांग पत्र की राशि अभी तक जमा नहीं हुई है।

(2) उपखण्ड नावां में स्पेशल योजना के तहत 55 पत्रावलियां जमा हुई थी जिनमें 27 के मांग पत्र जारी कर दिए गए हैं। जिन 11 आवेदकों ने मांग पत्र की राशि जमा कराई है उनको कनेक्शन देने की कार्यवाही की जा रही है। कुचामन उपखण्ड में स्पेशल स्कीम में 152 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, जिनमें से प्रथम 50 में से 44 आवेदकों को मांग पत्र दिनांक 3.8.2002 को जारी कर दिये गए हैं। शेष 6 आवेदकों को वी.आर. 8 प्रतिशत से ज्यादा होने के कारण दिनांक 3.8.2002 को नोटिस द्वारा सूचित कर दिया गया है। शेष आवेदनों के तखमीना बनाने एवं स्वीकृति की प्रक्रिया जारी है।

(3) वर्ष 2000–2001 में बिजली की कमी की वजह से 132 के.वी., जी.एस.एस. दांता से सप्लाई एक ब्लाक में सप्लाई में दी गई थी। उस समय एक ब्लाक में सप्लाई देने के लिये ग्राम खोरण्डी में 2.5 एम.वी.ए. का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर लगाया गया। यह ट्रांसफार्मर वर्तमान में जला हुआ है। वर्ष 2001–2002 में दांता जी.एस.एस. से सभी फीडरों को दो ब्लाक में सप्लाई दिये जाने के आदेश होने के कारण खोरण्डी सब–स्टेशन से भी दो ब्लाक में सप्लाई चालू कर दी गई थी। इसी दौरान जो 2.5 एम.वी.ए. का अतिरिक्त ट्रांसफार्मर रखा

(ऊर्जा मंत्री)

गया था वह अकस्मात खराब हो गया। वर्तमान में खोरण्डी 33 के.वी. सब-स्टेशन पर दो 3.15 एम.वी.ए. व एक 1.6 एम.वी.ए के ट्रांसफार्मर पहले से ही स्थापित हैं यह तीनों ट्रांसफार्मर चालू हालत में है। इस जी.एस.एस. से जाने वाले 11 के.वी. के छह फीडरों को लोड के अनुसार दो-दो ब्लाक में सप्लाई दी जा रही है। अतः अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं होने के कारण इसे ठीक नहीं करवाया गया है।

(4) पलाड़ा ग्राम में ढीले तारों की जो भी सूचना सहायक अभियन्ता, कुचामन को प्राप्त हुई थी उनको क्रेश मेंटीनेंस प्रोग्राम के तहत सही कर दिया गया। वार्ड नं. 6 में विद्युत लाइन सन् 1990 में खींची गई थी तथा राम-लक्ष्मण कालोनी सन् 1991 में बसी है। ग्रामवासियों ने लाइन के नीचे ही मकान बना लिए हैं। इस ग्राम में 3 व्यक्तियों ने लाइन शिफ्ट करने के आवेदन प्रस्तुत किए थे जिनको मण्डल आदेश क्रमांक 170 (वाणिज्य) दिनांक 23.5.1996 के अनुसार "आधी रकम जमा कराने पर लाइन शिफ्ट करने की कार्यवाही की जा सकती है", के तहत सरपंच ग्राम पंचायत पलाड़ा के माध्यम से लाइन हटाने के लिये मांग पत्र जारी किया जा चुका है। मांग पत्र की राशि जमा होने पर लाइन हटाने की कार्यवाही करना सम्भव होगा।

जिला सीकर में प्रस्तावित पवन ऊर्जा उपक्रम

56. **श्री अमराराम** (धोद): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सीकर के हर्ष पर्वत पर पवन ऊर्जा उपक्रम लगाने की योजना में क्या प्रगति हुई है और इसकी फिजिबिलिटी क्या है? क्या इसका विभाग द्वारा आकलन किया गया है?

(2) क्या सरकार उक्त योजना लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला सीकर के हर्ष पर्वत पर एक 5 मेगावाट पवन ऊर्जा उपक्रम की स्थापना के लिए चैन्नई की एक कम्पनी मै. वेस्टास आर.आर.बी. से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा विकास निगम ने कम्पनी के प्रस्ताव की भूमि आबंटन हेतु जिला कलक्टर को अनुशंसा कर दी गई है।

जिला कलक्टर की अनुशंसा पर राज्य सरकार द्वारा भूमि आबंटित होने पर कम्पनी द्वारा इसका निर्माण कार्य हाथ में लिया जावेगा। इस विद्युत गृह हेतु आवश्यक आर्थिक संसाधन कम्पनी स्वयं जुटाएगी।

भारत सरकार के गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के सान्निध्य में किये गए

(ऊर्जा मंत्री)

एक आकलन के अनुसार हर्ष पर्वत माला में विद्युत जनन के लिए आवश्यक पवन वेग उपलब्ध है। इस आकलन के अनुसार प्रति वर्ग मीटर में 30 मीटर की ऊचाई पर 277 वाट विद्युत शक्ति उपलब्ध है। इस विद्युत शक्ति के साथ हर्ष पर्वत पर पवन विद्युत गृह लगाना वाणिज्यिक तौर पर सम्भाव्य माना गया है।

हर्ष पर्वत माला पर पवन वेग राजस्थान में अब तक के विभिन्न स्थानों के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक है परन्तु पवन ऊर्जा मशीनों की स्थापना के लिए सीमित भूमि ही उपलब्ध है। एक आकलन के अनुसार वर्तमान में उपलब्ध तकनीकी साधनों द्वारा 5 से 7 मेगावाट क्षमता के पवन विद्युत गृह स्थापित किये जा सकते हैं।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा फरवरी, 2000 में पवन ऊर्जा आधारित विद्युत गृहों को प्रोत्साहन देने की नीति अनुसार हर्षनाथ पर्वत व दूसरे उपयुक्त स्थानों पर निजी क्षेत्र में पवन विद्युत गृह स्थापना को प्रोत्साहित करने का विचार रखती है। इसी नीति के अनुसार प्रश्न संख्या-1 के उत्तर में उल्लिखित प्रस्ताव पर जिला कलक्टर को भूमि आबंटन की अभिशंसा की गई है। इस विद्युत गृह के भूमि आबंटन पश्चात् 6 माह की अवधि में स्थापित हो जाने की आशा है।

जिला सवाईमाधोपुर के प्रस्तावित ग्रिड सब-स्टेशन

57. **श्रीमती यासमीन अबरार** (सवाई-माधोपुर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र, सवाईमाधोपुर के शेरपुर ग्राम में 33 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन का कार्य कितने समय से चल रहा है और उक्त कार्य कब तक पूर्ण हो जावेगा? उक्त क्षेत्र के ग्राम बिच्छीदोना में स्वीकृत 33 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन का कार्य कब तक प्रारम्भ हो जावेगा एवं इसके पूर्ण करने का लक्ष्य कब तक का है?

(2) चक चैनपुरा एवं भेरू दरवाजा (सवाईमाधोपुर) दोनों स्थानों पर बन रहे 33 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन कब तक पूर्ण हो जावेगा तथा पूर्ण होने में क्या बाधा आ रही है?

(3) क्या सवाईमाधोपुर में 220 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन बन रहा है? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण हो जावेगा?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर के ग्राम शेरपुर में 33 के.वी. सब-स्टेशन की स्वीकृति ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कोड नं. 171199 के तहत माह मार्च, 1999 में हुई थी। सब-स्टेशन हेतु भूमि का आबंटन माह अगस्त, 1999 में होने पर अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर कार्य हेतु कार्य आदेश दिनांक 15.3.2000 को जारी किया

(ऊर्जा मंत्री)

गया। रेलवे लाइन की स्वीकृति दिनांक 18.8.2002 को प्राप्त हो गई है। अत: इस कार्य को इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करने के प्रयास किये जावेंगे। ग्राम बिच्छीदोना में 33 के.वी. सब-स्टेशन की स्वीकृति दिनांक 19.2.2002 को जारी हुई है परन्तु इस सब-स्टेशन का कार्य भाड़ोती में प्रस्तावित 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन बनने पर शुरू किया जाना है। 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन की अभी स्वीकृति जारी नहीं हुई है।

(2) चैनपुर में 33 के.वी. सब-स्टेशन का कार्य माह मार्च, 2001 में अजनोटी लाइन से जोड़ कर चालू कर दिया गया था इस सब-स्टेशन के लिए 33 के.वी. लाइन व 11 के.वी. इंटर कनेक्शन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा शेष अन्य कार्य पूरा करके माह सितम्बर, 2002 तक शहर का लोड डाल दिया जावेगा। भैरू गेट दरवाजा (सवाईमाधोपुर) में 6.5 कि.मी. 33 के.वी. लाइन व 2 X 3.15 एम.वी.ए. क्षमता का सब-स्टेशन स्वीकृत है। इसमें से 5.5 कि.मी. लाइन व सिविल कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं। रेलवे क्रासिंग की स्वीकृति भी अभी प्राप्त नहीं होने से कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है।

(3) जी हां। सवाईमाधोपुर में 220 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन का कार्य प्रगति पर है जिसे वित्तीय वर्ष 2002-2003 की अंतिम तिमाही में चालू करने का लक्ष्य है।

पंचायत समिति बायतू (बाड़मेर) की 33 के.वी. लाइन का निर्माण

58. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला बाड़मेर में कितनी क्षमता के कितने ग्रिड सब-स्टेशन गत तीन वर्षों में स्वीकृत हुए हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने ग्रिड सब-स्टेशन तैयार हुए हैं तथा उससे विद्युत आपूर्ति में कितना सुधार हुआ है और विद्युत की छीजत में कितनी कमी आई है?

(3) पंचायत समिति बायतू की 33 के.वी. लाइन की अब तक की क्या प्रगति है?

(4) अब कब तक उक्त लाइन तैयार होकर कितने क्षेत्र में बिजली का लाभ देगी?

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर में गत तीन वर्षों में पांच 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन एवं 23 33/11 के.वी. सब-स्टेशन स्वीकृत हुए हैं, जिनकी सूची मय क्षमता परिशिष्ट "अ" सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उक्त में से दो 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन तैयार हो चुके हैं तथा 4 33 के.वी. सब-स्टेशनों का निर्माण पूरा करके उनको चालू कर दिया गया है। 132 के.वी. जी.एस.एस. के निर्माण से बिजली छीजत में बचत अनुमानित 214 लाख यूनिट प्रति वर्ष

(ऊर्जा मंत्री)

आंकी गई है तथा 33 के.वी. सब-स्टेशन के निर्माण से 13.40 लाख यूनिटों की बचत होने का अनुमान है। उक्त ग्रिड सब-स्टेशनों के निर्माण से वोल्टेज में सुधार तथा विद्युत आपूर्ति के व्यवधान में कमी आई है।

(3) पंचायत समिति बायतू के अधीन कुल 170 कि.मी. 33 के.वी. लाइन है। जिसमें ग्राम बाटाडू, रोतऊ, परेऊ संतरा में 33/11 के.वी. सब-स्टेशनों के निर्माण हेतु स्वीकृत है। वर्तमान में 30 कि.मी. लाइन बाटाडू हेतु स्वीकृत है जिसका कार्य प्रगति पर है।

(4) उक्त लाइन को वर्ष 2002-2003 में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित है। इस लाइन के निर्माण से पंचायत समिति बायतू के 30 ग्राम लाभान्वित होंगे।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-16 देखें)

ग्राम बालूहेडा (कोटा) की स्वीकृत 11 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन

59. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जिला कोटा के बालूहेडा ग्राम में 11 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन बनाने की स्वीकृति हो चुकी है? यदि हां, तो कब?

(2) अब उक्त ग्रिड सब-स्टेशन बनाने का कार्य कब से शुरू किया जाएगा तथा कितने समय में पूर्ण कर जनता को राहत दी जाएगी?

(3) क्या उक्त ग्रिड सब-स्टेशन का कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है? यदि हां, तो उसे कब तक पूर्ण करा दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिला कोटा के ग्राम बालूहेडा में 1.6 एम.वी.ए. 33 के.वी. सब-स्टेशन की स्वीकृति दिनांक 18.12.2000 को जारी की जा चुकी है।

(2) इस सब-स्टेशन के निर्माण कार्य हेतु दिनांक 24.4.2002 को निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं। निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने पर कार्य आदेश जारी किये जायेंगे। इस कार्य को इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण करवाने के प्रयास किये जायेंगे।

(3) उपरोक्तानुसार।

राधारमण शिक्षा समिति एवं कौशल्या देवी शिक्षा समिति मण्डावर का पंजीयन

60. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राधारमण शिक्षा समिति/अकादमी कामां का पंजीयन भरतपुर में करवाया गया था? यदि हां, तो कब व किसके द्वारा? उक्त समिति/ अकादमी का पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं विधान पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार

(श्री हरजीराम बुरड़क)

द्वारा कौशल्या देवी शिक्षा समिति मण्डावर का पंजीयन भी किया गया है? यदि हां, तो कब? समिति के पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं विधान पत्र की प्रति, पदाधिकारियों के नाम पतों के विवरण सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। उक्त समिति का पंजीयन रजिस्ट्रार, संस्थाएं, जयपुर द्वारा दिनांक 2 फरवरी, 1981 को दिया गया। पंजीयन करवाने वाले सदस्यों के नाम संघ विधान पत्र, जो कि परिशिष्ट-1 पर संलग्न है, के बिन्दु क्रमांक-5 में उल्लिखित है। पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं विधान-पत्र की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। कौशल्या देवी शिक्षा समिति मण्डावर का पंजीयन, पंजीयन क्रमांक 01 पर दिनांक 8.4.2002 को किया गया। समिति के पंजीयन प्रमाण-पत्र एवं विधान-पत्र की प्रति नये पदाधिकारियों के नाम पतों के, परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

भूमि विकास बैंकों में मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के रिक्त पद

61. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कुल कितने प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक हैं तथा किस-किस श्रेणी के हैं?

(2) क्या यह सही है कि भूमि विकास बैंकों में विज्ञप्ति पदों के अनुरूप मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का नियोजन नहीं किया गया है?

उत्तर

(1) राज्य में कुल 36 प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के हैं।

(2) जी हां। चयन समिति को उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध नहीं होने के कारण कुछ बैंकों में विज्ञापित पदों के अनुरूप मुख्य कार्यकारी अधिकारियों का नियोजन नहीं किया गया है। विशेष चयन नियमों के नियम 16 (बी) के अनुसार राज्य सरकार को प्राप्त अधिकारों के अन्तर्गत उक्त नियोजन किया गया है।

प्रदेश के पूर्वी, पश्चिमी व दक्षिणी जिलों की शिक्षा सुविधा में अन्तर

62. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): क्या आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान के पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी क्षेत्र के जिलों का विद्यालयों व उच्च शिक्षा का प्रतिशत क्या है? क्षेत्रवार भिन्न शिक्षा स्तर की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राष्ट्र के विभिन्न प्रदेशों का उक्त

(श्री देवीसिंह भाटी)

स्तर की शिक्षा का क्या प्रतिशत है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश के पूर्वी जिलों से पश्चिमी व दक्षिणी जिलों की राजकीय शिक्षा सुविधा में बहुत ज्यादा अन्तर को पाटने के लिए सरकार की क्या योजना है? यदि नहीं, तो क्या सरकार ऐसी विशेष अतिरिक्त अवसर की योजना के लिए विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय योजना आयोग को उपरोक्त अन्तर को पाटने के लिए कोई प्रस्ताव भेजे हैं? यदि हां, तो प्रोजेक्ट, प्रस्ताव रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जनगणना के अन्तर्गत राज्य के पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी क्षेत्रों की क्षेत्रवार विद्यालयी व उच्च शिक्षा के प्रतिशत का पृथक से आकलन नहीं किया जाता है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य की जिलेवार साक्षरता प्रतिशत परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार राष्ट्र के विभिन्न प्रदेशों की साक्षरता प्रतिशत का विवरण परिशिष्ट "ख" पर संलग्न है।

(3) राजकीय शिक्षण सुविधाओं में क्षेत्रीय असंतुलन को पाटने, निकटतम शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराने एवं शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रमुख परियोजनाएं यथा शिक्षाकर्मी, लोक जुम्बिश, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) आदि संचालित किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा सामान्य क्षेत्र में 40 बच्चों पर तथा जनजाति (दक्षिणी जिलों) तथा रेगिस्तानी (पश्चिमी जिलों) क्षेत्रों में 25 बच्चों पर राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं खोली गई हैं। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा 6 से 14 आयुवर्ग के विद्यालयों से वंचित बालक-बालिकाओं के नामांकन तथा ठहराव के लिये "शिक्षा आपके द्वार अभियान" संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के अन्तर्गत विभिन्न परियोजनाओं की योजनाओं के संसाधनों को डवटेल (Dovetail) कर शिक्षा सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित हेतु सम्बन्धित जिलों के जिला कलक्टरों को अधिकृत किया गया है। इस प्रकार राज्य सरकार शैक्षिक क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिये प्रयासरत है।

(4) जी नहीं।

(विवरण के लिये कृपया परिशिष्ट-17 देखें)

बधाई

श्री भैरोंसिंह शेखावत को उप राष्ट्रपति निर्वाचित होने पर

श्री अध्यक्ष : सदन की ओर से आपके सामने भारत के उप राष्ट्रपति के पद पर श्री भैरोंसिंह शेखावत को निर्वाचित होने पर सदन की ओर से बधाई संदेश।

(श्री अध्यक्ष)

इस सदन में प्रतिपक्ष के नेता माननीय श्री भैरोंसिंह शेखावत के भारत के उप राष्ट्रपति के गरिमामय पद पर आसीन होने पर यह सदन गौरव और प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है।

श्री शेखावत संवैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत उप राष्ट्रपति के पद पर आसीन होने के फलस्वरूप 19 अगस्त, 2002 से इस सदन के सदस्य नहीं रहे हैं।

राजस्थान में संसदीय लोकतंत्र के सूत्रपात के साथ ही श्री शेखावत वर्ष 1952 में गठित पहली राजस्थान विधान सभा से वर्तमान ग्यारहवीं विधान सभा तक दस बार इस सदन के सदस्य निर्वाचित हुए हैं। विधान सभा के दीर्घकाल के दौरान आप तीन बार इस सदन के नेता और मुख्य मंत्री तथा तीन बार प्रतिपक्ष के नेता के पद पर आसीन रहे हैं। प्रदेश में संसदीय लोकतंत्र के विकास तथा इस सदन में संसदीय परम्पराओं की स्थापना में आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

श्री शेखावत के भारत के उप राष्ट्रपति के पद पर आसीन होने पर मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के समस्त सदस्यों की ओर से उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं।

अनुपस्थिति-अनुमति

डा. किरोड़ी लाल को 26 अगस्त, 2002 से सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि डा. किरोड़ी लाल, सदस्य विधान सभा ने शारीरिक अस्वस्थता के कारण दिनांक 26 अगस्त, 2002 से सत्रांत तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि इन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाये?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गयी।

स्थगत प्रस्तावों पर व्यवस्था।

मांग

अकाल पर चर्चा की मांग

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर भयंकर अकाल पड़ा है, 41 हजार गांव अकाल की चपेट में हैं। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर गांव के गांव खाली होते जा रहे हैं और सरकार +++ कर रही है। सरकार ने मात्र 8000 गांवों में काम खोले हैं। (व्यवधान) अकाल की स्थिति इस तरह की बनी है कि.... (व्यवधान)

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

अनेक माननीय सदस्य : गलत है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता....(व्यवधान)

श्री सोहन नायक (रायसिंहनगर) : प्रयोजित कार्यक्रम है। सरकार ही मैनेज कर रही है। सरकार ने अकाल का प्रबन्धन आलीशान तरीके से किया है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : यह जनता सरकार की ओर देख रही है। (व्यवधान) मुख्य मंत्री, आपके सदस्य ही इस गम्भीर विषय पर +++ करना चाहते हैं प्रदेश की जनता के साथ। (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : और सरकार इस बात की बधाई की पात्र है कि अकाल प्रबन्धन आलीशान हुआ है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता....(व्यवधान) आज राजस्थान की जो हालत है....(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : केन्द्र सरकार मदद नहीं कर रही। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, अकाल पर स्थगन प्रस्ताव भी आये हैं।

श्री सोहन नायक : हमारे कार्यकाल में अकाल प्रबन्धन में किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं हुई है। यह प्रयोजित कार्यक्रम है आपका। (व्यवधान)...

श्री मानिक चन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन तो यह है कि आज अकाल पर ही चर्चा करवाएं और पंचायती राज की चर्चा को स्थगित करवाने का काम करें। (व्यवधान) महत्त्वपूर्ण मुद्दा अकाल का है। पशुधन मर रहा है, चारे की कोई व्यवस्था नहीं है, चारे को पशु तरस रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : गलत बोल रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, सरेआम गलत बोल रहे हैं। कोई किसी गांव से पलायन नहीं हुआ है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, सरेआम गलत बोल रहे हैं, +++ बोल रहे हैं।

श्री सांवर लाल : इतने गम्भीर विषय पर +++ कर रहे हैं राजस्थान की जनता के साथ। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : कोई गांव से पलायन नहीं हुआ है। +++ बोल रहे हैं।

श्री सांवर लाल : आज अकाल पर चर्चा हो। पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था नहीं है और पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पहले अकाल पर चर्चा होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : अध्यक्ष महोदय, सीमान्त क्षेत्र के अन्दर केन्द्र सरकार ने अभी तक हमारे 75 प्रतिशत मुआवजा राशि नहीं भेजी है। अभी तक केन्द्र सरकार ने मुआवजा नहीं दिया। (व्यवधान)

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री सांवर लाल : पहले इस पर चर्चा की जाए, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : मुआवजा राशि नहीं मिली। (व्यवधान) केन्द्र सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है, 75 प्रतिशत मुआवजा राशि अभी तक वितरित नहीं की है।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, लोग गांव छोड़ गये। (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : केन्द्र सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है, 75 प्रतिशत सैनिक माइन्स में गयी भूमि का मुआवजा नहीं दिया अभी तक।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पहले अकाल पर चर्चा हो। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : हमारा आप से निवेदन है कि वह चर्चा पहले करवायी जाए।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री सोहन नायक : +++

अनेक माननीय सदस्य : +++

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष : कार्य सलाहकार समिति ने 29 तारीख को अकाल पर चर्चा करने के लिए तिथि निर्धारित की है, 29 तारीख को इस पर चर्चा होगी।

डा. के. सी. चौधरी : जब अकाल पर एक दिन पूरी बहस होगी....(व्यवधान)

श्री सोहन नायक : +++

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : +++

श्री सोहन नायक : +++

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : +++

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

(12.08 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। बैठिये आप। (व्यवधान)....हां, हां, चर्चा.... (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : भयंकर सूखे की स्थिति है, पशुओं के लिए चारा नहीं है, पीने का पानी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये। आप बैठिये। (व्यवधान) आर्डर, आर्डर।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत : उपाध्यक्ष महोदय, यह इतिहास के अन्दर पहली बार

+++ नारेबाजी अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत)

है कि 16 अगस्त से अकाल राहत के कार्य शुरू हुए हैं। पानी के बिना न तो कोई मवेशी मरा, न कोई मनुष्य मरा। पीने का पानी, चारे की व्यवस्था और मजदूरी की व्यवस्था है।

श्री हीरासिंह चौहान : आप कह रहे हैं कि हम बैठ जाएं, वह क्यों बोल रहे हैं? हमारा एक मैम्बर बोल रहा था, उधर से दस मैम्बर बोलना शुरू हो गये।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठ जाएंगे तो वे भी बैठ जाएंगे।

श्री हीरासिंह चौहान : सत्तापक्ष के कैसे खड़े हो गये? हमारे तो एक राठौड़ साहब खड़े हुए थे और हमारी ड्यूटी थी, हम सरकार को इस बारे में हमारी पीड़ा बताते। उनको बोलने की क्या जरूरत है? हमारा एक खड़ा हुआ, वे बीस खड़े हो गये। यह हाउस चलाने का तरीका है क्या?

श्री उपाध्यक्ष : जाड़ावतजी, बैठ जाइये।

श्री हीरासिंह चौहान : उनको बोलने का क्या अधिकार है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर। सुरेन्द्र सिंहजी, बैठिए। आप क्या कह रहे हैं? आप बोलो। (व्यवधान) आप बैठिए, आर्डर, आर्डर। आप बैठिए, सुरेन्द्र सिंहजी।

(सदन कूप में नारेबाजी)

श्री हीरासिंह चौहान : हाउस की कोई गरिमा होती है, हाउस चलाने के तरीके होते हैं। बीस बोलने लग जाते हैं। (व्यवधान) हम यहां पर किसलिए आये हैं? (व्यवधान) हम तो बोलेंगे, हमें बोलने का अधिकार है। बीस आदमी वहां से बोलते हैं, क्या है यह? (व्यवधान) What is the decorum of the House? सत्तापक्ष के लोग बोलते हैं। हम तो बोलेंगे, हमारा अधिकार है। Why are they standing there?

श्री रमजान खान : सत्तापक्ष के सदस्यों को चुप कीजिए। यह आपका दायित्व है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन यह कर रहा था कि सदन जिस प्रकार से संचालित हुआ....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : अब क्या बोल रहे हैं? (व्यवधान) इनको सुनने तो दो। आप बोलो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : आप इनके नेतृत्व को नहीं मानते, यह साफ जाहिर करता है। माननीय राठौड़ साहब, यह आपको नेतृत्व नहीं दिया गया है इसलिए आप गुलाब चन्दजी कटारिया के खिलाफ इस तरह का षड्यंत्र करके इनको भड़का रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप बोलें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, आपसे प्रार्थना यह है कि हमने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में यह निवेदन किया था और इस कारण से किया था कि जनता....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए न प्लीज। आपके नेता बोल रहे हैं, अब तो बैठो। (व्यवधान) इनको बैठाओ न।

श्री राजेन्द्र पारीक : इनको अपने स्थानों पर बैठने के लिए कहिए, तब बात सुनी जाएगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : विषय ऐसा संवेदनशील था और हमारा आग्रह यह था कि राजस्थान की पांच करोड़ जनता जिससे प्रभावित है, गांव का हर आदमी अकाल के कारण से अपने आपको दुःखी महसूस कर रहा है और एक साल नहीं लगातार चार साल का अकाल है। हमारा आग्रह यह था, यह एक ऐसा संवेदनशील विषय था जिसको प्राथमिकता देनी चाहिए थी। इस पर चर्चा होती तो निश्चित रूप से सरकार को भी इसमें मदद मिलती।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सरकार को इसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है।

श्री जुगल काबरा : उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय को कहिए कि पहले सदस्यों को व्यवस्थित करें फिर अपना वक्तव्य दें। वह पहले अपने दल के सदस्यों को व्यवस्थित तरीके से बैठने के लिए कहें, उसके बाद कोई वक्तव्य दें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : राजस्थान के हम जितने भी जनप्रतिनिधि आये हैं हमारा यह नैतिक दायित्व था कि उस विषय को अपने क्षेत्र के हिसाब से आपके सामने रखते। कारण यह है कि पंचायत के बारे में जो हम विचार करके शक्तियां देने की कोशिश कर रहे हैं, वह ऐसा विषय नहीं था। अगर दो दिन बाद उसे लिया जाए तो कोई बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला नहीं था। इस विषय पर हम शक्तियां चार दिन बाद भी दे सकते हैं। अभी तो केवल विचार होगा, प्रस्ताव और सुझाव आएंगे उसके बाद सरकार विचार करेगी और पंचायती राज को सशक्त करेगी। प्राथमिकता देने का सवाल है। पंचायती राज को आप करें, हम लोग भी उसमें मदद करेंगे पंचायतों की शक्ति बढ़ाने में। लेकिन वह विशेष ऐसा नहीं था। अगर एक दिन, दो दिन, चार दिन लेट आ गया तो उसके कारण से कोई आसमान फटकर धरती फट जाएगी, ऐसी स्थिति नहीं थी। पर अकाल एक ऐसा विषय है जिससे सारा जनमानस, राजस्थान की पांच करोड़ जनता जिस विषय से प्रभावित है। हमारा जो क्राइटेरिया है कि कौनसे विषय को प्राथमिकता देनी चाहिए और कौनसे को नहीं देनी चाहिए, मैं सोचता हूं अकाल से ज्यादा प्राथमिकता वाला विषय आज की तारीख में राजस्थान की जनता के सामने कोई नहीं

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

है। पंचायतों को जो आप शक्तियां देना चाहते हैं वह दो दिन बाद अगर देते, हमारा वह आग्रह था। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि उस आग्रह को आपने 29 तारीख को किया। हमें उस समय तो कहा था कि इसमें जीरो आवर होगा, लेकिन आज जो बुलेटिन आया उसमें आपने जीरो आवर को समाप्त करके, हमारा चार दिन में थोड़ा बहुत विषय उठाने का यह जो समय मिलता उस समय में कटौती की। कोई माननीय सदस्य नहीं कह सकता कि अकाल की गम्भीरता से यह सदन सारा का सारा जानकारी लेना चाहता है। सामूहिक रूप से मिलकर हम केन्द्र सरकार से आग्रहपूर्वक हमारे इस अकाल के मुकाबले के लिए बात कर सकते हैं लेकिन प्राथमिकता....

श्री राजेन्द्र पारीक : पाइंट आफ आर्डर। उपाध्यक्ष महोदय, जब सदन आर्डर में नहीं है, पूरा का पूरा सदन एक जगह इकट्ठा हो रहा है....

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर सत्ता पक्ष असहयोग करेगा तो हमारी मजबूरी होगी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : उनको बैठाइए। आप इनको व्यवस्थित करिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए प्लीज।

श्री राजेन्द्र पारीक : हाउस को आर्डर में आना चाहिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए न।

श्री जुगल काबरा : नेता प्रतिपक्ष की भावना स्पष्ट नहीं है।

श्री राजेन्द्र पारीक : इनको बैठाइये तब बात सुनी जाएगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए। आर्डर, आर्डर। माननीय नेता, प्रतिपक्ष।

श्री जुगल काबरा : पंचायती राज के मामले में केन्द्र सरकार....(व्यवधान) हमारी पार्टी पंचायती राज संस्थानों को अधिकार देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी जान बूझकर गुमराह करना चाहती है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलो न, माननीय नेता प्रतिपक्ष।

श्री राजेन्द्र पारीक : पंचायती राज का सशक्तीकरण ग्रामीण इलाकों के लिए है, शहर के बसने वाले लोग यह नहीं चाहते कि ग्रामीण इलाके की पंचायतों को हम सशक्त करें।

श्री उपाध्यक्ष : राजेन्द्रजी पारीक, प्लीज। (व्यवधान) आप बैठिए, हो गया। माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान) जवाब दे रहे हैं वह।

श्री खेतसिंह राठौड़ (संसदीय कार्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई थी उस बैठक के अन्दर प्रतिपक्ष के नेता भी थे.... (व्यवधान) देवीसिंहजी भी थे और उनके चार पांच मैम्बर वहां मौजूद थे। उस वक्त एक बार इन्होंने जरूर यह बात कही, फिर उसके बाद ये एग्री हो गये।

एक माननीय सदस्य : नेता प्रतिपक्ष को पहले सुनिए आप।

श्री खेतसिंह राठौड़ : इनके आश्वासन और एग्रीमेंट पर ही बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया और उस निर्णय के अनुसार ही आज यह कार्यवाही निकाली गयी।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

उपाध्यक्ष महोदय, यह साफ जाहिर करता है कि अपोजीशन के नेता की कोई नेतागिरी नहीं है। श्री गुलाब चन्दजी को कोई नेता नहीं मानते इसलिए उनके हाथ से बागडोर निकल गयी है। यह नेता विहीन दल है। इसलिये इस दल की कोई बात नहीं मानी जा सकती। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आर्डर।

डा. के. सी. चौधरी : पंचायतों को अधिकार नहीं देना चाहते हैं बी.जे.पी. वाले दोगला काम कर रहे हैं। अकाल पर चर्चा करने के लिए 29 तारीख पहले से तय है। उपाध्यक्ष महोदय, पंचायती राज के विकेन्द्रीकरण जैसे महत्वपूर्ण विषय पर इनको व्यवस्थित करिएगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठो न हो जाएगा। सुरेन्द्र सिंहजी, आप बहुत बोल रहे हैं। बैठो आर्डरी प्लीज। माननीय चौहान साहब, प्लीज आर्डर। (व्यवधान) पहले मेरे को सुनिए। (व्यवधान) आर्डर प्लीज। आसन पैरों पर है। प्लीज सिट डाउन। (व्यवधान) आप बैठिए, नीचे बैठिए।

माननीय सदस्यगण, प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आपको यह मालूम है कि यह सदन खास तौर से पंचायती राज पर चर्चा करने के लिए आहूत किया गया है। (व्यवधान) आर्डर प्लीज। आप सुनिए, बिलकुल सही है। भले ही बजाओ, कुछ नहीं होगा। आप सुनिए। (व्यवधान) इस विषय पर कल बी.ए.सी. में.... आप सुनिये। इस विषय पर कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में (व्यवधान) सुनिये आप, कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में इस पर काफी चर्चा हो चुकी और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो निर्णय हुआ, आपके प्रतिपक्ष के नेता मौजूद थे उनके सामने यह तय हुआ कि पहले....(व्यवधान) प्लीज सुनिये, उसमें यह तय हुआ कि दो रोज पहले पंचायती राज पर बहस होगी, 29 तारीख को पूरे दिन अकाल पर बहस होगी।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री मानिक चन्द सुराना, सदस्य की ओर से किसानों के भाखरा व्यास प्रबन्धन बोर्ड द्वारा पर्याप्त पानी नहीं देने के सम्बन्ध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

(2) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से कोटा नगर के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

(3) श्री सांवर लाल, सदस्य की ओर से बीसलपुर पेयजल योजना के क्रियान्वयन में हो रही देरी के सम्बन्ध में।

(4) श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य की ओर से अकाल की स्थिति के कारण चारा, पानी एवं मजदूरी का संकट होने के सम्बन्ध में।

(5) श्री अमराराम (धोद) एवं श्री रिछपाल सिंह मिर्धा, सदस्य की ओर से राज्य में अकाल की स्थिति पैदा होने के सम्बन्ध में।

(6) श्री हरीशचन्द कुमावत, सदस्य की ओर से पंचायत समिति, नागौर में शिक्षाकर्मी पाठशाला खोलने में बरती गयी अनियमितता के सम्बन्ध में।

(7) श्री सुरेन्द्र व्यास एवं दो अन्य सदस्य की ओर से उदयपुर स्थित अमेरिकन इंटरनेशनल हैल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड संस्था को राजकीय आवास विक्रय करने के सम्बन्ध में।

(8) श्री नन्दलाल मीणा, सदस्य की ओर से जिला चित्तौड़गढ़ के हमजिया खेड़ी बांध का निर्माण कार्य घटिया होने के सम्बन्ध में।

(9) श्री राजेन्द्र राठौड़ एवं दो अन्य सदस्य की ओर से राजस्थान में व्याप्त भयंकर सूखे व अकाल की स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुनें आप एक सैकण्ड रुक कर।

श्री उपाध्यक्ष : क्या हुआ?

मांग

अकाल पर चर्चा की मांग

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, जैसी आपने कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बात कही.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप आ जाओ आर्डर में। मैं रोक रहा हूं क्या आपको आर्डर में आने के लिए? बैठिये ना फिर आप।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नेता को नेता ही नहीं मानते। भैरोसिंहजी गये और इनकी नेतागिरी खतम। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हां, आप क्या कह रहे हैं?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह निवेदन कर रहा था....

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप अपने नेता को तो सुन लें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट बैठें।

श्री खेतसिंह राठौड़ : नेता को नेता ही नहीं मानते। उपाध्यक्ष महोदय, कल सारा बिजनेस इनके सामने तय हुआ और इन नेता महोदय ने हां भरी और यहां पर आज आकर....

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में विषय आया, हमने वहां भी इस बात को रखा कि राजस्थान में प्राथमिकता के आधार पर पहले अकाल लीजिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : हां, यह बात रखी और उसके बाद आप राजी हो गये। आपके साथ में बैठे हुए राजेन्द्र सिंहजी भी राजी हो गये, यह देवीसिंहजी भाटी राजी हो गये। यह आपके वो राजी हो गये। उस वक्त में तो कोई बोले नहीं और अब यहां आकर हल्ला शुरू कर दिया आपने। इसका आशय यह है कि आपकी पार्टी में आपकी नेतागिरी नहीं चलती। यह आपको नेता नहीं मानते, इसी वजह से यह सारा हो रहा है।

श्री देवीसिंह भाटी : मैं कोई राजी नहीं। +++ मैजोरिटी के आधार पर यह सब....

श्री खेतसिंह राठौड़ : जिस वक्त यहां भैरोंसिंहजी थे, एक हाथ के इशारे से सब बैठ जाते थे। आपके कहने में तो कोई है ही नहीं।

श्री देवीसिंह भाटी : पूरे प्रदेश में अकाल का संकट है आप लोगों को उसका ध्यान करना चाहिए।

श्री खेतसिंह राठौड़ : ऐसे कैसे चलेगा, मुझे बताइये? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो बात तय हुई उसको भी आपने बदला है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में यह विषय आया.... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, देवीसिंहजी को नेता नहीं बनाया तो वो कैसे राजी हो सकते हैं? नेता बनाया होता तो आप राजी होते।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह निर्णय हुआ था, हमारी तरफ से आग्रह था कि अकाल पहले लें। सरकार की तरफ से आग्रह था कि पंचायती राज को जो शक्ति दे रहे हैं वो पहले हो। और इस बात पर जद्दोजहद हुई....

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : हां, हुई।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : लेकिन उसके बाद भी यह हुआ कि नहीं, आप चाहते थे कि पंचायती राज को पहले लिया जाए और लिया। और उसके बाद यह तय हुआ, 29 तारीख को चर्चा करेंगे, जीरो आवर रहेगा। बाद में यह बात हुई। आज जो आपने सूची भेजी उसमें आपने 29 तारीख को जीरो आवर भी काट दिया। यह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कहां तय हुआ था कि जीरो आवर नहीं होगा? आपने चला कर यह जब निर्णय किया, उस निर्णय को बाद में आपने बदल दिया। क्या मतलब निकला उस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का?

श्री खेतसिंह राठौड़ : आप स्वयं कह रहे हैं कि अकाल बहुत बड़ी समस्या है तो हमने सोचा कि अकाल पर ज्यादा समय मिले, सबको बोलने का मौका मिले, सब अपनी अपनी बात को कहें इसलिए उसमें जीरो आवर नहीं रखा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जो निर्णय हुआ वह निर्णय तो यह हुआ था कि जीरो आवर भी होगा और रात को देर तक चलाने की....(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मीटिंग में तो यही तय हुआ था कि शून्यकाल और जीरो आवर होगा। प्रश्नकाल होगा, मीटिंग में यही तय हुआ था।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपने यह स्वीकार किया था कि प्रतिपक्ष की तरफ से नौ बजे होगा तो होगा। लेकिन आपने तय करने के बाद आज जो कार्य सूची हमारे पास भेजी उसमें जीरो आवर काट दिया। हमारी और आपकी तय यह हुई थी कि जीरो आवर वैसा यथावत रहेगा 29 तारीख का। लेकिन आपने 29 तारीख का जीरो आवर भी काटा। हमारा जो कमेटी में निर्णय हुआ था उस निर्णय को आपने बाद में बदल कर जीरो आवर खतम किया। हमारे सामने जब चर्चा हुई थी तब हमने इस बात को रखा था कि नहीं, जीरो आवर तो आप जरूर रखिये। चार दिन कुल सत्र चलेगा। विषयों को हम रखना चाहते है और विषय रखने का हमारे पास एक ही माध्यम बचता है। उसको आपने स्वीकार किया और यह कहा कि चर्चा अगर लम्बी भी चलेगी तो हम देर तक इस चर्चा को चलाएंगे। हमने भी इस बात को स्वीकार किया। और सरकार का जवाब पहले आठ बजे का आपने कहा था। हमने कहा, नहीं, इस समय को और बढ़ा दीजिए और नौ बजे को आपने स्वीकार किया। उसके बाद भी समय की आवश्यकता पड़ती तो दस बजे जवाब हो जाता। लेकिन इस बात को लेकर जिन बातों को आपने स्वीकार किया उनको भी आपने अपनी मनमर्जी से बदलने की कोशिश की।

हमारी प्राथमिकता तो, बार-बार आपसे आग्रह यह था कि अकाल हमारी पहली प्राथमिकता है। पंचायती राज को अगर दो दिन बाद भी शक्ति मिल जाएगी या शक्ति

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

के बारे में निर्णय कर लेंगे तो आसमान फटकर धरती पर नहीं पड़ने वाला था। लेकिन उसके बाद....

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपकी पहली प्राथमिकता तो जीरो आवर....

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हम कोई भाग नहीं रहे थे, यहां से जा नहीं रहे थे। लेकिन उसके बाद भी, यह स्वीकार करने के बाद भी क्यों बदली कार्य सूची? जिस बात को हमने सबने बैठकर स्वीकार किया उसमें भी आपने अपनी इच्छा से जीरो आवर काट दिया, इस बात का विरोध है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अभी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट आपके सामने आयी नहीं है (व्यवधान) आर्डर, आर्डर, आप बिराजिये। जब यह आएगी, आपका जो आब्जेक्शन है उस वक्त बोल लेना, अभी क्या जरूरत है?

श्री देवीसिंह भाटी : यह सरासर वादाखिलाफी है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हम बैठे थे, यह तय हुआ था कि जीरो आवर यथावत रहेगा। उसके बाद में अगर विधान सभा सचिवालय से यह होता है तो हमें दु:ख है कि यह आसन भी हमें प्रोटेक्ट नहीं करता है।

श्री उपाध्यक्ष : आप हमारी बात नहीं समझ रहे हो।

श्री देवीसिंह भाटी : यहां सारा +++ मेजोरिटी के आधार पर होता है। यहां कोई न्यायिक दृष्टिकोण नहीं होता है।

श्री उपाध्यक्ष : रिपोर्ट आपके सामने आएगी, अडाप्ट होगी उस वक्त बोलिये आप।

श्री देवीसिंह भाटी : क्या आएगा? यह जनता मर रही है प्रदेश की। अकाल के कारण से आधा पशुधन खतम हो गया और आपकी....(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आसन +++ क्यों कर रहा है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आसन तो न्याय का है, आसन क्यों +++ कर रहा है? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : पीने का पानी उपलब्ध नहीं कराएंगे? यह चाहते क्या हैं हमको बताइये? (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, यहां बार-बार इस बात पर जोर दिया जा रहा था कि अकाल पहली प्राथमिकता है। लगातार चौथे साल अकाल पड़ रहा है, लोग गांव छोड़ कर जा रहे हैं.... (व्यवधान) जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था नहीं, चारे की व्यवस्था नहीं और फिर पंचायती राज पर चर्चा करना चाहते हैं। क्या चर्चा करेंगे यह?

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : अकाल की चिन्ता सरकार को है, और किसको है? अभी जब वित्त मंत्री आये तो आपने किसी एक ने भी कहा। अकाल के बारे में किसी ने भी चर्चा की? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अकाल पर चर्चा कराइये, उपाध्यक्ष महोदय, पहली प्राथमिकता यह है कि माननीय सदस्यों की। राजस्थान की जनता यह चाहती है।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : आपको केवल राजनीति करनी है अकाल के नाम पर और पंचायती राज संस्थानों का बिलकुल.... (व्यवधान) घोर विरोधी हो पंचायती राज संस्थाओं के। आपके शासन में हमेशा पंचायती राज संस्थाएं कमजोर हुई हैं, इसलिए आप नहीं चाहते हो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जैसा निर्णय लिया....

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, बत्तीस के बत्तीस जिलों में अकाल है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या हम आसन पर यह बात छोड़ें कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जैसा निर्णय हुआ था, जीरो आवर होगा यह निर्णय हुआ था, आप इस बात को....(व्यवधान) अब आप जीरो आवर को यथावत रखेंगे या काटेंगे?

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक): जब तक सदन में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट पेश न हो उसको गोपनीय रखने की आपको हिदायत दी गयी है।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : यह पंचायती राज संस्थानों के घोर विरोधी हैं इसलिए यह नहीं चाहते, बात को मोड़ना चाहते हैं और....

श्री हरिसिंह (महुवा) : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट जब तक सदन में पेश न हो तब तक रिपोर्ट को गोपनीय रखें। यह आपको सचिवालय की तरफ से हिदायत दी गयी है। अभी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट पेश हुई नहीं है इसलिए आप कौनसा....

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : और गुलाबजी कटारिया को प्रतिपक्ष का नेता मानते नहीं इनके सदस्य, इसलिए इनकी बातों को महत्व नहीं दिया जा रहा। अव्यवस्था फैलायी जा रही है, बार–बार इकट्ठे हो रहे हैं। सबकी भावना भी यही थी कि चूरू से आने वाले विधायक महोदय को प्रतिपक्ष का नेता चुना जाए। लेकिन मजबूरियां थीं। जिस तरह से हर जगह....

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जीरो आवर का रख रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। (व्यवधान) बिराजिये। (व्यवधान)

श्री आर. पी. शर्मा : राजनीति करना चाह रहे हो आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये प्लीज। आप बैठिये। (व्यवधान) फालतू ही, आपको क्या मतलब है उसका? (व्यवधान) माननीय सदस्य प्लीज आप बिराजिये ना। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, वह कह रहे हैं हम राजनीति कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठो न। आप बैठो तो सही। माननीय सदस्य, मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं कि यह बुलेटिन सर्कुलेट हुआ है यह अभी हाउस में आएगा। जीरो आवर का आपका प्रश्न 29 तारीख का है, आज का तो है नहीं। आज तो जीरो आवर है। 29 तारीख का है, बुलेटिन को आने दीजिये। उस पर पुनर्विचार की आवश्यकता होगी तो रिक्वैस्ट कर लेंगे स्पीकर साहब को। अभी इस पर बहस का क्या विषय है? अभी तो कोई प्रश्न ही नहीं है, इसलिये हाउस को क्यों....(व्यवधान) रिपोर्ट आएगी, उस पर फैसला करना आप। जब भी रिपोर्ट हो....

श्री ज्ञानदेव आहूजा : जीरो आवर मुद्दा भी हम चाहते हैं....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अकाल पर पहले बहस हो। हमारी मांग है कि राजस्थान में अकाल पड़ा हुआ है, 41,000 गांव उससे इफैक्टेड हैं....

श्री उपाध्यक्ष : रिपोर्ट ही नहीं आयी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पांच करोड़ पशुधन इफैक्टेड है।

श्री उपाध्यक्ष : आप कर लेना। (व्यवधान) उस पर कर लेना। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : साढ़े चार करोड़ जनता इफैक्टेड है तो उस पर पहले चर्चा हो।

श्री उपाध्यक्ष : What do you mean ? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) **:** पशु मर रहे हैं, आप पशुधन....(व्यवधान)

श्री रमजान खान : बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की क्या सैंक्टिटी रह गयी है जब इसके अन्दर पूछ लिया गया....(व्यवधान) जब विधान सभा सचिवालय से सर्कुलेट हुआ है, यह क्यों हुआ है? प्रश्न यह है कि....(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : पूरे इलाके के अन्दर पशुधन समाप्त हो रहा है। जनता रोजगार के लिये पलायन कर रही है गुजरात और मध्य प्रदेश में। बड़े पैमाने पर जन जीवन प्रभावित हो रहा है। पशुधन का सवाल है, बहुत संवेदनशील मामला है....

श्री उपाध्यक्ष : मान ली ना आपकी बात। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : नहीं, पहले अकाल के ऊपर चर्चा होगी।

श्री उपाध्यक्ष : वह नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : अकाल के ऊपर पहले चर्चा होगी। प्रदेश में लोग मर रहे हैं। आधे से ज्यादा पशुधन मर चुका है। अकाल के अलावा कोई चर्चा पहले नहीं की जाएगी ताकि सरकार इसके ऊपर अपना वक्तव्य दे।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष : (1) श्री मानिक चन्द सुराना, सदस्य की ओर से राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा के संदर्भ में किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा रक्षा मंत्रालय से दिलवाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से पंचायत समिति, बारां में निर्माण कार्यों में बरती गयी अनियमितता एवं कथित भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।

(3) श्री सांवर लाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भिनाय में बनायी गयी ग्रेवल व अन्य सड़कों का निर्माण सही नहीं होने के सम्बन्ध में।

श्री मानिक चन्द सुराना। (व्यवधान)

मांग

अकाल पर चर्चा की मांग

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (अकाल राहत मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपको मालूम है, कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में यह तय हुआ था और सभी माननीय सदस्य उसमें मौजूद थे कि अकाल पर चर्चा 29 तारीख को करायी जाएगी। समय 8 बजे तय किया गया था। माननीय भंवर लालजी शर्मा का यह प्रस्ताव था कि सरकार की ओर से उत्तर 9 बजे दिया जाएगा। सरकार इस मामले को सीरियसली लेती है। सरकार आज भी तैयार थी, लेकिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के हिसाब से जब 29 तारीख तय कर दी है। सरकार सारी चीजों को फेस करने के लिये तैयार है, सरकार जवाब देने को तैयार है। सरकार ने व्यवस्था की है। जब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कोई चीज तय की जाती है और माननीय नेता, प्रतिपक्ष स्वयं मौजूद थे, फिर यह प्रश्न यहां क्यों खड़ा कर रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपने शायद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की जो रिपोर्ट आपके पास आयी है उसको पढ़ा नहीं है।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : वह रिपोर्ट के बाबत....

श्री गुलाब चन्द कटारिया : एक बार आपने कोई निर्णय ले लिया वह निर्णय भी आपने वापस ले लिया। जो निर्णय आपने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में लिया....

श्री हरिसिंह (महुवा) **:** अभी गोपनीय दस्तावेज है, अभी गोपनीय दस्तावेज है। अभी गोपनीय है। पहले हाउस में पेश किया जाएगा....

श्री गुलाब चन्द कटारिया : गोपनीय है तो आपने हमारे पास सूचना कैसे भेजी?

श्री हरिसिंह (महुवा) **:** अभी हाउस में पेश होने दो। इनको नोट करा लिया। गोपनीय है, इस पर आप विचार नहीं कर सकते। हाउस में जब तक पेश नहीं होगा उस पर आप विचार नहीं कर सकते।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सवाल यह है कि जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में निर्णय लिया था उसी को आपने बदल कर हमारे पास सूचना कैसे भेजी?

श्री हरिसिंह (महुवा) **:** अभी गोपनीय है, इसे हाउस में पेश होने दो। विपक्ष के माननीय नेता महोदय, हाउस में पेश होने दो। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : तो आप यह कहें, अगर आप बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का हवाला देना चाहते हैं तो दे दीजिये उसमें तो कोई....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय नेता, प्रतिपक्ष, मैं आपको कह रहा हूं कि अभी रिपोर्ट आएगी, उस पर बहस करके विचार कर लेंगे। अभी तो सर्कुलेट हुआ है....

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हम आप पर भरोसा करते हैं, आपकी बात पर भी भरोसा करते हैं, लेकिन आप जैसा कह रहे हैं, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जैसा तय किया कम से कम उसे तो बदल कर हमारे पास नहीं भेजते। आपने तो उसमें से भी जो अपना मनचाहा कर डाला।

श्री उपाध्यक्ष : मनचाहा कुछ नहीं हुआ है। आपको एक ही प्रश्न पर आब्जेक्शन है, उसको वापस जब यह रिपोर्ट आएगी तब आप बोल देना। उस पर विचार कर लेंगे। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : बोलने का सवाल नहीं है....(व्यवधान) जो कुछ तय हुआ, सवाल यह है। बोलने का कोई सवाल नहीं था। सवाल इतना ही था, जो कुछ जिस विषय में था हम उसी गम्भीरता से आपके सामने लाये, इसके बाद आपने और पूरी कमेटी ने बैठकर निर्णय लिया और यह कहा था कि 29 तारीख को जितनी भी लम्बी चर्चा होगी, होगी। लेकिन जीरो आवर आपने काटने के लिए कहा। हमने कहा नहीं, जीरो आवर नहीं काटेंगे और आपने एग्री किया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपको बोलना नहीं चाहता हूं। सुनिये, मैं आपको कहना नहीं चाह रहा हूं, बाकी यह जो आपके पास सर्कुलेट हुआ है यह कांफिडेंशल है कायदे से। (व्यवधान) मैं तो इतनी देर से आपको कह नहीं रहा हूं, मैं समझता हूं आप समझ रहे होंगे इसको। जब तक यह हाउस में पेश नहीं हो तब तक....(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : काहे का कांफिडेंशल है? कोई कांफिडेंशल नहीं है। जनता मर रही है, काहे का कांफिडेंशल है? कांफिडेंशल वह आपके सेल्स टैक्स के ठेकेदार हैं, वह जो भेड़ें निष्क्रमण कर रही हैं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हां, तो यह कांफिडेंशल है। इतनी देर से मैं कह नहीं रहा हूं, समझ नहीं रहे हैं इस बात को। आप इतने समझदार हैं, Why do you want to interfere in this?

श्री देवीसिंह भाटी : उसको जबरदस्ती पकड़ करके वसूल कर रहे हैं तीन-तीन हजार रुपये। काहे के आप अकाल के बारे में संवेदनशील हैं? जनता मर रही है, वे भेड़ें लेकर दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं चराने के लिये....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप सुन नहीं रहे हो। रिपोर्ट आएगी जब बात कर लेना रोकूंगा.... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : फिर से विचार होगा?

श्री उपाध्यक्ष : फिर ही होगा, और कब होगा?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कारण क्या है कि जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने निर्णय किया उसमें भी आपने बदल करके भेज दिया....

श्री उपाध्यक्ष : फिर वही बात है। आप कह रहे हो, मैं सुन नहीं रहा हूं क्या?

श्री सांवर लाल : बदलना था तो.... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर विचार करना था तो....(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी (पंचायजी राज मंत्री) : यह गलत परम्परा पड़ जाएगी। आप जो कह रहे हो बाद में हो जाएगा, यह गलत परम्परा पड़ जाएगी। आप लीडर हो, जो चीज गोपनीय है उसको डिस्कस क्यों करवा रहे हो?

श्री उपाध्यक्ष : रिपोर्ट आएगी.... (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : काहे का गोपनीय है? कौनसा गोपनीय है?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जैसा निर्णय होगा उसके अनुसार हमें....(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : कौनसा गोपनीय है, कोई गोपनीय नहीं है। कोई डिफेंस का मामला नहीं है। जनता मर रही है, पशुधन मर रहा है, कोई कांफिडेंशल नहीं है। कोई धारा लागू हो जब कर देना। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बात सीधी-सी है.... (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : अपन अकाल पर चर्चा कराएंगे, सरकार वक्तव्य दे। आप +++ मैजोरिटी से करा लेते हैं। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : सबसे पहले अकाल पर विचार होगा।

श्री देवीसिंह भाटी : पूरे प्रदेश में अकाल है। पशुधन आधे से ज्यादा मर चुका है....

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर आप हमको चाहते हैं कि जैसा तय किया उसके

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अनुसार काम करें, तो आपसे प्रार्थना है कि आप इस पर पुनर्विचार करें। एक बार आप पुनर्विचार करें इस सारे विषय पर और हमारी प्राथमिकता को ध्यान में रखें। मैं उस विषय पर जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की आप बात कह रहे हो, उसमें भी जो कुछ भी निर्णय हुआ, सारा डिस्कशन, हमारे आग्रह करने के बाद उसमें भी जिस प्रकार का परिवर्तन करके हमको भेजा, हमें बहुत दुःख है कि जो निर्णय वहां हुआ, उस निर्णय की भी पालना नहीं की और उसको भी आपने बदल करके भेजा। इस बात के विरोध में हम वाक आउट करते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष : समझ ही नहीं रहे हैं यह....(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : गलत परम्परा है। यह गलत परम्परा डाल रहे हैं। यह गलत परम्परा पड़ जाएगी और रिकार्ड में गलत ला रहे हैं आप। ऐसा होता है क्या? (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : पहले जीवन-मरण का प्रश्न है, कोई कांफिडेंशल नहीं है, कोई परम्पराएं नहीं हैं। जिंदा रहेंगे तब यह कोई पंचायती राज काम आएगा, ये व्यवस्थाएं काम आएगी। कोई व्यवस्था नहीं है जब तक पहले पशुधन....

श्री हरिसिंह (महुवा) : अब आप वाक आउट कर गये ना। वाक आउट कर गये आप।

श्री देवीसिंह भाटी : उसके लिये सरकार की जिम्मेवारी है....(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : उपाध्यक्ष महोदय, आप जिस रिपोर्ट के लिये....

श्री उपाध्यक्ष : आप वाक आउट कर गये ना?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, कर रहा हूं ना वाक आउट।

श्री उपाध्यक्ष : आप नहीं कर रहे हो?

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर। रिकार्ड तो ठीक कराओ, साहब। रिकार्ड में तो लिखाओ, गलत है यह। रिकार्ड में लिखाओ आप इसमें।

श्री देवीसिंह भाटी : अकाल के ऊपर चर्चा होनी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, हम आपसे प्रोटेक्शन चाहते हैं कि पूरे प्रदेश में अकाल का संकट है। इसमें क्या हो जाएगा अगर पंचायती राज पर दो दिन बाद में चर्चा हो जाएगी? पशुधन....

एक माननीय सदस्य : वाक आउट कर गये....(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : भेड़ों का इंतजाम हो जाएगा। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय इतिहास में यह गलत परम्परा पड़ जाएगी। जिस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी

(श्री सी. पी. जोशी)

की रिपोर्ट को कांफिडेंशल रखकर उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिये, उसी को इश्यू बनाकर यदि यह करते हैं तो यह गलत परम्परा हो जाएगी। आपसे निवेदन है कि आप इस बारे में रूलिंग करें कि भविष्य में कोई भी सदस्य बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट जब तक डिस्कस नहीं हो, इसका रेफरेंस देकर हाउस में यदि डिस्कस करेंगे...

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया ना मैंने।

श्री सी. पी. जोशी : इस सम्बन्ध में आपको निर्णय करना चाहिए कि भविष्य में कोई इस तरह से नहीं करे। यह गलत परम्परा पड़ जाएगी लोकतंत्र में।

श्री उपाध्यक्ष : बाहर जाने से अपन रोक सकते हैं? (व्यवधान) माननीय मंत्रीजी।

श्री बुलाकीदास कल्ला : चर्चा होती ही नहीं है। यह सदन की परम्परा रही है। यह सदन में आकर पास होता है यहां पर।

श्री उपाध्यक्ष : उनको रोक सकते हैं कि अपन यहां पर....(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : इनके नये लीडर बने हैं....(व्यवधान) नये लीडर को रोकने ...(व्यवधान)

श्री खेतसिंह राठौड़ : इनके नये नेता आ गये हैं, नेताजी की यहां पोल खुल गई। न तो कोई नेता है और ना कोई इनको नेता मानता है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : परम्पराओं का उल्लंघन कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह भी परम्परा रही है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो भी निर्णय हो वही सुनाया जाए और वही पढ़ा जाए। यह भी परम्परा रही है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, ने कहा है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय हुआ है उसके बाद चर्चा चली है। पहले इस बात के लिए चर्चा नहीं थी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की चर्चा इस बात से चली थी कि उपाध्यक्ष महोदय ने व्यवस्था दी थी....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं यह कह रहा हूं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट आने दीजिए, उस वक्त आप बोल लेना। कोई रोक थोड़े ही रहा है आपको। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जो गलत परम्परा की बात कर रहे है, सबसे पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बात नहीं चली। आपने जब व्यवस्था में यह कहा है कि बी.ए.सी. में यह तय हुआ है, उसके बाद में चली है। बाकी तो बात यह थी कि राजस्थान में आज तक का अकाल....(व्यवधान) सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि राजस्थान में भयंकर अकाल की स्थिति है। आज तक के इतिहास में सबसे भयंकर अकाल है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपने किया है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : राजस्थान का हाउस उस पर चर्चा....(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरे ऊपर भी थोड़ा-सा ध्यान दीजिए....(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : जो राजस्थान के किसान परेशान हैं उस मुद्दे पर सबसे पहले चर्चा हो। मैं समझता हूं इस बात के लिए प्रोटेस्ट करना परम्पराओं के खिलाफ नहीं है। आपने जब व्यवस्थाएं दीं उसके बाद में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बात हुई....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें, बिराजें।

श्री अमराराम (धोद) : मैं समझता हूं कि इस बात से सरकार भी इंकार नहीं कर सकती है कि....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय मंत्रीजी ने जो बात कही है....(व्यवधान)

श्रीमती यासमीन अबरार (सवाईमाधोपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरे सवाईमाधोपुर विधान सभा क्षेत्र के बारे में आपसे बात करना चाह रही हूं....(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अगस्त में अकाल राहत कार्य....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अमरारामजी।

श्री अमराराम (धोद) : 6500 करोड़ का सरकार स्वयं मांग रही है तो सबसे पहले चर्चा राजस्थान के हाउस में अकाल पर हो जाए, तो इसमें कौनसी बुरी बात है?

श्री दिग्विजय सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, एक सोचनीय प्रश्न है कि यह जो हमें आपने सूची भेजी है उसमें नोट में लिखा है कि इसको आप कृपया सदन में प्रस्तुत होने तक गोपनीय रखें।

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया ना उनको।

श्री दिग्विजय सिंह : यह गोपनीय नहीं रखी और इस पर अनावश्यक रूप से चर्चा कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया ना।

श्री दिग्विजय सिंह : आपने इस पर व्यवस्था देनी चाही कि इसके ऊपर चर्चा होनी ही नहीं चाहिए और अगर इसमें लिखा भी है, यह कोई मान्य नहीं है जब तक कि सदन इसे स्वीकार नहीं कर लेता। इसलिए इस पर वाक आउट करना प्रतिपक्ष के ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, नई बात क्या कह रहे हो?...(व्यवधान) यह माननीय जोशीजी कह चुके, मैं कह चुका, इसमें नई बात क्या है? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : सब समाचार-पत्रों में पूरा प्रकाशित हो गया, इसमें क्या गोपनीय है? सब समाचार पत्रों में पूरा कार्यक्रम प्रकाशित हो गया है कि

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

27 और 28 को पंचायत के ऊपर चर्चा होगी, 29 तारीख को अकाल पर चर्चा होगी, 30 तारीख को लैजिस्लेटिव बिजनेस होगा। अब इसमें क्या सीक्रेट है? क्या गोपनीय हो गया? (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : सदन की परम्परा रही है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सदन की परम्परा रही है। ऐसा मत करिये आप। परम्परा रही है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अब क्या गोपनीय रह गया?....(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : परम्परा रही है। (व्यवधान) यह क्या कर रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुरेन्द्रजी, यह तो हमेशा ही परम्परा रही है। माननीय संसदीय कार्य मंत्रीजी भी बता देते हैं कि चार रोज तक यह होगा, प्रेस को बता देते हैं। इसका मतलब यह थोड़े ही हुआ कि इसकी गोपनीयता भंग हो गयी? उसकी तो गोपनीयता है ही।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह गोपनीयता का क्लाज निरर्थक है।

श्री उपाध्यक्ष : इसको तो आप और हम आज नहीं टाल सकते हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इसका क्या मतलब है? काहे का गोपनीय है?

श्री उपाध्यक्ष : You cannot remove it. यह आपके और हमारे हाथ की बात नहीं है। (व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्रीमती यासमीन अबरार : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर में जो गरीब, मासूम बच्चों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उसके बारे में आपका ध्यानाकर्षित करना चाहूंगी। हमारे यहां पर जो एस.पी. लगे हुए हैं और फारेस्ट आफिसर रेड्डी हैं, उनकी ज्यादतियां इतनी बढ़ती जा रही हैं कि एक वे नया मोड़ ले रही हैं। वे बरदाश्त के बाहर हैं। मैं आपका ध्यानाकर्षित करना चाहूंगी जो तीन–चार दिनों से अखबारों में भी काफी आ रही है....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आप इसको किसी तरह से लाएं, तब मैं आपको चर्चा करने का मौका दूंगा।

श्रीमती यासमीन अबरार : मैं आपको सिर्फ जीरो आवर में मेरी बात बताना चाहती हूं। मेरी सिर्फ यह मांग है कि वहां पर पुलिस प्रशासन में एस.पी. और फारेस्ट आफिसर रेड्डी को निलम्बित किया जाए और उनके खिलाफ कार्यवाही की जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मेरी आसन के जरिए यह मांग है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री मानिक चन्द सुराना।

श्रीमती यासमीन अबरार : उपाध्यक्ष महोदय, मेरी मांग को आप पहले.... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें।

श्रीमती यासमीन अबरार : वे मासूम यहां पर आये हुए हैं, दो सौ आदमी यहां पर आए हुए हैं। दो सौ गांवों के दो-दो आदमी यहां पर आए हुए हैं। विधान सभा के बाहर आकर बैठे हुए हैं, आप उनकी हालत देखिए। बूढ़ी औरत का हाथ तोड़ दिया गया मासूम बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जा रहे थे, उनको ट्रक से उठाकर बेदर्दी से मारा गया। मैं आसन के जरिए मांग करना चाहूंगी कि यह जो अत्याचार हो रहा है, हमारे लिये यह ठीक नहीं है। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राज के अन्दर यह होगा तो कैसे बरदाश्त होगा? मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि अगर मैं किसी को मारती हूं, कूटती हूं तो उसके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज होती है। मासूम बच्चों को मारा गया है, पुलिस ने मारा है, रेड्डी ने मारा है, यह एफ.आई.आर. दर्ज कराएं। एफ.आई. आर. तक दर्ज नहीं हुई है। मैं आपसे मांग करती हूं कि उनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की जाए। यहां मनगढ़त कार्यवाही होती है, पुलिस में वहां पर बैठे अधिकारी लोग बता देते हैं, और वहां पर मंत्रीजी मान लेते हैं, सी.एम. साहब मान लेते हैं। मेरी गुजारिश कौन सुनेगा?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप यहां आकर धरने पर बैठ जाएं, हम आपके साथ हैं। (व्यवधान) आप यहां पर धरने पर बैठ जाएं, हम आपके साथ हैं।

श्रीमती यासमीन अबरार : यह आप अखबार देखिए, एफ.आई.आर. तक दर्ज नहीं की है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह हो रहा है....(व्यवधान)

श्रीमती यासमीन अबरार : एस.पी. के खिलाफ है, रेड्डी के खिलाफ है, आप उनके खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज कराएं। मेरी आपसे यह मांग है, नहीं तो मैं आसन के सामने आकर धरना देती हूं। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के तहत जन महत्व की ज्वलंत समस्या का विशेष उल्लेख करता हूं....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, चीफ व्हिफ साहब धमका रहे हैं। वह धरने पर बैठना चाहती हैं....(व्यवधान)

श्रीमती यासमीन अबरार : विधान सभा के बाहर डेलीगेशन आया हुआ है, वह मेरा कोई मंगाया हुआ नहीं है। आप उनकी हालत देखिए। 80 साल की बूढ़ी औरत किसी को मार सकती है? उसको एस.पी. ने मारा है, उसका हाथ टूट गया है। मासूम बच्चे जो स्कूल पढ़ने जाते हैं, भूखे-प्यासे, उनको पकड़ कर जब लेकर

(श्रीमती यासमीन अबरार)

जाने लगे, बूढ़ी औरत ने कहा कि भाई, इनको खाना खा लेने दो, उसको मारा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आश्वासन से संतुष्ट नहीं हो रही हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप मेरी सुनें न पहले। (व्यवधान)

श्रीमती यासमीन अबरार : उपाध्यक्ष महोदय, आप एफ.आई.आर. दर्ज कराएं। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा (खण्डार) : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी से हमारा निवेदन है.... गांवों के लोग पलायन कर चुके....(व्यवधान) वन विभाग के अधिकारियों ने मनमर्जी मचा रखी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, बहुत गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा : पुलिस प्रशासन ज्यादतियां कर रहा है। (व्यवधान) गांव के लोगों में आंतक है....(व्यवधान) उनके साथ ज्यादतियां हुई हैं....(व्यवधान) मेरा निवेदन है, माननीय गृह मंत्रीजी.... (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : यह राजस्थान के गरीब और दलितों के ऊपर बहुत बड़ा.... (व्यवधान)

श्री अशोक बैरवा : वहां से जो एकतरफा रिपोर्ट आ रही हैं....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें, माननीय सदस्य।

श्रीमती कमला बृजलाल : उपाध्यक्ष महोदय, वास्तव में हालात यही कर रखे हैं। (व्यवधान) उस एस.पी. ने पहले करौली को बरबाद किया है, अब सवाईमाधोपुर बरबाद होने वाला है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : गृह मंत्रीजी बोल रहे हैं, आप बिराजें। बिराजें। (व्यवधान)

श्रीमती यासमीन अबरार : उपाध्यक्ष महोदय, पुलिस प्रशासन ने इतनी बुरी हालत कर रखी है....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आज एक महिला सुरक्षित नहीं है, छोटे-छोटे बच्चे.... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, यहां +++ है, ऐसा ही होगा इस राज में। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत (गृह मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, सवाईमाधोपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने....(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : गरीब लोगों को मार रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : गृह मंत्रीजी बोल रहे हैं। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आज इस शासन के अन्दर....(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : यह कितने लोगों को मारेंगे? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : गृह मंत्रीजी बोल रहे हैं, आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय सदस्या की आंखों में आंसू हैं, इनकी आंखों में आंसू हैं।

श्री उपाध्यक्ष : उनकी आंख पोंछने का काम....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह कैसा राज है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वह अब यही काम कर रहे हैं। (व्यवधान) आर्डर, आर्डर।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, सवाईमाधोपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने....(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, यह रेड्डी अलवर में भी रह चुका है, बहुत ही +++ किस्म के अफसर हैं। इन्होंने गरीबों को प्रताड़ित किया है। अलवर में भी डी.एफ.ओ. रह चुका है। पी.डी. रह चुका है। जो कह रही हैं माननीय सदस्या, महिला सदस्या कह रही हैं....(व्यवधान) यह सस्पैंड होने लायक डी.एफ.ओ. है, इसके खिलाफ कार्यवाही की जाए। यह बहुत ही +++ टाइप का अफसर है। अलवर में भी पी.डी. रह चुका है, डी.एफ.ओ. रह चुका है।

श्री उपाध्यक्ष : बैठें आप। बैठें आप। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप सुनिये। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : रेड्डी के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : आप सुनें तो सही। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप सुनें तो सही। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। जी.वी. रेड्डी के खिलाफ, यह +++ टाइप का अफसर है।

श्रीमती यासमीन अबरार : जी.वी. रेड्डी और एस.पी. दोनों मिले हुए हैं, ये दोनों दोस्त हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह +++ शब्द असंसदीय है, इसे तो निकालें आप।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ शब्द असंसदीय नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। बैठें न आप। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ शब्द असंसदीय नहीं है।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें न, गृह मंत्रीजी बोल रहे हैं। (व्यवधान) माननीय कन्हैया लालजी, बिराजें। (व्यवधान)

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : उपाध्यक्ष महोदय, सवाईमाधोपुर से आने वाली माननीय सदस्या ने जो गेम सैंक्चुरी के सम्बन्ध में ग्रामीणों द्वारा चराई के लिए प्रतिबंधित एरिये में घुसने का प्रयत्न किया, उसको रोकने का प्रयत्न किया गया था। कल ही....(व्यवधान) आप सुनेंगे तो सही? आप ही दे दो जवाब मेरी तरफ से। यह क्या तमाशा कर रखा है? कुछ बोलने तो दीजिए। (व्यवधान) आप बिराज जाइए, बैठ जाइए। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : काहे के बैठ जाएं?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : क्या कर रखा है? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : काहे के बैठ जाएं?

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : यह हाउस है कि तमाशा है?

श्री मदन दिलावर : क्या मतलब है? (व्यवधान) बैठ जाएं, बैठ जाएं।

एक माननीय सदस्य : क्या मखौल बना रखा है सदन को?

श्री मदन दिलावर : मैं आपकी दया पर नहीं आया हूं, चुन कर आया हूं, बोलूंगा सदन में। अत्याचार होगा तो बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराज जाएं।

श्री मदन दिलावर : आप गरीबों की हत्या करवाएं राजस्थान में?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दिलावरजी।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : इस सम्बन्ध में जब राज्य सरकार को जानकारी प्राप्त हुई...

श्री उपाध्यक्ष : Mr. Dilawarji, you cann't take so much liberty. I will not allow you.

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस मामले को गम्भीरता से लिया। उन्होंने अधिकारियों के साथ चर्चा की, वन मंत्रीजी के साथ भी चर्चा की और आज एक डैपुटेशन माननीय मुख्य मंत्रीजी से इस सम्बन्ध में मिला था, उन्होंने अपनी बात कही है। मुख्य मंत्रीजी ने उसको गम्भीरता से लिया है और जांच के आदेश दिए हैं। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि चाहे वह रेड्डी हो, चाहे एम.एम. दिनेश हो, जिसने भी गलती की है, जांच उसकी करवाकर सरकार सख्त कार्यवाही करेगी।

श्रीमती यासमीन अबरार : माननीय मंत्रीजी को मैं यह कहना चाहता हूं कि इन अधिकारियों के रहते हुए जांच के ओदश होंगे तो जांच नहीं हो पाएगी निष्पक्ष। आप पहले इनको निलम्बित कीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मानिक चन्दजी सुराना। आप बैठिए। श्री मानिक चन्दजी सुराना।

श्री गुलाब सिंह शक्तावत : जो पीड़ित पक्ष के लोग आए हैं, जो पीड़ित पक्ष के लोग यहां आए हुए हैं, मैं माननीया विधायिकाजी से कहना चाहता हूं कि मैं उनके साथ चलकर उनकी स्थिति को देखना चाहता हूं। वे समय निर्धारित करें और मैं उनसे मिलकर फैसला करूंगा।

श्रीमती यासमीन अबरार : माननीय मंत्रीजी, आप इस बात को जानते हैं, आप खुद जानते हैं कि वह एस.पी. किस तरह का है। मेरे और आपकी वार्ता के बीच में...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पहले रेड्डी को हटाइए वहां से।

श्रीमती यासमीन अबरार : (व्यवधान) जांच की गई तो निष्पक्ष जांच होगी, मेरा आपसे आग्रह है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : गृह मंत्रीजी, रेड्डी का ट्रांसफर पहले। (व्यवधान) पहले रेड्डी का ट्रांसफर कराएं वहां से।

श्रीमती यासमीन अबरार : कोई जांच नहीं हो सकती। आप रेड्डी को और एस.पी. को पहले निलम्बित कीजिए, उसके बाद जांच कीजिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पहले रेड्डी को वहां से हटाइए।

श्रीमती यासमीन अबरार : आप देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप इस बात को खुद जानते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए।

श्रीमती यासमीन अबरार : आप इस बात को खुद जानते हैं कि एस.पी. किस नेचर का आदमी है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : एस.पी. को, रेड्डी को हटाए पहले।

श्रीमती यासमीन अबरार : मैं पहले से कहती आ रही हूं कि हमारे यहां प्रशासन खराब हो रहा है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पहले रेड्डी और एस.पी. को हटाइए। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जन महत्व की ज्वलंत समस्या का विशेष उल्लेख करता हूं। सीमावर्ती...

श्रीमती यासमीन अबरार : बाहर बैठे रहे। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : गृह मंत्रीजी, पहले रेड्डी और एस.पी. को हटाने का आदेश दीजिए वहां से। (व्यवधान)

श्री मानिकचन्द सुराना : राजस्थान के सीमावर्ती जिलों, बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर...

श्रीमती यासमीन अबरार : माननीय मंत्रीजी, आप खुद इस बात को जानते हैं कि वह एस.पी. किस नेचर का है और आप खुद चाहते हैं कि वह यहां पर नहीं रहे। वह हमारी पार्टी को नुकसान कर रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती यासमीन अबरार।

श्रीमती यासमीन अबरार : हमारी नेता माननीया सोनिया गांधीजी की नीतियों को नुकसान कर रहा है, हमारी सरकार को नुकसान कर रहा है। (व्यवधान) इस एस.पी. के रहते हुए, इस प्रशासन के रहते हुए हमारी सरकार की कोई तरक्की नहीं होगी। (व्यवधान) मेरा आपसे यह आग्रह है कि इसको तुरन्त निलम्बित किया जाए और रेड्डी के खिलाफ कार्यवाही की जाए। नहीं तो मैं किस मुंह से अपने सवाईमाधोपुर क्षेत्र में जाउंगी? (व्यवधान) मैं आपसे एक महीने से नहीं, छह महीने से बराबर कहती आ रही हूं, बरदाश्त की कोई सीमा होती है।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलो उनको कि रुक जाएं।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, यह है तो सीरियस मामला।

श्रीमती यासमीन अबरार : उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं बड़ी दुविधा से इस बात को कह रही हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज।

श्रीमती यासमीन अबरार : आप विधान सभा के बाहर जाकर देखिए, 200 आदमियों का डेलीगेशन आया हुआ है। मासूम बच्चे और औरतें आई हुई हैं, स्कूलों के बच्चे और बूढ़ी महिला आई हुई है जिसका हाथ–पांव तोड़ दिया है, उस प्रशासन के रहते हुए। मैं यहां पर जनता की प्रतिनिधि हूं, मैं उनकी आवाज को यहां नहीं उठाउंगी तो कौन उठाएगा उनकी आवाज को? मेरे सिवा उनके साथ कोई नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, इनकी हालत देखिए। (व्यवधान)

श्रीमती यासमीन अबरार : आज यहां पर हम एम.एल.ए. बने बैठे हैं, इसलिए बैठे हैं। (व्यवधान) कि हम उनकी आवाज को उठाएं।

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या चाहते हो? (व्यवधान) जवाब दे दिया उन्होंने।

श्रीमती कमला बृजलाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना बढ़िया एस.पी. है, जिसने करौली और सवाईमाधोपुर को बरबाद कर दिया। अब आप अपने क्षेत्र में लगाइए, गृह मंत्रीजी के क्षेत्र में लगाइए। कोटा में लगाइए, कहीं भी लगाइए।

श्रीमती यासमीन अबरार : अगर इतना ही अच्छा है तो आप अपने क्षेत्र में लगाइये, जयपुर में लगाकर देखिये उसको।

श्रीमती कमला बृजलाल : कोटा लगाइए, कहीं भी लगाइए।

श्रीमती यासमीन अबरार : जयपुर में लगाकर देखिए उसको।

श्रीमती कमला बृजलाल : कोटा में लगाएं, जयपुर में लगाएं, कहीं भी लगाएं, जोधपुर में लगाओ।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें।

श्रीमती कमला बृजलाल : एस.पी. बनाओ उसको और कुछ मत बनाओ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए प्लीज। (व्यवधान)

श्रीमती कमला बृजलाल : इतना अच्छा एस.पी. है, उसको तो एस.पी. बनाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बैठिए।

श्रीमती यासमीन अबरार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गुजारिश करना चाहूंगी कि माननीय मुख्य मंत्रीजी तक मेरी बात पहुंच चुकी है डेलीगेशन के जरिये और गृह मंत्रीजी से मैं आग्रह करूंगी कि इस पर तुरन्त निर्णय लिया जाए। नहीं तो इसके आगे मुझे कोई दूसरा कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह भी बता दो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, आपने जो विषय उठाया, सारा सदन समझ रहा है कि यह बहुत गम्भीर है। उसके बाद माननीय गृह मंत्रीजी ने आपको जवाब दे दिया। उसके उपरान्त भी....(व्यवधान) कोई बात हो तो आप इनसे बात कर लीजिए। इन्क्वायरी करवा रहे हैं, जांच करवा रहे हैं, आप और बात कर लीजिए। और कितना लम्बा करना चाहती हैं?

श्रीमती यासमीन अबरार : उपाध्यक्ष महोदय, अकेले में एक बार नहीं, मैं तीन महीने से बराबर बात करती आ रही हूं लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं है, इसलिए मजबूरी है और आज मुझे यहां पर सदन में बोलना पड़ा है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर। श्री मानिक चन्द सुराना।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

सीमावर्ती क्षेत्रों में खेतों में बिछायी गयी माइन्स से हुए नुकसान के बकाया मुआवजे का भुगतान

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत जन महत्व की ज्वलंत समस्या का विशेष उल्लेख करता हूं।

राजस्थान के सीमावर्ती जिले बीकानेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर व जैसलमेर के किसानों के खेतों में देश की सुरक्षा के संदर्भ में दिसम्बर, 2001 में रक्षा विभाग द्वारा माइन्स लगाए जाने के फलस्वरूप किसानों के नुकसान की भरपाई की 25 प्रतिशत राशि के पेटे रक्षा विभाग द्वारा अभी तक 13.80 करोड़ रुपए की राशि का चुकारा 4 जिलों के किसानों को किया गया है।

रबी की फसल की कटाई मई, 2002 में हो चुकी है और किसानों की 75 प्रतिशत

(श्री मानिक चन्द सुराना)

बकाया राशि रुपए 41.40 करोड़ अभी तक रक्षा विभाग में बकाया है। खरीफ की फसल बोने का समय भी अब निकल चुका है, लेकिन सीमावर्ती इलाकों के जिन खेतों में रक्षा विभाग द्वारा माइन्स लगाई गई हैं वहां खरीफ की बुवाई ही नहीं की जा सकी है।

माननीय श्री जार्ज फर्नांडीस, रक्षा मंत्री, भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में उनके पत्र दिनांक 20.5.2002 द्वारा मुझे निम्नप्रकार सूचित किया था :–

"I have had the matter looked into. I have been informed that the State Government of Rajasthan have intimated the total loss of Rs. 74.92 crores due to damages on account of army deployment in Bikaner, Sriganganagar, Barmer and Jaisalmer disrticts of Rajasthan.

After due consideration, a decision has been taken in the Ministry of Defence to provide immediate relief to the farmers to the amount projected by the State Govt. of Rajasthan as loss towards the crops. It has been confirmed that a sum of Rs. 13.80 crores, which, is 25% of assessed losses, has been released to the District Collectors of Bikaner, Barmer, Jaisalmer and Sriganganagar as 'on account payment' for further distribution to the individual farmers due to loss towards the crops. The balance amount of compensation shall be considered after completion of joint surveys by local Revenue authorities, local Army and Director General of Defence Estates authorities.

उक्त पत्र की प्रति मैंने सम्बन्धित जिलों के कलक्टरों को उपलब्ध करवाई थी। दिनांक 20.5.2002 को गुजरे तीन माह से अधिक का समय समाप्त हो चुका है, लेकिन जिस संयुक्त निरीक्षण दल के सर्वे के आधार पर किसानों की बकाया 75 प्रतिशत राशि रुपए 41.40 करोड़ रुपए दिलवाए जाने के सम्बन्ध में आश्वासन रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिया गया था, वह आश्वासन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जिला प्रशासन का कथन है कि संयुक्त निरीक्षण भी हो चुका है।

संयुक्त निरीक्षण के बावजूद बीकानेर जिले के सैकड़ों व श्रीगंगानगर जिले के हजारों किसान जिन्हें 75 प्रतिशत मुआवजा दिया जाना शेष था, उन्हें अभी तक मुआवजा राशि का वितरण नहीं किया गया है। मुआवजे के हकदार सैकड़ों–हजारों किसानों को जो पड़ौसी के खेतों में माइन्स लगाए जाने के कारण सिंचाई के पानी से

(श्री मानिक चन्द सुराना)

वंचित हो गए, उन्हें मुआवजा देने से इस बात के आधार पर इंकार किया गया है कि उनके खेतों में माइन्स नहीं लगाई गई। तथ्य यह है कि जिन खेतों में से होकर सिंचाई का पानी आगे वाले खेतों में दिया जाता था व रक्षा विभाग द्वारा कतिपय खेतों में माइन्स लगा दिए जाने के कारण आगे के खेतों में सिंचाई सुविधा समाप्त हो गई एवं वे किसान फसल की बिजाई व पैदावार नहीं कर सके। इन किसानों की बरबादी भी उन किसानों के समकक्ष ही हुई है, जिनके खेतों में माइन्स लगा दी गईं। अत: उन्हें भी उन किसानों के समान ही मुआवजा प्राप्त होना चाहिए, जिनके खेतों में माइन्स रक्षा विभाग द्वारा लगा दी गई थीं।

इस बिन्दु पर राज्य सरकार के जिला प्रशासन ने हमारे निवेदन व परस्यूएंस पर फौज के अधिकारियों के समक्ष इस दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने का कार्य भी किया है, लेकिन रक्षा विभाग के स्थानीय सेना अधिकारी व डाइरेक्टर जनरल आफ डिफेंस एस्टेट्स के अधिकारियों की हठधर्मिता के कारण अनेक चकों के भुगतभोगी व हकदार किसान आज भी मुआवजा प्राप्त करने वाले किसानों की सूची में सम्मिलित नहीं हो पाये हैं। ये किसान अपनी रोजी-रोटी व खेतों में गत रबी में व वर्तमान खरीफ में भी बुवाई व फसल से पूर्णत: वंचित रह गये हैं।

खाजूवाला क्षेत्र के चक नम्बर 26 के.एन.डी., चक 25 बी.डी., चक 20 के.वाई.डी., चक 24 के.वाई.डी., चक 25 के.वाई.डी., चक 29 के.वाई.डी. व अन्य दसों चकों के किसान आज भी सर्वे से वंचित रह गए हैं एवं भारत सरकार से कोई मुआवजा राशि उन्हें उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है।

राज्य सरकार का दायित्व है कि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय से सीमावर्ती जिले बीकानेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर व जैसलमेर किसानों की जो मुआवजा राशि रुपए 41.40 करोड़ बकाया है, को तत्काल रिलीज करने का दबाव भारत सरकार पर बनाकर किसानों को उनकी मुआवजा राशि का चुकारा करवाने हेतु भागीरथी प्रयत्न करें।

(13.00 बजे)

श्री सांवर लाल (भिनाय) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इंफोर्मेशन।

श्री सोहन नायक (रायसिंहनगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय....(व्यवधान) इतनी हठधर्मी कर रखी है कि किसानों की हालत बहुत खराब हो गई.... (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : पृथ्वीराज नगर योजना के जो किसान हैं वे यहां पर हजारों की संख्या में आये हुए हैं। विगत दिनों में नगर निगम के द्वारा वहां पर लाठीचार्ज कराया गया, बेकसूर महिलाओं को मारा गया। खेतों में निनाण कर रही थीं उन महिलाओं को मारा गया। उन किसानों की मांग यह है कि जहां पर वे खेती कर रहे हैं उस जमीन को अवाप्ति से मुक्त रखा जाए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय,

(श्री सांवर लाल)

बहुत गम्भीर चिन्ता का विषय है। जयपुर के आसपास सब्जी पैदा होती है, जयपुर को आपूर्ति होती है, जयपुर की ग्रीन बैल्ट है, अगर उसको अवाप्त करके कालोनी बसा दी जाएगी तो किसानों का जीवन अनिश्चित हो जाएगा। वे कहां पर जाएंगे? कहां पर कमाकर खाएंगे?

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

श्री सांवर लाल : इसके साथ ही जयपुर में सब्जी नहीं मिलेगी। इन किसानों के साथ विगत दिनों जो लाठीचार्ज हुआ है....

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए। हो गया न इंफोर्मेशन। बिराजिए।

श्री सांवर लाल : इनके साथ भी न्याय होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर। बिराजिए प्लीज।

श्री सांवर लाल : जिन अधिकारियों ने जाकर बुलडोजर चलाये, मुख्य मंत्रीजी से वे मिले, मुख्य मंत्रीजी ने उनको आश्वासन दिया कि मेरी अनुमति के बिना कोई भी नहीं जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, बिराजिए। हो गया न आपका इंफोर्मेशन।

श्री सांवर लाल : उसके बावजूद भी उन किसानों के साथ बेरहमी से अंग्रेजों के जमाने में जिस प्रकार की मारपीट महिलाओं से नहीं थी....

श्री उपाध्यक्ष : कह दी न आपने सब। अंकित न हो।

श्री सांवर लाल : ×××

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

श्री कन्हैया लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर। आप बैठिए, बैठिए। अंकित न हो। कोई अंकित नहीं हो रहा है।

श्री कन्हैया लाल : ×××

श्री सांवर लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। हो गई न आपकी बात।

श्री कन्हैया लाल : ×××

श्री सांवर लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इतने सीनियर सदस्य हो। (व्यवधान) कुछ तो समझो।

श्री सांवर लाल : ×××

श्री कन्हैया लाल : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कन्हैया लालजी, प्लीज बिराजिए।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री कन्हैया लाल : xxx

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए प्लीज।

श्री कन्हैया लाल : xxx

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिए बिराजिए। (व्यवधान) यह क्या बात है?

श्री कन्हैया लाल : xxx

श्री सांवर लाल : xxx

श्री उपाध्यक्ष : कोई अंकित नहीं होगा। यह क्या बात है? यह कोई तरीका है क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री कन्हैया लाल : xxx

श्री उपाध्यक्ष : आप हाउस चलने नहीं देना चाहते, यह कोई बात हुई?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय ने सुन लिया। वह बोलना चाहते हैं तो मैं रोक रहा हूं क्या?

श्री बुलाकीदास कल्ला (स्वायत्त शासन मंत्री) : मैं मिल लूंगा, बात कर लूंगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री सांवर लाल : xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री उपाध्यक्ष : तो और क्या करें?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री उपाध्यक्ष : आपने कह दी न यह बात। मंत्री महोदय को मिलना होगा तो मिल लेंगे।

श्री सांवर लाल : xxx

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए, हो गया।

श्री सांवर लाल : xxx

श्री उपाध्यक्ष : श्री दिलावरजी।

बारां पंचायत समिति में कराये गये निर्माण कार्यों में हुई अनियमितताएं

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिला बारां की पंचायत समिति बारां में सुनिश्चित रोजगार योजना एवं दसवें वित्त आयोग के अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यों क्रमशः मोठपुर वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर निर्माण (ग्राम पंचायत फंसरा) ग्राम मण्डोला (ग्राम पंचायत मण्डोला) में रास्ता दुरुस्ती (ग्रेवल सड़क), इकलेरा तालाब का निर्माण तथा ग्राम मण्डोला (ग्राम पंचायत मण्डोला) में शौचालय निर्माण कार्यों में तत्कालीन विकास अधिकारी, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, ग्रुप सचिव एवं सरपंच द्वारा षड्यंत्रपूर्वक आपस में मिलकर गम्भीर अनियमितताएं व भ्रष्टाचार कर राजकीय राशि का दुरुपयोग किया गया है।

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री मदन दिलावर)

महोदय, मेरे द्वारा विधान सभा के गत सत्रों में भी उपरोक्त निर्माण कार्यों में हुई गम्भीर अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में दोषियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्यवाही हेतु आपके माध्यम से निवेदन किया जाता रहा है, लेकिन आश्चर्य की बात है कि सरकार ने उक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दोषी पाये जाने के बावजूद भी इनके विरुद्ध आज तक कोई कार्यवाही नहीं की है। यह कैसी विडम्बना है कि सरकार दोषियों को सजा न देकर उन्हें अभयदान प्रदान कर रही है। इससे भ्रष्ट व्यक्तियों के हौसले और भी बुलन्द हो रहे हैं। एक ओर सरकार पारदर्शिता, स्वच्छ प्रशासन तथा गम्भीर भ्रष्टाचार के खात्मे की डींग हांक रही है वहीं दूसरी ओर भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्तियों को पूरा संरक्षण दिया जा रहा है।

महोदय, मेरे द्वारा गत सत्रों में प्रस्तुत ध्यानाकर्षण एवं स्थगन प्रस्तावों के प्रत्युत्तर में सरकार ने मुझे यह जानकारी दी थी कि तत्कालीन जिला कलक्टर, बारां द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्यों में कथित अनियमितताओं की जांच हेतु आदेश दिनांक 28.11.2000 से श्री हरफूल सिंह यादव, उप जिला कलक्टर, बारां को जांच अधिकारी नियुक्त कर सम्पूर्ण जांच 30 दिवस में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे तथा जांच अधिकारी द्वारा की गई जांच तथा तत्कालीन जिला कलक्टर, बारां को प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों के आधार पर तत्कालीन जिला कलक्टर ने सहमति व्यक्त करते हुए पंचायत समिति बारां के तत्कालीन विकास अधिकारी, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता व ग्राम पंचायत सरपंच व अन्यों को गंभीर अनियमितताओं का दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराने व सी.सी.ए. नियम 16 के अन्तर्गत पृथक् से विभागीय जांच कराने हेतु आरोप पत्र व आरोप विवरण पत्र दिये जाने के आदेश दिनांक 20.3.2001 को दिये गये, लेकिन घोर आश्चर्य का विषय है कि गम्भीर रूप से दोषी तत्कालीन विकास अधिकारी व तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी, बल्कि सरकार ने उनका इच्छित स्थान पर स्थानान्तरण कर उनको पारितोषिक दिया। सरकार ने कहा कि विकास अधिकारी एवं कनिष्ठ अभियन्ता के विरुद्ध पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से पूर्व ही उनका स्थानान्तरण क्रमशः चित्तौडगढ़ एवं दौसा कर दिया गया। स्थानान्तरण किया जाना कोई सजा नहीं है, फिर उनका स्थानान्तरण इच्छित स्थान पर करना यह तो सरकार की मिलीभगत ही है। जबकि सरकार ने यह माना है कि ये गम्भीर रूप से दोषी हैं और इनके द्वारा षड्यंत्र रचकर राजकीय राशि का गबन किया गया है, सरकार को चाहिए तो यह था कि इनको तत्काल प्रभाव से निलम्बित करके इन्हें फील्ड ड्यूटी से हटाया जाता तथा इनसे राजकीय राशि की वसूली कर इस दुष्कृत्य के लिए कठोर से कठोर दण्ड दिया जाता, लेकिन सरकार ने

(श्री मदन दिलावर)

ग्राम पंचायत मण्डोला के सरंपच से 57 हजार रुपये की वसूली कर ली तथा मण्डोला के ग्राम सेवक श्री सत्यनारायण, कारपेंटर को निलम्बित कर दिया गया।

महोदय, जो गम्भीर रूप से दोषी थे तथा जिन्होंने वास्तव में राजकीय राशि का षड्यंत्रपूर्वक गबन किया है, उन्हें तो निलम्बित नहीं किया गया और न ही उन्हें फील्ड ड्यूटी से हटाया गया, बल्कि एक अल्प वेतनभोगी कर्मचारी जो विकास अधिकारी व कनिष्ठ अभियन्ता के अधीनस्थ कार्य करता है तथा उनके आदेशों की पालना करता है उसे निलम्बित किया गया है जो न्यायोचित कदम नहीं है। इससे सरकार की कार्यशैली पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है।

मैं यहां यह उल्लेख करना चाहूंगा कि जांच रिपोर्ट के अनुसार वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर निर्माण कार्य में कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा दर्ज अधिक मूल्यांकन की राशि रुपये 0.45 लाख के सम्बन्ध में तत्कालीन विकास अधिकारी, तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, ग्राम सेवक एवं संरपच इस कार्य में दोषी पाये गये हैं, किन्तु सरकार ने आज तक सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित कर राजकोष की राशि में से हुए नुकसान की भरपाई या वसूली हेतु कोई कार्यवाही नहीं की है। यह सच है कि तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता ने ऐसे अनेकों गलत व नियम विरुद्ध कार्य कर पंचायत समिति बारां में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। इसी प्रकार इकलेरा तालाब निर्माण कार्य में भी जांच अधिकारी द्वारा तत्कालीन विकास अधिकारी, कनिष्ठ अभियन्ता, ग्राम सेवक व सरपंच की मिलीभगत से तत्कालीन जिला कलक्टर द्वारा दी गई अभ्युक्ति के आधार पर पंचायत समिति बारां के तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता को स्पष्टतया वास्तविक कार्य मूल्यांकन के पश्चात् बिना किसी कार्य के सम्पादन व निर्दिष्ट दिनांक के उपरान्त कार्य नहीं करने के स्पष्ट निर्देश के उपरान्त 19,811/–रुपये के स्थान पर 49,800/–रुपये कार्य का मूल्यांकन करने का दोषी पाया गया। इस दुष्कृत्य के लिए उपरोक्त सभी को दोषी पाया गया था।

यही नहीं ग्राम मण्डोला में रास्ता दुरुस्ती निर्माण कार्य में भी राशि के गबन करने की नीयत से तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा कार्य की माप पुस्तिका (एम.बी.) भरी जाकर दोनों कार्यों के प्रति 56,640/- रुपये ग्रेवल सड़क तथा 81,760/- रुपये खरंजा निर्माण का भुगतान उठाया गया है। इसके लिए उन्हें स्पष्ट रूप से दोषी पाया गया है। इस दुष्कृत्य में उनके साथ ग्राम पंचायत मण्डोला सरपंच व सचिव ग्राम पंचायत मण्डोला तथा तत्कालीन विकास अधिकारी की मिलीभगत भी स्पष्ट पायी गई। कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा उक्त दोनों कार्यों को एक ही समयावधि दिनांक 24.3.1999 से 31.3.1999 के बीच सम्पादित होना बताकर मूल्यांकन पुस्तिका में इन्द्राज कर उपयोगिता प्रमाण पत्र क्रमशः

(श्री मदन दिलावर)

खरंजा निर्माण के लिए एवं मुरम्म भराई के लिए कार्य का उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी किया गया जिसके आधार पर दोनों कार्यों की राशि का भुगतान उठाया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से राजकीय धन का दुरुपयोग हुआ एवं सरकार ने भी इसे गबन ही माना है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध आज तक कोई कार्यवाही नहीं करना इस सरकार की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। जांच अधिकारी ने तो यहां तक लिखा है कि इस दुष्कृत्य के लिए इस कार्य का तखमीना बनाने से लेकर मूल्यांकन कर उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने में संलग्न रहे तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता, तत्कालीन विकास अधिकारी, पंचायत समिति बारां, सरपंच व सचिव की मिलीभगत स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है।

महोदय, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी पुलिस व सम्बन्धित विभागों द्वारा आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है (जबकि उपरोक्त के विरुद्ध पुलिस थाना सदर, बारां में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 264/2001 दिनांक 21.4.2001 दर्ज करवाई गई है) बल्कि पुलिस द्वारा उपरोक्त दोषी लोगों से एक मोटी रकम लेकर अपनी अन्तिम रिपोर्ट निर्दोष मानते हुए लगा दी गयी है। मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहूंगा कि सरकार भ्रष्ट आचरण वाले अधिकारी व कर्मचारियों के लिए माननीय न्यायालय में अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार न हो, इस हेतु अपना पक्ष रखने के लिए गई थी? यदि नहीं तो क्यों? कारण बताएं। मैं यह भी जानकारी चाहूंगा कि क्या उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अपने पत्र क्रमांक भनि/ब्यूरो/उमनिश/2000/440 दिनांक 18.9.2001 से जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट बारां को उपरोक्त प्रकरण में यह निर्णय दिया था कि आप इस संबंध में अपने स्तर पर राजकीय राशि को रिकवरी करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें तथा उक्त कार्यवाही के बाद राशि के गबन व फर्जी प्रमाण पत्र बनाने के सम्बन्ध में सम्बन्धित स्थानीय थाने पर प्रकरण दर्ज करवाने की कार्यवाही करें। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या उक्त निर्णय विरुद्ध जिला कलक्टर बारां ने राशि की वसूली कर सम्बन्धित स्थानीय थाने में प्रकरण दर्ज करवाया है? यदि नहीं करवाया गया तो इसके क्या कारण रहे हैं? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, वहां के स्थानीय और उस क्षेत्र के मंत्री और उस क्षेत्र के उप जिला प्रमुख मिलकर....

श्री उपाध्यक्ष : श्री सांवर लाल। बिराजिये प्लीज, मेरे पास है, आप ऐसा मत समझो कि मेरे पास नहीं है। श्री सांवर लाल।

श्री मदन दिलावर : पारदर्शिता दिखाने वाली सरकार इस प्रकार से भ्रष्टाचार का नंगा नाच कर रही है, इसका यह एक जीता जागता उदाहरण है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

भिनाय में निर्मित सड़कों की गुणवत्ता

श्री सांवर लाल (भिनाय) : उपाध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख। महोदय, विगत चार वर्षों में अजमेर जिले एवं भिनाय विधान सभा क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बनाई गई ग्रेवल व अन्य सड़कों का निर्माण सही नहीं होने के कारण उन सड़कों पर वाहनों व पैदल चलना भी दूभर है, सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है। जनता में भयंकर आक्रोश है।

अत: आपसे अनुरोध है कि राज्य सरकार इनकी गुणवत्ता की जांच कर इन्हें दुरूस्त कराए व दोषियों को दण्डित किया जाए।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

इन्दिरा गांधी नहर का पानी प्रबन्धन

श्री उपाध्यक्ष : श्री गोवर्द्धन कल्ला।

श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं लोक महत्व का एक विषय सदन में रखना चाहता हूं। इन्दिरा गांधी नहर पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई एवं पेयजल की विशेष योजना है जिसमें करीब 2300 करोड़ रुपये हम खर्च कर चुके हैं। इस योजना में गत तीन वर्षों से हरिके बैराज से जो पानी प्राप्त हो रहा है, उसमें किसानों को खरीफ और रबी की फसल में पानी नहीं मिला, तीन वर्षों से और इस वर्ष हालात यह है कि हमें केवल पेयजल हेतु पानी दिया गया है। उस पेयजल के पानी को भी सारी वितरिकाओं में पर्याप्त मात्रा में नहीं दिया गया है, इससे हजारों किसान पलायन की स्थिति में आ चुके हैं। रेवेन्यू एवं सुरक्षा विभाग के हजारों कर्मचारी कार्यरत हैं उस क्षेत्र में, जैसलमेर के सीमावर्ती इलाके में। सिंचाई विभाग, इन्दिरा गांधी नहर विभाग और सिंचित क्षेत्रीय विकास विभाग तीनों को मिलाकर वहां पानी की व्यवस्था की जाती है। सी.ए.डी. वाटर रैगुलेशन करता है, किन्तु वाटर रैगुलेशन में विशेषकर इन्दिरा गांधी नहर के द्वितीय चरण में पेयजल हेतु न तो डिग्गियां ही बनी हैं, न कोई व्यवस्था की गई है। हमने कई पेयजल योजनाएं डायरेक्ट इन्दिरा गांधी नहर से चालू की हैं, डिग्गियां न होने से वे सारी की सारी योजनाएं विफल हो चुकी हैं। मेरा ऐसा मानना है कि उन वाटर रैगुलेशंस में पेयजल को जहां प्राथमिकता है, विशेषकर द्वितीय चरण में जहां सिंचित क्षेत्रीय विकास विभाग ने डिग्गियां नहीं बनाई हैं, वहां पर्याप्त मात्रा में सारी वितरिकाओं में, सारी माइनर्स में पेयजल की व्यवस्था की जाए ताकि जो किसान सिंचाई से वंचित हो चुके हैं और यों ही बैठे हुए हैं उनको अकाल से राहत में मजदूरी मिले। वे इसके इंतजार में हैं, कम से कम उनको पीने के पानी के लिए पर्याप्त व्यवस्था मिले। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है, विशेषकर इन्दिरा गांधी नहर मंत्री जी से, सिंचित क्षेत्रीय विकास मंत्री जी से तथा सिंचाई मंत्री जी से, कि हरिके बैराज

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

में पर्याप्त पानी है, आज भी जैसी चर्चाएं चल रही हैं कि पंजाब हमें पर्याप्त जो हमारे हिस्से में पानी आना था वह नहीं दे रहा है और उस पानी की कमी के कारण हमारी खरीफ और रबी की फसलें खतरे में है, कम से कम इतना पानी तो दें। हम उस पानी को गडरा ब्रांच तक ले जाने के प्रयास में हैं। 193 आर.डी. तक गडरा ब्रांच कम्प्लीट हो चुकी है, वहां कुछ पुरानी सेवण घास भी है जिससे अकाल की स्थिति में हम अपने मवेशियों को बचा पाएंगे। हम चाहते थे कि इस अकाल के मौसम में हमको इतना पानी दें कि हमारे काश्तकार हरी घास पैदा करके अपने पशुधन को बचा पाएं। वह भी सम्भव नहीं है तो कम से कम पीने के लिए तो सभी ब्रांचेज में, सभी माइनर्स में इतना तो पानी दें कि वहां के जो हजारों काश्तकार विभिन्न जिलों से आकर जैसलमेर जिले में बसे हैं, वहां से पलायन की स्थिति में नहीं आएं।

यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, राजस्थान सरकार पंजाब गवर्नमेंट से बात करके जिससे भी जैसी भी व्यवस्था हो, हरिके बैराज से इतना पानी तो छुड़ाए कि गडरा ब्रांच तक सभी माइनर्स में, सभी डिस्ट्रीब्यूटरीज में इतना पानी हो कि कम से कम पेयजल की समस्या खड़ी न हो। मान्यवर, यह विषय इसलिए इम्पार्टेंट है कि वर्तमान में हमारी एक लाख के करीबन डिफेंस फोर्सेज सीमावर्ती क्षेत्रों में हैं उनको भी हम इसी इन्दिरा गांधी नहर से पानी पिला रहे हैं। जब कुछ ट्यूबवैल खुदे हुए हैं, पहले प्रायोरिटी उनको है तो ग्रामीण क्षेत्रों में ट्यूबवैल से पानी नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि वाटर रैगुलेशन की जो व्यवस्था है, एक एजेंसी काम करे। सिंचाई विभाग उसको कंट्रोल करता है पानी देने के लिए और उसके बाद में तीन मुख्य अभियन्ता, उस पानी को रैगुलेट करते हैं और रैगुलेशन की सारी स्कीम्स सी.ए.डी. करता है। इन तीनों डिपार्टमेंट्स के बीच में हमारा रैगुलेशन सिस्टम सारा विकृत हो चुका है। मेरा निवेदन है कि इन तीनों को मिलाकर एक एजेंसी हो जो हरिके बैराज से लेकर गडरा रोड तक पूरे पानी की व्यवस्था करे। पेयजल की जो समस्या है, पश्चिमी राजस्थान में हम जोधपुर शहर में यह पानी दे रहे हैं, पूरे बीकानेर, जैसलमेर और गंगानगर जिलों से इस नहर का पानी दिया जा रहा है, तो कृपया इस विषय को गम्भीरता से लेकर हम अपनी पूरी योजनाओं को देखें कि इन्दिरा गांधी नहर में हरिके बैराज से कितनी कैपेसिटी पानी की है, क्या सारी योजनाएं हमने बनाई हैं, क्या सम्भव है इतना पानी देना। विशेष प्राथमिकता के आधार पर पेयजल की जो व्यवस्था हम कर रहे हैं, सभी माइनर्स और सभी डिस्ट्रीब्यूटरीज और मुख्य कैनाल में पर्याप्त पानी उपलब्ध कराएं जिससे कि हम पेयजल व्यवस्था कर पाएं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरासिंह जी।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : उपाध्यक्ष महोदय, पूरे इस गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर में....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, आप बोल लेना न। आप ले आना कल पर्ची, कल बुलवा देंगे।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, अब कोई तो इसका नोटिस ले, कोई तो नोटिस ले। पांच-पांच लाख की जमीन खरीदी है राज्य सरकार से।

श्री उपाध्यक्ष : आपको अनुमति है बोलने की, आप बोल लेना।

श्री देवीसिंह भाटी : उसके नोटिस अलग मिल रहे हैं, ब्याज और लगा रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप कल दे देना पर्ची, आपको बुलवा देंगे।

श्री देवीसिंह भाटी : कैंसिल और कर रहे हैं उन सारी जमीनों को। लोग वहां से दौड़ चुके हैं, उनके लिए कम से कम राहत कार्य तो चालू करवाइये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरासिंह जी।

श्री देवीसिंह भाटी : नहर से पानी अगर आप दो तो बहुत बढ़िया है। पानी हमारे हिस्से का वहां उपलब्ध है, हरिके बैराज से हम ले आये हैं, पोंगे डैम में पानी आ चुका है।

श्री उपाध्यक्ष : राहत कार्य परसों।

श्री देवीसिंह भाटी : अगर सही वितरण हो, जो पानी हमारे पास में है वह अगर सही तरीके से वितरित हो जाए तो वे लोग वहां पर टिके रह सकते हैं, अपने बच्चों का पेट पालन कर सकते हैं। वे किस्तें भर पाएंगे वर्ना वे किस्तें भी भरने की हालत में नहीं हैं। उन्होंने राज्य सरकार को पांच-पांच लाख रुपये दिये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप इतने सीनियर सदस्य हो, क्या चाहते हो आप?

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, कुछ तो सोचिये इस प्रकार का सिर्फ एक वसूली का केन्द्र न बनाएं राज्य सरकार को, यह कल्याणकारी राज्य है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री देवीसिंह भाटी : यह कल्याणकारी सरकार है।

श्री उपाध्यक्ष : आप कल्याणकारी हो, बिराजो प्लीज।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, उन गांव वालों की, उस क्षेत्र के लोगों की बात कौन करे?

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरासिंह जी।

श्री देवीसिंह भाटी : अगर हम बात करते हैं तो कोई पीड़ा है, कोई दर्द है।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : आप माननीय भाटी जी, बिराजो।

श्री देवीसिंह भाटी : दिलों में पीड़ा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : मैं रोक नहीं रहा हूं आपको। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : उस नहरी क्षेत्र में पानी का सही वितरण हो। हम हमारे हिस्से के पानी को लेकर आए, उपाध्यक्ष महोदय, तभी उन क्षेत्रों में लोगों का वहां बसना सम्भव होगा, वरना वे उजड़ चुके हैं, बरबाद हो चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरासिंह जी।

रायपुर विधान सभा क्षेत्र की स्वीकृत पेयजल योजनाओं का कार्य

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) **:** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र रायपुर में पेयजल स्कीमें सरकार ने स्वीकृत कर रखी हैं, 23 जल स्कीमें चालू हैं। लेकिन पिछले 6 महीने से स्थिति ऐसी हो गई है, आपके जितने भी अधिकारी हैं, चाहे एडिशनल चीफ हो, चाहे चीफ हो, चाहे एक्स.ईएन. हो, चाहे ए.ईएन. हो, वे एक ही बात कहते हैं कि हमारे पास तो पेयजल स्कीम के पैसे स्वीकृत करने का कोई अधिकार नहीं है। स्कीमें बनाई हैं, भयंकर अकाल है, अकाल की स्थिति होने के बावजूद भी....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक मिनट मेरी सुन लीजिए, परसों इस पर चर्चा है।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं अकाल पर नहीं बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सुनिये प्लीज, अभी न तो मंत्री जी हैं, आप इस पर चर्चा कर रहे हैं। आप परसों इस पर बोल लेना, जवाब आ जाएगा।

श्री हीरासिंह चौहान : परसों का परसों होगा, बहुत विषय हैं, उपाध्यक्ष जी। आज का विषय है, मेरी पर्ची लगी हुई है, मैं तो संक्षेप में ही निवेदन करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बोलो, बोलो, मुझे तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन...

श्री हीरासिंह चौहान : मेरा निवेदन है कि खोड़िया ग्राम पंचायत है, खोड़िया ग्राम पंचायत में पेयजल स्कीम को बने 12 महीने हो गये हैं। दो टंकियां बना दी गयीं, लेकिन वहां पर पाइप लाइन की कह रहे हैं, पाइप लाइन उपलब्ध होगी, नहीं होगी, अभी तक जोड़ा नहीं गया है। माननीय उपाध्यक्ष जी, आप इसे अदरवाइज नहीं लें, मेरी समस्या को मैं कहूंगा। मेरा गांव काणोजा है जिसमें पिछले तीन साल से पानी का ओपन वैल का संकट आया। 6 महीने पहले ट्यूबवैल खोद दिया गया, उस ट्यूबवैल में पर्याप्त पानी आ गया है। एक किलोमीटर की पाइप लाइन डालनी है। वहां से एस्टिमेट बनाकर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महोदय को, जैसा मुझे बताया गया है कि उनके अलावा पैसे की स्वीकृति नहीं होगी, एक महीने पहले मैंने माननीय सी. पी. जोशी साहब

(श्री हीरासिंह चौहान)

के वहां जाकर तीन लाख का एस्टिमेट दिया है उस पेयजल स्कीम को जोड़ने के लिए लेकिन दो महीने हो गये। माननीय खेतसिंह जी साहब पिछली 6 तारीख को हमारे विधान सभा क्षेत्र में उनका दौरा था तो आये थे बड़ीपोल ग्राम पंचायत में। वहां के लोगों ने एजीटेशन करके खेतसिंह जी का घेराव किया, खेतसिंह जी से निवेदन किया कि हमारे गांव में पानी नहीं है और जो पानी का एकमात्र ओपन वैल है उसका सारा पानी उस ट्यूबवैल में या दूसरे गांव की स्कीम से जुड़ा होने के कारण हम ग्रामवासियों को एक बून्द पानी पीने का नहीं मिल रहा है, 3-3, 4-4 किलोमीटर पानी नहीं है। खेतसिंह जी ने उस समय व्यवस्था दी कि इस मालाजी के बाड़े को जो बड़ीपोल की स्कीम है वह उससे हार्डली पांच सौ मीटर है, आपके पेयजल के एक्स.ईएन. को बुलाकर, एस.ई. को बुलाकर वहां उन्होंने स्वयं ने व्यवस्था दी कि इस मालाजी के बाड़े को आप कैसे भी करके, केवल पांच सौ मीटर की दूरी है, पानी दो। लोगों ने पाइप तोड़ दिये, लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ। खेतसिंह जी ने खुद एक्स.ईएन. को बुलाकर कहा कि यह पाइप लाइन जोड़ देना, लेकिन आज उनके साथ मुकदमे हो रहे हैं। आज एक महीना हो गया, वह 500 मीटर की पाइप लाइन अभी तक नहीं जुड़ी है। जिला कलक्टर को कहा, किस-किस अधिकारी को हमने नहीं कहा लेकिन वह लाइन नहीं जोड़ी है।

इसी प्रकार गजनाई स्कीम थी, बहुत बड़ी स्कीम है। 1998 में हमारी सरकार थी उस समय बनाई थी। गजनाई स्कीम से पहले वाले मंत्रीजी ने देवलीहूला में फिल्टर प्लांट बनाकर हमारे 24 गांवों को पानी देना था। इतनी ऊंचाई पर वह गांव आया हुआ है कि उससे सभी जगह पानी पहुंच जाता है। लेकिन बाद में फिल्टर प्लांट को ऐसे नीचे स्थान पर, ढाई सौ फीट नीचे के स्थान पर ले जाया गया वहां से जब तक बिजली नहीं आएगी, पानी नहीं चढ़ेगा। चंडावल नगर में उस फिल्टर प्लांट का गलत उद्घाटन किया। अब गलत उद्घाटन करने से हो क्या गया है? उपाध्यक्षजी, पहले टेंडर हो गया था, 1998 से आज दिन तक तो पानी दिया नहीं और अब वापस रीटेंडर होने में वह का वह, कम से कम 12 महीने या 6 महीने और लगेंगे। 1998 की स्कीम को पहले तीन साल में अभी पानी मिल जाता। फिल्टर प्लांट देवली-हूला में बन जाता तो सारे गांवों को पानी मिल जाता और गांव भी इतनी ऊंचाई पर आया हुआ है, लेकिन आज भी वे खारा पानी पीने को बाध्य हो रहे हैं। कुछ गांवों में पानी बिलकुल नहीं है।

यही स्थिति हमारे रेलड़ा में बनी हुई है। रेलड़ा में कम से कम तीन महीने से स्कीम....(व्यवधान) मैं क्या बात कहूंगा फिर?

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या पूरी कांस्टीट्यूएंसी की चर्चा करेंगे? तो क्या मतलब है पर्ची का?

श्री हीरासिंह चौहान : पूरी कांस्टीट्यूएंसी की नहीं कहूंगा। पेयजल के जो संकट हैं, माननीय उपाध्यक्ष जी, I have got a right by the "parchi" मैं उतना ही बोल रहा हूं, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : पर्ची के माध्यम से यह राइट नहीं मिलता आपको। (व्यवधान) यह आप कोई पूरी कांस्टीट्यूएंसी डिस्कस करो...(व्यवधान) यह पर्ची के माध्यम से थोड़े ही होता है। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : मैं संक्षेप में कह कर अपनी बात को पूरा कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बात को, ठीक है, पाइंट आउट कर दो, लेकिन आप तो पूरी कांस्टीट्यूएंसी को डिस्कस कर रहे हो। यहां कोई फैसला हो रहा है क्या? (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : पेयजल संकट तो पूरा ही कहूंगा, कांस्टीट्यूएंसी तो बहुत बड़ी है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, प्लीज। आप कोई पर्ची की बात है तो कहो।

श्री हीरासिंह चौहान : लेकिन जहां जहां पर संकट है उस संकट का निवारण नहीं हो रहा है। माननीय उपाध्यक्ष जी, अब संकट है उस संकट को भी हम यहां पर आकर आपके सामने बखान नहीं करें? हमारी जहां सीमा थी वहां सब जगह कह दिया। अब इस प्राब्लम को मैं यहां हाइलाइट करके आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस समस्या का समाधान होना चाहिए और पाइप....

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सदस्य, आपको यहां कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी, आपको 60 लाख रुपये मिले हुए हैं, अपने कोटे से पैसे देकर तत्काल पाइप डलवा देते। क्यों आप यहां पर वाचक बने और क्यों आपने अपना समय खराब किया?

श्री हीरासिंह चौहान : 60 लाख की सीमा में यह काम हो जाए तो मैं बहुत पहले कर देता। करोड़ों की स्कीम को मैं 60 लाख में पूरा करूंगा क्या? मेरा निवेदन है कि सरकार ये जो समस्याएं पैदा हो रही हैं, इनको पाइप लाइन दे और जहां जो स्कीम चालू हैं उनको शीघ्र पूरा करने की कोशिश करें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री यशवन्त सिंह (रामू), श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, अपने आपको संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह कहने वाली इस सरकार की आदत पड़ गई है कि इस सरकार के सम्मुख जब कोई भी वर्ग आता है, कोई भी तबका आता है...

श्री राजेन्द्र पारीक : यह कैसेट आपकी पुरानी वाली है, नई कैसेट लगाओ आप।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : एक साल बाद लग जाएगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अपनी न्यायसंगत समस्याओं को लेकर आता है, सरकार उस समस्या को सुनने के बजाय....

श्री राजेन्द्र पारीक : अब नेतृत्व परिवर्तन हो गया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपकी टेप तो पहले बंद करो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : गोली चलाती है। उपाध्यक्ष महोदय, अभी कल ही बीकानेर के अन्दर विद्यार्थियों के जुलूस पर जिस तरह से निर्मम लाठीचार्ज हुआ, एक विकलांग विद्यार्थी सहीराम और एक जाकिर हुसैन नाम का 18 वर्ष का विद्यार्थी, दोनों पुलिस की बरबरता के शिकार हुए। यहीं यह चीज नहीं थमी। गृह मंत्रीजी, आपके गृह मंत्रित्व में कोटपूतली में जिस तरह का लाठीचार्ज हुआ, जालौर के अन्दर किसान आया था और यह कहने आया था कि मैं भूखा हूं, प्यासा हूं अकाल राहत कार्य खोलो।

श्री उपाध्यक्ष : आप लिख तो बीकानेर की रहे हो और कह रहे हो जालौर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने अकाल राहत कार्य खोलने के बजाय लाठी भांजी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस पूरे अत्याचार की बरबरता तो उस समय सामने आ गयी जब सद्भावना दिवस पर, जिन राजीव गांधी के नाम पर ये सत्ता में बैठे हुए लोग वोट लेकर आते हैं, उन राजीव गांधी की जयन्ती के अवसर पर राजस्थान का पैराटीचर जो पूरे राजस्थान से चलकर आया था, अपनी न्यायसंगत मांग को लेकर आया था, सरकार के सम्मुख अपनी व्यवस्था को सुनना चाहता था, इस सरकार ने उनकी बात को सुनने के बजाय जिस तरह का बर्बर लाठीचार्ज किया, लगभग 100 विद्यार्थी घायल हुए। आपने पूरे राजस्थान के अन्दर 20 अगस्त को सद्भावना दिवस बनाया। उस सद्भावना दिवस में किस तरह की सद्भावना आपने दिखायी, यह सामने है। उपाध्यक्ष महोदय, आप भी साक्षी रहे हैं, इस सरकार ने सोनिया गांधी को खुश करने के लिए राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला खोलने का एक जोरदार नाटक रचा। पर उसका परिणाम क्या रहा? उपाध्यक्ष महोदय, जब से यह सरकार आई है, 1998 के बाद एक भी....

श्री संयम लोढ़ा : यह शिक्षा का है, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, पैराटीचर पर बोल रहा हूं। एक भी थर्ड ग्रेड का टीचर इन्होंने भर्ती किया नहीं। 36 हजार पद रिक्त पड़े हैं, 70 हजार ट्रेंड टीचर जो बी.एस.टी.सी. हैं, बी.एड. हैं, बेरोजगार हैं। इन 21 हजार स्वर्ण जयन्ती विद्यालयों में वर्तमान में 38782 पैराटीचर हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इन 38782 में से 22 हजार ट्रेंड टीचर हैं और 6 हजार एस.सी. एस.टी. हैं। इनकी मांग क्या थी? इनकी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मांग पर सरकार ने विचार किया नहीं। यह सरकार इसलिए विचार नहीं करना चाहती क्योंकि सरकार ने उनको लिखित में आश्वासन दे रखा है कि 2003, जब चुनाव का दरवाजा खटखटाएंगे, जब सत्ता में बैठे लोगों को वापस जाकर वोट मांगने पड़ेंगे तब जाकर उनको नियमित करने का ये काम करेंगे। 3 नवंम्बर, 2001 को तत्कालीन शिक्षा मंत्री डाक्टर सी. पी. जोशी ने इनके साथ में एक लिखित करार किया। लिखित करार यह किया कि शिक्षा सहयोगी, पैराटीचर सेवा नियम बनाने की प्रक्रिया तीन माह में पूरी कर दी जाएगी। वह तीन माह का समय गुजर गया। जब उनको पता लगा कि उनके सेवा नियम ही नहीं बने तो उन्होंने ज्ञापन दिया, गुहार की। अपनी गुहार को लेकर जब यहां आये तो बदले में उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया। इन्होंने लिखित में करार किया। 13.11.2001 को इन्होंने लिखित में किया कि पैराटीचर के रूप में कार्यरत मानदेय प्राप्त योग्यताधारी शिक्षा सहयोगी को पांचवें वर्ष की सेवा अवधि के दौरान तृतीय श्रेणी की नियमित वेतन श्रृंखला 4500–7000 में नियमित करने की कार्यवाही की जाएगी।

मतलब हरेक चीज के अन्दर राजनीति करने का काम इन्होंने किया है। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, बहुत हो गयी, अब आपके पाप का घड़ा फूटने वाला है। आप जहां चाहते हैं किसान पर लाठी–चार्ज करते हैं, बेरोजगार पर लाठीचार्ज करते हैं। और पैराटीचर जिनके नाम से आप वोट मांगते हो, जो राजीव गांधी के नाम की स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं में पढ़ाता है, उसके साथ आपने इस तरह की बरबरता की। मैं आह्वान करना चाहता हूं कि पैराटीचर का आज भी धरना है, उनके शिष्टमण्डल से मंत्रीजी मिले, मंत्रीजी मिलकर उनकी न्यायसंगत ओर वे मांगे जिनके बारे में खुद तत्कालीन शिक्षा मंत्रीजी ने करार किया, उनकी मांगों को माना जाए, यही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। डाक्टर चन्द्रभान।

श्री मदन दिलावर : यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है।

डा. चन्द्रभान : आप बैठिये न।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पहले तो कहा आओ, अब कह रहे हैं जाओ। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : आपके अलावा और भी महत्त्वपूर्ण विषय हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पहले तो कहा आओ....(व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : पैराटीचर को मार–मार कर उनकी हड्डियां तोड़ दीं, सिर फोड़ दिया, उपाध्यक्ष महोदय, यह अन्याय की पराकाष्ठा है। (व्यवधान)

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

उद्योग विभाग

डा. चन्द्रभान (उद्योग मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग विभाग की अधिसूचना संख्या आर. एफ. सी./एफ./पी.ए.–23 (5) ए दिनांक 5 जनवरी, 2002 जिसके द्वारा राजस्थान वित्त निगम (स्टॉफ) रैगुलेशन, 1958 के रैगुलेशन संख्या 6 (2) के एपेण्डिक्स-II में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री मदन दिलावर : ....प्रदेश के युवाओं के ऊपर इस तरह से....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री बुलाकीदास कल्ला। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर :....जो लाठीचार्ज किया....(व्यवधान) यह लाठी और गोली.... (व्यवधान)

नगरीय विकास विभाग

डा. बुलाकीदास कल्ला (नगरीय विकास मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अधिसूचना संख्या एफ.9(15)यूडी/3/2001 दिनांक 15 जनवरी, 2002 जिसके द्वारा राजस्थान अरबन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (डिस्पोजल आफ अरबन लैण्ड) रूल्स, 1974 में संशोधन किया गया है सदन की मेज पर रखता हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसमें अपने कर्तव्यों की पूर्ति नहीं की है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : इनके ऊपर डण्डे बरसाये जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : इन पर लाठियों और गोलियों की बरसात की गई। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : डा. श्रीमती कमला जी।

डा. (श्रीमती) कमला (उपनिवेशन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय....

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपके राज में क्या हो रहा है, इनको देखो। इनको लाठियों से मारा जा रहा है। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्रीजी बैठे हैं, इनका जवाब दीजिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : जवाब कौन देगा?

श्री धर्मपाल चौधरी : मंत्रीजी जवाब दें।

श्री उपाध्यक्ष : कोई जवाब नहीं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : जवाब देना पड़ेगा। (व्यवधान)

उपनिवेशन विभाग

डा. (श्रीमती) कमला (उपनिवेशन मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार उपनिवेशन विभाग की निम्नलिखित चार अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखती हूं:-

1. अधिसूचना संख्या एफ.4(12) कोल/97/ दिनांक 14.5.2002 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (भाखरा और

(डा. (श्रीमती) कमला)

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना उपनिवेशन क्षेत्रों की मंडियों में भूमि का विक्रय तथा आबंटन) शर्तें 1973 में संशोधन किया गया है।

2. अधिसूचना संख्या एफ.4(15) कोल/88 दिनांक 4.6.2002 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम, तथा लघु सिंचाई परियोजनाएं, सरकारी भूमियों का आबंटन) नियम, 1968 में संशोधन किया गया है।

3. अधिसूचना संख्या एफ.4(15) उप/88/ दिनांक 7.6.2002 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम तथा लघु सिंचाई परियोजनाएं सरकारी भूमियों का आबंटन) नियम, 1968 में संशोधन किया गया है।

4. अधिसूचना संख्या एफ.4(2) उप/2001 दिनांक 19.6.2002 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल परियोजना सरकारी भूमि आबंटन और विक्रय) नियम 1957 में संशोधन किया गया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री कल्ला जी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पूरे राजस्थान में लाठियों से मारा जा रहा है। (व्यवधान) अलवर में मारा, कोटपूतली में मारा, कोटा में मारा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी का जवाब नहीं आया।

श्री धर्मपाल चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जवाब तो दिलवा दें, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। कोई जवाब नहीं आता है। इसका क्या जवाब आएगा? (व्यवधान)

प्रतिवेदन

राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड का 20वां वार्षिक प्रतिवेदन

डा. बुलाकीदास कल्ला (पर्यटन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं (1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 "ए की उपधारा (1) के अन्तर्गत राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, जयपुर का 20 वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखे वर्ष 1998-99 तथा 21 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1999-2000 तथा;

राजस्थान स्टेट होटल्स निगम लिमिटेड का 34 वां वार्षिक प्रतिवेदन

(2) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3) की उपधारा (1)(2) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट होस्टल निगम लिमिटेड का 34 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1998-99 एवं 35 वां प्रतिवेदन वर्ष 1999-2000 सदन की मेज पर रखता हूं। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : मंत्रीजी जवाब दें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उनके ऊपर लाठियों से वार हुआ है। लाठियों से मार हुई है। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : मंत्रीजी जवाब दें। उनको लाठियों से मारा जा रहा है। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : सरकार आदिवासी और गरीब वर्ग को बचाने के लिए है और सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार जवाब दे। (व्यवधान) यह संवेदनशील सरकार है, पारदर्शी सरकार है और यह है सरकार की हालत (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : ये हैं पैराटीचर्स, इनका जवाब दें। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पैराटीचर्स का जवाब दें। पैराटीचर्स के ऊपर यह अत्याचार है।

श्री देवीसिंह भाटी : लाठीचार्ज के लिए यह सरकार स्वयं माफी मांगे। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ये मानवता के हत्यारे हैं, यह मानवता की हत्यारी सरकार है। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : सरकार माफी मांगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री छोगाराम बाकोलिया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पैराटीचर्स को क्यों मारा, पहले इसका जवाब दें।

प्रतिवेदन

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का द्वितीय प्रतिवेदन 1993-94

श्री छोगाराम बाकोलिया (समाज कल्याण मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की दूसरी रिपोर्ट वर्ष 1993-94 सदन की मेज पर रखता हूं। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : पैरा टीचर्स के साथ जो किया....

श्री ज्ञानदेव आहूजा : गृह मंत्रीजी को इसमें वक्तव्य देना था कि टीचर्स को क्यों मारा। आपने ही तो उनको रखा था....

श्री देवीसिंह भाटी : प्रदेश की सरकार वेतन तो नहीं दे रही पर उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप तो जड़ें खोद रहे हो ढाणियों-ढाणियों में। (व्यवधान) इसलिए आपका हौसला गायब हो रहा है क्योंकि ढाणियों-ढाणियों में आपके.... पहले तो आपने कहा कि राजीव गांधी स्कूलों में आओ, अब कहते हैं कि जाओ। पहले तो इतना प्यार और अब बेवफाई, क्यों, यह बताइये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह बताइये, यह सवाल टीचर्स का है।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये प्लीज, बिराजिये। (व्यवधान) श्री शिवचरण जी माथुर।

समिति का प्रतिवेदन

प्राक्कलन 'क' समिति का प्रतिवेदन (संख्या 20 से 23)

श्री शिवचरण माथुर (माण्डलगढ) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्राक्कलन समिति "क" 2002-2003 समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं :-

1. संस्कृत शिक्षा विभाग से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति "क", 2002-2003 का 20वां प्रतिवेदन,
2. शिक्षा (उच्च शिक्षा) विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति "क" 2002-2003 का 21वां प्रतिवेदन,
3. तकनीकी शिक्षा विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति "क", 2001-2002 के 16वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक प्राक्कलन समिति समिति "क", 2002-2003 का 22 वां प्रतिवेदन,
4. स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग से सम्बन्धित प्राक्कलन समिति "क", 2002-2003 का 23वां प्रतिवेदन। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पहले तो राजीव गांधी के नाम पर बुलाकर कहा कि आओ, और अब कहते हैं कि जाओ। पहले तो किया इतना प्यार और अब बेवफाई, क्यों? क्यों बेवफाई कर रहे हो, यह बताइये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री दिग्विजय सिंह।

प्रश्न एवं संदर्भ समिति का प्रतिवेदन (संख्या-5)

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 2002-2003 समिति के पांचवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार। श्री हरिसिंह (महुवा)।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आन ए पाइंट आफ आर्डर, सर।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट बिराजिये आप। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : इसमें कहां पाइंट आफ आर्डर है?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इसमें है। अलाउ कर दिया है मुझे, यदि कोई दिक्कत है। मेरा यह निवेदन है कि जो आपकी रिपोर्ट है, यह गोपनीय होती है। हमको लिखकर भेजा है कि यह गोपनीय है। 29 तारीख को जैसी अभी बात आई थी कि इसमें आपने शून्यकाल समाप्त कर दिया, यह तय नहीं हुआ था और यह अखबार में आपने छापा है। हमको तो गोपनीय कहा है आपने कि यह गोपनीय है, यह गोपनीय ही रहता है।

श्री उपाध्यक्ष : यह हमेशा ही होता आया है। It is always done. इसमें कोई नई बात नहीं है। Nothing new in it.

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अखबार में नहीं आता है, साहब। खैर, आता होगा अखबार में।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह हमेशा होता आया है, इसमें कोई नई बात नहीं है। इसमें क्या पाइंट आफ आर्डर है, माननीय सदस्य?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप सुनो तो सही, मैं क्या कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह हमेशा होता आया है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मेरी बात तो सुनो।

श्री धर्मपाल चौधरी : माननीय मुख्य सचेतक जी ने कहा है, बजट लीक हो गया है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल): मैं वह नहीं कहता, आपने ही कहा है यह। अच्छा, आपने कहा है यह। मान लेते, क्या कहा है आपने?

राजस्थान विधान सभा की कार्य सलाहकार समिति ने सदन में 30 अगस्त तक सम्पादित किये जाने वाले कार्यक्रम को सोमवार को हुई बैठक में अंतिम रूप दिया। कार्यक्रम के अनुसार 27 व 28 अगस्त को सदन में पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं को ज्यादा अधिकार देने के लिए गठित मंत्रिमण्डलीय उप समिति की सिफारिशों पर चर्चा होगी। 29 अगस्त को प्रश्नकाल व शून्यकाल के बाद...1993 से 96 तक की अवधि की अतिरेक मांगें पारित की जाएंगी। तो आपने जो यह दिया है हमको...

श्री उपाध्यक्ष : मैंने नहीं किया है, यह तो आप अखबार से पढ़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपने दिया है। यह हमेशा होता ही है। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : खैर, जवाब तो देखो। इसमें यह लिखा है कि मंत्रिमण्डल की चर्चा के बाद 29 अगस्त को प्रश्नकाल व शून्यकाल के बाद.... हमको जो दिया है उसमें आपने शून्यकाल हटा दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बिराजो तो सही, समाधान निकाल लेंगे। आप सुनो तो सही, तसल्ली रखो।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, आपने निकलवाया तो, मैं आपके ध्यान में ला रहा हूं कि यह गोपनीय नहीं है, इसको गोपनीय माना जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : यह हमेशा ही होता आया है, इसमें कोई नई बात नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं तो पहली बार देख रहा हूं।

श्री हीरासिंह चौहान : इसको गोपनीय कैसे कहा गया है, यह बताइये आप।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, हमको तो आसन की ओर से प्रताड़ना मिलती हैं कि यह गोपनीय है। यह कैसा खजाना है, इसका पता लग गया तो पता नहीं, कौन लूट कर ले जाएगा। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : यह गोपनीय कैसे है, यह बताइये? यह लीगल आर्गुमेंट है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हर बात को बाई पास मत कीजिये, यह लीगल आर्गुमेंट है।

श्री उपाध्यक्ष : As far as House is concerned, यह गोपनीय है। बिराजिये, बिराजिये आप।

श्री देवीसिंह भाटी : यह आसन के निर्देश हैं हमको। हमारे सी.पी. जोशी जी बड़े गम्भीर हो रहे थे, साहब, यह कोंफिडेंशल है। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपने हमको यह पाबन्द किया है....

श्री देवीसिंह भाटी : इसकी चर्चा कैसे हो रही है? जैसा हवामहल से आने वाले माननीय सदस्य बता रहे हैं कि अखबार में छपा है....

श्री हीरासिंह चौहान : कोंफिडेंशल कैसे कह दिया? गोपनीय रहा कहा? हमारे पास सूचना आ गई, सबके पास आ गई, गोपनीय कहां से रह गया?

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए प्लीज। माननीय सदस्य, एक मिनट।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हमको ये निर्देश हैं कि यह गोपनीय है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप यह बोल रहे हैं कि यह पहली बार हो रहा है, यह हमेशा होता है। गोपनीय लिखते हैं, इसमें क्या बात है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, इसमें यह निर्देश है कि....

श्री हीरासिंह चौहान : नहीं, यह लिखने का नहीं है, यह चर्चा में गोपनीय कहा है।

श्री देवीसिंह भाटी : आसन से ये निर्देश हुए थे कि गोपनीय पत्रावली है, इसके ऊपर चर्चा नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष : हां, है। बिलकुल गोपनीय है। अभी तक भी गोपनीय है।

श्री देवीसिंह भाटी : गोपनीय कौनसा है, गोपनीय की व्याख्या तो करवा दीजिये। कोई व्याख्या हो जाए तो हमारी समझ में आ जाए। हम तो राजीव गांधी पाठशाला में नहीं गये हुए हैं। (व्यवधान) फिर यह गोपनीय रहा कहां? आसन से निर्देश हैं कि यह गोपनीय है। +++ अगर आसन से हमें +++ हैं कि यह गोपनीय है, इसके ऊपर चर्चा नहीं होगी और प्रेस को सर्कुलेट कर दिया जाता है तथा उनको सूचना कर दी जाती है तो हमें....

+++ अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : Nothing new in it.

श्री देवीसिंह भाटी : मैं तो मोटी बुद्धि का आदमी हूं, थोड़ा समझा तो दीजिए आप।

श्री हीरासिंह चौहान : जो बात आई है उसको आई गई कर दें क्या, साहब? यह सदन में उठा है, यह गोपनीय है, इस प्रकार के शब्द से कैसे चल गया?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हमको ये निर्देश है कि जब तक विधान सभा में यह पारित नहीं हो...

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, एक मिनट।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं जानता हूं, आप एक मिनट ठहरिये।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : गोपनीय का अर्थ मैं बताऊं। गोपनीय का अर्थ यह है कि कोई भी बात यदि छह कानों में चली गई है तो वह गोपनीय नहीं है। जो बात चार कानों तक आई है वही गोपनीय है। छह कानों में गई हुई बात गोपनीय नहीं है। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ठीक हैं। तो मेरा यह निवेदन है, इसमें आपने यह लिखा है, हमको निर्देशित किया गया है कि जब तक विधान सभा में इसका उल्लेख न हो जाए, तब तक आप इसको गोपनीय रखेंगे। हमको तो यह निर्देश है, और बाकी आप क्या कर रहे हो? और फिर कहा कि यह गोपनीय है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप भी तो थे वहां।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री देवीसिंह भाटी : तो फिर आप पाइंट आफ आर्डर निरस्त कर दीजिए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कर दिया, कर दिया है। कर दीजिये, क्या पाइंट आफ आर्डर है।

श्री देवीसिंह भाटी : पाइंट आफ आर्डर रेज किया है। आपने अनुमति दी है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यानी इसको गोपनीय मानेंगे कि नहीं मानेंगे? गोपनीय होने के बाद अखबार में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए?

श्री उपाध्यक्ष : अखबारों से कोई मेरा ताल्लुक नहीं है। जो हाउस में रिपोर्ट है, जब तक यहां एडाप्ट नहीं हो जाता, तब तब वह रिपोर्ट गोपनीय है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : But it has come in the papers.

श्री उपाध्यक्ष : हो गया न।

श्री देवीसिंह भाटी : थानेदार का बाहर जोर नहीं चलता है तो वह मां को पीटता है। वे यहां पर जोर लगा रहे हैं कि माननीय सदस्य इसको गोपनीय रखें।

श्री उपाध्यक्ष : यह पहला पत्र नहीं है। इसमें कोंफिडेंशल लिखा जाता है, हमेशा लिखा जाता है।

श्री देवीसिंह भाटी : फिर इसको सुधारो। यह फालतू के कागज काले क्यों करते हो?

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप भी बिराजमान थे वहां, आप भी बिराज रहे थे। आप भी तो थे वहां।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये। बोलो, बोलो, हरिसिंह जी, बोलो।

श्री देवीसिंह भाटी : हुकुम, हां, हम थे तो यह भाषा सुधारिये। आसन की ओर से यह प्रताड़ना मिलती है हमें कि यह गोपनीय है। आपके वरिष्ठ मंत्रीजी सी.पी. जोशीजी फरमा रहे थे कि साहब, यह गोपनीय है, इसके ऊपर चर्चा कैसे हो रही है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह नियमों में ऐसा ही प्रावधान है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह रिडंडेंट है, जो यह लिखा है। इसको खतम कीजिये आप। कोई मतलब नहीं है इस बात का।

श्री उपाध्यक्ष : मैं कैसे बदल दूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप आसन पर हैं, आप सजैस्ट कर सकते हैं।

श्री देवीसिंह भाटी : वह देवता बता दें जिसके आगे जाकर अरदास हम करें। जब आसन ही नहीं कर सकता, हाउस ही नहीं कर सकता। माननीय सदस्य सुझाव दे रहे हैं कि, साहब, यह परम्परा चल रही है।

श्री उपाध्यक्ष : हाउस है। वह देवता यह हाउस है।

श्री देवीसिंह भाटी : तो यह हाउस है तो यह +++ सरकार को सलाह दो कि यह प्रस्ताव लाए।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये, बिराजिये।

श्री हरिसिंह (महुवा) : कहां सरकार इसमें आ रही है बीच में? यह कमेटी का निर्णय है, बी.ए.सी. का निर्णय है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, हाउस के संरक्षक आप हैं।

श्री उपाध्यक्ष : क्यों टाइम खराब कर रहे हो?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उस हाउस के संरक्षक आप हैं। आप सर्वोच्च आसन पर बिराज रहे हैं। नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, जो पाइंट आफ आर्डर उठाया है, उसके बारे में व्यवस्था तो दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : दे दी ना। दे दी मैंने। आपने सुनी नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : व्यवस्था कहां दी आपने? आपको रतनगढ़ से आने वाले माननीय विद्वान सदस्य ने गोपनीय शब्द का अर्थ बता दिया, फिर इस बात को...

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, बिराजिये। मैं व्यवस्था दे चुका। हरिसिंह जी, प्लीज।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गई।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : न यह माननीय है, न पूज्यनीय है, यह न गोपनीय है, न शोभनीय है। (व्यवधान)

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (संख्या-21)

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के 21वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 26 अगस्त, 2002 को मध्यान्ह पूर्व 11.30 बजे माननीय अध्यक्ष महोदय के वेश्म में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि दिनांक 27 अगस्त से 30 अगस्त, 2002 तक सदन में लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाएगा:–

मंगलवार, 27 अगस्त, 2002 बुधवार, 28 अगस्त, 2002	पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं की स्थिति और 73 वां और 74 वां संविधान संशोधन की मूल भावना के अनुरूप उनके सशक्तीकरण के उपायों पर विचार,
गुरुवार, 29 अगस्त, 2002	1. वर्ष 1993-94, 1994-95, 1995-96 की अतिरेक मांगों पर मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का पुरः स्थापन, उन पर विचार और पारण, 2. राज्य में सूखे की स्थिति पर विचार।
शुक्रवार, 30 अगस्त, 2002	1. राजस्थान हाथ सफाईकर्मी नियोजन और शौचालय सन्निर्माण प्रतिषेध विधेयक, 2000 2. कोटा खुला विश्वविद्यालय (नाम परिवर्तन) विधेयक, 2002 एवं 3. राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक, 2002 पर विचार और पारण।

उपाध्यक्ष महोदय, जो इसमें...

श्री सुरेन्द्र व्यास : आन ए पाइंट आफ आर्डर, सर। यह लिखा है आज की विषय सूची के अन्दर की 29 तारीख को शून्य काल नहीं होगा, इसमें तो कहीं है नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : बात तो कहें, इनको पढ़ तो लेने दीजिये आप, इतनी जल्दी भी क्या है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : पढ़ रहे हैं न। पूरा हो गया, साहब। It is over.

श्री उपाध्यक्ष : Why are you in such a hurry? उन्होंने कह दिया कि शून्य काल नहीं होगा? कहा है क्या उन्होंने?

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : Why are you in such a hurry? इनको सुन लो न पहले। प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यही तो मैं कह रहा हूं, साहब, इसका पार्ट नहीं हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Let him complete first.

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, लैट हिम, आप खतम कर दीजिये। हो गया खतम इस पर।

श्री हरिसिंह (महुवा) **:** इसके पार्ट नहीं हैं, वकील साहब। मैं इस सम्बन्ध में थोड़ा सा परम्परा से हटकर जो नोट है, उसको आपकी जानकारी में लाना चाह रहा हूं, आपने पढ़ लिया भी है। नम्बर एक, उपरोक्त कार्य के बंटवारे में अध्यक्ष महोदय द्वारा आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा। तो कहां इतना एजीटेट होने की जरूरत थी? अगर आप कह रहे हैं कि कोई बाई पास हो गया...

श्री सुरेन्द्र व्यास : आगे चलो। आगे चलिये न आप।

श्री हरिसिंह (महुवा) **:** तो अध्यक्ष महोदय के अनुसार उपरोक्त में...

श्री उपाध्यक्ष : फिर हो गया न।

श्री हरिसिंह (महुवा) **:** सदन में उपस्थापित किये जाने तक प्रतिवेदन को कृपया गोपनीय रखें। दिनांक 29 अगस्त, 2002 को शून्यकाल नहीं होगा। यह अध्यक्षजी को एप्रोच कर सकते हैं आप। इसमें कहां दिक्कत है? यह पूरे का पूरा मामला...

श्री सुरेन्द्र व्यास : आन ए पाइंट आफ आर्डर, सर।

श्री हरिसिंह (महुवा) **:** यह सदन से और अध्यक्षजी से सम्बन्धित है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इसी से सम्बन्धित है।

श्री हरिसिंह (महुवा) **:** और यह कमेटी की रिपोर्ट है, इसमें सरकार कहां बीच में आ रही है? आप भी बिराजमान थे। अभी आपने लम्बा पूरा अखबार भी पढ़ लिया, यह भी पढ़ लिया। अखबार पढ़कर आप ऐसा कह रहे हैं जैसे सत्ता पक्ष के जो लोग वहां उसमें थे, कमेटी के जो मैम्बर हैं, उनकी इंटीग्रिटी तो डाउटफुल है और आप लोग जो वहां बैठे हुए थे, आपकी इंटीग्रिटी बिलकुल डाउटफुल नहीं है। क्या पता है कि आप लोगों ने ही इसकी गोपनीयता भंग की हो। यह कौनसी जिम्मेदारी है? आप लोग भी तो बैठे थे वहां आप यह दोषारोपण हमारे ऊपर कर रहे हो... (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : यह विधान सभा सचिवालय से प्रेस को दिया गया है, विधान सभा सचिवालय से। इस पर कहां बहस कर रहे हो? बिना सोचे ही बहस कर रहे हो?

श्री हरिसिंह (महुवा) **:** यह इसकी गोपनीयता का अर्थ नहीं समझ रहे। जो गोपनीयता के मूल्य को नहीं मान रहे, जो गोपनीयता की कुछ बात को नहीं मान रहे...

श्री सुरेन्द्र व्यास : आन ए पाइंट आफ आर्डर, सर।

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह सदन की परम्पराओं को तोड़ रहे हैं और हाथ हिला कर कहते हैं कि क्या गोपनीयता है।

श्री देवीसिंह भाटी : पाइंट आफ आर्डर, पाइंट आफ आर्डर।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मुझे आशंका है, यह गोपनीयता उन्ही लोगों ने भंग की है।

व्यवस्था का प्रश्न

शून्यकाल को निरस्त नहीं किया जा सकता क्योंकि शून्यकाल निर्धारित नहीं होता

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : आन ए पाइंट आफ आर्डर, साहब। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, बोल लें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, शून्यकाल क्या होता है? शून्यकाल को समाप्त करने या शून्यकाल का प्रावधान रखने की कोई शक्तियां माननीय अध्यक्ष में भी निहित नहीं हैं। इस सदन में निहित नहीं है, आसन में निहित नहीं हैं। शून्यकाल होता है अनशिड्यूल्ड बिजनेस। जो शिड्यूल्ड बिजनेस के बीच के अन्दर क्वेश्चन आवर के बाद में कोई इश्यू खड़ा होता है, उसकी ग्रेविटी और सिरियसनैस देखकर चेयर उसको अलाउ भी करती है, डिस-अलाउ भी करती है, यह सब चेयर का डिस्क्रिशन है। लेकिन ऐसा कोई प्रोवीजन नहीं होता कि शून्यकाल नहीं होगा। 29 तारीख को अगर कोई मैं यहां पर इश्यू ऐसा रेज करता हूं कि आप उसके बाद संतुष्ट हों, तो यह कैसा प्रोवीजन लगाया आपने?

श्री उपाध्यक्ष : तो कौन कह रहा है कि शून्यकाल नहीं हो रहा?

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह लिखा है न इसमें। नोट लगाया है इन्होंने।

श्री उपाध्यक्ष : आपने सुना, पढ़ा नहीं क्या वापस बोले जो?

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, इन्होंने नोट लगाया है न, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने बोला जो नहीं पढ़ा क्या आपने? वह बोले जो आपने सुना नहीं क्या?

श्री सुरेन्द्र व्यास : लिखा है तीसरे नम्बर पर।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : लिखा है इसमें।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप आसन की अथारिटी को चैलेंज कर रहे हैं क्या?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह लिखा।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आसन सर्वसक्षम है।

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने तो लिखा है जो पढ़ दिया, आप बोलिये। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह अलग बात है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : इस सदन को चलाने के लिए आसन सर्वोपरि है, आसन के निर्णय सर्वोपरि हैं। उनकी अथारिटी को आप चैलेंज नहीं कर सकते, न सदन का कोई दूसरा मैम्बर ही चैलेंज कर सकता है। अगर कोई आप परिवर्तन करवाना चाहते हैं तो आप...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप पावरफुल हैं क्या, हरिसिंहजी? माननीय मुख्य सचेतक महोदय, आप आसन हो क्या? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : परिवर्तन किस बात का?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप आसन के वकील हो क्या, आप आसन-आसन बोल रहे हो? आसन बोले यह बात। आप क्या हो?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये, बिराजिये।

श्री हरिसिंह (महुवा) : हां, मैं आसन। आप अपनी जगह पर जाएं पहले। आप अपने स्थान पर जाइये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आसन बोले यह बात। आप मुझे नहीं बैठा सकते।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप स्थान से बोलें और मुख्य सचेतक के कार्य की शायद आपको जानकारी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : जानकारी है। है जानकारी। यह बात आसन बोले, आप कैसे बोल रहे हैं?

श्री हरिसिंह (महुवा) : आसन के वकील, आसन के वकील। ना-ना, यह सदन संचालित हो नियमानुसार, यह जिम्मेदारी मुख्य सचेतक की है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला (स्वायत्त शासन मंत्री) : आन ए पाइंट आफ आर्डर। माननीय सदस्य को आप हिदायत दें कि अपने स्थान से बोलें।

श्री उपाध्यक्ष : आपने इनकी पूरी बात सुनी नहीं या तो, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, सुनी न, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है आपकी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। इन्होंने कहा है...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप पास कराएंगे न इसको? यह पास कराएंगे कि नहीं कराएंगे?

श्री सुरेन्द्र व्यास : 29 तारीख को शून्यकाल नहीं होगा। अब शून्यकाल नहीं होगा, यह बात तो मैं अत्यधिक विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि सदन भी तय नहीं कर सकता। शून्यकाल तो अनशिड्यूल्ड बिजनेस है। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : दोबारा बोलें आप। मालूम है, भाई।

श्री हरिसिंह (महुवा) : कई बार सस्पैंड हुआ है शून्यकाल, प्रश्नकाल।

श्री सुरेन्द्र व्यास : शून्य काल का कोई प्रावधान नहीं होता।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आसन ने कई बार, अनेक बार...

श्री सुरेन्द्र व्यास : मुख्य सचेतकजी, आप भी बहुत अनुभवी हैं...

श्री हरिसिंह (महुवा) : अनेक बार प्रश्नकाल और शून्यकाल सस्पैंड किये गये हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आपने लिखा है न इसमें? आपने सस्पैंशन का लिखा है न इसमें? (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, यह बात।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपने सहमति व्यक्त की। आपने सहमति व्यक्त की।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : लिखा है कि नहीं लिखा, बताओ आप? लिखा है ना?

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप प्रश्नकाल तो कर सकते हैं, शून्यकाल नहीं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : किसमें? इसमें कहां लिखा है? It is not part of the 'prativedan'.

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : 29 तारीख का शून्यकाल नहीं होगा, यह पास करा रहे हो न हमसे? इसको हम जब पास करेंगे, तो यह मांग रहे हो न...

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल तो सस्पैंड कर सकते हैं आप, पर शून्यकाल तो अनशिड्यूल्ड बिजनेस है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हां, प्रश्नकाल को कर सकते हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : There is no provision as such. कि शून्यकाल है। जो लिस्टेड बिजनेस नहीं है और हाउस में एकदम आता है, स्पेसिफिक मोमेंट पर चेयर डिसाइड करती है उसकी ग्रेविटी और सिरियसनैस को देख कर।

श्री राजेन्द्र पारीक : आपकी जानकारी में है क्या यह सारा?

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपको समझने में टाइम लगेगा, इसलिए आप तो रहने दो। रहने दो, बैठे रहो आप।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इससे ज्यादा है मेरे में। इससे ज्यादा है मेरे में। (व्यवधान) पारीकजी से ज्यादा है। हां, इससे ज्यादा है। इससे ज्यादा है, हां। क्यों, क्या तकलीफ है आपको? मैं आपकी तरह थोड़े ही हूं, अध्ययन करता हूं। तो इसमें आप यह जो लिख रहे हो न कि 29 तारीख को शून्यकाल नहीं होगा, यह लिख रहे हो न आप?

डा. बुलाकीदास कल्ला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो आपत्ति उठाई है इस सम्बन्ध में मेरा कुछ कहना है। इस सदन में यह परम्परा रही है कि जब बिजनस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट यहां आ जाती है तो सदन ने सर्वसम्मति से उस बिजनस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट को पास किया है और कई बार शून्यकाल स्थगित हुआ है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, कभी नहीं हुआ। शून्यकाल क्या होता है...

डा. बुलाकीदास कल्ला : हुआ है, मैं आपको...

श्री सुरेन्द्र व्यास : कल्लाजी, आप इतने अनुभवी आदमी हो, शून्यकाल होता क्या है, आप समझा दो न मुझे। शून्यकाल कोई अलग से स्पेसिफाइड पीरियड नहीं होता है। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : प्रश्नकाल के तुरन्त बाद जो जन हित की समस्याएं उठाई जाती हैं, वह जीरो आवर, वैक्यूम पीरियड है, जो प्रश्नकाल और नियमित बिजनेस के बीच का पीरियड है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आपका शून्यकाल से ही आब्जैक्शन है न? माननीय कल्लाजी। आपका शून्यकाल से ही आब्जैक्शन है न?

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां।

श्री उपाध्यक्ष : तो सुन लीजिये।

श्री अमराराम (धोद) : यह तो भूल गये।

श्री हरिसिंह (महुवा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 21वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह क्या हुआ? कहां सुन लीजिये?

श्री उपाध्यक्ष : आप समझ ही नहीं रहे हैं, यह पहले कह चुके हैं इस बात को कि यदि आवश्यकता हुई तो इसको अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बदला जा सकेगा। यह कह चुके यह।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, यह नहीं। आप मेरे पाइंट आफ आर्डर को निरस्त कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : यह कह चुके न।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, इनको नहीं है। मेरा पाइंट आफ आर्डर आप निरस्त कर सकते हैं, आपको सब पावर्स हैं। लेकिन आप तो यह डिफाइन कीजिये कि शून्य काल होता क्या है। अब शून्यकाल कैसे आप अलग कर सकते हैं। शून्यकाल को आप समझने का प्रयत्न कीजिये। वित्त मंत्रीजी इस वक्त सबसे अनुभवी हैं, आप बताओ, शून्यकाल क्या होता है। जो अनशिड्यूल्ड बिजनेस है वह शून्यकाल है। शिड्यूल्ड नहीं है...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : प्रश्नकाल और रैगूलर बिजनेस शुरू होने से पहले बीच में जो जन हित के मुद्दे उठाते हैं उसी को शून्यकाल के नाम में...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : लिस्ट आफ बिजनेस के अन्दर...(व्यवधान)ना, देखिये, माननीय महुवाजी...

श्री हरिसिंह (महुवा) : माननीय व्यासजी, इस सदन का बिजनेस तय करने के लिए कार्य सलाहकार समिति सुप्रीम होती है, वह तय करती है। अध्यक्ष महोदय उस पर अपनी सहमति प्रकट करती हैं... (व्यवधान) आप सुन लो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय हरिसिंहजी, शून्यकाल होता क्या है? मिनिस्टर का स्टेटमेंट भी शून्यकाल में नहीं आता है। शून्यकाल तो एब्सोल्यूटली जो लिस्ट आफ बिजनेस के अन्दर लिस्टेड नहीं है, जो अनशिड्यूल्ड बिजनेस है...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप डिसीजन तो सुनें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप कैसे बात कर रहे हैं? शून्यकाल तो आप निरस्त कर ही नहीं सकते।

श्री हरिसिंह (महुवा) : अब, माननीय, कार्य सलाहकार समिति...

श्री सी. पी. जोशी : किसने कहा? यह लिखा हुआ 307 में।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं कह रहा हूं आपको।

श्री सी. पी. जोशी : यह लिखा हुआ है 307 में।

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्या लिखा हुआ है, पढ़कर सुनाओ।

श्री सी. पी. जोशी : पढ़िये। आप वकील साहब हैं, पढ़ते रहते हैं, सुन लीजिये आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, पढ़िये, सुनाइये।

श्री सी. पी. जोशी (पंचायती राज मंत्री): "Residuary powers- All matters not specifically provided for in these rules and all questions relating to the detailed working of these rules shall be regulated in such a manner as the Speaker may, from time to time, direct."

श्री सुरेन्द्र व्यास : इससे कौन मना करता है? इससे कौन मना करता है?

श्री सी. पी. जोशी : अब आप जीरो आवर, आप क्या होते हैं, वह डाइरेक्ट कर रहे हैं, नहीं होगा, नहीं होगा। आप कौन होते हैं जीरो आवर करने वाले? It is the prerogative of the Speaker. It is not your prerogative.

श्री सुरेन्द्र व्यास : इससे कौन मना करता है?

श्री सी. पी. जोशी : हाउस गवर्न होता है चेयर से और चेयर की निहित पावर है। वह कहते हैं वह नहीं कर रहे हैं। आप कहो

(श्री सी. पी. जोशी)

जीरो आवर हो, वह आपके हाथ में ही नहीं है, यह है नहीं पावर। The Speaker is competent to do all these things under the residuary powers. यह रेजिड्यूरी पावर में लिख रखा है इसमें। आप एब्सोल्यूटली, जीरो पावर के हैं आप, यह पावर चेयर की पावर के अन्तर्गत निहित है। चेयर यदि उसको चाहे तो यह रूल में रेजिड्यूरी पावर में लिख रखा है कि चेयर काम्पीटेंट है करने के लिए, 307 में लिखा हुआ है। 308 भी देखिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : जोशीजी, यह सब पढ़ लिया मैंने।

श्री सी. पी. जोशी : 308 भी पढ़ लीजिये एक मिनट आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपसे ज्यादा पढ़ रखा है, आप जबरदस्ती उलझो मत। आप शून्यकाल समझो।

श्री सी. पी. जोशी : आप ही पढ़े-लिखे हैं क्या? हम अनपढ़ थोड़े ही हैं?

श्री सुरेन्द्र व्यास : शून्यकाल क्या होता है, यह समझो न आप।

श्री सी. पी. जोशी : वह तो आप बाहर जाकर पढ़िये, यह जगह नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : जब आप शून्यकाल समझते ही नहीं, what is zero hour....

श्री सी. पी. जोशी : यह जगह नहीं है कि शून्यकाल क्या होता है। यहां तो हाउस चलता है चेयर की उस पर। शून्यकाल क्या होता है जैसे we are laymen and you are intelligent. 308 पढ़िये, 308 में लिखा हुआ है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : देखिये, यह कोई एकेडेमिक डिस्कशन का विषय नहीं है...

श्री सी. पी. जोशी : एक मिनट। The House is governed by these rules. 308 लिखा हुआ है। अब आप खुद क्या कह रहे हो, 308 पढ़ लीजिये आप। 308 में क्लीयर लिखा हुआ है कि इंटरप्रिटेशन करने का अधिकार...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : मंत्रीजी, आपने 307 और 308 के अन्दर चेयर के अधिकारों के बारे में तो कह दिया पर शून्यकाल के बारे में कहां लिखा है इसमें?

श्री सी. पी. जोशी : यह आपका अधिकार है क्या? यह स्पीकर का अधिकार है, यह आपका अधिकार नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : है।

श्री सी. पी. जोशी : बिलकुल नहीं, बिलकुल नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बिलकुल है यह। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : चेयर का अधिकार है।

श्री सी. पी. जोशी : बिलकुल नहीं है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : चेयर का अधिकार है, आसन का अधिकार है यह।

श्री सी. पी. जोशी : आप आसन का अधिकार दिमाग से निकाल दें। हाउस में स्पीकर की जो रूलिंग है वो प्रिवेल करेगी। आपका क्या अधिकार है, नहीं अधिकार है, it is subject to the decision of the Speaker.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : शून्यकाल क्या है, आप यह तो बता दें। प्रक्रिया और कार्य संचालन में शून्यकाल को कहां रखा गया है?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आपका क्या कहना है, शून्यकाल निरस्त नहीं हो सकता? आप क्या कहना चाह रहे हैं?

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, मैं यह निवेदन कर रहा हूं, एक तो मैं आसन के अधिकार को चुनौती नहीं दे रहा हूं। Let me correct Mr. Joshi, he is sadly mistaken.

श्री सी. पी. जोशी : I am not mistaken and I am not supposed to be corrected.

श्री सुरेन्द्र व्यास : Let me speak.

श्री सी. पी. जोशी : Please, you correct yourself. I am not reading 307 and 308.

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप बैठिये। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री सी. पी. जोशी : विद्वता आपने ही ले रखी है, दूसरा कोई विद्वान आदमी है ही नहीं? दूसरे को करैक्ट कर रहे हैं, उसको करैक्ट कर रहे हैं, पहले correct yourself and then say everything.

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या कहना चाह रहे हैं?

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं निवेदन कर रहा हूं शून्यकाल का...(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : मनोवैज्ञानिक ये ही हैं, करैक्ट करने का इन्होंने ले रखा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री सी. पी. जोशी : ये तो अभी आपको अच्छे लग रहे हैं, कल हमारे साथ आएंगे तब आपको बुरे लगेंगे। उनका क्या मतलब है।

श्री हीरासिंह चौहान : ...(व्यवधान) वो भी अपने आर्ग्युमेन्ट्स दे रहे हैं।

श्री सी. पी. जोशी : We go by the rules, not on the whims and fancy of someone.

श्री हीरासिंह चौहान : वो शून्यकाल पर ही तो बता रहे हैं। अनशिड्यूल्ड है वो शून्यकाल है, और क्या कह रहे हैं?

श्री सी. पी. जोशी : Whims and fancy cannot run the House. It is

(श्री सी. पी. जोशी)

the whim and fancy of Sh. Surendra Vyas. House is governed by the rules, not by the whims and fancy of someone.

श्री हीरासिंह चौहान : ...(व्यवधान) यह सभी मान रहे हैं।

श्री सी. पी. जोशी : कहां मान रहे हैं? यह तो कहते हैं कि शून्यकाल क्या होता है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या कह रहे हैं? अब क्या कह रहे हैं? बैठिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शून्यकाल का अलग से नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। शून्यकाल कोई स्पेसिफाइड पीरियड नहीं होता। प्रश्नकाल आप सस्पैंड कर सकते हैं, प्रश्नकाल बाकायदा क्वेश्चन आवर से शुरू होता है। शून्यकाल क्या होता है कि जो पूर्व निश्चित कार्यवाही, कार्य सूची में सूचीबद्ध किया हुआ तमाम बिजनेस है उससे अलग हट करके कोई भी चीज सदन के ध्यान में लायी जाती है तो उसके महत्व और गम्भीरता को देखते हुए चेयर निर्णय करेगी। अधिकार अध्यक्ष को ही है कि अनुमति न दें, लेकिन शून्यकाल के लिए आप यह कह रहे हैं कि शून्यकाल नहीं होगा, यह क्या बात हुई? आप शून्यकाल तो वैसे भी अगर आप रोजाना भी...

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई पहली दफा नहीं हो रहा है, हमेशा होता आया है। शून्य काल सस्पैंड होते हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह हमेशा नहीं होता।

श्री उपाध्यक्ष : कोई इम्पोर्टेंट इश्यू होता है तो शून्यकाल को सस्पैंड करके बिजनेस शुरू करते हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्षजी ऐसा कभी नहीं लिखते हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : माननीय सदस्य, शून्यकाल स्थगित हुए हैं, कई बार हुए हैं। सदन तो परम्पराओं से भी चलता है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, आप खराब परम्पराएं मत डालिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला : Speaker is the supreme authority for conducting the House.

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, सवाल यह नहीं है। अध्यक्ष महोदय तो अगर विषय महत्वपूर्ण नहीं है और गम्भीर नहीं है तो रोजाना अध्यक्ष अनुमति नहीं दें तो नहीं दें। अध्यक्ष महोदय को सब पावर्स हैं। लेकिन शून्यकाल नहीं होगा यह कहना और स्पेसिफिकली लिखना मैं समझता हूं, सर्वथा रूल्स की भावना और नियमों के प्रतिकूल होगा।

श्री उपाध्यक्ष : कौनसे रूल में लिखा है, आप बोलो न?

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, आप कौनसे रूल में लिखा हुआ है, यह बता दें।

श्री उपाध्यक्ष : आप कोट करें न।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कौन से रूल में लिखा हुआ है, शून्यकाल क्या होता है?

श्री उपाध्यक्ष : आप रूल कोट करें।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप कोट करें न।

श्री उपाध्यक्ष : मैं क्या कोट करूं?

श्री सुरेन्द्र व्यास : शून्यकाल कौन सा होता है?

श्री उपाध्यक्ष : आप क्या कोट करवाना चाहते हैं?

श्री सुरेन्द्र व्यास : Where is the provision for zero hour?

श्री उपाध्यक्ष : किस रूल में आप पाइंट आफ आर्डर उठा रहे हैं?

श्री सुरेन्द्र व्यास : Where is the provision for zero hour?

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल रहे हैं मैं थोड़े ही बोल रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : जीरो आवर क्या होता है?

श्री उपाध्यक्ष : मैं कुछ नहीं जानता आप किस रूल पर बोल रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्या होता है जीरो आवर? आप रूल बताइये न जीरो आवर का, कहां है?

श्री हरिसिंह (महुवा) : 'Aasan'is not questionable.

श्री उपाध्यक्ष : I am not... (interruptions) आप पहले यह बोलिये कि आप किस रूल से कोट कर रहे हैं?

श्री सुरेन्द्र व्यास : तो आप नहीं बताएंगे रूल?

श्री उपाध्यक्ष : आपने किस रूल के तहत पाइंट आफ आर्डर उठाया है फिर उसके बाद जवाब दूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : रूल आपके रूल लागू नहीं होते हैं, यह किसने कह दिया? आसन पर रूल लागू नहीं होते हैं?

श्री सी. पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, ये चेयर को नहीं मानते हैं। हाउस की प्रोसिडिंग को ये डिजायरेबल ही नहीं है, कह रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आसन पर रूल लागू नहीं होते क्या?

श्री उपाध्यक्ष : आपने पाइंट आफ आर्डर उठाया है, किस रूल के तहत उठाया है, आप बोलें? Why are you asking me?

श्री सुरेन्द्र व्यास : पाइंट आफ आर्डर किस पर उठता है? अब आप उसको वापस उलझाते क्यों हो?

श्री उपाध्यक्ष : Under what rule? बोलो आप बताएं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सीधी बात यह है, उपाध्यक्ष महोदय, इसको उलझाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : पाइंट आफ आर्डर होता नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप यह बता दें कि जीरो आवर कौन से रूल में होता है?

श्री सी. पी. जोशी : स्पीकर को पूछ रहे हैं आप?

श्री सुरेन्द्र व्यास : जीरो आवर का कहां प्रोविजन है? जीरो आवर का कोई प्रोविजन नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज, हरिसिंहजी।

श्री सी. पी. जोशी : You are not supposed to ask the Chair. आप स्पीकर को पूछ रहे हैं कि बता दीजिये, this is not desireable.

डा. बुलाकीदास कल्ला : जीरो आवर स्पीकर कभी भी स्थगित कर सकते हैं।

श्री सी. पी. जोशी : आप स्पीकर को पूछ रहे हैं कि बता दीजिये?

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, जीरो आवर तो स्पीकर रोजाना... जीरो आवर स्पीकर के हाथ में नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुरेन्द्रजी, प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : जीरो आवर में जो इश्यू उठते हैं उनको नाट अलाउ कर सकते हैं। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : माननीय, मेरा अनुरोध सुनिये, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में कई बार जब... (व्यवधान)...

श्री सुरेन्द्र व्यास : शून्यकाल क्या होता है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : I want an speaking order from the Hon'ble Deputy Speaker.

श्री हरिसिंह (महुवा) : This is not a place for academic discussion.

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप तो निरस्त कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : Under what rule are you putting this point of order? I want to know from you.

श्री हरिसिंह (महुवा) : There cannot be an academic discussion.

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे चाहता हूं कि किस रूल के तहत आप यह पाइंट आफ आर्डर उठा रहे हैं, फिर मैं जवाब दूं।

श्री राजेन्द्र पारीक : ये अपने पावं पर खड़े हैं और माइक पर उठा रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा क्योंकि...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप यह बहस छोड़ कर आ जाएं, मैं थोड़ा सा अनुरोध कर दूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपने कुछ सवाल खड़े कर दिये हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैं अनुरोध कर देता हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मेरा उस बात का विरोध है जिस सवाल को आपने खड़ा किया कि आप लोगों ने इस बात को बाहर आउट किया। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैं अनुरोध करना चाहता हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नहीं, जिस तरह के शब्दों का प्रयोग आपने किया कि आपके लोगों ने जो उस बैठक में थे उन्होंने इस बात को बाहर लीक आउट किया है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : हम सुनते रहें। आप कहते रहें और हम सुनते रहें? We are not the saints. We are political persons.

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपने यह आरोप लगाया है कि हम लोगों ने गोपनीयता को भंग किया है। सवाल यह नहीं है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : अगर आप आरोप लगाएंगे तो जवाब मिलेगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नहीं, नहीं, आरोप तो आपने यह लगाया कि...

श्री हरिसिंह (महुवा) : हमने नहीं लगाया। अखबार पढ़कर आरोप लग रहे थे। आसन पर आरोप लग रहे थे, सत्ता पक्ष पर आरोप लग रहे थे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपने जो भी आरोप लगाया, हमने कोई आरोप नहीं लगाये। सवाल यह है कि कार्य सलाहकार समिति की जो भी रिपोर्ट आपने पेश की और हमको पढ़ायी, उसके नीचे एक शब्द लिखा था आपने कि गोपनीय प्रतिवेदन जब तक हाउस में नहीं आए। हम भी इस बात को स्वीकार करते हैं, इसमें कोई किसी को एतराज नहीं है। लेकिन हमको आश्चर्य तब हुआ जब आपके ही माननीय मंत्री महोदय ने हमारे बाहर जाने पर कहा कि आप लोगों ने कार्य सलाहकार समिति के इस प्रस्ताव पर जिस प्रकार की अपने दल के रूप में कार्यवाही की और हमने जो विरोध किया वो ठीक नहीं है और इसलिए नहीं है कि यह गोपनीय प्रतिवेदन है। आपने इसको पहले कैसे बता दिया और आपको कैसे पता लगा? उसकी गोपनीयता को आपने भंग किया। सवाल यह है कि गोपनीयता को भंग किसने किया। इस विषय पर तो आसन को निर्णय जरूर करना पड़ेगा या यह गोपनीयता शब्द हटाना पड़ेगा, दोनों में से कोई न कोई एक निर्णय जरूर होगा। उसके नीचे गोपनीय भी लिखें और उसके बाद उसकी तह में नहीं जाएं कि गोपनीयता भंग क्यों हुई। सवाल यह है कि गोपनीयता हमने भंग नहीं की। गोपनीयता तो अखबार में वर्ड टू वर्ड

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जैसा तय हुआ वैसा का वैसा इसमें आया है और उसको हमने भी पढ़ा और राजस्थान के सब लोगों ने पढ़ा, फिर आप यह आरोप हम पर किस प्रकार से लगा रहे हैं कि गोपनीयता हमने भंग की है?

श्री हरिसिंह (महुवा) : उसमें कोई सोर्स डिसक्लोज नहीं किया है। उसमें कोई सोर्स डिसक्लोज किया है क्या?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सवाल यह है कि सोर्स क्या हो गया, यह अखबार में बात आएगी कहां से? अगर गोपनीयता की बात भंग हुई तो यह आपको देखना है कि यह गोपनीयता कहां से भंग हुई।

श्री हरिसिंह (महुवा) : हर व्यक्ति जो कार्य सलाहकार समिति का सदस्य है उसकी सबकी जिम्मेदारी थी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप हमारे पर इस गोपनीयता को भंग करने का आरोप कैसे लगा रहे हैं?

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आप गोपनीयता भंग करने का आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं आसन से निवेदन करता हूं कि आप इस बात की व्यवस्था जरूर करें। हम चाहते हैं, हमारी एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार आगे भी हम बात के लिए सचेत रहें कि अगर हम इसमें गोपनीय शब्द लिखते हैं तो इसमें सख्ती के साथ गोपनीयता का पालन भी कराएं। अगर हम इसको नजरअंदाज ही करेंगे तो भविष्य में एक के बाद एक दूसरी गलतियां इस तरह से होंगी। वह नहीं हों, इस बात को आप निश्चित रूप से तय करें। फिर जो कार्य सलाहकार समिति में तय होता है वह सबकी राय से तय होता है, इसलिए उसका विरोध नहीं होकर सर्वसम्मति से यह पास होने की परिपाटी है। लेकिन जब कोई तय करते हैं उस तय में किसी प्रकार की कोई बदल हो जाती है तो फिर हमारा यह राइट बनता है कि हमने जो बात तय की उसमें परिवर्तन हुआ। उस परिवर्तन के बारे में आपको ध्यान में लाना हमारा कर्तव्य है और उसके बाद ही हम स्वीकार करते हैं। स्वीकार सर्वसम्मति से करते हैं इसलिए करते हैं कि सब साथ मिल कर निर्णय करते हैं इसलिए सर्वसम्मति से होता है।

श्री उपाध्यक्ष : इस पर बहस नहीं थी. मैंने आपको उस वक्त भी निवेदन किया। मैंने कहा कि आपने अभी उठाया उसकी बजाय जब यह रिपोर्ट आयी तो मेरा आपसे निवेदन उस वक्त यही था कि जब यह रिपोर्ट आयी, जब आपका आब्जेक्शन था, आप लाते तो it world have been better. लेकिन आप पहले ले आये। अब यह समाधान हो रहा है तो इसको हो जाने दें। खतम हुई बात।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें।

श्री हरिसिंह (महुवा) : अभी कोई एकेडेमिक डिस्कशन नहीं हो रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, नहीं, आपने सवाल खड़ा कर दिया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं रूल बता रहा हूं। पाइंड आफ आर्डर का रूल बता रहा हूं न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप भी विद्वान हो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : "रूल 294 (1)A point of order shall relate to the interpretation or enforcement of these rules or such Articles of the Constitution as regulate the business of the House and shall raise a question which is within the congnizance of the Speaker.

"(2) A point of order may be raised in relation to the business before the House at the moment:

Provided that the Speaker may permit a member to raise point of order during the interval between the termination of one item of business and the commencement of another if it relates to maintenance of order in, or arrangement of business before the House.

"(3) Subject to conditions..."

अब, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा तो मूल प्रश्न यह है कि कोई नियम में प्रावधान जीरो आवर का है ही नहीं। अब नियमों के अन्तर्गत एक व्यवस्था मैं आपसे यह चाहता हूं कि जब नियमों में कोई प्रावधान नहीं है तो यह परम्परागत तरीका ही है कि जो कार्य सूची में...

श्री उपाध्यक्ष : आपका पाइंट आफ आर्डर क्या है, यह तो बताएं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है, मैं वो ही तो लगातार निवेदन कर रहा हूं कि जीरो आवर को निरस्त नहीं किया जा सकता क्योंकि जीरो आवर का प्रोविजन ही नहीं है इसमें।

श्री उपाध्यक्ष : कहां है, कहां लिखा हुआ है कि जीरो आवर को निरस्त नहीं किया जा सकता?

डा. बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, परम्परा यह रही है कि जीरो आवर कई बार स्थगित होते रहे हैं यहां पर। मैं दसों उदाहरण दे सकता हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : परम्पराएं तो हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, दसों बार इस सदन में जीरो आवर स्थगित किये गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : यह ठीक कह रहे हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, साफ है, यह सदन नियमों और परम्पराओं से चलता है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वो ही चला रहे हैं। वो ही चाहता हूं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मेरा आप निवेदन सुन लें। यह सदन नियमों और परम्पराओं से चलता है, जीरो आवर का कहीं मेंशन नहीं है रूल्स आप बिजनेस में। लेकिन इस सदन की परम्पराएं रही हैं और कई बार जैसा माननीय कल्लाजी ने कहा कि कितनी ही दफा जीरो आवर को सस्पैंड किया जाता है।

(14.00 बजे)

सदन का समय अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यों के ऊपर चर्चा के लिये है, अब इसके ऊपर हम उलझ कर रह जाएंगे, इतना कीमती समय वैसे ही खराब हो रहा है। इसको पारित करें। मेरा प्रतिपक्ष के नेता महोदय से बहुत सादर अनुरोध है कि इसके बारे में उनको कहीं कुछ कहना है तो कृपया आप अध्यक्ष महोदय से मिलकर इस व्यवस्था को बदलवा लें। वह उनके अधिकार में है, वह पास होने के बाद भी इस प्रोसिजर में या जो बिजनेस लेड डाउन है उसको बदल सकते हैं। आप उनसे मिलेंगे तो मैं मानता हूं कि आप की बात पर वह निश्चित रूप से गौर करेंगे और कोई निर्णय लेंगे। हम यहां पर आपस में एक दूसरे से उलझें, आरोप-प्रत्यारोप लगाएं, उपाध्यक्ष महोदय से बहस करें, वह मेरी समझ में मुनासिब नहीं रहेगा। बी.ए.सी. की रिपोर्ट को लेकर सदन में शायद मेरा काफी लम्बा अनुभव है कि इतनी लम्बी बहस या इस पर चर्चा मैंने कभी नहीं देखी, यह सदन में आज पहली दफा हो रही है। मेरा अनुरोध है कि इस परम्परा को कृपया नहीं तोड़ें, अन्यथा बी.ए.सी. में कुछ तय करके आएंगे फिर उसके ऊपर दोबारा यहां पर बहस होगी, वह उचित और मुनासिब नहीं रहेगा। मेरा आपसे यही अनुरोध है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं वित्त मंत्रीजी से सहमत हूं, लेकिन मैं उनसे एक बात निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अब क्या रह गया?

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप बात तो सुन लीजिए।

श्री हरिसिंह (महुवा) : कहां तक सुनेंगे ये बातें? Endless discussion. There is no end to it.

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं इनकी बात से सहमत हूं कि अध्यक्ष महोदय ने...

श्री उपाध्यक्ष : क्या सुनना है अब? I have called upon him.

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह क्या तरीका है? आप बैठिए, बोलने दीजिए। आपके वित्त मंत्रीजी बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपका क्या तरीका है? There cannot be an academic discussion.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इनको बोलने का अधिकार है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुरेन्द्रजी व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप चीफ व्हिप होंगे रूलिंग पार्टी के, आप मेरे चीफ व्हिप नहीं हैं, बैठ जाइए अपनी जगह। यह क्या तरीका है? बैठिए आप अपनी जगह।

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैं आसन से रिक्वैस्ट कर रहा हूं who are you to dictate me?

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप कांग्रेस पार्टी के चीफ व्हिप हैं, मेरे चीफ व्हिप थोड़े ही हैं आप। आप बैठ जाइए।

श्री संयम लोढ़ा : यह बिना आपकी इजाजत के बीच-बीच में खड़े हो जाते हैं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : I am addressing the Chair. You are nobody to dictate me.

श्री हरिसिंह (महुवा) : We are requesting the Chair. I may also request the Chair.

श्री सुरेन्द्र व्यास : Please resume your seat.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुरेन्द्रजी व्यास, प्लीज स्टाप इट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह लग रहा है कि सारे सदन के सारे अधिकार मुख्य सचेतकजी में निहित हो गये। यह क्या तरीका है?

श्री उपाध्यक्ष : न तो मुख्य सचेतक के पास हैं और न आपके पास हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जिस भाषा में मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य को कहा, उस पर हमारा एतराज है, उपाध्यक्ष महोदय। हम सदन की गरिमा को बनाये रखना चाहते हैं, हम नियम और परम्पराओं से चलना चाहते हैं, पर मुख्य सचेतकजी को किसने अधिकार दे दिया कि सीनियर मैम्बर के साथ इस तरह का व्यवहार करें।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिए प्लीज, हो गई बात। जो यह कर रहे थे वही आप कर रहे हो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, आप मेरी बात सुन लीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आप बिराजिए प्लीज। I have called upon him.

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, मेरा पाइंट आफ आर्डर है।

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, यह बार-बार आपकी बगैर इजाजत के खड़े हो जाते हैं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : Chair cannot treat like this. उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर आप निरस्त कर देना, आप मेरी बात सुनिए। उपाध्यक्ष महोदय, यह आसन का व्यवहार आपत्तिजनक है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विनम्र शब्दों से अनुरोध कर रहा हूं, कार्य सलाहकार समिति की जो मीटिंग थी उस मीटिंग में अधिकांश सदस्यों की यह

(श्री हरिसिंह)

राय थी कि प्रांत में भयंकर अकाल है, सूखे की स्थिति है, ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करें, ऐसी व्यवस्था की जाए। उस समय यह भी एक विचार उभर कर आया कि उस दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं रखा जाए। प्रश्नकाल को रखने की कोई बात कही गई। अगर इसमें किसी प्रकार का कोई गैप रह गया और प्रतिपक्ष की भावना यह है कि शून्यकाल होना चाहिये, मैं आपकी भावनाओं को अध्यक्ष महोदय तक पहुंचाऊंगा, अनुरोध करूंगा कि आपकी भावनाएं वह स्वीकार करें।

श्री हीरासिंह चौहान : इनका तो कनक्लूड करने दीजिए, साहब। उपाध्यक्ष महोदय, इनकी बात को पूरा करने दीजिए आप। (व्यवधान)

समिति का प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (क्रम संख्या-21)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि क्या सदन कार्य सलाहकार समिति के 21 वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गई।

श्री प्रद्युम्न सिंह। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : नो, वी वांट डिवीजन।

अतिरेक मांगों (वर्ष 1993-94, 94-95 व 95-96) का उपस्थापन

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1993-94, 94-95, 95-96 के लिये अतिरेक मांगों का उपस्थापन करता हूं।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, हम डिवीजन चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपने मांगा ही नहीं डिवीजन You have not asked for division.

श्री सुरेन्द्र व्यास : We have asked. I have asked. I have asked for division.

(श्री देवीसिंह भाटी सदन कूप में आकर जोर-जोर से बोलने लगे)

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैंने डिवीजन की डिमाण्ड की है।

श्री उपाध्यक्ष : आपने कोई डिवीजन नहीं मांगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, हमने डिवीजन मांगा है, बिलकुल मांगा है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं मांगा। एक भी माननीय सदस्य ने यह नहीं कहा कि वी वांट डिवीजन। आप नो-नो कहते रहे, यह नहीं कहा कि हम डिवीजन चाहते हैं। आप हमेशा ही कहते हो, नो।

श्री देवीसिंह भाटी : हमने डिवीजन नहीं मांगा है? कौनसा रिकार्ड आपको प्रस्तुत करें? यह कौनसा तरीका है? हम कह कर ही सुना सकते हैं, कोई लिखित में देना पड़ता है क्या? उपाध्यक्ष महोदय, यह तो आसन की ओर से हमारा कोई प्रोटेक्शन नहीं किया जा रहा है।

श्री राजेन्द्र पारीक : इनकी लगाम तो चली गई दिल्ली और यह हो गये बेलगाम।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर +++ मैजोरिटी है। वह मनचाहे करेंगे। कम से कम प्रजातंत्र में हमारी जो व्यवस्था है उसके ऊपर तो विश्वास कीजिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, आसन से यह अपेक्षा नहीं की जाती।

श्री देवीसिंह भाटी : ठीक है, साहब, सत्ता पक्ष अपनी तरफ से जो मनमर्जी आए वह करे। आसन हमारी नहीं सुने तो न सुने, क्योंकि साहब सत्ता पक्ष द्वारा ही सारे हाउस का संचालन होता है।

श्री उपाध्यक्ष : वह तो हमेशा ही होता है।

श्री देवीसिंह भाटी : डिवीजन में कहां एतराज है?

श्री उपाध्यक्ष : आपने डिवीजन नहीं मांगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मांगा है।

श्री देवीसिंह भाटी : अब कौनसा रिकार्ड लाएं? हमारे पास कोई टेप नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप रिकार्ड निकालो, मैंने मांगा है डिवीजन। I asked for division.

श्री उपाध्यक्ष : पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं की स्थिति और 73 वें व 74 वें संविधान संशोधन की मूल भावना के अनुरूप उनके सशक्तीकरण के उपायों पर विचार। श्री शांतिकुमारजी धारीवाल।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, यह गलत तरीका है। आसन पर रहो तब तक तो कम से कम जाहिरा तौर पर तो निष्पक्ष रहो आप। आप खुले तौर पर क्या कर रहे हो? अच्छा, अब बैठना पड़ेगा। धारीवालजी खड़े हो गये इसलिए बैठना पड़ेगा। धारीवालजी, यह अच्छा रोल सिखाया आपने।

श्री देवीसिंह भाटी : उसकी पालना नहीं की गई, यह +++ किया गया है विधान सभा सचिवालय द्वारा। उपाध्यक्ष महोदय, यह सरासर अन्याय है जो बी.ए.सी. में तय हो गया था, सारा तय हो गया था कि जीरो आवर और क्वेश्चन आवर रहेगा...

श्री उपाध्यक्ष : कह दिया न आपने।

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने एक अलग बात कही है, उन्होंने कहा है कि हम आसन को, स्पीकर महोदय को

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री देवीसिंह भाटी)

यह रिक्वैस्ट कर देंगे। पर जब यह तय हो गया था तो यह लाइन डाली क्यों गई? फिर हमारा उसमें उपस्थित रहना क्या महत्व रखता है?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, उसमें कोई कंफ्यूजन रहा तो उसको क्लीयर कर देंगे, उसमें क्या है?

श्री देवीसिंह भाटी : मर्जी आए सो करो, जो मर्जी आए लिख दो, मर्जी आए वह काट दो, मर्जी से व्यवस्था नहीं चलती है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय धारीवालजी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : मैं उसी सन्दर्भ में निवेदन कर रहा था कि आप मेरे पाइंट आफ आर्डर को...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आप बदल गये हो, आप पहले वाले उपाध्यक्ष नहीं रहे। इतने +++ भी हुआ करते हैं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : हां, नहीं रहे, आप बिराजो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन कर रहा था कि मैं वित्त मंत्रीजी की इस बात से तो सहमत हूं कि जो अध्यक्षजी ने व्यवस्था दी है, आप तो सक्षम नहीं हैं उसको बदलने के लिये। आप मेरे पाइंट आफ आर्डर को पैंडिंग रख सकते हैं। आपकी तरफ से पाइंट ऑफ आर्डर अध्यक्ष महोदय को जाए तो वह उस पर फैसला देंगे। चीफ व्हिप के मार्फत हम नहीं जाना चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं आपके मार्फत।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, एक ही बात है, आपको ही साथ ले चलूंगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक बात नहीं है। यह कह रहे हो, आप यह मानते हो कि चीफ व्हिप और आप एक बात है, हम तो नहीं मानते हैं। आप आसन पर पदासीन हैं, आप अपने मुंह से कह रहे हैं कि एक ही बात है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपकी बात का सोल्यूशन निकलना चाहिये, कौन निकाले, यह निकालें, मैं निकालूं, कौनसा फर्क पड़ता है। माननीय धारीवालजी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हमारी बात का सोल्यूशन आसन के माध्यम से निकलना चाहिये, नाट थ्रू हरिसिंह (महुवा)। (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : आप लोगों को तो हमारा धन्यवाद देना चाहिये कि विशेष सत्र बुलाया गया है। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, यह वर्षाकालीन सत्र है, यह तो मेनेडेटरी है आपको बुलाना पड़ता है, कोई मेहरबानी नहीं है। आपने कोई गम्भीरता नहीं ली कि पूरे प्रदेश में अकाल का संकट है उसके लिये विशेष सत्र बुलाते तब तो हम जानते। दिल्ली से डांट पड़ी है तब बुलाया है।

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

विभिन्न विषयों पर विचार

पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं की स्थिति और 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन के अनुरूप उनके सशक्तीकरण के उपायों पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज। धारीवालजी साहब, शुरू कीजिए।

श्री शांति कुमार धारीवाल (पंचायती राज मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, देश में स्वायत्तशासी संस्थाओं जैसे पंचायती राज संस्थाएं, नगरपालिकाएं, उनको सशक्तीकरण देने के लिये, उनके आधार को मजबूत करने के लिये एक सोच काफी सालों से बनता रहा है। देश में जो पंचायतें थी वे वैदिक काल से थीं और प्राचीन आलेखों में इस बात का हवाला मिलता है कि चाहे समस्या सामाजिक हो, चाहे आर्थिक रही हो और चाहे फौजदारी रही हो, गांवों में, गांव की ढाणियों में बुजुर्ग इन चीजों पर फैसला करते थे। देश में पंचायती राज के उत्तरदायित्व के दायरे को बढ़ाने के लिये कई बार विचार हुए। उन पर निरन्तर कार्य होता रहा, होता

(14.10 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

रहा। आजादी से पूर्व 1915 में लोकल सैल्फ गर्वनमेंट का एक्ट इनैक्ट किया गया आसाम में और इस एक्ट के तहत वहां पर 2570 पंचायत संस्थाओं की स्थापना की गई। इसके बाद सन् 1940 से सिलसिला फिर चालू हुआ और मुम्बई, मैसूर, मद्रास इन प्रदेशों में पंचायती राज की स्थापना पर निरन्तर कार्य होता रहा।

सभापति महोदय, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इस मान्यता को कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : जेब से हाथ निकाल लीजिए।

श्री शांति कुमार धारीवाल : आपकी जेब में डाल दूं? (व्यवधान) महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की असली आत्मा गांवों में बसती है और जनतन्त्र की सच्चे अर्थों में स्थापना तभी हो सकेगी जबकि ग्रामीण विकास में ग्रामीणों की भागीदारी हो और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का विकेन्द्रीकरण होकर सत्ता ग्रामीणों के हाथ में जाए। उस वक्त शायद यह महसूस इसलिए किया गया था कि सैकड़ों सालों से देश में अधिनायकवाद का शासन रहा था और उसके पश्चात् ब्रिटिश शासन में भी सत्ता का केन्द्रीकरण रहा और शोषण भी रहा। इस शोषण के अन्जाम को देखते हुए यह सोच उस वक्त खूब विकसित हुई कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए और पंचायतों की स्थापना के जरिए ही विकास का काम हाथ में लिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, पण्डित जवाहर लाल नेहरूजी ने स्वायत्तशासी संस्थाओं के एक विशाल सम्मेलन को सम्बोधित किया था और उस सम्बोधन में उन्होंने यह कहा

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

था कि लोकतन्त्र का पुख्ता एहसास ग्रामीण जनता को जब हो सकता है जबकि गांवों का विकास हो और गांवों के विकास में उनकी सशक्त भागीदारी हो। काफी लम्बे-चौड़े इस सम्मेलन में पंचायती राज की स्थापना के बाबत बहुत विचार मंथन हुआ और विचार मंथन होकर देश में एक हवा बनी थी। पण्डित जवाहर लालजी ने अपने विचार इस प्रकार से रखे उससे सम्मेलन में कि जो भी आम व्यक्ति शामिल हुआ था उसका दिमाग इस प्रकार का बना था कि सरकार पंचायती राज के सुदृढ़ीकरण के लिए कुछ न कुछ करना चाहती है।

ठीक इसी प्रकार से हमारे संविधान के निर्माताओं ने जब संविधान का निर्माण किया तो उन्होंने आर्टिकल 40 का समावेश इसमें किया। आर्टिकल 40 में राज्यों से यह अपेक्षा की गई कि वे इस बात को समझें, पंचायती राज की स्थापना करें और स्थापना भी इस प्रकार से करें कि वे अपना कार्य सुचारू रूप से बिना किसी के हस्तक्षेप के चला सकें। सभापति महोदय, इसी मान्यता के चलते हुए केन्द्र सरकार ने स्वायत्तशासी संस्थाओं के लिए पहली बार 1953 में टैक्सेशन इन्क्वायरी कमीशन का गठन करके यह जानना चाहा कि लोकल अथोरिटी के बाबत उनके क्या विचार हैं। इस कमीशन ने जो मुख्य सिफारिश की वह यह की कि लोकल अथोरिटी के रूप में ग्राम पंचायतों को, नगरपालिकाओं को समान रूप से इस समिति ने परिभाषित किया।

सभापति महोदय, महात्मा गांधी की आकांक्षाओं के अनुरूप देश में स्वायत्तशासी संस्थाओं के मंत्रियों की 1954 में एक बैठक हुई और उस कांफ्रेंस में भी इस बात पर बल दिया गया कि विकेन्द्रीकरण के जरिए लोकतंत्र की जड़ें मजबूत की जानी चाहिए। उसका तात्पर्य यह था कि पंचायती राज की संस्थाओं को मजबूत किये बगैर लोकतंत्र की जड़ें कभी मजबूत नहीं हो पाएंगी।

सभापति महोदय, भारत सरकार ने 1957 में बलवंतराय कमेटी का गठन किया। वह गठन इस बात को लेकर हुआ, सरकार यह चाहती थी कि यह समिति इस प्रकार की कोई सिफारिशें दें कि पंचायती राज संस्थाओं के प्रबन्धकारी पुनर्गठन और सुव्यवस्था के लिए क्या किया जा सकता है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना यूनिफाइड रूप में हुई। हमें इस बात का गर्व है कि सन् 1959 में नागौर में त्रिस्तरीय पंचायती राज का शुभारम्भ दीप जला कर किया गया और दीप जलाने की रस्म तत्कालीन प्रधानमंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू द्वारा की गई थी।

सभापति महोदय, पंचायती राज संस्थाओं की कामयाबी में बाधा का मुख्य कारण विभिन्न दलों ने वित्तीय संकट बताया। वित्तीय संकट के कारण ही जितने भी अध्ययन दल बने, जितनी भी समितियां बनीं उनकी यूनानीमस रिपोर्ट यह रही कि अगर

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

इन पंचायती राज संस्थाओं की पुअर परफारमेंस का कोई कारण है तो वित्तीय कठिनाई है। बलवन्त राय मेहता कमेटी और उसी के साथ-साथ एक कमेटी का फारमेशन केन्द्र सरकार के द्वारा और किया गया स्टडी टीम आन पंचायती राज फाइनेंस, जिसके अध्यक्ष शान्थानम थे। उन दोनों कमेटियों की कमोबेश एक-सी सिफारिशें थी, उन सिफारिशों का निष्कर्ष यह था कि पंचायती राज से अगर हम सही काम की अपेक्षा रखते हैं तो उनके वित्तीय साधनों को हमें मजबूत करना पड़ेगा। उनका यह भी कहना था कि जब तक वित्तीय स्रोत पुख्ता नहीं होते, तब तक ये संस्थाएं सुचारू रूप से काम नहीं कर पाएंगी। उन्होंने यह भी सिफारिश की कि करों की अनिवार्य वसूली होनी चाहिए, यह अलोकप्रिय कदम पंचायती राज के चुने हुए प्रतिनिधि को उठाना पड़ेगा। यह उनकी सिफारिश है।

सभापति महोदय, अतीत इस बात का साक्षी रहा है कि हम इन संस्थानों के वित्तीय प्रबन्धन की अनिवार्यता की अनदेखी करते रहे हैं और कर लगाने की जब भी बात सामने आई कि कर लगाए जाएं, हम उससे बचते रहे हैं। निश्चित तौर पर करारोपण के घूंट तो कड़वे होते ही हैं, लेकिन स्वायत्त शासन की जरूरतों के लिए कर लगाने के अलावा और कोई विकल्प सामने नजर नहीं आता। आर्थिक विशेषज्ञों का भी यही मानना रहा कि सरकारी आर्थिक सहायता की आवश्यकता तो है, लेकिन पंचायती राज संस्थान अगर किसी भी सरकारी सहायता के ऊपर ही निर्भर करेंगे तो यह स्थिति अच्छी नहीं है। संस्थानों की डिग्निटी के लिए और उनकी आटोनोमी के लिए यह स्थिति अच्छी नहीं होगी। उनकी डिग्निटी और आटोनोमी इससे प्रभावित होगी।

राजकुमार अमृत कौर ने भी इस बाबत अपने विचार एक सम्मेलन में प्रस्तुत किये थे। उनका कहना था कि आर्थिक साधन जुटाने के लिए जनप्रतिनिधियों को अलोकप्रिय कदम उठाने होंगे।

सभापति महोदय, 1963 में रूल्स अरबन रिलेशंस के बाबत एक समिति का गठन 1963 में किया गया और इस समिति ने 1966 में अपनी एक रिपोर्ट दी। उन्होंने रिपोर्ट में यह कहा कि शहर का और गांवों का किस प्रकार से सामंजस्य हो। आज यह देखा जाता है कि शहरों की कुछ और समस्याएं हैं और गांवों की कुछ और समस्याएं हैं। यहां कुछ अलग तरीके के विकास के कार्यों की मांग होती है और वहां कुछ अलग तरीके के विकास के कार्यों की मांग होती है। इस समिति ने इस बात पर दु:ख प्रकट किया कि गांवों में चूंकि नागरिक सुविधाओं का अभाव है और शहर में नागरिक सुविधाएं काफी कुछ अच्छी हैं, इसलिये यह गांव से शहर की तरफ जो पलायन होता है इसको रोकने के लिये कुछ न कुछ इतंजाम होना चाहिए। जब तक पंचायती राज का सुदृढ़ीकरण नहीं हो... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : ऐसा नहीं है।

श्री शांति कुमार धारीवाल : मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि आपके अण्डर में कोई कमेटी बना दें। उसकी रिपोर्ट आप दे देना।

शहरों पर आबादी का दबाव कम पड़े इसलिये भी इस रूरल और अरबन रिलेशंस कमेटी ने इस बात की फाइंडिंग दी कि हमें यह सोचना होगा कि किस प्रकार से शहरों पर दबाव कम पड़े, पलायन कम हो सके। अगर हम इन पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत नहीं करेंगे और इनके जरिये विकास के काम हाथ में नहीं लेंगे तो निश्चित तौर पर यह समस्या आएगी। मेरे स्वयं का भी यह अनुभव है कि इस समस्या को गम्भीरता से हमें लेना होगा।

सभापति महोदय, 1964 में सादिक अली साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी जिसके सदस्य आदरणीय माथुर साहब भी थे और आदरणीय सुराणा साहब भी थे। उन्होंने कई महत्त्वपूर्ण सुझाव पंचायती राज संस्थाओं के बाबत दिये और विशेष रूप से इस बात का उल्लेख किया कि पंचायती राज संस्थाएं स्वायत्त शासन की इकाई के रूप में काम करें। स्थानीय मामलों का बंदोबस्त और समस्याओं का समाधान अपने स्तर पर करें। सबसे महत्त्वपूर्ण सिफारिश अगर थी तो यह थी कि इनको स्वायत्तशासी संस्थाएं, सैल्फ गवर्नमेंट की संस्थाएं समझा जाएं।

डा. (श्रीमती) कमला (उप मुख्य मंत्री): स्वशासी सैल्फ गवर्नड।

श्री शांति कुमार धारीवाल : आप तो करैक्ट कर रहे हैं, संस्कृत में विद्वान हैं न आप।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह हिन्दी है, यह संस्कृत थोड़े ही है।

श्री शांति कुमार धारीवाल : अजी, मैं तो हिन्दी-अंग्रेजी कुछ नहीं, मैडम संस्कृत की बहुत... आपने मुबारक नहीं दी। वे तो डाक्टरेट...(व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : स्वशासी है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं सैल्फ गवर्नड बोल लूंगा, मैं अटक जाता हूं। उन्होंने यह कहा कि एक्जीक्यूटिव एजेंसी के बतौर ये संस्थाएं काम करें। मुख्य बात यह थी सिफारिश में।

इसी तरीके से 1977 में अशोक मेहता साहब की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी उन्होंने भी यह कहा कि ग्रामीण विकास और ग्रामीण योजनाओं की क्रियान्विति की जिम्मेदारी जिला परिषदों को सौंपी जाए।

सभापति महोदय, 1985 में जी.वी.राय साहब की अध्यक्षता में भी एक कमेटी का गठन हुआ। इस समिति ने कुछ अलग हटकर ग्रामीण गरीबी के उन्मूलन के कार्यक्रमों को ग्रामीण उत्पादन से जोड़ते हुए और उसके आधार का आकलन करते हुए जन प्रतिनिधियों के माध्यम से इन कार्यों का इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से करवाया जाए, इस पर विस्तार से अपनी रिपोर्ट दी। स्थानीय समस्याओं का समाधान ये स्वयं करें, यह

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

इनकी बहुत महत्त्वपूर्ण सिफारिश थी। उन्होंने यह सरकार से आशा की कि इन संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और इनको पूरा समर्थन दिया जाना चाहिए।

सरकारिया कमीशन का गठन किया गया और यह सबसे पहला कमीशन था जिसने यह कहा कि इनके समय पर चुनाव करवाने जरूरी हैं, आवश्यक हैं। चुनाव के बाबत कोई पहली बार बोला तो सरकारिया कमीशन बोला।

बी. के. थुंगन साहब ने जिला परिषदों को योजना व विकास अधिकरण बनाने की जहां सिफारिश की, वहीं हरलाल सिंहजी खर्रा की कमेटी ने भी आर्थिक सहायता बढ़े व स्थानीय अपराधों के जुर्माने की राशि किस प्रकार से की जाए, इस बाबत लम्बी सिफारिशें की हैं।

और एक आखिरी सिफ़ारिश किसी कमेटी की अगर इस बाबत हुई जो कि केन्द्रीय स्तर पर और केन्द्र सरकार के द्वारा गठित की गयी थी, डाक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी की कमेटी थी जिसने कि 1986 में यह रिपोर्ट दी कि पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता अगर प्रदान नहीं की गयी तो ये संस्थाएं कभी उठ नहीं पाएंगी। सबसे पहले डाक्टर सिंघवी ने यह मांगा की और इस मांग को सबसे पहले पकड़ा तो तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पकड़ा।

सभापति महोदय, मैंने काफी कुछ केन्द्र सरकार के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिये और उन पर अपनी सिफारिशें देने के लिये गठित की गयी कमेटियों का कुछ हवाला दिया। इतने सारे अध्ययन दल और इतनी सारी कमेटियों की सिफारिशें, जितनी भी सिफारिशें आयीं उनका कुल मिलाकर निचोड़ यही था कि पंचायती राज संस्थाओं को किस प्रकार से ताकतवर बनाया जाए। उनको सैल्फ सफिसिएंट बनाया जाए, सैल्फ गवर्नमेंट के बतौर वे जानी जाएं, अपने फैसले वे खुद करें, उनके वित्तीय साधन उनके खुद के हों, वे किसी के ऊपर निर्भर न हों।

वहीं दूसरी ओर यह भी देखने को मिलता है कि प्रशासनिक व्यवस्थाओं में कार्यकारी वर्ग और जन प्रतिनिधियों के बीच पारस्परिक विरोध रहा। कार्यकारी वर्ग का कहना यह होता था कि जन प्रतिनिधि अनपढ़ हैं या कम पढ़े–लिखे हैं, अनुभवहीन हैं, राजनीतिक हस्तक्षेप करते हैं, विकास के कामों के बारे में कम समझते हैं। वहीं जन प्रतिनिधियों का यह कहना होता था कि यह कर्मचारी वर्ग कुछ समय के लिये यहां पर पद स्थापित हुआ है, न गांव के भूगोल की इनको जानकारी है, न गांव की प्राथमिकताओं की इनकी जानकारी है और जन प्रतिनिधियों की उपेक्षा करना इनकी एक आदत बन गयी है। इस प्रकार के वाद–विवाद हमेशा चलते रहे, चलते रहे। कार्यकारी वर्ग के अधिकारियों के दुरुपयोग के बाबत जी.पी. मावलंकर साहब

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

ने एक बड़ी महत्त्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य और केन्द्र के सैंट्रलाइज्ड अधिकारों के उपयोग के बजाय इन संस्थाओं के द्वारा सम्भावित अधिकारों के दुरुपयोग एवं इनएफिशिएंसी और कमियों को सहन करना कोई बुरी बात नहीं है। मावलंकर साहब ने स्पष्ट तौर पर यह कहा कि जिन संस्थाओं को आज हम जीवित कर रहे हैं, जिन संस्थाओं का हम अब गठन कर रहे हैं उनको एकदम आप अधिकार देंगे तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं दुरुपयोग होगा। इनमें इनएफिशिएंसी भी पायी जाएगी। इनके द्वारा कुछ न कुछ कमियां भी छूटेंगी। लेकिन अगर देंगे ही नहीं तो किस प्रकार से ये संस्थाएं आगे जाकर खड़ी होंगी, किस प्रकार से उनको अनुभव प्राप्त होगा।

1989 के आसपास एक विदेशी विशेषज्ञ ह्यूम टिंकर ने एक लेख लिखा। लेख का टाइटल था 'भारत की राजनीति और समाज', जिसमें उन्होंने इस बात को हाइलाइट किया कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं में करीब 90 प्रतिशत पंचायतों की पुअर परफार्मेंस है।

श्री हीरासिंह चौहान : मंत्रीजी, यह बात जो कह रहे हैं, हमको क्या जानकारी नहीं है क्या? आप जो कोट कर रहे हैं, हम भी तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि क्या स्थिति है।

श्री सभापति : आपका नम्बर तो आ रहा है न अभी।

श्री हीरासिंह चौहान : नहीं, मेरे नम्बर की बात नहीं है, हम सभी तो जानते हैं पूरी स्थिति।

श्री सभापति : वह तो ठीक है।

डा. के. सी. चौधरी : नहीं, माननीय सदस्य, आपको जंचे उसको आप कोट कर लेना। इनकी जानकारी है यह कोट कर रहे हैं। आप भी कोट करिएगा फिर, कौन मना करता है?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, चलने दीजिए। माननीय मंत्रीजी।

श्री हीरासिंह चौहान : आप इतने विद्वान हैं, आप अपना ही कोट करें...(व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : सभापति महोदय, चौहान साहब का दोष नहीं है क्योंकि विदेशी और स्वदेशी के मध्य ये अभी तक उलझ ही रहे हैं, इनकी पार्टी भी पूरी उलझ रही है।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी, इस बात को उलझाओ मत।

श्री शांति कुमार धारीवाल : पुअर परफार्मेंस का टिंकर साहब ने जो कारण बताया, सभापति महोदय, उसमें दो कारण उन्होंने मुख्य रूप से बताये हैं। उन्होंने कहा कि संस्थाओं के पास कोई विशेष अधिकार नहीं हैं और अधिकार-विहीनता के कारण ग्रामीणों में उदासीनता है। जब तक अधिकार सम्पन्न नहीं बनाया जाएगा तो उनमें अनुभव कहां से पैदा होगा? यह एक बड़ी महत्त्वपूर्ण बात थी कि हम उन संस्थाओं से विकास

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

की आस रखकर उन संस्थाओं को यह समझें कि यही सब कुछ निर्णय कर लेंगी अपने स्तर पर, लेकिन हम उनको अधिकार नहीं दें। अधिकार नहीं देंगे तो निश्चित तौर पर वे कर भी क्या पाएंगी? इन्हीं बातों को लेकर एक बहुत बड़ा लेख जो काफी प्रसिद्ध हुआ। अपने वक्त में, टिंकर साहब ने लिखा उन्होंने यह लिखा, आज आवश्यकता इस बात की है कि जनता को जागरूक किया जाए, उसको उत्साहित किया जाए। वे उत्साहित कैसे होंगे? जब तक उनको अधिकार सम्पन्न नहीं बनाया जाएगा, उनसे उत्साहित होने की आशा नहीं रखी जा सकती। आज स्थिति वह नहीं है। निश्चित तौर पर ग्रामीण जनता में जागरूकता आई है और जागरूकता के साथ-साथ लोग उत्साहित भी हुए हैं। अधिकारों की मांग करने के लिए उत्साहित आदमी तभी होता है जब वह अधिकारों का उपयोग करना सीखना चाहता है या अधिकारों का उपयोग करना सीख चुका है। आज हम देखते हैं कि गांव में बिजली है, सिंचाई के साधन हैं, नल योजनाएं हैं, दूर-संचार है, टी.वी. है, मारुति-कारें हैं, जीपें हैं, वगैरह-वगैरह कई चीजें हैं अगर ग्रामीण जनता जागरूक नहीं होती तो क्या ये सब चीजें वहां पर पहुंच पातीं? मेरा कहने का अर्थ यह है कि कहीं यह मानसिकता है हमारी कि गांव में जो जन्मा है या गांव में जो पड़ा है वह असक्षम है। यह अनौपचारिक बैठक में...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : कोई नहीं मान रहा है यह।

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह अलग बात है।

श्री शांति कुमार धारीवाल : आप नहीं करते, मैं जानता हूं। माननीय सदस्य मालपुरा में ही जन्मे हैं और वहीं पढ़े हैं तो इस बात को नकारोगे, लेकिन शहर में जो पैदा हुए हैं...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप अपनी मानसिकता बता रहे हो।

श्री शांति कुमार धारीवाल : माननीय सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि एक अनौपचारिक बैठक में एक बड़े राजनीतिज्ञ ने यह बात कही कि अगर पंचायती राज संस्थाओं का आप सदृढ़ीकरण करना चाहते हो तो यह तो बन्दर के हाथ में उस्तरा देना होगा। मैं आपसे...(व्यवधान) छोड़िये उस बात को। (व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश के राष्ट्रपति... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : भाषण में गम्भीरता पैदा नहीं हो रही है, इस तरह से बोल रहे हैं।

श्री शांति कुमार धारीवाल : आपका तो मूड ही नहीं है आज, +++ तो आप एक घंटे बहस करते रहे जीरो आवर पर। जीरो आवर क्या था, आप मुझसे अकेले में

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

चलते तो मैं समझा देता आपको कि जीरो आवर क्या था। खामखाह में आपने सदन का इतना वक्त जाया किया।

भारत के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, वे गांव में जन्मे और भारत के उप राष्ट्रपति जो यहां प्रतिपक्ष के नेता थे, उनका भी जन्म गांव में हुआ। जिस गांव में राष्ट्रपतिजी का जन्म हुआ शायद "रामेश्वरम्" में इन्हीं बन्दरों ने भगवान रामचन्द्र के लिए वहां पत्थर डाल कर पुल बनाया था। इस तरह की बातें कहने से इन बातों को हतोत्साहित करने के लिए कि पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार नहीं दिये जाएं, यह सामयिक बात नहीं है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वे इस पर विचार करें कि अनुभव काम सौंपने से बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अधिकार देने से उनका उपयोग सीखा जाएगा या नहीं सीखा जायेगा। एक आम उदाहरण है कि तालाब में जब तक आप छलांग नहीं लगाओगे तब तक आप तैरना नहीं सीख सकते। रोमांस भी तब पैदा होता है जब कोई चीज आंखों को अच्छी लगती है। तो हम किसी बात पर आगे बढ़ेंगे ही नहीं और यही कहते रहेंगे कि इन संस्थाओं को अधिकार देने से... (व्यवधान) डाक्टर साहब ठीक कह रहे हैं कि कुर्सी काम सिखा देती है।

श्री देवीसिंह भाटी : सबसे बड़ा रोग तो यह कर दिया आरक्षण का, आप लाटरी का सिस्टम कर रहो हो। वह एक बार चुन जाता है, वह कहेगा कि अगली बार तो मुझे कोई चुनेगा नहीं, न मैं आना, सूंत लो, सूंत लो। वह व्यवस्था बदलो, उसके बगैर कुछ नहीं होगा।

श्री शांति कुमार धारीवाल : यह तो आप जगह-जगह इस बाबत सम्मेलन कर ही रहे हैं, तो इन सम्मेलनों में जरा ताकत से कहो यह बात आप।

माननीय सभापति महोदय, स्वर्गीय राजीव गांधी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कल्पना को वैधानिक मान्यता देने के परिप्रेक्ष्य में 1979 में ग्राम पंचायातों और नगरपालिकाओं को संवैधानिक स्वरूप किस प्रकार से मिले, इस हेतु संविधान संशोधन के प्रस्ताव पेश किये थे। इसी बाबत उन्होंने जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन दिल्ली में बुलाकर काफी विचार-मंथन किया था और अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति साफ-साफ की थी। उसी में यह इनिशिएटिव उन्होंने लिया। राजीव गांधी ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस देश के आजाद होने के बाद पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात को क्रियान्वित करने के लिए सबसे पहले कदम उठाया। 1992 में कांग्रेस की सरकार ने राजीव गांधी की भावनाओं के अनुरूप और उनके इरादों को देखते हुए 73वें संशोधन के जरिए

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

आर्टिकल 243 (बी) में पचांयती राज संस्थाओं के स्वायत्तशासी रूप को स्पष्ट परिभाषित करते हुए पंचायतों को फोर्स आफ ला दी। संविधान की व्यवस्थाओं के अनुरूप महिलाओं के आरक्षण को भी पंचायती राज की व्यवस्था काम की गई। खास तौर पर जब महिलाओं की बात आई तो आज भी इस प्रकार के विचार की डिमांड है लोगों की कि महिलाएं पर्दानशीन होती हैं, उनमें अनुभव नहीं होता, ये काम और अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकतीं। इस प्रकार की बातें मेरे सामने आई हैं। मैने आपको पहले भी, सभापति महोदय, इस बात का निवेदन किया था कि अधिकार हम देंगे नहीं जब तक अधिकार का उपयोग कोई नहीं सीख पाएगा। आपको उस घटना की भी जानकारी होगी जब लाल बहादुर शास्त्री का स्वर्गवास हो गया और स्वर्गवास होने के पश्चात् तत्कालीन पार्लियामेंटरी बोर्ड ने, कांग्रेस के बड़े-बड़े लोग उस वक्त सदस्य हुआ करते थे, उन्होंने मोरारजी देसाई के बजाए इन्दिरा गांधी का नाम इसलिए प्रपोज किया प्रधानमंत्री के पद के लिए कि उनके मन में एक बात यह आई थी कि यह औरत है, क्या करेगी, समझा देंगे, डांट देंगे, मनवा लेंगे। लेकिन वही इन्दिरा गांधी जब उनके हाथ में प्रधानमंत्री की कुर्सी आई, तो उन्होंने पूरे संसार को बताया कि महिला में कितनी शक्ति होती है। महिला किस प्रकार से निर्णय ले लेती है और महिला क्या काम कर सकती है, यह इन्दिरा गांधी ने स्थापित किया।

सभापति महोदय, संविधान की 11 वीं अनुसूची में जो 29 विषय पंचायती राज संस्थाओं के लिए निर्धारित किये गये, मैं उनके बाबत कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मंत्रिमण्डलीय समिति का गठन गुवाहाटी में एक कांग्रेस रूल्ड चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग जो प्रतिपक्ष की नेता सोनिया गांधीजी ने ली थी, सोनिया गांधीजी ने वहां पर कुछ डाइरेक्शंस पंचायती राज के बाबत, पंचायती राज और नगरपालिकाओं के सशक्तीकरण के बाबत मुख्य मंत्रीगण को दिये और उसी पर आगे कुछ कार्यवाही हुई। जब से गहलोत साहब ने अपनी सरकार बनाई, तब से लगातार इस दृष्टि से काम होता रहा। 1998 में विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। और 1999 में भी विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया जिसमें भी इस बात को साफ-साफ कहा गया कि डी.आर.डी.ए. का जिला परिषदों के साथ विलय किया जाए, प्लान व नान-प्लान बजट पंचायत समितिवार उनका आबंटित हो, उपयुक्त तकनीकी, प्रशासनिक वित्तीय अधिकार पंचायत समितियों में स्थापित किये जाएं, जिला आयोजन समिति को सशक्त बनाया जाए। नई दिल्ली में पंचायती राज के मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ, उसमें...(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : सभापति महोदय, मंत्री महोदय को कुछ सीमा में तो बांधिये। फिर विचारार्थ है, हमें तो बोलने का अवसर नहीं मिलेगा, सारा समय यही ले लेंगे। यह अपने जवाब में बोल लेंगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आपको पूरा समय मिलेगा। जितना चाहो उतना समय मिलेगा।

श्री देवीसिंह भाटी : आज का और कल का दिन है, आधा समय तो गया।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी अपनी सीमा में ही हैं।

श्री शांति कुमार धारीवाल : मैं कोई ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप बेफ्रिक रहें। आपको हमेशा सीमा ही सीमा दिखती है। बीकानेर के पास के हैं न, इनको सीमा ही सीमा नजर आती है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : मुद्दे की बात बताओ।

श्री शांति कुमार धारीवाल : मुद्दे की बात तो मैं आपको बांट चुका हूं और निवेदन कर रहा हूं आप उस पर अपने विचार खुलासा करिएगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : यह मुद्दा ही नहीं है कि अधिकार नहीं दिये जाएं। (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : सब किये जाएं, लेकिन आपके विचार तो आएं उसमें कि किस प्रकार के अधिकार दिये जाएं। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : वह, मंत्रीजी, इसलिए है कि पूरी प्रक्रिया है। माफ करना इंटरप्शन के लिए, इस बारे में कोई विवाद नहीं है। कोई भी माननीय सदस्य अथवा कोई भी जन प्रतिनिधि अथवा कोई भी विचारक कभी सार्वजनिक रूप से यह विचार प्रकट नहीं करता कि पंचायतों को अधिकार नहीं दिये जाने चाहिए। मौलिक रूप से यह बात तो सामाजिक मान्यता प्राप्त कर चुकी कि विकेन्द्रीकरण होना चाहिये और अधिकार देना चाहिये। अब अधिकार देने की मोडेलिटीज क्या हों, उसके अन्दर कंट्रोवर्सी है। उसमें अगर कोई व्यूज आये हों और वह अगर हमारा मार्गदर्शन करें...(व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : मेरे व्यूज और मेरी सरकार के व्यूज आपके सामने रख चुका हूं। मैं इन्हीं के लिये तो आपसे अनुरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं, आपकी सरकार के व्यू से, आपके व्यू से पूरी सहमति है, उसमें कहां विमति है?

श्री शांति कुमार धारीवाल : नहीं, सहमति है, लेकिन मैं आपकी बुद्धिमत्ता तो तब जानूं जब आप उसमें यह बताएं कि, साहब, इसमें यह कमी रह गयी, यह और दें। आपके वे विचार जानना चाहते हैं न, इसीलिए तो यह सैशन बुलाया गया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : स्पेशल सैशन नहीं है, रैगुलर सैशन है।

श्री सभापति : माननीय, बिराजिये।

श्री शांति कुमार धारीवाल : नई दिल्ली में पंचायती राज मंत्रियों का जो सम्मेलन हुआ, सभापति महोदय, एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण सम्मेलन था और इसी सम्मेलन में सबसे पहली बार इस बात का निर्णय लिया गया कि 11 वीं अनुसूची में जो 29 विषय दिये गये हैं उनको पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित करना चाहिये। इसके बाद 5 और 6 अप्रैल, 2002 को दिल्ली में पंचायती राज के अध्यक्षों का सम्मेलन आयोजित किया गया केन्द्रीय सरकार द्वारा और प्रथम बार नीयत साफ रखते हुए वहां पर प्रतिपक्ष की नेता को आमंत्रित किया गया। सभापति महोदय, इस सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए देश के प्रधानमंत्री वाजपेयी साहब ने कहा कि लोकतंत्र को जड़ों से मजबूत करने की प्रक्रिया में पंचायती राज का महत्व है। प्रधानमंत्रीजी ने पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय साधनों का हवाला देते हुए संस्थाओं की वित्तीय हालत पर चिन्ता प्रकट की और यह कहा कि पूरे देश की पंचायती राज संस्थाओं की निजी आय को जोड़ा जाए तो सिर्फ 700 करोड़ रुपये होते हैं। इन 700 करोड़ रुपये में इतनी संस्थाएं किस प्रकार से विकास का काम कर पाएंगी, यह चिन्ता उन्होंने जताई। उन्होंने यह भी कहा कि इतनी कम आमदनी से पंचायतें क्या करेंगी? सत्ता तो उन्हें सौंप दी गयी लेकिन साधन उनके पास नहीं हैं। उन्होंने पंचायती राज संस्थाओं से अपनी जिम्मेदारी समझने के लिये बात कही और सरकार के माध्यम से उन्होंने एक तरफ से अपना निर्णय सुनाते हुए यह कहा कि पंचायती राज संस्थाओं को मदद देने के लिये केन्द्रीय सरकार कोई कसर नहीं रखेगी। इसी के साथ-साथ उन्होंने यह भी कहा कि आज जो ढांचा देखा जा रहा है इन पंचायती राज संस्थाओं का, अगर उसका श्रेय किसी को जाता है तो स्वर्गीय राजीव गांधी को जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि उस शख्स ने, स्वर्गीय राजीव गांधी ने आज के दस वर्ष पूर्व यह समझ लिया था कि अगर इन पंचायती राज संस्थाओं को जीवित रखना है, इनका सशक्तीकरण करना है और इनके माध्यम से गांवों में विकास के काम करवाने हैं और सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना है तो इन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देना होगा। ये शब्द हूबहू जो मैंने आपको बताये हैं, ये आदरणीय प्रधानमंत्रीजी के हैं जो कई बार स्पष्ट बोलने के आदी रहे हैं चाहे वह गुजराज का इश्यू हो, चाहे कोई दूसरा इश्यू हो, साफ बोल जाते हैं।

इस सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए प्रतिपक्ष की नेता श्रीमती सोनिया गांधी ने सम्मेलन में अपने उद्बोधन में पंचायती राज संस्थाओं को महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने और स्वर्गीय राजीव गांधी के इरादों का स्मरण कराते हुए जवाहर लाल नेहरू और इन्दिरा गांधी के प्रयासों को भी प्रतिबिम्बित किया। उन्होंने संविधान के 73 वें संशोधन को पंचायती राज के

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

लिये जिम्मेदारियों के एक दस्तावेज की संज्ञा दी। पंचायती राज संस्थाओं के लिये क्या किया जाए, क्या करना है, इस संबंध में भी श्रीमती सोनिया गांधी ने सरकार की बुनियादी जिम्मेदारियों का उल्लेख करते हुए यह इच्छा प्रकट की कि केन्द्र पंचायतों को सीधा पैसा भेजे और इनकी मजबूती के सारे उपाय करे। उन्होंने यह भी कहा कि—

"I have also earlier suggested a special session of Parliament to discuss issues related to further strengthening of panchayat bodies. I am asking my colleagues, the Chief Ministers of the Congress ruled states to hold a special session of their Legislatures and present an annual state of panchayats and debate on the vital subject affecting the lives of crores and crores of all sections of our people."

सभापति महोदय, 1998-99 में विकास आयुक्त की अध्यक्षता में जो कमेटियां गठित की गयीं, उन्होंने बड़े विस्तार से इसकी सिफारिशें कीं और मुख्य मंत्रीजी द्वारा 1999 में विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में जो समिति बनी, उन्होंने 29 विषयों में से 16 विषय पंचायती राज संस्थानों को हस्तान्तरित करने का निर्णय लिया। उस पर 2 जनवरी, 2000 को मंत्रिमण्डल ने अपनी अनुमति दी। लेकिन, सभापति महोदय, मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं कि जिन विभागों के जो विषय पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित किये गये, वे प्रशासनिक आदेश तो उन्होंने निकाले लेकिन उन अधिकारियों का नियन्त्रण इन विभागों ने अपने पास रखा जिससे कि पंचायती राज की संस्थाएं उन विषयों के बाबत कोई ज्यादा काम नहीं कर पायीं। (व्यवधान) हां, आएगा। वैलकम है आपका। आप अपने विचार खुलासे में रखें।

सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने सैकण्ड स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन किया और ठीक इसी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमेटी का गठन किया जिसमें शिवचरणजी माथुर और स्टेट फाइनेंस कमीशन के देवपुरा साहब को अध्यक्ष बनाया। दोनों ने अपनी अलग-अलग रिपोर्ट्स दी हैं। खास तौर से शिवचरणजी माथुर साहब की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग ने देश के कई प्रदेशों में घूमकर यह देखा कि किन-किन प्रदेशों में पंचायती राज को क्या-क्या शक्तियां दी गयी हैं और उसी के आधार पर उन्होंने महत्त्वपूर्ण सिफारिशें कीं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग का विलीनीकरण, एकीकरण कर दिया जाना चाहिये। डी.पी.ई.पी., डी.पी.आई.पी. जैसी योजनाओं को इन संस्थाओं के अधीन करना चाहिये

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

और डी.आर.डी.ए. पूरी तरह से जिला परिषदों में मिला देना चाहिये। पंचायतों को अधिकार स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में विभागीय स्तर पर भी हमने जन प्रतिनिधियों की कई कार्यशालाएं आयोजित कीं। (व्यवधान) वह तो अपना ही रहा है।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : पुरानी दोस्ती काम में आ रही है।

श्री शांति कुमार धारीवाल : 2 जून, 2002 को जिला परिषदों के अध्यक्षों की और चीफ एक्जिक्यूटिव आफिसर्स की 3 जून को, दो कार्यशालाएं आयोजित की गयीं और उन दो कार्यशालाओं में हमने खुलकर चर्चा की। उन चर्चाओं में उनके विचार जाने, वे कठिनाइयां जानीं जिन कठिनाइयों की वजह से उनको विकास कार्य हाथ में लेने में तकलीफ होती है। किस प्रकार से इस पंचायती राज का सुदृढ़ीकरण किया जाए, प्रक्रिया क्या अपनायी जाए, इस बाबत उनके विचार जाने।

ठीक इसी तरीके से एक कार्यशाला प्रधान साहेबान की और उसके दूसरे रोज उनके विकास अधिकारियों की कार्यशाला आयोजित की गयी। तीसरी कार्यशाला सरपंचों की और सरपंचों के दूसरे रोज ग्राम सेवाओं की कार्यशाला आयोजित की गयी। चौथी कार्यशाला इस बार जिला परिषद् के चुने हुए सदस्यों की भी और पंचायत समिति के चुने हुए सदस्यों की भी आयोजित की गयी, क्योंकि अक्सर जिला परिषद् के सदस्य को और पंचायत समिति के सदस्य को यह शिकायत रहती है कि वे चुन तो लिये गये लेकिन उनको कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई अधिकार राज्य सरकार ने, केन्द्र सरकार ने नहीं दिया। इस बाबत उनके लम्बे विचार जाने गये। विचारों के मंथन के बाद जो कुछ भी बिन्दु आये, सभापति महोदय, मैं शार्ट में आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं।

उनका कहना यह था कि जिला ग्राम विकास अधिकरण का जिला परिषदों में पूर्ण विलय किया जाए। पंचायती राज सेवाओं के लिए एक अलग कैडर बनाया जाए। जिला परिषदों की बैठक में जिला कलक्टर व पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति अनिवार्य की जाए। विकास कार्यों से जिला कलक्टर का रोल बिलकुल समाप्त किया जाए और ग्यारहवीं सूची में उल्लिखित 26 विषयों को फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज के साथ इन पंचायत राज संस्थाओं के अधीन किया जाए।

सभापति महोदय, मैंने काफी टाइम लिया है लेकिन अब अपनी बात को यहीं समाप्त करना चाहता हूं कि ग्यारहवीं सूची के विषयों को स्थानान्तरित करने के साकार उपाय गहलोत सरकार ने उठाने का प्रयत्न किया है। गुवाहाटी सम्मेलन से जिस वक्त मुख्य मंत्रीजी जयपुर लौटे, लौटते ही सबसे पहले उन्होंने जो काम किया वह यह किया कि इस पंचायती राज का सुदृढ़ीकरण किस

(श्री शांति कुमार धारीवाल)

प्रकार से हो सकता है, उनको क्या अधिकार किस प्रकार से ट्रांसफर किये जा सकते हैं। उसके लिए उन्होंने मंत्रिमण्डल की एक उप समिति आदरणीय गुलाब सिंहजी शक्तावत की अध्यक्षता में बनायी जिसके सदस्य वित्त मंत्रीजी भी थे, जिसकी सदस्य माननीया कमलाजी भी थीं, रामनारायणजी चौधरी साहब भी थे, कल्ला साहब भी थे, तैय्यब हुसैन भी थे और बाकोलिया साहब भी थे। एक लम्बे विचार के बाद, घंटों विचार के बाद उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की जिसमें उन्होंने साफ कहा कि चुने हुए प्रतिनिधि जो चीज मांग रहे हैं, फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज, इसी बात को मानते हुए उन्होंने अपनी सिफारिश पेश की। यह भी कहा कि जिला ग्रामीण विकास अधिकरण का स्थानान्तरण जिला परिषदों में कर दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, मंत्रिमण्डल की उप समिति के निर्णय सभी माननीय सदस्यों को हमने पहुंचाने का प्रयत्न किया है, मेरा सभी माननीय सदस्यों से यह अनुरोध है कि उस पर अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। आपके सुझावों, अमूल्य सुझावों से हमें लाभान्वित करें। अगर यह फैसला राजस्थान का मंत्रिमण्डल लेता है कि उप समिति के द्वारा सुझायी गयी सिफारिशें हैं उनको हूबहू लागू कर दिया जाए तो, सभापति महोदय, मैं यह कह सकता हूं कि राजस्थान पहले भी अग्रणी रहा है और अग्रणी होने का राजस्थान को फिर गौरव प्राप्त हो सकता है बगैर किसी गौरव यात्रा के निकाले।

श्री सभापति : माननीय श्री सी. पी. जोशी।

श्री सी. पी. जोशी (नीति निर्धारण मंत्री) : सभापति महोदय, पंचायती राज मंत्रीजी ने जिस भूमिका का वर्णन किया, उसमें मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता लेकिन...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप इंटरवीन करोगे क्या? (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : मैं सोच समझकर बोल रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आपका इंटरवेंशन तो वैलकम है। यह नहीं कह रहा हूं मैं मेरा निवेदन यह नहीं है। आपका इंटरवेंशन बहुत वैलकम है।

श्री सी. पी. जोशी : आप बैठें। मेरे पार्टी के सीनियर आदमी इंटरवीन करेंगे, मैं डिबेट को आगे बढ़ा रहा हूं।

श्री सभापति : माननीय व्यासजी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सुझाव के रूप में यह प्रार्थना कर रहा था, सभापति महोदय, इंटरवेंशन वैलकम है इनका।

श्री सी. पी. जोशी : इंटरवेंशन और हमारे सीनियर आदमी करेंगे, मैं तो स्टार्ट कर रहा हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कुछ स्पीकर्स बोल लें, उसके बाद अगर आप इंटरवीन करें।

श्री सी. पी. जोशी : दो मिनट, क्या तकलीफ है इसमें?

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं, तकलीफ नहीं है। हम तो सुनना ही चाहते हैं आपको, आप गलत समझ रहे हैं।

श्री सभापति : बिराजिये।

श्री सी. पी. जोशी : सभापति महोदय, पंचायती राज मंत्री के रूप में और एक जन प्रतिनिधि के रूप में जिस 73, 74 अमैंडमेंट की हम चर्चा करने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं, उसमें जो मेरे अनुभव हैं, उनको मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं। जब हम डिबेट कर रहे हैं, जिसमें हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी और मंत्रीजी की इच्छा है कि राजस्थान जो पंचायती राज संस्थाओं के सन्दर्भ में आगे रहा है, वह भविष्य में भी आगे रहे, इसलिए मैं अपने कुछ विचार आपके सामने रखना चाहता हूं।

सभापति महोदय, सबसे पहले मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आर्टिकल 40 है संविधान का उसमें यह लिखा है :-

"The State shall take steps to organise village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self-government."

यह आर्टिकल 40 में प्रोविजो था। उस आर्टिकल 40 के प्रोविजो को सही स्पिरिट में लागू करने के लिए हमारे नेता और देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, राजीवजी ने जो अमैंडमेंट मूव किया और अमैंडमेंट जो बाद में पास हुआ उसकी स्पिरिट में भी मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, सभापति महोदय। जो हमने अमैंडमेंट पास किया और आज जो अमैंडमेंट लागू है उसमें 243छ में लिखा है "पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व।" 243 ज में लिखा हुआ है "पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां," और 243 झ में लिखा हुआ है "वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन।"

सभापति महोदय, मैं इसलिए ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो डिबेट हम करना चाहते हैं उसमें एक पार्ट है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, पर हमने जो अमैंडमेंट किया है उसमें जो स्कोप है उसको ठीक ढंग से नहीं समझ पाएंगे तो विकेन्द्रीकरण की हमारी जो अवधारणा है उसको हम ठीक ढंग से इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे। सभापति महोदय, मैं 243 छ भी पढ़ देता हूं :- "संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी राज्य का विधान मण्डल, विधि द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकेगा, जो उन्हें स्वायत्त शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने में समर्थ बनाने के लिए आवश्यक हों और ऐसी विधि

(श्री सी. पी. जोशी)

में पंचायतों को उपयुक्त स्तर पर, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, निम्नलिखित के सम्बन्ध में शक्तियां और उत्तरदायित्व न्यायगत करने के लिए उपबन्ध किए जा सकेंगे, अर्थात:-

(क) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना,

(ख) आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की ऐसी स्कीमों को, जो उन्हें सौंपी जाएं, जिनके अन्तर्गत वे स्कीमें भी हैं जो ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के सम्बन्ध में है, कार्यान्वित करना।''

आप हम जो चर्चा कर रहे हैं वह 'क' के सम्बन्ध में कर रहे हैं, 'क' के सम्बन्ध में तो इसमें लिखा हुआ है आर्थिक विकास और सामजिक न्याय के लिए योजनाएं तैयार करना।

सभापति महोदय, हमने 50 साल में लोकतंत्र में पंचायती राज को जब तक संविधान की व्यवस्था नहीं दी, पंचवर्षीय योजना के माध्यम से हर चुनी हुई सरकार ने प्रदेश के आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की जो व्यवस्था की उससे आज देश की स्थितियां क्या बन गयीं, सभापति महोदय? जो भी समृद्धशाली प्रदेश थे, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे गुजरात हो, चाहे पंजाब हो, आज पेमेंट करने की उनकी स्थितियां नहीं हैं। एस्टेब्लिशमेंट कास्ट हमारी बढ़ गयी। हमने कभी सोचा भी नहीं कि 50 साल में लोकतंत्र के माध्यम से हम जनता की अपेक्षाओं के आधार पर सरकार को चुनने की जो प्रक्रिया कर रहे हैं, चुनाव होने के बाद जो चुनी हुई सरकारें हैं वे कैसे आर्थिक, विकास और सामाजिक न्याय की इस अवधारणा को पूरा करेंगी?

(15.00 बजे)

ये जो स्थितियां बनी हुई हैं इन स्थितियों को यदि ठीक ढंग से चिन्हित नहीं किया गया, पहचाना नहीं गया तो 73 और 74वें अमैंडमेंट के बाद कानून में जो स्थिति बन गयी है कि जैसे स्टेट का वजूद है, सेन्टर का वजूद है, आज पंचायत का वजूद है, कानूनन वजूद है। पंचायत किसी स्टेट की मनमर्जी पर नहीं है, कानून में उसका वजूद है। स्टेट अपने नियम और कानून के लिए जुडीशियरी में जाकर अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं कि हमें अधिकार दिए हैं, ठीक उसी प्रकार आने वाले समय में पंचायतें भी अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेंगी कि कानून में व्यवस्था कर दी गयी है। आज हम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि 73वें अमैंडमेंट में चुना हुआ पंचायत का सरपंच, चुना हुआ प्रधान, चुना हुआ प्रमुख जो उसको पावर दी गयी है, शिड्यूल इलेवन के अन्दर हम दे रहे हैं, उस शिड्यूल इलेवन की पावर के अन्तर्गत वह सरकार के सामने भी उन चीजों के बारे में कोर्ट में जाकर बात कर सकेगा। 96वां अमैंडमेंट जो एक्सटर्नल एक्ट का हो गया पंचायती राज का, उस एक्सटर्नल एक्ट में शिड्यूल एरिया के अन्दर जो पावर दी गयी

(श्री सी. पी. जोशी)

है उससे भी ज्यादा पावर दी है। सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि शिड्यूल 96 की जो पावर है हमारे माननीय सदस्य इसको देख लें, वह पावर आज कानूनन उनको मिल चुकी है। उसमें क्या लिखा है, सभापति महोदय? उसमें लिखा हुआ है कि–

"...(i) the Gram Sabha or the Panchayats at the appropriate level shall..." I am using the word 'shall'. "...be consulted before making the aquisition of land in the Scheduled Areas for development projects and before setling or rehabilitating persons affected by such projects in the Scheduled Areas; the actual planning and implementation of the projects in the Scheduled Areas shall be coordinated at the State level;

(j) planning and management of minor water bodies in the Scheduled Areas shall be entrusted to Panchayats at the appropriate level;

(k) the recommendations of the Gram Sabha or the Panchayats at the appropriate level shall be made mandatory prior to grant of prospecting licence or mining lease for minor minerals in the Scheduled Areas;

(l) the prior recommendation of the Gram Sabha or the Panchayats at the appropriate level shall be made mandatory for grant of concession for the exploitation of minor minerals by auction;..."

यह आज की डेट में कानूनन राजस्थान में लागू हो गया है, Whether we like it or dislike it. यदि इस कानून के अन्तर्गत पंचायत का चुना हुआ सरपंच कोर्ट में जाकर बात कहे कि सरकार जो नियम और कानून बना रही है इस एक्ट के खिलाफ है तो कोर्ट को निर्णय करना पड़ेगा कि जो हमने प्रोविजन किया है उस प्रोविजन को लागू कैसे करें। इसलिए, सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हम जो चर्चा कर रहे हैं और पावर की बात की है, वह केवल मात्र शिड्यूल इलेवन की बात की है। हमने यह बात नहीं कही है कि शिड्यूल इलेवन के अलावा कहां यह लिखा हुआ है कि आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के सम्बन्ध में हमें क्या चर्चा करनी है और कैसे अधिकार देने हैं। उसकी चर्चा हमने अभी तक नहीं की है। और इसीलिए, सभापति महोदय, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि न केवल हमारी पार्टी की नेता सोनियाजी ने बल्कि देश के प्रधानमंत्रीजी ने एक सम्मेलन बुलाया और सम्मेलन बुलाने के बाद जो बातें हमारे माननीय मंत्रीजी ने कहीं, मैं उन बातों को दुबारा यहां रिपीट करना चाहता हूं जिससे हम चर्चा की महत्ता को समझ सकें

(श्री सी. पी. जोशी)

कि कैसे इन चीजों के सम्बन्ध में हमें काम करना पड़ेगा। माननीय सभापति महोदय, जो आंकड़े उन्होंने दिये हैं उनके सम्बन्ध में मैं जाना नहीं चाहता, माननीय प्रधानमंत्रीजी ने कहा है कि प्रत्येक ग्रामीण पंचायती राज की वार्षिक आमदनी जो निजी स्रोतों से है, केवल 30 हजार रुपये मिलती है। सभी संस्थाओं का औसत चित्र पेश कर रहा हूं। यह औसत है कि ग्राम पंचायत, मण्डल पंचायत की औसत आमदनी 60 हजार रुपये है। जिला पंचायत की औसत आमदनी 12 लाख रुपये है। इसका मतलब है कि तीनों प्रकार की 2.5 लाख पंचायती राज संस्थाओं की वार्षिक आय केवल सात सौ करोड़ रुपये है। इतनी कम आमदनी में पंचायत क्या करें? राज तो हमने सौंप दिया लेकिन साधन हमने नहीं सौंपे। यह प्रधानमंत्रीजी कह रहे हैं कि हमने राज तो सौंप दिया, हमने साधन नहीं सौंपे हैं।

माननीय सभापति महोदय, हम आज एम्पावरमेंट कर लें, प्रधानमंत्रीजी यह कह दें, इससे समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इस समस्या का समाधान हो सकता है, संविधान के आर्टिकल 269 में यह लिखा हुआ है, कि फाइनेंशल पावर का डिवोल्यूशन कैसे होगा। भारत सरकार जो पैसा इकट्ठा करती है वह स्टेट को जब पैसा देगी उसके लिए क्या फार्मूला है और कैसे फाइनेंशल पावर का डिवोल्यूशन होगी। इसके लिए गाडगिल फार्मूला बना हुआ है। राजस्थान सरकार भी प्रोटेस्ट करती रही है कि गाडगिल फार्मूले से हमें डिसएडवांटेज है। जितना हमारा एरिया है जो हमारी भौगोलिक स्थिति है, डैजर्ट है हमें उसमें पैसा नहीं मिलता। यदि हमारी मंशा ठीक है, यदि हम चाहते हैं कि पंचायती राज आर्थिक विकास की धारा बने, यदि हमारे मन में सामाजिक न्याय की कल्पना है तो संविधान में संशोधन यह करने की आवश्यकता है कि जो आर्टीकल 269 है, जिस 269 से स्टेट को 29 परसेंट टैक्स कलेक्शन का पैसा मिलता है, उस 269 में प्रावधान करना पड़ेगा कि आउट आफ 29 परसेंट कलेक्शन है उसका कितना परसेंट हम पंचायत को डिवोल्व करना चाहते हैं। जब तक हम यह फैसला नहीं करेंगे तब तक हम पंचायत को कितनी बातें कह दें, शिड्यूल इलेवन की बातें कर दें, एम्पावर कर दें लेकिन उनके लिए संसाधनों की व्यवस्था नहीं हो सकती। यह खुद प्रधानमंत्रीजी कह रहे हैं। सात सौ करोड़ रुपये तो मिल रहे हैं उनको टोटल मिलाकर, लेकिन हम संविधान में संशोधन करना नहीं चाहते हैं। संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। संविधान की धारा 269 में लिखना पड़ेगा कि 269 के अन्तर्गत यदि स्टेट को पैसा मिल रहा है गवर्नमेंट आफ इण्डिया के कलेक्शन का 29 परसेंट या आज 23 परसेंट जो भी मिल रहा है, 23 परसेंट का कितना परसेंट, 23 परसेंट का यदि हम हिसाब किताब लगाएं तो जितनी हमारी पापुलेशन है उस 23 परसेंट का

(श्री सी. पी. जोशी)

सब्सटेंशल एमाउंट मिलना चाहिए पंचायत को तब जाकर हम कल्पना कर सकते हैं आर्थिक विकास की।

हमारी एस.सी.एफ.सी. क्या कर रही है? हमारी एस.सी.एफ.सी., राजस्थान में 2.18 परसेंट हम डिवोल्यूशन कर रहे हैं। हम 2.18 परसेंट डिवोल्यूशन करना चाहते हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन का और हम आशा करते हैं कि पंचायतें ये सब काम कर पाएंगी मैं समझता हूं कि पंचायतें काम नहीं कर पाएंगी। इसलिए संसाधनों की आवश्यकताओं को आज पूरा करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट से ज्यादा आवश्यकता इस बात की है कि नेशनल लेवल पर जितनी भी पोलिटिकल पार्टीज हैं वे क़नसेंसर एमर्ज करें। पंचायती राज को मजबूत करना चाहती हैं तो आर्टिकल 269 के अन्दर हमें अमैंडमेंट करना पड़ेगा और जिस तरह से स्टेट को टैक्स कलेक्शन का पैसा मिलता है ठीक उसी प्रकार से टैक्स कलेक्शन का जो पैसा है वह डिवोल्व होना चाहिए पंचायत लेवल पर, तब जाकर पंचायतें मजबूत हो सकेंगी। यह एक ऐसा आवश्यक बिन्दु है जिस पर राजस्थान के हम जितने भी सदस्य हैं, उस पर चर्चा करनी पड़ेगी, मन बनाना पड़ेगा, चाहे किसी भी पार्टी को रिप्रजेंट करते हों। आज भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार है, प्रधानमंत्रीजी हैं, आएं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक और नेता सामने आकर कहें कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को प्रतिपादित करती है कि 269 के अन्दर 23 परसेंट के अन्दर इतना पैसा हम पंचायती राज को डिवोल्व करेंगे। तब हम सही मायने में पंचायती राज को मजबूत करने की हमारी जो कल्पना है उस सपने को साकार कर सकेंगे।

सभापति महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्रीजी ने स्वयं ने माना है, जैसाकि माननीय मंत्रीजी ने कहा, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि जब संविधान का निर्माण हुआ, हमें पंचायतों की ओर जितना ध्यान देना चाहिए था, नहीं दे सके। एक लम्बी कहानी है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। विकेन्द्रीकरण की कल्पना पुरानी है, पंचायत की प्रणाली भी प्राचीन है। पंच को परमेश्वर का दर्जा दिया गया था। निर्भीक होकर अपने क्षेत्र के लोगों की निःस्वार्थ भाव से जो सेवा करता था वह सबका आदर का पात्र होता था। लेकिन संविधान के निर्माण के समय विकेन्द्रीकरण को गांवों तक ले जाने की प्रक्रिया को जितना बल देना चाहिए था, हमने उसका उल्लेख किया था, ढांचा भी तैयार हुआ था लेकिन तस्वीर साफ नहीं थी। जिसका श्रेय जाता है स्वर्गीय श्री राजीव गांधी को। दस साल पहले उन्होंने संविधान में संशोधन किया क्योंकि वे समझ गये इस बात को कि बिना संशोधन किये, पंचायतों के अधिकारों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किये पंचायती राज संस्था को ताकत नहीं मिलेगी, जनता का सही रूप में प्रतिनिधित्व नहीं कर सकेंगे,

(श्री सी. पी. जोशी)

इस संघर्ष में उचित योगदान नहीं दे सकेंगे। इसलिए संविधान में दो संशोधन किये 73वां और 74वां संशोधन। यह एक ऐतिहासिक संशोधन है, यह एक क्रांतिकारी संशोधन है। अब इन संशोधनों में परिवर्तन किये हुए दस साल हो गये हैं। अब समय आ गया है कि दस सालों के अनुभव के प्रकाश में जो विद्यमान स्थिति है उस पर विचार कर लें। यह मैं उद्धृत कर रहा हूं, सभापति महोदय, प्रधानमंत्रीजी के भाषणों को। प्रधानमंत्रीजी जब यह मानते हैं कि दस साल के बाद में हमने पंचायती राज के जो अमैंडमेंट किए हैं उसमें आज आवश्यकता है संशोधन करने की, यह मेरी स्पष्ट मान्यता है, तो सबसे पहले आवश्यकता है 269 में अमैंडमेंट की।

दूसरी आवश्यकता है, यह शिड्यूल सैवन है, संविधान में शिड्यूल सैवन में लिखा है कि कानकरेंट लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट क्या है और सेन्टर लिस्ट क्या है, पर इस संविधान में कहीं भी यह नहीं लिखा हुआ है कि पंचायत की लिस्ट क्या है। पर यदि हमें पंचायत को एम्पावरमेंट करना है तो, सभापति महोदय, शिड्यूल सैवन के अन्दर जिस तरह कानकरेंट लिस्ट लिखी हुई है, स्टेट लिस्ट लिखी हुई है और सेन्टर लिस्ट लिखी हुई है, वहां हमें अमैंडमेंट करना पड़ेगा कि वहां पर पंचायत लिस्ट भी होगी। शिड्यूल इलेवन के अन्दर अमैंडमेंट कर रहे हैं हम, यह अमैंडमेंट इसकी आवश्यकता प्रतिपादित करता है। हम चाहते हैं कि ऐसा हो, लेकिन जब तक संविधान में शिड्यूल सैवन के अन्तर्गत हम चौथा सब्जैक्ट नहीं जोड़ेंगे कि पंचायत के सब्जैक्ट कौनसे हैं तब तक हम पंचायतों को एम्पावरमेंट करने का काम नहीं कर पाएंगे और ओवरलैपिंग होगा। शिड्यूल इलेवन में हमने जो बातें कही हैं, शिड्यूल इलेवन में जो सब्जैक्ट दिए हुए हैं, 29 सब्जैक्ट की बातें हम कर रहे हैं, 29 सब्जैक्ट का काम पंचायतें भी करेंगी, 29 सब्जैक्ट का काम स्टेट गवर्नमेंट भी करेगी, 29 सब्जैक्ट में सेन्ट्रल गवर्नमेंट भी काम करेगी तो हम किसको अकाउंटेबल बनाएंगे? हमें निर्णय करना पड़ेगा कि ये सब्जैक्ट जो पंचायत के हैं, इन पंचायत के सब्जैक्ट पर या तो एक्सक्लूसिव पंचायतें ही काम करेंगी या काम करेंगी स्टेट और पंचायत। इस पर कोई डोमिनेंट स्टेट गवर्नमेंट और सैंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है। जिस तरह से कानकरेंट लिस्ट में कुछ सब्जैक्ट कामन हैं, स्टेट और गवर्नमेंट आफ इण्डिया के हैं, ठीक उसी प्रकार पंचायत और स्टेट के सब्जैक्ट कामन होने चाहिए। लेकिन एक्सक्लूसिवली शिड्यूल सैवन के अन्दर एक नया शिड्यूल जोड़ने की आवश्यकता है कि कैसे हम पंचायत के शिड्यूल के अन्दर जो सब्जैक्ट हैं उन्हें इलेवन शिड्यूल से निकालकर सैवन शिड्यूल जो संविधान में है, उसमें अमैंडमेंट करके जोड़ें।

इसलिए, सभापति महोदय, यदि प्रधानमंत्रीजी की भावना के अनुरूप दस साल बाद हमें यह काम करना है, जिस सम्मेलन में प्रधानमंत्रीजी ने लीडर आफ

(श्री सी. पी. जोशी)

अपोजीशन को भी बुलाया, उसमें उन्होंने भी कुछ बातें कही हैं, उस ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारी नेता सोनियाजी ने, लीडर आफ अपोजीशन हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि— "Strengthening of the Panchayats to place powers in the hands of the people to move from 'rajniti' to 'lokniti' is a national mission." हमने पचास साल तक राजनीति की है। राजनीति की है स्टेट में चुनाव लड़ कर। राजनीति की है दिल्ली में सरकार बना कर। लेकिन हमने लोकनीति नहीं की। गांव का गरीब आदमी उसकी जो समस्या है उन समस्याओं को दूर करने के लिए हमें लोकनीति बनाने की आवश्यकता है। यदि चरनोट की जमीन खाते में नहीं हो सकती, चरनोट की जमीन पर कब्जा नहीं हो सकता है तो हम मूक दर्शक बनकर वहां बैठे रहें और चरनोट की जमीन पर लोग कब्जा करके बैठ जाएं, उनको हटाने के लिए सरकार कुछ नहीं कर सके, प्रभावशाली आदमी वहां हैं तो लोकनीति बनानी पड़ेगी चरनोट की जमीन पर, कि केवल वहां पर पशु चरने के लिए काम हो सकता है। यह काम कौन करेगा? यह राजनीति करेगी या लोकनीति करेगी? हमें फैसला करना पड़ेगा कि लोकनीति में ऐसे कौनसे मुद्दे हैं, यदि प्रोहिबिशन को लागू करना है, कम्पलसरी एजुकेशन करना है, हैल्थ के बारे में बातें करनी हैं तो इसमें कोई राजनीति नहीं हो सकती। इसमें केवल मात्र लोकनीति हो सकती है। गांव में बच्चा पढ़ा-लिखा होना चाहिए, बच्ची पढ़ी-लिखी होनी चाहिए, स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, इसमें कोई राजनीति नहीं हो सकती। यह लोकनीति होती है।

पंचायत को यदि हम इस तरह आइडेंटिफाई करेंगे तब हम कह सकते हैं कि पंचायत को हम लोकनीति के आधार पर मजबूत करने का काम कर सकते हैं। सभापति महोदय, यही नहीं, हमारे नेता ने वहां यह भी कहा—"We need to bring a greater clarity to the roles of the different tiers of the Panchayati Raj system. Different functions should be entrusted to the different tiers." हमारा ओवरलैपिंग है। हमारा पचास साल का हैंगओवर है राजस्थान में, हमारे पंचायती राज के चुने हुए प्रतिनिधि, प्रमुख बैठे हुए हैं। कितने ही आज एम.एल.ए. हैं, कितने मंत्री बने हुए हैं, एक्स प्रमुख रहे हुए हैं, हमारा हैंगओवर है पंचायती राज का। राजस्थान का पुराना सिस्टम है वही पंचायती राज का सिस्टम ठीक सिस्टम है। उसी के आधार पर पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद् के सदस्य कहते हैं कि हमारे पास कोई पावर नहीं है। यह जो पंचायती राज का नया एक्ट बना है इसमें क्लीयर कट दो चीजें एंविसेज की हैं कि एक्जीक्यूट करने की एजेन्सी पंचायत का सरपंच होगा

(श्री सी. पी. जोशी)

और पालिसी बनाने का काम पंचायत करेगी। जिला लेवल का काम है तो जिला परिषद् करेगी। The role of Panchayat Samiti is well defined. The role of Zila Parishad is well defined but unfortunately, क्योंकि चैक काटने का अधिकार सरपंच को है, वह सरपंच ही पहले प्रधान चुनता था, इसलिए प्रधान और पंचायत समिति के सदस्य वही भूमिका निभाना चाहते हैं जो सरपंच निभाता है क्योंकि पहले पंचायत समिति का सदस्य वही सरपंच होता था। वही सरपंच चैक काटता था, वही प्रधान को इलैक्ट करता था। अब पंचायत समिति के सदस्य अलग बन गये हैं क्योंकि यह अमैंडमेंट इसके अन्दर किया गया है जो 73वें अमैंडमेंट का पार्ट है। स्टेट गवर्नमेंट चाहे या न चाहे, 73वें एक्ट के अन्तर्गत जो प्रोविजन है उसी के अन्तर्गत हम थ्री टायर सिस्टम में काम कर सकते हैं। पंचायत समिति का चुनाव कैसे होगा, जिला परिषद् का चुनाव कैसे होगा, उनका इलेक्टरोल कैसे होगा, इसमें हमारा राजस्थान का जो पुराना आर्गेनिक लिंकेज था वह लिंकेज आज एस्टेब्लिश नहीं कर सकते। यह कांस्टीट्यूशन में लिखा हुआ है। हम चाहें तो भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज भी हम पंचायत समिति के सदस्यों को यह बात समझाने में असफल रहे हैं कि पंचायत समिति की भूमिका क्या है।

पंचायत समिति की जो स्टैंडिंग कमेटी है, जिला परिषद् की जो स्टैंडिंग कमेटी है, स्टैंडिंग कमेटी की जो पावर है, जिसको वैल डिफाइन किया गया है, पहले पंचायती राज में इंडिविजुअल व्यक्तियों को पावर थी। प्रधान अपनी मनमर्जी से पैसे बांटता था, प्रमुख अपनी मनमर्जी से पैसे बांटता था। पंचायत में पैसे पापुलेशन के आधार पर गवर्नमेंट आफ इंडिया से आते हैं इसलिए प्रधान की मनमानी नहीं चल सकती। जो पैसा जिसका ड्यू बनता है उतना पंचायत में ट्रांसफर होगा। पंचायत का सरपंच सुपरविजन कर सकता है। पंचायत का प्रधान उनको गाइडेंस दे सकता है, उनके प्रोग्राम को बना सकता है। लेकिन प्रधान यदि पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहे तो नये एक्ट में नहीं कर सकता है। लेकिन प्रधान भी यह करना चाहता है, सदस्य भी यह करना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं कि हमें पावर नहीं दे रखी है। आज दिन तक, सभापति महोदय, जितनी स्टैंडिंग कमेटीज हैं उनकी रैगुलर मीटिंग नहीं होती हैं। स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव होते हैं, जो स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन है उसके पावर हैं, वह चीजों को कर सकता है लेकिन वह पावर निहित चाहता है व्यक्ति के अन्दर। संस्था में नहीं चाहता। यह जो नया पंचायती राज एक्ट है यह संस्थाओं को ताकत देता है। यह चुने हुए प्रतिनिधि का जो हैड है उसको खाली एजीक्यूट करने का पावर देता है। टोटल पावर प्रधान को नहीं है, टोटल पावर प्रमुख

(श्री सी. पी. जोशी)

को नहीं है। जो उसकी एस्टेब्लिशमैंट कमेटी है उसको पावर है। प्रधान एस्टेब्लिशमैंट कमेटी की मीटिंग नहीं बुलाना चाहता है, प्रमुख एस्टेब्लिशमैंट कमेटी की मीटिंग नहीं बुलाना चाहता है, अधिकार देना चाहता है कि मेरे कहने से ट्रांसफर कर दे, मेरे कहने से यह काम कर दे।

यह रोल कंफ्लिक्ट हो गया। इस रोल को क्लीयर करने की आवश्यकता है थ्री टायर सिस्टम में और किया जा सकता है। मैं कहना चाहता हूं, सदस्य इस बात को मानेंगे कि नहीं मानेंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, पचास साल में राजस्थान में हमने 200 एम.एल.एज. चुनकर छह लाख कर्मचारियों की फौज खड़ी कर दी। हमने लोक को मजबूत किया या तंत्र को मजबूत किया? हमने पचास साल में इतने सरकारी अधिकारियों का अमला बना दिया, 200 विधायक बना दिये, छह लाख कर्मचारी खड़े कर दिये। आज पंचायती राज में नब्बे हजार वार्ड पंच चुने हुए हैं, चुने हुए वार्ड पंच चुने हुए आदमियों को काम करने की योजना करना चाहें तो इनको अधिकार नहीं मिलना चाहिए?

ग्राम संभाए हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। कितनी पंचायत के चुने हुए वार्ड पंच और सरपंच मिलकर जो पंचायतें करते हैं उनकी मीटिंग होती थी, घर में बैठकर फैसला कर लेते हैं। खेत पर बैठकर साइन कर लेते थे, कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन ग्राम सभा में उनको अधिकार देकर उनको सशक्त किया जाए तो हम चिन्हित होते हैं कि ग्राम सभा को एम्पावरमैंट हो जाएगा तो बहुत बड़ा अन्याय हो जाएगा। पचास साल तक हमने पी.ई. करवायी है, डी.ई. करवायी है, हमने जांच करवायी है, हमने ए.सी.डी. बनायी है। उसका क्या फैसला होगा? क्या यह आवश्यकता नहीं है कि पचास साल बाद हम सोशल आडिट के कन्सैप्ट को लागू करें? गांव में बैठकर यदि फैसला हो रहा है, एक लाख रुपये में बेईमानी हो रही है, सड़क ठीक से बन रही है नहीं बन रही है, गांव की पंचायत के आदमी फैसला कर लें, निर्णय कर लें, उसके बाद फैसला हो जाए। लेकिन हमारे मन में कल्पना नहीं है, क्योंकि पचास साल में हमारी हालत भी उस जागीरदार की तरह हो गयी जो जागीरदार समझता है कि राज मेरा है और राज कभी आजाद नहीं होगा। पचास साल तक देश आजाद होने के बाद उसके मन में कल्पना थी कि यह गांव की जमीन मेरी है, जमीन के आगे तक का गांव मेरा है। फिर पता लगा कि जमीन चली गयी। तब उसको लगा कि यह मकान मेरा है, तब पता लगा कि मकान का कमरा मेरे पास रह गया है। तब भी कहें कि मैं तो मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि देश आजाद हो गया है।

(श्री सी. पी. जोशी)

पचास साल में लोकतंत्र में गरीब आदमी सत्ता में चुनकर आकर प्रधान बन गया, एम.एल.ए. बन गया, सरकार चला ली, परन्तु हम चुने हुए प्रतिनिधि जागीरदार बन गये हैं कि वार्ड पंच काम नहीं कर सकता, सरपंच काम नहीं कर सकता, ग्राम सभा को अधिकार नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे मन में भी यह कल्पना है कि हमारा अधिकार कम हो जाएगा। पंचायतों के चुने हुए सरपंचों के और एम.एल.ए. के अधिकार में क्या रोल कंफ्लिक्ट है? रोल कंफ्लिक्ट यह है कि हम पंचायत में चुने हुए जो हमारे सरपंच हैं, वार्ड पंच हैं उनका एम्पावरमैंट होते हुए नहीं देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि उसकी डिपेंडेंसी हमारे पास रहे। वोट देने के लिए जाएं तो हम एक-एक आदमी के हाथ जोड़ें, लेकिन जीतने के बाद हम चाहते हैं कि वो आदमी हमारे पास मिले क्योंकि हम राजा बन गये हैं, वह हमारी प्रजा है। वह डी.ई. करवाएंगे, पी.ई. करवाएंगे, इंसपैक्टर भेजेंगे, जांच करवाएंगे। यह पचास साल में बहुत करवा ली, बहुत कागज इकट्ठे कर लिये। आज आवश्यकता है सोशल आडिट की, आवश्यकता है इस बात की कि आप एक स्थान पर बैठ कर उस निर्णय का काम पूरा करें और काम करवाएं। इसलिए, सभापति महोदय, मेरा फर्म कंविक्शन है कि नब्बे हजार वार्ड पंच को यदि हमें एम्पावर करना है तो हमें काम बांटना पड़ेगा कि वार्ड सभा का काम क्या है।

वार्ड सभा का काम केवल मात्र होना चाहिए व्यक्तिगत योजना में चयन करने का अधिकार। हमने पांच साल पहले बी.पी.एल. फैमिली का चयन किया राजस्थान में। बी.पी.एल. फैमिली में हमने एन्डोर्समैंट कराया ग्राम सभा से। आज राजस्थान में ग्राम सभाओं के एन्डोंसमैंट के बाद बी.पी.एल. फैमिली में क्या हालत है? गरीब आदमी बैठा हुआ है, सामर्थ्यवान आदमी का बी.पी.एल. फैमिली में नाम हो गया। नियम ऐसे बन गये हैं कि आप एक नये आदमी को जोड़ नहीं सकते। गरीब आदमी दर्शक बनकर बैठा हुआ है। मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष में उस गरीब आदमी को मदद इसलिए नहीं मिल सकती है कि बी.पी.एल. फैमिली में उसका नाम नहीं है और बी.पी.एल. फैमिली में प्रभावशाली आदमियों ने अपना नाम जुड़वा लिया।

अब यह काम कौन करेगा? पंचायत करेगी, आठ किलोमीटर में फैली हुई पंचायत। मोहन लाल वार्ड-8 में रहता है, 9 में रहता है, 10 में रहता है, मोहन लाल का नाम लिखा हुआ है, बाद में एन्डोर्स कर दिया। लेकिन यह वार्ड में हम फैसला करवाएं कि मोहन लाल कौन है तो वार्ड पांच में पचास गज में जो वार्ड बना हुआ है, नगर पंचायत है वह पहचान सकता है कि मोहन लाल किस जाति का है कैसे कमजोर है। इस वार्ड सभा के काम से इंडिवीजुअल बैनिफिट करने की जितनी स्कीम चाहे वृद्धावस्था पेंशन की बात हो,

(श्री सी. पी. जोशी)

चाहे विकलांग पेंशन की बात हो, चाहे इन्दिरा आवास का काम हो, यह चयन परफैक्ट और ईमानदारी से किया जा सकता है। वार्ड सभा में इस अधिकार को हम नहीं देना चाहते। हम कहते हैं वार्ड सभा नहीं होगी, ग्राम सभा होगी। आठ किलोमीटर से आदमी चलकर आएगा, पंचायत मुख्यालय का आदमी इकट्ठा हो जाएगा, वहां बैठकर मोहन लाल के नाम से, दूसरे मोहन लाल का नाम लिखा हुआ है, मकान इन्दिरा आवास में उसको मिला हुआ है। वृद्धावस्था पेंशन किसी को मिली है, कौन इसकी जांच करेगा? सोशल आडिट करने के लिए वार्ड को यूनिट मानना जरूरी है जिससे हम पहचान कर सकें कि व्यक्तिगत आदमी के जिसका नाम लिखा है वह सही है। लेकिन वार्ड का काम करने का काम हम ग्राम सभा को देना चाहते हैं, ग्राम सभा का काम वार्ड को देना चाहते हैं। यदि पंचायत में काम करना है, रोड बनानी है, दो किलोमीटर का काम करना है, एक किलोमीटर का काम करना है, एक लाख की सड़क बनानी है, यह काम पंचायत को दिया जा सकता है। यह काम वार्ड सभा को नहीं दिया जाना चाहिए, यह काम पंचायत को दिया जाना चाहिए। एनीकट बनाना है, पांच लाख का काम है यह काम पंचायत को नहीं मिलना चाहिए, यह काम पंचायत समिति को मिलना चाहिए। यदि हमें पुलिया बनानी है दो पंचायत समितियों को जोड़ना है, तो यह काम जिला परिषद् को मिलना चाहिए। लेकिन हमारी व्यवस्था है, हमारा ग्राम सेवक एक लिस्ट लेकर जाएगा, वार्ड सभा में एक लिस्ट पढ़ेगा पच्चीस तीस काम का, प्रस्ताव दीजिये, आप एक लाख के प्रस्ताव दीजिए, पांच लाख के प्रस्ताव दीजिए, वे नाराज, नहीं करना चाहते हैं। जबकि हम कहते हैं कि पूरी पंचायत में एक साल में केवल मात्र दो लाख रुपये आते हैं तो फैसला करना पड़ेगा कि कौनसे वार्ड में काम करना है, कौनसे वार्ड में काम नहीं करना है। मैं जब मंत्री बना तो राजस्थान के एक पंचायत के दो-दो गांवों में दो-दो वार्डों में काम ही नहीं हो रहा था और चार वार्ड में काम हुए जा रहा था। दो वार्ड के आदमी, गरीब आदमी बोल नहीं सकते, उनका काम नहीं हो सकता। इसका फैसला कौन करेगा? हमने निर्णय किया जब तक किसी वार्ड में एक काम नहीं होगा जब तक दूसरे वार्ड में काम नहीं कर सकते। वार्ड सभा को मानना नहीं चाहते, विकेन्द्रीकरण करना चाहते हैं। विकेन्द्रीकरण भी, मतलब पावर किसको देना चाहते हैं? पावर हम व्यक्ति को देना चाहते हैं एम.एल.ए. को, पावर देना चाहते हैं सरपंच को, पावर देना चाहते हैं प्रमुख को। दौ सो एम.एल.ए. के साथ में 237 प्रधान जुड़ जाएंगे, 200 प्रधान के साथ 32 जिला प्रमुख और जुड़ जाएंगे तो पचास साल बाद हम दौ सो एम.एल.ए. के बाद में 237 प्रधान

(श्री सी. पी. जोशी)

और पचास साल बाद हम पावर 200 की जगह 400 आदमियों को, पांच सौ आदमियों को देना चाहते हैं। पचास साल बाद वे टोलरेट नहीं करेंगे, पचास साल बाद पावर देनी पड़ेगी एक लाख चुने हुए वार्ड पंच सरपंच को मिलाकर। उस पावर को भी अंकुश लगाने के लिए राजस्थान की जनता जितनी है वार्ड सभा में और रहने वाले जितनी गांव की जनसंख्या है, चार करोड़ की जनसंख्या है उनको ग्राम सभा में, वार्ड सभा में अधिकार देना पड़ेगा।

(15.20 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

यह अधिकार नीचे से देना पड़ेगा। हांथी के ऊपर भी अंकुश लगाना पड़ता है। अंकुश लगता है तो हाथी ठीक ढंग से चलता है। ये वार्ड सभाएं और ग्राम सभाएं चुने हुए प्रतिनिधि को अकाउंटेबल रखें पूछे कि पिछली बार पैसा मिला उसका ठीक ढंग से उपयोग हुआ कि नहीं हुआ। उसकी जांच करने का, उसकी क्वालिटी मैनेजमेंट करने का काम कोई कर सकती है तो ग्राम सभा कर सकती है, वार्ड सभा कर सकती है। इसलिए हम पंचायती राज में पावर को डिवोल्यूशन करने का मतलब प्रधान को पावर देने, प्रमुख को पावर देने तक रखना चाहते हैं, तो यह पचास साल बाद हमारी विकेन्द्रीकरण की कल्पना को साकार नहीं करेगा, और आगे बढ़ने की आवश्यकता है। चाहे हम पंसद करें या न करें लेकिन हमें इसको पसन्द करना पड़ेगा, संविधान की यह व्यवस्थां लिखी हुई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय इसलिये नहीं लेना चाहता हूं कि यहां बैठे हुए बहुत से सदस्य भी अपनी बात कहेंगे। लेकिन मेरा फर्म कंविक्शन है कि जब तक ये कांस्टीट्यूशनल अमैंडमेंट जो डिजायरेबल हैं, जो बेसिक इश्यूज को एड्रेस करते हैं, जो 269 डिवोल्यूशन में फाइनेंशल पावर से लिंक्ड है, जो शिड्यूल सेवंथ के अन्दर स्टेट सब्जैक्ट और कानकरेंट सब्जैक्ट और गवर्नमेंट आफ इंडिया के सब्जैक्ट के साथ पंचायत के सब्जैक्ट भी जोड़ना है, यह आधारभूत परिवर्तन हमने नहीं किया तो न्याय नहीं कर पाएंगे।

अन्त में मैं एक बात और कहना चाहता हूं। एक अवसर मिला है हमें, पचास साल बाद हमारी एस्टेब्लिशमैंट कास्ट बढ़ गयी है, हमारे पास आज स्थिति बनी हुई है कि हमारे प्लान की साइज, हमारे टैंथ प्लान के पैसे में नाइंटी परसेंट कमिटेड लाइबिलिटी है। हम चुने हुए सरपंच या मंत्री बन जाएं, एम.एल.ए. बन जाएं, हमारे पास पैसा नहीं है, कमिटेड लाइबिलिटीज हैं। हम क्या करना चाहते हैं, यदि हमें आज आवश्यकता इस बात की है, पंचायत का यह जो 73वां अमैंडमेंट है, इसने हमको नयी दिशा दी है। गवर्नमेंट आफ इंडिया में काम करने वाला आदमी है उसकी सर्विस कंडीशन अलग है। स्टेट गवर्नमेंट में काम करने वाला आदमी

(श्री सी. पी. जोशी)

है उसकी सर्विस कंडीशन अलग है। आजादी के बाद 20–25 साल तक स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट आफ इंडिया में काम करने वाले आदमियों की सर्विस कंडीशन अलग थीं। कालान्तर में स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लाई की पावर बढ़ गयी है, ये ज्यादा ताकतवर हो गये या पोलिटिशियंस को मूव करना था। हमने वही सुविधाएं गवर्नमेंट आफ इंडिया के एप्लाई की स्टेट गवर्नमेंट को देने का शुरू किया और आज हम स्टेट में फंस गये हैं। अब जमाना आ गया है कि पंचायती राज के सर्विस कैडर के सम्बन्ध में हम कल्पना करें। जब मैं पंचायती राज के सर्विस कैडर की कल्पना करता हूं तो मेरे मन में बहुत कल्पनाएं हैं कि अब एक्सक्लूसिव सर्विस का जमाना गया। एक पटवारी दिन भर में दो आदमी की खातेदारी करे, 15,000 रुपये ले और पटवारी घूमता रहे, यह संभव नहीं है। एक्सक्लूसिव सर्विस का जमाना चला गया, अब इनक्लूसिव सर्विस करनी पड़ेगी। इनक्लूसिव सर्विस का मतलब हमें पंचायत में ढूंढ़ना पड़ेगा कि किस तरह की सर्विस की आवश्यकता है। आज हर पंचायत में पीने के पानी की व्यवस्था के लिये हैण्ड पम्प की व्यवस्था है। हर गांव में बिजली की व्यवस्था है। आज हमें आवश्यकता है कि पंचायत के पास में एक ट्रेंड आदमी जो ट्रेड सर्टिफिकेट रखता हो, तो हैण्ड पम्प को ठीक कर सकता हो, जो पानी की स्कीम को ठीक कर सकता हो, जो जे. जे. वाई. की योजना को चला सकता हो, जो मोटर बाइंडिंग, इलैक्ट्रिसिटी के काम कर सकता हों, इस काम को जानने वाले एक से दो आदमी हो, ये पंचायत के पास होने चाहिये। ठीक उसी प्रकार सोशल सैक्टर और एजुकेशन में यदि आज पंचायत के देहात में पहली, दूसरी और तीसरी क्लास पढ़ाने का काम करना है तो 12 वीं पास बच्चा पढ़ाएगा। बी.ए., बी.एड. करके हमारे पास पटवारी बनकर आये हैं, आज आवश्यकता इस बात की है कि सुबह उसे 10 बजे एक क्लास रूम में जाकर पहली क्लास के बच्चे को पढ़ाना पड़ेगा। गिनती सिखानी पड़ेगी, अ पढ़ाना पड़ेगा। एक मिनट के बाद पटवारी का काम करे, चार आदमी का खातेदारी का काम हो, करना पड़ेगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब तो आई.टी. का युग आ गया। आई.टी. के युग में इसमें लिखा हुआ है, यह भी डिस्कस किया गया, कि इकोनोमिक रिफार्म्स के साथ पंचायती राज के रिफार्म्स की चर्चा करने की आवश्यकता है। इकोनोमिक रिफार्म्स इस बात को इंगित करते हैं कि आने वाले समय में आई.टी. जो है वह एक्सेसेबिलिटी को बढ़ाएगा। आई.टी. एक्सेसेबिलिटी को बढ़ाएगा तो एक जयपुर में बैठा हुआ आदमी यदि वीडियो कैमरा हमारे पास है, पी.सी. हमारे पास है तो उसकी रजिस्ट्री करने के, उसके खाते करने के काम को वहां पर बैठकर करवा सकते हैं, कोई पटवारी की

(श्री सी. पी. जोशी)

आवश्यकता नहीं है। आई.टी. इस डिस्टेंस को कम करेगा, आई.टी. स्पेस को रिड्यूस करेगा। पंचायत में हम एक्सेसेबिलिटी जितनी ज्यादा देंगे उतनी एक्सेसेबिलिटी से हम गांव में बैठने वाले आदमी की हर सूचना को यहां कलैक्ट कर सकते हैं। इस सूचना को हम दिल्ली में कलैक्ट कर सकते हैं। यह आई.टी. की स्टेज भी कहीं न कहीं पंचायत में जाकर आएगी, कोई रोक नहीं सकता। हमने इसमें प्रयोग किये हैं। दुनिया में प्रयोग हुए हैं। रूरल सैक्टर में कनैक्टिविटी का काम चल रहा है। बड़े जोर-शोर से काम चल रहा है। राजस्थान में भी चल रहा है, तमिलनाडु में भी चल रहा है, आंध्र प्रदेश में भी चल रहा है। रूरल कनैक्टिविटी बढ़ेगी उस कनैक्टिवटी से गांव के, दो आदमी खड़े होकर रजिस्ट्री कर रहे हैं तो वैसा का वैसा रजिस्ट्री पर उसका फोटो जयपुर में बैठकर हमको ट्रांसफर कर सकते हैं। यह आई.टी. में क्रांति हो गयी है। जब आई.टी. में क्रांति हो गयी है, यह स्पेस रिडयूस होगी फिर भी हम एक्सक्लूसिव पटवारी की कल्पना करें, फिर भी हम एक्सक्लूसिव दूसरे आदमी की कल्पना करें तो स्टेट इस बर्डर को सहन नहीं कर पाएगा। इसलिये आवश्यकता है कि पंचायत में दो आदमी ऐसे हों जो सोशल सैक्टर में काम कर करें। सभी बच्चों को पढ़ाने का काम कर सकें, बूढ़े आदमियों की हैल्थ के सम्बन्ध में काम कर सकें, उनको अस्पताल में पहुंचाने का काम कर सकें। आज आवश्यकता इस बात की है कि एक पंचायत में जो डिस्पेंसरी है उसको भी हम यदि टेली मेडिसिन से लिंक कर दें तो बैस्ट फैसिलिटी अवेलेबल करा सकते हैं डिस्ट्रिक्ट से और बैस्ट फैसिलिटी अवेलेबल करा सकते हैं जयपुर से। तो हमें आवश्यकता किस बात की है? डाक्टर की आवश्यकता है, या एक ऐसे आदमी की आवश्यकता है, डिस्पेंसरी की आवश्यकता है, या एक ऐसे आदमी की आवश्यकता है जो उन आदमियों को अटेंड कर सके और आई.टी. के आधार पर उनकी सूचनाओं को ट्रांसफर कर सके? ज्यादा सोशल सर्विसेज वह आदमी इकट्ठा कर सकेगा। यह पंचायत में स्कोप है, स्पेस है जो रहेगी, हम चाहें या नहीं चाहें दुनिया बदल रही है। जितनी तेज गति से हम बदल सके हैं उतनी तेज गति से बदल कर यह 73वें अमैंडमेंट को हमने आत्मसात् किया है तो हमारा फाइनेंशल बर्डन भी कम होगा, हम एम्पावर भी कर पाएंगे और राजस्थान को आगे बढ़ा पाएंगे, ऐसी हमारे मन में कल्पना है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं विश्वास करता हूं कि हमारे जितने भी माननीय सदस्य अपने विचार रखेंगे, इन भावनाओं से विचार रखेंगे कि इस परिवर्तन के युग में, नयी सदी में कैसे पंचायती राज को हम एम्पावर करके, लोगों के सुख-दुख में भागीदार बनें, जो राजीवजी के मन में कल्पना थी कि लोगों को हम ताकत दें, लोक को मजबूत करें। तंत्र को मजबूत करते पचास साल हो गये।

(श्री सी. पी. जोशी)

एक बार हमने लोक को मजबूत कर दिया, जागरूक कर दिया तो अपने आप स्थितियां बदलेंगी। देश मजबूत होगा और लोक मजबूत करेगा, इसकी पूरी सम्भावना है। मुझे विश्वास है कि आप सब लोग मिलकर इस नये भविष्य को बनाने में अपना सहयोग देंगे, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा-सा और स्पष्ट कर दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री शिवनाथ सिंह : एक सैकण्ड...

श्री उपाध्यक्ष : यह क्या कर रहे हैं? ये तो विचार हैं। यह क्वेश्चन-आंसर सैशन नहीं है, ये तो अपने अपने विचार हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : यह जो डाकूमेंट हमको दिया गया है, जो भाव आपने व्यक्त किये हैं, इस डाकूमेंट को स्वीकार कर लें तो उसमें पुण्य हो जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल लेना। माननीय सदस्य, आप बोल लेना। आपको अवसर दे देंगे। श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी सदन के अन्दर पंचायती राज मंत्रीजी का सारहीन और नीरस भाषण तथा पूर्व पंचायत मंत्री महोदय का सारगर्भित भाषण एक ऐसे विषय पर सुनने को मिला जिस विषय का सीधा सम्बन्ध राजस्थान के 41,000 गांवों और 183 नगरीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के साथ है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शक नहीं कि जनतांत्रिक पद्धति से चुनी हुई कोई भी लोक कल्याणकारी सरकार हो, उस सरकार का मन्तव्य गांवों और शहरों में रहने वाले लोगों को बुनियादी संरचना देने का होता है और विकास की परिकल्पना हर सरकार सोचती है। परन्तु इस विकास और आधारभूत संरचनाओं को पूरा करने का दायित्व जिन संस्थाओं के पास है अगर वे संस्थाएं शक्तिहीन रहेंगी तो वे ये सारी कल्पनाएं पूरी नहीं की जा सकतीं। भारत सरकार के निर्देश पर, प्रभारी मंत्रीजी, आप पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिकाओं के सशक्तीकरण के लिये प्रस्ताव सदन के सम्मुख लेकर आये हैं, निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। परन्तु अगर इसमें व्यावहारिक पहल को नजरअंदाज किया और उसके पीछे नीति और नीयत खोटी रखी तो जैसे आज से पहले कितने कमीशन बैठे हैं, कितनी कमेटीज बनीं, साजिद अली कमेटी से लेकर अशोक मेहता कमेटी तक आपने जिक्र किया, उन कमेटीज की रिकमंडेशंस का जो हश्र हुआ वही हश्र इसके साथ होगा।

अभी आपने बहुत बड़ी गांधीजी के ग्राम स्वराज की बात कही। पंचायती राज संस्थान और स्वशासन की बात कही। उपाध्यक्ष

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

महोदय, अगर पंचायती राज संस्थानों को, स्थानीय निकायों को पंगु करने का किसी ने काम किया है आजादी के 55 वर्ष में तो वह कांग्रेस में बैठे इन लोगों ने किया है। उपाध्यक्ष महोदय, आप तो साक्षी रहे हैं, इनका शासन था, 13–13 वर्ष तक चुनाव नहीं। और यही नहीं, आज की तारीख में भी जब 73वें संशोधन की मूल भावना यह है कि पंचायती राज संस्थाओं में बैठे प्रतिनिधियों का निलम्बन करने के अधिकार पर भी सरकार को पुनर्विचार करना चाहिये, कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन पंचायत राज मंत्रीजी की कलम का शिकार बेवजह से, बिना किसी कारण से कोई न कोई सरपंच नहीं हो। कितने हजारों लोग अदालतों में चले गये, अदालत ने आपके फैसलों को पलट दिया।

मैं निवेदन करना चाहता हूं मंत्रीजी, अचानक आपके मन में यह पंचायत राज के सुदृढ़ीकरण की बात कहां से आयी? क्या आप भूल गये कि आपने जिस घोषणा पत्र के आधार पर चुनाव लड़ा था, जिसको आपके मुख्य मंत्री कभी बाइवल, कभी गीता कहते हैं, उसके अन्दर आपने आज से चार साल पहले जो बात कही वह बात इस नीयत से कही कि जिस दिन कुर्सी पर बैठेंगे उसी दिन पंचायती राज संस्थानों का सुदृढ़ीकरण कर देंगे, आर्थिक स्वावलम्बन कर देंगे, प्रशासनिक तौर पर उन्हें सुदृढ़ कर देंगे? आपने कहा, कांग्रेस के मात्र 1990 तक के शासनकाल में पंचायती राज संस्थाओं को सत्ता हस्तान्तरित करने के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण निर्णय लिये गये थे। मतलब 1990 से पहले तो आपने बड़े वारे–न्यारे कर दिये थे। 13–13 साल चुनाव नहीं कराओ, परन्तु भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में उन सभी निर्णयों को बदलकर इन संस्थानों को पंगु बना दिया। निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के अधिकार नौकरशाहों को सौंप दिये। कांग्रेस अपनी पुरानी मान्यताओं को और आस्थाओं को दोहराते हुए घोषणा करती है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर पंचायती राज संस्थानों को पुराने अधिकार वापस दिलाये जाएंगे। इन संस्थाओं को और ज्यादा प्रशासनिक, वित्तीय अधिकार देकर मजबूत बनाया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 40 और 73वें संशोधन की भावना के अनुरूप पंचायती राज संस्थानों को प्रशासनिक शक्ति व आर्थिक संसाधन उपलब्ध करा कर सुदृढ़ किया जाएगा। संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में वर्णित 29 विषय, सभी विषयों की सभी योजनाएं पंचायती राज संस्थानों को सौंप देंगे। डी.आर.डी.ए. का पूरा प्रबंध जिला परिषद को सौंप देंगे। और तो और, मंत्री महोदय, आपने तो यहां तक कह दिया कि सरकार अपने राजस्व का 15 प्रतिशत राशि गांवों के विकास पर खर्च करेगी। उपाध्यक्ष महोदय, चार वर्ष बाद इनके मन में जो विचार आया है उसके पीछे चाहे यह कितनी बात करें, चाहे गुवाहाटी में मुख्य मंत्री सम्मेलन की बात करें, चाहे प्रतिपक्ष की नेता सोनियां गांधी की दुहाई दें, परन्तु उसके पीछे असलियत दूसरी है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उपाध्यक्ष महोदय, 11 जुलाई, 2001 को देहली में पंचायत राज मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ जिसमें हमारे विद्वान पूर्व पंचायत मंत्री जी भी उपस्थित हुए थे। उसके अन्दर सरकार ने यह साफ कह दिया कि...

श्री राजेन्द्र पारीक : दूसरा कागज हाथ में आ गया आपके।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, नहीं, दूसरा कागज हाथ में नहीं आया। 73वें संशोधन की मूल भावना के अनुरूप...

श्री राजेन्द्र पारीक : आपके हैडमास्टर साहब तो दिल्ली चले गये, अब कागज उलट-पुलट हो गये। पूरी फाइल लेकर आया करो आप लोग, करो व्यवस्था।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी : आपके पूर्व नेता के जैसे खाली कागज तो नहीं है? कोरा कागज तो नहीं है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : भरा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि 11 जुलाई, 2001 को जो सम्मेलन केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने बुलाया और उसमें सी. पी. जोशी जी गये थे, उसमें उनको यह साफ कह किया कि 73वें संविधान संशोधन की मंशा के अनुरूप 11 शिड्यूल के अनुरूप 29 विषय हैं वे प्रशासनिक और आर्थिक रूप से पंचायती राज संस्थाओं को सौंप दिये जाएं। उसमें कट आफ डेट दे दी 31 मार्च, 2002 और साथ ही यह भी कह दिया कि अगर आपने 31 मार्च, 2002 तक पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए संविधान संशोधन के अनुरूप जो इच्छा है उसके अनुसार नहीं सौंपा तो आप तैयार हो जाएं, आपकी ग्रांट इन एड काट ली जाएगी। मंत्री जी, यह सही है कि नहीं, यह आप बता दें।

श्री शांति कुमार धारीवाल : आपकी जानकारी अधूरी है। न तो आपको इस बात की जानकारी है कि सन् 1992 में जब संविधान में संशोधन किया गया था उसके दो वर्ष बाद आपने पंचायत एक्ट में अमैंडमेंट किया...(व्यवधान) आप मेरी भी सुनिए, मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूं। दो वर्ष बाद आपने चुनाव कराये। उसके बाद चुनाव हमने भी करवाये और टाइम के अन्दर-अन्दर करवाये। आप कांग्रेस शासित एक भी राज्य देश में बता दें जिसने चुनाव को स्थगित कर दिया। गुजरात में आपने चुनाव क्यों स्थगित किये? एक तरफ वहां पर आप आम चुनाव करवाना चाहते हैं दूसरी तरफ नगरपालिकाओं के चुनाव जो फरवरी में होने चाहिए थे...(व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : जैसे 13-13 साल आपने चुनाव नहीं करवाये...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 13-13 साल। (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : 13 साल की पुरानी बात हो गयी...(व्यवधान) उसके बाद संविधान में संशोधन हो गया... (व्यवधान) और संशोधन होने के बाद में यह पांबदी लगा दी गयी। आप पुरानी बातों को लेकर बैठे रहेंगे।

श्री देवीसिंह भाटी : कोई पुरानी बात नहीं है। जिसने 13 साल तक पंचायतों के चुनाव नहीं कराये...(व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : बात खतम हो गयी। (व्यवधान)

श्री देवीसिंह भाटी : क्या खतम हो गयी? (व्यवधान)

श्री शांति कुमार धारीवाल : एक बात और करैक्ट करना चाहता हूं...(व्यवधान) कि पहले तारीख 31 मार्च दी गयी थी... (व्यवधान) इसके बाद 31 दिसम्बर, 2002 कर दी गयी। इस हिसाब से हम बहुत आगे चल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : इस तरह से जोर-जोर से बोल कर अपनी व्यथा... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें। बिराजें माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, नाराजगी मंत्री महोदय को इस बात की है, यह सदन को बताना चाहते हैं, खुद की पीठ थपथपाना चाहते हैं कि यही सुदृढ़ीकरण की बात कह रहे हैं। दिल्ली से आपको निर्देश मिले कि ग्रांट-इन-एड कट जाएगी।

श्री शांति कुमार धारीवाल : 6 अप्रैल को आपके प्रधानमंत्रीजी कह चुके थे कि अगर सारा श्रेय किसी को जाता है तो स्वर्गीय राजीव गांधी को जाता है। उस बात को आप नकार दें। और उन्होंने यह भी कहा कि आज जो ढांचा दिखता है वह सारा का सारा श्रेय अगर किसी व्यक्ति को जाता है तो वह स्वर्गीय राजीव गांधी की देन है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि 1998...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : पैट्रोल पम्पों के ढांचों को जितना सुदृढ़ आप लोगों ने किया है, यह सारा का सारा श्रेय आपको भी जाता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1998 के इस घोषणा-पत्र में इन्होंने जो बातें अंकित कीं, मंत्री जी, चार साल बाद आपको होश क्यों आया? वह होश तब आया जब केन्द्र सरकार ने इनको कह दिया कि या तो आप कट आफ डेट से पहले 11वें शिड्यूल के सारे के सारे अधिकार सौंप दें वरना आपकी ग्रांट-इन-एड कटेगी। यही नहीं, 11वां वित्त आयोग बना 2000-2005 के लिए जिसमें 490 करोड़ रुपये अनटाइड फंड के...

श्री शान्ति कुमार धारीवाल : आपको इस बात की भी जानकारी है कि 11 जुलाई, 2001 को जो सम्मेलन आयोजित किया गया था यह किसकी मांग पर किया गया था?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह आपकी मांग नहीं थी।

श्री शांति कुमार धारीवाल : यह कांग्रेस के प्रदेशों की सरकारों के पंचायती राज मंत्रियों की मांग पर आयोजन किया गया था। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजें।

श्री हरिसिंह (महुवा) : माननीय सदस्य, यह ग्रांट-इन-एड कटने वाले जो निर्देश दिए, ये सिर्फ राजस्थान को दिये या पूरे हिन्दुस्तान में आपकी सरकारों को भी दिए थे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या है?

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह जो आप कह रहे हैं कि ग्रांट-इन-एड कटने की कट ऑफ डेट दे दी, ये राजस्थान को ही दिये थे या एन.डी.ए. की सरकारों को भी दिये थे?

श्री सी. पी. जोशी : राठौड़ साहब, These are recommendations. These are not directions. आप कंफर्म कर लें। These are recommendations. These are not directions. डायरेक्शन नहीं हैं, यह रिकमंडेशन है। डायरेक्शन नहीं हैं, यह रिकमंडेशन है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसके अन्दर, माननीय डा. साहब, यह नहीं कहा गया कि कट आफ डेट तक आपने नहीं लागू किया तो आपकी ग्रांट-इन-एड काट ली जाएगी।

श्री सी. पी. जोशी : Not at all. These are the recommendations. These are not directions. Please be clear about this.

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं आपको पढ़कर सुना दूंगा।

श्री सी. पी. जोशी : ये डायरेक्शंस नहीं हैं, आप कंफर्म कर लें।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह धमकी सिर्फ राजस्थान को ही थी या जितने और स्टेट्स हैं उनको भी थी?

श्री सी. पी. जोशी : मैंने वह सम्मेलन स्वयं ने अटैंड किया है, यह रिकमंडेशन है हर स्टेट को। These are not the directions of the Govt. of India.

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, हमने पहले ही कहा था कि आप हमारी बात सुनने के बाद अपने तर्क से उसको समझाएं तो ज्यादा ठीक रहेगा। इस तरह से डिबेट करने का आप अभ्यास रखेंगे तो मैं सोचता हूं कि हमारी व्यवस्था को चलने में तकलीफ होगी।

श्री उपाध्यक्ष : उनको बोलने दें, आपको जवाब देने का मौका मिलेगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर आपकी कोई बात है तो नोट कर लें। जब आपका मौका आएगा तो आप अपने विषय को तर्क से कह दें। तभी बात समझ में आएगी।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है।

श्री देवीसिंह भाटी : तर्क है ही नहीं इनके पास में।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, जो पुस्तिका पंचायती राज विभाग ने दी है उसके पृष्ठ 30 पर है नई दिल्ली में 11 जुलाई, 2001 को आयोजित पंचायती राज मंत्रियों के सम्मेलन में लिये गये निर्णय, उसमें लिखा है कि 73वें संशोधन में 11वीं सूची में वर्णित विषय मय वित्तीय, प्रशासनिक अधिकारों के पंचायती राज संस्थाओं को 31 मार्च, 2002 तक सौंप दें। इसमें यह भी लिखा है कि जिला आयोजना समितियों का गठन वर्ष 2001 के अन्त तक कर दिया जाए। जिस ग्राम सभा की बात आप बार-बार करते हैं, वे भी डायरेक्शंस इसी में थे कि ग्राम सभाओं को सशक्त बनाने के लिए ग्राम सभाओं की कम से कम 4 बैठकें हर वर्ष की जाएं। ये सारी बातें हैं। इसके अलावा जो 11वां वित्त आयोग है 2000-2005, पांच वर्ष की अवधि के लिए, जिसमें 490 करोड़ रुपए ग्राम पंचायतों को निर्बन्ध राशि के रूप में आबंटित करने का निर्णय हुआ था, उसमें यह साफ लिखा था कि राज्य सरकारें सुनिश्चित करें कि 11वीं अनुसूची में वर्णित कर्तव्य, शक्तियां और संशोधन तथा अनुसूचित क्षेत्र में अतिरिक्त कर्तव्य और शक्तियां 31.3.2002 तक पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित कर दी जाएं। वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार कर्तव्य, शक्तियां और संस्थाओं को हस्तान्तरित नहीं करें, उपाध्यक्ष महोदय, जरा मुलाहिजा फरमाएं, उन राज्यों की पंचायती राज़ संस्थाओं को देय अनुदान में भारत सरकार द्वारा 25 प्रतिशत कटौती कर ली जाएगी। ये वे कारण हैं। इसके साथ-साथ जो केन्द्रीय टास्क फार्स बनी थी 16.7.2000 को, अगस्त, 2001 में जिसने रिपोर्ट दी, उसने अपनी रिकमंडेशन में जिला पंचायत, खण्ड पंचायत, व ग्राम पंचायत स्तर पर 29 विषयों से जुड़े हुए विभिन्न गतिविधियों के स्टाफ मय प्रशासनिक शक्तियों, फंड्स मय वित्तीय अधिकारों के हस्तान्तरित करने की सिफारिश की, डी.आर.डी.ए. के जिला परिषद् में विलीनीकरण की सिफारिश की। इन सारी सिफारिशों से जब यह लगा कि ग्रांट-इन-एड कटेगी तो मंत्री जी को लगा कि अब कोई न कोई ऐसा काम करें ताकि वाहवाही हो जाए और उधर सोनिया जी खुश हो जाएं। तब यह आनन-फानन के अन्दर लाया गया है।

मंत्री जी, मैं पूछना चाहता हूं कि आप जिस 11 जुलाई की बैठक की बात कर रहे हैं, उसकी रिकमंडेशन में क्या यह नहीं है कि पंचायती राज प्रतिनिधियों के निलम्बन, बरखास्त करने के अधिकारों में राज्य सरकार संशोधन करे, क्योंकि यह 73वें संविधान संशोधन की मूल भावना के विपरीत है? आप जो प्रस्ताव लेकर आये हैं इसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा है। उपाध्यक्ष महोदय, 5-6 अप्रैल, 2002 के जिस पंचायत राज अध्यक्षों के सम्मेलन

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

का जिक्र इन्होंने किया, जिसमें 15 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की गयी उसके अन्दर फिर इन सारी बातों को बताया गया। उसमें फिर तिथियां दी गयी। उसमें कहा गया कि 31.12.2001 तक जिला आयोजना समितियों का गठन हो जाए। प्रत्येक ग्राम पंचायत की चार ग्राम सभा हों, ग्राम सोशल आडिट हो, ये सारी की सारी बातें हैं। यह कहा है कि 31.12.2002 तक अनुसूची में वर्णित सभी विषय पंचायत राज संस्थाओं को सौंप दें। और यह भी कहा है कि राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों को लागू करें। इन सब चीजों का अर्थ यह निकला कि इन लोगों को आज मजबूर होकर इस तरह के प्रस्ताव लाने पड़े। हालांकि आप जो प्रस्ताव लाये हैं मैं उनका कोई विरोध नहीं कर रहा हूं। उनमें कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां हैं। परन्तु आप यह नहीं कहें कि यह सारा का सारा स्वविवेक से आप खुद ही कर रहे हैं। आपकी मजबूरियां रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई शक नहीं कि पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार सम्पन्न बनाने की बात जो आज धारीवाल साहब कर रहे हैं, इसकी यात्रा बहुत पहले प्रारम्भ हो गई थी। 1993 में नरसिंह राव के समय में जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन आया उसके अन्दर यह साफ कहा गया कि राज्य सरकारें अपने पंचायती राज कानूनों में संविधान संशोधन की मंशा के अनुसार 24 सितम्बर, 1994 तक संशोधन करें। तत्कालीन सरकार ने राजस्थान के पंचायती राज कानूनों में संशोधन किया और पंचायती राज कानूनों में संशोधन करके अनुसूची 11 में वर्णित जो 29 विषय हैं उनमें से 16 विषय पंचायती राज संस्थाओं को सौंपने के लिए आवश्यक कदम उठाने प्रारम्भ कर दिये।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके अलावा राजस्थान वह पहला प्रदेश है जिसके अन्दर पंचायती राज संस्थाओं में परिवार नियोजन की अवधारणा को आगे बढ़ाने के लिए दो से अधिक संतान होने पर अयोग्यता की बात कही गयी। राजस्थान के अन्दर उस समय की सरकार ने पंचायतों के कार्यों पर निगरानी रखने के लिए सतर्कता समिति गठित करने की बात कही।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के साथ पंचायती राज और इन सब चीजों का पुराना इतिहास जुड़ा हुआ है। इसमें कोई शक नहीं कि संविधान के अनुच्छेद 40 के अनुसार और बलवंत राय कमेटी की सिफारिशों के अनुसार 2 अक्टूबर, 1995 को, नागौर के अन्दर, पूरे देश में पहली बार त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत संस्थाओं की परिकल्पना को पूरा करने के उद्देश्य से तत्कालीन प्रधानमंत्रीजी ने उद्घाटन किया था।

उपाध्यक्ष महोदय, वह समय दूसरा था जब पंच में परमेश्वर लोग देखा करते थे, वसुधैव कुटुम्बकम् की बात लोग किया

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

करते थे। अब धीरे-धीरे इसमें कुछ विकृतियां आ गईं। इसमें एक कारण यह भी रहा कि इन सारी संस्थाओं ने कहीं न कहीं, किसी न किसी कारण से सरकार की एजेंसी के रूप में काम करना प्रारम्भ कर दिया। पंचायती राज संस्था हों चाहे स्थानीय निकाय हो, इनकी खुद की आय के स्रोत इतने सीमित थे कि उपाध्यक्ष महोदय, ये अपनी स्टेशनरी भी नहीं ले सकते थे। इसके बाद सिलसिला हुआ, जो भी सरकार आई, हर सरकार ने बात की, हमेशा चर्चा चलाई कि हम पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करेंगे। कमेटी पर कमेटी बनाते चले गये। जिन कमेटियों का जिक्र, मंत्री महोदय, आपने किया, 1964 में शहादत अली कमेटी, 1973 में गिरधारीलाल व्यास कमेटी, और उसके बाद 1990 में एक कमेटी जिसका जिक्र आपने नहीं किया, वह थी हरलालसिंह खर्रा समिति, आपको यह साफ कहना चाहिये कि उस समिति ने पहली बार रिकमण्डेशन की

श्री शांति कुमार धारीवाल : कर दिया, मैंने कर दिया, आप देख लो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कर दिया था? उस कमेटी के अन्दर पहली बार इस बात की सिफारिश की गई थी कि पंचायतों को जो प्रति व्यक्ति अनुदान दिया जा रहा है वह बहुत कम है। उपाध्यक्ष महोदय, वह तत्कालीन सरकार थी भैरोंसिंह शेखावत की सरकार, जिसने एक साथ पांच गुना ज्यादा उस प्रति व्यक्ति अनुदान को बढ़ाने का काम किया। अब आप चाहे किसी अशोक मेहता समिति की बात करें, चाहे राव समिति की बात करें, उपाध्यक्ष महोदय, आज हालत क्या है? आज इन समितियों की रिकमण्डेशन पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। जब मंत्रीजी को यह लगा, जब मुख्य मंत्रीजी को यह लगा कि अब मजबूरी है, ग्रांट-इन-एड में कटौती होगी तब इन्होंने एक नाटक चालू कर दिया। कभी सरपंचों का सम्मेलन बुलाया, कभी आपने प्रधानों का सम्मेलन बुलाया, कभी आपने प्रमुखों का सम्मेलन बुलाया। फिर आपने सर्वशक्तिशाली समिति बनाकर 14 रिकमण्डेशन कर डालीं और पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए कुछ अधिकार देने की बात प्रारम्भ कर दी।

मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस ग्राम सभा और वार्ड सभा को आपने सर्वशक्तिशाली बनाने की बात कही है, अभी पूर्व पंचायती राज मंत्रीजी भी इस बारे में काफी वकालत कर रहे थे, संविधान के अनुच्छेद 243-ए में ग्राम सभा की बात है। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले तीन वर्षों से ग्राम सभाएं राजस्थान में आयोजित हो रही हैं, आप भी ग्रामीणों क्षेत्रों में पधारते हैं, एक भी ग्राम सभा में गणपूर्ति नहीं होती है, कोरम पूरा नहीं होता। उसके पीछे कारण हैं। लम्बी-लम्बी बातें करते हैं, ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित हो गया, वित्तीय व्यवस्था हुई नहीं, ग्राम सभा की रिकमण्डेशन के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)–

अनुसार मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर ग्राम सभा की अभिशंसा के अनुसार काम होते, वास्तव में एक्शन होता तो निश्चित तौर पर ग्राम सभा के प्रति ग्रामीणों का आकर्षण बढ़ता। काम कुछ हो नहीं। आज हालत क्या बन गई? प्रायोगिक बात है, उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम सभा जिस दिन होती है, पहली बात तो आपने तिथियां ऐसी रख दीं, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 2 अक्टूबर को, उस दिन गांव में कोई न कोई कार्यक्रम रहता है। उसके बाद सरपंच साहब रजिस्टर लेकर आते हैं, लेकर घर-घर में जाकर दस्तखत करवा लेते हैं और जो चाहे प्रस्ताव लिख देते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आपने जो बात कही, सैद्धांतिक रूप से बात ठीक हो सकती है परन्तु आज राजस्थान के अन्दर जिस तरह का वातावरण है, ग्रामीण परिवेश में जिस तरह का वातावरण है, जोशी साहब, इन चीजों को मत भूलो। पहले सरपंच पूरे गांव का सरपंच हुआ करता था, पहले पंच अपने पूरे वार्ड का प्रतिनिधि हुआ करता था। आज आप और हम राजनीति करते हैं, आप यह स्पष्ट बता दें कि आप जाते हैं अपनी कांस्टीट्यूएंसी में, पक्ष और विपक्ष की मन में बात नहीं रहती? उपाध्यक्ष महोदय, गांव की राजनीति में सरपंच एक गुट का सरपंच बन गया और गुट के संरपच को, उस सरपंच के हाथ में आप इतने अधिकार देंगे, मैं समझता हूं कि अधिकार दें, ठीक है, पर साथ-साथ प्रैक्टिकल कठिनाइयां आएंगी। मैं समझता हूं कि कल आपके विधायक दल की मीटिंग में कुछ लोगों ने इस बात का जिक्र भी किया। मैं उन अधिकारों के देने में विरोधी नहीं हूं परन्तु अधिकार देने के साथ-साथ कोई इस तरह के राइडर लगाएं ताकि ऐसा न हो कि ये सारी चीजें बेलगाम चली जाएं।

श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : हमारे यहां तो स्कूल ही नहीं खुले।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : स्कूलों में कहां आ गये? ऐसे नहीं खुलेंगे। खोलेंगे, खोलेंगे। (व्यवधान) आप राइडर जरा एक्सप्लेन करें कि किस तरह के राइडर लगाएं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आपको स्मरण होगा, जिन राजीव गांधी की बात अभी माननीय पंचायती राज मंत्रीजी कर रहे थे, उन्हीं राजीव गांधीजी ने एक बार यह कहा था कि देहली से एक रुपया भेजते हैं, गांव के अन्दर 15 पैसे मिलता है। पंचायती राज मंत्रीजी, आपको ध्यान होगा कि जनवाद के अन्दर खुली सुनवाई हुई थी कुम्भलगढ़ के अन्दर, एक एन.जी.ओ. ने सुनवाई की थी। उसका परिणाम क्या निकला? करोड़ों रुपए नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, 1994 से लेकर 1996 तक यह सुनवाई हुई थी, मैग्सेसे पुरस्कार जिन्होंने लिया है, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, श्रीमती अरूणाजी थीं, कौन थीं। एम.के.एस.एस.

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

एक सोसायटी है, 1994 से 1999 तक 123 लाख 14 हजार के काम हुए और उसमें 70 लाख का गबन।

डा. महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जनवाद की सुनवाई की बात कर रहे हैं, कौनसे राज में हुई थी, यह भी बता दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बता देंगे।

डा. महेश जोशी : यह 94 में हुई थी, तब आपका राज था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कोई बात नहीं, अगर हमारे समय में भी कोई बात थी, तो...

डा. महेश जोशी : जो चार्जेज हैं वे 1994 के हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ठीक है। (व्यवधान) मैं कह रही हूं कि काम भी 1994 से 1999 के हैं, मैं खुद मानता हूं न इसको।

डा. महेश जोशी : यह भी बतां दें कि अब कितना पहुंचता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपके पदार्पण होने के बाद तो सारी ग्राम पंचायतें और सब जगह ठीक होंगी? जो वास्तविकता है उस वास्तविकता से हम आंख अगर चुराएंगे, हम अधिकार दे रहे हैं, अधिकार दे रहे हैं इसलिए कि स्वराज हो, हम अधिकार दे रहे हैं, ग्राम स्वराज की बात करते हैं, हम गांधीजी की दुहाई देने के बात करते हैं परन्तु अधिकार देने के पश्चात् जो तस्वीर सामने आने वाली है, उस तस्वीर से आंख चुराने की आवश्यकता नहीं है, हम प्रैक्टिकल अप्रोच रखेंगे तो निश्चित तौर पर होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, स्थानान्तरण के अधिकार दे रहे हैं, एक ग्राम पंचायत से दूसरी ग्राम पंचायत में पंचायत समिति कर सकती है, जिला परिषद्, पंचायत समिति से पंचायत समिति में कर सकती है। आप अधिकार दें उनको पर उसके साथ-साथ स्थानान्तरण नीति भी बनाएं कि उस नीति के बाहर नहीं जाएं। आप इस तरह की नीतियां बनाएं, मंत्री महोदय, ताकि कुछ न कुछ राइडर इन पर लगे।

आपने बेलगाम छोड़ दिया तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो सारे अधिकार आप दे रहे हैं, ये अधिकार देना निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। अब आपने 300 हैक्टेयर सिंचाई क्षमता के तालाबों के अधिकार भी पंचायत समितियों को दे दिये और जिले के अन्दर एक ए.ईएन. लगाने की बात कही है आपने इसमें। एक ए.ईएन., 15-20 तालाब होते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, इन तालाबों की पिलाई के लिए, कौन आदमी को किस बारिश में कितना पानी मिलेगा, इन नियम कायदों को अगर तोड़ना प्रारम्भ कर दिया तो उसका नतीजा क्या होगा? आज इस बात को नहीं छिपाना चाहिए कि चाहे ग्राम पंचायतों हो चाहे पंचायतें समितियां हों, ग्राम पंचायतों में तो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आप पंच परमेश्वर नहीं ढूंढ़ पाएंगे, इसमें संकीर्णता आ गई है। इन सारी चीजों को आपको देखना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिला सरकार की बात कर लें, ग्राम सरकार की बात कर लें, स्वायत्तता की बात कर लें, इन सब के लिए जब तक वातावरण तैयार नहीं करेंगे तब तक कोई हल नहीं निकलने वाला है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप अधिकार दें, पर अधिकार के साथ-साथ कोई इस पर विचार होना चाहिए कि इतने अधिकार दिये, इन अधिकारों का दुरुपयोग न हो जाए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप जो अधिकार दे रहे हैं, एक बार सलैक्ट कमेटी बना लें। आपको पता है, आपको ध्यान होगा कि पार्लियामेंट में भी इसकी एक संयुक्त संसदीय समिति बनी थी जब यह संशोधन आ रहा था, उस पर काफी डिस्कशन हुआ है। तो आप भी राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देख लें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही मुझे निवेदन करना है, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कल्ला साहब।

डा. बुलाकीदास कल्ला (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे से पूर्व पंचायती राज मंत्रीजी ने विस्तार में पंचायती राज के 73वें संविधान संशोधन से सम्बन्धित बातों के बारे में बताया। संविधान के चौहत्तरवें संशोधन के बारे में जो गुलाब सिंहजी की कमेटी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बनायी, जिस समिति ने हमारे स्थानीय निकायों के सुदृढ़ीकरण करने के बारे में बातें बतायीं हैं, मैं उसके बारे में प्रकाश डालूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपके माध्यम से खास तौर से सदन को यह बताना चाहता हूं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने इस देश में यह कल्पना की थी कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया जाए। गांवों में चुने हुए सरपंच और पंच वहां का स्थानीय प्रशासन देखें और जो हमारे शहरी क्षेत्र हैं वहां शहरी निकाय हैं चाहे वह नगरपालिका के रूप में हैं, चाहे वह नगर परिषद् के रूप में हैं, अथवा नगर निगम के रूप में हैं, चुने हुए प्रतिनिधि वहां पर सफाई का, स्थानीय प्रशासन का काम देखें।

इसी सन्दर्भ में हमारे पण्डित जवाहर लाल जी नेहरू ने, प्रधानमंत्री स्वर्गीय इन्दिरा जी ने और सबसे ज्यादा काम इसमें राजीव गांधी जी ने किया। राजीव गांधी जी ने इस देश में 18 वर्ष के नौजवानों को अधिकार दिया वोट देने का और उसके बाद उन्होंने तिहत्तरवें और चौहत्तरवें संविधान संशोधन के अन्तर्गत महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया। उन्होंने ही जो शिड्यूल्स बनाये उसमें चौहत्तरवें संशोधन के अन्तर्गत बारहवीं अनुसूची में 18 ऐसे विषय निर्धारित किये जो विषय हमारे स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित किये जाने हैं।

इस सन्दर्भ में अभी हाल ही में दिल्ली में जो सम्मेलन हुआ उसके बारे में काफी

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

कुछ हमारे पूर्व पंचायत मंत्री और वर्तमान जलदाय मंत्री श्री सी. पी. जोशी जी और माननीय शांति धारीवालजी ने काफी बातें बतायीं, उसमें भी खास तौर से प्रतिपक्ष की नेता सम्माननीय सोनिया जी ने खास तौर से यह कहा कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण जब हम कर रहे हैं तो इसमें हमारे सामने यह लक्ष्य रखना होगा कि हम किस तरह से इन स्थानीय निकायों को आत्मनिर्भर और स्वतंत्र करना चाहते हैं। यह मुद्दा राष्ट्रीय मुद्दा है, यह मुद्दा जन–जन का मुद्दा है कि हम किस तरह से इनको सशक्त और सदृढ़ीकरण के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं और इनके साथ–साथ हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने का यह मुद्दा है। उन्होंने इस सन्दर्भ में सबका आह्वान किया कि इसमें नेशनल डवलपमेंट कौंसिल की बैठक बुलाकर पूरे देश के जन–प्रतिनिधियों की राय ली जानी चाहिए।

अभी हाल ही में गुवाहाटी में हमारे कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन हुआ। हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उपयोगी सुझाव दिये और उन सुझावों के आधार पर यहां पर गुलाब सिंहजी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनायी गयी। उस कमेटी ने घंटों विचार–विमर्श करने के बाद में जो निष्कर्ष निकाले और जो अभिशंसाएं की हैं उसके बारे में मैं आपको संक्षेप में जानकारी देना चाहूंगा। शहरी आयोजना एवं नगर नियोजन के सन्दर्भ में अब तक मास्टर प्लान बनते थे और बनने के बाद आम जनता की राय लेने के एक महीने के बाद उसको एक तरीके से संकलित करके प्रकाशित कर दिया जाता था। अब यह व्यवस्था की जा रही है कि जो मास्टर प्लान बनेंगे वे शहरी निकाय हैं उनके मण्डल में विचारार्थ पेश किये जाएंगे और उनमें जो निर्णय लिये जाएंगे और जो नवीन विषय सुझाये जाएंगे उन पर विचार करके निर्णय लिया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ–साथ भवन निर्माण एवं भू–उपयोग नियमन के सम्बन्ध में भी इसमें स्पष्ट अभिशंसा की गई है कि 500 वर्गगज तक की जमीन का भू–उपयोग परिवर्तन का अधिकार हम नगरपालिकाओं को दे रहे हैं, एक हजार वर्ग गज तक के भू–उपयोग के परिवर्तन का अधिकार हम नगर–परिषदों को दे रहे हैं और 1500 वर्गगज तक के भू–उपयोग परिवर्तन का अधिकार हम नगर निगम और जयपुर विकास प्राधिकरण को दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए योजना विषय के अन्तर्गत तमाम हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भाइयों के छात्रावासों का कार्य अब तक समाज कल्याण विभाग देख रहा था। यह कार्य अब पूर्ण रूप से मय स्टाफ और मय बजट हम स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित करने की अभिशंसा कर रहे हैं। मैं इस सन्दर्भ में खास तौर से सदन को यह

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

विश्वासपूर्वक कहना चाहता हूं कि अब तक स्थानीय निकायों को जो अधिकार दिये जाते थे या पंचायतों को अधिकार दिये जाते थे वे हाफहार्टेडली दिये जाते थे, लेकिन इस बार माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हम सबको, कमेटी को अपनी अभिशंसा बतायी थी कि आप जो भी काम करें, पूरे मन से करें। अर्थात् फंडस, फंक्शन एण्ड फंक्शनरीज पूरा का पूरा बजट, पूरा का पूरा क्रियाकलाप और पूरी की पूरी गतिविधियां मय स्टाफ के उनको हस्तांतरित की जाएं। यह खास तौर से इस कमेटी की अभिशंसा है। मैं समझता हूं, पंचायती राज और स्थानीय निकाय दोनों के लिए इस कमेटी ने पूरे तौर पर मन बनाकर मय स्टाफ, मय बजट और मय क्रियाकलाप के ये सारी चीजें हस्तान्तरित करने की अभिशंसा की है।

जन स्वास्थ्य एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, इनके अन्तर्गत, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जो शहरी क्षेत्र में हैं:- सिटी डिस्पेंसरीज, आयुर्वेद के औषधालय, यूनानी औषधालय, होम्योपैथी से सम्बन्धित औषधालय ये सारे के सारे मय स्टाफ, मय बजट हस्तान्तरित करने की अभिशंसा की गई है। इसके अतिरिक्त उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी का एक पद प्रत्येक बड़ी नगर परिषद् में कम से कम हस्तान्तरित करने की अभिशंसा की गई है।

वृक्षारोपण—इस विषय के अन्तर्गत, उपाध्यक्ष महोदय, शहरी क्षेत्र में सड़कों के किनारे जो वृक्षारोपण का कार्य है यह कार्य अब स्थानीय निकाय करेंगे और यह कार्य भी मय स्टाफ और मय बजट के हस्तान्तरित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त मानसिक एवं शारीरिक रूप से अपंग एवं कमजोर वर्गों हेतु पहले से ही जो काम हमारा समाज कल्याण विभाग करता था, अब यह अभिशंसा की गई है कि यह काम शहरी निकायों को सुपुर्द किया जाए।

कच्ची बस्तियों के उन्नयन और उत्थान का काम पहले से ही हमारे स्थानीय निकाय कर रहे हैं। शहरी निर्धनता उन्मूलन के लिए इसमें यह अभिशंसा की गई है कि प्रधानमंत्री रोजगार सहित ऐसी समस्त योजनाएं जो इससे मिलती-जुलती हैं, वे स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित की जाएं।

शहरी सुख-सुविधाएं जैसे पार्क और खेल के मैदान, इसमें शहरी पार्क जो आज तक, कहीं-कहीं आपने देखा होगा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास मेंटिनेंस का काम है, इनको भी मय बजट और मय स्टाफ स्थानीय निकायों को हस्तान्तरित करने की अभिशंसा की गई है।

सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक विकास विषय के अन्तर्गत कक्षा एक से 8 तक की जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं उन शिक्षण संस्थाओं के प्रबंधन का कार्य स्थानीय निकायों को हस्तांतरित करने की बात कही गयी है और जिला स्तर पर एक जिला शिक्षा अधिकारी

(श्री बुलाकीदास कल्ला)

अथवा उप जिला शिक्षा अधिकारी का पद प्रत्येक जिले में मय स्टाफ और मय बजट हस्तांतरित करने की बात कही गयी है। इसके अलावा सार्वजनिक सुख-सुविधाओं स्ट्रीट लाइट पार्क्स एवं बस स्टॉप, इनके बारे में यह अभिशंसा की गई है कि हमारे नगर विकास न्यास, नगर निगम, नगर परिषद् और नगर पालिकाएं अपने-अपने स्तर पर अपने-अपने क्षेत्र में लाइट्स की व्यवस्था करेंगी। लेकिन यू.आई.टी., जे.डी.ए. और अन्य संस्थाएं जहां अपने-अपने क्षेत्र में लाइट्स का प्रबंधन करती हैं, स्थानीय निकायों को जानकारी देकर अथवा उनकी सहमति लेकर यह काम करेंगी। इसके अलावा दूसरे जो विषय हैं वे पहले से आलरेडी हमारे स्थानीय निकाय कर रहे हैं।

मैं इस संदर्भ में आपको खास तौर से हमारी प्रतिपक्ष की नेता सम्माननीय सोनियांजी ने जो बातें कही थीं पंचायती राज सम्मेलन में, उसके बारे में कोट करना चाहूंगा–

"India will progress only if its villages are prosperous and only if the quality of life in its villages improve quickly and vastly. This is possible only if Panchayati Raj becomes effective institution. Only if you are all empowered to carry out the responsibilities that have been placed on your shoulders by our Constitution. The Central Government must ensure that the different State Govts. implement Panchayati Raj Legislations seriously. I have been personally monitoring progress in the Congress ruled States but this is not just a party issue. Strengthening of Panchayat to place power in the hands of the people to move from 'Rajniti' to 'Lokniti' is a national mission. To ensure dominance through concensus a special meeting of the nation's highest development body, the National Development Council should be called."

(16.00 बजे)

जैसा मैंने पूर्व में बताया, उन्होंने नेशनल डवलपमेंट कौंसिल की मीटिंग इस सम्बन्ध में आयोजित करने की आवश्यकता बतायी और इसको एक नेशनल इश्यू बताया। जब तक हम अपनी पंचायती राज संस्थाओं को और स्थानीय निकायों को आत्मनिर्भर, स्वतंत्र और हर तरीके से मजबूत नहीं करेंगे तब तक उपाध्यक्ष महोदय, हमारे ये स्थानीय निकाय सुदृढ़ीकरण की ओर आगे नहीं बढ़ेंगे।

अभी माननीय सी. पी. जोशी जी ने बहुत ठीक कहा था कि आज हमारे राष्ट्र को देखें, राज्य को देखें, स्थानीय निकायों को देखें, इनकी जितनी इनकम है उससे

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

ज्यादा इनका एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा हो रहा है। ऐसी स्थिति में आज भी पंचायती राज संस्थाएं कम्पेरेटिवली ठीक हैं लेकिन स्थानीय निकायों की स्थिति करीब-करीब राज्य सरकारों जैसी है। उनकी जितनी इनकम है, इनकम तो प्रायः प्रायः चुंगी खतम करने के साथ साथ उनकी खतम हो गई है, अब तो राज्य सरकार के सहारे से स्थानीय निकाय चल रहे हैं। स्थानीय निकायों को जब तक राज्य सरकार अपने यहां से एड नहीं देती तक तक उनकी तनखाह भी चुकाने की स्थिति नहीं है। इसलिए हमको यह विचार करना होगा कि हम इनको किस तरीके से सशक्त बनाएं। मैं चाहूंगा, माननीय सदस्य जब अपने विचार व्यक्त करें तो इसके बारे में बताएं कि किस तरीके से स्थानीय निकायों की आय में बढ़ोतरी की जा सकती है, किस तरह से उनके संसाधन बढ़ाये जा सकते हैं ताकि वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र हों, आत्मनिर्भर हों और आत्मनिर्भर होकर अपने कार्यों के माध्यम से, निकायों के माध्यम से आम जनता की सेवा कर सकें।

मैं इस सम्बन्ध में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारा जो एक्सपेंडीचर है, मान लीजिये आय सौ रुपये है तो हमारा एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा 70 प्रतिशत से लेकर करीब-करीब 115 प्रतिशत तक है। ऐसी स्थिति में जीरो बजटिंग सिस्टम को हमको हर क्षेत्र में अपनाना होगा। इसीलिए तो राजीव गांधी जी ने जवाहर रोजगार योजना हमको दी थी। इस जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत सीधे के सीधे अनुदान की राशि चुने हुये सरपंच के पास भिजवाई जाती थी ताकि वहां पर कोई नाटक नहीं, वहां पर कोई एक तरीके से एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा नहीं, सारी की सारी राशि पंचायत के पास पहुंच जाएं और पंचायत उसको खर्च करके गांव का विकास करा दे। वहां पर किसी भी तरह का स्टाफ का खर्चा नहीं था। अभी चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात कही, राजीव गांधी जी ने ठीक ही कहा था कि हमारा एस्टैब्लिशमेंट का खर्चा जो है वह करीब करीब 70 प्रतिशत से लेकर 85 प्रतिशत तक हो जाता है, केवल 15 प्रतिशत राशि विकास के लिए बचती है। उसको लोगों ने तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया था। मैं कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से हम लोगों को यह विचार करना होगा कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडीचर कैसे मिनिमाइज हो और हम ज्यादा से ज्यादा पैसा विकास के कार्यों पर कैसे खर्च करें। इसके लिए हमको निश्चित रूप से हमारी मशीनरी को कम करना होगा, निश्चित रूप से हमारे जो नॉन प्लान के खर्चे हैं उनको कम करना होगा। खर्चों में कैसे हम कटौती करें? आय में कैसे बढ़ोतरी करें? हम कैसे रिसोर्स मोबिलाइजेशन करें? तब जाकर हमारा यह स्थानीय निकाय का ढांचा मजबूत होगा। तो आइये, मैं आपके माध्यम से माननीय सभी सदस्यों से जॉन एफ. केनेडी के शब्दों में

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

यह कहना चाहता हूं–"Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country and ask what together we can do for the freedom of man." अर्थात् यह मत पूछिये कि हमारे लिये देश क्या कर सकता है, हम अपने आप से पूछें कि देश के लिए हम क्या कर सकते हैं और हम सब मिलकर मानवीय स्वतंत्रता के लिए क्या कर सकते हैं। मैं इस कोटेशन के माध्यम से आपका आह्वान करना चाहता हूं, आइये हम विचार करें कि हम स्थानीय निकायों को मजबूत करने के लिए, इनको स्वतंत्र, आत्मनिर्भर और सैल्फ सपोर्टेड बनाने के लिए इतना सुदृढ़ कर दें ताकि इनको किसी की ओर देखना नहीं पड़े। इसके लिए आप अपने सुझाव दें, हमने इसके लिए आपको विषय दिये हैं जो हम करने जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि राजस्थान पहला राज्य होगा जिसमें माननीय मुख्य मंत्रीजी श्री अशोक जी गहलोत की अभिशंसा के आधार पर स्थानीय निकायों को अधिकार दिये गये हैं। इतने अधिकार आज किसी भी राज्य में कहीं पर भी नहीं हैं। और वह सिलसिला जारी रहेगा। जैसे-जैसे नये-नये सुझाव आयेंगे और जैसे-जैसे वे कार्य रूप में परिणत किये जायेंगे, उनकी कठिनाइयों और अनुभवों को ध्यान में रखते हुए हमारा यह प्रयास रहेगा कि हम अपने स्थानीय निकायों को ज्यादा से ज्यादा सुदृढ़ करें, मजबूत करें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के सर्वोच्च सदन का यह विशेष सत्र हमारी जमीनी आवश्यकताओं की पूर्ति का एक माध्यम तो है ही, कांग्रेस के हम नौजवान कार्यकर्ताओं के लिए यह अवसर जजबाती और भावनात्मक भी है। इस विशेष सत्र के माध्यम से हम अपने महबूब नेता स्वर्गीय राजीव गांधी के अधूरे सपने को साकार करने की तरफ बढ़ रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा समाज अतीत के गौरवशाली संस्कारों और भविष्य के बहुआयामी सपनों को संजोये हुए अनवरत संचालित हो रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ग्राम स्वराज पंचायती राज की परिकल्पना को आज जिस रूप में भी हम स्थापित करें, हमारे अतीत में भी वह गौरवशाली स्मरण और उद्धरण मौजूद है कि वैदिक काल में भी स्वायत्तशासी ग्राम समुदाय की परिकल्पना के माध्यम से हमारा समाज संचालित होता रहा है। ऋग्वेद और अथर्ववेद की ऋचाओं में भी इस बात के उदाहरण हमको मिल सकते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, उसको कई दशकों, शताब्दियों बाद तक भी चाहे वह चन्द्रगुप्त मौर्य का शासन काल था, चाहे बौद्ध काल था और चाहे आईने-अकबरी की बात करें, सभी दौर में ग्राम सभा का स्वरूप मौजूद रहा है और वह हमारी स्वायत्तशासी शासन व्यवस्था का एक प्रामाणिक दस्तावेज रहा है। माननीय

(श्री संयम लोढ़ा)

उपाध्यक्ष महोदय, कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में इसी व्यवस्था को स्थापित किया है। 17वीं सदी में पहली बार मद्रास नगर परिषद् के रूप में इस व्यवस्था की परिकल्पना को साकार करने की कोशिश की गई थी। अंग्रेजों के शासन काल में भी लार्ड मेयो ने 19वीं सदी में राजस्व संग्रह के लिए पंचायतों के मनोनयन की व्यवस्था दी थी हालांकि उस दौरान इस व्यवस्था को ताकत प्रदान नहीं की गई क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत की सोच भारतीयों को उस रूप में शामिल करने की नहीं थी। लेकिन लार्ड रिपन ने 1882 में जो प्रस्ताव दिया उसके माध्यम से इस व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण करने की दिशा में एक प्रयास हुआ था। तब उनकी आलोचना भी की गई थी लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, उस समय उन्होंने कहा था कि कोई भी गलती अगर नीचे के स्तर से की जाती है तो उसको ठीक करने का अवसर उच्च स्तर पर उपलब्ध रहता है, लेकिन अगर कोई गलती उच्च स्तर पर की गई तो उसको ठीक करने का कोई अवसर उपलब्ध नहीं होता है। लेकिन, जैसी उनकी सोच थी उस दौरान उस व्यवस्था को वह ताकत नहीं मिली। उसके बाद में जब कई प्रांतो में जनादेश के जरिये हूकूमतों की स्थापना हुई तो उसके माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास किया गया लेकिन इसके बावजूद स्वाधीनता संग्राम के दौरान जो हमारे देश के नेता उस आन्दोलन में सक्रिय थे, उनकी भावनाओं के अनुरूप पंचायती राज में वह व्यवस्था नहीं बन पाई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्होंने ग्राम स्वराज की परिकल्पना देश और दुनिया को दी, उनके मन में यह सोच थी कि ग्राम स्वराज के माध्यम से हम पूर्ण स्वराज प्राप्त करें, ग्राम स्वराज के माध्यम से गांवों में खुशहाली का वातावरण बने, विकास की जो जनता की अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं को पूरा किया जा सके। लेकिन उस दौरान तक भी वह व्यवस्था उस रूप में विकसित नहीं हुई। बाबा साहिब अम्बेडकर ने जब अनेक देशों के संविधान का अध्ययन करने के बाद भारत के संविधान की रचना की तो अनुच्छेद 40 में उन्होंने इस सम्बन्ध में प्रावधान किया कि राज्य पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना करेंगे और वे अधिकार और शक्तियां उनको देंगे जिसके माध्यम से पंचायती राज संस्थाएं आत्मनिर्भर हो सकें, अपना विकास कर सकें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के कार्यकाल में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया, उस समिति ने व्यापक अध्ययन के बाद यह व्यवस्था दी कि ग्रामीण क्षेत्र के विकास का सम्पूर्ण कार्य पंचायती राज संस्थाओं को सौंप दिया जाए। जैसा कि पूरे सदन को इस बात की जानकारी है, उन्हीं की सिफारिश पर पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर,

(श्री संयम लोढ़ा)

1959 को पंचायती राज व्यवस्था का श्री गणेश किया। उसके बाद में भी लगातार देश और प्रान्त की सरकारें इस दिशा में सोचती रहीं कि पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से लोगों की अपेक्षाओं को पूरा कैसे किया जाए और इसके लिए राज्य और देश में कई कमेटियों का गठन किया गया। चाहे वह सादिक अली कमेटी हो, चाहे गिरधारी लाल व्यास कमेटी हो, अशोक मेहता कमेटी हो, जी. के. राव कमेटी हो, डाक्टर एल. एम. सिंघवी कमेटी हो, सरकारिता कमीशन हो या पी. के. थुंगन कमेटी हो, इन सभी ने अपने स्तर पर यह सोच दिया कि पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ किया जाए। हर ग्राम पंचायत में एक ग्राम सेवक हो, या दो ग्राम पंचायतों के बीच में एक ग्राम सेवक हो। इन ग्राम पंचायतों को इतने वित्तीय साधन उपलब्ध कराये जाएं कि वे अपने-अपने स्तर पर ही लोगों की अपेक्षाओं की पूर्ति कर सकें। समय-समय पर इन समितियों की रिपोर्ट पर विचार करके सरकार ने अपने स्तर पर काम करने की भी कोशिश की।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी मेरे पूर्व वक्ता चूरू से आने वाले माननीय सदस्य हरलाल सिंह खर्रा कमेटी की एक रिपोर्ट का जिक्र कर रहे थे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हरलाल सिंह खर्रा तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पंचायती राज मंत्री थे, 1990 में कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी उसमें उस कमेटी ने यह कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, हैण्ड पम्प, आयुर्वेद, ये सारी चीजें पंचायती राज को सौंप दी जाएं। उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण का जिला परिषद् में विलय कर दिया जाए। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी की सरकार का वह सोच नहीं था, वह पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं करना चाहती थी और इसीलिए इस रिपोर्ट के इन अंशों के बारे में उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की।

श्री धर्मपाल चौधरी : चार साल आपने क्या किया?

श्री संयम लोढ़ा : मैं बताउंगा कि हमने चार साल क्या किया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां तक कि 1988 में जब पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हुए थे, 1991 के अन्दर इनकी सरकार ने उन सारी ग्राम पंचायतों के अन्दर प्रशासकों को बिठा दिया और जो एक मूल भावना थी पंचायती राज व्यवस्था की, उस मूल भावना को समाप्त करने का काम तत्कालीन सरकार ने किया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्र नायक स्वर्गीय राजीव गांधी ने 1985 के बाद में इस देश को एक नया सोच, नयी दिया और नये विचार देने का प्रयास किया था चाहे वह उपभोक्ता संरक्षण कानून के माध्यम से उपभोक्ता अधिकारों की बात हो, चाहे 18 साल के नौजवान को मताधिकार देने की बात हो, चाहे देश में नौजवान गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए युवा खेल मामलात

(श्री संयम लोढ़ा)

मंत्रालय अलग से बनाने की बात हो, चाहे राष्ट्रीय युवा नीति बनाने की बात हो और चाहे देश की संचार व्यवस्था में नई क्रांति का सूत्रपात करने के लिए सैम पित्रोदा के माध्यम से देश के अन्दर एक नया जाल बिछाने की बात हो। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो खुद ग्रामीण परिवेश से आता हूं, यह हालत होती थी कि हमारे इलाके के लोग बहुत बड़ी तादाद में बोम्बे और मद्रास रहते थे, अपने परिवार के किसी व्यक्ति का सुख-दु:ख पता करना होता था तो दो दिन टेलीफोन का चोगा हाथ में लेकर बैठे रहते थे और उस आपरेटर की गुहार करते थे कि भैया मिला दे।

(16.15 बजे)

(श्री दिग्विजय सिंह, सभापति, पदासीन)

आज जिस संचार क्रांति को हम देख रहे हैं वह स्वर्गीय राजीव गांधी की सोच की देन थी। जब स्वर्गीय राजीव गांधी ने यह कहा, जैसा कि अभी पूर्व वक्ता जिक्र कर रहे थे कि मैं एक रुपया भेजता हूं वह 15 पैसे पहुंचता है, वह एक ईमानदार नेता द्वारा सच्चाई की स्वीकारोक्ति थी। माननीय सभापति महोदय, इतने सालों के अन्दर जो जनता के बीच में वे गये, जो उन्होंने महसूस किया, उसके अनुरूप उन समस्याओं को मिटाने और उन कमियों को दूर करने की दिशा में न केवल उन्होंने सोचा बल्कि उनको क्रियान्वित करने की भी चेष्टा की। यह जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन है, यह 1989 में स्वर्गीय राजीव गांधी की सोच का ही नतीजा था। उन्होंने यह महसूस किया कि देश को इतने साल आजादी के गुजर जाने के बाद भी पंचायती राज व्यवस्था की उस परिकल्पना को हम साकार नहीं कर सके हैं और जब तक मैं संविधान संशोधन के माध्यम से यह प्रावधान नहीं करूंगा, पंचायती राज संस्थाओं को वे अधिकार प्राप्त नहीं होंगे। माननीय सभापति महोदय, चाहे हम विधान मण्डल में बैठे हुए लोग हों, चाहे नौकरशाही में बैठे हुए लोग हों, सब के अपने निहित स्वार्थ हैं और उन निहित स्वार्थों के चलते कोई भी जो अधिकार हासिल है उसको नीचे देना नहीं चाहता। स्वर्गीय राजीव गांधी ने इस बात को समझा था इसीलिए उन्होंने इन संविधान संशोधनों को देश की जनता के सामने लाने की कोशिश की। देश का दुर्भाग्य था कि हमारे महबूब नेता 1991 में हम सब को छोड़कर चले गये। लेकिन उसके बाद में कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने उनके अधूरे सपने को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाया और 73वां और 74वां संविधान संशोधन केवल पारित ही नहीं हुआ बल्कि संविधान में 243 (छ) व 243 (ब) के रूप में नयी धारा भी शामिल की गयी। इस संविधान संशोधन के माध्यम से यह अपेक्षा की गयी कि अनुसूची 11 व 12 में जो विषय दिये गए हैं उन विषयों से सम्बन्धित अधिकार पंचायती राज संस्थाओं को सुपुर्द किये जाएं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री

(श्री संयम लोढ़ा)

अशोक गहलोत और हमारे पूर्व पंचायती राज मंत्री डाक्टर सी. पी. जोशी साहब को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने कांग्रेस की हुकुमत बनने के बाद लगातार इस दिशा में प्रयास किया कि पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ कैसे किया जाए। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान पंचायती राज संशोधन अध्यादेश, 1999 एवं 2000 उनकी इस प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। माननीय सभापति महोदय, अन्य पिछड़ी जाति के लिए जो 15 प्रतिशत का आरक्षण था, इस सरकार ने उसको बढ़ाकर 21 प्रतिशत किया। माननीय सभापति महोदय, राजीव गांधी के लाये गये उन संविधान संशोधनों का क्या हश्र पिछली हुकूमत में हुआ था, मैं उसको निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, दलित, पिछड़े वर्ग, महिला, ये जितने भी सरपंच और दूसरे पदों पर निर्वाचित हुए थे उस समय या तो उनको सस्पैंड करके या अविश्वास प्रस्ताव के जरिये उनको हटाकर वापस पूरी व्यवस्था पर उसी वर्ग ने कब्जा कर लिया जो पिछले 40 साल से पंचायती राज व्यवस्था पर काबिज था। लेकिन अशोक गहलोत की सरकार ने इस व्यवस्था को ठीक किया और यह व्यवस्था दी कि जिस वर्ग का सरपंच चुना हुआ है, अगर किन्हीं कारणों से वह हटाया भी जाता है या निलम्बित किया जाता है या बर्खास्त किया जाता है तो उसी वर्ग के जन प्रतिनिधि को ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद् का दायित्व सौंपा जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, वार्ड सभा और ग्राम सभा, पूरे प्रदेश में लोग भूल ही गये थे कि वार्ड सभा और ग्राम सभा जैसी कोई चीज भी होती है। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने उस वार्ड सभा और ग्राम सभा का महत्व फिर से बनाया और जिसका जिक्र अभी चूरू से आने वाले माननीय सदस्य कर रहे थे कि पंचायती राज मंत्रियों के सम्मेलन में आपको यह कहा गया कि ये फलां चार तिथियां रखी जाएं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि अशोक गहलोत की सरकार के कार्यकाल में ये चार ग्राम सभाएं पहले से ही हो रही हैं और जिन तारीखों पर उनको एतराज है, पंचायती राज मंत्रियों के सम्मेलन में भी पूरे देश के लिए वो ही चार तिथि निर्देशित की हैं, प्रस्तावित की हैं कि इन चार तिथियों पर भी ये सम्मेलन बुलाया जाए। माननीय सभापति महोदय, पूरे प्रदेश के अन्दर 20,000 से अधिक शिक्षा सहयोगियों का चयन हुआ। पहली बार निचले स्तर पर वह अधिकार दिया गया और पंचायती राज संस्था के माध्यम से इतना बड़ा फैसला किया गया, इतने बड़े स्तर पर किया गया। सभापति महोदय, आप और हम सब जानते हैं कि उस फैसले के कितने अच्छे परिणाम आये। राजस्थान को आज जिस शैक्षिक उपलब्धि पुरस्कार से भारत सरकार ने नवाजा है, पंचायती राज व्यवस्था का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है। माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस सरकार का यह कमिटमेंट है कि समाज में अच्छा नेतृत्व आगे आए, समाज में बेहतर

(श्री संयम लोढ़ा)

नेतृत्व आगे आए। इसी दिशा में तत्कालीन पंचायती राज मंत्री सी. पी. जोशी ने यह प्रावधान किया कि वे लोग जिनके खिलाफ अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं, जिसमें पांच साल से ज्यादा की सजा है, अगर उनको आरोप सुनाये जा चुके हैं तो पंचायती राज संस्था का वे चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। माननीय सभापति महोदय, बहुत लोग कई जगह से खड़े हो जाते थे, दो–दो जगह से, तीन–तीन जगह से। एक जगह से जीत गए, बाद में दूसरी जगह से इस्तीफा दे देते थे। सरकारी धन की बर्बादी होती थी और लोगों को भी अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता था। कांग्रेस की सरकार ने इस व्यवस्था को भी चैक किया और यह व्यवस्था दी कि एक व्यक्ति एक ही स्थान से चुनाव लड़ सकेगा। इसके अलावा सबसे बड़ा क्रांतिकारी फैसला जो कांग्रेस की सरकार ने किया, वह अनुसूचित क्षेत्र के अन्दर अध्यक्ष के तमाम पद अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित कर दिए...

श्री जीतमल खांट : यह तो भूरिया कमेटी की सिफारिश है, यह आपकी नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा : भूरिया कमेटी की सिफारिश को लागू किसने किया?

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने इस व्यवस्था को लागू किया और जिसको नकारात्मक देखना है वह तो किसी भी चीज में नकारात्मक देख सकता है। माननीय सभापति महोदय, हम शुक्रगुजार हैं कि सरकार ने इस व्यवस्था को किया है। पंचायती राज की पिछली हुकुमत, उस व्यवस्था के अन्दर ग्राम पंचायत का चुना हुआ सरपंच पंचायत समिति का सदस्य नहीं था, प्रधान जिला परिषद् का सदस्य नहीं था लेकिन इस सरकार ने इस व्यवस्था को वापस लागू किया और प्रधान और सरपंचों को पंचायत समिति और जिला परिषदों का सदस्य बनाया।

माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस की सरकार ने लगातार राजस्थान की जनता को संवेदनशील, पारदर्शी और स्वच्छ शासन उपलब्ध कराने की कोशिश की है, इसी दिशा में पंचायती राज के नियम 322(3) में संशोधन करके नीचले स्तर पर यह प्रावधान किया गया कि कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत के अन्दर किसी बाउचर की नकल चाहता है, किसी रिकार्ड की नकल चाहता है, मस्टररोल की नकल चाहता है तो वह नकल वह प्राप्त कर सकता है। इस माध्यम से इस बात का अधिकार लोगों को दिया गया कि हमारी ग्रामीण व्यवस्था के अन्दर जो कमियां व्याप्त है, किसी स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त हैं उसकी लोग निगरानी कर सकें और इसके माध्यम से जो जनता का धन है, वह जनता के अपेक्षित कार्यों में लग सके।

माननीय सभापति महोदय, यह आम तौर पर शिकायत प्राप्त होती रही है कि

(श्री संयम लोढ़ा)

ग्रामीण क्षेत्र में हमारे कई कर्मचारी नदारद मिलते हैं, उनकी उपस्थिति को सुनिश्चित कैसे किया जाए। सरकार ने यह व्यवस्था दी सरपंचों की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाकर कि अगर किसी कर्मचारी की सेवा संतोषजनक नहीं है, जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है तो कमेटी अपनी सिफारिश कर सकती है। माननीय सभापति महोदय, आप स्वयं इस बात से अवगत हैं कि इस तरह की कमेटी की सिफारिश पर कई अनुशासनहीन और लापरवाह कर्मचारियों के संभागीय आयुक्त द्वारा जिलों से बाहर स्थानान्तरण भी किये गये हैं। तो यह सरकार का लगातार अच्छा प्रयास रहा है।

माननीय सभापति महोदय, केन्द्रीय स्तर पर भी इस दिशा में लगातार सोचा गया है। 11वें वित्त आयोग ने भी अपनी कई महत्वपूर्ण सिफारिशें दी हैं जिसमें ग्राम पंचायतों के लिए निर्बन्ध राशि का प्रावधान जिसमें पांच वर्ष में 490 करोड़ रुपये दिये जाएंगे, लेखों का संधारण सी.ए.जी. के द्वारा किया जाएगा। 11वीं अनुसूची में वर्णित शक्तियां अगर पंचायती राज संस्थाओं को नहीं दी गई 31 दिसम्बर, 2002 तक, तो यह भी कहा गया है कि राज्यों का अनुदान 25 फीसदी काट लिया जाएगा। इसके अलावा ऐसे लेखों का संधारण और डाटा बेस सृजन के लिए 11वें वित्त आयोग के द्वारा अलग से राशि का प्रावधान किया गया है। इसी तरीके से केन्द्रीय टास्क फोर्स ने भी पिछले साल अपनी सिफारिश दी है जिसमें आयोजना व गैर आयोजना बजट में जिलेवार, पंचायत समितिवार व अलग-अलग वार्षिक आबंटन करने का परामर्श दिया गया। है। 11वीं अनुसूची में वर्णित सभी 29 विषयों को पंचायती राज संस्थाओं को सौंपने का परामर्श दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कई फैसले कागजों में हो जाते हैं लेकिन जब तक कोष, कार्य और कार्मिक, (फण्डस, फंक्शनरीज और फंक्शन) ये तीनों स्थानान्तरित नहीं किये जाएं तो किसी भी रूप में इन संस्थाओं को सुदृढ़ नहीं किया जा सकता। केन्द्रीय टास्क फोर्स ने अपनी सिफारिश में यह परामर्श दिया है और उसी के अनुरूप राजस्थान की सरकार कार्यवाही करने जा रही है।

माननीय सभापति महोदय, पंचायती राज मंत्रियों का जो सम्मेलन दिल्ली में हुआ, उसमें भी लगभग इसी तरीके के सुझाव दिए गए, लेकिन उसमें ग्राम सभा को सामाजिक अंकेक्षण का वैधानिक अधिकार, और जन प्रतिनिधियों के निलम्बन और उसकी बर्खास्ती को असंवैधानिक माना है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि कमेटी की सिफारिश इस बिन्दु पर मौन है। मैं आपके माध्यम से माननीय पंचायती राज मंत्रीजी से यह आग्रह करना चाहूंगा कि जब आप कोई नया प्रयोग करने जा रहे हैं तो आपको भरोसा करना चाहिए और उसी के अनुरूप स्वतंत्रता के साथ काम करने का अवसर दिया जाना चाहिए। भारत सरकार

(श्री संयम लोढ़ा)

ने इसी साल पंचायत अध्यक्षों का सम्मेलन बुलाया है, प्रधानों को भी इसमें बुलाया है, जिला प्रमुखों को भी इसमें बुलाया है। इसी तरीके से राजस्थान सरकार ने भी इस सम्बन्ध में कार्यशालाएं आयोजित कीं और जो सुझाव पंचायती राज संस्थाओं के जन प्रतिनिधियों के द्वारा प्राप्त हुए हैं, उनके अनुरूप कार्यवाही की दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। सभापति महोदय, उस सम्मेलन में प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो तस्वीर प्रस्तुत की, वह हम सबके यह समझने के लिए पर्याप्त है कि हमारी पंचायती राज संस्थान किस दयनीय स्थिति से गुजर रही है और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए उसको ताकतवर बनाया जाना कितना आवश्यक है। माननीय सभापति महोदय, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने अभी बताया है कि एक ग्राम पंचायत की निजी आय वार्षिक मात्र 30,000 रुपये है, पंचायत समिति की वार्षिक आय मात्र 60,000 रुपये है और जिला परिषद् की निजी स्रोतों से वार्षिक आय 12 लाख रुपये है। आप और हम सब सोच सकते हैं कि इन स्थितियों में कैसे पंचायती राज की संस्थाएं ग्रामीण विकास के सपने को पूरा कर सकती हैं। मैं इस अवसर पर हमारे प्रधान मंत्रीजी ने जो अपने भाषण में उल्लेख किया है, उसका जिक्र करना चाहूंगा, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य कई तरह के आरोप प्रत्यारोपण कर रहे थे उनका दिमाग इस उद्धरण से साफ हो जाएगा। माननीय सभापति महोदय, देश के प्रधान मंत्री ने पंचायती राज सम्मेलन में कहा, मैं एक छोटा-सा उद्धरण आपको सुनाना चाहता हूं, कि जब संविधान का निर्माण हुआ, हमें पंचायतों की ओर जितना ध्यान देना चाहिए था, नहीं दे सके। एक लम्बी कहानी है मैं उसमें नहीं जाना चाहता। विकेन्द्रीकरण की कल्पना पुरानी है, पंचायती प्रणाली भी प्राचीन है, पंच को परमेश्वर का दर्जा दिया जाता था, निर्भीक होकर, नि:स्वार्थ भाव से तब अपने क्षेत्र के अपने लोगों की सेवा करते थे, वह सब के आदर का पात्र होता था। लेकिन संविधान के निर्माण के समय विकेन्द्रीकरण को गांव तक ले जाने की प्रक्रिया पर जितना बल देना चाहिए था, हमने उसका उल्लेख किया था, ढांचा भी तैयार हुआ था, लेकिन तस्वीर साफ नहीं थी। जिसका श्रेय जाता है स्वर्गीय राजीव गांधी को। दस साल पहले उन्होंने संविधान में संशोधन किया क्योंकि वह समझ गये इस बात को कि बिना संशोधन किए हुए, पंचायतों के अधिकारों का स्पष्ट रूप से बिना उल्लेख किए हुए पंचायती राज संस्थानों को ताकत नहीं मिलेगी। वे जनता का सही रूप में प्रतिनिधित्व नहीं कर सकेंगे, उस संघर्ष में भी उचित योगदान नहीं दे सकेंगे। इसलिए संविधान में दो संशोधन किए गए एक 73वां संशोधन और दूसरा 74वां संशोधन। ये ऐतिहासिक संशोधन हैं, ये क्रांतिकारी संशोधन हैं। इन संशोधनों में परिवर्तन किये हुए दस साल हो गए, अब

(श्री संयम लोढ़ा)

समय आ गया है कि दस सालों के अनुभव के प्रकाश में जो विद्यमान स्थिति है उस पर विचार करें। तो, सभापति महोदय, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार का सोच बहुत साफ है और वह अपने स्वर्गीय नेता राजीव गांधी के कमिटमेंट को पूरा करने की दिशा में इस विशेष सत्र के माध्यम से आगे बढ़ रही है। हमारी कांग्रेस अध्यक्ष और प्रतिपक्ष की नेता श्रीमती सोनिया गांधी स्वयं यह चाहती हैं कि ग्राम पंचायतें, हमारी पंचायती राज व्यवस्था सामजिक परिवर्तन का औजार बनें और वह सामाजिक परिवर्तन का औजार तभी बन सकती है जब हम हर स्तर पर उसको सक्षम बनाएं।

माननीय सभापति महोदय, मैं दो–तीन सुझाव और निवेदन करना चाहता हूं। हम सब अधिकार देना चाहते हैं, इतने विषयों को हस्तान्तरित भी करना चाहते हैं, यह बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें यह देखना पड़ेगा कि जमीन के स्तर पर हम उसका कितना, किस रूप में लाभ ले पाएंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से पंचायती राज मंत्रीजी को सुझाव देना चाहूंगा कि नगर पालिका के अध्यक्ष, पंचायत समिति के प्रधान और जिला प्रमुख, इनका निर्वाचन आप प्रत्यक्ष पद्धति से करवाएं। जनता के वोट से चुना हुआ व्यक्ति इस महत्वपूर्ण पद पर पहुंचेगा तो उसके पीछे नैतिक रूप से ताकत भी रहेगी और एक अच्छा नेतृत्व पंचायत समिति, नगरपालिका और जिला परिषद को प्राप्त हो सकेगा। माननीय सभापति महोदय, देश के कुछ राज्यों में प्रत्यक्ष पद्धति से चुनाव हो भी रहा है, और ऐसा होने पर ही एक वास्तविक नेतृत्व ग्रामीण क्षेत्र का ग्रामीण जनों को, पंचायती राज व्यवस्था को प्राप्त हो सकेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हम स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं को व्यापक अधिकार देने जा रहे हैं, पर हमारी एक्जीक्यूटिव एजेंसी क्या है? राजस्थान नगर पालिका सेवा के 183 में से 113 अधिकारी या तो एन्टी करप्शन में गिरफ्तार हुए हैं या उनके खिलाफ आय से अधिक सम्पत्ति प्राप्त करने के मुकदमें हैं या नियम 16 की कार्यवाही का वे सामना कर रहे हैं। एक ऐसे प्रशासनिक तंत्र के सहारे आप राजस्थान की जनता को किस रूप में लाभान्वित कर पाएंगे, इसमें मुझे बहुत बड़ा संशय है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान नगर पालिका के पचास फीसदी अधिकारियों की आप नई भर्ती करें और इनमें बी.आर.एस. लागू करें। आपके विभाग के अन्दर जितने हैबीचुअल आफेंडर बैठे हैं, इनकी आप विदाई करें, वर्ना यह जो सारी व्यवस्था आप करने जा रहे हैं, जो स्वर्गीय राजीव गांधी का सोच था कि पन्द्रह पैसे हम निचले स्तर पर पहुंचा रहे हैं, उस सारे सोच का सत्यानाश हो जाएगा।

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय सभापति महोदय, मैं यह भी आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि पंचायत राज संस्थाओं के बारे में हमारी क्या सोच है। कभी हम शिक्षा सेवा के अधिकारियों को लाकर बैठा देते हैं, पांच साल उनसे काम लेते हैं। कभी हम पशुपालन विभाग से चिकित्सक उठा कर ले आते हैं, पांच साल उनसे काम लेते हैं, कभी हम इंजीनियर्स को उठाकर ले जाते हैं, पांच साल उनसे काम लेते हैं। बाद में जब वे सीख जाते हैं तो कहते हैं कि चल भइया, वापस तू पशुओं के टीके लगा। यह कौन सा तरीका है? जब हम इतनी ताकत देने जा रहे हैं, इतने विभाग सौंपने जा रहे हैं, तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि राजस्थान की हर पंचायत समिति में विकास अधिकारी के पद पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को लगाना चाहिए। इसी तरीके से जिला परिषद् में, जब आप जिला परिषद् को इतनी ताकतवर बनाने जा रहे हैं, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर भी आपको आई.ए.एस. अधिकारी लगाना चाहिए जिससे आपका जो लक्ष्य है उस लक्ष्य की प्राप्ति की जा सके। (व्यवधान) सभापति महोदय, सरपंच की इस तरीके की क्वालिफिकेशन रखना असंवैधानिक है। देश के हर नागरिक को अधिकार है कि वह चुनाव लड़ सके, आप रोक नहीं सकते उसको।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और माननीय मंत्री महोदय से करना चाहता हूं। पंचायती राज मंत्री पहले स्वायत्त शासन मंत्री थे, उन्होंने अपने विभाग में काफी सुधार किए। काफी रिफार्म्स लाए, काफी लचीलापन लाए, नियमों में काफी फेरबदल किए, पर उन नियमों के फेरबदल का नीचे एक्जीक्यूशन क्या है? 90 बी का आपने प्रोवीजन किया नियमन का। नगरपालिका की आबादी भूमि जिसका 90 बी में नियमन हो सकता, साढ़े तीन करोड़ रुपये की लैण्ड और चेयरमैन अगर अपने स्वार्थ के लिए अधिशासी अधिकारी को परचेज करके उसका 90 बी में नियमन कर दे या डेढ़ करोड़ रुपये की लैण्ड उसका नियमन कर दे या जनता की सम्पत्ति है उसका स्ट्रिप आफ लैण्ड में अलाटमेंट कर दे, आप क्या कार्यवाही करेंगे? आपने आज तक कोई पर्सनल लायबिलिटी फिक्स नहीं की। अब जब आप इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि हम निचले तंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, निचले स्तर के जन प्रतिनिधियों को अधिकार देना चाहते हैं तो आपको यह व्यवस्था करनी चाहिए कि जितना रेवेन्यू लास होगा, सरकारी धन की हानि होगी, सरकारी आय का नुकसान होगा वह उस अधिकारी और जन प्रतिनिधि की व्यक्तिगत सम्पत्ति से वसूल किया जाएगा। वहीं नहीं, उसके बेटे भी उस पैसे को देने के लिए जवाबदेह होंगे। जब तक आप यह व्यवस्था नहीं करेंगे, कोई जवाबदेही आप सुनिश्चित नहीं कर सकते। मंत्रीजी, मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं आपसे। मेरा निवेदन है, सभापति

(श्री संयम लोढ़ा)

महोदय, आपके माध्यम से, कि जब तक यह जवाबदेही सुनिश्चित नहीं करेंगे, इस व्यवस्था को ठीक नहीं किया जा सकेगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस दिशा में भी मंत्री महोदय विचार करें। सभापति महोदय, आपके माध्यम से सदन के सभी माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि हम एक नए विचार के साथ आगे बढ़ रहे हैं, हमको खुले दिमाग से हमारे निचले स्तर के जन प्रतिनिधियों को अधिकार सम्पन्न बनाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारी जड़ें मजबूत होगी तभी पेड़ पर पुष्प खिलेंगे और उन फूलों से खुशबू आ सकेगी। मैं मकदूद मईनुद्दीन जी के एक शेर के साथ अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं कि "हयात लेकर चलो, कायनात लेकर चलो। चलो तो सारे जमाने को साथ लेकर चलो।" धन्यवाद

श्री सभापति : माननीय श्री हीरासिंहजी चौहान।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : सम्माननीय सभापति महोदय, आज सदन में पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं की मूल भावना—संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के अनुसार सुदृढ़ीकरण के ऊपर हम विचार कर रहे हैं। बहुत प्रसन्नता की बात है कि सभी वक्ताओं ने इसके पूरे इतिहास और अब तक क्या-क्या सरकारों ने किया और सरकार क्या करने जा रही है, इसके ऊपर अपने विचार रखे। मैं अपने विचारों को जो पूर्व वक्ता यहां पर व्यक्त कर चुके हैं उनमें न ले जाकर, और सशक्तीकरण किस प्रकार किया जा सकता है पंचायती राज का, उसके विषय में ही अपनी भावना व्यक्त करूंगा।

सबसे पहले मैं ग्राम सभा और ग्राम पंचायत से अपनी बात कहना शुरू करता हूं। सन् 1994 में भारत के 73वें संविधान संशोधन के अनुसार, इस विधान सभा में जब भारतीय जनता पार्टी का शासन काल था उस समय पंचायती राज अधिनियम बनाया गया। उस अधिनियम के तहत जो 11वीं अनुसूची आप कह रहे हैं उसमें जितने भी विषय दिये गए थे उन विषयों का ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषदवार उल्लेख उसमें कर दिया गया था। इस प्रकार यह कहना कि 73वें संविधान संशोधन की भावना के अनुरूप पिछली सरकार ने कार्यवाही नहीं की, ठीक नहीं होगा। पिछली सरकार ने जितने भी विषय 11वीं अनुसूची में थे उसके अनुसार उनको इंगित करके उस पर कार्यवाही करना शुरू कर दिया था। अब जिस प्रकार की भावना यहां व्यक्त की जा रही है कि ग्राम पंचायतों को मजबूत करना चाहते हैं, माननीय सभापतिजी, मुझे बड़ी शंका है। शंका मुझे इसलिए पैदा हो रही है कि आप अधिकार दे तो देते हैं लेकिन वापस तुरन्त उन पर हमला बोल देते हैं। किसी भी पंचायती राज संस्था के स्वतंत्र होकर काम करने में हर प्रकार की बाधाएं डालते हैं। अगर माननीय

(श्री हीरासिंह चौहान)

पंचायती राज मंत्री जी पंचायतों को मजबूत करना चाहते हैं, जो अनुसूची में विषय दिए गए हैं उनके अनुसार काम करना चाहते हैं तो निःसंदेह पंचायती राज व्यवस्था बहुत मजबूत होगी।

माननीय सभापतिजी, ग्राम पंचायत स्तर पर पटवारी आपका है, ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रुप सचिव ले लीजिए, ग्राम पंचायत स्तर पर प्राथमिक विद्यालय का अध्यापक ले लीजिए, ग्राम पंचायत स्तर पर आयुर्वेदिक चिकित्सक ले लीजिए, कहीं–कहीं पी.एच.सी. के सेन्टर हैं वो ले लीजिए, ए.एन.एम. ले लीजिए, ये जो मुख्य रूप से ग्राम पंचायत के साथ जुड़े हुए हैं, क्या आज भी पंचायत के नोटिस देने के बावजूद ये अधिकारी उनमें उपस्थित होते हैं? फिर आप किस प्रकार मजबूत करना चाहते हैं? आपके प्रशासनिक अधिकारी, आपका तहसीलदार, आपका कलक्टर, वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि पटवारी मेरे अधीनस्थ है। अगर ग्राम पंचायत किसी तरह की उसके खिलाफ कार्यवाही भी करना चाहती है और ग्राम सभा प्रस्ताव लाकर दे देती है कि यह पटवारी निकम्मा है, इसको हटाओ, तो आपके अधिकारी और आपकी सरकार उनको लम्बे समय तक नहीं हटा कर ग्रामवासियों में और ग्राम में पूरी अशांति का वातावरण फैलाते हैं। क्या हो जाता है? कलक्टर कहता है कि ट्रांसफर पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है। आपका कलक्टर यह कहता है कि इसकी दो साल की अवधि पूरी नहीं हुई है। ऐसे–ऐसे उदाहरण आए हैं कि लोगों ने नाक–कान काटे हैं पटवारियों के, लेकिन इतना जलील होने के बावजूद भी आपका प्रशासन उनका स्थानान्तरण नहीं करता है। आज एक ग्राम पंचायत में ग्रुप सचिव लगा हुआ है, उस ग्रुप सचिव को न तो आप ट्रेनिंग देते हैं। कभी तो आप सिंचाई विभाग से लाकर डाल देते हैं, कभी किसी विभाग से सरप्लस करके उनको डाल देते हैं। उनको काम करना कुछ आता नहीं है। उनको ट्रेनिंग देने की, माननीय मंत्री महोदय, आपने क्या व्यवस्था की? पहले जो ग्रुप सचिव आते थे, ग्राम सेवक थे, दो–दो साल का ट्रेनिंग लेकर आते थे। वे सोशियली इतने ज्यादा परफैक्ट थे कि समाज में पुराने जितने भी ग्राम सेवक थे उन्होंने बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन किया था। सहकारिता आंदोलन, दुनिया भर के काम किए थे। लेकिन आज ग्राम सेवक आपका इतना कमजोर है के वे न तो हैडक्वार्टर पर रहते हैं। उनको रोकड़ बही में जमा–खर्च के अधिकार दिए, बहुत अच्छा किया। लेकिन आज होता यह है कि पूरी पंचायत प्रस्ताव ले लेवे कि अमुक प्रकार का खर्चा करना जरूरी है लेकिन उस खर्चे को आपका ग्राम सेवक कैश बुक में नहीं लिखता है। आज ग्राम सरपंच ग्रुप सचिव के पीछे–पीछे घूम रहा है। आपने म्यूटेशन करने के अधिकार दिए। ग्राम पंचायतों को अधिकार दे रखे हैं कि म्यूटेशन करने का पूरा अधिकार ग्राम पंचायतों को है। आपका कौन–सा पटवारी पंचायत के नोटिस देने के बावजूद उनका म्यूटेशन नहीं भरता है? कोर्ट

(श्री हीरासिंह चौहान)

की तरह म्यूटेशन के अधिकार उनको दे रखे हैं, पर न कोई पत्रावली चालू होती है, न आपका ग्रुप सचिव समझता है, न नोटिस देना जानता है। यह जो हजारों म्यूटेशन की कार्यवाही है, कभी तो आप राज्य से प्रशासन गांवों की तरफ ले जाते हो। वहां भी वही अधोगति होती है। आप भले ही राजी हो जाएं, आप खुश हो सकते हैं कि हम प्रशासन गांवों के संग ले गए, हमने तीसमारखां काम कर दिया। लेकिन स्थिति यह है, मैं मेरे जिले की कह सकता हूं कि प्रशासन गांवों के संग में जो कार्यवाही होनी थी, आप लोगों की कल्पना अच्छी थी, इससे मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन आपके अधिकारियों ने रजिस्ट्री होती है उनमें सीधी तहसीलदारों को जहां-जहां रजिस्ट्री करने का अधिकार है, डाइरेक्ट पेशगियों के द्वारा जो दस्तावेज राइटर हैं उनके द्वारा मिल जाती हैं। वो कहते हैं, मैं मेरे पड़ौसी गांव का उदाहरण देना चाहता हूं। मेरे पड़ौसी गांव काणूजा है, झाला की चौकी पंचायत है, छोटा-सा गांव हैं पांच परिवार...

डा. के. सी. चौधरी : काणूजा आपका खुद का गांव है।

श्री हीरासिंह चौहान : काणूजा के पड़ोस में बताया है। आप मेरे पड़ोसी हैं, इसलिए जानते हैं। पड़ौसी गांव है। पांच परिवार, सैटलमेंट के समय बड़े भाई के नाम खातेदारी हो गयी और बड़े भाई ने लिख दिया कि यह खातेदारी की जमीन मेरे तीन भाइयों का भी हिस्सा है। आज तक वो मारे-मारे फिर रहे हैं लेकिन आज दिन तक उनका म्यूटेशन नहीं हो रहा है। अब स्थिति इतनी गम्भीर है। आप एक तरफ अधिकार देना चाहते हैं, अधिकार दीजिए। अधिकार देना चाहिए, लेकिन अधिकार के पीछे आपके सरकार के महकमे में जो अधिकारी बैठे हैं, सरकारी नौकर हैं क्या वे उस मंशा की पूर्ति करेंगे? यह मुझे बड़ी चिंता है, इस चिंता को दूर करने में, धारीवाल साहब, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपके ये बड़े-बड़े हाथी अहलकार बैठे हैं, एक भी विभाग अपने कर्मचारियों को नहीं देना चाहता है। मैं बताऊं आपको, महिला एवं बाल विकास प्राधिकरण, दो साल पहले सरकारी आर्डर करके आपने उनको कहा कि पंचायत समिति के अधीन रहेंगे। हमारी पंचायत समिति रायपुर में वो किराये के भवन में चल रहा है, हमने मेहनत की, कलक्टर तक को लिखा कि हमारी पंचायत समिति में भवन तैयार है, वो किराये का भवन छोड़ कर उस मकान में आए। हमने जितनी कोशिश करनी थी, उसको बुला कर समझा दिया, नाना प्रकार की सुविधा दी पर वो तो पंचायत समिति की बैठकों तक में नहीं आते हैं और वह जो किराये के भवन में उसका चल रहा है, आज दिन तक चल रहा है। ये आर्डर तो आपके पास थे न, पहले ही कर चुके हैं। माननीय सी. पी. जोशी साहब थे उस समय ही महिला बाल विकास को पंचायती राज महकमे के नीचे दिया, लेकिन आज दिन

(श्री हीरासिंह चौहान)

तक वो अधिकारी नहीं आ रहे हैं। इसी प्रकार आयुर्वेदिक विभाग का भी आप आर्डर कर चुके हैं, आयुर्वेदिक अधिकारी भी मीटिंगों में नहीं आते हैं। न किसी प्रकार की मीटिंगों में भाग लेते हैं। तो आप किस प्रकार के सुदृढ़ीकरण की कल्पना कर रहे हैं? मुझे बड़ी शंका है। कर जाएंगे तो हम तो आपको बहुत बधाई देंगे, बहुत धन्यवाद देंगे। राष्ट्रीय स्तर पर जिस प्रकार की प्रधान मंत्रीजी ने भावना व्यक्त की, आपकी विपक्ष की नेता श्रीमती सोनिया गांधीजी ने भावना व्यक्त की, इस परिकल्पना को हम सब स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। हमारे मन में कोई पीड़ा नहीं है, लेकिन क्या आप ऐसा कर पाएंगे? क्या कागजी एक विधान सभा का स्पेशल सत्र बुला करके अखबारबाजी करके राजी करना चाहते हो? यह बहुत कठिन काम है जिस कठिन काम को आप कर पाएंगे तो राजस्थान की जनता आपको धन्यवाद देगी।

बहुत पहले सैटलमेंट हुआ, मैं तो मेरे लिए कह रहा हूं। सन् 2010 में हमारी पंचायत समिति या तहसील रायपुर में सैटलमेंट हुआ। 2010 के बाद, माननीय सभापति महोदय, गांव की इतनी आबादी बढ़ी, इतनी आबादी बढ़ गयी कि हर बार ग्राम पंचायत, माननीय धारीवाल साहब, प्लीज हियर मी। यह नहीं चलेगा, प्लीज हियर मी।

श्री सभापति : गम्भीर बात कह रहे हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : 2010 में हमारे सैटलमेंट हुआ, और भी जगह हुआ होगा। आपने अधिकार दे रखा है नयी कालोनियां बसाने के लिए। आबादी बढ़ जाती है उस भूमि को आबादी में शामिल करने की। खसरा नम्बर सहित। उसके क्षेत्रफल सहित और जो परिवार बसना चाहते हैं उनकी लिस्ट सहित सारा देने के बावजूद भी आज 10 साल से मैं प्रधान भी रहा, 1993 में मैं चुनाव हार गया था मुझे वहां निर्विरोध प्रधान बनाया। मैं रहा और मैंने जितनी अच्छी कल्पना की थी कि मैं इसको थोड़ा सुदृढ़ करूंगा, लेकिन मेरे कार्यकाल में भी ग्राम पंचायत की आबादी आज दिन तक नहीं बढ़ पायी। आज भी अतिक्रमण के मुकदमे आपका तहसीलदार बना रहा है। अब अतिक्रमण आदमी बढ़ाएगा, आखिर आबादी बढ़ जाती है। एक परिवार में पांच आदमी होते हैं, कहीं न कहीं तो बसेंगे। एक परिवार का घर था उसके बाद पांच परिवार हो गये। आबादी न बढ़ने के कारण अतिक्रमण के मुकदमे बनते हैं, 91 के लगते हैं। आपके तहसीलदार को बहुत पहले अधिकार है, यह अधिकार आलरेडी है, कोई नयी बात नहीं कह रहा हूं, उनकी भी पालना आज दिन तक नहीं की जा रही है। तो मैं चाहता हूं कि जिस परिकल्पना के साथ, जिस भावना के साथ पंचायतों को आप सुदृढ़ करना चाहते हैं, उसी भावना के अनुरूप आपको कदम उठाने होंगे। नहीं तो चाहे बलवंत राव मेहता समिति से लेकर हरलाल खर्राजी की समिति हो और चाहे हमारे देश

(श्री हीरासिंह चौहान)

के सम्माननीय प्रधानमंत्री ने अभी बैठक लेकर उद्गार प्रकट किए हों या देश के अन्य नेताओं ने किए हों। हम यहां पर जो लम्बी लम्बी डींगे हांक रहे हैं और हम कल्पना कर रहे हैं कि यह कर देंगे, यह कर देंगे, लेकिन हो कुछ नहीं पा रहा है। मैं आज भी विरोध प्रकट करता हूं, सी. पी. जोशी जी ने वार्ड सभाएं कीं। मैं उस समय भी विरोध कर रहा था। एक गांव में 10 वार्ड हैं, मेरी ग्राम पंचायत रायपुर में 30 वार्ड हैं। वहां कोई कमी नहीं है, एवरीथिंग इज ओके। रोड बने हुए हैं, हास्पिटल हैं, थाना है, क्या चीज की कमी है? सारी चीजें वहां पर हैं। वार्ड सभा लेते हैं कि हमारे यह करो, हमारे यह करो और कागजों का ढेर लगा देते है। ढेर लगने के बाद ऊंट के मुंह में जीरा, होता कुछ भी नहीं है। इस प्रकार की कल्पना करके अब ग्रामीण जनता भी पागल बनने वाली नहीं हैं, वह भी बहुत सावधान हो गई है और बहुत समझती है कि आप अधिकार देकर क्या करना चाहते हो। उसके बाद सी. पी. जोशीजी ने कहा कि जो निर्धन परिवार हैं, मैंने उनसे बात की, जोशीजी, आप क्या करना चाहते हो? जोशीजी ने कहा, अब वार्ड में कौन निर्धन है उसका चयन करने के लिये इन सभाओं को रखा है। मैंने उस समय भी कहा, रेवेन्यू गांव है, सैपरेट रेवेन्यू विलेज है, एक अलग यूनिट है उसके लिये ग्राम सभाएं जरूर कीजिए। यह मैं वार्ड सभा की कह रहा हूं, ग्राम सभा सफल नहीं हैं।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति : क्या सदन का समय एक घंटा बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया गया।

विभिन्न विषयों पर विचार

पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं की स्थिति और 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन के अनुरूप उनके सशक्तीकरण के उपायों पर विचार

श्री हीरासिंह चौहान : जैसा अभी हमारे राठौड़ साहब बोल रहे थे, ग्राम सभा 1994 में जब पंचायती एक्ट बनाया गया था, उस समय एक ही कल्पना की थी कि इसकी सोशियल आडिट हो। जो भी पंचायत की राशि आती है वह किस प्रकार खर्च करते हैं, उसकी सोशियल आडिट की जाए कि कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ। आपने ग्राम सभाओं के महत्व को ही कम कर दिया। एक साल में चार ग्राम सभाएं हैं, What is the utility of 4 Gram Sabhas? मतलब उसका करना क्या चाहते हो? उस सरपंच की

(श्री हीरासिंह चौहान)

इतनी बुरी हालत है, ग्रुप सचिव एक भी नहीं आता है, कोरम होता नहीं है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को मैंने देखा है, गांवों में गया हूं कि 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाकर लोग तो चले गये, इतने सारे प्रस्ताव हैं। मैं खुद गया हूं मीटिंगों में। मैं अभी 15 अगस्त को गया, वह कहते हैं कि क्या करें, साहब ग्राम सभा में न वार्ड पंच आये हैं। गांव की जनता तो 12-1 बजे तक विद्यालय के मैदान में हाजिर थी और वहां पर जितना भी हमारा फंक्शन मनाना था वह मना लिया, अब अपने काम-काज के लिये अपने अपने घर गये हैं। मैं देवलीकलां में गया हूं, दो बजे गया हूं। मैंने पूछा कि अब नहीं आएंगे? कि साहब, अब कोई आने वाला नहीं है। यह जो कोरम पूर्ति का 1/10 का है, इसको आप कैसे पूरा करोगे? कि, साहब, सरकार के आर्डर हैं, घर-घर जाकर दस्तखत करा कर पूरा करेंगे। इस प्रकार की ग्राम सभा की उपयोगिता क्या है? हमको कुछ व्यावहारिक होना पड़ेगा। ये जो नेशनल फंक्शन हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी, इनके बीच में... What is the utility of these Gram Sabhas? इनके साथ इनको क्यों जोड़ते हो?

श्री सी. पी. जोशी : यह फैसला दूरदर्शन पर प्रधान मंत्रीजी का आता है कि ग्राम सभा कीजिए, यह करिए। यह चार ग्राम सभा का नेशनल फैसला है, स्टेट का नहीं है। वहां कहो पार्टी को कि बन्द करो, क्यों यह दूरदर्शन पर करवा रहे हैं?

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय जोशी जी, आप हमारे जो प्रधान मंत्रीजी कहते हैं हू-ब-हू वही काम करते हैं क्या? हम तो खूब जानते हैं आपको कि आप क्या करते हो। वहां से क्या इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, कितने पैसे वहां से भेजते हैं, कितने पैसे आप आगे भेजते हो।

डा. के. सी. चौधरी : माननीय हीरासिंहजी, आप तारीखें दिल्ली से बदलवा लो। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : आपकी पार्टी के नेता कभी-कभी तो अच्छी बात कहते हैं वह हमारे मंत्रीजी मान लेते हैं।

श्री हीरासिंह चौहान : हम सारी बातें मानते हैं, हाउस डिस्कस के लिये ही है।

इसी प्रकार, माननीय पंचायती राज मंत्रीजी, आपने पंचायती राज एक्ट में यह प्रावधान कर रखा है कि जहां भी आबकारी की लाइसेंस वाली दुकान हो उससे 2 प्रतिशत जो भी कर है, शुल्क है, ग्राम पंचायतों को दिया जाएगा। मुझे मालूम है जब मैं प्रधान था, मैंने जिला स्तर तक सारी पंचायत कर दी और हर बार हमारी पंचायत समिति ने प्रस्ताव लेकर भेजे, लेकिन एक भी ठेकेदार ने 2 प्रतिशत टैक्स किसी ग्राम पंचायत को नहीं दिया।

(श्री हीरासिंह चौहान)

एक पैसा नहीं दिया। आमदनी आएगी कैसे? आपके खान है, हमको आंदोलन करना पड़ा। रायपुर की नदी से सारी बजरी बह कर ब्यावर चली गई, खान मंत्रीजी कहते हैं बजरी हमारी है, पंचायती कहती है बजरी मेरी है। ऊपर से पत्थर निकलता है जिसका ठेका देकर सारा पैसा खनन विभाग ले रहा है और आप कह रहे हैं कि आर्थिक स्थिति बढ़ाने के लिये ये अधिकार हैं। जिस प्रकार का जोशीजी ने वर्णन किया, कल्पना बहुत अच्छी है। पर क्या आपका विभाग छोड़ने के लिये तैयार है? आमदनी बढ़ जाएगी। मैं 1996 में पंचायत समिति का प्रधान था, कम से कम 5 लाख रुपये की आमदनी प्रति वर्ष हमारी पंचायत समिति में हो जाती। कोई व्यक्ति के टैक्स लगा, इस प्रकार की हमारे इण्डस्ट्री चल रही है, किसी में साल के 500 रुपये, किसी के हजार रुपये। यहां पंचायती राज महकमा बैठा है, मैं खुद गया, चार बार दे दिया लेकिन किसी प्रकार का आदेश नहीं देता है यह, किसी प्रकार का सिंगल आर्डर नहीं भेजता है। इनको भेजने के बाद ये कागजों को खा जाते हैं। क्या करना चाहता है आपका पंचायती राज महकमा? खान विभाग नहीं था, खान छोड़ दो, दूसरे आइटम पर हमने टैक्स लगाकर इनके पास प्रस्ताव भेजा, 1996 में भेजा, उसके सालभर बाद में और भेजे। मतलव मत करो, मत करो और लिख कर भेज दो कि आपको यह अधिकार है, आप लगा सकते हो। कम से कम यह तो लगा दो। कहीं अपील में जाना पड़े, कल लगा देंगे। आपके पास एक भी व्यवसायी आए, यहां से आप रोक लगा दो, जिस प्रकार का वर्णन कर रहे थे लोग।

आप शक्तियों का विकेन्द्रीकरण करना चाहते हो, एक राजीव गांधी स्कूल का मास्टर जिसका आदेश आप करते हो, राजीव गांधी स्कूल के मास्टर को ग्राम पंचायत ने लगाया, एक मास्टर निकम्मा था हमारे बूटीवास में, काम नहीं करता था, ग्राम पंचायत ने लगाया। 2-3 साल बाद में उसको अभी हटा पाए। वह भी आर्डर कैसे ले गए, मैं जानता हूं। मैं नहीं ले गया, वह पर्सनल पार्टियों ही ले गईं। ऐसे निकम्मे को हटा सकते नहीं, पढ़ाता नहीं। इसी प्रकार राजीव गांधी स्कूलें खोल दीं। माननीय मंत्रीजी, आज राजीव गांधी स्कूल का मास्टर छुट्टी किससे ले, कोई व्यवस्था नहीं है। वह कहीं चला जाता है तो उसकी जगह कौन काम करे? उसका सुपरविजन कौन करे? आज तक आपने यह भी व्यवस्था नहीं की है कि राजीव गांधी स्कूल का सुपरविजन कौन करेगा। ग्राम पंचायत को आपन कितने अधिकार दिए है, आज दिन तक नहीं है। 6 महीने से मेरे वहां विकास अधिकारी नहीं है, तीन साल से एजुकेशन एक्सटेंशन आफिसर नहीं है, दो साल से जे.ईएन. नहीं है। आप किस प्रकार कल्पना करना चाहते हो कि पंचायत समिति की व्यवस्था ठीक

(श्री हीरासिंह चौहान)

ढंग से चलेगी? दो साल से कोई भी प्राइमरी स्कूल का इंस्पेक्शन नहीं हुआ क्योंकि बी.डी.ओ. नहीं है, शिक्षा अधिकारी है नहीं। और ब्लाक शिक्षा अधिकारी जो जोशी जी का क्रिएशन था, अच्छा किया उन्होंने अलग बना दिया, धीरे-धीरे उसका सैटअप जमा है, लेकिन उस पर इतना भार है कि वह अपना आफिस छोड़कर ही बाहर नहीं जा सकता क्योंकि उसके हाथ में जो एक्सटेंशन आफिसर होने चाहिये, वह आप एक नहीं दे रहे हो। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप कल्पना करते हो कि ये इकाइयां सुदृढ़ हों, ये इकाइयां मजबूत हों तो आपको मन मजबूत करना पड़ेगा; सरकार का मन मजबूत करना पड़ेगा। आप चाहते हो सारी चीजें सही, आपको गलत लग सकता है वह अपने स्तर पर सही कर रहे होंगे, लेकिन आप पचा नहीं पाओगे क्योंकि आपके पास कोई सिफारिश आएगी कि यह गलत कर दिया। ग्राम सभा का निर्णय तो कभी गलत होता ही नहीं, यह मानकर चलिए। पूरा गांव बैठता है तो वहां तो निर्णय बहुत कम गलत होता है। लेकिन कहीं गलत निर्णय हो भी सकता है। लेकिन उसकी आप जांच नहीं कराओगे, सीधे आप आर्डर करोगे। मैंने अभी जलदाय महकमे के बारे में कहा था, एक बहुत बड़ी महती योजना 1998 से चल रही थी। इस साल अड़पड़ा तक पानी पहुंच जाता। हमारे जोशी जी से आर्डर ले गये, रामसिंह जी से बड़ी मुश्किल से हमने आर्डर कराये कि देवलीउल्ला में फिल्टर प्लांट बनेगा। बिना लिफ्ट किये, बिना बिजली के आटोमेटिक पानी चला जाएगा। कोई नेता लोग आये और किये कराये पर सारा पानी फेर दिया। दो साल तक और पानी नहीं मिल सकता। हम राज में आएंगे जब ही उनको पानी दे सकेंगे। इस प्रकार सारा आप मटियामेट कर रहे हो। स्थिति क्या बन रही है, मन से भले ही खुश हो कि राज आ जाएगा, राज वापस आने वाला नहीं है।

(17.00 बजे)

डा. के. सी. चौधरी : आप ख्याली पुलाव पका रहे हो कि राज में आओगे तब यह करोगे। वापस आओगे तो हमसे ही मांगोगे। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : राज भी आएगा। अभी तो आपकी जबरदस्त सभा में भी तीन बार जीत कर आया हूं, और जीत कर आ जाएंगे। दस विधान सभा, कहीं से खड़ा हो, हीरासिंह चैलेंज देकर खड़ा हो सकता है और वहां से जीतेगा। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : आप तो जीत कर आ जाएंगे, मैं राज की बात कर रहा हूं।

श्री हीरासिंह चौहान : ब्यावर में आ जाऊं? (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : आप तो जीत कर आ जाएंगे, मैं राज की बात कर रहा हूं।

श्री हीरासिंह चौहान : राज भी हमारा ही आएगा।

डा. के. सी. चौधरी : नहीं आएगा।

श्री हीरासिंह चौहान : इसलिए उसकी चिन्ता मत करो, राज भावना से आएगा। (व्यवधान)

अभी सिरोही वाले माननीय सदस्य संयम जी लोढ़ा बोल रहे थे, कह रहे थे कि हमने पंचायत समितियों में सरपंच को अधिकार दिया, कौनसे वोट का अधिकार दिया? जिला परिषद् में हमने प्रधान को बिठा दिया, कौनसे वोट का अधिकार दिया है आपने? यह तो पहले हमने भी व्यवस्था की थी कि, मैम्बरशिप के रूप में आ जाए। स्टैंडिंग कमेटियों के चुनाव में भाग लेने से एक प्रकार की जो योग्यता होती है, वह हासिल नहीं कर पाते। इसके बाद में आपने मैम्बर बना लिये। माननीय मंत्री जी, लेकिन कोई सरपंच 12 महीनों में भी किसी समिति की मीटिंग में भाग नहीं ले, उसके ऊपर क्या लगाया आपने? कोई सरपंच 12 महीने तक भाग नहीं ले, कोई पंचायत समिति का प्रधान 12 महीने तक जिला परिषद की बैठकों में भाग नहीं ले, आपने कोई अंकुश लगाया क्या? वह उनकी मनमर्जी पर छोड़ दिया। मनमर्जी पर छोड़ दिया, जब आवे जब आवे, नहीं आवे जब नहीं आवे। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब आप इन पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना चाहते हो, अधिकार देना चाहते हो तो आडिट कीजिए, बहुत स्ट्रांग आडिट कीजिए। हम नहीं चाहते कि उनको खुला छोड़िए। आडिट का भी मैं कह रहा हूं आज एक वर्ष का आडिट करने के लिए अनुदान की राशि मिलती है, आडिट पार्टी, एक वर्ष की आडिट के लिए चार हजार रुपये प्रति पंचायत से वसूल करती है। अनुदान की मामूली राशि आती है और उस अनुदान की राशि से भी चार हजार आडिट वाले ले जाते हैं। और क्या है? What is the percentage of J.En. and B.D.Os.?

विकास के कामों पर क्या हो रहा है? एक तरफ आप इनको सुदृढ़ करना चाहते हैं, दूसरी तरफ सरपंच और ग्राम पंचायतों को दबा रखा है प्रशासन ने कि वे ऊपर नहीं उठ सकते। कोई भी दबंग सरपंच काम करना चाहता है उस पर भी नाना प्रकार की आप अड़चनें पैदा करते हैं। मैं कहना चाहता हूं, यह बात सही है कि जिला स्तर पर जिला परिषद् में आपके सारे डी.एल.ओ. जाते हैं, लेकिन पंचायत समिति की जहां मीटिंग होती है सैकण्ड ग्रेड के आफिसर होते हैं– ए.ईएन. वगैरह मनमर्जी पर है, कोई आए, नहीं आए। उनके मुख्य अधिकारी को लिखा लेकिन आज तक कोई एक्शन नहीं हो सका। माननीय जोशी जी, सुनिए, आता है, ए.ईएन. आता है लेकिन एक इंच पाइप लाइन नहीं ले सकता। उसकी बैठक में आने

(श्री हीरासिंह चौहान)

की व्हाट इज यूटिलिटी? वह एक इंच की पाइप लाइन नहीं ले सकता, कि मेरे पास कोई फण्ड नहीं है। जोशी जी, देखिए, धारीवाल जी का विषय नहीं है। (व्यवधान) मंत्री यह नहीं, मंत्री तो वही हैं, लेकिन अधिकार सम्मत है, वह कर सकते हैं जोशी जी। (व्यवधान) ऐसा नहीं है, वैसे तो फण्डिंग तो अपना-अपना विभाग करेगा। इनके पास तो एक ढांचा चलाने के लिए पंचायती राज बना हुआ है। यह तो बहुत अच्छे नगरपालिकाओं को लेकर बैठे थे, लेकिन मेंटल एक्सरसाइज, यह घर में सोते रहते हैं, मिलते भी नहीं किसी से। अब मिलें किससे? मैं तीन बार गया, क्या कर रहे हैं? बीमार हो गये। यह महकमा इतना, पूरा तंत्र फैला हुआ है राज्य में, बहुत लम्बा-चौड़ा तंत्र है, इस तंत्र को सम्भाल कर जोशी जी ने तो राहत की सांस ले ली। अब आपके पास यह विभाग आ गया, इस विभाग को सम्भालना आसान काम नहीं है, इसलिए आपको समस्याएं सुननी पड़ेंगी। (व्यवधान)

अब हम कर रहे हैं शिक्षा में, स्कूलें खोलने में भेदभाव किया। हम आप पर इस विधान सभा में नहीं बोलने वाली स्थिति करके छोड़ेंगे। मैं थोड़ा विषय से अलग जा रहा हूं। आपने कहा, दो-दो स्कूलें खोलेंगे, एक स्कूल नहीं खोला। क्या शासन इस प्रकार का भेदभाव करता है? क्या राज्य का असंतुलित विकास करना चाहते हैं, इम्बैलेंस? इसलिए जब...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : यह "शिक्षा आपके द्वार" है।

श्री हीरासिंह चौहान : "शिक्षा आपके द्वार" ले जा रहे हैं। "शिक्षा आपके द्वार" में मैंने सुना था, डेढ़ हजार स्कूलें इस बार आपने शिक्षा कर्मी बोर्ड से खोलना तय किया राज्य में केवल पांच सौ स्कूलें खुलीं और "शिक्षा आपके द्वार" योजना के तहत आपने एकदम आर्डर लगा दिया, अब कोई स्कूल नहीं खोलेंगे। एक महीने पहले आर्डर दिया। जहां पर बहुत दूर-दूर ढाणियां फैली हुई हैं वहां पर विद्यालय की मांग है, लेकिन आपने एकदम एक ही लाइन से स्कूल खोलना बन्द कर दिया। आज आप कम्पलसरी एजुकेशन करना चाहते हो, हमारे नीति निर्देशक तत्वों में भी है, बहुत पहले हमारे राज्य में कम्पलसरी एजुकेशन हो जानी चाहिए। "शिक्षा आपके द्वार" आपने योजना बना दी, लेकिन स्कूल खोलने का मापदण्ड तय करने, संख्या देने के बाद भी आपने एक ही कलम से कोई स्कूल नहीं खोली। मत खोलिए आप सैकण्डरी, मत खोलिए हायर सैकण्डरी। लेकिन जब आपने लक्ष्य बना दिया कि हम 2003 तक सभी जगह चाहे ढाणी है, चाहे दूर-दराज है, वहां पर सबको शिक्षित करना चाहते हैं और हमें भी इसके साथ में शिक्षित होना चाहिए। बहुत अच्छी सोच है आपकी, लेकिन इस सोच को पूरा करने के लिए दो किलोमीटर की परिधि तक,

(श्री हीरासिंह चौहान)

डेढ़ किलोमीटर की परिधि तक तो आप स्कूल बनाएंगे, तभी तो बच्चा जा सकता है। दो-तीन किलोमीटर पांच-छह साल का बच्चा नहीं जा सकता। उसको हमेशा मां-बाप छोड़ने के लिए नहीं जा सकते। मेरा आपसे निवेदन है कि जो कुछ भी है, यह भारत सरकार से लेंगे हम। पूरा देश पंचायती राज संस्था को सुदृढ़ करना चाहता है। राजीव गांधी जी ने किया, हम भी कहते हैं। उन्होंने एक सोच बनाया था वह 1993 में पूरा हुआ, उनके समय में पूरा नहीं हुआ। आप की सरकार भी चाहती है कि पंचायती राज संस्थाएं सुदृढ़ हों। लेकिन यह प्राइमरी जो फैसिलिटी है, अपने को फाइनेंस से उनको असिस्ट करना चाहिए और उसकी मानिटरिंग भी ठीक ढंग से होनी चाहिए। इन कमियों को दूर करते हुए हम राज्य का विकास करें। सरकार इसके प्रति ठीक सोच बनाए और अपने अधिकारियों पर जबरदस्त नकेल कसे, तब जाकर पंचायती राज संस्था सुदृढ़ होगी। मैं इतना ही कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं। जयहिन्द, जयभारत।

श्री सभापति : डा. के. सी. चौधरी।

डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) : माननीय सभापति महोदय, राजस्थान विधान सभा के पंचायती राज संस्थाओं एवम् नगरपालिकाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु बुलाये गये इस विशेष अधिवेशन में भाग लेते हुए मैं अपने विचार पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरपालिकाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु रखना चाहूंगा।

जैसी कि शुरूआत थी, हमारे वर्तमान पंचायती राज मंत्री एवं पूर्व पंचायती राज मंत्री ने विस्तृत विवरण इन संस्थाओं के सुदृढ़ीकरण के बारे में रखा और विपक्ष के माननीय सदस्यों को भी सुना। विपक्ष के माननीय सदस्यों की सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि ये सारे अच्छे काम कांग्रेस के राज में क्यों हो रहे हैं। यही पीड़ा है। आप देखें कि 2 अक्टूबर, 1959 को पंचायती राज की स्थापना राजस्थान में हुई कांग्रेस के राज में, स्वर्गीय पण्डित जवाहर लाल जी नेहरू के जमाने में। महात्मा गांधी का सपना उन्होंने साकार किया। और राजीव गांधी जी की बात आपने भी एडमिट की है। माननीय सभापति महोदय, मैं एक बात बताना चाहता हूं, स्वर्गीय राजीव गांधी जी के जमाने की बात, वह देश में पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने प्रजातांत्रिक व्यवस्था के विकेन्द्रीकरण का सपना देखा। उसका कारण कई लोगों ने बताया कि 85 पैसे बीच में रुक जाते हैं, 15 पैसे गांवों में जाकर खर्च होते हैं। असलियत यह थी कि राजीव गांधी यह विजुअलाइज कर पाये कि हमारी प्रजातांत्रिक संस्थाओं में ठहराव कहां आया है। उस ठहराव के कारणों पर वे गए। ठहराव के कारणों पर गये तो उनकी समझ में आया कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में

(डा. के. सी. चौधरी)

जो ठहराव है इसका समाधान सिर्फ यह होगा कि इनको और डेमोक्रेटाइज कर दिया जाए। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो भी ठहराव आया, ठहराव आपके सामने है। कुछ अधिकार जिला परिषदों में केन्द्रित हो गये थे, कुछ प्रधानों पर और फाइनली सरपंचों पर। राजस्थान सरकर और हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री माननीय अशोक जी गहलोत ने एक दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति का परिचय देकर इस ठहराव की स्थिति को 73वें, 74वें संविधान संशोधन की मूल भावना के अनुरूप ग्राम सभाओं, ग्राम पंचायतों और वार्ड सभाओं तक ले जाने का विचार रखा। तो सत्ता के विकेन्द्रीकरण की कल्पना बहुत सही मायने में की गयी और इसी के अनुरूप सरकार की इच्छाशक्ति यह स्पेशल अधिवेशन बुलाने में जाहिर होती है। महात्मा गांधी का सपना भी यही था कि सामाजिक बदलाव और स्थानीय विकास की इकाई ग्राम बनें। उस के अनुरूप ग्राम सभाओं का कंसेप्ट इस दिशा में डवलप हुआ। जब स्थानीय विकास और सामाजिक बदलाव की इकाई गांव बन जाता है, जरूरी यह है कि वह सुदृढ़ हो। कमजोर इकाई को आगे डवलप नहीं कर सकते। उसी के अनुरूप लोकल सैल्फ गवर्नमेंट का कंसेप्ट सब सरकारों ने स्वीकार किया।

राजस्थान इन सब कामों में अग्रणी प्रदेश रहा है और अब यह देश में पहला प्रदेश होगा जो इस स्पेशल अधिवेशन के मार्फत राज्य की सारी जन भावनाएं देश भर में फैलाएगा। इसके लिये मैं राज्य के मुख्य मंत्री को बहुत-बहुत बधाई देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, इस जगह मैं सरकार को इस बात के लिये भी बधाई देना चाहूंगा कि इस बार जो भी पावर ट्रांसफर कर रहे हैं वह पूरी इच्छा शक्ति के साथ कर रहे हैं, पूरे मन से कर रहे हैं। सरकार की मंशा साफ है कि...

श्री मदन दिलावर : पैसे देकर पूरी इच्छाशक्ति से कर रहे हैं। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : पूरी इच्छाशक्ति से कर रहे हैं। सारे तो फण्ड्स आपको दे रहे हैं, सारे फंक्शंस आपको दे रहे हैं और सारे फंक्शनरीज आपको दे रहे हैं। तो जो-जो भी चीजें आवश्यक हैं स्थानीय विकास हेतु, वे सारी की सारी दी जा रही हैं।

श्री मदन दिलावर : पूरे मन से कर रहे हैं। (व्यवधान) कोई गड़बड़ नहीं है, थोड़ा-थोड़ा काम कर लेते। (व्यवधान)

डा. के. सी. चौधरी : नहीं, आप चुन कर आ जाएं। आपको मना किसने किया हुआ है? आपको तकलीफ यह है कि ये सारे काम आप क्यों नहीं कर पाये। बस इतनी-सी तकलीफ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपके किसी भी माननीय सदस्य ने इस सुदृढ़ीकरण के विरोध में

(डा. के. सी. चौधरी)

कुछ भी नहीं कहा है। सिर्फ अपनी-अपनी कुंठाएं बतायी हैं कि मेरे यहां ऐसा हो गया, मेरे यहां ऐसा हो गया। इस बेसिक सिद्धान्त के खिलाफ कोई भी माननीय सदस्य आपकी पार्टी से भी बोल नहीं पाया। तो आप यह तो समझें कि जो कुछ कांग्रेस सरकार कर रही है आप तो उसको फालो कर रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्रीजी ने, स्वयं माननीय अटल बिहारीजी वाजपेयी ने इसको मान लिया है कि पंचायती राज का देश में ढांचा, उस अच्छे ढांचे की कल्पना स्वर्गीय राजीवजी ने की थी और उसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, चूंकि बेसिक कंसेप्ट में कहीं भी किसी भी जगह डिस्प्युट नहीं है, लिहाजा मैं अपने आपको केंद्रित करूंगा कुछ सुझावों पर। सुदृढ़ीकरण के लिये कुछ महत्वपूर्ण बिन्दु हमें ध्यान देने होंगे, चूंकि One has to learn by past experiences. पिछला एक्सपीरियंस यह रहा कि आखिरकार ये इंस्टीट्यूशंस कमजोर क्यों बने। माननीय धारीवाल साहब ने एक पाइंट बताया किसी जगह कि पुअर परफार्मेंस के फाइनेंशियल कारण हैं। धारीवाल साहब की जगह सी. पी. जोशी साहब बैठे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप बहुत समझदार, अच्छे विद्वान मंत्री हैं। क्या अकेला फाइनेंशियल कारण था, या और भी कारण हो सकते हैं? माननीय सभापति महोदय, मैं यह मानने को तैयार नहीं हूं कि हमारे लोकल सैल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, पी. आर. आइज और म्यूनिसिपैलिटीज जो भी हैं इनकी पुअर परफार्मेंस का कारण सिर्फ फाइनेंशियल था। नहीं, हमें उन कारणों को खोजना ही होगा कि क्या वे कारण पी. आर. आइज. और म्यूनिसिपैलिटीज के प्रबन्धन से थे, उनके कम्पोजिशन से थे या उनके इलेक्शन के सिस्टम से थे। जैसे सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने एक सुझाव दिया, जब हम इतना एम्पावरमेंट करने जा रहे हैं जिला परिषद् का, पंचायत समितियों का, तो यह जरूरी है कि इनके इलेक्शन के तरीके पर भी हम विचार करें। जो काम हमसे हो सकता है, हम यहां सुधार करें। चूंकि अभी जो प्रजेंट सिस्टम है, वे रिप्रजेंटेटिव नहीं हैं इतनी सारी शक्तियों को सम्भालने के लिये, वर्तमान में उनकी जो चुनाव की व्यवस्था है इसमें एक सुझाव, सरकार इस पर विचार कर सकती है, कि क्या यह जरूरी है कि उनका भी टाइम पीरियड जो इन कमेटियों के हैड होंगे, 5 साल रखा जाए या उससे कम रख कर उनकी अकाउंटेबिलिटी ज्यादा बना दी जाए।

एक डिबेट का कई जगह, थ्योरेटिकल डिबेट है, माननीय सी. पी. जोशी साहब के सामने भी आयी है, कि इन संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधियों को अगर इनएफिशिएंट पाया जाए, जैसा कि रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी

(डा. के. सी. चौधरी)

बताया कि साल भर कोई सरपंच आया ही नहीं मीटिंग में। हमने ऐसी जगह देखी हैं जहां जनरल कौंसिल (जी. सी.) म्युनिसिपैलिटीज की बुलानी होती है हर महीने, लेकिन 6 महीने नहीं बुलायी जाती, 8 महीने नहीं बुलायी जाती। ऐसी परिस्थितियों में सरकार कहां किस लेवल से किस प्रकार से हस्तक्षेप कर सकती है? स्टेग्नेशन जहां हो जाएगा, वहां से इनएफिशिएंसी जनरेट होना शुरू होती है, तो चुने हुए प्रतिनिधियों को रिकाल करने का भी अपन कोई प्रोविजन बना सकते हैं क्या?

एक जो व्यथा है उससे सभी माननीय सदस्य अच्छी तरह से परिचित हैं, सफर कर रहे हैं, किसी भी नगरपालिका में या पंचायतों में आप देखें कि रोटेशन सिस्टम के जो नुकसान मिल रहे हैं वे यह हैं कि रोटेशन की वजह से किसी भी आदमी को यह इंट्रेस्ट नहीं है कि मुझे दुबारा इस वार्ड से चुनाव लड़ना है या इस गांव का सरपंच बनना है। उसे पता है कि अगली बार तो यह जगह रिजर्व हो जाएगी। तो रिजर्वेशन भले ही लागू रखें लेकिन रोटेशन को किसी जगह रिएडजस्ट करने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, चूंकि शक्तियां पूरी दे रहे हैं और शक्तियां स्थानीय विकास के लिये आवश्यक हैं, लेकिन उन शक्तियों के साथ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि उनकी प्रशासनिक व्यवस्था क्या हो। माननीय सी. पी. जोशी साहब ने बड़ी अच्छी बात यह कही थी कि हमारा गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट कितना भारी पड़ रहा है। सरकारें बरसों बाद रियलाइज कर रही हैं जब भर्तियां कर चुके। गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट बहुत भारी पड़ रहा है और down sizing of establishment has become an essentiality of every Government. Do you agree, Sir? जब अपन इससे एग्री करते हैं, दूसरी तरफ हमने अब म्यूनिसिपैलिटीज में और पंचायतों में नया अधिकार देने के नाम पर खूब सारी सरकारी भर्तियां वापस करा दीं, तो आप सोचिये कि 10-20 साल में क्या हश्र होगा उनका। वापस वही की वही फाइनेंशियल क्राइसिस उन इंस्टीट्यूशंस को ट्रांसफर कर रहे हैं जिसमें हम सफर कर रहे हैं। क्यों नहीं जो भी स्कीम्स हम हाथ में ले रहे हैं उन स्कीम्स की कामयाबी के लिये इन पी. आर. आइज. और म्यूनिसिपैलिटीज में कांट्रेक्चुअल बेसिस पर एम्प्लायमेंट लेने की बात सोचें। अब एम्प्लायमेंट का एक नया कंसेप्ट लेना पड़ेगा। प्रोटेक्टेड ब्यूरोक्रेसी तो खतम हुई। प्रोटेक्टेड ब्यूरोक्रेसी, जैसे माननीय हीरासिंहजी कह रहे थे, बिलकुल सही कह रहे थे, हर चीज में मुसीबत ही खड़ी करेगी।

(डा. के. सी. चौधरी)

इनका काम है खाली कि काम कैसे नहीं हो, इसकी फाइल बनाना। इनका काम यह तो है नहीं कि यह काम कैसे हो। तो जब हम अधिकार दे रहे हैं और हम एक नयी कल्पना कर रहे हैं कि स्थानीय समस्याओं का सारा निराकरण स्थानीय स्तर पर हो जाएगा, उनके लिये पूरी शक्तियां दे रहे हैं, पूरे फण्ड दे रहे हैं, पूरी नौकरशाही दे रहे हैं तो अब नयी भर्ती जो भी की जाए, वह नये सर्विस रूल्स के तहत स्थानीय स्तर पर स्थानीय आवश्यकताओं को मद्दे–नजर रखते हुए कांट्रेक्चुअल बेसिस पर करें। प्रोटेक्टेड ब्यूरोक्रेसी दुबारा से खड़ी न करें, यह मेरा सुझाव है।

अब मैं नगरपालिका की एक बात, माननीय कल्ला साहब यहां हैं नहीं, हबीबुर्रहमानजी बैठे हैं, सारी, मैं मेरा एक छोटा–सा एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा कि नगरपालिका की जो वर्तमान बुनियादी चीजें हैं–सफाई, रोशनी, राशनकार्ड, नक्शे पास होना, नालियों की रिपेयर, हर नगरपालिका ने एक फैशन बना लिया कि हमारे पास फण्ड नहीं है इसलिये ये सब काम नहीं हो सकते हैं। क्या यह असलियत है या यह खाली नगरपालिकाओं की इनएफीशिएंसी छिपाने का एक रास्ता है? मैं आपको एक छोटा–सा उदाहरण दूं, अगर आप एप्लाई करते हो किसी नक्शे के लिये किसी नगरपालिका में, नगरपरिषद् में, साल भर वह नक्शा पास नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आप यह सोचिए कि स्थानीय नगरपालिका या नगरपरिषद् जो भी होगी, वह तो होगी सर्वेसर्वा एक इंडिवीजुअल को हैरस करने के लिए। तो मेरा निवेदन यह है कि इन संस्थाओं को जब आप अधिकार दे रहे हैं, उनको पूरा प्लानिंग का अधिकार दे रहे हैं, लैण्ड कंवर्जन का अधिकार दे रहे हैं, सब किस्म के अधिकार दे रहे हैं तो उन अधिकारों के साथ उनकी अकाउंटेबिलिटी भी तय करें कि अगर कोई भी पिटीशनर पात्रता रखता है, कागजात पूरे हैं तो कोई कारण नहीं है कि उसका काम स्थानीय स्तर पर नहीं हो। इसकी अकाउंटेबिलिटी रखना बहुत जरूरी है। एण्ड, जो भी इसमें अकाउंटेबल पाये जाएं, अगर उनका सिस्टम पनिशमैंट आप नहीं तय करेंगे तो फिर लोकल लेवल पर समस्याएं ज्यादा पैदा करेंगे। आप यह सोचिएगा कि यह बड़ा महत्वपूर्ण पाइंट होगा। काफी सारे लोगों से मिलते हैं, वे इस बात से परेशान हैं। और करप्शन जनरेट कहां से होता है? Justice delayed is justice denied. तो डिले के लिए अपने को स्थानीय स्तर पर इस प्रकार से मानिटरिंग करनी पड़ेगी। राज्य सरकार की तरफ से तो इतनी–सी चीज करनी है कि ये सारी चीजें पूरी थीं, यह आदमी पात्रता रखता था तो इसका काम पूरा क्यों नहीं हुआ? नहीं हुआ तो उस आदमी के

(डा. के. सी. चौधरी)

खिलाफ कुछ न कुछ कार्यवाही करने की स्थिति में सरकार होनी चाहिए।

एक निवेदन है मेरा स्थानीय इकाइयों के बारे में कि जो नीति-निर्धारण करने के दिशा-निर्देशन राज्य सरकार से जाएंगे, वही होगा। स्थानीय स्तर पर यह देखा गया है कि कहीं न कहीं लोग जातियों, पूर्वाग्रहों में, अपने पिछले तजुर्बों की वजह से ग्रुपों में डिवाइडेड हैं, तो उनके ग्रुपिज्म को कम करने के लिए कोई न कोई दिशा-निर्देशन, नीति-निर्धारण इन-इन बिन्दुओं पर, इन-इन सिद्धान्तों पर करनी चाहिए।

मैं माननीय सी. पी. जोशी साहब का ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, सभी हम कंसेप्ट दे रहे हैं कि हम सुदृढ़ीकरण करने जा रहे हैं इन संस्थाओं का, जिला प्रमुख का, पंचायत समिति का। मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि यह संस्थाएं जिनका सुदृढ़ीकरण करने जा रहे हैं, आखिरकार ये भी तो किन्हीं न किन्हीं व्यक्तियों द्वारा चलायी जाती है। जो वर्तमान स्वरूप है वह अपन से छिपा नहीं है कि कैसे कुछ लोग प्रधान बन गये और कैसे कुछ लोग प्रमुख बन गये। अब जो वर्तमान स्वरूप है, उसमें इन योजनाओं का लाभ व्यक्ति उठाएंगे या यह इन संस्थाओं के मार्फत आगे असेंबली ट्रांसलेट हो जाएगा। इस बिन्दु पर वैसे सी. पी. जोशी साहब समझदार हैं, सारी चीजों की जानकारी है, मेरा निवेदन यह है कि जो भी पावर ट्रांसफर करें वह स्टेग्नेंट नहीं हो और वह डायनेमिक रह कर आगे तक जाए।

मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा कि इस कंट्री में एक बड़ी समस्या हर जगह हर संस्थाओं में करप्शन की आई है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। माननीय सभापति महोदय, अब जब नया काम करने जा रहे हैं तो हमें इतना आनेस्ट होना पड़ेगा कि इन नई चीजों में करप्शन के वायरस को किस तरह से दूर रखा जाए। चाहे विजिलेंस का सिस्टम बनाएं और चाहे तो चैक लिस्ट का सिस्टम बनाएं कि यह-यह चीजें हैं, यह पात्रता रखता है तो आटोमेटिक हुआ मान लिया जाए। विजिलेंस का सिस्टम कहीं न कहीं स्ट्रांग करना पड़ेगा। जैसा सी. पी. जोशी साहब कह रहे थे, आई. टी. का जमाना है, आई. टी. के जमाने में विजिलेंस बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से रखी जा सकती है।

मैं राजस्थान सरकार को पुनः एक बात की और बधाई देना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस कंसेप्ट था, राज्य सरकार ने उससे आगे बढ़कर पंचायती राज संस्थाओं को ताकतवर बनाया। हिन्दुस्तान में मेरे खयाल से यह सबसे पहला राज्य होगा जहां इतना सुदृढ़ीकरण और विकेन्द्रीकरण पंचायती राज संस्थाओं का और नगरपरिषदों का हुआ है।

(डा. के. सी. चौधरी)

एक बात, माननीय मंत्री सी. पी. जोशी साहब ने कही वह मैंने नोट की कि संविधान के शिड्यूल 7 में संशोधन की आवश्यकता है। इसमें कंसेप्चुअली पंचायत सैक्टर स्टेट सैक्टर से अलग होगा, यही कहना था न आपका, साहब? तो पंचायत सैक्टर तो अलग हो गया, लेकिन नगरपालिकाएं कहां गईं? हम वहां दोनों ही कर रहे थे। अगर शिड्यूल सात में हम किसी तरीके का अमैंडमेंट चाहते हैं, उसमें एडिशन चाहते हैं तो खाली पंचायती-राज संस्थाओं को ही उसमें जोड़ना होगा या सारे ही लोकल सैल्फ गवर्नमेंट सिस्टम को भी जोड़ना होगा? दोनों का। हां, यह मेरे को कंफ्यूजन था, आपसे पूछने का था।

अब रही एक बात आपकी और, काम्प्रीहैंसिव सर्विस वाली, वह मैंने इनक्लूड कर ली कि इस प्रकार की नौकरशाही का आप सलेक्शन करें जो मल्टीफेरियस एक्टीबिटी कर सकें, मल्टीपरपज एक्टीविटी में इंवाल्व हो सकें। रोल आफ आई.टी., मैं सोचता हूं कि रूरल सैक्टर के डवलपमेंट में सबसे असेंशल चीज है, क्योंकि अब जो कंसेप्ट आ रहा है वह ई-गवर्नेंस का सब जगह आ रहा है। जिन राज्यों ने ई-गवर्नेंस के कंसेप्ट को स्वीकार कर लिया है उनके यहां डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट है, उनके यहां पर इंफारमेशन सिस्टम बड़ा मजबूत है और उनका फीड-बैक तुरन्त मिलता है। इस मामले में राजस्थान सरकार भी पहल कर रही है, सी. पी. जोशी साहब आई.टी. के भी मिनिस्टर हैं, अभी पिछले दिनों आपको पता है, कर्नाटक एक ऐसे स्टेट के रूप में उभर कर आया है जो 15 रुपये में कोई-सा भी लैण्ड रिकार्ड आप मांगें तो उसकी कापी इंस्टेंट दे रहा है। वहां के आदमी को न तो कहीं तहसील में जाना है, न किसी पटवारी के पास जाना है और न किसी एस.डी.ओ. के पास जाना है। 15 रुपये दीजिए और इंस्टेंट आप कम्प्यूटराइज्ड कापी लीजिएगा। राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्र के विकास हेतु इंफारमेशन टैक्नोलाजी को जब तक इनक्लूड नहीं करेंगे तो मैं सोचता हूं कि काफी सारी चीजें, हांलाकि आखिरकार रहेंगी नौकरशाही के विवेक पर या किसी पालिटिकल वर्कर के विवेक पर, और हर इंसान के विवेक की एक कैपेसिटी है तो मेरा निवेदन है कि इस आई.टी. सैक्टर को जितना जल्दी रूरल डवलपमेंट से जोड़ा जाए तो हम जो कुछ भी सोच रहे हैं उसे पूरा कर पाएंगे। सूचना तंत्र मजबूत हो जाए, इंफारमेशन टैक्नोलाजी, मेरी सुनवाई में पड़ गई थी इसलिए गलती हो गई।

श्री रमजान खान : आय के स्रोत बताओ।

डा. के. सी. चौधरी : आय के स्रोत। आय के स्रोतों का बड़ा अच्छा सवाल पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य ने किया है। आय के स्रोतों में पहली चीज, माननीय सभापति महोदय, मैं कहूंगा कि स्रोत तो स्वतः ही बढ़ जाएंगे अगर हम ईमानदार

(डा. के. सी. चौधरी)

हो जाएं लीकेज को रोकने के लिए। हर दफ्तर में आदमी पहले रास्ता बताता है कि यह काम तेरा आधे पैसे में हो जाएगा, बाकी पैसे यहां दे दे। तो ज्यादातर तो लीकेज है। लीकेज को रोकने के लिए पोलिटिकल पावर और नौकरशाही दोनों में अण्डरस्टेंडिंग हो जाती है कि हमें लीकेज रोकने हैं तो मैं आपको बताऊं, हर संस्था में वर्तमान में जो आय है उससे 10 टाइम बढ़ सकती है। उससे ज्यादा बढ़ाने की आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पहली चीज यह है कि हमको लीकेज रोकने पड़ेंगे और लीकेज रोकने के लिए जरूरी यह है कि बेगार नहीं बताई जाए। क्योंकि सरपंचों को आप बेगार बताओगे तो सरपंच कहेंगे कि यह एम.एल.ए. साहब ने कह दिया, पांच हजार रुपये में टैंट लगाया है, खाना किया है चूरमा-दाल-बाटी, तो पैसे कहां से आएंगे, तेल तो तिलों में से ही निकलेगा। इस चीज से हमें हटना पड़ेगा। हकीकत यह है कि हम जब बेगार बताते हैं उस वक्त हम भूल जाते हैं। तो आय के स्रोत एक तो वह बढ़ सकते हैं।

दूसरा, स्थानीय शहरों में आपको बताएं कि कई चीजें ऐसी हैं जिनमें स्रोत बढ़ सकते हैं। भू-परिवर्तन एक है। अब भू-परिवर्तन की आपने अर्जी तो लागा दी...

(17.28 बजे)

(श्री हीरासिंह चौहान, सभापति, पदासीन)

माननीय, एक उदाहरण देखिएगा, जो पुष्कर से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे हैं, इनके किसी रिश्तेदार ने एक भू-परिवर्तन की अर्जी लगाई। ब्यावर का यह किस्सा है, इनकी जानकारी वाले थे, रिश्तेदार भी नहीं थी। नौ महीने तक अजमेर कलेक्टर मीटिंग नहीं बुलाते हैं भू-परिवर्तन की, तो बताइये कि क्या कर लेंगे बाकी लोग? कहां से तो आय बढ़ेगी और कहां से एफीशिएंसी बढ़ेगी? माननीय, ब्यावर म्यूनिसिपैलिटी एक ऐसी म्यूनिसिपैलिटी है जिसने अपने पार्षदों के खिलाफ एफ.आई. आर. लिखवाई है। मगर उस एफ.आई.आर. पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जब लोकल लेवल पर किसी भी वजह से कार्यवाही नहीं हो तो हमारे को मैसेज ठीक नहीं जाता है। तो आय के स्रोत स्थानीय संस्थाओं के लिए काफी हो सकते हैं। मनोरंजन एक स्रोत था, एंटरटेंमेंट टैक्स आप अपने शहर में लगाएं, कौन मना करता है? ब्यावर में सर्कस वाला आता है, सर्कस वाले का टैक्स मान लीजिए, बनता है 20 हजार रुपये, तो वह दो हजार रुपये में इधर-उधर एडजस्ट कर लेता है। यह जो लीकेज है, यह हमारे लिए है और लीकेज को रोकने के लिए सरकार को गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

मैं पंचायती-राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु बुलाये गये इस विशेष अधिवेशन के लिए पुन: हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री माननीय अशोकजी गहलोत और पूर्व और वर्तमान पंचायती राज

(डा. के. सी. चौधरी)

मंत्री, सभी को धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा कि उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति है, वे राजस्थान की जनता का भला करें। अब तक इन संस्थाओं में जो समस्याएं आ रही थीं उनको आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से पहचाना है, इनको आइडेंटिफाई करके हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हम जो शक्तियां उनको दे रहे हैं वे जनता के सम्पूर्ण विकास में काम आएंगी। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय अमराराम जी चौधरी।

एक माननीय सदस्य : मैं बोल लूं फिर इसके बाद बोल लें।

श्री सभापति : नाम पुकार लिया है। दो बुला देंगे। I have called him.

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक): फिर आप तीन एक साथ बुला लें।

श्री सभापति : हां, दो बुला देंगे। दो एक साथ प्लीज, I have called his name.

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : माननीय सभापति जी, आज अधिकार देने की बात हो रही है ग्राम पंचायतों को और स्थानीय निकायों को। यह कोई बिल तो नहीं है जिस पर चर्चा हो रही है, लेकिन पूर्व में जो अधिकार दिये गये हैं उनकी पालना हो रही है या नहीं हो रही है, यह बहुत विचारणीय बिन्दु है।

भारत में पंचायती राज व्यवस्था बहुत पुरानी व्यवस्था है, चाहे मुगल काल हो, चाहे मध्य काल हो, चाहे मौर्य काल हो और चाहे गुप्त काल हो, उस समय गांवों के अन्दर पंचायतें थीं। गांव की एक छोटी इकाई थी उसमें चौधरी, पटवारी, पंच वगैरह पंचायत करते थे। अंग्रेजों के समय भी पंचायती राज व्यवस्था कायम रखने के प्रयास किये गये लेकिन अंग्रेजों ने जनता की वाइस को दबा दिया और इसी कारण उस समय हमारे यहां पंचायती राज पनप नहीं सका। आजादी के बाद हमारे कई विद्वानों ने अलग-अलग रिपोर्टें दीं और आखिर में 2 अक्टूबर, 1959 को नागौर के अन्दर हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू ने पंचायती राज की नींव रखी। भारत के अन्दर यह राजस्थान अग्रणी प्रदेश था जहां सबसे पहले पंचायती राज की नींव रखी गयी। उसके बाद आन्ध्र प्रदेश और अन्य कई प्रान्तों के अन्दर पंचायती राज कायम हुए। फिर इसमें सुधार के लिये कभी सरकारिया आयोग की रिपोर्ट, कभी किसी आयोग की रिपोर्ट आती रही हैं और उन्होंने अपने-अपने ढंग से इस पर सुझाव दिये हैं। माननीय सभापति महोदय, अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्रीजी ने पंचायती राज के अध्यक्षों का एक सम्मेलन दिल्ली में बुलाया और उस समय उन्होंने यह कहा कि लोक सभा से ग्राम सभा तक यानि सबसे बड़ी तो लोक सभा और सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा है, उसका जो महत्व है,

(श्री अमराराम चौधरी)

वह कम नहीं है। किस प्रकार से उसका सुदृढ़ीकरण किया जाए, उसी मंशा के अनुरूप अपने प्रदेश के अन्दर पंचों को भी बुलाया, सरपंचों को भी बुलाया, प्रधानों को भी बुलाया, प्रमुखों को भी बुलाया। तीन-चार सालों में कितना ही खर्चा इस पर कर चुके हैं। कितना टी.ए., डी.ए. लगा होगा, कितने प्रधान आये, उन्होंने टी.ए., डी.ए. कितना उठाया होगा। कितना ही मंथन हुआ और कितना ही धन खर्च हुआ उसके मेरे पास आंकड़े नहीं हैं, पर करोड़ों का खर्चा हुआ है। इस बात पर विचार करने के लिये सुझाव आये हैं और आखिरी जो सुझाव दिये हैं हमारी मंत्रिमण्डलीय उप समिति ने, उन्होंने 29 बातें बतायीं कि ये अधिकार पंचायतों को दिये जाएंगे और पंचायतों को इस प्रकार से सुदृढ़ किया जाएगा। मेरा निवेदन है कि आवश्यकता है धन की और आप धन भी दे देंगे, लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हर पंचायत मुख्यालय पर हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं होगी तो यह जो सुदृढ़ीकरण की बात है, यह सम्भव नहीं हो सकती। मैं उदाहरण के लिये बताऊं, जनसंख्या क्यों बढ़ रही है आज? यही कारण है इस धनाभाव का कि आज हमारी जनसंख्या निरन्तर बढ़ रही है। कृषि में हमने काफी प्रगति की है। जनसंख्या रेखा गणित के हिसाब से बढ़ रही है और अंक गणित से हमारा उत्पादन बढ़ रहा है, इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि जनसंख्या का बढ़ना इस पंचायती राज की सारी योजनाओं को फेल करेगा। इसका कारण है हमारे यहां शिक्षा की कमी और खास तौर से स्त्री शिक्षा की कमी। अगर हर पंचायत मुख्यालय के अन्दर हायर सैकण्डरी स्कूल होगी तो हमारी एक लड़की है वह दसवीं और बारहवीं पास होगी। यह मान्यता है कि जो लड़की बाहरवीं पास होगी उसके दो से ज्यादा बच्चे पैदा नहीं होंगे। वह अपने आप समझ जाएगी कि बच्चे ज्यादा क्यों पैदा हो रहे हैं जिनमें शिक्षा की कमी है। (व्यवधान) यह मेरी सोच है, आप मानो न मानो। यह मैं आपको कह रहा हूं कि आज यदि जनसंख्या पर काबू पाना है और पंचायती राज के बजट में हम विकास करना चाहते हैं, पुराने समय में तो एक लोटा भरकर शौच जाते थे बाहर जंगल के अन्दर, यह काफी था। आज दो बाल्टी से भी आपका काम नहीं चलता है। पानी की कमी आयी है तो इसीलिए आयी है। इसीलिये मेरा निवेदन है आपको, अनिवार्य शिक्षा यदि करनी है, आप राजीव गांधी पाठशाला खोल देंगे, जगह-जगह कुछ भी कर दोगे, लेकिन जब तक हमारी स्त्रियों में बारहवीं तक शिक्षा नहीं होगी तो वहां पर जनसंख्या कम नहीं होगी। आप उदाहरण के लिए हमारे परिवार कल्याण मंत्रीजी बैठे हैं, इनको पूछ लीजिये, बाड़मेर की जनसंख्या कितनी बढ़ी है?

एक माननीय सदस्य : सबसे ज्यादा।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : कारण यही है कि वहां शिक्षा की कमी है। 13 लाख से एकदम जम्प करके 19 लाख, फिर आप पंचायत राज में कह रहे हो, हम यह कर देंगे। कैसे करोगे? राजीव गांधी पाठशाला खोल दोगे, शिक्षाकर्मी खोल दोगे, लोक जुम्बिश खोल दोगे, सारा धन तो इधर लगाओगे, फिर सड़कें कैसे बनाओगे? पानी कैसे लाओगे? और बिल्डिंगों की मरम्मत कैसे करोगे जो पुरानी बिल्डिंगें हैं? अस्पतालों की मरम्मत? ये सारे जो अधिकार आप दे रहे हैं, पहले जमाने के अन्दर, माननीय सभापति महोदय, हमारे गांव की ओरण होती थी उसमें एक स्थान, एक चबूतरा बनाकर एक मूर्ति रख देते, उस ओरण का एक पत्ता भी कोई नहीं तोड़ता था और जंगल के लिए वन अधिकारी की कोई आवश्यकता नहीं होती थी। आपने यह कहा एक फोरेस्टर होगा, एक गार्ड होगा, एक रेंजर होगा। हर पंचायत के अन्दर यह अधिकार देंगे। पंचायतें कह रही हैं वह उन्हीं के अधिकार में है। सारे अधिकार हैं वह सरपंचों को दे दो, सारे इंजीनियर भी उसी को दे दो, लेकिन वहां की अगर महिला या कोई पुरुष है और हायर सैकण्डरी पास नहीं है तो कैश बुक में क्या हाल होगा? एक रुपये के अन्दर हमारे सरपंच साहब जेल गये हुये हैं। अभी हमारे पैसे जमा कराने के बाद में भी नगरपालिका के चेयरमैन साहब जेल चले गये, ब्याज जमा नहीं कराया था। अब आप एक सचिवालय का रूप दे रहे हो कि गांव के अन्दर एक सचिवालय होगा जिसमें पी.डब्ल्यू.डी. अलग होगा, वन विभाग अलग होगा, पशुपालन का विभाग अलग होगा, समाज कल्याण विभाग अलग होगा। हमारे समाज कल्याण मंत्रीजी नहीं हैं यहां....

श्री राधेश्याम गंगानगर : बैठे हैं।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : बैठे हैं। पांच साल से मैं निवेदन कर रहा हूं, हमने जमीन दे दी, सब-कुछ किया, समाज कल्याण में एस.टी. के लड़के हैं, किराये के मकान में हास्टल चल रहा है। 35 लाख रुपये की स्वीकृति पहले हुई, टैक्निकल स्वीकृति हुई, आपने अभी तक वित्तीय स्वीकृति नहीं दी।

श्री सभापति : वे तो परिवार कल्याण मंत्री हैं, समाज कल्याण नहीं हैं। मिस अण्डरस्टैंडिंग हो गयी।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : मंत्री राज के ही होंगे, साहब। परिवार कल्याण मंत्री हैं, कोई बात नहीं, परिवार का करो, समाज का कल्याण करो, एक ही बात है। मंत्री तो हो ही, आप सिफारिश कर देना।

मेरा निवेदन है कि सारा जो बजट है, पहले का हमारे जो काम हैं वे ही पूरे नहीं हो रहे हैं। यह जो अनटाइड फंड धीरे-धीरे दे रहे हो पंचायतों में, ठीक है, उससे पैसे आयेंगे। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं कि यह सुदृढ़ीकरण नहीं होना चाहिए। जरूर मजबूत होनी चाहिए पंचायतें। हमारे प्रधानमंत्रीजी का भी यही कहना है और

(श्री अमराराम चौधरी)

आपका भी यही कहना है, स्वर्गीय राजीव गांधीजी का भी सपना था। बात सही है, लेकिन उसको लागू सबसे पहले 1994 में किया गया। 1994 में सबसे पहले तत्कालीन सरकार ने किया। महिलाओं को और शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब, ओ.बी.सी. को जो अधिकार मिले, बात तो सही है कि राजीव गांधीजी ने सपना देखा था लेकिन क्रियान्वित हमारे यहां तत्कालीन सरकार ने किया था पंचायती राज को और अब जो भी अधिकार हैं, उन्हीं की अगर पालना हो जाती है तो फिर बाद में आप नया बिल बना कर अधिकार दोगे। अभी तक तो बिल तो बना नहीं है, आप अपने-अपने विचार बता रहे हो। मेरा यही निवेदन है कि सबसे पहले जो आवश्यक है, इस पंचायती राज पर इतनी गोष्ठी न रखकर जनसंख्या पर गोष्ठी रखते यहां पर। बाहर तो हो रही है जनसंख्या पर गोष्ठी लेकिन इस विधान सभा में करते, कोई कानून बनाते। कई सरपंच हैं, उनके दो-दो लड़के थे, पहले दो फिर चुनाव के बाद में चार-चार लड़के हो गये, पांच-पांच लड़के हो गये हैं, उनके बारे में कोई फैसले नहीं हैं। उन पर रोक लगायी। क्यों अदालतों में फिरना पड़े? भई, एफीडेविट इज सफिशिएंट। ईमानदारी से एफिडेविट देगा। आज कई ऐसे पंचायत समिति के सरपंच हैं, सरपंच एक वोट से हारा है, उसने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अन्दर अपनी पिटीशन दायर की है। उसका फैसला तीन-चार साल से नहीं हो रहा। सिर्फ एक वोट से, बात तो इतनी ही है।

कई सुझाव आये हैं कि भई, लोक प्रहरी हो गये, आप कितनी पंचायतों पर एक लोक प्रहरी रखेंगे? और रिटायर्ड सैशन जज को भी रखेंगे। यह भी लोगों के सुझाव हैं। कल सरपंच और वार्ड पंच मिले, साहब, हमारे लिये आप क्या कर रहे हो? सुदृढ़ीकरण कर रहे हो तो हमारे लिए क्या कर रहे हो? हम को तो कम से कम 50 रुपये, जैसा अभी सुझाव है, सरपंचों ने ही दिया है, वार्ड पंच का टी.ए. भत्ता 50 रुपये हो। सरपंच का कहना है कि 400 रुपये मिलते हैं, अब 400 रुपये के अन्दर हम किस-किस को चाय पिलाएं? गांव के लोग आते हैं, कोई भी अधिकारी आए कि सरपंच साहब के यहां खाना खायेंगे। आप सरपंच को ईमानदार बनाओ तो इसके लिए आप बजट में भी यह रखना। बजट अलाट करो तो पहले सरपंच के हजार-बारह सौ तो हों। आप जो 1200 राजीव गांधी पाठशाला वाले को दे रहे हो वैसे उसको पैराटीचर तो मानो। अब एम.ए., बी.एड. का तो सलेक्शन वो करेगा और 400 रुपये वह लेगा, फिर वह क्या करेगा? अभी बता रहे थे, सभापति महोदय, बी.डी. ओज. का क्या परसेंटेज वगैरह है, यह हमारी व्यवस्था का दोष है। जब तक हम व्यवस्था को नहीं सुधारेंगे, नींव से नहीं सुधारेंगे, इसके लिए आप एक बार उनको कह दो कि

(श्री अमराराम चौधरी)

तुम्हारी तनखाह इतनी है। आज हमारे विधायकों का ठीक है थोड़ा मामला, लेकिन उन पर भी तलवार लटक रही है इनकम टैक्स की। सही बात यह है। कुछ फायदा दिया लेकिन फायदा दिया क्या है, यह तलवार और लटक रही है।

श्री धर्मपाल चौधरी : माननीय सभापति महोदय, इतने गम्भीर विषय पर विधान सभा का विशेष सत्र बुलाया है, मंत्रीजी तो पीछे बतिया रहे हैं। एक माननीय मंत्रीजी आगे बतिया रहे हैं और स्वायत्त शासन मंत्री जी यहां पर विराजमान हैं नहीं। फिर बड़ी धूमधाम से यहां पर गुणगान करने लग रहे हैं कि हम विशेष सत्र लाये हैं।

श्री शांति कुमार धारीवाल : आप तो सारे ही हैं?

श्री धर्मपाल चौधरी : कितनी गम्भीरता है, मंत्रीजी, आप में, यह आपके इससे लग रहा है।

श्री शांति कुमार धारीवाल : कम नजर आ रही है क्या आपको गम्भीरता?

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी, प्लीज टेक योअर सीट। अच्छा रहेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, अच्छा रहेगा। आसन से निर्देश हो गया और निर्देशों की अवहेलना हो रही है।

श्री सभापति : आ जायेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, आपने स्पष्ट निर्देश दे दिये कि सीट पर आओ और मंत्रीजी देखो वहां बैठे हैं।

श्री सभापति : आ जाएंगे, आ जाएंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आसन की तो अवज्ञा हो गयी।

श्री सभापति : प्लीज।

श्री सी. पी. जोशी : आ रहे हैं, आ रहे हैं, आसन को मान रहे हैं।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : सभापति महोदय, इस सुदृढ़ीकरण में एक यह बात भी है कि स्वास्थ्य सेवाएं, पी.एच.सी. वगैरह हैं वह भी हम पंचायत को और नगरपालिका को हैण्डओवर करेंगे। सही बात है, बहुत अच्छा है, लेकिन आपके कहां-कहां स्वास्थ्य सेवाएं हैं? हर गांव में, हर पंचायत में जब इतनी जनसंख्या बढ़ गयी है, 13 लाख की जनसंख्या थी जब भी हमारे हास्पिटल इतने ही थे और वही 100 बैड का हास्पिटल आज 19 लाख जनसंख्या होने के बाद भी। हमारे कहीं एड पोस्ट और यह आप खोलने जा रहे हो तो हर पंचायत पर तो कम से कम अगर पी.एच.सी. नहीं हो तो एड पोस्ट तो होनी चाहिए। एक नर्स बहन हो और एक कम्पाउंडर हो तो भी काफी है। पशुपालन विभाग को भी आप

(श्री अमराराम चौधरी)

दे रहे हो, कितनी पोस्ट खाली पड़ी हैं पशुपालन विभाग में? कहीं कम्पाउण्डर है? मैं यह अर्ज करूं कि मेरी समिति में तीन-चार कम्पाउण्डर मुश्किल से हैं। इस प्रकार से स्थान खाली पड़े हैं।

मिडल स्कूलें तो दे दीं आपने पंचायत समितियों को लेकिन इन मिडल स्कूलों में एक हैडमास्टर और एक पी.टी.आई. के सिवाय क्या हैं? बहुत-सी ऐसी मिडल स्कूल हैं जो चार साल से आठवीं क्लास हैं, हम सुधार करने जा रहे हैं, शिक्षा आपके द्वार पर करने जा रहे हैं, द्वार कैसे होगा? द्वार के अन्दर जायेंगे, नहीं अभी।

मुझे इस बात की तो खुशी है कि हमारे जो आंकड़े हैं वे 93 समथिंग आये हैं बाड़मेर के। चौथा नम्बर है हमारा इस प्रांत के अन्दर "शिक्षा आपके द्वार" में। लेकिन माननीय मंत्रीजी बैठे हैं परिवार कल्याण के, गए, तो उनको पूछो कि मिडल स्कूलों में आपके अध्यापक हैं क्या? मैं आपसे अर्ज करूं कि कोई भी हायर सैकण्डरी आज से पांच साल पहले है, उसमें कोई प्रिंसिपल नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि सबसे पहले आप उनको मजबूत करो। ब्लाक शिक्षा अधिकारी को कहते हैं, प्रधानजी को कहते हैं तो अरे भई, क्या करें, कहां से लाएं, बैन लगा हुआ है। अब "शिक्षा आपके द्वार" पर सब बैन है। अब ऐसा है कि हमारे लड़के तो कोई आई.ए.एस. बनेंगे नहीं, यह मैं आपको हकीकत कह रहा हूं। जो शहर में लड़के पढ़ रहे हैं, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, वहां आजकल मजदूर आदमी भी कह रहा है कि प्राइवेट में भेजो, 100 रुपये लगे महीने के तो लगने दो लेकिन पढ़ेगा तो सही।

ये पैराटीचर हैं, आज कोई भी स्कूल में नहीं हैं। जब से आपके हड़ताल हुई, उसके बाद तो हैं ही नहीं गांव में। गायब हैं। कह रहे हैं कि हमारे तो यहां लगी, वह कहे यहां लगी, हम को तो गली-गली में मारा। भाई, मारा तो मारा। लेकिन उनको भी यह है कि हम एक दिन परमार्नेट हो जाएंगे, इसीलिए वो मार भी खा रहे हैं। लेकिन स्कूलें खाली पड़ी हैं। मैं अर्ज कर रहा हूं, माननीय शिक्षा मंत्रीजी, माननीय पंचायत राज मंत्रीजी, आप प्रिंसिपल कब तक लगा देंगे जहां जगह खाली हैं? मिडल स्कूल में कम से कम चार टीचर्स तो लगा ही दें। सारी क्लासों को एक जगह बैठाकर वह आठ क्लासों को पढ़ाएगा, कैसे पढ़ा सकता है? आप पंचायती राज को मजबूत बनाने जाओ तो कम से कम यह तो रखो। गांव में हम कहते हैं कि आप यह अधिकार सरपंचों को दे दो, हमारे यहां तो पहले स्कूल वाला कर दो। एजुकेशन फर्स्ट, उसके बाद पानी, उसके बाद स्वास्थ्य और उसके बाद सड़क यह होना चाहिए। इसमें आप सबसे पहले यह करो ताकि हमारा पंचायती राज बहुत मजबूत बने। हम इसमें शरीक हैं। लेकिन जो खामियां हैं, तहकीकात के अन्दर, इसको आप इग्नोर नहीं करें। धन्यवाद, जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री हफीज मोहम्मद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. महेश जोशी (उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिए और बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति : क्या सदन का समय एक घंटा बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया गया।

माननीय श्री हफीज मोहम्मदजी।

विभिन्न विषयों पर विचार

पंचायती राज संस्थाओं और नगरपालिकाओं की स्थिति और 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन के अनुरूप उनके सशक्तीकरण के उपायों पर विचार

श्री हफीज मोहम्मद (माण्डल) : सभापति महोदय, हमारे पंचायती राज मंत्रीजी ने जिन तथ्यों के साथ राज्य में पंचायती राज को मजबूत करने और नयी शक्तियां देने की बात कही है हम उनका समर्थन करते हैं। हमारे देश में बहुत पुराने समय से पंचायती राज की व्यवस्थाएं थीं और गांव के लोग बैठ कर बड़े-बड़े फैसले आपस में किया करते थे और गांव के विवाद गांव में समाप्त किया करते थे। लेकिन बीच में देश में कुछ ऐसी शक्तियों का राज आया जिन्होंने हमारी पुरानी परम्पराओं को समाप्त कर एक तरह से विकेन्द्रीकरण किया। लेकिन मुझे यह कहते हुए खुशी है कि देश में कांग्रेस ने जो आन्दोलन चलाया आजादी का, उस वक्त में भी हमारे देश के नेताओं की सोच थी कि आजादी मिलने के बाद हम देश में पंचायत राज लाएंगे, ग्राम राज लाएंगे और फिर राम राज की स्थापना करके देश की पुरानी परम्पराओं को स्थापित करेंगे। मुझे कहते हुए खुशी है कि आजादी के बाद हमारे देश के नेताओं की सोच को पूरा करने में राजस्थान देश के राज्यों में अग्रणी रहा और 2 अक्टूबर, 1959 को हमारे देश के उस वक्त के प्रधानमंत्री आदरणीय जवाहर लालजी नेहरू के कर कमलों द्वारा हमारे उस वक्त के मुख्य मंत्री और राजस्थान के निर्माता सम्माननीय सुखाड़िया साहब की मौजूदगी में राजस्थान ने इस बात को स्वीकार किया कि हम बापू के सपनों को साकार करने के लिए अपने राज्य में पंचायती राज की स्थापना करेंगे। न केवल स्थापना की बात की थी बल्कि पंचायती राज को सशक्त करने के लिए काफी अधिकार उन्होंने 1959 में पंचायती राज को दिए थे। लेकिन वैधानिक दर्जा नहीं होने से धीरे-धीरे राज्य में पंचायती राज कमजोर हुआ और तेरह साल तक हमारे राज्य में पंचायती राज के चुनाव नहीं होने से पंचायती राज में एक कमजोरी आयी।

(श्री हफीज मोहम्मद)

मुझे यह कहते हुए खुशी है कि उस कमजोरी को दूर करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री, युवा प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधीजी ने इन सारी बातों को सोचा और देश में वैधानिक तौर पर मजबूत पंचायती राज को लाने के लिए संविधान में अमैंडमेंट करने का उन्होंने इरादा किया। उन्होंने जो सोच की थी, उसी के अनुरूप कांग्रेस के राज में संविधान में संशोधन किया गया। पंचायती राज के कभी दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह साल तक चुनाव नहीं हुए थे, तीन साल की अवधि हुआ करती थी उसको बढ़ाकर उन्होंने पांच साल किया। बिलकुल तरीके से चुनाव प्रणाली हमारे राज्य में हमने स्वीकार की और देश में भी स्वीकार की।

आज मेरे प्रतिपक्ष के भाई कांग्रेस के बारे में, पंचायत राज की अपनी नीतियों के बारे में बता रहे थे। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि 1977 में जब राज्य में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, 1978 में इन्होंने पंचायतों के सारे सरपंचों को एक तरह से हटाकर सचिवों को वहां का एडमिनिस्ट्रेटर लगाकर पंचायती राज को प्राय: मृत समान कर दिया था। एक-दो साल में राजस्थान में उन ग्रुप सचिवों के मार्फत भ्रष्टाचार और बेईमानियां बढ़ीं, उससे राजस्थान की जनता के मन में पंचायती राज के बारे में कई शंकाएं आयी थीं। फिर इन्होंने चुनाव कराये। पर जब इन्होंने देखा कि चुनावों में पंच, सरपंच लेवल पर कांग्रेस लोग जीत कर आये हैं तो पंचायत समितियों के चुनाव इन्होंने रोक दिए, जिला परिषदों के चुनाव इन्होंने रोक दिए, क्योंकि इनका पंचायती राज में विश्वास नहीं था। लेकिन यह तो राजीव गांधी की देन है जिन्होंने दृढ़ता से कहा कि मैं देश के नौजवानों को, अठारह साल के व्यक्तियों को वोट का अधिकार देना चाहता हूं। बहुत लोगों के नहीं चाहते हुए भी उन्होंने कहा कि मैं इस बात का हामी हूं। अठारह साल के व्यक्तियों को उन्होंने वोट का अधिकार देकर हमारे देश में युवकों को जिम्मेदारी देने की एक नयी परम्परा कायम की है।

इसी तरह पंचायती राज में उन्होंने रिजर्वेशन किया। एक तरह से ठेकेदारी तौर पर कुछ अमुक जाति के लोग ही प्रमुख, सरपंच, प्रधान और पंच बना करते थे, लेकिन राजीव गांधी की सोच थी कि गरीब और कमजोर तबके के लोग भी, समाज में एस.सी. और एस.टी. के लोग भी प्रधान, प्रमुख और सरपंच बनें और महिलाएं बनें। इसलिए रिजर्वेशन के तौर पर आज सारे देश में और हमारे राज्य में इतने सारे प्रधान, इतनी सारी महिला प्रधान, हमारे एस.सी. और एस.टी. के भाई प्रधान, सरपंच और प्रमुख देखने को मिल रहे हैं। यह कांग्रेस और राजीव गांधीजी की देन है।

आज यह हो सकता है कि उनमें शिक्षा की कमी हो, लेकिन हम यह कह कर उनके अधिकारों में कटौती नहीं कर सकते।

(श्री हफीज मोहम्मद)

आज हमें यह कहते हुए खुशी है कि राजीव गांधी के पदचिन्हों पर चलते हुए हमारे देश की प्रतिपक्ष की नेता और हमारी कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधीजी ने देश में जितने भी कांग्रेस शासित राज्य हैं उन राज्यों में पंचायती राज को मजबूत करने के लिए, एकरूपता लाने के लिए और पंचायतों को अधिक से अधिक अधिकार देने के लिए कदम उठाया। जो उन्होंने सोच की है उससे हमारा राज्य आज देश के राज्यों में पहल कर रहा है। यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, इसलिए हम इस मौके पर माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने एक सोच जहिर की और दृढ़ निश्चय किया। उनतीस महकमे जो अभी अलग-अलग तरह से जिलों और पंचायतों में फंक्शन कर रहे हैं, वे जिला परिषदों और पंचायत समितियों को देने का एक विचार रखते हैं, मैं अपनी राय में इस बात का समर्थन करता हूं। मैं यह जानता हूं कि जब तक पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद मजबूत नहीं होंगे हम नीचे की कमजोरी को दूर नहीं कर पाएंगे। आज जो प्रशासनिक दृष्टि से छोटे-छोटे कामों को लेकर हमको जयपुर में और तहसील पंचायत समितियों से जिलों में आना पड़ता है, इन अधिकारों के बाद मैं सोचता हूं, आम किसान और गरीब की समस्याएं होंगी तो पंचायत समिति लेवल पर हमारे जन प्रतिनिधि बैठते हैं, उनका निवारण वे कर देंगे और इससे आम लोगों को बहुत बड़ी रिलीफ मिलेगी। हमारी सरकार ने बहुत अच्छे जानकार और पंचायती राज के अनुभवी लोगों की कमेटी बनाकर महत्वपूर्ण फैसले किये हैं।

माननीय पंचायती राज मंत्रीजी और पूर्व पंचायती राज मंत्रीजी ने जिस दृढ़ता से अपने विचार यहां व्यक्त किये, मैं उनका समर्थन करता हुआ एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो हमारी पंचायती राज की पुरानी व्यवस्था थी थ्री टायर वाली, वह पंचायती राज व्यवस्था बहुत अच्छी है। उस व्यवस्था में एक दूसरे की जिम्मेदारी है और एक दूसरा एक दूसरे को चुनने के लिए सीधे जिम्मेदार है। आज की जो व्यवस्था है यह व्यवस्था आने के बाद पंचायती राज की संस्थाओं में कई प्रकार की कमजोरियां आयी हैं। इसलिए मैं पंचायती राज मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि थ्री टायर वाली जो पुरानी व्यवस्था थी, कि पंच, सरपंच, प्रधान को चुना करते थे और सरपंच और प्रधान मिलकर प्रमुख को चुना करते थे, एम.एल.ए. और एम.पी. भी उनके मतदाता हुआ करते थे और पूरे जिले और पंचायत समिति की भागीदारी पंचायती राज में हुआ करती थी। मैं पंचायती राज मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा यह सुझाव कृपया स्वीकार करें और इस बात को लिखे कि जो हमारी पुरानी व्यवस्था थी पंचायती राज की थ्री टायर वाली, वही सफल व्यवस्था है। आज

(श्री हफीज मोहम्मद)

हमारे सामने दिक्कत है कि पंचायत समिति और जिला परिषद् के चुनाव होते हैं उसके पहले पंचायत समिति का मैम्बर बनने के लिए कोई तैयार नहीं। वह जानता है कि पंचायत समिति का मैम्बर बनने के बाद मेरा कोई फंक्शन वहां नहीं होगा, मेरी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। मुझे वहां पर कोई अधिकार नहीं मिलेंगे सिवाय मीटिंग में जाने के। अपनी बात कहने के उसके पास कोई अधिकार नहीं हैं। यही स्थिति जिला परिषद् के सदस्यों की है। मैं इसमें मेरा संशोधन करना चाहूंगा, एक प्रधान का सीधा सम्बन्ध सरपंच से हुआ करता था, सारे विकास में सरपंच के साथ-साथ प्रधान की लायबिलिटी थी और वह बराबर देखा करता था। मैं चाहूंगा कि इन प्रस्तावों को स्वीकार करें।

साथ ही जब इतनी बड़ी जिम्मेदारी और इतने बड़े विभाग हम देने जा रहे हैं तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि हमारे जिला परिषद् का भवन कितना बड़ा है, पंचायत समिति में सारे लोगों के बैठने की व्यवस्था है या नहीं और उनके पास कोई साधन भी हैं या नहीं हैं। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज कई पंचायत समितियों के पास में अपनी कोई गाड़ी नहीं है। गाड़ियां हैं तो ऐसी खटारा गाड़िया हैं कि आठ-आठ, दस-दस सालों से धक्का देकर उनको चलाना पड़ता है। जब आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी पंचायत समितियों को सौंप कर वहां के सारे अधिकारी उनके तहत दे रहे हैं तो उनको जब तक सुविधाएं नहीं देंगे, जब तक साधन नहीं देंगे, उन सारे कामों को करने में वे कहां तक सफल हो पाएंगे?

(18.00 बजे)

मेरे पूर्व साथियों ने जितनी भी बातें कही हैं उनको नहीं दोहराता हुआ मैं अपने कुछ सुझाव जो मैंने आपको दिये हैं उनके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। मेरे कई साथियों ने पंचायती राज के बारे में, राजीव गांधी पाठशालाओं के बारे में और दूसरी शिक्षण संस्थाओं के बारे में कहा, मैं इस मौके पर उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि हमारा साढ़े तीन-चार साल का जो अशोक गहलोत की सरकार का समय है, आप याद करिये, राजस्थान में स्कूलों से लगाकर यूनिवर्सिटीज तक कितने हाई स्कूल, सैकण्डरी स्कूल और मिडल स्कूल खुले हैं। शायद आप इसको गिनाना भूल गये। पचास साल, 54 साल की आजादी में साढ़े तीन सालों में जिस परसेंटेज से हमने, शिक्षा की दृष्टि से राजस्थान को आगे बढ़ाने की कोशिश की है, पिछली कोई सरकार इस बात के लिए नहीं कह सकती कि हमने इतना विकास किया है। हर कांस्टीट्यूएंसी में तीन-चार साल में पांच-पांच, छह-छह सीनियर सैकण्डरी स्कूल खुले हैं, आठ-दस-दस सैकण्डरी स्कूल खुले हैं और बीस-बीस मिडल स्कूल खुले हैं।

(श्री हफीज मोहम्मद)

राजीव गांधी पाठशालाओं की जहां तक आप बात कर रहे हैं, आपके मन में कुंठा है। आप नहीं चाहते कि राजस्थान की जनता कांग्रेस की वाहवाही करे। फिर से कांग्रेस को लाने के लिए जो उसका मन बना है, आप भ्रांति पैदा करके जनता को भ्रांति में लाना चाहते हैं। आज राजस्थान का जो शिक्षा का परसेंटेज बढ़ा है वह राजीव गांधी पाठशालाओं की वजह से बढ़ा है। जो ढाणी और दूर दराज के गांव में रहने वाला गरीब आदमी कभी शिक्षा के बारे में सोच नहीं सकता था आज उसके गांव में, उसकी ढाणी में राजीव गांधी पाठशाला खुली है। आज वे अपने लड़के और लड़की को पढ़ा रहे हैं और शिक्षा की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं।

इसलिए माननीय प्रतिपक्ष के सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप इन सारे अच्छे कामों में सरकार का सहयोग करें और जो अच्छी बातें हैं उनको सरकार तक ले जाने में आप अपनी जिम्मेदारी की भूमिका निभाएं। राजस्थान में चाहे अकाल की स्थिति हो चाहे शिक्षा की स्थिति हो, चार साल में छह यूनिवर्सिटी राजस्थान में खुली हैं, तो इस अशोक गहलोतजी की सरकार में खुली हैं, इन बातों को हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए।

इस पंचायती राज के जितने भी सुझाव माननीय पंचायती राज मंत्रीजी ने और पूर्व मंत्री जी ने दिये हैं, हम उनका स्वागत करते हुए कहना चाहते हैं कि वे लागू होने चाहिए, पंचायतों को अधिकार मिलने चाहिए। यही बात कहता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री हरचन्द सिंह जी सिद्धू।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू (पीलीबंगा): माननीय सभापति जी, एक बात की मुझे बड़ी खुशी है कि जिस उद्देश्य को लेकर हम यहां विचार विमर्श कर रहे हैं, उसमें इस मुद्दे पर हम करीब-करीब सहमत हैं कि स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण होना चाहिए। अगर कोई नोक-झोंक या तीरन्दाजी है तो वो श्रेय लेने की जरूर दिख रही है। हम तो चाहते हैं कि हमारे नेताओं को श्रेय मिले और आप लोगों की मंशा अपनी है। मैं कहता हूं, अच्छे और नेक काम के लिए किसी को भी श्रेय जाए, अच्छा काम करिये। राजस्थान की बहबूदी हो, इस बात में आप और हम एकमत हैं इसलिए सारा सदन धन्यवाद का पात्र है कि हम एक अच्छे उद्देश्य के लिए सारे एकमत हैं।

सभापति महोदय, निःसन्देह जब तक हमारी प्राइमरी यूनिट और ग्राम की प्रथम इकाई मजबूत नहीं होगी, तब तक ऊपर का स्ट्रक्चर जो उससे डवलप होगा वह ज्यादा मजबूत नहीं होगा। जो अधिकार हम देने जा रहे हैं, देने की परिकल्पना कर रहे हैं, बिलकुल दिये जाने चाहिए, लेकिन अकेले अधिकार देकर उसके साथ जिम्मेवारी की ड्यूटी अगर उस संस्था पर हम आयद नहीं

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

करेंगे तो शायद उन अधिकारों का दुरूपयोग होगा और हम जो आज अधिकार देने के समर्थन में बात कह रहे हैं, आप पाप के भागी या दोषी हम होंगे। इसलिए ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए क्योंकि अधिकार और कर्तव्य दोनों अलग-अलग नहीं किये जा सकते, इनका चोली और दामन का साथ है। अधिकार दिये जाएं, लेकिन अधिकार जिस संस्था को दिये जा रहे हैं वह इतनी सावचेत और इतनी सुशिक्षित हो और इथिकली इतनी मजबूत हो कि उस पर कर्तव्यों के साथ जो जिम्मेदारियां आयद की जानी चाहिए, जो पाबन्दियां लगायी जानी चाहिए वह उन्हें अपने आप ही लगा ले।

(18.06 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

अगर ऐसी व्यवस्था नहीं होगी तो सारा सिस्टम या हमारी सारी एक्सरसाइज शायद फ्यूटाइल होगी, अच्छे परिणाम नहीं आएंगे। ये अधिकार दिये जाएं उसके पीछे केवल एक ही नीयत है कि इस राजस्थान प्रदेश का सर्वांगीण विकास कैसे हो। यह सारी अधिकारियों की जो बात की जाती है वह विकास पर आधारित है। डवलपमेंट हमारी परिकल्पना का आधार है। मैं यह कहना चाहता हूं कि डवलपमेंट अकेले अधिकारों से नहीं होगा, उसके लिए धन की आवश्यकता होती है। अब धन कहां से आएगा? (व्यवधान) आप मेहरबानी करके सुन लीजिए, आप धीरज रखिये। धन कहां से आएगा?

श्री मदन दिलावर : दिल्ली मांगने जाएंगे, लाओ।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : आप बिराजिये, मैं जानता हूं दिल्ली वालों को, दातारों को।

धन कहां से आएगा? अगर आएगा तो फिर वह सवाल पैदा होता है कि अगर सरकार सरकारी साधनों से इन संस्थाओं को धन मुहैया कराएगी और वह अगर नियंत्रित नहीं हुआ तो फिर आगे अव्यवस्था गबन की हो जाएगी। आज हमारी जो प्रणाली है वह प्रणाली यह है कि एक ग्राम पंचायत जिसको हम कोई निर्माण कार्य देते हैं, उसको हम सबसे पहले यह कहते हैं कि आपने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट और कम्प्लीशन सर्टिफिकेट पेश कर दिया? यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट वह अगर कबाड़ा करके लाएगा तो जो टैक्निकल हमारी मशीनरी है ग्राम पंचायत में या पंचायत समिति में या जिला परिषद् में, उसको भी जिम्मेवार ठहराया जाए कि उस काम की गुणवत्ता के लिए आप भी जिम्मेवार हैं। कम्प्लीशन सर्टिफिकेट में जब तक बी.डी.ओ. या जिला परिषद् का चीफ एक्जीक्यूटिव आफिसर उसके लिए जिम्मेवार नहीं होगा तब तक अनियमितताएं नहीं रुकेंगी और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता कभी भी मेंटेन नहीं होगी। इसलिए धन मुहैया कराया जाए। अब धन मुहैया कराने के दो तरीके हैं। एक तो पर-कैपिटा जो ग्रांट-इन-एड सरकार देती है, वह साधन है ग्राम पंचायत के पास। लेकिन जब तक ग्राम पंचायतें, पंचायत

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

समितियां और जिला परिषद् बाई वे आफ टैक्सेशन अपनी आय को नहीं बढ़ाएंगी तब तक ग्रांट-इन-एड से काम चलने वाला नहीं। ग्राम पंचायत, जिला परिषद् या पंचायत समिति की जो जायदाद है या भूमि है, मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं, उस भूमि के आज हालात क्या हैं? अनधिकृत कब्जे, अतिक्रमण। नगरपालिकाओं के लिये मैं जैसा कह नहीं सकता कि अनधिकृत कालोनीज बसी हुई हैं, क्या हम यह उम्मीद नहीं कर सकते कि जो संस्था अपनी सम्पत्ति की हिफाजत नहीं कर सकती, उस पर अतिक्रमण को नहीं रोक सकती, मेरे खयाल में हम उससे और ज्यादा कोई उम्मीद नहीं कर सकते। यह जिम्मेवारी होनी चाहिये। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जो पुराने अतिक्रमण...(व्यवधान) मेहरबानी करके, दिलावर साहब, आप अपना अफसोस अपने तक रखिए।

जब पूरे राजस्थान प्रदेश के अन्दर अतिक्रमणों को हटाने का इस सरकार ने अभियान चलाया तो उसके परिणाम आये। एक फिजां बनी थी पूरे प्रदेश के अन्दर कि यह पहली सरकार है जो अपनी सम्पत्ति की रक्षा करने के लिये कटिबद्ध है, लेकिन एंसुइंग एक्शन नहीं हुआ। वही नाजायज कब्जे, अतिक्रमण। मान्यवर, जो सम्पत्ति भू-माफिया गिरोहों को पैदा करने के लिये हमने उनके कब्जे में सौंप रखी है, अगर नगर परिषदें, नगरपालिकाएं, ग्राम पंचायतें अपने अपने क्षेत्र में नक्शे बनाकर आवासीय भूमि के प्लाट्स जरूरतमन्द लोगों को दें तो निश्चित तौर से इन संस्थाओं की आय बढ़ेगी। इसमें दो राय नहीं है। मगर इच्छाशक्ति नहीं हैं इन संस्थाओं में। नगरपालिकाओं में हाउस टैक्स लगाने की एक बहुत पुरानी एक्सरसाइज चली आ रही है, लेकिन किसी भी नगरपालिका ने क्या हाउस टैक्स कभी कलैक्ट किया है? नाम मात्र का। इसलिये ये जो विसंगतियां हैं, इन विसंगतियों को जब तक आप दूर नहीं करेंगे, अधिकार अपने आप कोई कार्यवाही नहीं करते। अधिकार संस्था के मार्फत, उस संस्था की इफैक्टिवनैस, उसकी इच्छा-शक्ति से ही काम करते हैं। नगर पालिकाओं के पास एक था, चुंगी थी और अभी प्रतिपक्ष की तरफ से यह बार-बार कहा जा रहा था कि इन संस्थाओं को आप लोगों ने ऐसे कर दिया। मैं सवाल यह पूछना चाहता हूं कि आप हमदर्द हैं, समर्थक हैं कि इन संस्थाओं को मजबूत किया जाए तो चुंगी को समाप्त करके इन संस्थाओं को आपने मजबूत किया है? राजस्थान के अन्दर नगरपालिकाओं को नेस्तानाबूद करके धर दिया। आज उनकी वह स्थिति पैदा हो गयी है...(व्यवधान) मैं स्वायत्त शासन मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मेहरबानी करके पुनः चुंगी को लागू किया जाए। इन संस्थाओं के अन्दर ऐसी हिम्मत हो कि अपने एक्सचैकर को रेज करने की उनमें इच्छाशक्ति पैदा हो और इनके अन्दर अपना खुद का एक्सचैकर बढ़ाने के लिये टैक्सेशन की भी भावना भरी जाए।

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

बार-बार एक सवाल आ रहा है। मेहरबान, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, प्रजातंत्र का फर्स्ट प्रिंसिपल है, चेयरमैन, जिला प्रमुख और प्रधान इनका अप्रत्यक्ष प्रणाली से अगर आप चुनाव रखेंगे तो निश्चित तौर से ये संस्थाएं कमजोर रहेंगी। इनमें कभी आत्मिक शक्ति नहीं आ सकती, इनमें कभी ऐसी पावर नहीं आ सकती। इनको प्रत्यक्ष चुनाव से चुना जाना चाहिये। इस प्रणाली को लागू किया जाए ताकि अच्छा लीडरशिप इवाल्व हो और इन संस्थाओं में एक डेमोक्रेटिक भावना डवलप हो। हम धन भी दे देंगे, शक्तियां भी दे देंगे, लेकिन पंचायत समिति और जिला परिषदों का जो हम हाल देख रहे हैं, ये संस्थाएं वन मैन शो बनी हुई हैं। जिला प्रमुख जो चाहता है, वह डवलपमेंट के काम अपनी इच्छा के मुताबिक अपने चहेतों के पक्ष में करता है। जिला परिषद् या पंचायत समिति जिस डवलपमेंट के काम को करना चाहते हैं वह उस सदन की बाडी से अप्रूव हो ताकि उस पर चैक लगे। तब उसकी रूपरेखा जो बनेगी वह सर्वांगीण विकास की रूपरेखा होगी। उसके अन्दर एकांगी और पक्षपात का विकास नहीं होगा। हमने कह दिया कि फंक्शनरीज हम आपको ट्रांसफर कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कंट्रोल क्या होगा? उसका स्वरूप क्या होगा? यह बात कहीं से भी समझ में नहीं आ रही है। आज ब्यूरोक्रेसी जिस तरीके से हाबी हो रही है, कोई भी अध्यापक स्कूल में नहीं जाता। स्कूल खोलें, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, और खोलने चाहिये। लेकिन अध्यापक स्कूल में नहीं जाएगा। जो आप सरपंच साहबान के कंट्रोल में देने जा रहे हैं, क्या वे कंट्रोल में रह पाएंगे? कारण? सरपंच की क्वालिफिकेशन, अंगूठा छाप। जिस आदमी को ज्ञान नहीं है। मेरा पंचायती राज मंत्रीजी से निवेदन है कि आप अधिकार सम्पन्न इन संस्थाओं को करिये, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन ऐसी हो कि वे कुछ समझ सकते हों। (व्यवधान) यह भी दुर्भाग्य है। यह भी दुर्भाग्य है और यही कारण है...

श्री मदन दिलावर : यह गांव के आदमी को अज्ञानी और अपने आपको ज्ञानी समझते हैं।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : मैं तो ज्ञानी हूं या नहीं हूं, आप ज्ञानी जरूर हैं।

श्री मदन दिलावर : यह गांव के आदमी का घोर अपमान है।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : होगा।

श्री मदन दिलावर : यह कहना कि गांव का आदमी अज्ञानी है, वह समझता नहीं है, यह अपने आपको ज्ञानी समझ रहे हैं तो कितना अपमान है गांव के आदमी का।

श्री हरचन्द सिंह सिद्धू : जब तक क्वालिफिकेशन का कोई स्टेण्डर्डाइजेशन नहीं होगा तब तक कुछ न कुछ कमजोरी हमारे में रहेगी। आदमी अच्छे के लिये जो कदम बढ़ाता है, पर वह सोच समझकर और उसकी सुनिश्चित व्यवस्था करके नहीं करता है तो बाद में पछतावा भी कई बार करना पड़ जाता है। आपका इरादा नेक है, आपके इरादे में कहीं कोई जोड़ नहीं है। आपके खयालात बहुत बढ़िया हैं, मन से आप चाहते हैं कि राजस्थान में हम पहल करें और इन संस्थाओं को मजबूत करें। ये संस्थाएं जब तक मजबूत नहीं होगी तब तक हमारा पूरा डेमोक्रेटिक सिस्टम कमजोर रहेगा। निश्चित तौर से हम इसके समर्थक हैं।

अब ग्राम पंचायत का आप अधिकार दे देंगे, लेकिन 59 से लेकर आज तक जो ग्राम पंचायतें कमा कर रही हैं, बहुत बडी मिकदार ग्राम पंचायतों की ऐसी है जिनके पास पंचायत घर नहीं है। सरपंच रिकार्ड अपने थैले में रखेगा। अपने घर में मीटिंग करेगा। फिर वह डेमोक्रेटिक सिस्टम से काम नहीं करेगा। अपनी दादागिरी से काम करेगा। पंचायतों में पंचायत घर नहीं, यह बात तो समझ में आती है कि छोटी इकाई है। लेकिन, मान्यवर, मैं बड़े दु:ख के साथ कहता हूं कि हनुमानगढ़ पंचायत समिति जिसमें 121 ग्राम पंचायतें हैं, 73 पंचायत समिति के वार्ड्स हैं, उसके पास अपना कोई भवन नहीं है। जब मीटिंग की जाती है तो हम टैंट लगाकर मीटिंग करते हैं। इतनी बड़ी पंचायत समिति जिसमें चार विधान सभा क्षेत्र आते हैं, मैं नहीं उम्मीद करता कि वहां बैठा हुआ बी.डी.ओ. सारे सिस्टम को कंट्रोल कर लेगा। यह व्यवस्था राज नहीं करेगा तब तक हम किसी दूसरे आदमी को दोषी नहीं ठहरा सकते। बी.डी.ओ. की बात करते हैं आप, बी.डी.ओ. का कोई आकार स्वरूप इस पंचायत सिस्टम में नहीं। ट्रायल बेसिस पर कभी कोई वेटरिनरी डाक्टरों को बुला लिया, कि मेहरबानी करके आप बी.डी.ओ. बन जाएं। वह चार-पांच सालों में कुछ सीखे तो you go and have vaccination to your animals. फिर मास्टरों को बुला लिया, स्कूल खाली पड़े हैं। मास्टर साहिबान कुछ एक्सरसाइज करके कुछ थोड़ा-बहुत सीखते हैं तो उनको कह दिया कि नहीं, यहां मास्टरों की कमी है, आप तो स्कूलों में जाइये। फिर इंजीनियर्स ले आएंगे। एक आप परमानेंट व्यवस्था करिये। जब तक परमानेंट व्यवस्था नहीं होगी तब तक ये अधिकार दिये जाने हैं इनसे कोई बहुत अच्छा परिणाम राजस्थान के पक्ष में तो मेरे खयाल से नहीं निकल पाएगा। आप व्यावहारिक दृष्टिकोण रखें। जहां चार पंचायत समितियां होनी चाहिए, वहां एक है। पूरे राजस्थान प्रदेश के रीआर्गेनाइजेशन के मैंने आंकड़े देखे हैं जो आपने दिये हैं, हनुमानगढ़ जिला ही ऐसा है जिसके अंदर मात्र तीन पंचायत समितियां हैं। अगर ऐसी अव्यवस्था

(श्री हरचन्द सिंह सिद्धू)

रहेगी तो अधिकार जो आप देंगे, उनसे ज्यादा बढ़िया परिणाम आने वाले नहीं हैं। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाकर रीआर्गेनाइजेशन आफ पंचायत एंड रीआर्गेनाइजेशन आफ पंचायत समिति डेफिनिट करवाए। जब तक यह नहीं होगा, आपका सिस्टम सुव्यवस्थित नहीं होगा। बैठने का स्थान नहीं होगा तो अधिकार आप सर पर रखें। आपके इरादे नेक हैं, आपकी सोच सही है और आपकी भावना में कहीं गड़बड़ नहीं, आप चाहते हैं मन में कि राजस्थान प्रदेश का भला हो, लेकिन जोश के साथ में होश में भी रह कर इन सारी अव्यवस्थाओं को दूर करते हुए आगे बढ़ेंगे, हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। आपका धन्यवाद करता हूं कि आपके मन में एक लगन जरूर है कि राजस्थान प्रदेश आगे बढ़े। राजस्थान प्रदेश के अन्दर विकास की नई ज्योति जले और आप उसको प्रज्ज्वलित करके सारे राजस्थान को प्रकाशमय करें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, जयहिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूलाल गुर्जर।

श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डौली) : उपाध्यक्ष महोदय, आज पंचायती राज और नगरपालिकाओं को सरकार द्वारा सुविधाएं दी जा रही हैं, लेकिन सुविधाओं के साथ में सरकार को पहले इस बात पर विचार करना चाहिए कि आज गांवों में डाक्टर नहीं हैं, पंचायत मुख्यालय रोड से जुड़े हुए नहीं हैं, पीने के लिए गांव वालों के पास पानी नहीं है। गांवों में सबसे पहले एनीकट बनाना जरूरी था, यह विषय बाद में भी आ सकता था। गांव का विकास पहले होना चाहिए था। लेकिन सरकार चुनाव को देखते हुए यह जो विधेयक ला रही है, इसमें राजनीतिक सोच के अलावा कोई गांव का विकास नहीं होगा। आज पंचायतों की स्थिति ऐसी है कि पुरानी पंचायतों के सरपंचों द्वारा दो-दो, तीन-तीन लाख रुपये का गबन करके वह राशि हड़प ली गयी और आज उन पुराने सरपंचों के खिलाफ कोई भी सरकार कार्यवाही नहीं कर रही है। दोषी लोग आराम से घूम रहे हैं। सरकार का पैसा दबाये हुए बैठे हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में चार पंचायत मुख्यालय ऐसे हैं जहां अभी तक पोलिंग सेन्टर नहीं हैं, आप क्या पंचायतों के विकास की बात करते हो? मतदाताओं को पंचायत मुख्यालयों पर वोट देने का अधिकार नहीं है, वहां से पांच-पांच, सात-सात किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। आज पंचायतों को आगे बढ़ाने की बात तो करते हैं...

श्री शांति कुमार धारीवाल : कौनसी पंचायतें हैं?

श्री नाथूलाल गुर्जर : अजनगजरा है, पंचायत मुख्यालय अनंतगढ़ है, रोशनदा है, छाबड़ियों का नया गांव-ये ऐसे गांव हैं जहां पर पोलिंग नहीं है, वहां से पांच-पांच, सात-सात किलोमीटर दूर जाना पड़ता है।

श्री शांति कुमार धारीवाल : रोशनदा में है। (व्यवधान)

श्री नाथूलाल गुर्जर : मेरे को सुनाई कम देता है। नहीं है, देवडूंगरी जाना पड़ता है वहां के लोगों को। (व्यवधान) जिस पंचायत हैडक्वार्टर पर पोलिंग नहीं है वहां आप किस तरह के अधिकार देने की बात कर रहे हैं? वहां के मतदाताओं को वोट देने का अधिकार नहीं है, दूसरे गांवों में पांच-पांच, सात-सात किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। पहले यह काम होना जरूरी था। आप तो हवाई जहाज ले आओगे उन लोगों के लिए, लेकिन वे बैठें तब है ना। (व्यवधान) मेरे विधान सभा क्षेत्र में छाबड़ियों का नया गांव और अनेक पंचायतें ऐसी हैं जो अभी तक रोड से जुड़ी हुई नहीं हैं, जबकि सरकार की नीति में वह जुड़ना जरूरी था।

उपाध्यक्ष महोदय, पंचायतों में जो भी गबन होता है उसका आरोप सरपंच पर लगता है, जबकि उसमें सचिव भी बराबर का जिम्मेदार है। यदि कोई भी सरकार कार्यवाही करे तो सरपंच के बराबर दोषी वह ग्राम सचिव भी है, उसके ऊपर भी कार्यवाही होना जरूरी है। आज सरकार ने एक ढकोसला चालू किया है ग्राम सभाओं का, ग्राम सभाओं में जाकर देखें कि कहीं पर पांच की, कहीं दस की, कहीं 15 की संख्या मिलेगी। सरकार का व्यर्थ में पैसा खर्च हो रहा है। उन ग्राम सभाओं का सरकार द्वारा सिर्फ अखबारों में प्रचार किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज पंचायतों में ओ.बी.सी., एस.सी. और एस.टी. का आरक्षण किया गया, लेकिन आज बहुत सारी पंचायतें ऐसी हैं जिनमें उस पूरी पंचायत के क्षेत्र में मात्र दो घर रहते हैं, उस कोटे के दो ही घर रहते हैं। उन लोगों को चुनाव लड़वाते हैं और चुनाव लड़ते हैं। ऐसा नियम बनाना चाहिए कि पंचायत में कम से कम 25 प्रतिशत लोग उस कोटे के जरूर हों तभी उसको आरक्षण में लिया जाना चाहिए।

आज पंचायतों में विकास कार्यों के लिए जो पैसा सरकार द्वारा दिया जाता है, उसमें मजदूरी और सामग्री की जो सीमा है, वह सीमा खतम की जानी चाहिए। इससे ज्यादा से ज्यादा विकास होगा। आपने जो मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक बुधवार; दिनांक 28 अगस्त, 2002 के प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.31 बजे, बुधवार; 28 अगस्त, 2002 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

परिशिष्ट "अ"

(तारांकित प्रश्न संख्या-3 का विवरण)

पंचायत समिति कुचामन क्षेत्र की जनता जल योजनाओं के बकाया भुगतान का विवरण दिनांक 31.7.2002

क्र.सं.	जनता जल योजना का नाम	मजदूरी (रुपये)	पम्पसैट मरम्मत राशि (रुपये)
1	2	3	4
1.	जे.जे.वाई. भैरूपुरा	11500	7400
2.	" भवानी गांव	11500	12008
3.	" शिव (नाथा की ढाणी)	11500	12340
4.	" गंगासागर (घाटवा)	16500	5440
5.	" गुगडवार	11500	9940
6.	" जिजोट	20500	5104
7.	" लाम्बा	27750	21316
8.	" गुजरी तलाई (जिजोट)	11500	5425
9.	" कुकनवाली (बास वाला कुआ)	11500	1100
10.	" गुर्जरों की ढाणी (मूनपुरा)	11500	7404
11.	" पांचवा (बंधिया कुआ)	11500	1600
12.	" नगवाड़ा (आथूनाबास)	16500	7425
13.	" नगवाड़ा (अगुणाबास)	10000	3100
14.	" रेगर कुआं (पांचवां)	13000	7404
15.	" कसारी कुआं (अडगसर)	13000	9255
16.	" सुजानपुरा	13000	12340
17.	" चारणवास	13000	5000
18.	" मोतीपुरा (नलकूप)	13000	16975

1	2	3	4
19.	जे.जे.वाई. मंगलपुरा	13000	11091
20.	" सबलपुरा	13000	15425
21.	" बन्ध्या कुआ जिलिया	15500	–4388
22.	" केरपुरा की ढाणी (रसाल)	13000	9600
23.	" प्रेमपुरा	13000	12340
24.	" राणासर	13000	10100
25.	" रावां	39000	9255
26.	" रसाल	13000	9255
27.	" आनन्दपुरा	13000	12340
28.	" आसपुरा	13000	9225
29.	" भीलाल	12500	8840
30.	" सुरतपुरा	13000	15008
31.	" जीजोट	—	—
32.	" मांजी की ढाणी (घाटवा)	7000	15425
33.	" शिव पश्चिम	13000	18570
34.	" इण्डाली	13000	7175
35.	" इन्दोखा	26000	12340
36.	" छापरी	33000	12340
37.	" भावता	26000	15425
38.	" हरिपुरा	13000	7100
39.	" गांधीग्राम	7500	7170
40.	" शिवदानपुरा	14000	7204
41.	" शिवपूर्वी	8000	6006

1	2	3	4
42.	जे.जे.वाई. दौलतपुरा	13000	10340
43.	" रसाल (बालाजी की कोठी)	13000	10340
44.	" परेवडी	13000	7755
45.	" राजपुरा (कायमखानियों की ढाणी)	13000	7755
46.	" आनन्दपुरा	13000	6804
47.	" केरियों की ढाणी (मारोठ)	8000	24000
48.	" चोसला (ब्राह्मणों का मोहल्ला)	3500	–
49.	" चोसला छोटाबास	–	–
50.	" मुआना	9500	8000
51.	" तुरी की ढाणी (रघुनाथपुरा)	10500	8000
52.	" दललपुरा	5000	–
53.	" रेवासा	7500	–
54.	" हरियाजून	8000	3000
55.	" भूणी	4000	3000
56.	" पलाडा	–	–
57.	" पालड़ी	3500	–
58.	" पुरोहितों का बास	3500	–
59.	" खारडिया	2000	3000
60.	" कासेडा	2000	3000
61.	" लिचाणा	3000	–
62.	" नाका की ढाणी (विजय नगर)	4500	–
63.	" सांखलों की ढाणी (घाटवा)	8500	5673
	योग	740750	478089

परिशिष्ट–2

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

विद्युत मण्डल के विघटन से घाटे की पूर्ति

5. **मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या विद्युत कम्पनियों का गठन तत्कालीन राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के बढ़ते हुए घाटे को कम करने हेतु किया गया था? यदि हां, तो विद्युत कम्पनियों से पूर्व घाटा कितना था और अब कितना है?

(2) क्या नियामक आयोग व विद्युत कम्पनियों के गठन के पश्चात् विद्युत चोरी में कमी आई है? यदि हां, तो गठन से अब तक की कम्पनीवार व वर्षवार रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त विद्युत कम्पनियां किसानों व उपभोक्ताओं को आवश्यकतानुसार विद्युत आपूर्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विद्युत कम्पनियों का गठन राज्य सरकार द्वारा मई, 1999 में विद्युत क्षेत्र सुधार कार्यक्रम पर घोषित नीति के तहत किया गया है। जिसका उद्देश्य विद्युत क्षेत्र का द्रुत एवं स्वपोषित विकास करना, वित्तीय सुदृढ़ता प्रदान करना तथा तंत्र की कार्यकुशलता बढ़ाना है।

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का घाटा (विघटन से पूर्व) निम्न प्रकार था :–

वर्ष 1999–2000	1678.05 करोड़ रु.
1.4.2000 से 19.7.2000	760.18 करोड़ रु.

जहां तक राराविप्रनि एवं राराविउनि का प्रश्न है लेखे बिना लाभ–हानि के तैयार किये गये हैं। तीनों विद्युत वितरण निगमों का अनुमानित कुल घाटा निम्न प्रकार है:–

घाटा करोड़ रुपयों में

	वर्ष 2000-01 (20 जुलाई, 2000 से 31 मार्च, 2001)	वर्ष 2001-2002
अजमेर डिस्कॉम	243.28	376.29 (अनुमानित)
जोधपुर डिस्कॉम	264.90	453.33 (अनुमानित)
जयपुर डिस्कॉम	270.66	340.88 (अनुमानित)

(2) राज्य नियामक आयोग व विद्युत वितरण कम्पनियों के गठन के पश्चात्

(ऊर्जा मंत्री)

विद्युत चोरी रोकने के लिए किये गये प्रयासों से विद्युत चोरी करने वालों में चोरी नहीं करने की भावना बन रही है जिससे धीरे-धीरे चोरी की प्रवृत्ति में कमी आ सकेगी। विद्युत कम्पनियों के गठन के पश्चात् विद्युत चोरी में पकड़े गये मामलो व निर्धारित राजस्व का कम्पनीवार व वर्षवार विवरण निम्न प्रकार है :-

(राशि लाख रु. में)

कम्पनी का नाम	वर्ष 2000-01		वर्ष 2001-2002	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
जयपुर	29644	1340.75	33280	1832.04
अजमेर	18675	1505.31	26642	2250.96
जोधपुर	2181	86.05	5065	284.04

(3) जी हां। मांग के अनुरूप विद्युत उपलब्ध होने पर किसानों व उपभोक्ताओं को आवश्यकतानुसार आपूर्ति करने पर विचार किया जाना सम्भव होगा।

भूमि विकास बैंक पिपराली (सीकर) द्वारा भेड़ पालन ऋण के वितरण में अनियमितता

6. **श्री अमराराम (धोद): क्या** सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) गत तीन वर्षों में भूमि विकास बैंक शाखा पिपराली (सीकर) द्वारा भेड़ पालना हेतु कितना ऋण किस-किस ग्राम एवं किसान को वितरित किया गया है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त शाखा के द्वारा ऋण वितरण में अनियमितता करने की शिकायतें उक्त बैंक एवं सरकार को प्राप्त हुई हैं? शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त शिकायतों की जांच किस अधिकारी से करवाई गई और जांच के क्या परिणाम आए? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या दोषी पाये गये अधिकारी/ कर्मचारियों पर अब तक कोई कार्यवाही हुई है? अब उक्त कर्मी किस शाखा में कार्यरत है?

उत्तर

(1) गत तीन वर्षों में भूमि विकास बैंक सीकर की शाखा पिपराली द्वारा भेड़ पालन हेतु किये गये ऋण वितरण का ग्रामवार एवं किसानवार (ऋणीवार) विवरण संलग्न परिशिष्ट एक में अंकित है।

(सहकारिता मंत्री)

(2) जी हां। शिकायत की प्रति संलग्न परिशिष्ट दो में उपलब्ध है।

(3) उक्त शिकायत की वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट सचिव सीकर से प्राप्त होना अपेक्षित है।

(4) वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। पिपराली शाखा में कार्यरत रहे तत्कालीन शाखा सचिव वर्तमान में प्रधान कार्यालय, भूमि विकास बैंक लि., सीकर में एवं तत्कालीन भूमि मूल्यांकन अधिकारी श्री मोहम्मद ईशाक गौरी निरीक्षक, सहकारी विभाग, नागौर जिले में कार्यरत है।

सीकर सहकारी भूमि विकास बैंक लि., सीकर की शाखा पिपराली में गत तीन वर्षों में दिये गये भेड़-बकरी के ऋण की सूची

परिशिष्ट "1"

क्र.सं.	ऋणी का नाम मय पिता	जाति	ग्राम	ऋण वितरण का दिनांक	राशि
1	2	3	4	5	6
1.	श्री गोविन्दराम/बिडदूराम	जाट	पलसाना	4.5.1999	60,000.00
2.	श्री भीमकोरी/खुमाणा	जाट	दौलतपुरा	17.12.1999	95,000.00
3.	श्री नानूराम/नाथूराम	माली	राधाकिशनपुरा	17.1.2000	70,000.00
4.	श्री आया देवी/राजाराम	नायक	सीकर	22.1.2000	75,000.00
5.	श्री ओप्रकाश/कालूराम	पुरोहित	दीनारपुरा	24.1.2000	60,000.00
6.	श्री मांगीलाल/गुमानाराम	कुमावत	रैवासा	24.1.2000	50,000.00
7.	श्री रिछपाल/रूपाराम	बलाई	शिवनगर	3.2.2000	65,000.00
8.	श्री केदार/गोविन्दा	जाट	दीनारपुरा	28.3.2000	75,000.00
9.	श्री टीकूराम/जैसाराम	जाट	गुमानाकाबार्स	28.3.2000	70,000.00
10.	श्री मदनलाल/नारायण	जाट	पिपराली	29.3.2000	75,000.00
11.	श्री विद्याधर/झाबरमल	जाट	दादियां	31.3.2000	75,000.00
12.	श्री जगदीश सिंह/भतासिंह	राजपूत	तारपुरा	2.6.2000	30,000.00

1	2	3	4	5	6
13.	श्री बैरिसाल सिंह/केशरसिंह	राजपूत	तारपुरा	2.6.2000	70,000.00
14.	श्री जगदीश/तिलोकाराम	जाट	दादिया	3.6.2000	75,000.00
15.	श्री नारायण/मंगला	माली	राधाकिशनपुरा	5.6.2000	75,000.00
16.	श्री धन्नाराम/लिक्ष्मणराम	बलाई	तारपुरा	19.6.2000	75,000.00
17.	श्री श्रीराम/लिछमाराम	जाट	तारपुरा	19.6.2000	75,000.00
18.	श्री मीरा/मूलाराम	बलाई	तारपुरा	20.6.2000	75,000.00
19.	श्री रामदेव/पेमाराम	जाट	पिलियों का ढहर	6.7.2000	75,000.00
20.	श्री हरिराम/कुशलाराम	जाट	गुमानाकाबास	6.7.2000	50,000.00
21.	श्री गौरूराम/चतराराम	नायक	दीनारपुरा	6.7.2000	70,000.00
22.	श्री बिशनसिंह/दून्दाराम	जाट	गुमानाकाबास	6.7.2000	75,000.00
23.	श्री मूंगाराम/पुराराम	बलाई	तारपुरा	6.7.2000	70,000.00
24.	श्री छगन कंवर/अर्जुनसिंह	राजपूत	तारपुरा	6.7.2000	75,000.00
25.	श्री रामबक्सा/हीराराम	जाट	दीनारपुरा	7.7.2000	75,000.00
26.	श्री झाबरमल/बोवताराम	जाट	लक्ष्मणकाबास	25.8.2000	65,000.00
27.	श्री अशोक/हणमानदास	स्वामी	गुमानाकाबास	29.6.2000	60,000.00
28.	श्री खेसा/मंगला	माली	राधा किशनपुरा	9.9.2000	50,000.00
29.	श्री महावीरप्रसाद/हणमानदास	स्वामी	गुमानाकाबास	9.9.2000	60,000.00
30.	श्री करणाराम/घड़सीराम	जाट	पिलियों का ढहर	11.9.2000	70,000.00
31.	श्री बलवीर/लेखाराम	जाट	गुमानाकाबास	11.9.2000	62,000.00
32.	श्री मोहन/मंगला	जाट	गुमानाकाबास	14.9.2000	30,000.00
33.	श्री भगवाना/बक्सा	जाट	कटराथल	28.9.2000	75,000.00
34.	श्री प्रभात/रामेश्वर	कुमावत	दौलतपुरा	5.10.2000	62,000.00

1	2	3	4	5	6
35.	श्री द्वारकाप्रसाद/दौला	नाई	दौलतपुरा	5.10.2000	48,000.00
36.	श्री हरलाल/डालूराम	जाट	दीनारपुरा	11.10.2000	75,000.00
37.	श्री सुरतकंवर/केशरसिंह	राजपूत	तारपुरा	13.10.2000	70,000.00
38.	श्री जयराम/मोहरीलाल	धोबी	शिय्यू	14.10.2000	72,000.00
39.	श्री सुखदेवसिंह/ईशरा	जाट	दादिया	17.10.2000	62,000.00
40.	श्री रामचन्द्र/किशना	जाट	दौलतपुरा	23.10.2000	62,000.00
41.	श्री सुखाराम/झुथाराम	माली	राधाकिशनपुरा	23.10.2000	75,000.00
42.	श्री गुमानाराम/लिछमणराम	बलाई	तारपुरा	23.10.2000	45,000.00
43.	श्री मूलचन्द/गंगू	माली	किशनपुरा	24.10.2000	62,000.00
44.	श्री जगदीश सिंह/सुखसिंह	राजपूत	गोकुलपुरा	24.10.2000	75,000.00
45.	श्री नरेन्द्र कुमार/श्योबक्सा	जाट	हरदयालपुरा	24.10.2000	75,000.00
46.	श्री गीगा/नारायण	बलाई	दीनारपुरा	24.10.2000	32,000.00
47.	श्री जगदीशसिंह/सुलतान	जाट	दादिया	24.10.2000	75,000.00
48.	श्री जगनराम/तुलछीराम	जाट	दादिया	25.10.2000	75,000.00
49.	श्री रूप सिंह/भंवरसिंह	राजपूत	लक्ष्मणा काबास	25.10.2000	75,000.00
50.	श्री बनवारी/मोतीराम	जाट	गोकुलपुरा	30.10.2000	65,000.00
51.	श्री रामचन्द्र/झमरमल	जाट	दादिया	8.11.2000	73,000.00
52.	श्री सांवरमल/भीवाराम	जाट	दीनारपुरा	8.11.2000	31,000.00
53.	श्री झमरमल/भोमाराम	जाट	दादिया	8.11.2000	31,000.00
54.	श्री छोटू/नारायण	बलाई	पलसाना	8.11.2000	75,000.00
55.	श्री वासुदेव/खेताराम	ब्राह्मण	दादिया	8.11.2000	75,000.00
56.	श्री बिरजू/हणमान	जाट	कटराथल	8.11.2000	75,000.00

1	2	3	4	5	6
57.	श्री जमनसिंह/नारायणसिंह	राजपूत	तारपुरा	9.11.2000	62,000.00
58.	श्री सागरमल/मदनलाल	सोनी	रैवासा	9.11.2000	75,000.00
59.	श्री जवाहरसिंह/घड़सीराम	जाट	गुंगारा	9.11.2000	75,000.00
60.	श्री मोहन/गीदा	गुजर	रैवासा	14.11.2000	75,000.00
61.	श्री माला/खेता	बलाई	रैवासा	14.11.2000	62,000.00
62.	श्री ईश्माईल/रहीम बक्स	मुसलमान	रैवासा	14.11.2000	75,000.00
63.	श्री हजारीमल/समदा	बलाई	पलसाना	14.11.2000	75,000.00
64.	श्री बोदूराम/टीकूराम	बलाई	दादिया	16.11.2000	75,000.00
65.	श्री किशनी बेवा तुलसीराम	जाट	दादिया	16.11.2000	75,000.00
66.	श्री विद्याधर/दानाराम	जाट	दादिया	16.11.2000	75,000.00
67.	श्री रामचन्द्र/गौरूराम	जाट	गुमानाकाबास	16.11.2000	75,000.00
68.	श्री भगवानसिंह/हणमान	जाट	गुगारा	17.11.2000	62,000.00
69.	श्री परमेश्वरी/घीसाराम	गूजर	रैवासा	17.11.2000	75,000.00
70.	श्री गोरधन/कालूराम	गूजर	पुरोहितकाबास	17.11.2000	75,000.00
71.	श्री प्रतापसिंह/भंवरसिंह	राजपूत	लक्ष्मणाकाबास	21.11.2000	75,000.00
72.	श्री हरदयालसिंह/गुमानसिंह	जाट	दादिया	24.11.2000	75,000.00
73.	श्री मोहनलाल/किशनाराम	जाट	कटराथल	25.11.2000	75,000.00
74.	श्री भगवानाराम/छोटूराम	बलाई	नांगल	27.11.2000	75,000.00
75.	श्री दुर्गालाल/मांगूराम	कुम्हार	रेवासा	28.11.2000	75,000.00
76.	श्री कालूराम/हीराराम	गुर्जर	राजपुरा	30.11.2000	75,000.00
77.	श्री नवरंगलाल/उदाराम	बलाई	दादिया	1.12.2000	75,000.00
78.	श्री अन्नाराम/हीराराम	जाट	बेरी	1.12.2000	70,000.00

1	2	3	4	5	6
79.	श्री कालूराम/मंशाराम	माली	राधाकिशनपुरा	4.12.2000	75,000.00
80.	श्री रूपाराम/डालूराम	नायक	कटराथल	5.12.2000	75,000.00
81.	श्री भवानीसिंह/रामनाथ सिंह	राजपूत	लढ़ाणा	6.12.2000	75,000.00
82.	श्री दानाराम/भानाराम	नायक	कटराथल	24.11.2000	75,000.00
83.	श्री टोरमल/शिवकुमार	शर्मा	दादिया	13.12.2000	75,000.00
84.	श्री गुलाब/मीरूराम	मनीयार	दादिया	13.12.2000	75,000.00
85.	श्री देबूराम/ताराराम	जाट	दादिया	16.12.2000	75,000.00
86.	श्री सतुसिंह/गुमानसिंह	राजपूत	तारपुरा	16.12.2000	75,000.00
87.	श्री जगदीश प्रसाद/नाथूराम	जाट	बधालों की ढाणी	18.12.2000	52,000.00
88.	श्री प्रभुदयाल/रूड़ाराम	बलाई	बधालों की ढाणी	18.12.2000	62,000.00
89.	श्री हरिसिंह/नापसिंह	राजपूत	तारपुरा	18.12.2000	62,000.00
90.	श्री तेजाराम/गोपीराम	जाट	नांगल	18.12.2000	75,000.00
91.	श्री सांवरमल/मोहनलाल	जाट	दौलतपुरा	18.12.2000	75,000.00
92.	श्री सुभराती/हेमला	धोबी	रैवासा	19.12.2000	75,000.00
93.	श्री कालूराम/रूघनाथ	गूर्जर	रैवासा	19.12.2000	75,000.00
94.	श्री मदनलाल/कालूराम	जांगिड़	रैवासा	19.12.2000	75,000.00
95.	श्री सागर/नारायण	बलाई	तारपुरा	20.12.2000	75,000.00
96.	श्री पोखर/मोहन	नायक	दीनारपुरा	20.12.2000	3,000.00
97.	श्री मुन्नी देवी/किशोरीलाल	ब्राह्मण	दौलतपुरा	20.12.2000	75,000.00
98.	श्री मनोहर/भोलू	माली	राधाकिशनपुरा	22.12.2000	62,000.00
99.	श्री मुरारीलाल/बालूराम	ब्राह्मण	कोलीड़ा	22.12.2000	75,000.00
100.	श्री मेघाराम/बद्रीप्रसाद	माली	चैनपुरा	23.12.2000	75,000.00

1	2	3	4	5	6
101.	श्री विद्याधर/भगवान	जाट	दादिया	23.12.2000	75,000.00
102.	श्री सांवरमल/दानाराम	जाट	दादिया	23.12.2000	75,000.00
103.	श्री बनवारी/जानकीलाल	जाट	दादिया	4.1.2001	56,500.00
104.	श्री नारायण/झाबर	बलाई	दीनारपुरा	4.1.2001	40,000.00
105.	श्रीमती भगवानीदेवी/हुक्मासिंह	जाट	दादिया	4.1.2001	69,000.00
106.	श्री जीवनसिंह/उदाराम	जाट	दादिया	6.1.2001	56,500.00
107.	श्री रामेश्वर/जगनाथ	आचारी	दौलतपुरा	6.1.2001	69,000.00
108.	श्री धन्नाराम/गंगूराम	माली	राधाकिशनपुरा	6.1.2001	60,000.00
109.	श्री लालचन्द/भौमाराम	माली	तारपुरा	6.1.2001	75,000.00
110.	श्री शरदारा/धन्नाराम	जाट	पीलियों का ढहर	6.1.2001	75,000.00
111.	श्री मामराज/कालूराम	जाट	पीलियों का ढहर	6.1.2001	75,000.00
112.	श्री रामेश्वर/जवाहरा	जाट	दौलतपुरा	6.1.2001	75,000.00
113.	श्री नाथूराम/कालूराम	बलाई	खोरी ब्राह्मण	16.1.2001	75,000.00
114.	श्री भागीरथ/भूरा	नायक	कटराथल	18.1.2001	56,000.00
115.	श्री मांगूराम/नबूड़ा	बलाई	तारपुरा	19.1.2001	75,000.00
116.	श्री रामलाल/रामकुमार	जाट	बेरी	22.1.2001	1,20,000.00
117.	श्री छोटूराम/भगवानाराम	नायक	राधाकिशनपुरा	31.1.2001	73,000.00
118.	श्री छोटूराम/दीपाराम	जाट	पीलियों का ढहर	30.1.2001	72,000.00
119.	श्री भागीरथ/रामदेव	जाट	गुमानाकाबास	6.2.2001	56,500.00
120.	श्री नोवाराम/कानाराम	जाट	दादिया	8.2.2001	75,000.00
121.	श्री हरदेवा/भगवाना	बलाई	पिपराली	8.2.2001	75,000.00
122.	श्री जगनाथ/पेमाराम	गूजर	रैवासा	8.2.2001	75,000.00

1	2	3	4	5	6
123.	श्री जगदीश/सुरजनदास	स्वामी	नांगल	9.2.2001	68,000.00
124.	श्री गोपालदास/रूड़ादास	स्वामी	नांगल	9.2.2001	72,000.00
125.	श्री बिड़दीचन्द/सुरजाराम	गूजर	बराल	9.2.2001	75,000.00
126.	श्री कैलाशचन्द/गुमानाराम	माली	समर्थपुरा	9.2.2001	70,000.00
127.	श्री रामावतार/फूलानाथ	जोगी	शिश्यू	9.2.2001	70,000.00
128.	श्री गणपतराम/बिड़दाराम	जाट	शेरपुरा	9.2.2001	72,000.00
129.	श्री झाबरमल/नानूराम	माली	समर्थपुरा	9.2.2001	75,000.00
130.	श्री भागीरथ/नाथाराम	जाट	कटराथल	9.2.2001	75,000.00
131.	श्री हरदेवा/हनुता	जाट	कटराथल	10.2.2001	75,000.00
132.	श्री फूलाराम/गोदूराम	बलाई	तारपुरा	10.2.2001	56,000.00
133.	श्री कल्याणसिंह/नारसिंह	राजपूत	तारपुरा	12.2.2001	75,000.00
134.	श्री बनवारी/सांवरमल	माली	नानी	13.2.2001	55,000.00
135.	श्री प्रभू/मंगला	नायक	दीनारपुरा	14.2.2001	30,000.00
136.	श्री मूला/सोहन	नायक	दीनारपुरा	14.2.2001	30,000.00
137.	श्री बृजमोहन/घरसी	बलाई	दीनारपुरा	14.2.2001	30,000.00
138.	श्री बालसिंह/कानसिंह	राजपूत	कोलीड़ा	14.2.2001	59,000.00
139.	श्री श्योपालसिंह/कालसिंह	राजपूत	सिंहासन	14.2.2001	34,000.00
140.	श्री कानाराम/चूनाराम	माली	बेरी	22.2.2001	72,000.00
			योग		95,30,500.00

ह०/–

सचिव

परिशिष्ट "2"

श्रीमान् रजिस्ट्रार महोदय,
सहकारी समितियां राजस्थान,
जयपुर

विषय : सीकर सहकारी भूमि विकास बैंक लि. सीकर में फर्जी ऋण देने बाबत।

महोदय,

निवेदन है कि सीकर सहकारी भूमि विकास बैंक लि. शाखा पिपराली में बैंक के इंसपैक्टर श्री गोरीर व काश्तकार श्री अन्नाराम पुत्र श्री हीराराम जाट निवासी बेरी, तह. सीकर ने मिलकर बैंक से भेड़–बकरी पालन हेतु ऋण रुपये 70,000/– हजार व ईंट भट्टा हेतु ऋण रुपये 72,000/– हजार कुल रुपये 1,42,000/–हजार बैंक से धोखाधड़ी करके उठा लिये। श्री अन्नाराम के 4.24 हैक्टेयर भूमि का हिस्सा 1/8 भाग है। जो 0.50 हैक्टेयर ही भूमि हिस्से में आती है। 0.54 हैक्टेयर भूमि बारानी है जिसका मूल्य रुपये 94,000 हजार से अधिक नहीं है तथा परिवार (भाइयों) में कोर्ट में इस भूमि का केस भी चल रहा है। 0.54 हैक्टेयर भूमि का मूल्य सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 90,000/– हजार से अधिक नहीं है। श्री गोरीर इंस्पैक्टर श्री अन्नाराम से काफी रकम लेकर प्रथम ऋण भेड़–पालन रुपये 70,000/– हजार का दिया था। श्री अन्नाराम के पास एक भी भेड़ या बकरी नहीं है और ना ही खरीदी गई थी। श्री गोरीर ने दूसरा ऋण दो माह के अन्दर ही ईंट–भट्टा का रुपये 72,000/– हजार का स्वीकृत कराकर श्री अन्नाराम को दिलवा दिया। श्री अन्नाराम ऋण लेने के बाद इस गांव को छोड़कर अन्य जगह चला गया। बैंक अगर इस 0.54 हैक्टेयर भूमि का बेचान भी करे तो केवल 90 हजार से ज्यादा नहीं मिल सकती। इस भूमि का कोर्ट में केश चलने के कारण भी गोरीर इंस्पैक्टर व अन्नाराम से मिल कर बैंक के चूना लगा दिया।

अत: आपसे निवेदन है कि इतना ऋण श्री गोरीर ने किस प्रकार से स्वीकृत करा लिया जिसकी किम्मत 90 हजार से ज्यादा नहीं है। और बैंक ने 142,000/– हजार का ऋण स्वीकृत कर अन्नाराम को भुगतान कर दिया। श्री अन्नाराम ने किसी प्रकार का ईंट–भट्टा भी नहीं बनाया यह सारी कार्यवाही श्री गोरीर द्वारा बैंक के साथ धोखाधड़ी की गई है। श्री गोरीर द्वारा अन्य काश्तकारों से रुपये लेकर गलत ऋण वितरण कराया है। जैसे भेड़–बकरी डेयरी इत्यादि। जिसकी जांच करवाई जावे तथा दोषी कर्मचारी को दण्ड दिया जावे।

प्रार्थी
ह०/–
रामेश्वरसिंह
ग्राम – बेरी,
तह० सीकर

फसल बीमा योजना में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की भागीदारी

7. **श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) एवं श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 1999-2000 से 2001-2002 में प्राकृतिक आपदा व सूखे के कारण प्रदेश के किसानों की कितनी फसल बरबाद हुई है तथा इसका प्रचलित बाजार दर पर कुल कितना मूल्य था? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को फसल बीमा लागू करने के निर्देश दिये हैं? यदि हां, तो कब व क्या? क्या फसल बीमा लागू करने में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के सहयोग लेने का निर्णय या विचार किया गया? यदि हां, तो क्यों?

(3) देश के कितने राज्यों में फसल बीमा योजना लागू है तथा इसमें केन्द्र व राज्यों को कितना-कितना अंश है? क्या राज्य सरकार ने अपने योजना गत बजट वर्ष 2002-2003 में फसल बीमा लागू करने हेतु कोई बजटीय प्रावधान किया है? यदि हां, तो कितना?

उत्तर

(1) सहायता विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	खराब हुई फसल का क्षेत्र (लाख है०)	खराब हुई फसल की कीमत (लाखों में)
1999-2000	78.18	340701.61
2000-2001	89.47	351177.37
2001-2002	26.53	125227.40

(2) जी हां। फसल बीमा योजना लागू करने के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा जुलाई, 1999 में जो निर्देश दिये गये थे उनके अनुसार राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को लागू करना राज्य सरकारों के लिए ऐच्छिक (Optional) था। बहुराष्ट्रीय बीमा कम्पनियों के सहयोग लेने का निर्णय या विचार नहीं किया गया है। केवल अनौपचारिक सम्पर्क किया है।

(3) देश के 19 राज्यों व 2 केन्द्र शासित प्रदेशों में यह योजना लागू है। इसमें केन्द्र तथा राज्यों का व्यय अनुपात क्रमश: 50:50 है। राज्य सरकार ने बजट वर्ष 2002-2003 में फसल बीमा योजना के लिए टोकन बजट का ही प्रावधान किया है।

नि:शुल्क वितरित की जाने वाली औषधियों की खरीद में विलम्ब

8. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि चिकित्सालयों में नि:शुल्क वितरित की जाने वाली

(श्री भंवरलाल शर्मा)

औषधियों की खरीद में किये गये विलम्ब के कारण मरीजों को भारी परेशानी हो रही है? यदि हां, तो खरीद में विलम्ब के क्या कारण हैं?

(2) क्या उक्त प्रकरण की जांच करवाई गई है? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें। क्या जांच में कोई दोषी पाये गये हैं? यदि हां, तो कौन-कौन और दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक कार्यवाही कर ली जावेगी। विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

जिला झुंझुनूं में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर छापे

9. **श्री शिवनाथ सिंह** (गुढ़ा) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जुलाई, 2002 में जिला झुंझुनूं में व्यापारियों के छह या अन्य किसी संख्या में प्रतिष्ठानों पर बिक्री कर चोरी के सम्बन्ध में छापे मारे गये थे? यदि हां, तो किन-किन व्यापारियों के किन-किन स्थानों पर छापे मारे गये?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त छापे की कार्यवाही के परिणामस्वरूप करीब बीस लाख रुपये की कर चोरी की वसूली भी की गई?

(3) उक्त कर चोरी प्रकरण किस अवधि के हैं?

(4) उक्त अवधि में विभाग की तरफ से कौन-कौन अधिकारी वहां विभिन्न पदों पर नियुक्त थे?

(5) क्या इस दिशा में भी कोई जांच की गई है कि उक्त कर चोरी में सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों की कितनी मिलीभगत रही है? क्या इतनी बड़ी कर चोरी बिना विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत के नहीं हो सकती है? क्या इस दिशा में अभी तक कोई जांच नहीं की गई है? क्या अब सरकार इस दिशा में जांच करवाने का विचार रखती है?

(6) उक्त छापे मारने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या स्थानीय अधिकारियों का यह दायित्व था कि कोई कर चोरी नहीं हो पावे इसकी पूरी व्यवस्था हो?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 31 जुलाई, 2002 को झुंझुनूं जिले में मैसर्स राधाकिशन एण्ड संस, सिंघाना एवं इसके अन्य सहयोगी प्रतिष्ठान मैसर्स शाकम्भरी खाद्य भण्डार, दिल्ली के व्यापार स्थल एवं गोदामों पर एक साथ कुल पांच स्थानों पर छापे मारे गये थे।

(वित्त मंत्री)

(2) जी हां। यह सही है कि व्यवसायी के द्वारा कुल रुपये 20,28,235.00 की राशि राजकीय कोष में जमा करा दी गई है।

(3) उक्त कर चोरी का प्रकरण दिसम्बर, 2001 से 31 जुलाई, 2002 तक की अवधि से सम्बन्धित है।

(4) उक्त अवधि में झुंझुनूं जिले में विभिन्न पदों पर नियुक्त अधिकारियों के नामों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(5) जी नहीं।

जी हां हो सकती है।

जी नहीं।

प्राथमिक जांच विचाराधीन है।

(6) विभाग के मुख्यालय स्तर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि उक्त व्यावसायी सीमावर्ती राज्य हरियाणा से माल खरीद कर राज्य में उचन्ति बिक्री करता है तथा दोहरे बहीखाते मिलने की भी सम्भावना है।

जी हां।

परिशिष्ट "अ"

प्रश्न संख्या 4 के क्रम में सूची

क्र.सं.	पद का नाम	पदस्थापित अधिकारीगणों के नाम	पदस्थापन की अवधि
1.	वाणिज्यिक कर अधिकरी, वृत्त झुंझुनूं	श्री शौकत अली	8.8.2001 से लगातार
2.	वाणिज्यिक कर अधिकारी, (प्रतिकरापवंचन) झुंझुनूं	श्री रणजीत सिंह	28.11.2001–23.4.2002
		श्री ब्रिजमोहन शर्मा, (अतिरिक्त भार)	23.4.2002–23.5.2002
		श्री शौकत अली (अतिरिक्त भार)	23.5.2002 ये आज दिनांक तक
3.	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, चिड़ावा	श्री सुनील खण्डेलवाल	22.10.2001 से आज दिनांक तक
4.	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उड़नदस्ता, चिड़ावा	श्री राजकुमार	26.9.2001 से आज दिनांक तक

ह०/-
अतिरिक्त आयुक्त (कर)
वाणिज्यिक कर विभाग
राजस्थान, जयपुर

मानसून के समय सड़क निर्माण/मरम्मत पर रोक

10. **श्री दुर्गा प्रसाद** (गंगापुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नई सड़कों के निर्माण का कार्य अथवा पुरानी सड़कों की मरम्मत का कार्य अक्सर वर्षात शुरू होने अथवा वर्षात के महीनों में होता है? क्या इस वर्ष भी माह जून से उक्त कार्य शुरू हुआ था?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य में मानसून बहुदा 15 जून के आसपास आकर 15 सितम्बर तक विदा हो जाता है?

(3) क्या यह सही है कि मानसून के दिनों में वर्षा के पानी के कारण सड़कें फिर से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं? यदि हां, तो क्या जून के महीने में सड़कों पर मरम्मत कार्य करवाना उचित है?

(4) क्या यह भी सही है कि कर्मचारी/अधिकारी/ठेकेदार वर्षात के महीनों में काम इसलिए करवाते हैं कि उनकी लापरवाही पर पर्दा पड़ा रहे और आधी अधूरी सड़क बनाकर वर्षात के कारण क्षतिग्रस्त होना बताया जाये?

(5) क्या सरकार मानसून के महीनों के बाद नई सड़कों के निर्माण एवं पुरानी सड़कों की मरम्मत का कार्य करवाये जाने की नीति बनाने का विचार रखती है? क्या उक्त नीति में ज्यादा समय तक सही सड़कों का उपयोग हो सकेगा? यदि हां, तो नीति कब तक बना दी जायेगी?

(6) क्या सरकार आने वाले वर्षों में इस प्रकार सड़कों पर कार्य करवाने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। नई सड़कों के निर्माण का कार्य अथवा पुरानी सड़कों की मरम्मत का कार्य विशेष कर डामरीकरण का कार्य वर्षा के दिनों में नहीं कराया जाता है। मिट्टी तथा डब्ल्यू.बी.एम. के कार्य वर्ष के दिनों में भी कराये जाते हैं। इस वर्ष जून माह में राज्य में वर्षा नहीं होने से सड़क कार्य प्रगति पर थे।

(2) जी हां।

(3) जी हां। जहां सड़कों पर पानी काफी देर तक खड़ा रहता है वहां क्षतिग्रस्त होने की सम्भावना रहती है। यदि जून माह में वर्षा नहीं हुई हो तो मरम्मत के कार्य में कोई कठिनाई नहीं है।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं। निर्धारित मापदण्डों के अनुसार वर्षा के दिनों में डामरीकरण का कार्य नहीं किया जाता है।

(6) जी हां। उपरोक्त नीति अनुसार ही कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न संख्या-11

(स्थगित)

मरूस्थलीय क्षेत्रों में पशुओं हेतु पेयजल योजनाओं की क्रियान्विति

12. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि मरूस्थलीय जिलों में पेयजल का अभाव है? यदि हां, तो क्या पेयजल योजना 70 लीटर प्रति व्यक्ति के आधार पर बनाई हुई है?

(2) क्या यह भी सही है कि जिला जैसलमेर में मनुष्यों की जनसंख्या से पशु संख्या पांच गुणी है जो उक्त जलप्रदाय योजनाओं से पानी पीते हैं?

(3) क्या कई जलप्रदाय योजनाएं एकमात्र स्रोत से पेयजल प्राप्त करती है जिनके खराब होने से तथा गांव में दूसरा स्रोत नहीं होने से पेयजल की कठिनाई होती है?

(4) क्या यह सही है कि उक्त जिले के पोकरण उपखण्ड के स्थायी पेयजल समाधान हेतु इन्दिरा गांधी नहर से लिफ्ट योजना प्रस्तावित है जिसमें 93 क्यूसेक पानी आरक्षित है?

(5) क्या सरकार पशु पेयजल हेतु उक्त योजनाओं को परिवर्तित करने व एकल स्रोत को बढ़ाने तथा पोकरण लिफ्ट योजना को क्रियान्वित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जैसलमेर जिले की 1991 की जनगणना के अनुसार कुल 518 आबादी गांव एवं 1190 ढाणियां जिनमें से सभी 518 गांव एवं 738 ढाणियां विभिन्न प्रकार की पेयजल योजनाओं से लाभान्वित की जा चुकी हैं। इन सभी लाभान्वित गांव एवं ढाणियों की पेयजल योजनाएं 70 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन वितरण किये जाने हेतु बनाई गई।

(2) जैसलमेर जिले में वर्ष 1996-97 में पशुपालन विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पशु जनसंख्या मनुष्यों की जनसंख्या की लगभग 6 गुणा थी।

(3) जैसलमेर जिले में एक ही स्रोत पर आधारित 65 योजनाएं हैं, स्रोतों के खराब होने पर उन्हें तुरन्त दुरुस्त करने का प्रयास किया जाता है। जिससे सामान्यत: पेयजल सम्बन्धी कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होवें।

(4) इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में जैसलमेर के पूरे जिले के लिए पेयजल हेतु पानी आरक्षित है वर्तमान में पोकरण उपखण्ड में पेयजल की स्थिति सामान्य है। अत: इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से वर्तमान में कोई भी योजना विचाराधीन नहीं है।

(5) मरूस्थलीय जिलों में पशुओं को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पेयजल योजनाएं पूर्व में ही 70 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के आधार पर बनाई गई है। अत: पशुओं के लिए अलग से पेयजल योजना

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

बनाने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। इसी प्रकार वर्तमान में पोकरण उपखण्ड में एकल स्रोत वाली जलयोजना एवं अन्य जलयोजनाओं पर पेयजल की स्थिति सामान्य है। अतः पोकरण लिफ्ट पेयजल योजना को क्रियान्वित करने की योजना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

झुंझुनूं में रीको के क्षेत्रीय प्रबंध कार्यालय की स्थापना

13. **श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं):** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या जिला झुंझुनूं के ग्राम मारवर में बहुत अच्छी किस्म का ग्रेनाइट निकलता है?

(2) क्या यह सही है कि जिले में विभिन्न स्थानों पर ग्रेनाइट का प्रचुर भण्डार होने के कारण जिले में औद्योगिक विकास की अच्छी सम्भावनाएं होते हुए भी रीको का क्षेत्रीय प्रबंध कार्यालय नहीं है?

(3) क्या यह भी सही है कि क्षेत्रीय प्रबंध कार्यालय नहीं होने के कारण उद्यमियों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए सीकर आने-जाने में व्यर्थ समय गंवाना पड़ता है?

(4) क्या सरकार झुंझुनूं में रीको क्षेत्रीय प्रबंध कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। जिला झुंझुनूं के ग्राम माखर में भूरा-लाल रंग का अच्छी किस्म का ग्रेनाइट पत्थर निकलता है।

(2) यह सही है कि झुंझुनूं में रीको का क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय नहीं है परन्तु झुंझुनूं में रीको का सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय है जिसके द्वारा झुंझुनूं जिले के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्ड आबंटन सम्बन्धी कार्यों का निष्पादन स्वतंत्र रूप से किया जाता है।

(3) यह सही नहीं है, कि क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय न होने के कारण उद्यमियों को छोटे-छोटे कार्यों के लिए सीकर आने जाने में व्यर्थ समय गवाना पड़ता है। वस्तुस्थिति यह है कि झुंझुनूं में पदस्थापित सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा भू-खण्डों के आबंटन सम्बन्धी कार्यों का निष्पादन स्वतंत्र रूप से किया जाता है और झुंझुनूं जिले के औद्योगिक क्षेत्र के सभी उद्यमियों के आबंटन सम्बन्धी सभी कार्य झुंझुनूं कार्यालय में ही सम्पादित किये जाते हैं और उन्हें सीकर कार्यालय में आने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। इकाई कार्यालय का मुख्यालय सीकर होने के कारण विकास सम्बन्धी कार्यों का संचालन एवं भुगतान आदि का कार्य वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, सीकर की देखरेख में निष्पादित करवाया जाता है।

(4) झुंझुनूं में सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक के कार्यभार को देखते हुए वहां क्षेत्रीय प्रबंधक का कार्यालय खोलने की अभी आवश्यकता नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र दानपुर के नवीन राजस्व ग्रामों का विद्युतीकरण

14. **श्री भाणजी (दानपुर) :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या विधान सभा क्षेत्र दानपुर के जिन-जिन ग्राम पंचायतों के मजरें प्रशासन गांवों के संग अभियान में राजस्व गांव घोषित किये गये हैं? उक्त गांवों को विद्युतीकृत कर विद्युत आपूर्ति से जोड़ने का सरकार विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र दानपुर में विभिन्न ग्राम पंचायतों के 15 ग्रामों के 31 मजरों को नये राजस्व ग्राम घोषित किये हैं। इन नये राजस्व ग्रामों में से 6 गांवों में पहले से ही विद्युत तंत्र स्थापित है तथा शेष नये गांवों में मांग होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि अनुसार विद्युत तंत्र स्थापित कर नियमानुसार विद्युत कनेक्शन देने का प्रावधान है।

नागौर सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक में अनियमितता

15. **श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) :** क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नागौर सैन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक ने अपेक्स बैंक को चालू खातों पर ब्याज का भुगतान किया? यदि हां, तो दिनांक 1 जनवरी, 2001 से 28 फरवरी, 2002 तक कुल कितनी राशि उक्त ब्याज के पेटे अपेक्स बैंक को चुकाई गई है तथा उक्त राशि का उपभोग नागौर बैंक ने किस कार्य में किया?

(2) क्या उक्त अवधि में नागौर बैंक ने काश्तकारों को कृषक ज्योति ऋण दिया? यदि हां, तो कौन-कौन सी शाखा से कितना-कितना? शाखावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कृषक ज्योति ऋण देने के सम्बन्ध में नाबार्ड और अपेक्स बैंक ने कोई दिशा-निर्देश जारी किये थे? यदि हां, तो क्या-क्या तथा उनकी पालना किस हद तक की गई? दिशा-निर्देशों की प्रति सहित पालना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त अवधि में नागौर बैंक ने स्टेशनरी खरीदी है? यदि हां, तो कब कब कितनी-कितनी राशि की और खरीद में क्या प्रक्रिया अपनाई गई तथा बोर्ड या प्रशासक से कब-कब स्वीकृति ली गई?

(5) क्या उक्त कार्यवाही में कोई अनियमितता हुई है? यदि हां, तो किस के द्वारा क्या-क्या तथा सरकार द्वारा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) जी हां। दिनांक 1 जनवरी, 2001 से 28 फरवरी, 2002 तक बैंक के शीर्ष बैंक स्तर पर संधारित चालू खाते में अधिविकर्ष रही राशि पर रुपये 65.04 लाख ब्याज पेटे अपेक्स बैंक को चुकाये गये हैं तथा अधिविकर्ष रही राशि का उपयोग बैंक द्वारा ऋण वितरण कार्य में किया है।

(2) जी हां। उक्त अवधि में नागौर बैंक के काश्तकारों को कृषक ज्योति योजना के तहत ऋण वितरण किया है। बैंक की विभिन्न शाखाओं द्वारा किये गये ऋण वितरण का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	नाम शाखा	ऋणियों की संख्या	वितरित ऋण राशि (राशि लाख रु. में)
1.	परबतसर	4	8.66
2.	मकराना	1	1.84
3.	कुचामन सिटी	8	11.15
4.	नावां	3	4.35
5.	मेड़ता सिटी	21	51.54
6.	डेगाना	7	14.49
7.	खींवसर	34	66.38
8.	नागौर	10	20.00
9.	जायल	3	3.80
10.	रोल	49	92.25
11.	गोटन	4	7.85
12.	मूण्डवा	114	214.26
13.	रियाबड़ी	15	29.24
	योग	273	525.27

(3) कृषक ज्योति योजना में ऋण देने के सम्बन्ध में अपेक्स बैंक ने दिशा-निर्देश जारी किये थे। नाबार्ड द्वारा इस सम्बन्ध में दिशा-निर्देश जारी नहीं किये गये हैं। दिशा-निर्देश की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। दिशा-निर्देशों के निर्देश संख्या 2.2 एवं 2.5 के अतिरिक्त सभी निर्देशों की पालना बैंक द्वारा की गई है।

(4) जी हां। उक्त अवधि में बैंक द्वारा स्टेशनरी क्रय एवं छपवाई की गई है, जिसका विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। बैंक द्वारा स्टेशनरी क्रय करने हेतु स्थानीय स्तर पर कोटेशन प्राप्त कर क्रय करने की प्रक्रिया अपनाई गई है। स्टेशनरी क्रय करने हेतु बोर्ड/प्रशासक की स्वीकृति नहीं ली गई है।

(5) जी हां। उक्त कार्यवाही में बिन्दु-4 के अतिरिक्त अन्य अनियमितताओं के सम्बन्ध से शीर्ष बैंक के प्रबन्ध निदेशक द्वारा विभाग को सूचित किया गया था। विभाग द्वारा अनियमितताओं के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

कुचोली राजसमन्द जलग्रहण क्षेत्र का बकाया भुगतान

16. श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि उप निदेशक

(श्री मांगीलाल गरासिया)

जलग्रहण एवं भूसंरक्षण राजसमन्द द्वारा नाथद्वारा इकाई के अन्तर्गत कुचोली जलग्रहण क्षेत्र में जलग्रहण विकास का कार्य वर्ष 1996 में करवाया था? यदि हां, तो कितने वर्षों से श्रमिकों को उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया। उक्त सम्बन्ध में सरकार को कितनी बार व कब-कब शिकायतें प्राप्त हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि श्रमिकों से कार्य करवाकर भुगतान नहीं करने से कुछ कर्मिकों के विरुद्ध कार्यवाही भी की गई थी? यदि हां, तो कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये हैं? सूची मय नोटिसों व निर्णय की प्रति के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि श्रमिकों को उनकी मजदूरी का भुगतान करने सम्बन्धी प्रकरण सरकार के विचाराधीन हैं? यदि हां, तो श्रमिकों को उनकी मजदूरी का भुगतान कब तक कर दिया जावेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि उप निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण राजसमन्द द्वारा नाथद्वारा इकाई के अन्तर्गत कुंचोली जलग्रहण क्षेत्र में वाटरशेड कार्य करवाया गया था। वर्ष 1996 में जारी कार्यादेशों के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों पर देय मजदूरी का भुगतान कर दिया गया है। इस सम्बन्ध में सरकार को 4 पत्र प्राप्त हुए हैं जिनका विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) उक्त प्रकरण में अनधिकृत रूप से कराये गये कार्यों के सम्बन्ध में 7 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है। अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। इसमें से 2 अधिकारी दोषी नहीं पाये गये। शेष 5 अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही विचाराधीन है।

(3) अनधिकृत रूप से कराये गये कार्यों के भुगतान सम्बन्धी प्रकरण राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में दोषियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही पूर्ण की जा रही है तथा इस प्रक्रिया के पूर्ण होने पर ही इस प्रकरण पर विचार किया जायेगा।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला कोटा में चिकित्सकों के रिक्त पद पर नियुक्ति

17. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला कोटा में चिकित्सकों के कितने पद कहां-कहां कब से रिक्त हैं?

(श्री हेमन्त कुमार)

(2) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) जिला कोटा में वर्ष 2000 से जून, 2002 तक पदभार ग्रहण कर कार्य नहीं करने वाले चिकित्सकों के विरुद्ध सरकार ने किस-किस के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) कोटा जिले में चिकित्सकों के कुल 71 पद रिक्ति हैं, जिनमें से मेडिकल कॉलेज, कोटा के अधीन 57 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा के अधीन 14 पद रिक्त हैं।

चिकित्सा संस्थानवार रिक्त पदों का विवरण मय रिक्ती अवधि के परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। मेडिकल कालेज के अधीन रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन रिक्त पदों पर 12 पद पदोन्नति से भरे जाने हैं, जो विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के पश्चात् भरा जाना सम्भव हो सकेगा। शेष 2 पद सीधी भर्ती के हैं जिन्हें लोक सेवा आयोग से अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(3) वर्ष 2000 से जून, 2002 तक दो चिकित्सकों सर्व श्री डा. विरेन्द्र अग्रवाल, सहायक आचार्य (नेत्र) व डा. निर्मल कुमार शर्मा, सह आचार्य (मेडिसन) के पदग्रहण नहीं करने के कारण विभागीय जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

परिशिष्ट "अ"

जिला कोटा में चिकित्सकों के पद चिकित्सा संस्थानवार कब से रिक्त है का विवरण निम्नानुसार है

क्र.सं.	चिकित्सा संस्थान का नाम	पद नाम	रिक्त कब से है	
1	2	3	4	
1.	सैटेलाइट अस्पताल, रामपुरा, कोटा	कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग)	जून, 2002	
2.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रामगंजमण्डी	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	जून, 2002	
		वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	अगस्त, 2002	5 अगस्त, 2002 को पदस्थापन आदेश जारी

1	2	3	4	
3.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मोडक	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	मार्च, 2001	
4.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, इटावा	कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग)	दिसम्बर, 2000	
5.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, भीमगंजमण्डी	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	मार्च, 2002	
6.	टी.बी. क्लीनिक, कोटा	कनिष्ठ विशेषज्ञ (क्षय)	जून, 2002	
		कनिष्ठ विशेषज्ञ (क्षय)	जुलाई, 2002	14 अगस्त, 2002 को पदस्थापन आदेश जारी
7.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सांगोद	कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री)	दिसम्बर, 2000	
		वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	जून, 2000	
		चिकित्सा अधिकारी	सितम्बर, 2001	
8.	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कैथुन	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	जुलाई, 2000	
9.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	जून, 2002	
		चिकित्सा अधिकारी	अगस्त, 2000	26 जुलाई, 2002 को पदस्थापन आदेश जारी
10.	राजकीय चिकित्सालय, छावनी, कोटा	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	जून, 2002	
11.	राजकीय चिकित्सालय, विज्ञान नगर, कोटा	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	जून, 2002	
12.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोटड़ा दीपसिंह	चिकित्सा अधिकारी	जून, 2002	

1	2	3	4	
13.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सुकेत	चिकित्सा अधिकारी	जून, 2002	1 जुलाई, 2002 को पदस्थापन आदेश जारी
14.	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मण्डाना	चिकित्सा अधिकारी	2002	26 जुलाई, 2002 को पदस्थापन आदेश जारी

प्रधानाचार्य चिकित्सा महाविद्यालय संलग्न चिकित्सालय समूह, कोटा

चिकित्सा के विभाग का नाम 1	पदनाम 2	रिक्त पदों की संख्या 3	रिक्त कब से है 4
एनाटोमी	सहायक आचार्य	2	12/2000 8/2001
	वरिष्ठ प्रदर्शक	1	11/2000
फिजियोलोजी	सहायक आचार्य	1	6/2001
	सहायक आचार्य	1	4/1999
	वरिष्ठ प्रदर्शक	2	4/1999 6/2002
बायोकेमेस्ट्री	सहायक आचार्य	1	1/2002
	सहायक आचार्य	2	4/1999 8/1999
	वरिष्ठ प्रदर्शक	1	4/1999
पी.एस.एम.	आचार्य	1	6/2002
	सहायक आचार्य	2	12/2002 2/2002
	सहायक आचार्य	1	4/1999
	वरिष्ठ प्रदर्शक	1	6/1999

1	2	3	4
माइक्रोबाइलोजी	आचार्य	1	2/2001
	वरिष्ठ प्रदर्शक	1	4/1999
फार्माकोलोजी	सह आचार्य	2	4/2001
			4/2002
	वरिष्ठ प्रदर्शक	2	4/1999
			4/1999
पैथोलोजी	आचार्य	1	6/2001
	सह आचार्य	1	4/2001
	सहायक आचार्य	1	4/1999
	वरिष्ठ प्रदर्शक	4	4/1999
			4/1999
			4/1999
			4/1999
शिशुरोग	सहायक आचार्य	1	4/2002
फोरेंसिक मेडिसन	आचार्य	1	12/2000
	सह आचार्य	1	8/1999
	सहायक आचार्य	1	10/2001
	वरिष्ठ प्रदर्शक	1	4/1999
मेडिसन	आचार्य	1	4/1999
	सहायक आचार्य	3	3/2001
			3/2001
			5/2001
पेडियेट्रिक	सह आचार्य	1	6/2002
सर्जरी	सह आचार्य	1	10/2001
निश्चेतन	सह आचार्य	1	10/2001
	सहायक आचार्य	1	6/2002

1	2	3	4
प्रसूति एवं स्त्रीरोग	आचार्य	1	2/2002
	सहायक आचार्य	2	7/2002 4/1999
नैत्र रोग	सहायक आचार्य	2	4/1999 6/2001
ई.एन.टी.	सहायक आचार्य	1	2/2000
रेडियोलोजी	सहायक आचार्य	1	4/2000
दन्त चिकित्सक	सहा आचार्य	1	11/2001
यूरोलोजी	सहायक आचार्य	1	4/1999
कार्डियोलोजी	सहायक आचार्य	1	4/1999
पेडियेट्रिक सर्जरी	सहायक आचार्य	1	4/1999
नेफ्रोलोजी	सहायक आचार्य	1	4/1999
गेस्ट्री एंट्रोलोजी	सहायक आचार्य	1	4/1999
चर्म एवं रति रोग	सहायक आचार्य	2	4/1999 6/2002

वाणिज्य कर कार्यालय, अलवर द्वारा कर वसूली में अनियमितताएं

18. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कार्यालय वाणिज्य कर विभाग, अलवर में भारी अनियमितताएं व्याप्त हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्यालय के कर्मचारी/अधिकारी बिना सैलटैक्स का माल/ट्रक या अन्य वाहन पकड़ते हैं और समझौता कर छोड़ देते हैं?

(3) क्या यह सही है कि भिवाड़ी में जुलाई/अगस्त माह में बिना सैलटैक्स चुकाए कई ट्रकों में माल पकड़ा गया एवं बाद में अनियमित तरीके से छोड़ दिया गया?

(4) क्या सरकार उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषी अधिकरी/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

(4) यदि उक्त सम्बन्ध में कोई तथ्यपरक नामजद शिकायत प्राप्त होती है तो अवश्य जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

उपखण्ड सोजत (पाली) में सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों का बकाया भुगतान

19. श्री केसाराम चौधरी (खारची): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला पाली के उपखण्ड सोजत के अधीन सुनिश्चित रोजगार योजना अन्तर्गत गत वर्षों में सड़क निर्माण कार्य करवाये गये हैं? यदि हां, तो ऐसे कितने कार्य हैं जिनका भुगतान अभी तक बकाया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में समय पर भुगतान नहीं किये जाने के क्या कारण रहे? कार्यवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ऐसे अधिकारी/ कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। कार्यवार बकाया भुगतान की सूची संलग्न है।

(2) उक्त मद में खण्ड में राशि अवशेष न होने के कारण एवं जिला ग्रामीण विकास अभिकरण पाली द्वारा वर्ष 1993-94 में स्वीकृत 9 कार्यों को वर्ष 1995 में निरस्त करने के कारण उन सड़कों पर तब तक हुये व्यय एवं एक सड़क पर दो स्वीकृतियां (मेटल) की मान कर उस पर हुए व्यय का समायोजन नहीं होने के कारण भुगतान बकाया चल रहा है।

(3) जी हां। एक माह में कार्यवाही सम्पन्न की जावेगी।

सुनिश्चित रोजगार योजनान्तर्गत कार्यों पर बकाया भुगतान उपखण्ड सोजत (जिला पाली) का विवरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	वित्तीय स्वीकृति		व्यय राशि	बकाया भुगतान		
		क्रमांक/दिनांक	राशि (लाखों में)		श्रम मद	सामग्री मद	योग
	पंचायत समिति सोजत						
1.	करमावास पट्टा से मोड़ा भारती की धुणी	912/24.8.1998	3.13	239691/-	—	17433/-	17433/-
2.	चन्दलाई गांव से जिला सीमा तक	1409/12.10.1998	7.27	427540/-	184074/-	108432/-	292506/-
3.	सरदारपुरा (एन.एच. 14) से धन्धेड़ी महादेव	912/24.8.1998	5.00	418410/-	10164/-	—	10164/-
4.	बडागुडा से सरूपा सड़क	2497/16.1.1996	19.00	1596802/-	—	60115/-	60115/-
5.	सम्पर्क सड़क धोलागढ़ माता मन्दिर	1409/12.10.1998	6.60	362886/-	44842/-	—	44842/-
6.	धुरासनी से पोटलिया	1409/12.10.1998	7.32	416029/-	37246/-	14299/-	51545/-
7.	बगड़ी से पीपलाद	505/22.8.1996	8.75	803333/-	—	33900/-	33900/-
8.	सम्पर्क सड़क सीयाट	1409/12.10.1998	4.08	335291/-	8720/-	—	8720/-
9.	खारीयानींव से गुजरों की ढाणी	1409/12.10.1998	4.87	329959/-	—	35608/-	35608/-
10.	बगड़ी से माताजी मंदिर बेरा पीपलिया	1079/9.9.1998	4.86	232033/-	26576/-	—	26576/-
	पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन						
1.	बस स्टैण्ड से रेल्वे स्टेशन मारवाड़ जंक्शन	2462/8.12.1997	4.98	489250/-	—	32451/-	32451/-
2.	वोपारी से शेखावास	1373/12.10.98	5.00	457079/-	—	18344/-	18344/-
				योग :-	**311622/-**	**320582/-**	**632204/-**

नगर निगम जयपुर में व्याप्त अनियमितताएं

20. श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (करणपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गत 3 वर्षों में जयपुर नगर निगम द्वारा जारी की गई स्वीकृति विरुद्ध निर्माण कार्य हुआ है? क्या उक्त तहखाने भी शामिल हैं? क्या सरकार उक्त वैध निर्माण की जांच करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त निर्माण कार्य स्वीकृति के विरुद्ध पाये जाते हैं तो सरकार उन्हें तोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या जयपुर नगर निगम क्षेत्र में वक्फ सम्पत्तियों/मन्दिरों/जन सुविधा के लिए सुरक्षित भूमि एवं सरकारी भूमि पर गत 5 वर्षों में भवन निर्माण की स्वीकृति जारी की हुई है? यदि हां, तो क्या आवश्यक प्रावधानों के तहत जिला कलेक्टर या राज्य सरकार की स्वीकृति ले ली गई? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त के लिए कौन दोषी है? क्या दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि नगर निगमों में जन सम्पर्क अधिकारी के पदों पर पात्रता रखने वालों को ही नियुक्त किया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कौन कौन, कहां-कहां पर कब से नियुक्त है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि नगर निगमों में सहायक जन सम्पर्क अधिकारी को भी उच्च पदों पर नियुक्त किया गया है? यदि हां, तो किस-किस को किस कारण एवं कब से और उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि क्या है? क्या सरकार प्रति नियुक्ति अवधि समाप्त होने पर उक्त पदों पर नियुक्त अधिकारी को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि जयपुर नगर निगम में पूर्व जांच दल (आडिट) में कनिष्ठ लेखाकार के पद प्रतिनियुक्ति से भरे जाते हैं? यदि हां, तो कौन-कौन जयपुर नगर निगम में कब-कब से कार्यरत हैं और उनकी प्रतिनियुक्ति अवधि क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) वर्तमान में जयपुर नगर निगम में पूर्व जांच दल आडिट में पदस्थापित कनिष्ठ लेखाकार के पूर्व में कब-कब स्थानान्तरण हुए तथा किये गये स्थानान्तरणों को निरस्त करने के क्या कारण रहे?

(8) क्या किसी व्यक्ति विशेष कनिष्ठ लेखाकार पूर्व जांच दल के स्थानान्तरण

(श्री गुरमीत सिंह किन्नर)

शिकायत के आधार पर होने पर भी दबाव के तहत स्थानान्तरण निरस्त किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(9) कनिष्ठ लेखाकार/अन्य पदाधिकारी/कर्मचारी को प्रतिनियुक्ति पर कब तक रखा जा सकता है? उक्त सम्बन्ध में जारी नियमों/उपनियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। इस सम्बन्ध में शीघ्र जांच करवाई जाकर समुचित कार्यवाही की जायेगी।

(2) स्वीकृति के विरुद्ध निर्माण कार्य पाये जाने पर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 170, 251, 254 के अन्तर्गत नियमानुसार उचित कार्यवाही की जावेगी।

(3) ऐसी शिकायत प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(4) जी हां। नगर निगम, जयपुर के अलावा अन्य नगर निगमों में जन सम्पर्क अधिकारियों के पद सृजित नहीं है।

(5) जी नहीं। नगर निगम, जयपुर में ही सहायक जन सम्पर्क अधिकारी दिनांक 1.4.1994 से सहायक जन सम्पर्क अधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है। इनकी प्रतिनियुक्ति अवधि 30.6.2002 तक थी। नगर निगम से प्रस्ताव हाल ही में प्राप्त हुआ है, जो विचाराधीन है।

(6) जी नहीं। वस्तुत: यह जांच दल स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग के अधीन काम करता है।

(7) वर्ष 2000-2001 में निदेशक, कोष एवं लेखा के आदेश संख्या 160/2000-2001 दिनांक 22.11.2000 के द्वारा श्री अमरचंद जाट, क.ले. का स्थानान्तरण किया जाकर श्री महेन्द्र प्रसाद जैन, क.ले. कार्यालय संयुक्त निदेशक स्थानीय निधि एवं अंकेक्षण विभाग क्षेत्रीय कार्यालय, जयपुर का पदस्थापन श्री जाट के स्थान पर किया गया था, जिसे प्रशासनिक कारण से आदेश क्रमांक 165/2000-2001 दिनांक 23.11.2000 के द्वारा निरस्त कर दोनों कनिष्ठ लेखाकारों को पूर्ववत कार्यरत रखा गया। श्री महेन्द्र प्रसाद जैन, क.ले. को पुन: एक वर्ष के अन्तराल के पश्चात् आदेश संख्या 59/2001-2002 दिनांक 20.7.2001 के द्वारा अन्य कनिष्ठ लेखाकार श्री जितेन्द्र पाल सिंह के स्थान पर पूर्व जांच जांच दल नगर निगम, जयपुर में पदस्थापित किया गया।

(8) जी नहीं।

(9) राजस्थान सेवा नियम 144(7) के अनुसार कनिष्ठ/अन्य पदाधिकारी/कर्मचारियों को अधिकतम 4 वर्ष तक प्रतिनियुक्ति पर रखा जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में एक वर्ष की अवधि बढ़ाई जा सकती है।

जिला जयपुर में स्वीकृत हैण्ड पम्प

21. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला जयपुर में विभिन्न मदों में स्वीकृत हजारों हैण्ड पम्प स्वीकृत पेयज़ल स्कीम में अब तक लगाये जाने शेष है? यदि हां, तो कौन-कौन से हैण्ड पम्प स्वीकृति के बावजूद लगाये जाने शेष हैं? विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अकाल एवं भारी पेयजल किल्लत को देखते हुए उक्त हैण्ड पम्पों/पेयजल स्कीमों के कार्य कराने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त स्वीकृत हैण्ड पम्पों/पेयजल स्कीमों को शीघ्र चालू कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। गत तीन वर्षों में जयपुर जिले के अधीनस्थ विभिन्न मदों में वर्तमान में प्रभावी स्वीकृत हैण्ड पम्पों में से 287 हैण्ड पम्प लगाये जाने शेष हैं तथा 50 स्वीकृत पेयजल योजनाओं का कार्य प्रगति पर है। विधान सभा क्षेत्रवार सूची परिशिष्ट-'अ' व 'ब' में संलग्न है।

(2) जी हां। शेष स्वीकृत हैण्ड पम्प, पेयजल योजनाओं को बजट उपलब्धता एवं ग्रामवार समस्या के प्राथमिकता के आधार पर मार्च, 2003 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(3) प्रश्न के भाग 2 के उत्तर के अनुसार।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा विद्युत दरों में वृद्धि

22. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गत तीन वर्षों में विभिन्न स्तरों पर विद्युत दरों में वृद्धि हुई है? यदि हां, तो उक्त के कारण वर्ष 1998-99 की तुलना में वर्ष 2001-2002 की आय में कितनी वृद्धि हुई? तीनों विद्युत वितरण निगमों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वर्ष 1998-99 में राज्य में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल की आय की तुलना में व्यय अधिक था? यदि हां, तो 1998-99 में कुल कितना घाटा हुआ?

(3) दिनांक 31 मार्च, 2002 तक राज्य के तीनों विद्युत वितरण निगमों में कुल कितना घाटा हुआ?

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(4) क्या उक्त तीनों निगमों का घाटा वर्ष 1998-99 की तुलना में अधिक है? यदि नहीं, तो तुलनात्मक विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। गत तीन वर्षों में विद्युत दरों में विभिन्न स्तरों पर वृद्धि का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। वितरण निगमों के गठन के पश्चात् केवल एक बार दिनांक 1.4.2001 से विद्युत दरों में वृद्धि हुई है। जिससे वर्ष 1998-99 में विद्युत मण्डल की कुल आय 3407 करोड़ रु. की तुलना में वर्ष 2001-2002 में जयपुर, अजमेर, जोधुपर वितरण निगमों में 1173.88 करोड़ रु की आय अधिक हुई। आय में वृद्धि मात्र टैरिफ बढ़ने से ही नहीं परन्तु नये उपभोक्ताओं तथा छीजत में कमी के कारण भी हुई है जिसे अलग से दर्शाना सम्भव नहीं है।

(2) जी हां। वर्ष 1998-99 में राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल का कुल घाटा 1041.00 करोड़ रु का था।

(3) विद्युत वितरण निगमों को 31 मार्च, 2002 तक हुये घाटे का विवरण निम्न प्रकार है :-

घाटा करोड़ रुपयों में

	वर्ष 2000-01 (20 जुलाई, 2000 से 31 मार्च, 01 तक)	**वर्ष 2001-02**
अजमेर डिस्काम	243.28	376.39 (अनुमानित)
जोधपुर डिस्काम	264.90	453.33 (अनुमानित)
जयपुर डिस्काम	270.66	340.88 (अनुमानित)

(4) जी हां।

परिशिष्ट "अ"

STATEMENT INDICATING CHANGES IN TARIFF RATES FROM JAN'99 AS APPLICABLE ON VARIOUS CATEGORIES OF CONSUMERS

Rate in Paise/Unit

S. No.	Category	Tariff rates as on Jan.,99 (applicable upto b/m Oct., 99)	Tariff rates during b/m Nov.99 to b/m April, 2001	Tariff rates w.e.f. b/m May, 2001 onwards
1	2	3	4	5
1.	**DOMESTIC SERVICE**			
	(Rural & Urban)			
(i)	First 50 Units/Month	112	155	200
(ii)	above 50 Units/Month	133 to 165	220	305
2.	**NON DOMESTIC SERVICE**			
(i)	LT Supply			
(a)	SCL upto 5 KW			
(ii)	First 100 Units/Month	301	410	462
	above 100 Units/Month	331 to 351	450	502
(b)	SCL above 5KW			
(i)	First 100 Units/Month	356	410	462
(ii)	Above 100 Units/Month	356	450	502
(II)	HT Supply			
	First 100 Units/Month	376	410	462
	Above 100 Units/Month	376	450	502
3.	**PUBLIC STREET LIGHTING**			
(i)	In Panchayats/Municipal areas having population below 1-Lakh	216	300	364
(ii)	In Municipal areas having population of 1-Lakh and above	216	330	394
4.	**AGRICULTURE**			
(a)	**Metered Supply**			
(i)	General	50	70	90
(ii)	Agriculture connections in Farms Houses	112 to 165	220	275

1	2	3	4	5
(iii)	All others not covered under (i) & (ii) above including Nursery (till conversion). Urban area wells, 24 hours supply areas and Poultry farms	120	140	165
(b)	Flat Rate Supply (In Rs. Per HP/Month)			
(i)	General and Special General Category	32 to 42	60	85
(ii)	Special Scheme – Fodder Scheme	32 to 43	120	145
(iii)	All others not covered under (i) & (ii) above. Urban area wells and 24 hours supply areas.	32 to 43	120	175
5.	**SMALL INDUSTRY**	290 to 290	349	371
6.	**MEDIUM INDUSTRY**	320	382	399
7.	**BULK SUPPLY FOR MIXED LOAD**	331	382	413
8.	**LARGE INDUSTRY**	341	405	428

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पालड़ी (एम) में कनिष्ठ विशेषज्ञ (शल्य) का पदस्थापन

23. श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला सिरोही के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पालड़ी (एम) में चिकित्सकों के कितने पद स्वीकृत हैं? उक्त पदों पर कब-कब कनिष्ठ विशेषज्ञ (शल्य) कार्यरत रहे हैं और उक्त के पदस्थापन के पीछे क्या कारण थे?

(2) क्या सरकार पालड़ी (एम) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में कनिष्ठ विशेषज्ञ (शल्य) के पदस्थापन का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या यह सही है कि पालड़ी (एम) से कनिष्ठ विशेषज्ञ (शल्य) का पदस्थापन निरस्त करने व उक्त पद तोड़ने से नागरिकों में भारी रोष व्याप्त है? यदि हां, तो उक्त समस्या का समाधान कब तक कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जिला सिरोही के प्राथमिक स्वास्थ्य

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

केन्द्र एवं मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, पालड़ी (एम) में एक कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी) तथा दो चिकित्सा अधिकारी के पद स्वीकृत थे। कनिष्ठ विशेषज्ञ (शल्य) के पद पर कार्यरत रहे चिकित्सकों का विवरण निम्न प्रकार है :-

चिकित्सक का नाम	अवधि
डा. एस.सी. भण्डारी	राज्य स्वीकृति 1998 से दिनांक 31.7.2000 तक
डा. वी.आर. भण्डारी	दिनांक 28.7.2000 से दिनांक 30.7.2002 तक।

राज्य स्वीकृति दिनांक 24.4.1998 के द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कालिन्द्री में सृजित कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी) के पद को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पालड़ी में स्थानान्तरित किया गया। वर्तमान में राज्य स्वीकृति दिनांक 28.6.2002 के द्वारा उक्त पद को आस्थगित (केप्ट इन अबेन्स) किया हुआ है।

(2) जी नहीं। चूंकि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर ऑपरेशन करने की सुविधा नहीं है।

(3) जब तक पालड़ी पी.एच.सी. से सी.एच.सी. में क्रमोन्नत नहीं हो जाती तब तक वहां कनिष्ठ विशेषज्ञ का पद उपलब्ध कराना सम्भव नहीं है।

प्रश्न संख्या-24

(स्थगित)

विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत स्वीकृत सड़कों पर व्यय

25. श्रीमती यासमीन अबरार (सवाईमाधोपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत अब तक केन्द्र सरकार ने कितनी सड़कें स्वीकृत की हैं? उक्त पर कुल कितनी राशि व्यय करने का लक्ष्य है? अब तक इसके लिए केन्द्र सरकार ने कितनी राशि राज्य सरकार को दे दी है?

(2) उक्त स्वीकृत सड़कों में से अब तक कितनी सड़कों का कार्य चालू है और जिन पर कार्य चालू नहीं है उसके क्या कारण हैं?

(3) विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर में उक्त योजना के तहत कितनी सड़कें स्वीकृत हैं? उक्त में से कितनी सड़कों की निविदा स्वीकृत हो चुकी है तथा कितनी सड़कों का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है? अब कब तक सभी सड़कों के कार्य प्रारम्भ कर दिये जावेंगे?

उत्तर

(1) राज्य में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत अब तक केन्द्र सरकार द्वारा

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

1009 सड़कें स्वीकृत की गई हैं। उक्त सड़कों के लिये कुल राशि रुपये 371.98 करोड़ व्यय करने का लक्ष्य है। इनके लिये अब तक केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को कुल रुपये 260.35 करोड़ की राशि दी गई है।

(2) उक्त सड़कों में से सभी 1009 सड़कों के कार्यादेश दिये जा चुके हैं जो कि प्रगति पर है अथवा प्रारम्भ होने की स्थिति में है।

(3) विधान सभा क्षेत्र सवाईमाधोपुर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 9 सड़कें स्वीकृत हैं। इन सभी सड़कों की निविदाएं स्वीकृत हो चुकी हैं। इनमें से 6 सड़कों का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है बाकि 3 सड़कों का कार्य भी शीघ्र प्रारम्भ करने की कार्यवाही जारी है।

नगर विकास न्यास अलवर द्वारा भूखण्डों की नीलामी

26. श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नगर विकास न्यास, अलवर ने अलवर शहर में कुल कितनी सड़कें और सी.सी. रोड का निर्माण करवाया है? उक्त कार्यों पर कितनी-कितनी राशि व्यय हुई? उक्त कार्यों में काम करने वाले ठेकेदारों को कब-कब भुगतान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सड़कों और सी.सी. रोड की निविदाएं कब-कब निकाली गई और उक्त में कितनी-कितनी राशि की निविदाएं प्राप्त हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) गत तीन वर्षों में नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा कितनी भूमि के आवासीय एवं व्यावसायिक भूखण्ड की किस दर पर नीलामी तय की थी और किस दर पर बिक्री की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अलवर शहर में जो सड़कें बनवाई गई हैं तथा जो सी.सी. रोड का कार्य करवाया गया है तथा इन कार्यों पर जो राशि खर्च हुई है। उस राशि का भुगतान जो समय-समय पर ठेकेदारों को किया गया है, उस सबका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त सड़कों एवं सी.सी. रोड की जो निविदाएं समय-समय पर निकाली गई हैं तथा जितनी राशि की जो निविदाएं आई हैं, इन सब की सूची भी परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) नगर विकास न्यास, अलवर द्वारा गत तीन वर्षों में जिन दरों पर आवासीय एवं व्यवसायिक भूखण्डों की नीलामी दर तय की थी तथा जिस दर पर वे नीलामी किये गये हैं, इन सबकी सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में विधायक कोष से स्वीकृत हैण्ड पम्प

27. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में क्षेत्रीय विधायक कोष से हैण्ड पम्प खोदने हेतु कुल कितनी राशि दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जो राशि विधायक कोष से दी गई उसके अनुसार समस्त हैण्ड पम्प्स के पाइंटस पर हैण्ड पम्प्स खोद दिये गये? यदि नहीं, तो कब तक शेष रहे हैण्ड पम्प्स की खुदाई कर दी जावेगी?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में क्षेत्रीय विधायक कोष से कुल 13 हैण्ड पम्पों के बंधन/स्थापन कार्य हेतु रुपये 8.72 लाख की राशि स्वीकृत की गई। जिसके विरुद्ध जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा इस विभाग को 1.75 लाख रुपये की राशि हस्तान्तरित की गई है। वांछित विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। स्वीकृत कुल 13 हैण्ड पम्पों में से विभाग द्वारा 7 हैण्ड पम्पों का निर्माण कार्य पूर्ण कर दिया गया है। इन हैण्ड पम्पों के निर्माण कार्य पर अब तक कुल रुपये 3.27 लाख व्यय हो चुके हैं। शेष रहे हैण्ड पम्पों का निर्माण जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा शेष राशि हस्तान्तरित करने के उपरान्त सम्भव हो सकेगा।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला बाड़मेर के अविद्युतीकृत ग्राम

28. श्री अमीन खान (शिव) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में वर्ष 1991 की जनगणना अनुसार कितने ग्रामों का विद्युतीकरण कर दिया गया है? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में कौन-कौन से जिले अभी तक विद्युतीकरण में पिछड़े हुए हैं?

(3) क्या सरकार पिछड़े क्षेत्र को प्राथमिकता देने के लिए गम्भीर है? यदि हां, तो इस वर्ष सीमावर्ती ब्लाक-शिव, बाड़मेर, सम के कितने गांवों को कमीशन करने का लक्ष्य है?

उत्तर

(1) वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार राज्य में माह मार्च, 2002 तक 39810 में से 37630 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। वर्ष 2002-03 के दौरान माह जुलाई, 2002 तक 20 ग्राम और विद्युतीकृत कर दिये गये हैं, इस तरह से जुलाई, 2002 तक कुल 37650 ग्राम विद्युतीकृत किये जा चुके हैं जो कि कुल

(ऊर्जा मंत्री)

ग्रामों का 94.57 प्रतिशत है। जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट ''अ'' सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) राज्य में माह जुलाई, 2002 तक 94.57 प्रतिशत ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। वर्तमान में केवल जैसलमेर जिला राज्य के अन्य जिलों की तुलना में पिछड़ा हुआ है, जिसका विद्युतीकरण प्रतिशत मात्र 52.59 प्रतिशत है, जबकि अन्य सभी जिले 80 प्रतिशत से अधिक विद्युतीकृत हैं।

(3) जी हां। पिछड़े क्षेत्रों, जनजाति उप योजना क्षेत्रों में विद्युतीकरण में प्राथमिकता दिये जाने का प्रावधान पहले से ही किया हुआ है। सीमावर्ती ब्लाक शिव, बाड़मेर व सम में इस वर्ष 2002-03 में क्रमशः 1, 23 व 28 ग्रामों को विद्युतीकृत करने का प्रावधान किया हुआ है।

परिशिष्ट ''अ''

राज्य में जुलाई, 2002 तक विद्युतीकृत ग्रामों का जिलेवार संख्या विवरण

क्र. सं.	जिला	वर्ष 91 जनगणनानुसार कुल ग्राम	मार्च 2002 तक विद्युतीकृत	वर्ष 2002-03 में जुलाई 02 तक विद्युतीकृत	जुलाई 2002 तक कुल विद्युतीकृत ग्राम	विद्युतीकरण प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1.	अजमेर	1001	1001	—	1001	100
2.	अलवर	1991	1948	—	1948	97.84
3.	बांसवाड़ा	1462	1303	2	1305	89.26
4.	बारां	1205	1118	—	1118	92.78
5.	बाड़मेर	1634	1534	7	1541	94.30
6.	भरतपुर	1454	1449	3	1451	99.79
7.	भीलवाड़ा	1620	1620	—	1620	100
8.	बीकानेर	650	588	—	588	90.46
9.	बून्दी	841	841	—	841	100

1	2	3	4	5	6	7
10.	चित्तौड़गढ़	2379	2223	—	2223	93.44
11.	चूरू	965	958	2	940	97.40
12.	दौसा	1052	1052	—	1052	100
13.	धौलपुर	569	536	1	537	94.37
14.	डूंगरपुर	850	850	—	850	100
15.	हनुमानगढ़	1906	1712	1	1722	90.34
16.	जयपुर	2187	2187	—	2187	100
17.	जैसलमेर	578	302	2	304	52.59
18.	जालौर	676	662	1	663	98.07
19.	झालावाड़	1585	1437	1	1431	90.28
20.	झुंझुनूं	827	827	—	827	100
21.	जोधपुर	863	863	—	863	100
22.	करौली	793	706	—	706	89.03
23.	कोटा	896	865	—	865	96.54
24.	नागौर	1396	1396	—	1396	100
25.	पाली	919	919	—	919	100
26.	राजसमन्द	982	982	—	982	100
27.	सवाईमाधोपुर	794	762	—	762	95.97
28.	सीकर	946	946	—	946	100
29.	सिरोही	461	461	—	461	100
30.	श्रीगंगानगर	3014	2553	—	2553	84.70
31.	टोंक	1089	1078	—	1078	98.99
32.	उदयपुर	2225	1970	—	1970	89.54
	योग :	**39810**	**37630**	**20**	**37650**	**94.57**

नगरपालिका नीमकाथाना (सीकर) के सभापति के विरुद्ध प्राप्त अविश्वास प्रस्ताव

29. श्री मोहनलाल मोदी (नीमकाथाना) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नगरपालिका नीमकाथाना (सीकर) में कुल कितने सदस्य हैं? निर्वाचित व मनोनयन सहित सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नगरपालिका नीमकाथाना के चेयरमैन ने अपने ही 7 सहयोगियों के हस्ताक्षर से अविश्वास प्रस्ताव रखवाया है? यदि हां, तो क्या उसे जिला कलक्टर सीकर ने निर्णय के लिये राज्य सरकार को भेजा है?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी ने जिला कलक्टर को 23 सदस्य होने की रिपोर्ट भेजी है? क्या फिर भी जिला कलक्टर ने राज्य सरकार को सलाह के लिये प्रकरण भेजा है? यदि हां, तो सरकार ने उक्त पर क्या आदेश दिये हैं? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि नगरपालिका में कुल मनोनीत सहित संख्या के 1/3 सदस्यों द्वारा ही अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? यदि हां, तो सात सदस्यों द्वारा रखे गये अविश्वास को रद्द क्यों नहीं किया? उक्त के क्या कारण रहे हैं?

(5) क्या यह सही है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसी तरह के सम्बन्ध में यह निर्णय दिया है कि मनोनीत सदस्यों को वोट देने का अधिकार नहीं है लेकिन गिनती में शामिल किया जावेगा? क्या उक्त आदेश की फोटो स्टेट प्रति जिला कलक्टर को भेज दी गई थी? यदि हां, तो फिर भी सात सदस्यों द्वारा रखे गये अविश्वास प्रस्ताव को रद्द नहीं किया जबकि अविश्वास प्रस्ताव रखने के लिये 8 सदस्यों की आवश्यकता थी? उक्त सम्बन्ध में अब क्या कार्यवाही की जावेगी?

उत्तर

(1) नगरपालिका नीमकाथाना (सीकर) में 20 निर्वाचित, 2 मनोनीत एवं एक स्थानीय विधायक सहित कुल 23 सदस्य हैं। सूची संलग्न है।

(2) यह सही है कि नगरपालिका नीमकाथाना के सात सदस्यों ने जिला कलक्टर को अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। जिला कलक्टर, सीकर ने राज्य सरकार से मार्गदर्शन हेतु पत्र लिखा था।

(3) जी हां। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त मार्गदर्शन पत्र की प्रति सदन के पटल पर रखदी गई है।

(4) राजस्थान नगरपालिका (अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव) के नियम 1974 के नियम 3 के तहत अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव रखने के आशय की सूचना, जिस

(स्वायत्त शासन मंत्री)

पर बोर्ड के एक तिहाई सदस्यों के हस्ताक्षर हों, जिला कलक्टर को प्रस्तुत की जाती है। नगरपालिका नीमकाथाना में मताधिकार प्राप्त 21 सदस्य हैं तथा दो मनोनीत सदस्य को मत देने का अधिकार नहीं है। इस प्रकार मताधिकार प्राप्त 21 सदस्यों का एक तिहाई सात सदस्य होते हैं, जिन्हें बैठक बुलाने सम्बन्धित प्रस्ताव के लिए योग्य माना गया है।

(5) माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रईस अहमद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में यह व्यवस्था दी है कि मनोनीत सदस्यों को मतदान का अधिकार नहीं है, परन्तु इन्हें अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए दो तिहाई बहुमत की गणना के प्रयोजनार्थ बोर्ड की कुल संख्या में शामिल किया जायेगा। परन्तु विचाराधीन नीमकाथाना का प्रश्न अविश्वास प्रस्ताव पारित करने से सम्बन्धित नहीं है, अपितु मात्र बैठक आयोजित करने से सम्बन्धित है।

कार्यालय नगरपालिका मण्डल, नीमकाथाना (सीकर)

नगरपालिका नीमकाथाना में निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्यों की सूची निम्न प्रकार है :–

		निर्वाचित सदस्य	
क्र. सं.	वार्ड संख्या	नाम सदस्य	
1	2	3	
1.	1	रवि	
2.	2	धापा देवी	
3.	3	सुशीला	
4.	4	सन्तरा	
5.	5	मन्ना लाल	
6.	6	रिछपाल	अध्यक्ष
7.	7	विमला	
8.	8	अलीमुद्दीन	
9.	9	त्रिलोक दीवान	
10.	10	कृष्ण कुमार	

1	2	3	
11.	11	गणेश कुमार	
12.	12	ओम प्रकाश	उपाध्यक्ष
13.	13	किशोरी लाल	
14.	14	अनिल	
15.	15	कविता	
16.	16	जगदीश प्रसाद	
17.	17	भगवती देवी	
18.	18	प्रभुदयाल	
19.	19	संतोष	
20.	20	महेश कुमार	
		मनोनीत सदस्य	
1.	विधायक	श्री मोहनलाल मोदी	
2.	सहवृत सदस्य	श्री सेडमल	
3.	सहवृत सदस्य	श्री गोपाल लाल	

ह०/–

अधिशासी अधिकारी

नगरपालिका, नीमकाथाना

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर

क्रमांक : PA/DLB/02/04 दिनांक : 7.8.2002

जिला कलक्टर,

सीकर।

विषय : नीमकाथाना नगरपालिका के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

संदर्भ : आपका फैक्स क्रमांक 3448/सामान्य/2002 दिनांक 6.8.2002.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार स्पष्ट किया जाता है कि आपको अविश्वास प्रस्ताव प्राप्त होने के संदर्भ में बैठक आहूत करते हुये नियमानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

ह०/–

उप शासन सचिव

ग्राम खिदरपुर व टोंटपुरा, तहसील सपोटरा (करौली) का हैण्ड पम्प प्रकरण

30. **डा. किरोड़ी लाल** (बामनवास): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1995-96 में जिला करौली की तहसील सपोटरा की ग्राम पंचायत भरतून के ग्राम खिदरपुर व टोंटपुरा के लिए एक-एक हैण्ड पम्प स्वीकृत हुए थे? यदि हां, तो उक्त को कितनी राशि से एवं कब बनवाया? स्वीकृत आदेश, कार्यादेश एवं माप-पुस्तिका की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त दोनों गांवों में हैण्ड पम्प निर्माण का इन्द्राज माप पुस्तिका सं. 56/94 में कर सहायक अभियन्ता व अधिशासी अभियन्ता ने वर्ष 1996 में कार्य की मौके पर जांच कर अन्तिम बिल की राशि का भुगतान किया था? यदि हां, तो माप पुस्तिका, चैंकिंग रिपोर्ट व अन्तिम बिल की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है भरतून ग्राम पंचायत के सरपंच की शिकायत पर जिला कलक्टर, करौली ने उक्त दोनों हैण्ड पम्पों के निर्माण की जांच कराई थी? यदि हां, तो जांच प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि जिला कलक्टर, करौली की जांच में उक्त दोनों गांवों में हैण्ड पम्प नहीं लगाए जाने का निष्कर्ष निकाले जाने के उपरान्त जलदाय अभियन्ताओं को फर्जी भुगतान कर राज्य सरकार को हानि पहुंचाने का दोषी पाया गया था और जिला कलक्टर ने पत्रांक सतर्कता/ 99/331 दिनांक 25.2.99 से अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जलदाय, कोटा को पत्र भेजकर दोषी अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही हेतु लिखा था? यदि हां, तो फर्जी भुगतान के उक्त प्रकरण में किन-किन अभियन्ताओं के विरुद्ध कब, क्या कार्यवाही हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि जलदाय खण्ड हिण्डौन के तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता को जिला कलक्टर, करौली की जांच में फर्जी भुगतान का दोषी पाए जाने के उपरान्त भी पदोन्नति दे दी गई है? यदि हां, तो उक्त के क्या कारण रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि वर्ष 1995-96 में जिला करौली की तहसील सपोटरा की ग्राम पंचायत भरतून के ग्राम

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

खिदरपुर व टोंटपुरा के लिए एक-एक हैण्ड पम्प स्वीकृत हुआ था। उक्त हैण्ड पम्पों के निर्माण दिनांक 3.8.1995 से 7.8.1995 के बीच राशि रुपये 50924/- में कराया गया। स्वीकृति आदेश, कार्यादेश एवं माप पुस्तिका की छाया प्रति संलग्न है।

(2) जी हां। यह सही है कि उक्त दोनों ग्रामों में हैण्ड पम्प का निर्माण का इन्द्राज माप पुस्तिका संख्या 56/94 में कर कनिष्ठ अभियन्ता/सहायक अभियन्ता द्वारा उक्त दोनों हैण्ड पम्पों के निर्माण की मौके पर शत प्रतिशत जांच की गई एवं अधिशासी अभियन्ता द्वारा ग्राम भरतून की ढाणी टोंटपुरा के एक हैण्ड पम्प की जांच की गई तथा इनका भुगतान प्रथम चलदेयक से किया गया। अधिशासी अभियन्ता की चैकिंग के उपरान्त अन्तिम बिल राशि 31853/- का निस्तारण वर्ष 1996 में किया गया। माप पुस्तिका (जिसमें चैकिंग अंकित है) अन्तिम बिल की छाया प्रति संलग्न है।

(3) सरपंच, ग्राम पंचायत, भरतून की शिकायत पर जिला कलक्टर करौली द्वारा जांच कराने के पश्चात् उनके निष्कर्ष अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जन स्वा. अभि. विभाग, कोटा को पत्र दिनांक 25.2.1999 द्वारा भेजे थे, जिसकी प्रति परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

(4) जिला कलक्टर, करौली के पत्रांक/सतर्कता/99/331 दिनांक 25.2.1999 से अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जन. स्वा. अभि. विभाग क्षेत्र कोटा को दोषी कर्मचारियों एवं ठेकेदार के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखा गया था। अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता क्षेत्र कोटा के निर्देशानुसार उक्त दोनों हैण्ड पम्पों की मौके की जांच तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता खण्ड करौली द्वारा की गई एवं पाया गया कि उक्त दोनों गांवों में स्वीकृति के अनुसार हैण्ड पम्प का निर्माण कार्य हुआ है। अधिशासी अभियन्ता खण्ड करौली के पत्र दिनांक 22.10.2001 की प्रति परिशिष्ट ''ख'' पर संलग्न है। अत: किये गये कार्य का नियमानुसार भुगतान किये जाने के कारण किसी भी अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित नहीं की गई।

(5) प्रश्न के भाग 4 के उत्तर के अनुसार।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

परिशिष्ट–3

(अतारांकित प्रश्न संख्या-4 की सूची)

माह– अप्रैल, 2001 से मार्च, 2002 तक राजकीय सामुदायिक केन्द्र, गांधीनगर का भवन/परिसर शादी एवं अन्य समारोहों के आयोजन हेतु जिन-जिन व्यक्तियों/संस्थाओं को आबंटित किया गया, की सूची मय प्राप्त राशि के निम्नानुसार है

क्र.सं.	नाम व्यक्ति/संस्था	प्राप्त राशि	उद्देश्य
1	2	3	4
1.	श्री विश्वेश कुमार शर्मा, टोंक फाटक, जयपुर	3400.00	जलवा पूजन
2.	श्री दयाशंकर माथुर, शास्त्री नगर, अजमेर	20090.00	विवाह समारोह
3.	श्री संतोष कुमार, टोंक फाटक, जयपुर	1530.00	जलवा पूजन
4.	श्री गोविन्द सिंह, गांधी नगर, जयपुर	10460.00	विवाह समारोह
5.	श्रीमती गीता देवी, टोंक फाटक, जयपुर	10001.00	सगाई/विवाह समारोह
6.	श्री मथुरेश शर्मा, गांधी नगर, जयपुर	7100.00	विवाह समारोह
7.	श्री एम.एल. रावत, जनकपुरी, इमलीवाला फाटक, जयपुर	19250.00	विवाह समारोह
8.	श्री जुगल किशोर पारीक, टोंक फाटक, जयपुर	10050.00	विवाह समारोह
9.	श्री मूल चन्द वर्मा, गांधी नगर, जयपुर	10790.00	विवाह समारोह
10.	श्री महेश प्रसाद शर्मा, बापू नगर, जयपुर	12120.00	विवाह समारोह
11.	श्री शम्भू मीणा, गांधी नगर, जयपुर	7100.00	विवाह समारोह
12.	श्री राजेश कुमार शर्मा, गांधी नगर, जयपुर	2150.00	सगाई समारोह
13.	श्री सुमित माथुर, लवकुश नगर, टोंक रोड, जयपुर	5300.00	विवाह समारोह
14.	श्री कालू राम, वनस्थली मार्ग, जयपुर	6930.00	विवाह समारोह
15.	श्री अशलम शेर खान, किदवई नगर, जयपुर	9860.00	विवाह समारोह
16.	श्रीमती सुदर्शन खत्री, सांभरलेक, जयपुर	6120.00	विवाह समारोह

1	2	3	4
17.	श्री चन्द्र मोहन स्नेही, मालवीय नगर, जयपुर	6900.00	विवाह समारोह
18.	श्री रामसिंह यादव, टोंक फाटक, जयपुर	10590.00	विवाह समारोह
19.	श्री बाबूलाल गुप्ता, टोंक फाटक, जयपुर	1530.00	जन्मदिन समारोह
20.	श्री नवीन चोपड़ा, मालवीय नगर, जयपुर	4300.00	विवाह समारोह
21.	श्री राधामोहन शर्मा, टोंक फाटक, जयपुर	5600.00	सगाई समारोह
22.	श्री के.एल. मीणा, गांधी नगर, जयपुर	3000.00	विवाह समारोह
23.	श्री प्रबन्धक, एस.बी. बी.जे. गांधी नगर, जयपुर	1070.00	मीटिंग
24.	श्री बिरदी चन्द गोयल, गांधी नगर, जयपुर	3100.00	आर्शीवाद समारोह
25.	श्री महेश कुमार विजय, गांधी नगर, जयपुर	7780.00	विवाह समारोह
26.	श्री राजेश अग्रवाल, बजाज नगर, जयपुर	2800.00	सगाई समारोह
27.	श्री अश्विनी कुमार भट्ट, बजाज नगर, जयपुर	73200.00	आर्शीवाद समारोह
28.	श्री हरिनारायण शर्मा, टोंक फाटक, जयपुर	6300.00	विवाह समारोह
29.	श्री प्यारे लाल जैन, गांधी नगर, जयपुर	6120.00	सगाई समारोह
30.	श्री आर.के. मीणा, गांधी नगर, जयपुर	5300.00	विवाह समारोह
31.	श्री रवि कुमार, गांधी नगर, जयपुर	6300.00	विवाह समारोह
32.	श्री आशीष कुमार शर्मा, बरकत नगर, जयपुर	8450.00	सगाई/विवाह समारोह
33.	श्री जैनेवश ग्रुप संस्था, सी–स्कीम, जयपुर	6880.00	लोहडी उत्सव
34.	श्री ब्रज मोहन माथुर, बरकत नगर, जयपुर	5350.00	आर्शीवाद समारोह
35.	श्री देव प्रकाश चतुर्वेदी, गांधी नगर, जयपुर	6300.00	विवाह समारोह
36.	श्री दिलीप कुमार सिंघल, जगतपुरा, जयपुर	8300.00	विवाह समारोह
37.	श्री राजेन्द्र शर्मा, गांधी नगर, जयपुर	11100.00	विवाह समारोह
38.	श्री श्याम सुन्दर शर्मा, गांधी नगर, जयपुर	3150.00	विवाह समारोह
39.	श्री सिविल सर्विसेज आफिसर संस्थान, जयपुर	5500.00	कव्वाली समारोह
40.	श्री मोहन लाल शर्मा, बापू नगर, जयपुर	13600.00	विवाह समारोह

1	2	3	4
41.	मेसर्स रेगिस्थान प्रा.लि., जगतपुरा, जयपुर	37980.00	क्लीरियेंस सैल
42.	श्री तेज प्रकाश कौशिक, बापू नगर, जयपुर	5300.00	विवाह समारोह
43.	श्री अब्बास अहमद खान, नटराज नगर, जयपुर	5610.00	विवाह समारोह
44.	श्री रामावतार शर्मा, गांधी नगर, जयपुर	1150.00	सगाई समारोह
45.	श्री मेवाराम जोनवाल, टोंक फाटक, जयपुर	5300.00	विवाह समारोह
46.	श्री मदनलाल, गांधी नगर, जयपुर	6300.00	विवाह समारोह
47.	श्री मरूधर माथुर समाज, गोलीमार गार्डन, जयपुर	4300.00	सामाजिक मिलन समारोह
48.	श्री आर.के. गोयल, मानसरोवर, जयपुर	11100.00	विवाह समारोह
49.	श्री जी. के. तिवाड़ी, गांधी नगर, जयपुर	5300.00	विवाह समारोह
50.	श्री बी.सी. जैन, गांधी नगर, जयपुर	5300.00	विवाह समारोह
51.	श्री परवीन कुमार, राजापार्क, जयपुर	5720.00	साड़ी प्रदर्शनी
52.	श्री दिनेश कुमार उपाध्याय, गांधी नगर, जयपुर	3300.00	विवाह समारोह
53.	श्री ओम प्रकाश शर्मा, चांदपोल बाजार, जयपुर	5300.00	विवाह समारोह
54.	श्री मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम, जयपुर	500.00	प्रशासन शहरों के संग

परिशिष्ट-4

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-7 की सूची)

अधिकारियों की सूची जिनके वर्ष 2001 (1.1.2002) के सम्पत्ति विवरण प्राप्त नहीं हुये हैं

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	सेवा
1.	श्री अतुल कुमार गुप्ता	भा०प्र०से०
2.	श्री बी. शेखर	भा०प्र०से०
3.	श्रीमती सुखदीप बरार	भा०प्र०से०
4.	श्रीमती अदिति मेहता	भा०प्र०से०
5.	श्री गुरुदयाल सिंह सन्धू	भा०प्र०से०
6.	श्री सुनील अरोड़ा	भा०प्र०से०
7.	श्री अजीत कुमार सिंह	भा०प्र०से०
8.	श्री यदुवेन्द्र माथुर	भा०प्र०से०
9.	श्री ताराचन्द	भा०प्र०से०
10.	श्री अमर सिंह	भा०प्र०से०
11.	श्री जी.एन. हल्दिया	भा०प्र०से०
12.	श्री अनिल खन्ना	भा०पु०से०
13.	श्री के. नरसिम्हा राव	भा०पु०से०
14.	श्री मधुकर टण्डन	भा०पु०से०
15.	श्री एन. उदयशेखर	भा० वन से०

परिशिष्ट "अ"

परिशिष्ट–5

(अतारांकित प्रश्न संख्या–11 का विवरण)

कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर

मदिरा समूह का नाम एवं राशि जिस पर वर्ष 2002–03 के लिए ठेका स्वीकृत किया गया है।

(राशि रुपये में)

क्र. सं.	राजस्व जिला	समूह का नाम	देशी मदिरा	भारत निर्मित विदेशी मदिरा	बीयर	योग
1	2	3	4	5	6	7
1.	अजमेर	अजमेर	27,13,93,000	23,22,41,000	4,68,66,000	55,05,00,000.00
2.	अलवर	अलवर	21,87,55,000	22,82,08,000	4,17,60,000	48,87,23,000.00
3.	भरतपुर	भरतपुर	17,60,17,000	9,95,26,000	1,26,70,000	22,82,13,000.00
4.	धौलपुर	धौलपुर	5,51,59,000	4,90,71,000	50,36,000	10,92,66,000.00
5.	जयपुर–दौसा	जयपुर–दौसा	58,56,13,000	82,48,59,000	17,46,79,000	1,58,51,51,000.00
6.	टोंक	टोंक	8,00,00,000	8,73,00,000	1,03,00,000	17,76,00,000.00
7.	झुंझुनूं	झुंझुनूं	16,15,27,951	9,92,72,000	2,37,00,000	28,44,99,951.00
8.	सीकर	सीकर	16,88,29,000	15,74,01,999	2,17,69,000	34,79,99,999.00
9.	सवाईमाधोपुर–करौली	सवाईमाधोपुर–करौली	11,26,94,000	7,48,45,000	1,51,61,000	20,27,00,000.00

1	2	3	4	5	6	7
10.	बाड़मेर-जैसलमेर	बाड़मेर-जैसलमेर	6,87,73,000	10,40,69,000	2,52,91,000	19,81,33,000.00
11.	बीकानेर	बीकानेर	10,21,95,000	13,65,45,000	1,90,44,000	25,77,84,000.00
12.	चूरू	चूरू	10,77,77,777	5,00,00,000	1,00,00,000	16,77,77,777.00
13.	श्री गंगानगर	श्री गंगानगर	29,00,00,000	10,50,00,000	1,50,00,000	41,00,00,000.00
14.	हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	17,77,66,000	14,34,40,000	1,01,74,000	33,13,80,000.00
15.	जोधपुर	जोधपुर	18,00,00,000	18,67,00,000	7,00,27,000	43,67,27,009.00
16.	नागौर	नागौर	13,72,00,000	8,00,00,000	1,00,00,000	22,72,00,000.00
17.	पाली	पाली	13,81,19,999	8,99,00,000	2,21,00,000	25,01,19,999.00
18.	सिरौही-जालौर	सिरौही-जालौर	10,26,68,000	17,21,88,999.99	3,31,33,000	30,79,89,999.99
19.	भीलवाड़ा	भीलवाड़ा	13,83,07,000	10,38,26,000	2,57,67,000	26,79,00,000.00
20.	बारां	बारां	9,01,11,000	4,78,89,125	72,00,000	14,52,00,125.00
21.	बांसवाड़ा-डूंगरपुर	बांसवाड़ा-डूंगरपुर	—	12,29,77,999	4,00,22,000	16,29,99,999.00
22.	चित्तौड़गढ़	चित्तौड़गढ़	11,36,14,000	12,60,21,000	2,31,00,000	26,27,35,000.00
23.	झालावाड़	झालावाड़	8,17,44,000	7,21,00,786	86,89,000	16,25,33,786.00
24.	कोटा-बून्दी	कोटा-बून्दी	27,42,32,000	28,38,03,999	4,33,57,000	60,13,92,999.00
25.	उदयपुर-राजसमन्द	उदयपुर-राजसमन्द	16,38,52,000	31,11,99,999	6,93,41,000	54,43,92,999.00

परिशिष्ट "ब"

कार्यालय आबकारी आयुक्त,
राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक : प. 38(ए)(14)(पी)आब./98.99–II/1132 दिनांक : 3.5.2002

1. अतिरिक्त आयुक्त आबकारी,
   जयपुर/जोधपुर/उदयपुर

2. जिला आबकारी अधिकारी
   समस्त

विषय :- देशी मदिरा की बोतलों एवं पाउच में प्रदायगी निर्धारित अनुपात में करने बाबत।

विषयान्तर्गत इस कार्यालय के पत्रांक प. 38(ए)(14)(पी)आब/98.99/II/1013 दिनांक 16.10.1998 एवं 11.1.2000 का अवलोकन करें जिसके द्वारा देशी मदिरा की बोतलों एवं पाउच में प्रदायगी का अनुपात निर्धारित किया गया था। लेकिन इस कार्यालय के ध्यान में आया है कि निर्धारित अनुपात में बोतलों एवं पाउचों का निर्गम नहीं किया जा रहा है।

अतः इस सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों की पालना कठोरता से कराई जावे। किसी भी अनुज्ञाधारी द्वारा देशी मदिरा केवल पाउच में नहीं दी जावे एवं बोतलों अथवा पाउच का अनुपात 40:60 की पूर्ण रूप से पालना की जावे।

ह०/-
अतिरिक्त आयुक्त आबकारी
राजस्थान, उदयपुर

परिशिष्ट "ब"

कार्यालय आबकारी आयुक्त,

राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक प. 38(ए)(14)(पी)आब. 98-99-II/91012　　दिनांक 11.1.2000

1. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त,
   जयपुर/जोधपुर/उदयपुर
2. जिला आबकारी अधिकारी
   समस्त

विषय :- देशी मदिरा की बोतलों एवं पाउच में प्रदायगी निर्धारित अनुपात में करने बाबत।

विषयान्तर्गत इस कार्यालय के पत्र क्रमांक प. 38(ए)(14)(पी)आब/98.99/II/1013 दिनांक 16.10.1998 द्वारा अतिरिक्त आबकारी आयुक्तों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये थे कि अनुज्ञाधारियों को दी जाने वाली देशी मदिरा की प्रदायगी में बोतलों एवं पाउच का अनुपात 40:60 ही हो। चालू वित्तीय वर्ष में माह अक्टूबर, 1999 तक कपितय मामलों में 90 प्रतिशत से भी अधिक प्रदायगी पाउच में की गई है। यह सर्वथा अनुचित है।

अत: इस सम्बन्ध में जारी अन्य निहितार्थ वाले समस्त आदेशों, यदि कोई हो, के अतिक्रमण में जो निम्न निर्देश प्रसारित किये जाते हैं :-

1. अनुज्ञाधारियों को देशी मदिरा की प्रदायगी बोतलों एवं पाउच में 40:60 के अनुपात में ही की जावे।
2. समस्त जिला आबकारी अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में स्थित रिडक्शन सेन्टर्स से होने वाली देशी मदिरा की प्रदायगी की समीक्षा कर लें तथा यदि इस अनुपात को बनाये रखने के लिए किसी मदिरालय पर बोतलों की भराई में वृद्धि अपेक्षित हो तो इस सम्बन्ध में गंगानगर शुगर मिल्स के स्थानीय अधिकारियों से विमर्श कर खाली बोतलों, पी.पी. सील्स आदि की व्यवस्था पहले से ही करवा ली जावे।
3. यदि किन्हीं विशेष परिस्थितियों में किसी रिडक्शन सेन्टर पर पाउच का उत्पादन इस सीमा तक नहीं हो रहा हो कि उस मदिरालय से प्रदायगी लेने वाले समस्त सम्पूर्ण को 60 प्रतिशत प्रदायगी पाउच में दी जा सके तो ऐसी स्थिति में मदिरालय से निर्गम होने वाले समूहों की एकाकी विशेषाधिकारी राशि के अनुपात में पाउच में प्रदायगी दी जावे।

ह०/-
(प्रदीप सैन)
आबकारी आयुक्त,
राजस्थान, उदयपुर

परिशिष्ट "स"

मदिरा अनुज्ञाधारियों को गत तीन वर्षों में प्रत्येक जिले में देशी मदिरा के पाउच निम्नानुसार सप्लाई किये गये

(पाउचों की संख्या लाखों में)

क्र. सं.	नाम जिला	वर्ष			
		1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003 दि. 31.7.2002 तक
1	2	3	4	5	6
(1) जयपुर जोन :					
1.	अजमेर	238.49	249.75	223.99	78.44
2.	अलवर	232.59	333.45	183.44	80.20
3.	भरतपुर	170.67	188.09	111.55	47.85
4.	धौलपुर	74.87	108.43	64.97	27.89
5.	जयपुर-दौसा	488.53	518.79	484.75	147.76
6.	टोंक	92.99	126.48	66.91	21.34
7.	झुंझुनूं	150.78	284.08	235.20	77.58
8.	सीकर	226.41	237.77	188.53	78.15
9.	सवाईमाधोपुर-करौली	190.25	202.98	160.32	72.26
	योग	**1865.58**	**2249.82**	**1739.66**	**631.51**
(2) जोधपुर जोन :					
1.	बाड़मेर	28.58	70.11	52.20	19.78
2.	जैसलमेर	32.46	41.02	21.77	10.05
3.	चूरू	119.57	152.27	123.92	35.62
4.	बीकानेर	85.76	76.80	80.60	29.72
5.	हनुमानगढ़	114.55	176.82	193.66	68.23

1	2	3	4	5	6
6.	नागौर	125.94	124.49	162.11	58.47
7.	सिरोही	85.65	91.15	74.70	22.54
8.	जालौर	36.06	58.57	54.58	19.96
9.	जोधपुर	136.61	225.26	162.08	86.14
10.	पाली	119.84	225.10	100.99	41.62
11.	श्रीगंगानगर	285.08	241.58	218.97	81.73
	योग	**1107.10**	**1483.17**	**1245.58**	**473.86**
(3)	उदयपुर जोन :				
1.	बांसवाड़ा	–	–	–	–
2.	चित्तौड़गढ़	90.09	54.63	79.05	39.25
3.	झालावाड़	51.67	71.83	79.36	35.57
4.	बारां	–	–	19.02	36.84
5.	उदयपुर	229.89	259.96	183.52	73.81
6.	कोटा	203.27	195.06	217.26	63.43
7.	भीलवाड़ा	109.99	93.36	92.48	35.14
8.	बूंदी	90.98	111.95	128.22	37.57
	योग	**775.89**	**786.79**	**798.91**	**326.61**
	महायोग	**3748.57**	**4519.78**	**3784.15**	**1431.98**

ह०/-

अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)

आबकारी विभाग

राजस्थान, उदयपुर

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या-14 का विवरण)

कार्यालय जयपुर नगर निगम, जयपुर

वार्ड 49 में निम्नलिखित कालोनी स्थित है :

क्र.सं.	कालोनी का नाम	पुरुष कर्मचारी	महिला कर्मचारी
1.	लक्ष्मीनारायणपुरी (सीताराम पार्क)	5	8
2.	पहाड़ियों का चौक	3	5
3.	मण्डी खटीकान	4	6
4.	जियाउद्दीन कालोनी (दरगाह रोड)	2	2
5.	मोहन बाड़ी	3	6
6.	गलता घाटी	1	2
7.	देश भूषण नगर	2	3
8.	रघुनाथ कालोनी	1	2
	योग	**21**	**34**

9. ऋषि गालव नगर
10. सूर्य नगर
11. महाराणा प्रताप नगर
12. गणेश मन्दिर के पास, गणेश कालोनी
13. ईदगाह कच्ची बस्ती
14. करीम कालोनी
15. वन विहार कालोनी
16. लाल पोष कालोनी कच्ची बस्ती
17. पहाड़ियों की तलहटी के नीचे, मीणा पैट्रोल पम्प के पीछे वाली कालोनी, कच्ची बस्ती

क्रम संख्या 1 से 8 की कालोनियों में सामने अंकित की संख्या में सफाई हेतु पुरुष एवं महिला कर्मचारी लगाये हुए हैं। शेष क्रमांक वाले 9 से 17 तक की कालोनी में नियमित सफाई कर्मचारी नहीं लगे हुए हैं। वहां पर विशेष त्यौहार पर या शादी/मृत्यु आदि समय पर इन्हीं कर्मचारियों की गैंग बनाकर सफाई करवाई जाती है।

ह०/-

आयुक्त (मुख्यालय)

जयपुर नगर निगम

कार्यालय जयपुर नगर निगम, जयपुर

वार्ड नं. 49 में कार्यरत कर्मचारियों की सूची

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	पद
1	2	3
1.	श्री मोतीलाल पुत्र श्री नारायण	जमादार
2.	श्री माणकचन्द पुत्र श्री चेत्या	सुपरविजन
3.	श्री हनुमान पुत्र श्री ग्यारसी	,, ,,
4.	श्री राजेन्द्र पुत्र श्री रामचरण	,, ,,
5.	श्री पूरण–रामधन	,, ,,
6.	श्री अनिल–छगनलाल	चौकीदार
7.	श्री कदीर–जटीर	भिश्ती
8.	श्री रमेश पुत्र श्री गणेश	फावड़े वाला
9.	श्री संतोष पुत्र श्री जुम्मा	,, ,,
10.	श्री गणेश पुत्र श्री बिर्धा	,, ,,
11.	श्री तोलाराम पुत्र श्री जुम्माराम	,, ,,
12.	श्री रामदेव पुत्र श्री मूलचन्द	,, ,,
13.	श्री ताराचन्द पुत्र श्री सुगन	,, ,,
14.	श्री राजेन्द्र पुत्र श्री हरिनारायण	,, ,,
15.	श्री मगन पुत्र श्री गुलाब	,, ,,
16.	श्री सुरेन्द्र पुत्र श्री भोला	,, ,,
17.	श्री घनश्याम पुत्र श्री गुलाब	,, ,,
18.	श्री दौलत पुत्र श्री मुन्ना	,, ,,
19.	श्री घनश्याम–दयाराम	,, ,,
20.	श्री हेमू पुत्र श्री प्यारेलाल	,, ,,

1	2	3
21.	श्री सुनील पुत्र श्री प्रकाश	फावड़े वाला
22.	श्री रमेश पुत्र श्री रामस्वरूप	,, ,,
23.	श्री भारत पुत्र श्री बाबूलाल	,, ,,
24.	श्री हीरालाल/रामचरण	,, ,,
25.	श्री विक्रम पुत्र श्री मोहन	,, ,,
26.	श्री महेश पुत्र श्री कन्हैया लाल	,, ,,
27.	श्री विमल पुत्र श्री रामचरण	,, ,,
28.	श्री ज्ञान पुत्र श्री गोपाल	,, ,,
29.	श्रीमती कमला-बाबूलाल	झाड़ूवाली
30.	श्रीमती कमला-नैनू	,, ,,
31.	श्रीमती कौशल्या-लालचन्द	,, ,,
32.	श्रीमती भगवती-मनोहर	,, ,,
33.	श्रीमती मगा-जमुनाप्रसाद	,, ,,
34.	श्रीमती दुलारी-कौरया	,, ,,
35.	श्रीमती लल्ली-तोताराम	,, ,,
36.	श्रीमती विमला-मदन	,, ,,
37.	श्रीमती गीता-जमुना प्रसाद	,, ,,
38.	श्रीमती अनुसुवा-रामस्वरूप	,, ,,
39.	श्रीमती कमला-मुन्ना	,, ,,
40.	श्रीमती शीला-मांगीलाल	,, ,,
41.	श्रीमती इन्दिरा-हरिनारायण	,, ,,
42.	श्रीमती माया-पूरण	,, ,,
43.	श्रीमती शांति-गंगाराम	,, ,,

1	2	3
44.	श्रीमती विद्या-पूरण	झाडूवाली
45.	श्रीमती दूरोपति-रमेश	,, ,,
46.	श्रीमती सुशीला-तोताराम	,, ,,
47.	श्रीमती अनोखी-ओमप्रकाश	,, ,,
48.	श्रीमती गीता-श्यामस्वरूप	,, ,,
49.	श्रीमती रज्जो-लक्ष्मण	,, ,,
50.	श्रीमती पुरी-दयाराम	,, ,,
51.	श्रीमती शारदा-हेमराज	,, ,,
52.	श्रीमती सुशीला-घनश्याम	,, ,,
53.	श्रीमती सुशीला-रामदास	,, ,,
54.	श्रीमती धनवती-प्रकाश	,, ,,
55.	श्रीमती लक्ष्मी-चन्द	,, ,,
56.	श्रीमती मन्जू-रामबाबू	,, ,,
57.	श्रीमती रेखा-रामरतन	,, ,,
58.	श्रीमती रामप्यारी-रामपाल	,, ,,
59.	श्रीमती सुनीता-गजानन्द	,, ,,
60.	श्रीमती मधु-अजयकुमार	,, ,,
61.	श्रीमती आशा-धन्ना	,, ,,

ह०/-

आयुक्त (मुख्यालय)

जयपुर नगर निगम

कार्यालय जयपुर नगर निगम

दिनांक 19.11.1981 की कच्ची बस्ती लक्ष्मण डूंगरी के निवासियों को किये जा रहे आबंटन की सूची

क्र.सं.	आबंटी का नाम	भूखण्ड सं.	राशि का ब्यौरा	आबंटन
1.	श्री इस्माईल पुत्र श्री बन्नू खां	13	राशि जमा नहीं	आबंटन जारी
2.	श्री कालूराम पुत्र प्रभाती मीणा	30	,, ,,	,, ,,
3.	श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र पौंचूराम	29	,, ,,	,, ,,
4.	श्री कल्याण कुमावत पुत्र बगताराम	50	,, ,,	,, ,,
5.	श्री रामस्वरूप पुत्र कल्याण सहाय	8	राशि जमा है	,, ,,
6.	श्री अहमद बैग उर्फ मधुमियां पुत्र कल्लन	7	,, ,,	,, ,,
7.	श्री लल्लु पुत्र करीमबक्ष	24	,, ,,	,, ,,
8.	श्री कुन्दनलाल पुत्र कन्हैया लाल	33	राशि जमा नहीं	,, ,,
9.	श्री अब्दुल गफूर पुत्र वजीर खां	25	,, ,,	,, ,,
10.	श्री अब्दुल गनी पुत्र कल्लू खां	27	राशि जमा है	,, ,,
11.	श्री नूरमोहम्मद पुत्र शकूर खां	5	,, ,,	,, ,,
12.	श्री सुलतान पुत्र अब्दुल गफूर	46	राशि जमा नहीं	,, ,,
13.	श्रीमती शकूरन बेबा जहर शाह	1	राशि जमा है	,, ,,
14.	श्री सूरजनारायण पुत्र भौंरीलाल	42	राशि जमा नहीं	,, ,,
15.	श्री इस्माईल पुत्र भूरा तेली	60	,, ,,	,, ,,
16.	श्री इकराम पुत्र	21	,, ,,	,, ,,
17.	श्रीमती गुल्ली बेबी भूरा मीणा	2	,, ,,	,, ,,
18.	श्री जमाल पुत्र जावदो खां	19	राशि जमा है	,, ,,
19.	श्री अब्दुल गनी पुत्र वजीर खां	15	राशि जमा नहीं	,, ,,
20.	श्री अलीम शाह पुत्र लाला शाह	47	राशि जमा नहीं	,, ,,
21.	श्री सबराती पुत्र अल्लाहबक्ष	20	राशि जमा नहीं	,, ,,
22.	श्री गुलाब खां पुत्र करीम खां	4	,, ,,	,, ,,
23.	श्री मूलचन्द पुत्र नारायण	44	,, ,,	,, ,,
		16 जमा नहीं है, 7 के जमा हैं।		

ह०/–
आयुक्त (मुख्यालय)
जयपुर नगर निगम

परिशिष्ट "अ"

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या-26 की सूची)

क्र.सं.	भूखण्ड संख्या	लिया गया क्षेत्र वर्ग गज में	योजना का नाम	गृ. नि. स. स. का नाम
1	2	3	4	5
1.	154बी	47.50	विजयबाड़ी	शंकर भवन
2.	141बी	31.11	" "	" "
3.	135	82.35	" "	" "
4.	134	86.11	" "	" "
5.	82	85.56	" "	" "
6.	67	38.89	" "	" "
7.	66	50	" "	" "
8.	51	30.55	" "	" "
9.	50	40.00	" "	" "
10.	37	40.00	" "	" "
11.	36	80.00	" "	" "
12.	1	70.00	" "	" "
13.	1	44.08	विजयबाड़ी	श्री छत्रपति शिवाजी
14.	2	50.00	विजयबाड़ी	श्री छत्रपति शिवाजी
15.	67	15.00	मुरलीपुरा	खुदाबादी
16.	66	19.44	" "	" "
17.	45	54.17	" "	" "
18.	44	35.00	" "	" "
19.	24	38.33	" "	" "
20.	23	38.89	" "	" "
21.	1	31.66	" "	" "
22.	1	19.77	स्कीम नं. 13	म्युच्युअल
23.	2	30.00	" "	" "
24.	8	4.50	" "	" "
25.	8-ए	8.88	" "	" "
26.	9-ए	16.67	" "	" "
27.	20	13.13	" "	" "
28.	1	51.06	स्कीम नं. 12	म्युच्युअल

1	2	3	4	5
29.	2	51.72	स्कीम नं. 12	म्युच्युअल
30.	3	19.44	,, ,,	,, ,,
31.	8	5.66	,, ,,	,, ,,
32.	9	2.22	,, ,,	,, ,,
33.	10	14.05	,, ,,	,, ,,
34.	11	6.00	,, ,,	,, ,,
35.	13	23.37	,, ,,	,, ,,
36.	14	23.45	,, ,,	,, ,,
37.	15	23.33	,, ,,	,, ,,
38.	3	90.00	कानाराम नगर	श्री जनता
39.	4	61.67	,, ,,	,, ,,
40.	11	70.00	,, ,,	,, ,,
41.	12	86.67	,, ,,	,, ,,
42.	19	53.33	,, ,,	,, ,,
43.	20	53.33	,, ,,	,, ,,
44.	27	75.00	,, ,,	,, ,,
45.	28	63.00	,, ,,	,, ,,
46.	35	49.16	,, ,,	,, ,,
47.	36	57.50	,, ,,	,, ,,
48.	43	56.66	,, ,,	,, ,,
49.	44	148.33	,, ,,	,, ,,
50.	51	31.67	,, ,,	,, ,,
51.	52	25.83	,, ,,	,, ,,
52.	62	71.66	,, ,,	,, ,,
53.	63	36.67	,, ,,	,, ,,
54.	75	49.34	,, ,,	,, ,,
55.	359	33.33	,, ,,	,, ,,
56.	358	39.44	,, ,,	,, ,,
57.	352	—	,, ,,	,, ,,
58.	351	—	,, ,,	,, ,,

परिशिष्ट-8

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-31 का विवरण)

क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना फुलाद राणावास-आउवा

तहसील मारवाड़ जंक्शन **जिला-पाली**

योजना का विवरण

1–	योजना का नाम	क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना फुलाद राणावास आउवा
2–	प्रस्तावित गांवों की संख्या एवं नाम	25
		1. गुडा सूरसिंह
		2. गुडा मेहकरण
		3. मलसा बावड़ी
		4. राणावास
		5. गुडा रघुनाथसिंह
		6. गुडा रामसिंह
		7. गुडा नावां
		8. मानी
		9. गुडा केसरसिंह
		10. गुड प्रेमसिंह
		11. गादाना
		12. रड्डावास
		13. आंगदोष
		14. आउवा
		15. जटियों की ढाणी
		16. खारची की ढाणी
		17. आसन
		18. सटियों की ढाणी
		19. चौधरीयों की ढाणी
		20. चैलावास
		21. भगवानपुरा

22. बिठुडाकलां
23. कारोलिया
24. नरसिंहपुरा
25. कादू

3– जनसंख्या 1991 के अनुसार 30893

4– डिजाइन जनसंख्या (वर्ष 2011 के लिए) 48796

5– प्रतिव्यक्ति वितरण 70 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन

6– डिजाइन मांग 3925 किलो लीटर प्रतिदिन

7– स्रोत फुलाद बांध रा–वाटर के लिए

8– फिल्टर प्लांट रेपिड सेंड ग्रेविटी फिल्टर क्षमता 4.00 एम.एल.डी मलसा बावड़ी हैडवर्क्स

9– पम्पिंग मशीनरी मौनो ब्लाक/सैंट्रीफ्यूगल पम्पसैट

1. 63 अश्व शक्ति, 70 लीटर प्रति सैकण्ड, 34 मीटर हैड–2 नग
2. 55 अश्व शक्ति, 70 लीटर प्रति सैकण्ड, 30 मीटर हैड–2 नग

10– मुख्य पाइप लाइन

1. 300 मि.मी. व्यास ए.सी. क्लास 10–5500 मी.
2. 250 मि.मी. व्यास ए.सी. क्लास 10–3500 मी.
3. 200 मि.मी. व्यास ए.सी. क्लास 10–13154 मी.
4. 150 मि.मी. व्यास ए.सी. क्लास 10–15846 मी.
5. 125 मि.मी. व्यास ए.सी. क्लास 10–3000 मी.
6. 100 मि.मी. व्यास ए.सी. क्लास 10–3500 मी.
7. 80 मि.मी. व्यास ए.सी. क्लास 10–12500 मी.
8. 63 मि.मी. व्यास पी.वी.सी. क्लास 3–8300 मी.
9. 75 मि.मी. व्यास पी.वी.सी. क्लास 3–9466 मी.
10. 300 मि.मी. व्यास, सी,आई टाइटन क्लास एल.ए. 10500 मी.
11. 150 मि.मी. सी.आई. 1500 मी.

		12. 125 मि.मी. सी.आई. 500 मी.
		13. 100 मि.मी. सी.आई. 2000 मी.
		14. 80 मि. मी. सी.आई. 8000 मी.
11–	वितरण प्रणाली	1. 200 मि.मी. व्यास ए.सी. क्लास 10 – 250 मी. 2. 150 मि.मी. व्यास ए.सी. क्लास 10 – 1500 मी. 3. 125 मि.मी. व्यास ए.सी. क्लास 10 – 130 मी. 4. 100 मि.मी. व्यास ए.सी. क्लास 10 – 2200 मी. 5. 80 मि.मी. व्यास ए.सी. क्लास 10 – 8325 मी.
12–	जल संग्रहण हेतु रिजववायर	1. आर.सी.सी. उच्च जलाशय 20 मी. ऊंचाई मलसा बावड़ी पर क्षमता 2000 कि.ली. 2. मलसा बावड़ी पर आर.सी.सी. स्वच्छ जलाशय क्षमता 3. आर.सी.सी. उच्च जलाशय राणावास क्षमता 160 कि.ली 4. आर.सी.सी. उच्च जलाशय गुडारामसिंह क्षमता 175 कि.ली. 5. आर.सी.सी. उच्च जलाशय आउवा क्षमता 100 कि.ली. 6. आर. सी.सी. भूतल जलाशय रड्‌डावास क्षमता 55 कि.ली.
13–	सम्पवैल/इन्टेकवैल	फुलाद बांध व मलसा बावड़ी हैडवर्क्स पर आर.सी.सी. सम्पवैल/इन्टेकवैल का निर्माण कार्य
14–	विद्युत सम्बन्ध	1. फुलाद हैडवर्क्स पर 11 के.वी./33 के.वी. सीधी विद्युत लाइन राणावास जीएसएस से का कार्य 2. फुलाद हैडवर्क्स पर 63 के.वी. सब स्टेशन का कार्य 3. मलसा बावड़ी हैडवर्क्स पर 63 के.वी. सब स्टेशन का कार्य
15–	सिविल कार्य	1. सबवैल/इन्टैकवैल के पास पम्प हाउस का निर्माण कार्य 2. मलसा बावड़ी हैडवर्क्स पर नियंत्रण कक्ष का निर्माण कार्य 3. मलसा बावड़ी हैडवर्क्स पर 1/2 सैट जनता टाइप क्वार्टर का निर्माण कार्य 4. फुलाद हैडवर्क्स पर 1/2 सैट जनता टाइप क्वार्टर का निर्माण कार्य 5. मलसा बावड़ी हैडवर्क्स पर चारदिवारी का कार्य 6. ऐयरवाल/स्लूसवाल चैम्बर का निर्माण कार्य 7. नदी/नालों में आरसीसी पिलर का निर्माण कार्य

		8. मलसा बावड़ी हैडवर्क्स में कंकरिट रोड का कार्य
		9. पाइन लाइन बिछाने हेतु रोक कटिंग का कार्य
16–	औजार व संयन्त्र का कार्य	औजार व संयन्त्र कार्य का प्रावधान।
17–	अन्य कार्य	1. हैडवर्क्स हेतु जमीन खरीदने का कार्य 2. जंगल कटाई व जमीन की समतलीकरण का कार्य 3. इंजन आयल कारपोरेशन की लाइन की कोसिंग का कार्य 4. वार्तालाप हेतु सिस्टम
18–	अनुमानित लागत	रुपये 640.71 लाख
19–	प्रतिव्यक्ति हेतु अनुमानित लागत	1. 1991 की जनसंख्या के अनुसार– रु. 2073.96 2. डिजाइन जनसंख्या (वर्ष 2011)– रु. 1313.03

क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना फुलाद राणावास आउवा तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली

बजट शीर्ष-ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. (डी.डी.पी.)

क्र. सं.	कार्य	अनुमानित लागत (रु. लाख में)
1.	रेपिड ग्रेविटी प्लांट	60.00
2.	राइजिंगमैन/ग्रेविटीमैन पाइप लाइन का कार्य	374.82
3.	वितरण पाइप लाइन का कार्य	12.22
4.	पम्पिंग मशीनरी की आपूर्ति एवं स्थापना का कार्य	8.46
5.	स्टोरेज रिजर्ववायर का निर्माण कार्य	83.93
6.	सम्पवैल/इन्टेकवैल	4.00
7.	सिविल कार्य	41.62
8.	औजार व संयन्त्र तथा अन्य कार्य	5.10
9.	विद्युत सम्बन्ध व सीधे विद्युत फीडर लाइन	20.05
	योग	610.20
	कंटींजेंसी @ 5 प्रतिशत	30.51
	योग	640.71

परिशिष्ट "क"

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या-34 की प्रति)

राजीव गांधी ग्राम स्तरीय वाटर एण्ड सैनीटेशन कमेटी के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं की पूर्ण/अपूर्ण कार्यों की सूची

क्र.सं.	ग्राम पंचायत	ग्राम का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति			स्वीकृति कार्य	भौतिक प्रगति
			क्रमांक	दिनांक	राशि		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	कूथाड़ा खुर्द	कूथाड़ा कलां	61	10.12.2002	0.83	पाइप लाइन कार्य	कार्य प्रगति पर है
2.	कानौता	कानौता	63	20.2.2002	0.45	हैण्ड पम्प	
3.	पाल्यावास	पाल्यावास	76	20.2.2002	0.45	हैण्ड पम्प	विवादित
4.	भूडला	भूडला	108	8.5.2002	9.99	ट्यूबवैल पाइप लाइन एस आर	कार्य प्रगति पर है
5.	अणतपुरा	अणतपुरा	111	14.6.2002	9.27	ट्यूबवैल पाइप लाइन एस आर	कार्य प्रगति पर है
6.	सांभरिया	सांभरिया	5	24.6.2002	22.65	ट्यूबवैल पाइप लाइन एस आर	कार्य प्रगति पर है
7.	बांसखो	बांसखो	155	27.6.2002	7.24	नलकूप गहराई पाइप लाइन	
8.	खोखावाला	खोखावाला	156	27.6.2002	9.90	ट्यूबवैल पाइप लाइन एस आर	
9.	भेटेरी	भेटेरी	157	27.6.2002	6.83	ट्यूबवैल पाइप लाइन एस आर	
10.	हंसमहल	मदनपुरा दयालपुरा	152	27.6.2002	4.72	ट्यूबवैल पाइप लाइन एस आर	
11.	गरूडवासी	गरूडवासी	17	28.8.2001	8.69	ट्यूबवैल पाइप लाइन एस आर	पाइप लाइन कार्य प्रगति पर

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	हरिनारायणपुरा	हरिनारायणपुरा	36	13.11.2001	2.81	ट्यूबवेल पाइप लाइन एस आर	हैण्ड पम्प कार्य प्रगति पर
13.	टीकरिया गुजरान	टीकरिया गुजरान	65	20.2.2002	4.13	ट्यूबवेल पाइप लाइन जी एस आर	नलकूप व टंकी का कार्य पूर्ण
14.	चीमापुरा	चीमापुरा	66	20.2.2002	1.87	हैण्ड पम्प	हैण्ड पम्प कार्य प्रगति पर
15.	कोटखावदा	कोटखावदा	94	8.5.2002	0.90	हैण्ड पम्प	हैण्ड पम्प कार्य प्रगति पर
16.	माधोपुरा	माधोपुरा	96	8.5.2002	1.35	हैण्ड पम्प	
17.	राडोली	राडोली	114	14.6.2002	7.51	खुला कुआ पाइप लाइन जीएलआर	
18.	इन्द्रपुरी	इन्द्रपुरी	115	14.6.2002	8.42	खुला कुआ पाइप लाइन जीएलआर	
19.	खेडा रानीवास	खेडा रानीवास	116	14.6.2002	9.79	खुला कुआ पाइप लाइन जीएलआर	
20.	श्री किशनपुरा	श्री किशनपुरा	117	14.6.2002	10.00	खुला कुआ पाइप लाइन जीएलआर्र	
21.	जगदीशपुरा	जगदीशपुरा	118	14.6.2002	9.85	खुला कुआ पाइप लाइन जीएलआर	
22.	नृसिंहपुरा	ठीकरिया गुजरान	119	14.6.2002	8.33	खुला कुआ पाइप लाइन जीएलआर	
23.	मालपुरिया	ठीकरिया गुजरान	120	14.6.2002	9.18	खुला कुआ पाइप लाइन जीएलआर	
24.	बिशनपुरा	ठीकरिया गुजरान	121	14.6.2002	8.48	खुला कुआ पाइप लाइन जीएलआर	
25.	बावपपुरा	ठीकरिया गुजरान	122	14.6.2002	7.82	खुला कुआ पाइप लाइन जीएलआर	
26.	अजमेरीपुरा	ठीकरिया गुजरान	123	14.6.2002	8.70	खुला कुआ पाइप लाइन जीएलआर	
27.	कुशलपुरा	कुशलपुरा	125	14.6.2002	2.55	पाइप लाइन	

1	2	3	4	5	6	7	8
28.	केशुपुरा	केशुपुरा	126	14.6.2002	4.82	पाइप लाइन जीएलआर	
29.	रूपनगर	रूपनगर	127	14.6.2002	4.47	पाइप लाइन जीएलआर	
30.	रूपाहेडी कलां	रूपाहेडी	133	14.6.2002	6.93	खुला कुआ पाइप लाइन जीएलआर	
31.	कोटखावदा	कोटखावदा		24.6.2002	14.72	खुला कुआ पाइप लाइन जीएलआर	
32.	ठीकरिया मीणान	ठीकरिया मीणान		24.6.2002	13.07	खुला कुआ पाइप लाइन कार्य	
33.	चीमापुरा	चीमापुरा	158	27.7.2002	6.90	खुला कुआ पाइप लाइन	
34.	रामनिवास	रामनिवास	159	27.7.2002	6.31	खुला कुआ पाइप लाइन	

नोट :- क्रम संख्या 1, 4,5,6,11,12,13,14 व 15 (कुल 9) पर वर्णित स्वीकृत योजनाओं पर भौतिक रूप से कार्य प्रारम्भ हो गया है। शेष योजनाएं यद्यपि स्वीकृत हो चुकी है। तथापि भौतिक कार्य प्रारम्भ होना बाकी हैं।

ह०/-
अधीक्षण अभियन्ता,
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
जिला वृत, जयपुर।

परिशिष्ट ''ख''

राजीव गांधी ग्राम स्तरीय वाटर एण्ड सैनीटेशन कमेटी के अन्तर्गत प्रस्तावित योजनाओं का विवरण

क्र. सं.	ग्राम का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	प्रस्तावित कार्य	अनुमानित लागत (रु. लाख में)	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	रामरतनपुरा	हीरावाला	नलकूप, टंकी, पाइप लाइन, वि. कनेक्शन	15.31	
2.	रामरतनपुरा	हरध्यानपुरा	नलकूप, टंकी, पाइप लाइन, वि. कनेक्शन	11.83	
3.	रामरतनपुरा	डयोडा चौड	नलकूप, टंकी, पाइप लाइन, वि. कनेक्शन	12.45	
4.	रामरतनपुरा	गिला की नांगल	नलकूप,टंकी,पाइप लाइन, वि. कनेक्शन	15.2	
5.	जीतावाला	जीतावाल	नलकूप,टंकी,पाइप लाइन, वि. कनेक्शन	12.76	
6.	खतैपुरा	खतैपुरा	नलकूप,टंकी,पाइप लाइन, वि. कनेक्शन	13.03	
7.	खतैपुरा	रूपवास	नलकूप,टंकी,पाइप लाइन, वि. कनेक्शन	9.34	
8.	खतैपुरा	खि.तिवारियान	नलकूप,टंकी,पाइप लाइन, वि. कनेक्शन	12.38	
9.	कुथाडाखुर्द	कूथाडा कलां	नलकूप व विद्युत कनेक्शन	4.09	
10.	दूधली	दूधली	नलकूप,टंकी,पाइप लाइन, वि. कनेक्शन	14.92	
11.	टहटडा	टहटडा मीणान	नलकूप,टंकी,पाइप लाइन, वि. कनेक्शन	9.27	

1	2	3	4	5	6
12.	फाल्याबास	फाल्याबास	नलकूप,टंकी,पाइप लाइन, वि. कनेक्शन	12.58	
13.	मानसरखेडी	मानसरखेडी	नलकूप,टंकी,पाइप लाइन, वि. कनेक्शन	13.73	
14.	देवगांव	देवगांव	नलकूप,टंकी,पाइप लाइन, वि. कनेक्शन	9.56	
15.	मुरलीपुरा	गरुडवासी	नलकूप,टंकी,पाइप लाइन, वि. कनेक्शन	3.38	
16.	रामनगर	रामनगर	हैण्ड पम्प	6.48	
17.	गोड का बास	गोड का बास	नलकूप व जीएलआर	4.25	
18.	ठीकरिया मीणान	ठीकरिया मीणान	हैण्ड पम्प	2.43	
19.	रामनगर	रामनगर	नलकूप व जीएलआर	5.37	
20.	कोटाखावदा	कोटाखावदा	हैण्ड पम्प	4.64	
21.	राडोली	राडोली	हैण्ड पम्प	7.21	
22.	हरिनारायणपुरा	हरिनारायणपुरा	हैण्ड पम्प	3.49	
23.	गोड का बास	गोड का बास	हैण्ड पम्प	9.36	
24.	रूपाहेडी कलां	रूपाहेडी कलां	हैण्ड पम्प	3.13	

नोट :- क्रम संख्या 9 व 12 पर वर्णित योजनाएं संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

ह०/-

अधीक्षण अभियन्ता,
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
जिला वृत, जयपुर।

परिशिष्ट–10

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या–38 की प्रति)

प्रतिलिपि राज्य सरकार के पत्र क्रमांक : प. 19(6) एम. से/ग्रुप–I/94, जयपुर दिनांक : 18.2.1997 द्वारा उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–I) विभाग, राजस्थान जयपुर वास्ते निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

आदेश

विषय :- राज्य के राजकीय चिकित्सालयों में दवा की दुकानों हेतु दुकाने किराये पर देने अथवा दुकान के लिये भूमि आबंटन आदि के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषय पर इस विभाग, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, प्रधानाचार्यों/अधीक्षकों आदि द्वारा पूर्व में जारी समस्त आदेशों/निर्देशों के अतिक्रमण में मेडिकल कालेजों के संलग्न चिकित्सालयों, जिला चिकित्सालयों तथा राज्य अन्य सभी श्रेणी के राजकीय अस्पतालों (एलोपेथी) जो कि मेडिकल कालेजों के प्रधानाचार्यों अथवा निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान–जयपुर के प्रशासनिक नियंत्रण में आते हैं, के परिसर में राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, जिला सहकारी उपभोक्ता संघों आदि को दवा की दुकान खोलने के लिए दुकान अथवा जमीन आबंटित करने/किराये पर देने के निम्नांकित आदेश दिये जाते हैं :-

1. वर्तमान में जो दुकानें आबंटित की हुई है, उनको छोड़कर अब किसी दुकान का आबंटन किया जाता है तो उसके लिये सम्बन्धित अस्पताल के अधीक्षक/जिला चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय समिति द्वारा किया जावेगा। 3 सदस्यों में एक सदस्य लेखा सेवा का होना आवश्यक है।

2. दुकानों का किराया सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किये गये असेसमेन्ट के अनुसार वसूल किया जावेगा।

3. यदि बिजली–पानी का कनेक्शन अस्पताल द्वारा उपलब्ध कराया गया है तो उनके सब मीटर्स के अनुसार चार्जेज उपभोक्ता (संघो) आबंटी से वसूल किया जावेगा।

4. किराये का पुनः निर्धारण प्रति 3 वर्ष पश्चात सा.नि. विभाग से कराया जावेगा और किराया प्रति माह जमा कराना उपभोक्ता संघों की (आबंटी) की जिम्मेदारी होगी।

5. यदि 3 माह से अधिक का किराया बकाया हो गया तो अस्पताल प्रशासन को दुकानें/दुकान खाली कराने का अधिकार होगा।

6. यदि किसी सार्वजनिक, उपयोग के स्थान पर पूर्व में अस्थाई आबंटन उपभोक्ता संघों को किया गया है तो उसे दिनांक 31.3.1997 तक रिक्त करा लिया जावे और यथा योग्य उपलब्ध रिक्त स्थान उपलब्ध करा दिया जावे जिस पर दुकानों का निर्माण उपभोक्ता संघों को स्वयं के खर्चे पर कराना होगा। भूमि का मालिकाना हक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का होगा।

7. उपभोक्ता संघों के अतिरिक्त किसी व्यक्ति व संस्था को राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना अस्पताल परिसर में किसी दुकान या जमीन का आबंटन नहीं किया जावेगा।

8. जिन स्थानों पर मेडिकेयर रिलीफ सोसायटीज का गठन किया जा चुका है या गठन किया जा रहा है, वहां पर दुकानों के किराये से होने वाली आय सोसायटी के खाते में जमा की जावेगी।

ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

परिशिष्ट-11

परिशिष्ट ''अ''

(अतारांकित प्रश्न संख्या-41 का विवरण)

चिकित्सा निदेशालय के निदेशक, अतिरिक्त निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी तथा विषयों के वरिष्ठ विशेषज्ञ एवं कनिष्ठ विशेषज्ञों की लम्बित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों का वर्षवार एवं पदवार विवरण निम्न प्रकार है :-

पदनाम	वर्ष जिसके लिये डी.पी.सी. आयोजित की जानी है
1	2
निदेशक	1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003
अतिरिक्त निदेशक	2001-2002, 2002-2003
संयुक्त निदेशक	1996-1997 से 2002-2003-1999
उप निदेशक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं समकक्ष पद	1996-1997 से 2002-2003
वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1996-1997 से 2002-2003
वरिष्ठ विशेषज्ञ (मेडीसन)	2002-2003
वरिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	2001-2002, 2002-2003
वरिष्ठ विशेषज्ञ (आर्थोपेडिक)	2001-2002, 2002-2003
वरिष्ठ विशेषज्ञ (शिशुरोग)	2001-2002, 2002-2003
वरिष्ठ विशेषज्ञ (ई. एन. टी.)	2001-2002, 2002-2003
वरिष्ठ विशेषज्ञ (टी.बी.)	2001-2002, 2002-2003
वरिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग)	2001-2002, 2002-2003
वरिष्ठ विशेषज्ञ (नैत्ररोग)	2001-2002, 2002-2003
वरिष्ठ विशेषज्ञ (पैथोलोजी)	2000-2001, 2001-2002, 2002-2003

1	2
वरिष्ठ विशेषज्ञ (ऐनेस्थेसिया)	2000-2001, 2001-2002, 2002-2003
वरिष्ठ विशेषज्ञ (रेडियोलोजी)	1998-1999 ,2000-2001, 2001-2002, 2002-2003
कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	2001-2002, 2002-2003
कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	2000-2001, 2001-2002, 2002-2003
कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्री रोग)	2001-2002, 2002-2003
कनिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु रोग)	2000-2001, 2001-2002, 2002-2003
कनिष्ठ विशेषज्ञ (नैत्ररोग)	2001-2002, 2002-2003
कनिष्ठ विशेषज्ञ (अस्थिरोग)	2001-2002, 2002-2003
कनिष्ठ विशेषज्ञ (निश्चेतन)	2002-2003
कनिष्ठ विशेषज्ञ (पैथोलोजी)	2002-2003
कनिष्ठ विशेषज्ञ (रेडियोलोजी)	1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003
कनिष्ठ विशेषज्ञ (ई.एन.टी.)	2001-2002, 2002-2003
कनिष्ठ विशेषज्ञ (टी.बी)	2001-2002, 2002-2003
कनिष्ठ विशेषज्ञ (मनोचिकित्सा)	2000-2001, 2001-2002, 2002-2003
कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्कीन पी.डी.)	2002-2003
कनिष्ठ विशेषज्ञ (फोरेन्सिक मेडिसन)	2000-2001, 2001-2002, 2002-2003
कनिष्ठ विशेषज्ञ (दन्त रोग)	1998-1999 से 2002-2003

परिशिष्ट-12

प्रपत्र "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-49 का विवरण)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत नावां विधान सभा क्षेत्र में सड़कों के प्रस्ताव :–

(अ) 1000 एवं इससे अधिक आबादी वाले गांव

क्र.सं.	गांव का नाम मय आबादी		लम्बाई (कि.मी. में)	लागत राशि (लाखों में)
1.	छापरी	1514	5.75	78.01
2.	भैरूपुरा	1004	0.75	10.68
3.	गुगड़वार	1746	2.50	34.96
4.	मोतीपुरा	1707	5.00	76.00
5.	गोगोर	1544	4.50	71.02
6.	पीपराली	1323	1.00	22.52
7.	रघुनाथपुरा	1302	2.00	39.00
8.	चारणवास	1245	2.50	53.58
9.	दैपुर	1174	2.50	46.44
10.	कैरपुरा	1036	2.00	37.83
		कुल	**28.50**	**470.04**

(ब) पंचायत मुख्यालय (क्षतिग्रस्त मेटल सड़क से डामर)

1.	भांवता	3778	2.50	28.00
2.	भूणी	2219	2.50	29.00
3.	इंदोखा	1494	3.50	42.00
4.	बरजन	1219	5.25	59.00
		योग	**13.75**	**158.00**
		महायोग	**42.25** कि.मी.	**628.04** लाख

प्रपत्र "ब"

नावां विधान सभा क्षेत्र में सी.आर.एफ. के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विवरण :–

क्र. सं.	स्वीकृत कार्य का नाम	स्वीकृत लम्बाई	स्वीकृत लागत	विशेष विवरण
1.	फुलेरा–सांभर–नावां सड़क एस.एच. नं. 2 कि.मी. 352/0 से 371/0 (जोब नं. सी.आर.एफ./02/राज./2001)	19.00	105.00	इन कार्यों की निविदायें मुख्य अभियंता कार्यालय राजस्थान, जयपुर में दिनांक 12.7.2002 को प्राप्त कर ली गई है एवं स्वीकृति हेतु वहीं पर विचाराधीन है। न्यूनतम निविदा स्वीकृत होकर प्राप्त होने पर कार्य प्रारम्भ किये जाना सम्भव हो सकेगा।
2.	परबतसर–कुचामन–डीडवाना एस.एच. नं. 7 कि.मी. 131/0 से 144/0, कि.मी. 147/0 से 149/600, कि.मी. 150/0 से 155/0 (जोब नं. सी.आर.एफ./05/राज./2001)	20.00	110.00	
3.	जयपुर–कुचामन सड़क एस.एच. नं. 2 एवं 7, एस.एच. नं. 2 के कि.मी. 371/0 से 392/0 एस.एच. नं. 7 के कि.मी. 103/0 से 131/0 जोब नं. सी.आर.एफ./07/राज./2001	21.00 28.00	375.00	
	(28.00 कि.मी. परबतसर विधान सभा क्षेत्र के हैं)			
	योग	**88.00**	**590.00**	

परिशिष्ट-13

अनुलग्नक "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-52 की प्रति)

Executive Summary—Mannual for Preparation of District Rural Roads Plan

The main objective of this Manual, is to assist the States in preparation of District level Master Plan for Rural called the District Rural Roads Plan. It is also intended to bring about a basic uniformity of approach and transparency in the Planning process for the roads to be developed under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana.

Guiding Principles of PMGSY

- The Rural Roads to be connected/developed under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana will cover only ODRs and VRs.
- An Unconnected Habitation is one with a population of more than 500 persons and located at a distance of at least 500 metres or more from All-weather road or a connected village/Habitation.
- The Unconnected Habitations are to be connected to nearby Habitations or to another existing All- weather road so that services (educational, health, marketing facilities etc.), which are not available in the unconnected Habitation, become available to the residents.
- The PMGSY envisages only single road Connectivity to be provided to the Habitation where it is not available. In other words, if a Habitation is connected to another Habitation by way of an All-weather road, than no further work can be taken up under the PMGSY unless all Unconnected Habitations with population above 500 persons have been provided connectivity in the District.
- Providing road connectivity through good All-weather road does not necessarily imply construction of Black-Topped roads
- No urban roads can be constructed under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, for instance, two villages can not be connected through an urban area.

(Para 1.9)

Order of Priority

The priority under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, would be provided to Unconnected Habitations. Only after all Unconnected Habitations in the District have been covered, the Upgradation of roads in already connected Habitations can be taken up. Here again, priority would be accorded to Habitations connected by Gravel Roads. The order of priority to be followed under the PMGSY is explained below in Table 1:

Table 1

S.No.	Population Size	Category
1.	1000 or more	Unconnected to roads of desired specification
2.	500-999	Unconnected to roads of desired specification
3.	1000 or more	Gravel to desired specification
4.	500-999	Gravel to desired specification
5.	1000 or more	WBM to desired specification
6.	500-999	WBM to desired specification

(Para 1.6)

Preparation of Block Master Plan by the Programme Implementation Units

Each State has been asked to identify an Executive Agency for the execution of the Programme. The Executing Agency is expected to set up the Programme Implementation Unit (PIU) in each District. The preparation of the Master Plan for each Block is the responsibility of the Programme Implementation Unit, who must ensure that it has the approval of the Panchayati Raj Institutions. Care must also be taken to see that the proposals of the MPs and MLAs, who have in intimate knowledge of their areas are taken into consideration while preparing/ finalising the Plans.

(Para 2.3)

The Ten Steps in Preparation of District Rural Roads Plan

The Ten Major Steps in the preparation and finalisation of the District Rural Roads Plan are as under:

1. Constitution of the Team
2. Preparation of Database
3. Map preparation
4. Preparation of list of Unconnected Habitations and the selection of the optimal road link.
5. Consideration and approval by the Intermediate Level Panchayat.
6. Submission of the Block Level Rural Roads Plan to the District Planning Committee/Chief Executive Officer/District Collector.
7. Scrutiny by the District Planning Committee/Chief Executive Officer/ District Collector.
8. Consideration and approval by the District Panchayat.
9. Forwarding of the District Rural Roads Plan to the State Level Standing Committee.
10. Vetting of the District Rural Roads Plan by the State Level Standing Committee.

(Para 2.5)

Selection of Optimal Road Link

The Team should make two separate lists of Unconnected Habitations and those Habitations which are connected by some road but the road needs to be upgraded to prescribed specifications. Both the lists should be in descending order of their population. A Habitation with higher population will rank higher in the list.

(Para 2.25)

Once the lists have been prepared, the next task is to find out the most efficient and economic route, in terms of cost and utility, for providing access to an existing All-weather road or a connected Habitation, which best fulfils the needs of the residents of the Unconnected Habitation. Studies

have revealed that upto 95% of the trips made by villagers are to Market, Health, Education and Administrative centres. Consequently, while selecting the road link, the Team would have to take into account the requirements of the residents of the Unconnected Habitation and also see as to which Habitation best serves their needs. For this purpose, apart from taking into account the views of the Village Sarpanch, the Team would also have to make use of the Utility Value of the Habitations in the vicinity of the Unconnected Habitation which are presently fulfilling the needs of the residents.

(Para 2.26)

Utility Value

The Utility Value of a Habitation can be calculated by giving appropriate weightages, inter alia, to a set of socio-economic/infrastructure facilities (Health, Education, Markets), and administrative centres.

(Para 2.27)

Selection of Variables by the District Planning Committee

The District Panchayat (or the DRDAs, where the District Panchayat do not exist) shall be the competent authority to select the variables best suited for the District, categorise them and accord relative weightage to them. This shall be done before the work commences with respect to the preparation of the District Rural Roads Plan and shall be communicated to all concerned, so that the task of preparation of the District Rural Roads Plan can be accomplished in an objective manner. This is the responsibility of the District Panchayat.

(Para 2.28)

But, since PMGSY envisages only single connectively, it is necessary to choose the most economic and efficient road link. The choice of road link to a Connected Habitation or All-weather road (which ensures access to a Habitation which serves the needs of the residents of Unconnected

Habitation) is determined by the Road Index of the respective Road links. The road link which has the highest Road Index should be preferred.

(Para 2.30)

Road Index

The Road Index is calculated by taking the Utility Value (UV) of the Habitation providing the requisite services to the Unconnected Habitation and dividing it by the length of the proposed road link. The link having the highest Road Index should be selected.

$$\text{Road Index} = \frac{UV}{L}$$

Where, UV = Utility Value and L = Length of the proposed road link

(Para 2.31)

Approval of Block Plans by the Intermediate Panchayat

The Draft Block Plan would be presented before the Intermediate Panchayat by the Leader of the Team preparing the Draft Rural Roads Plan for the Block. In this meeting, Revenue Officers of appropriate level, who has knowledge of the area, may also be called. The Plan should be finalised by the Intermediate Panchayat. Any changes made by the Intermediate Panchayat, should be separately mentioned and reasons, thereof, should be indicated.

(Para 2.38)

Submission of the Block Rural Roads Plan to the District Planning Committee

The Team will, after obtaining the approval of the Intermediate Panchayat, submit the Block Rural Roads Plan to the District Planning Committee, where these have been constituted. In its absence, the Plan would be submitted to the Chief Executive Officer/District Collector with the original map, all the Formats and Tables. The Team would record its

views in case it feels that the Intermediate Panchayat has deviated from the Guidelines in this regard.

(Para 2.39)

Role of the District Planning Committee

After the Rural Roads Plan have been received from all the Blocks, the same would be scrutinised by the Chief Executive of the District Planning Committee/ Chief Executive Officer/ District Collector. He would be assisted by a Committee comprising of the Head of the District Programme Implementation Unit (Member Secretary), Superintending Engineer/Executive Engineer P.W.D., Executive Engineer, Rural Engineering Service and senior officers of the Revenue/ Rural Development Departments, as Members. They should look into the deviations, if any, made by the Intermediate Panchayat and the justifications therefor. They must ensure that the Road Plan is according to the Road Index, calculated as per the weightages fixed by District Panchayat, and also the proposals of the MPs and MLAs have been duly considered. If any provision made by Intermediate Panchayat or the Committee preparing the original plan, is not as per the Guidelines, such provisions should be changed. The reasons, thereof, should be mentioned clearly.

(Para 3.2)

The Committee should, after collating all the Block Rural Roads Plan, prepare on the prescribed format *(Appendix-II)* the draft District Rural Roads Plan. It would also contain the priority list of road works to be taken up under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, in line with the principles already enunciated (Paras 1.3 to 1.9).

(Para 3.3)

Consideration and Approval by the District Panchyat

The Draft District Rural Roads Plan would then be presented to the District Panchayat by the Chief Executive of the District Planning Committee. MLAs and MPs should be specially invited to this Meeting.

Members of the Committee, which prepared and District Rural Roads Plan, should be present in the Meeting. It should be discussed and adopted by the District Panchayat, with such changes, as may be considered appropriate, but strictly within the framework of this Manual. If the District Planning Committee has any reservations about the changes proposed by the District Panchayat, their views should be mentioned clearly.

(Para 3.4)

Forwarding of the District Rural Roads Plan to the State Level Standing Committee

After approval by the District Panchayat, the District Rural Roads Plan, along with the District Priority list, would be forwarded to the State Level Standing Committee.

(Para 3.5)

Vetting of the District Rural Roads Plan by the State Level Standing Committee

The District Rural Roads Plan would be vetted by the State Level Standing Committee, headed by the Chief Secretary/Additional Chief Secretary as the case may be. The Committee could call the Chief Executive Officer/District Collector to present the Plan before the Committee. This Committee should go into the details of the Plan and priorities and links decided by the District Panchayat. The changes made by the District Panchayat and reservations, if any, of the District Level Committee, can also be discussed. The State level Standing Committee should ensure that priorities decided by the District Panchayat, as well as direction of the Government of India, have been followed in preparing the District Rural Roads Plan in totality and the proposals of the MPs. have been duly considered. The Plan, after it has been vetted by this Committee, would be the final District Rural Roads Plan. A copy of the District Rural Roads Plan would be sent to Government of India for record.

(Para 4.1)

The District Rural Roads Plan would, henceforth, constitute the basis for preparation of project proposals under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana as far as that particular District is concerned. The State Governments would be required to attach the approved Block Rural Roads Plan and the District Priority List along with the project proposals under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana for the year 2001-02. Only then would the proposals be considered by the Ministry of Rural Development, Governments of India.

(Para 4.2)

Role of Members of Parliament

Although currently the Guidelines stipulate that the District Rural Roads Plan would be prepared taking into account the views and suggestions of the local Members of Parliament and Members of State Assembly, the experiance in the year 2000-01 has not been totally satisfactory.

Keeping the above in view, the Members of Parliament may be requested to send their proposals to the District Authorities before 10th July, 2001 It will be incumbent upon both the Intermediate and District Panchayats to give full consideration to the proposals received from the Members of Parliament before finalising the Block and District Rural Roads Plan.

The District Rural Roads Plan will also be vetted by the State-level Standing Committee, who will ensure that the Plans have been prepared in accordance with the Guidelines and the proposals of Members of Parliament have been duly considered, before sending the same to the Ministry of Rural Development. The District Rural Roads Plans, which be prepared for all Districts during the current year, would serve as the basis for the Programme over the next six years.

The relevant paragraphs in the Manual in this regard are as under :-

The proposals of the MPs and MLAs would be taken into account by the Team preparing the Draft Rural Roads Plan for the Block. A specific list would be made of the roads suggested by the MPs/MLAs and remarks indicated whether they are included or not, if not the reasons thereof, The Team would then prepare the Draft Rural Roads Plan for the Block

(Para 2.37)

The Draft District Rural Roads Plan would then be presented to the District Panchayat by the Chief Executive of the District Planning Committee MLAs and MPs should be specially invited to this Meeting. Members of the Committee, which prepared the District Rural Roads Plan, should be present in the Meeting. It should be discussed and adopted by the District Panchayat, with such changes, as may be considered appropriate, but strictly within the framework of this Manual. If the District Planning Committee has any reservations about the changes proposed by the District Panchayat, their views should be mentioned clearly.

(Para 3.4)

The State level Standing Committee should ensure that priorities decided by the District Panchayat, as well as direction of the Government of India, have been followed in preparing the District Rural Roads Plan in totality and the proposals of the MPs have been duly considered. The Plan, after it has been vetted by this Committee, would be the final District Rural Roads Plan. A copy of the District Rural Roads Plan would be sent to Government of India for record.

(Para 4.1)

परिशिष्ट–14

प्रपत्र ''अ''

(अतारांकित प्रश्न संख्या–49 का विवरण)

क्र.सं.	सड़क का नाम	कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति	विवरण
1.	**पैकेज नं. आरजे 09-01**		
(ए)	सम्पर्क सड़क चरडन	13.62	कार्य पूर्ण
2.	**पैकेज नं. आरजे 09-04**		
(ए)	सम्पर्क सड़क गुहाटा	16.00	माह दिसम्बर, 2002 तक पूर्ण
(बी)	सम्पर्क सड़क कोटा खुर्द	45.00	होना प्रस्तावित है
(सी)	सम्पर्क सड़क बोरडाकाछान	70.00	
(डी)	सम्पर्क सड़क नौताड़ा	42.00	

प्रपत्र ''ब''

नाबार्ड योजना की सड़कें (विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन)

क्र. सं.	ग्राम	सड़क का नाम	स्वीकृत लागत (लाखों में)	कार्य की लम्बाई (किमी.)	व्यय राशि 7/02 तक			विवरण	भौतिक प्रगति
					व्यय राशि	प्रोरेटा चार्जेज	योग 6 + 7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	बसवाड़ा	अप्रोज रोड बसवाड़ा	58.22	7.00	40.83	5.31	46.14	कार्य प्रगति पर	4.00 किमी. डामर
2.	हिगोनिया	अप्रोज रोड हिगोनिया	26.75	4.90	24.82	3.23	28.05	कार्य पूर्ण	4.50 किमी. डामर
3.	नौताड़ा	अप्रोज रोड नौताड़ा	45.56	5.50	16.48	2.14	18.62	कार्य प्रगति पर	3.50 किमी. मेटल
4.	गुहाटा	अप्रोज रोड गुहाटा	37.20	5.00	19.29	5.51	24.80	कार्य प्रगति पर	4.00 किमी. मेटल
5.	चड़ी	अप्रोज रोड चड़ी	24.87	2.75	18.13	2.36	20.49	कार्य पूर्ण	2.25 किमी. डामर
6.	खरायता	अप्रोज रोड खरायता	15.48	2.00	15.30	1.99	17.29	कार्य पूर्ण	2.00 किमी. डामर

परिशिष्ट-15

परिशिष्ट "अ"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-54 का विवरण)

उपभोक्ता जिनका भार बढ़ा हुआ पाया गया व चार्ज की गई राशि का विवरण

क्र. सं.	उपभोक्ता का नाम व खाता संख्या	बढ़ा हुआ भार	वीसीआर नं. व दिनांक	वसूल की गई राशि
1.	श्री भौंरया पुत्र श्री सरिया गुर्जर 1610/0062 कृषि	5 एचपी से 7.5 एचपी	92784/10 1.3.2002	7375.00
2.	श्री बीरबल/रामधन पुत्र श्री रामनिवास 1610/0065 कृषि	5 एचपी से 7.5 एचपी	92784/5 1.3.2002	7375.00
3.	श्री किशोरीलाल पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा 1610/0034 कृषि	7.5 एचपी से 10 एचपी	191/05 26.4.2002	7375.00
4.	श्री छाजूलाल पुत्र श्री सूरजमल शर्मा 1610/0089 कृषि	7.5 एचपी से 10 एचपी	191/06 26.4.2002	7375.00

उपरोक्त उपभोक्ताओं से जनवरी, 2001 से दिसम्बर, 2001 तक निम्नानुसार वसूले गये बिलों की राशि

क्र. सं.	उपभोक्ता का नाम	खाता संख्या	जन. 01	मार्च 01	मई 01	जुलाई 01	सित. 01	नव. 01	कुल योग (रुपये)
1.	श्री भौंरया गुर्जर	1610/0062	666	666	734	940	940	940	4886
2.	श्री बीरबल	1610/0065	666	666	734	940	940	940	4886
3.	श्री किशोरीलाल	1610/0034	1543	1543	1546	1363	1421	1395	8811
4.	श्री छाजूलाल	1610/0089	1543	1543	1646	1395	1395	1395	8917

उपरोक्त उपभोक्ताओं से जनवरी, 2002 से जुलाई, 2002 वसूली हेतु भेजे गये बिलों की राशि

1.	श्री भौंरया गुर्जर	1610/0062	940	940	848	9067	11795
2.	श्री बीरबल	1610/0065	940	940	847	8943	11670
3.	श्री किशोरी	1610/0034	1395	1395	1149	8524	12463
4.	श्री छाजूलाल	1610/0089	1395	1395	1155	8532	12477

परिशिष्ट "ब"

राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल
(ग्रामीण विद्युतीकरण)

आर.ई.ए.-207

क्रमांक : राराविम/उमुअ(ग्रावि)/अनु-9/प्रे.51 जयपुर, दिनांक : 22.6.2000

विद्युत मण्डल की 465वीं बैठक में मण्डल के पूर्णकालिक सदस्यों को कृषि कनेक्शनों के लिये जारी आदेशों को संशोधित करने के लिए अधिकृत किया गया था, उसी के अनुरूप विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 54-1948) धारा 49 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य विद्युत मण्डल द्वारा समय-समय पर विधिवत जारी कृषि कनेक्शन हेतु निर्देशों का संकलन इस अधिसूचना द्वारा पुनः समस्त कृषि उपभोक्ताओं एवं आवेदकों की सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है।

कृषि कनेक्शन देने हेतु मण्डल द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किये गये हैं। इन सभी में समय-समय पर कुछ संशोधन भी किये गये हैं। अतः सभी उपभोक्ताओं व मण्डल अधिकारियों की सूचना के लिए एवं सुस्पष्ट करने हेतु पूर्व आदेशों के आंशिक अधिक्रमण (Partial supersession) में निम्नानुसार आदेश दिये जाते हैं। यदि पूर्व आदेशों में व इस आदेश में विरोधाभास हो तो यही आदेश प्रभावी होंगे।

1. कृषि श्रेणी

ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि कनेक्शन देने के लिये अब मोटे रूप से केवल दो ही श्रेणियां रखी गई हैं एवं इन श्रेणियों के कृषि कनेक्शन स्वीकृत करने के लिए अधिशासी अभियन्ता को अधिकृत किया गया है।

19. स्वीकृत भार बढ़ाना

सतर्कता अथवा अन्य अधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान विद्युत मोटर का भार बढ़ा हुआ पाया जाने पर 20 प्रतिशत तक बढ़े हुए भार के लिए कोई विजिलेंस चार्जेज नहीं लिये जावेंगे। इससे अधिक होने पर विद्युत भार बढ़ा हुआ माना जायेगा। बढ़े हुए भार को स्वीकृत करने के लिये रु. 2950/- प्रति हार्स पावर जिसमें रु. 1500/- प्रति हार्स पावर अधिभार शामिल है, लिये जावेंगे। यदि ट्रांसफार्मर लगाना

पड़ेगा तो वह विद्युत मण्डल स्वयं के खर्चे से लगायेगा। लेकिन लाइन को बदलने इत्यादि का पूरा खर्चा उपभोक्ता को देना होगा।

उपभोक्ता स्वयं अपना विद्युत भार बढ़ाने के आवेदन पर रु. 1450/-प्रति हार्स पावर की दर से (जिसमें सर्विस कनेक्शन चार्जेज शामिल है) राशि ली जावेगी। बढ़े हुए भार को स्वीकृत करने के लिये एल.टी. लाइन को 11 के.वी. में बदलने या नयी 11 के.वी. लाइन की जरूरत पड़ेगी तो निर्धारित दर की आधी दर से चार्जेज उपभोक्ता से लिये जावेंगे।

कृषि उपभोक्ता भी उपरोक्त समझौता समिति के माध्यम से विवादित बकाया के भुगतान के सम्बन्ध में समझौता करने का लाभ उठा सकते हैं। इस व्यवस्था से अनावश्यक रूप से न्यायालय में नहीं जाना पड़ेगा। जो मामले न्यायालय में लम्बित हो उन्हें भी वहां से वापस लिये बिना समझौता समितियों के माध्यम से निपटाया जा सकेगा। ऐसे मामलों में यदि उपभोक्ता किसी समिति द्वारा दिये गये निर्णय से संतुष्ट नहीं हो तो ऊपर की समिति में अपील कर सकेगा। अपील का शुल्क सम्बन्धित समझौता समिति के प्रार्थना-पत्र शुल्क के बराबर होगा अर्थात वृत स्तर पर रु. 50/- जोनल स्तर पर 300/- एवं मण्डल स्तर पर रु. 3000/- शुल्क जमा कराना होगा।

ह०/-

(सुदर्शन सेठी)

सचिव

परिशिष्ट-16

परिशिष्ट "क"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-58 की सूची)

बाड़मेर जिले में गत पांच वर्षों में स्वीकृत 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशनों की सूची

क्र.सं.	ग्रिड सब-स्टेशन का नाम	क्षमता (एम.वी.ए.)	स्वीकृति दिनांक	स्थापना दिनांक
1.	सावा	20/25	24.8.1998	13.3.2002
2.	शिव	20/25	25.3.2000	31.3.2002
3.	समदणी	20/25	9.5.2001	निर्माणाधीन (लक्ष्य 2003-04) विश्व बैंक से सहायतार्थ
4.	सिणधरी	20/25	9.5.2001	निर्माणाधीन (लक्ष्य 2003-04) विश्व बैंक से सहायतार्थ
5.	गुडामलानी	20/25	27.4.2002	निर्माणाधीन (लक्ष्य 2003-04)

बाड़मेर जिले में स्वीकृत व तैयार 33/11 के.वी. सब-स्टेशनों की सूची

(अ) तैयार 33/11 के.वी. सब-स्टेशन

क्र.सं.	सब-स्टेशन का नाम	क्षमता (एम.वी.ए.)	चालू करने की दिनांक	ऊर्जा बचत अनुमानित (लाख यूनिटों में)
1.	कोजा	1 X 1.6	30.10.2000	13.40
2.	रोहिजा (पूर्व)	1 X 3.15	30.10.2000	
3.	भोदी का ताल	1 X 1.6	30.10.2000	
4.	गूठली	1 X 3.15	3.11.2000	

(ब) स्वीकृत 33 के.वी. सब-स्टेशन

क्र.सं.	सब-स्टेशन का नाम	क्षमता (एम.वी.ए.)
1.	बटाडू	1 X 1.6
2.	मैली	1 X 3.15
3.	कीटनोट	1 X 1.6
4.	हरपालिया	1 X 3.15
5.	पारिक्त	1 X 1.6
6.	श्रम्बली	1 X 1.6
7.	लीलसर	1 X 1.6
8.	बिराला	1 X 1.6
9.	रतेऊ	1 X 1.6
10.	सातड़ा	1 X 1.6
11.	सरनाऊ	1 X 1.6
12.	हाथड़ा	1 X 1.6
13.	बगुड़ी	1 X 1.6
14.	लुणावा-चारणी	1 X 1.6
15.	नगर	1 X 1.6
16.	गौरा	1 X 1.6
17.	राणासर कुआं	1 X 1.6
18.	गादेवी	1 X 1.6
19.	शौमाला जैतमाल	1 X 3.15

परिशिष्ट-17

परिशिष्ट "क"

(अतारांकित प्रश्न संख्या-62 का विवरण)

जिलेवार साक्षरता प्रतिशत

क्र. सं.	जिला	साक्षरता प्रतिशत (जनगणना 2001)
1.	अजमेर	65.06
2.	अलवर	62.48
3.	बांसवाड़ा	44.22
4.	बारां	60.37
5.	बाड़मेर	59.65
6.	भरतपुर	64.24
7.	भीलवाड़ा	51.09
8.	बीकानेर	57.54
9.	बूंदी	55.80
10.	चित्तौड़गढ़	54.37
11.	चूरू	66.97
12.	दौसा	62.75
13.	धौलपुर	60.77
14.	डूंगरपुर	48.32
15.	गंगानगर	64.84
16.	हनुमानगढ़	65.72
17.	जयपुर	70.63
18.	जैसलमेर	51.40
19.	जालौर	46.51
20.	झालावाड़	57.98
21.	झुंझुनूं	73.61
22.	जोधपुर	57.38
23.	करौली	64.59
24.	कोटा	74.45
25.	नागौर	58.26
26.	पाली	54.92
27.	राजसमंद	55.82
28.	सवाईमाधोपुर	57.34
29.	सीकर	71.19
30.	सिरोही	54.39
31.	टोंक	52.39
32.	उदयपुर	59.26
	योग : राजस्थान	61.03

परिशिष्ट "ख"

राज्यवार साक्षरता प्रतिशत

क्र. सं.	राज्य	साक्षरता प्रतिशत (जनगणना 2001)
1.	आंध्र प्रदेश	61.11
2.	अरूणाचल प्रदेश	54.74
3.	आसाम	64.28
4.	बिहार	47.53
5.	छत्तीसगढ़	65.18
6.	गौवा	82.32
7.	गुजरात	69.97
8.	हरियाणा	68.59
9.	हिमाचल प्रदेश	77.13
10.	जम्मू एवं कश्मीर	54.46
11.	झारखण्ड	54.13
12.	कर्नाटक	67.04
13.	केरल	90.92
14.	मध्य प्रदेश	64.11
15.	महाराष्ट्र	77.27
16.	मणीपुर	68.87
17.	मेघालय	63.31
18.	मिजोरम	88.49
19.	नागालैंड	67.11
20.	उड़ीसा	63.61
21.	पंजाब	69.95
22.	राजस्थान	61.03
23.	सिक्किम	69.68
24.	तमिलनाडु	73.47
25.	त्रिपुरा	73.66
26.	उत्तर प्रदेश	57.36
27.	उत्तरांचल	72.28
28.	पश्चिम बंगाल	69.22